

मिलने का पता—

- १—डी० पी० चार्पेथ
७, एडमान्स्टन रोड, इलाहाबाद
- २—ला० रामनारायण लाल
कानूनी पुस्तक विक्रेता
कटरा, इलाहाबाद
- ३—ईस्टर्न ला हाउस
१३, गणेशदत्त ऐवेन्यू, कलकत्ता
अथवा अन्य कानूनी पुस्तक विक्रेता]

मुद्रक—मुंशी रमजान अली शाह, नेशनल प्रेस, प्रयाग

FOREWORD TO THE SECOND EDITION

[By the Hon'ble Mr Shyam Krishna Dar, Retired Judge, Allahabad High Court, and Chairman Linguistic Commission for India].

In the concluding portion of the introduction to the first Edition of this book the author who was my distinguished senior in Agra College and at the Allahabad Bar, had stated that it was the belief of some people that of all the competing languages of India, Hindi in Devanagari script stood the best chance of becoming *lingua franca* of the country and that he would consider his labour in writing this book amply rewarded if this book in some way could serve the cause of the Hindi language. The recent happenings in India have brought the Author's belief much nearer realisation than it ever was before, and in the all-round development and enrichment which now awaits Hindi, this book is likely to prove a valuable contribution in the field of law and of legal literature.

The pleadings in this country in the mufassil are the result of the adaptation of the Mohammedan practice to the needs of the British administration of justice ; and two successive enactments of the Civil Procedure Code in 1882 and in 1908 have not yet been able to rid it completely of the influence of the Mohammedan petition writers or oriental hyperbole or indefiniteness. And it still continues to serve in some measure at least as an instrument of invective and of attacking the motive and character of one's opponent ; and it is still not merely and exclusively what it is intended to be *viz.* a concise statement of facts and law which go to make a claim or a defence.

The drafting of a satisfactory pleadings is a work of skill and of art, but the skill and art consists in close study of the case, in clear thinking, in sound knowledge and in the power of effective expression which the draftsman brings to bear on the task before he sets his pen on the paper, and not in the use of flowery language, invective or rhetoric or in the vagueness which is at once an excuse for want of clear thought and a device to spring

up a possible surprise on one's opponent. It may not be given to every legal practitioner to be a successful draftsman just as it is not given to every lawyer to be a successful advocate or a judge, but it is possible for every legal practitioner to master a few simple legal principles and a few simple technical rules which should enable him to draft pleadings which might satisfy the essential requirements of law and justice and are not disfigured by extraneous matter which has no proper place in pleadings.

The original Urdu book was written almost a generation ago by the late Mr. Panna Lal with the avowed subject of calling attention of the Mufassil practitioners to the evils which surrounded the pleadings and of furnishing them with a true and trustworthy guide in drafting pleadings. The Author who was both a successful draftsman and a successful lawyer, from his own rich experience and store of knowledge succeeded in producing a book which on its first appearance was universally acclaimed by the Bench and the Bar as a valuable contribution on the subject. That the book ran through two editions in Urdu and one Edition in Hindi in the Author's life time and that the book is still in demand and the third Urdu Edition and Second Hindi edition are being issued, shows the popularity and utility of the book and how well the work was done by the Author.

This edition of the book has been prepared by the Author's son Mr. Hari Pal Varshni of the U. P. Judicial service, who had cooperated with him in the preparation of the first edition, and who while retaining all essential features of his father's book, has enriched it with additional matter which materially adds to the utility of the book. That this book has a long life and utility before it I have no doubt ; and I have only to add my respectful tribute to the memory of the Author and my sincere appreciation of his son's labour in bringing out another edition of this work.

37, Canning Road,
Allahabad.

(Sd.) S. K. Dar.

द्वितीय आवृत्ति के लिये प्राक्कथन

—:०:—

[लेखक :-माननीय श्री श्यामकृष्ण दत्त भूतपूर्व जज प्रयाग हाई कोर्ट तथा सभापति भारतीय लिङ्गुस्टिक कमीशन]

इस पुस्तक की प्रथम आवृत्ति की भूमिका के अंतिम भाग में ग्रंथकार ने, जो कि आगरा कालेज तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरे विख्यात अग्रज थे, यह लिखा था कि कुछ लोगों का यह विश्वास है कि इस देश की सर्वव्यापी भाषा बनने के लिये प्रतियोग करने वाली समस्त भारतीय भाषाओं में सबसे सुन्दर अवसर हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि को है और यह कि यदि यह पुस्तक किसी प्रकार से हिन्दी भाषा का पक्ष समर्थन कर सके तो ग्रंथकार उसको लिखने के अपने परिश्रम को प्रचुर मात्रा में पारितोषिक समझेंगे। निकट कालीन घटनाओं ने ग्रंथकार के इस विश्वास को पिछले समय की अपेक्षा बहुत कुछ वास्तविकता के निकट पहुँचा दिया है और सर्वतोमुखी प्रगति एवं समृद्धि जो कि हिन्दी की प्रतीका कर रही है, उन के लिये यह पुस्तक राजनियमिक साहित्य के क्षेत्र में एक बहुमूल्य दैन होगी।

इस देश में बाहर के स्थानों में जो वाद प्रतिवाद लेख प्रचलित हैं वह आंग्ल शासन के न्याय वितरण की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित की हुई मुसलमानी शैली का फल है और वर्ष १८८२ व तदुपरान्त १९०८ के दीवानी व्यवहार-विधि संग्रह के संस्करण अब तक उस लेखन को यावनी आवेदन पत्र लेखकों तथा पूर्वीय आतिशयोक्ति व अनिश्चितता के प्रभाव से पूर्णतया छुटकारा नहीं दिला सके और यावनी शैली अब तक अधिक नहीं तो अंशरूप में अवश्य ही तीव्र निंदा तथा अपने विपक्षी की मनोवृत्ति व उसके चरित्र पर आक्षेप करने की एक यंत्र बनी हुई है। यह शैली अब तक वह वस्तु नहीं हो पाई जो कि उसका होना उद्दिष्ट है अर्थात् उन घटनाओं व राजनियमों का, जो कि वाद व प्रतिवाद को बनाते हैं, एक संक्षिप्त वर्णन।

संतोषजनक वादपत्र व प्रतिवाद पत्र का प्रकार बनाना एक कला व प्रवीणता का कार्य है परन्तु वह प्रवीणता व कला, वाद के घनिष्ठ अध्ययन, विशुद्धविवेचन, पूर्ण विद्वता तथा अपने विचारों को प्रभावकारक रीति से प्रगट करने की शक्ति में है जिनके कि निम्नकारक निबन्ध के आरम्भ के पूर्व से ही प्रयोग में लाता है न कि सुशोभित या अलंकारिक भाषा, निन्दा या सद्विधता में जो कि विशुद्ध विचार के अभाव का केवल एक वहाना तथा अपने प्रति पक्षी पर सम्भवत आक्रामक आक्रमण करने के लिये रखी जाती है। सफल निबन्ध लेखक होना प्रत्येक अभिभाषक के भाग्य में न हो जैसा कि प्रत्येक अभिभाषक के भाग्य में सफल एडवोकेट या राजनियमों का पंडित अथवा न्यायाधीश होना नहीं होता परन्तु इतनी बात प्रत्येक अभिभाषक के लिये संभव है कि वह राजनियम सम्बन्धी कातिपय मूल सिद्धांत

तथा इस कार्य सम्बन्धी विशेष नियमों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले जिस से कि वह ऐसे वाद प्रतिवाद पत्रों के निर्बंध बना सके जो कि राजनियमों व न्याय की सारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके और वह वाद प्रतिवाद पत्र एसी आवश्यक बातों के सम्मिश्रण के कारण विगड़े हुए न हों जिसके लिये कि उन में कोई उचित स्थान नहीं है ।

लगभग एक पीढ़ी का समय हुआ कि ग्रन्थकार ने मौलिक उर्दू पुस्तक दूरवर्ती अभि-भाषक गण का ध्यान प्रचलित वाद प्रतिवाद लेखन शैली से लिपटी हुई बुराइयों की ओर आकर्षित करने और उनका वाद प्रतिवाद पत्रों के लेखन में सच्चे व विश्वसनीय पथ-प्रदर्शन करने के स्पष्ट उद्देश्य से लिखी थी ।

ग्रन्थकार जो कि एक सफल निवन्ध लेखक तथा साथ ही एक सफल अभिभाषक भी थे अपने निजी समृद्ध अनुभव तथा विद्वत्ता के मंडार से ऐसी पुस्तक लिखने में सफल हुये जिस के प्रथम प्रकाशन पर ही समस्त न्यायाधीश व अभिभाषक वर्ग ने उस पुस्तक को इस विषय के लिये सर्व सम्मति से एक बहुमूल्य दैन मान कर उसकी प्रशंसा की । ग्रंथकार के जीवन में इस पुस्तक की दो आवृत्ति उर्दू में और एक हिन्दी में निकलना और पुस्तक की अब भी माँग होना तथा तृतीय उर्दू संस्करण व द्वितीय हिंदी संस्करण का निकलना पुस्तक की उपयोगिता व लोक प्रियता के तथा इस बात के द्योतक हैं कि ग्रंथकार ने उक्त कार्य कितने सुचारु रूप से सम्पन्न किया था ।

पुस्तक का यह संस्करण ग्रंथकार के सुपुत्र श्री हरिपाल चार्पण्य सिविल जज ने सम्पन्न किया है । श्री चार्पण्य ने पुस्तक की पहली आवृत्ति के तय्यार करने में भी ग्रंथकार को सह-योग दिया था । और अब उन्होंने अपने पिता की पुस्तक की सारभूति आकृतियों को स्थापित रखते हुये इस पुस्तक को अतिरिक्त विषयों द्वारा समृद्ध कर दिया है जिसके कारण पुस्तक की उपयोगिता में विशेष वृद्धि हो गई है । मुझे इस में कोई सदेह नहीं है कि इस पुस्तक का जीवन व उपयोगिता बहुत विशाल है, मुझे केवल ग्रंथकार की स्मृति में अपनी सम्मानयुक्त श्रद्धाजलि तथा उनके सुपुत्र के इस अतिरिक्त संस्करण के निकालने के परिश्रम पर अपनी सच्ची व हार्दिक प्रसन्नता का समावेश करना है ।

३७, कैनिंगरोड

इलाहाबाद

एस० के० दर

भूमिका

इस पुस्तक की प्रथमावृत्ति ५ वर्ष (हुये) समाप्त हो गई परन्तु विश्वव्यापी युद्ध के कारण बागल और छपाई की अन्य सामग्री की कमी हो जाने से दूसरा संस्करण, बहुतायत से मांग होने पर भी अब तक नहीं निकाला जा सका। पिछले २ वर्षों में देश में बड़े बड़े परिवर्तन हो गये हैं परन्तु पुस्तक को आधुनिक तम (up-to-date) और अभिभाषक समुदाय के लिये पूर्ण हितकारी बनाने का प्रयत्न किया गया है।

प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय श्री पन्नालाल जी ने उर्दू प्लीडिंग की पहिली आवृत्ति आज से २० वर्ष पूर्व निकाली थी। उसके प्रकाशित होते ही उसका बहुत आदर और स्वागत हुआ और न्यायसम्बन्धी समूहों में उसने विशेष सम्मान प्राप्त किया। उसके उपरान्त पुस्तक की तीन उर्दू आवृत्तियाँ और एक हिंदी संस्करण भी निकाला गया जिनकी कि सर्वश्री सर वेजमिन लिन्डसे (जो कि उर्दू फारसी के विद्वान् और पहिले प्रयाग हाई वेर्ट के जज तथा उसके उपरान्त ओस्फोर्ड विश्वविद्यालय में न्याय के प्रोफेसर हुये), चीफ जस्टिस सर शाह मुहम्मद जुलेमान, जस्टिस सर सैयद अब्दुल रऊफ, चीफ जज सर सैयद बज़ीर हसन, जस्टिस कन्हैया लाल, डा० सुरेन्द्रनाथ सेन जैसे न्यायाधीश व न्याय पंडितों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की और जिसके कुछ विश्व विद्यालयों ने अपनी न्याय की पाठावली (Course) में भी रक्खा।

अभाग्य से हमारे देश में प्लीडिंग की शिक्षा, अधिकांश विश्वविद्यालयों में विशेष रूप से नहीं दी जाती और राजनियम (कानून) की परीक्षा प्राप्त कर लेने पर भी नये वकील का वाद प्रतिवाद और अनेक प्रकार के आवेदन पत्र लिखने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ वर्ष तक अनुभवी वकीलों के साथ काम सीखने की प्रणाली जो विलायत और कुछ अन्य देशों में प्रचलित है, हमारे देश में अभी तक सफल और संतोष जनक सिद्ध नहीं हुई है और अभिभाषक समुदाय में प्रविष्ट होने वाले की सहायता के लिये ऐसी पुस्तक का होना परमावश्यक है।

इस संस्करण में पुस्तक को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में प्लीडिंग के सिद्धान्त और नियम व्याख्या सहित दिये गये हैं और द्वितीय भाग में अनेक प्रकार के वाद पत्र, प्रतिवाद-पत्र, आवेदन-पत्र, शपथपत्र, विवादपत्र, इत्यादि के नमूने उदाहरण और अनुकरण के लिये दिये गये हैं जिनसे नये वकील को अपने काम में सहायता मिले। प्रसिद्ध-पाडुलिपि लेखक श्री पन्नालाल जी की लिपियाँ जहाँ तक हो सका है ज्यों की त्यों ही रखी गई हैं, परन्तु प्रत्येक पद की प्राथमिक टिप्पणियों में उस विषय सम्बन्धी सब सूचनार्थ कोर्ट-फीस, अबधि इत्यादि सहित दे दी गई हैं। प्रथम भाग के पहिले तीन अध्यायों में नियमों की व्याख्या और उनका स्पष्टीकरण विस्तार-पूर्वक कर दिया गया है और शपथपत्र, विवाद-पत्र और अन्य प्रकार के आवेदन-पत्रों के विषय में चतुर्थ अध्याय नया बढ़ाया गया है, इस आवृत्ति की एक विशेषता यह है कि विलायती और इस देश के पूर्व न्याय दृष्टान्त (नज़ीरे) निम्नांकित संकेतों से दे दिये गये हैं और अन्त में अग्रेजी और लैटिन (Latin) के न्याय-सम्बन्धी शब्दों को एक सूची हिन्दी, उर्दू पर्यायवाची शब्दों सहित दी गई है जो कि आशा

की जाती है कि पत्र-लेखके को अत्यन्त सहायक होगी। अभिप्राय यह है कि प्रस्तुत पुस्तक को अपने विषय में अंग्रेजी स्वीकृत ग्रन्थों के अनुकूल बनाने का पूर्ण रूप से प्रयत्न किया गया है।

हिन्दी पुस्तक लिखने में सब से अधिक कठिनाई यह हुई कि न्याय सम्बन्धी अरबी फारसी के बहुत से शब्द, जो वाद, प्रतिवाद और आवेदन पत्रों में प्रयुक्त होते हैं उनके पर्यायवाची और समान शब्द हिन्दी बोल चाल में नहीं मिलते। बहुत से अरबी, फारसी के शब्द वर्षों से प्रयोग होते होते ऐसे हो गये हैं कि उनके अनपढ़ ग्रामीण भी भली भाँति जानने और बोलने लगे हैं, ऐसे शब्दों के स्थान में संस्कृत विकास के कठिन व प्रचलित शब्द रखना पुस्तक की उपयोगता को कम करना है। बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके समान वाची शब्द हिन्दी में होना कठिन है जैसे शुफा, महर, तलाक इत्यादि। अंग्रेजी भाषा की शब्दावली सब भाषाओं से विद्यमान होने पर भी अंग्रेजी न्यायालयों में न्याय सम्बन्धी लैटिन (Latin) और अन्य भाषाओं के शब्द बहुतायत से प्रयोग किये जाते हैं। अतः हिन्दी भाषा को सर्वोपयोगी बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि अन्य भाषाओं के कुछ विशेष शब्द अपनाये जावे।

सब बातों पर दृष्टि रखते हुये इस पुस्तक में यह मार्ग ग्रहण किया गया है कि अन्य भाषाओं के शब्दों को स्थान पूर्ति के लिये हिन्दी में जो सरल और बोल चाल के पर्यायवाची शब्द मिलते हैं वह प्रयोग में लेलिये गये हैं परन्तु जिन शब्दों के पर्यायवाची हिन्दी शब्द कठिन या कम बोल चाल के हैं उनको वैसा ही रहने दिया है। अथवा उनको कोष्ठक में लिख दिया गया है, और प्रचार बढ़ाने के लिये समान वाची हिन्दी शब्दों का एक ही पद में प्रयोग किया गया है जैसे नाबालिग और अवयस्क (न कि अप्राप्त वयस्कता), काबिज और अधिकृत, वसीयत और निष्ठा, जामिन और प्रतिभू इत्यादि, उर्दू के साधारण शब्द जैसे शर्त, शिकायत इत्यादि का भी प्रयोग किया गया है और भाषा को सरल और साधारण बोल चाल को बनाने का ध्यान रक्खा गया है।

माननीय श्रीमान् श्यामकृष्ण जी दर ने इस संस्करण का प्राक्कथन लिखने का कष्ट किया है इस कृपा के लिये मैं उनका बहुत आभारी हूँ। यदि यह पुस्तक हिन्दी भाषा के न्याय विभाग में प्रचलित करने में और अभिभाषक समुदाय के लिये हितकारी हो तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा। माग अधिक होने के कारण यह पुस्तक बहुत शीघ्रता में प्रकाशित की गई है और मुझको उसके प्रूफ (Proof) देखने का अवकाश नहीं मिल पाया अतः लगभग समस्त प्रूफ गेरे पुत्र चि० यतेन्द्रपाल वार्पण्य ने ही देखे हैं। उनके इस कार्य में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं आशा करता हूँ कि पाठक गण उसे क्षमा करेंगे।

७, एडमान्स्टन रोड

इलाहाबाद

हरीपाल वार्पण्य

१० जून सन् १९४६ ई०

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ
Foreword by Hon'ble Mr. S. K. Dar	1
प्राक्कथन—माननीय श्री पं० श्यामकृष्णदर (अनुवाद)	...	III
भूमिका	vi
विषय सूची	vii
प्रस्त.चना	१-६
झीड़िंग का अर्थ	१
झीड़िंग का अभिप्राय और प्रयोजन	२
झीड़िंग की वर्तमान दशा	३
त्रुटियों दूर न होने के कारण	४
पुस्तक की स्कीम	५

प्रथम भाग

प्रथम अध्याय— झीड़िंग के साधारण नियम ७—३५

आर्डर ६ नियम न० १ व्याख्या सहित		७
” ” न० २	...	८
(१) झीड़िंग में घटनाएँ हों	...	९
(२) वह घटनाएँ मुकदमे का तत्व हों	...	१४
(३) केवल घटनाएँ तत्व मुकदमा लिखी हों	...	१६
(४) उनका एक संक्षिप्त बयान हो	..	१७
(५) प्रमाण न लिखा जावे	...	१८
(६) लेखन प्रणाली	...	१९
” ” न० ३ व्याख्या सहित	...	२०
” ” न० ४ ” ”	...	२०
” ” न० ५ ” ”	...	२२
” ” न० ६ ” ”	...	२३
” ” न० ७ ” ”	...	२४
” ” न० ८ ” ”	...	२४
” ” न० ९ ” ”	...	२५

विषय		पृष्ठ
आर्डर ६ नियम न० १० व्याख्या सहित	...	२६
" " न० ११ " "	..	२७
" " न० १२ " "	...	२८
" " न० १३ " "	.	२९
" " न० १४ " "	...	३०
" " न० १५ " "	...	३१
" " न० १६ " "	...	३२
" " न० १७ " "	...	३३
" " न० १८ " "	...	३५

द्वितीय अध्याय— वाद-पत्र या अर्जीदावा ३६—६०

प्राथमिक नोट या ह्दियायत		६६
आर्डर ७ व्यवहार-विधि संग्रह के नियमों को व्याख्या	...	३६
आर्डर ७ नियम न० १ (अ) नाम अदालत जहाँ वाद प्रस्तुत किया जावे— टिप्पणी सहित	...	४०
" " (ई) व, ऊ) नाप पता, इत्यादि वादी का और प्रतिवादी का, जहाँ तक ज्ञात हो सकता हो'	...	४३
वाद शीर्षक या मुकदमें का सिरनामा	...	४५
" " (क) यदि वादी या प्रतिवादी नाबालिग या पागल हो	...	४६
विशेष मुकदमों में पक्षकारों का पता	...	४७
" " (ख) घटनाएँ जिनसे नालिश करने का अधिकार उत्पन्न हो		४९
" " (ग) घटनाएँ जिनसे प्रगट हो कि अदालत को दर्शनार्थिकार प्राप्त है	...	५०
" " वादी की प्रेरणा	...	५०
" " (च) छोड़े हुये रुपये मुतालवा की संख्या	...	५२
" " (छ) भगड़े वाली सम्पत्ति का विवरण और उसका मूल्य		५३
" " न० २ व्याख्या सहित	...	५३
" " न० ३ " "	...	५३
" " न० ४ " "	...	५४
" " न० ५ " "	...	५४
" " न० ६ " "	...	५६
" " न० ७ " "	...	५७
" " न० ८ " "	...	५७
वाद पत्र या अर्जीदावे में लिखने योग्य बातों का सारांश	...	५८

तृतीय अध्याय—प्रतिवाद-पत्र, जवाब दावा या

बयान तहरीरी

६१—८४

प्राथमिक नोट	६१
बोर्ड फीस	६६
जवाब दावे का सिरनामा	६७
आर्डर = नियम न० १ तथाख्या सहित	६८
” ” न० २ ” ”	६८
” ” न० ३ ” ”	७१
” ” न० ४ ” ”	७२
” ” न० ५ ” ”	७४
” ” न० ६ ” ”	७७
” ” न० ७ ” ”	८०
” ” न० ८ ” ”	८१
” ” न० ९ ” ”	८१
” ” न० १० ” ”	८२
प्रतिवाद पत्र की बनावट	८२

चतुर्थ अध्याय—आवेदन पत्र, शपथ-पत्र, और

विवाद-पत्र

८५—९२

(१) दरखास्तों या आवेदन-पत्र	८५
(२) बयान हल्की, शपथ-पत्र) आर्डर १९ व्यवहार-विधि संग्रह			८७
(३) मूजनात अपील या विवाद-पत्र	८९

द्वितीय भाग

प्रथम अध्याय—वाद-पत्रों के नमूने

९३—४०१

१—ऋण या कर्जा

प्राथमिक नोट	९३
तमस्तुक से लिया हुआ कर्जा	९४
बहीखाते के आधार पर नालिशों	९५
(१) कर्ज दिये हुये रुपयों के लिये	९६
(२) हत उधार कर्जों की बाबत	९६

विषय

पृष्ठ

(३)	प्रामेसरी नोट का कर्जा	६८
(४)	,, ,, दूसरा नमूना	६६
(५)	,, ,, तीसरा नमूना	६६
(६)	वाचत कर्जा जो तमस्सुक इन्दुल तलन पर लिया हो	१००
(७)	,, ,, जो नियत तारीख के तमस्सुक पर लिया हो	१०२
(८)	,, ,, जो क्रिस्तबंदी तमस्सुक पर लिया गया हो	१०३
(९)	बदनी या सद्दा के तमस्सुक पर दावा	१०४
(१०)	वाचत कर्जा जो बहीखाते पर लिया हो	१०५
(११)	,, ,, बकाया जो हिसाब होने पर स्वीकार किया हो	१०६
(१२)	,, ,, के जो हुन्डी लिखकर लिया गया हो	१०६
(१३)	खरीदार की ओर से तमस्सुक के कर्जे की वाचत	१०७

२—अदायगी ज्ञायद

	प्रारम्भिक नोट	१०६
(१)	वाचत रुपये के जो अधिक दे दिये हों	१०६
(२)	अधिक दी हुई कीमत वापिस बरने के लिये	११०

३ - माल की कीमत

	प्रारम्भिक नोट	१११
(१)	नियत दाम पर बेचे गये माल की वाचत	११२
(२)	दूसरा नमूना माल की कीमत के वाचत	११३
(३)	तीसरा नमूना ,, ,, ,	११३
(४)	वाचत कीमत माल खरीदार या उसने लेने वाले के विषय	११४
(५)	दावा कीमत वगूल करने वाले से, खरीदार की तरफ से	११५
(६)	बहीखाते में लिखे हुये माल की कीमत व कर्जे के वाचत	११६
(७)	वाचत माल जो उचित मूल्य पर बेचा गया	११७
(८)	,, ,, ,, दूसरा नमूना	११७
(९)	वाचत ऐसी वस्तु के जो प्रतिवादी के आर्डर पर बनाई गई और उसने न ली हो	११८
(१०)	इसी प्रकार का दूसरा नमूना	११८
(११)	नीलाम किये हुये माल की कीमत के लिये	११९
(१२)	वाचत उस कमी कीमत के जो दुबारा नीलाम कराने से हो	१२०

४ - मजदूरी व नौकरी

	प्रारम्भिक नोट	१२१
(१)	उचित मजदूरी के लिये दावा	१२१

विषय			पृष्ठ
(२) दावा बाबत मुनासिब मजदूरी	१२२
(३) दावा मजदूरी इत्यादि की उचित कीमत की बाबत	१२२
५—हुन्डी व चैक			
प्रारम्भिक नोट	१२३
(१) दावा लिखने वाले का ऊपर वाले पर	१२४
(२) दावा रखने वाले का हुन्डी लिखने वाले पर	१२५
(३) दावा वेचान लेने वाले का सही करने वाले पर	१२५
(४) हुन्डी न सिक्करने पर रखने वाले का लिखने वाले पर दावा	१२७
(५) दावा वेचान लेने वाले का रखने वाले पर	१२८
(६) वेचान लेने वाले का उसके वेचान देने वाले के ऊपर	१२८
(७) वेचान लेने वाले का वेचान देने वाले और लिखने वाले पर	१२९
(८) चैक के आधार पर दावा	१३०
६—आपसी हिसाब—			
प्रारम्भिक नोट	१३१
(१) आपस के हिसाब के आधार पर नकद रुपया का दावा	१३२
(२) इसी प्रकार का दूसरा नमूना	१३२
७—अमानत का रुपया—			
प्रारम्भिक नोट	१३४
(१) बाबत अमानती रुपया	१३४
(२) ,, ,, अमानती माल के लिये	१३५
८—वादी के लिये वसूल किया हुआ रुपया—			
प्रारम्भिक नोट	१३६
(१) बेजा वसूल किये हुये रुपये की वापस के लिये	१३६
(२) वसूल किये हुये रुपये का अदा न करने पर	१३७
(३) बेजा वसूल किये हुये रुपये के न अदा करने पर	१३७
९—इस्तेमाल और दखल—			
प्रारम्भिक नोट	१३८
(१) मुनासिब किराये पर इस्तेमाल और दखल की बाबत	१३८
(२) उचित किराये पर उपयोग की बाबत	१३९
१०—पंचायती फैसले—			
प्रारम्भिक नोट	१४०
(१) दावा नकद रुपया का, जो पंचायती फैसले से दिलाया गया हो	१४१

विषय		पृष्ठ
(२) पंचायती फ़ैसले की वाचत	१४१
(३) पंचायत के इकरारनामे को दाखिल कराने के लिये	१४२
(४) पंचायती फ़ैसला दाखिल होने और उसके अनुसार डिगरी नेवार होने के लिये दावा	१४३

११—विदेशी तजवीज़—

प्रारम्भिक नोट	...	१४४
(१) दावा नकद रूपया का, विदेशी निर्णय के आधार पर	...	१४४
(२) विदेशी फ़ैसले पर दावा	...	१४४

१२—ज़मानत—

प्रारम्भिक नोट	१४५
(१) किराये की अदायगी के लिये जामिन के ऊपर मालिश	...	१४६
(२) ऋण की अदायगी के लिये	१४७
(३) माल की कीमत के बारे में,	१४७
(४) क़र्क की ईमानदारी के बारे में,	१४८
(५) माल की कीमत के वाचत दोनों, जामिन व देनदार के ऊपर	१४८
(६) एक जामिन की दूसरे जामिन पर, अपने हिस्से का रूपया वसूल करने के लिये	१४९
(७) क़र्क की ईमानदारी के लिये जामिन के इकरार नामे पर	..	१४९

१३—प्रतिज्ञा और उसका भंग होना—

प्रारम्भिक नोट	१५०
(१) जमीन खरीदारी की प्रतिज्ञा भंग करने पर	...	१५१
(२) " " " " , दूसरा नमूना	...	१५२
(३) वेचे हुये माल का हवाला न करने पर	...	१५२
(४) बिक्री किये हुए माल का हवाला न करने पर	...	१५३
(५) वेचे हुये माल की डिलीवरी न मिलने पर दावा	...	१५४
(६) माल हवाला करने के मुआहिदा तोड़ने पर हरजे की मालिश	...	१५५
(७) नौकर रखने का मुआहिदा तोड़ने पर मालिश	...	१५५
(८) नौकरी करने का " " "
(९) " " " " , दूसरा नमूना	...	१५६
(१०) मजदूर के काम बिगाड़ने पर	१५६

१४—मिन्सियक और एजेन्ट—

प्रारम्भिक नोट	१५७
----------------	--------	-----

विषय	पृष्ठ
(१) हिसाब के लिये प्रिन्सिपल की एजेन्ट पर नालिश ...	१५७
(२) हिसाब समझने के लिये मृत के निष्ठाकर्ता (वसी) का एजेन्ट के ऊपर दावा	१५८
(३) हिसाब समझने के लिये प्रिन्सिपल का एजेन्ट के ऊपर...	१५८
(४) " " " " " दूसरा नमूना ...	१५९
(५) बहीखाते के आधार पर आदत की बकाया के वावत ...	१६१
(६) पक्का आदतिया का, एजन्सी के इकरार पर दावा ..	१६१
(७) आदतिया की तरफ से व्यापारी के ऊपर दावा ...	१६२
(८) एजेन्ट का, प्रिन्सिपल के ऊपर इकरार किये हुये रुपये के लिये	१६४
(९) कमीशन या दलाली के रुपये के लिये ...	१६४
(१०) हिसाब समझने के लिये एजेन्ट की ओर से ...	१६५
१५—दूसरे की ज़िम्मेदारी का रुपया अदा करने करने पर	
प्रारम्भिक नोट	१६६
(१) इकरार नामा से बरी करने पर	१६७
(२) हिस्सेदार की मालगुजारी की अदायगी के वावत ...	१६७
(३) दूसरे की डिगरी का रुपया अदा कर देने पर ...	१६८
(४) जायदाद के मालिक की ओर से किराया अदा कर देने पर	१६८
१६—रसदी (Contribution)	
प्रारम्भिक नोट	१७०
(१) एक देनदार की ओर से जिसने डिगरी का रुपया अदा किया हो, दूसरे पर नालिश	१७१
(२) पृथक ज़िम्मेदारी होने पर रसदी की नालिश ...	१७१
(३) एक हिस्सेदार की सामे के खर्चों की वावत दूसरे हिस्सेदार पर	१७२
(४) एक डिगरीदार की दूसरे डिगरीदार पर रसदी के लिये ...	१७२
१७—धोखा या फरेब (Fraud)	
प्रारम्भिक नोट	१७३
(१) धोखे से माल लेने पर	१७४
(२) धोखे से दूसरे पुरुष को कर्ज दिलाने पर ...	१७४
(३) धोखे से माल लेने वाले और उसके क्रय करने वाले पर नालिश, जब धोखे का ज्ञान हो	१७५
(४) धोखा व वारन्टी का उल्लंघन	१७६
१८—चल सम्पत्ति (Moveables)	
प्रारम्भिक नोट	१७७

विषय	पृष्ठ
(१) अनुचित रूप से माल रोकने पर	१७७
(२) माल की वापिसी या उसके मूल्य के लिये	१७८
(३) माल बरगद करने की घमकी देने पर वापिसी माल और निपेभाजा के लिये दावा	१७८
(४) माल की वापिसी और हुकम इम्तनाई के लिये	१७९

१९—साभा या शराकत

प्रारम्भिक नोट	१८०
(१) साभा तोड़ने और हिसाब समझाने के लिये दावा			१८१
(२) " " " " दूसरा दावा			१८२
(३) साभा तोड़ने व हिसाब के लिये दावा			१८३
(४) साभा खतम करार देने पर हिसाब के लिये दावा			१८४
(५) तोड़े हुये सामे का हिसाब समझाने के लिये दावा			१८५
(६) मुनाफे के लिए एक हिस्सेदार का मैनेजर पर दावा			१८६

२०—मालिक व किरायेदार

प्रारम्भिक नोट	१८७
(१) मालिक की पेड काटने से रोकने के लिये नालिश			१८८
(२) मालिक की पट्टे व कबूलियत के ऊपर नालिश			१८९
(३) मालिक के वारिस की तरफ से किराये की नालिश			१९०
(४) अवधि समाप्त होने पर मालिक की दखल और किराये के लिये			१९०
(५) नोटिस देने के बाद किराये व दखल के लिये			१९०
(६) रहनगृहीता का रहनकर्ता किरायेदार के ऊपर, जायदाद के दखल के लिये दावा			१९१
(७) मालिक की दखल व किराये के लिये			१९२
(८) मिलकियत इनकार करने पर दखल के लिये			१९२
(९) दखल व किराये के लिये एवजी किराये दार पर			१९३
(१०) किरायेदार की, मालिक पर कब्जे के लिये			१९३
(११) मालिक की किरायेदार पर मरम्मत न कराने पर			१९४
(१२) किरायेदार की मालिक पर हर्जे की नालिश			१९५

२१—इस्तावेजों का संशोधन या मन्सूखी

प्रारम्भिक नोट	१९५
(१) भूल के आधार पर प्रतिज्ञा मंसूख कराने के लिये दावा			१९७
(२) धोखे से कराई हुई प्रतिज्ञा की मंसूखी के लिये			१९८

विषय

पृष्ठ

(३) बेहोशी की दशा में लिखाये हुये वसीयतनामे को मंजूर कराने के लिये	१६८
(४) नावालिग से लिखाये हुये ब्रैनामे की मंजूरी के लिये	२००
(५) भूछे ब्रयान और धोखे से लिखाये हुये दस्तावेज की मंजूरी के लिये परदा नशीन खी का दावा	२०१
(६) अनुचित दवाव डाल कर परदानशीन खी से लिखाये हुये दस्तावेज की मंजूरी के लिये	२०२
(७) धोखे से लिखाये हुए दस्तावेज के मंजूर कराने के लिये	२०३
(८) धोखे से लिखाये हुये दस्तावेज के संशोधन के लिये	२०४

२२—प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति (Specific Performance)

प्रारम्भिक नोट	२०४
(१) विक्री करने की प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये	२०५
(२) " " " " " , दूसरा दावा	२०६
(३) खरीदार का मुआहिदे की तामील के लिये	२०७
(४) इसी प्रकार का लुलहनामे के आधार पर	२०८
(५) खरीदार का बेचने वाले पर प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये	२०९
(६) खरीदार का बेचने वाले और परिवर्तन से पाने वाले पर पूर्ति के लिये दावा	२१०
(७) विक्री की निश्चय-प्रतिज्ञा से सूचित विक्रीकर्ता और खरीदार के ऊपर दखल के लिये दावा	२११
(८) प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये परिवर्तन कर्ता और खरीदार पर	२१३

२३—२६—रहन सम्बन्धीवाद—

२३—जायदाद के नीलाम के लिये दावे

प्रारम्भिक नोट	२१५
(१) नीलाम के लिये साधारण वाद	२१७
(२) रहन ग्रहीता के उत्तराधिकारी की ओर से, रहनकर्ता के उत्तराधिकारी पर, सम्पत्ति के नीलाम के लिये	२१८
(३) इसी प्रकार की रहनकर्ता के ऊपर, रहननामे के खरीदार की ओर से	२१९
(४) मुर्तहिन् के प्रतिनिधि की ओर से राहिन व इजराय डिगरी से खरीदार के ऊपर नालिय
(५) रहन ग्रहीता का हिन्दू रहनकर्ता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों पर सम्पत्ति के नीलाम के लिये	२२२

विषय

पृष्ठ

(६) अचल सम्पत्ति के नीलाम के लिये मुर्तहिन की ओर से, हिन्दू पिता और पुत्रों पर दावा	२२३
(७) जायदाद के नीलाम के लिये पिछले मुरतहिन की अपने और मुख्य रुपये के लिये नालिश	२२४
(८) पिछले मुरतहिन की, राहिन और जायदाद खरीदने वाले के ऊपर	२२६
(९) पिछले मुरतहिन की ओर से पहिले मुरतहिन और राहिन के ऊपर	२२७
(१०) अमानत-पत्र के आधार पर जायदाद के नीलाम के लिये	२२८
(११) इजराय डिगरी मे दी हुई जमानत का जायदाद नीलाम कराकर छुटाने के लिये	२२९
(१२) एक रहनकर्ता की दूसरे रहनकर्ता पर रसदी के लिये	२३०
(१३) रहन का कुल रुपया अदा करने पर हिस्से के खरीदार की रसदी के लिये	२३०
(१४) मुख्य रहन का रुपया काट कर रसदी के लिये	२३१
२४—प्रतिषेध या बैबात (Foreclosure)			
प्रारम्भिक नोट	२३२
(१) प्रतिषेध के लिये साधारण वाद	२३३
(२) रहननामे की श्रवधि समाप्त हो जाने पर अधीकृत रहन-ग्रहीता की, रहन के उत्तराधिकारियों पर नालिश	२३४
(३) सयुक्त रहन का प्रतिषेध कराने और दखल के लिये	२३५
(४) कानिज मुरतहिन का राहिन पर	२३६
२५—रहन छुटाना या इनफ़िकाक (Redemption)			
प्रारम्भिक नोट	२३७
(१) रहन छुटाने के लिये साधारण वाद	२३९
(२) रहन-कर्ता के उत्तराधिकारी की ओर से रहन ग्रहीता के प्रतिनिधि के ऊपर	२४०
(३) इसी प्रकार का अन्य वाद जत्र कि जायदाद पर दखल और हिसाब से बचा हुआ रुपया लेना हा	२४१
(४) राहिन के प्रतिनिधि की, मुर्तहिन के उत्तराधिकारियों पर दखल, पूर्व लाभ व हिसाब के लिये नालिश	२४२
(५) पिछले मुर्तहिन का रहन छुटाने के लिये मुख्य मुर्तहिन पर	२४४
(६) रहन का हुई सम्पत्ति खरीदने वाले की रहनग्रहीता पर रहन छुटाने, हरजाने, और हिसाब के लिये नालिश	२४५

विषय

पृष्ठ

(७) जायदाद के एक हिस्से को छुटाने के लिए कुल जायदाद के खरीदार पर नालिश-	२४७
(८) रहन छुटाने के लिये इसी प्रकार का दूसरा दावा	२४६

२६—रहन सम्बन्धी अन्य नालिशें

प्रारम्भिक नोट	२५०
(१) नीलाम के खरीदार की पिछले मुरतहिन पर नालिश, जब वह मुख्य रहन की डिगरी में फरीक न हो	२५१
(२) इसी प्रकार की, पिछले रहन की इजराय डिगरी के खरीदार की मुख्य रहन के खरीदार पर	२५२
(३) इजराय डिगरी के एक खरीदार की दूसरे खरीदार पर नालिश जब कि वह मुख्य रहन की डिगरी में फरीक न हो	२५३
(४) रहन ग्रहीता का, रहन की हुई जायदाद पर दखल पाने के लिये दावा	२५४
(५) रहन कर्त्ता के अनुचित कार्य से रहन की हुई जायदाद का भाग रहन ग्रहीता के कब्जे से निकल जाने पर	२५४
(६) रहनयुक्त जायदाद की मालियत कम हो जाने पर ग्रहीता का रहन-कर्त्ता पर दावा	२५४
(७) रहन युक्त जायदाद के वरनाद हो जाने पर रहन-ग्रहीता का रुपया वसूल करने के लिए दावा	२५६

२७—भार की पूर्ति (निफाज़-दार) (Charge)

प्रारम्भिक नोट	२५७
(१) निर्वाह हेतु जायदाद से भार का रुपया वसूल करने के लिये	२५७
(२) खरीदार के उत्तराधिकारी की जमानत में रुपया छोड़ने पर बार के लिये	२५८
(३) " " " " दूसरा नमूना	२५६

२८—न्यास, ट्रस्ट या अमानत

प्रारम्भिक नोट	२६०
(१) अमानत रखने वाले की, दो दावेदारों का भगड़ा तै करने के लिये	२६२
(२) इसी प्रकार की दूसरी नालिश	२६३
(३) मृतक की जायदाद के प्रबन्ध के लिये कर्जदारों की ओर से प्रोवेट लेने वाले पर नालिश	२६३
(४) मृतक की जायदाद से कोई विशेष वस्तु पाने वाले का दावा	२६४

विषय

पृष्ठ

(५) मृतक की जायदाद से नकद रकमा पाने वाले की नालिश ...	२६४
(६) " " " " दूसरा नमूना ...	२६५
(७) एक ट्रस्टी की ओर से ट्रस्ट की पूर्ति के लिये ...	२६५
(८) ट्रस्ट से लाभ उठाने वाले की ओर से ट्रस्ट की पूर्ति के लिये ...	२६६
(९) मैनेजर को हटाने और ट्रस्ट की पूर्ति के लिये ...	२६७
(१०) प्रबन्ध कर्त्ता को हटाने के लिये ...	२६८
(११) वक्फ की हुई सम्पत्ति के मुतबल्ली को हटाने के लिये दावा ...	२६९
(१२) मंदिर की सेवा व पूजा को अनुचित रीति से रोकने पर ...	२७०
(१३) मसजिद में नमाज़ पढ़ने से रोकने पर ...	२७०
(१४) कब्रस्तान में मुर्दा दफन करने से रोकने पर ...	२७१
(१५) दान की हुई सम्पत्ति के बचाने के लिये ...	२७७

२९—सम्भिलित सम्पत्ति (जायदाद-मुश्तर्का)

प्रारम्भिक नोट ...	२७२
(१) सम्भिलित मकान के बटवारे के लिये ...	२७४
(२) सम्भिलित मकान के एक हिस्से के बटवारे के लिए ...	२७५
(३) सम्भिलित दखल और पूर्वलाभ के लिए ...	२७५
(४) साभीदार के अनुचित कार्य करने पर ...	२७६
(५) " " " " दूसरा वाद ...	२७६
(६) सम्भिलित सम्पत्ति के पट्टे की मसूखी के लिये ...	२७७
(७) विभाजन के पश्चात् लिखे हुये पट्टे की मसूखी और जायदाद पर दखल के लिये नालिश ...	२७७
(८) एक हिस्सेदार का और साभीदार पर दावा ...	२७८

३०—हिन्दू अविभक्त कुल (Trust)

प्राथमिक नोट ...	२७९
१—अविभक्त सम्पत्ति का विभाजन ...	२८०
२—अविभक्त सम्पत्ति का परिवर्तन ...	२८१
३—निर्वाह-व्यय ...	२८१
४—दत्तक पुत्र ...	२८३
(१) कुटुम्बी सम्पत्ति के बटवारे के लिये साधारण वाद ...	२८४
(२) दूसरा नमूना " " ...	२८५
(३) बटवारे और घोषणा के लिये ...	२८६
(४) कुटुम्बी की आवश्यकता के लिये पिता के परिवर्तन की मसूखी के लिये ...	२८७

विषय

पृष्ठ

(५) एक सदस्य के परिवर्तन को खंडित कराने के लिये ...	२८८
(६) दत्तक पुत्र का पिता के लिखे दस्तावेज की डिग्री से बंधन में न आने के इस्तकरार के लिये ...	२८८
(७) कुटुम्ब के सदस्यों की ओर से हिस्से बचाने के लिये ...	२८६
(८) अविभक्त कुल की विधवा को अधिकार न होने की घोषणा के लिये ...	२६०
(९) विधवा के खान पान का जायदाद पर भार करा देने के लिये	२६१
(१०) विधवा के कुटुम्बी घर में रहने के अधिकार के लिये ...	२६२
(११) विधवा से जायदाद पाने वाले पर दखल इत्यादि के लिये दावा	२६३

३१—पश्चात् दायभाग और हिन्दू विधवा या अन्य जीवन

दायभागी

प्रारम्भिक नोट ...	२६४
(१) हिन्दू विधवा के जीवित रहते हुए, उसके लिखे हुए वैनामे को उसकी मृत्यु के बाद प्रभावहीन घोषित कराने के लिये पश्चात् दायभागी का दावा ...	२६६
(२) विधवा के जीवित होते हुये उसके लिखे हुये दान पत्र को खंडित कराने के लिये पश्चात् दाय भागी का दावा ...	२६७
(३) विधवा के जीवित होते हुये उसके लिखे हुये दखली रहन को मंसूख और बेअसर करार दिये जाने के लिये ...	२६८
(४) विधवा के, बिना उचित आवश्यकता के लिखे हुये दस्तावेज की मसखी के लिये पश्चात् दायभागी का दावा ...	२६६
(५) विधवा के लिखे हुये पट्टे को उसकी मृत्यु के बाद बे असर करार दिये जाने और निषेधाज्ञा निकलवाने के लिये ...	३००
(६) विधवा के जीवित होते हुये, पुत्र उचित रूप से गोद न लिये जाने के इस्तकरार के लिये ...	३०१
(७) गोद लिये हुये लड़के की ओर से विधवा के विरुद्ध उचित गोद लिये जाने के इस्तकरार के लिये ...	३०२
(८) विधवा को जायदाद नष्ट करने से रोकने और रिसीवर नियत किये जाने के लिये ...	३०२
(९) विधवा की मृत्यु पर, अन्य पुरुष से जायदाद का दखल पाने के लिये ...	३०४
(१०) इसी प्रकार का दावा जबकि जायदाद पर काबिज मनुष्य अपने आपको दत्तक पुत्र बतलावे ...	३०५
(११) विधवा के दिये हुये सर्वकालीन दवामी पट्टेदार के विरुद्ध	३०५

विषय	पृष्ठ
(१२) दखल के लिये पुत्री का विभक्त कुल के सदस्यों पर दावा	३०६
(१३) हिन्दू विधवा का दखल और पूर्व लाभ के लिये विभक्त कुटुम्बियों पर दावा	३०६

३२—पति और पत्नी

प्रारम्भिक नोट	३०८
(१) पति का पत्नी के ऊपर विवाह सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के लिये	३०८
(२) " " " " दूसरा वाद	३०९
(३) स्त्री की ओर से खान पान के खर्च के लिये	३१०
(४) पत्नी का रहायशी मकान में रहने व इस्तफार के लिये	३१०

३३—मुस्लिम शास्त्र

प्रारम्भिक नोट	३११
(१) स्त्री को ओर से निकाह तोड़ने के लिये दावा	३१३
(२) इसी प्रकार का विवाह विच्छेद के लिये दूसरा दावा	३१४
(३) एकट ८ सन् १९३६ ई० की धारा २ के अनुसार निकाह फिस्क कराने का दावा	३१४
(४) स्त्री का पति के ऊपर "महर मोवज्जल" के लिये दावा	३१५
(५) निकाह मसूल हो जाने पर स्त्री का "महर मोवज्जल" के लिये	३१५
(६) मुसलमान विधवा का 'महर' के लिये मृतक पति के दाय-भागियों पर दावा	३१६
(७) " " " " " " दूसरा नमूना	३१६
(८) मृतक पत्नी के दायभागी की ओर से पति के ऊपर 'महर' के विभाग के लिये दावा	३१७
(९) वारिस का विधवा के ऊपर जो महर के बदले में जायदाद पर काबिज हो, दखल के लिये	३१७
(१०) वारिसों का महर के ऐवज में काबिज वेवा के ऊपर दखल के लिये	३१८
(११) एक वारिस का, दूसरे काबिज वारिसों पर, दखल व वासलात के लिये दावा	३१९
(१२) " " " " " " दूसरा नमूना	३१९
(१३) वारिस लड़की का, दूसरे वारिसों पर बिन्होंने रहन से जायदाद छुटाली हो, दखल के लिये दावा	३२०

विषय

पृष्ठ

(१४) अपने हिस्से को बचाने के लिये. एक शरई हिस्सेदार का दूसरे शरई हिस्सेदारों पर	३२१
--	-----

३४—हक शफा

प्राथमिक नोट	३२२
(१) सम्मिलित शफी का मुसलमान शास्त्र के अनुसार शफा के लिये	३२५
(२) वाजिबुल अर्ज के आधार पर शफा का दावा	३२६
(३) " " " " , दूसरा वाद	३२६
(४) शरअ और वाजिबुल अर्ज के आधार पर शफे का दावा	३२७
(५) वाजिबुल अर्ज व मुसलमानी शास्त्र के अनुसार अनामे की मयूसी और शफा के लिये दावा	३२८

३५—ज़मींदार और मजा

प्राथमिक नोट	३३०
(१) जमींदार की ओर के मकान की वेदखली के लिये	३३१
(२) जमींदार की बिना इजाजत बनवाये हुये मकान के गिरा देने के लिये	३३२
(३) जमींदार का, उत्तराधिकारी न रहने पर मकान पर दखल पाने के लिये	३३३
(४) जमींदार का हक चहारम के लिये	३३३
(५) जमींदार की ओर से रसम और टकीने के लिये दावा	३३४

३६—दखल व वासिक्तानामा (पूर्व लाभ)—

प्राथमिक नोट	३३५
(१) दखल के लिये निर्दिष्ट प्रतिभार विधान की धारा ६ के अनुसार नालिश	३३७
(२) मालिक का, कब्जा करने वाले पर, अन्तर्गत लाभ के जिये	३३७
(३) अन्तर्गत लाभ और दखल के लिये, मालिक की ओर से अन्य पुरपों के विरुद्ध	३३६
(४) उत्तराधिकारी की ओर से अधकृत पुरुष पर दावा	३३६
(५) अधिकारी दायभागियों की ओर से अन्य दायभागियों पर दखल के लिये	३४०
(६) उत्तराधिकारी का दखल व अन्तर्गत लाभ के लिये	३४२
(७) दखल और अन्तर्गत लाभ के लिये अधिकृत पुरुष और उसके खरीदार पर	३४३

त्रिपय

पृष्ठ

(ँ) नीलाम खरीदने वाले का दखल और वासलात के लिये ऋणी और उससे मिले हुये खरीदार पर दावा	३४४
(ए) जमीन पर दखल पाने और तामीर गिरवाने के लिये	३४५
(१०) गोद लेने वाली स्त्री की ओर से, दत्तक पुत्र और उसके वसीयत किये हुये मनुष्य के विरुद्ध, दखल के लिये	३४६

३७—स्वत्व घोषणा (इस्तकरार) की साधारण नाकिशें

प्राथमिक नोट	३४६
(१) व्यवहार-विधि संग्रह के आर्डर २१ नियम ६३ के अनुसार असफल उजर दार की ओर से	३५१
(२) इसी प्रकार का डिगरीदार की ओर से इस्तकरार के लिये	३५२
(३) डिगरीदार और ऋणी के ऊपर परिवर्तन करने के हक के इस्तकरार के लिये	३५२
(४) किसी जायदाद के एक हिस्से के नीलाम के अयोग्य होने की घोषणा के लिये	३५३
(५) उत्तराधिकार के घोषित किये जाने के लिये	३५४
(६) ऋण से बचने के लिये किये हुये परिवर्तन की मंजूखी के लिये, एक लेनदार का दावा	३५५
(७) लेनदार का ऋणी के परिवर्तन को मंजूख करने के लिये	३५६
(ँ) लेनदार का, ऋणी और उसके पट्टेदार के विरुद्ध पट्टे को खण्डित घोषित किये जाने के लिये	३५७
(ए) रिसीवर का इन्सालवेन्ट के इन्तकाल को नाजायज करार दिये जाने के लिये	३५८
(१०) असफल उजरदार का इन्सालवेन्ट के रिसीवर के ऊपर	३५९
(११) अनाधिकारी पुरुष के लिखे हुये वैनाने को नाजायज घोषित कराने के लिये	३६०
(१२) डिगरी के ऋणियों में आपसी जुम्मेदारी के इस्तकरार के लिये	३६१
(१३) धोखे से नीलाम के सार्टिफिकेट में नाम लिखा लेने पर इस्तकरार के लिये	३६२
(१४) धोखे से प्राप्त की हुई डिगरी को मंजूख व वेअसर करार दिये जाने के लिये	३६३
(१५) जायदाद के स्वामी घोषित किये जाने का दावा जब कि बटवारे का मुकदमा अदालत माल में चल रहा हो	३६४

विषय

पृष्ठ

३८—लिमिटेड या रजिस्ट्री की हुई कम्पनी

प्राथमिक नोट	३६५
(१) कम्पनी का हिस्सेदार पर एलाटमेन्ट और मांग के रुपये के लिये दावा	३६६
(२) डायरेक्टरों के झूठा प्राल्पेकटस प्रकाशित करके हिस्सा बेचने पर	३६७
(३) कम्पनी के स्थापित करने वाले (Promotor) पर हिस्से बेचने के लिये असत्य वर्णन करने पर	३६८
(४) डायरेक्टर की ओर से फीस के लिये कम्पनी के ऊपर	३६९
(५) कम्पनी के लीक्वीडेटर (Liquidator) की ओर से मांग के बकाया रुपये के लिये	३७०
(६) कर्जदार कम्पनी के लिक्वीडेटर से प्राप्त किये हुये कर्जों की नालिश	३७१

३९—बीमा (Insurance)

प्राथमिक नोट

(१) मृतक के दायभागी का बीमा करने वाली कम्पनी पर	३७२
(२) बीमा के रुपये के लिये मृतक के निष्ठाकर्ता का इनश्योरेंस कम्पनी पर दावा	३७३
(३) अन्य पुरुष के जीवन के बीमे का रुपया वसूल करने के लिये जबकि अदायगी दावा करने वाले ने की हो	३७३

४०—प्राकृतिक स्वत्व व सुखाधिकार

प्राथमिक नोट

(१) पानी को नष्ट व अपवित्र करने पर	३७४
(२) नदी का पानी अपवित्र व नष्ट करने पर	३७६
(३) गूल फेरने या पानी काट लेने पर	३७७
(४) बहते हुये पानी को घेरने से रोकने की आज्ञा प्राप्त करने के लिये	३७८
(५) आबपाशी के लिये पानी लेने में रोक डालने पर	३७८
(६) पानी लेने के अधिकार में विघ्न डालने पर हर्जें व निषेधाज्ञा के लिये	३७८
(७) एक तरफ का सहारा हटा लेने और नुकसान होने पर हर्जें का दावा	३७९
(८) इसी प्रकार का हर्जें व निषेधाज्ञा के लिये अन्य अभियोग	३८०
(९) हानिकारक कारखाना जारी रखने पर	३८१
(१०) हानिकारक कारखाना आरम्भ करने पर	३८१

त्रिपय

पृष्ठ

(११) विशेष रास्ता बंद करने पर	३८२
(१२) सार्वजनिक रास्ता बंद करने पर	३८२
(१३) हानिकारक वस्तु के हटाने के लिये	३८३
(१४) " " " " अन्य अभिवोग	३८३
(१५) हानिकारक व दुखदाई वस्तु के हटाने के लिये	३८४
(१६) मछली पकड़ने के स्वत्व के सम्बन्ध में	३८५
(१७) पुल के ठेके में विघ्न डालने पर	३८६
(१८) पैठ या बाजार में रुकावट डालने पर	३८६
(१९) पानी सींचने में रुकावट डालने पर	३८७
(२०) पानी बहने में रुकावट डालने पर	३८८
(२१) प्रकाश के सुखाधिकार पाने के लिये निषेधाज्ञा के लिये	३८९
(२२) विशेष रास्ते से आने जाने के सम्बन्ध में	३९०
४१—असावधानी, गृफ़लत या लापरवाही			
प्राथमिक नोट	३९०
(१) असावधानी से गाड़ी हॉकने पर	३९२
(२) मोटर लापरवाही से हॉकने पर हर्जे का दावा	३९३
(३) रेल की सड़क पर, प्रतिवादी की लापरवाही से चोट लगने पर	३९३
(४) गाड़ी लड़ जाने से चोट आ जाने पर यात्री का रेलवे पर...	३९४
(५) मृतक के दायभागियों की ओर से हर्जे के लिये	३९५
(६) रेलवे कम्पनी पर माल न हवाला करने पर	३९५
(७) माल न हवाला करने और हानि होने पर रेलवे कम्पनी पर	३९६
(८) अधिक किराये की वापिसी के लिये	३९६
(९) रेलवे कम्पनी के ऊपर, भूल से फाटक न बंद करने और हानि पहुँचने पर.	३९७
(१०) लापरवाही से लोहे का तार और लाइन का टोरा ठीक न रखने पर रेलवे कम्पनी पर दावा	३९८
(११) रोशनी न होने से शारीरिक चोट पहुँचने पर/यात्री का रेलवे पर दावा	३९९
४२—स्वत्व आविष्कार (Patent)			
प्राथमिक नोट	३९९
(१) पेटेन्ट ताले की नकल करने पर	४००
(२) मशीन के पेटेन्ट में विघ्न डालने पर	४००
४३—कापीराइट (Copyright)			
प्राथमिक नोट	४०१
(१) दूसरी पुस्तक प्रकाशित करके कापीराइट में विघ्न डालने पर	४०३

विषय		पृष्ठ
(२) नाटक के कापीराईट के सम्बन्ध में	४०३
(३) संगीत के कापीराइट का उल्लंघन करने पर	..	४०४
४४—ट्रेड-मार्क (Trade-Mark)		
प्राथमिक नोट	...	४०४
(१) ट्रेड मार्क उल्लंघन करने पर दावा	४०५
(२) " " " " दूसरा नमूना	...	४०६
४५—गुडविल (Goodwill)		
प्राथमिक नोट	...	४०७
(१) व्यापार की नेकनामी का उल्लंघन करने पर	...	४०७
४६—शारीरिक व सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य अधिकार		
प्राथमिक नोट	...	४०६
(१) हमला किये जाने व चोट लगने पर हर्जों का दावा	...	४१०
(२) अनुचित रुकाव और मानहानि होने पर हर्जों के लिये	...	४१०
(३) " " " " दूसरा वाद	...	४११
(४) झूठा दोष लगाने और अपमान करने पर हर्जों के लिये	...	४१२
(५) अदालत में फौजदारी का मुकदमा चलाने पर हर्जों के लिये	४१२
(६) इसी प्रकार का दूसरा वाद	...	४१३
(७) " तीसरा वाद	...	४१६
(८) नौकर भगा ले जाने पर दावा	...	४१३
(९) हानिकारक जानवर रखने पर हर्जों का दावा	...	४१४
(१०) " " " " दूसरा नमूना	...	४१५
(११) सड़क की खराबी से हानि पहुँचने पर	...	४१५
४७—भदाकत माल की नालिश		
(१) बिना आज्ञा जमीन पर काविज रहने पर, उचित लगान के लिये	...	४१६
(२) नियत बकाया लगान के लिये	...	४१७
(३) कृषक की और से खेती करने के अधिकार के इस्तक़रार के लिये	...	४१७
(४) बेदखली के लिये ज़मींदार का अस्थाई कृषक के ऊपर	...	४१८
(५) पूरा दखल पाने के लिये नालिश	...	४१८
(६) हिस्सेदार का नम्बरदार के ऊपर मुनाफे के लिये	...	४१९
(७) हिस्सेदारों में हिसाब समझने के लिये	...	४२०
(८) नम्बरदार की हिस्सेदारों पर खर्चा मालगुजारी इत्यादि के लिये	...	४२१

त्रिपय

= पृष्ठ

द्वितीय अध्याय—प्रतिवाद-पत्रों के नमूने

४२२-५०५

साधारण प्रतिवाद ... ४२२

१—ऋण या कर्जा

- (१) ऋण के दावे का साधारण प्रतिवाद पत्र ... ४२४
- (२) वाद पत्र न० २ का प्रतिउत्तर जब अदायगी और तमादी की आपत्ति हो ... ४२४
- (३) वाद-पत्र न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब कि ऋण व सूद के देने से इनकार हो । ... ४२५
- (४) तमस्युक की नालिशों का साधारण प्रतिवाद पत्र ... ४२५
- (५) वाद पत्र न० ८ का प्रतिवाद पत्र जब कि कुल रुपये की वेवाकी की आपत्ति हो ... ४२५
- (६) कुल रुपया अदा करने की आपत्ति होने पर ... ४२६

२—अधिक अदायगी

- (१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जब दोनों पक्षों में प्रतिज्ञा की शर्तों पर मतभेद हो ... ४२७

३—माल की क्रीमत

- (१) माल के बेचने के बाद - 1 साधारण प्रतिवाद पत्र ... ४२७
- (२) माल रोक लेने के सम्बन्ध के बाद का प्रतिवाद पत्र ... ४२८
- (३) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब कि वेवाकी इत्यादि की आपत्ति हो ... ४२८
- (४) वाद पत्र न० १० का प्रतिवाद पत्र त्रिकुल इनकार करने पर ... ४२९

४—मजदूरी व नौकरी

- (१) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब कि आपत्ति अदायगी की हो ४३०

५—हुन्डी व चैक

- (१) साधारण प्रतिवाद पत्र ... ४३०
- (२) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जब कि हुन्डी माल के ऊपर की गई हो ... ४३१
- (३) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब कि वाद की मिलकियत से इनकार हो ... ४३१
- (४) वाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब हुन्डी न पेश करने की आपत्ति हो ... ४३२

विषय	पृष्ठ
(५) वाद पत्र न० ८ का प्रतिवाद जत्र कि जिम्मेदारी से इनकार हो	४३२
(६) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद जत्र चैक में परिवर्तन करने की आपत्ति हो	४३२
६—आपसी हिसाब	
(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद जत्र आपसी हिसाब होने से इनकार हो	४३३
७—अमानत का रुपया	
(१) वादपत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जत्र अमानत से इनकार हो और तमादी की आपत्ति हो	४३४
८—वादी के लिये वसूली किया हुआ रुपया	
(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जत्र उचित वसूलयात्री की आपत्ति हो	४३५
(२) वादपत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र जत्र प्रतिवादी अपने आपको मालिक बयान करता हो	४३५
९—इस्तैमाज आर दखल	
(१) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जत्र कि हिसाब की गलती हो	४३६
१०—पं वायत व पं वापती फैमला	
(१) वाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र जत्रकि अनौति व्यवहार की आपत्ति हो	४३६
११—विदेशी त नदीज	
(१) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जत्र कि विरोध दर्शनाधिकार न होने का हं	४३७
१२—जमानत	
साधारण प्रतिवाद	४३८
(१) जत्र की अदायगी का विरोध हो	४३८
(२) जमानत से इनकार करने पर	४३९
(३) वेवाकी और जुम्मेदार न होने का विरोध होने पर	४३९
१३—पतिज्ञा भंग हाजं पर	
साधारण प्रतिवाद	४४०
(१) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र जत्र आपत्ति इनका व वेवाकी की हो	४४१

विषय	पृष्ठ
(२) पूर्ण प्रतिष्ठा न होने की आपत्ति होने पर ...	४४१
१४—प्रिन्सिपेल् और ऐजेन्ट	
साधारण प्रतिउत्तर	४४२
(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद जब कि हिसाब समझा देने की आपत्ति हो ...	४४३
(२) वाद पत्र न० ७ का प्रतिवाद पत्र जब आपत्ति वेवाकी की हो ...	४४३
१५—अपना स्वत्व बचाने के लिए दूसरे के जुम्मेदारी की अदायगी	
साधारण प्रति उत्तर	४४४
(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जब वेवाकी की आपत्ति हो	४४४
(२) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद जब जुम्मेदारी का भगड़ा हो	४४५
१६—रसदी (Contribution)	
साधारण प्रतिउत्तर	४४५
(१) प्रतिउत्तर, वाद पत्र न० २ का, जबकि उत्तरदायित्व की संख्या और अदायगी की आपत्ति हो ...	४४६
(२) प्रतिवाद पत्र, वाद पत्र न० ४ का जब कुर्की स्थगित होने की आपत्ति हो ...	४४६
१७—फरेव (प्रपन्च) और घोवा	
(१) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र, क्रेता की ओर से जब कि नेकनीयत और घोखे की सूचना न होने की आपत्ति हो ..	४४७
१८—चक सम्पत्ति	
(१) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब वादो के माल हवाला करने से इनकार हो ...	४४८
१९—साम्ना या शराकत	
साधारण प्रतिउत्तर	४४९
(१) वाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब कि सामे की शर्तों का भगड़ा हो ...	४५०
(२) वाद पत्र न० ५ का प्रतिवाद पत्र, जब दूसरे साम्ना होने इत्यादि की आपत्ति हो ...	४५१
२०—माजिक व किरायेदार	
(१) साधारण प्रतिउत्तर	४५२
(अ) किरायेदार की ओर से	४५२

विषय	पृष्ठ
(३) मालिक की ओर से	४५३
(२) वाद पत्र न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब वादी की मिलाकियत से इनकार हो	४५३
(३) वाद पत्र न० ७ का प्रतिवाद पत्र जब अदायगी और नोटिस अनुचित होने की आपत्ति हो	४५४
२१—इस्तावेजों की तरफ़ीम (संशोधन) या मंजूरी	
(१) साधारण प्रतिउत्तर	४५५
(२) वाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद-पत्र जब कि वयक्त होने की आपत्ति हो	४५५
२२—प्रतिज्ञा का विशेष पूर्ति (Specific Performance)	
(१) साधारण प्रतिउत्तर	४५७
(२) वाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब वादी के प्रतिज्ञा मज़्ज करने की आपत्ति हो	४५८
(३) वाद पत्र न० ७ का प्रतिवाद पत्र पिछले खरीदार की ओर से जब सूचना न होने की आपत्ति हो	४५८
२३—२६—रहन की नाश्चिं	
२३—नीछाम (Sa'e)	
(१) साधारण प्रतिउत्तर	४५९
(२) वाद पत्र न० २ का प्रतिउत्तर जब रहन लीकार न हो और पश्चात् दायमागी होने की आपत्ति हो	४६०
(३) वाद पत्र न० १४ का प्रतिवाद-पत्र जब रसदी के रुपये की संख्या के सम्बन्ध में आपत्ति हो	४६१
२४—प्रतिपेथ (बंधक मोचन या वैवात) (Foreclosure)	
(१) साधारण प्रतिउत्तर	४६१
(२) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से	४६२
२५—रहन से मुक्त कराना (इनफिकाक Redemption)	
(१) साधारण प्रतिवाद पत्र	४६३
(२) रहन छुड़ाने के वाद का प्रतिवाद पत्र	४६४
(३) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से	४६४
२६—राहिन व मुतर्हिन	
(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र बहुत से उज्रों से	४६६
(२) वाद-पत्र न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब आपत्ति रहन के फर्ज़ों होने की हो	४६६

विषय

पृष्ठ

२७—पार की पूर्ति (निकाजवार)

साधारण प्रतिउत्तर	४६७
(१) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र खरीदार से परिवर्तन-अहीता क			
ओर से	४६७

२८—ट्रस्ट (अमानत)

(१) वाद पत्र नं० २ का प्रतिवाद पत्र, एक दावेदार की ओर से दूसरे दावेदार के विरुद्ध	४६८
(२) प्रतिवाद पत्र ऐसे दावे का जो वसीयत के आघार पर माल पाने वाले की ओर से दायर किया गया हो	४६८
(३) वसीयत नामे के प्रोवेट में प्रतिवाद पत्र	४६९
(४) वाद पत्र न० ११ का प्रतिवाद पत्र जब कि उचित प्रबन्ध की आपत्ति हो	४७०
(५) वाद पत्र न० १५ का प्रतिवाद जबकि प्रतिवादी भगड़े वाले मंदिर के अपनी निजी सम्पत्ति कहता हो	४७०

२९—संयुक्त सम्पत्ति (जायदाद मुश्तर्फी)

(१) साधारण प्रतिवाद	४७१
(२) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जबकि उज्र बटे हुये होने का हो			४७२
(३) वाद पत्र न० ७ का प्रतिवाद पत्र जब कि नेक नीयती की आपत्ति हो	४७३

३०—हिन्दू अविभक्त कुल (खानदान मुश्तर्फी)

(१) वाद पत्र न० २ का उत्तर जब कि अविभक्त कुल होने से इनकार हो	४७४
(२) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब गोद न लिये जाने और वादी के उत्पन्न न होने की आपत्ति हो	४७५
(३) वाद पत्र न० ८ का उत्तर जब कि अविभक्त कुल होना स्वीकार हो	४७६
(४) वाद पत्र नं० ११ का उत्तर अनेक आपत्तियों से	४७७

३१—हिन्दू विधवा और पश्चात् दाय भागी

(१) वाद पत्र नं० २ का प्रतिउत्तर जब उत्तरजीवित्व का विरोध हो	४७८
(२) वाद पत्र नं० ७ का प्रतिवाद-पत्र जब नियमानुसार गोद होने से इनकार हो	४७९
(३) वाद पत्र न० ९ का अनेक विरोध पर निर्भर प्रतिवाद पत्र	४८९

विषय	पृष्ठ
३२—पति और पत्नी	
(१) वाद पत्र न० २ का प्रतिउत्तर जब कि कठोरता और निर्दयता की आपत्ति हो	... ४८१
३३—मुसलिम शास्त्र	
(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जब कि निवाह जायज होने का उज्र हो	... ४८२
(२) वाद पत्र न० ६ का प्रति उत्तर जब 'महर' की सख्या और उसके अदा न होने का उज्र हो	.. ४८२
(३) वाद पत्र न० १३ का उत्तर जब रिश्तेदारी से इनकार हो और कब्जा मुस्लिफाना होने का उज्र हो	... ४८३
३४—अग्रक्रयाधिकार (हुक शफा)	
(१) वाद पत्र न० २ का प्रतिउत्तर जब रिवाज से इनकार हो	... ४८४
(२) वाद पत्र न० ४ का प्रतिउत्तर जब रिवाज और तलब से इनकार हो	... ४८५
३५—जर्मीदार और प्रजा	
(१) वाद पत्र न० १ का प्रति उत्तर जब कि क्रय करने की प्रथा होने की आपत्ति हो	... ४८६
(२) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब लावारिसी से इनकार हो	... ४८६
३६—दखल और पूर्व लाभ (वासलान)	
(१) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब आपत्ति विमुखाधिकार होने की हो	... ४८७
(२) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब अनुचित दखल करने से इनकार हो	.. ४८७
(३) वाद पत्र न० १० का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से	... ४८८
३७—स्वत्व घोषणा (इस्तकार)	
(१) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब कि ऋणी के मालिक होने से इनकार हो	... ४९०
(२) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब कि इत्तिकाल जायज होने की आपत्ति हो	... ४९०
(३) वाद पत्र न० ११ का प्रतिवाद पत्र जब कि विक्रय पत्र के जायज होने वा उज्र हो	... ४९१

विषय	पृष्ठ
३८—लिमिटेड कम्पनी	
(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र ...	४६२
(२) वाद न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब उत्तरदायित्व से इनकार हो ...	४६३
३९—बीमा	
(१) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब असत्य वर्णन और आत्म हत्या का उज्र हो ...	४६३
४०—प्राकृतिक स्वत्व व सुखाधिकार	
(१) कष्ट दायक कार्य के हटाने के वाद का प्रतिउत्तर ...	४६४
(२) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब सुखाधिकार प्राप्त हो जाने की आपत्ति हो । ...	४६४
(३) वाद पत्र न० ११ का प्रतिवाद पत्र जब रास्ते के हक से इनकार हो ...	४६५
(४) वाद पत्र न० २२ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों पर निर्भर ...	४६५
४१—उपेक्षा (गफकत) व असावधानी	
(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र, ऐसी हानि के विषय में जो असावधानी से गाड़ी हाकने से हुई हो ...	४६६
(२) नुकसान पहुँचाने के मुकदमों में प्रतिवाद ...	४६६
(३) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब कि चोरी हो जाने और उत्तरदायित्व न होने की आपत्ति हो ...	४६६
(४) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब कि भूल से इनकार हो ...	४६७
४२—पेटेन्ट (Patent)	
(१) साधारण घटना अस्त प्रतिवाद पत्र ...	४६८
(२) वादपत्र न० १ का प्रतिवाद-पत्र, जब पेटेन्ट और उसपर अनुचित हस्तक्षेप करने से इनकार हो ...	४६८
४३—कापीराइट (Copyright)	
(१) साधारण प्रतिवाद ...	४६९
(२) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जब कापीराइट से, इनकार हो ...	४६९
४४—ट्रेडमार्क (Trade mark)	
(१) साधारण प्रतिवाद ...	५००

विषय		पृष्ठ
(२) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब कि छाप में अन्तर होने और वादी को अधिकार न होने की आपत्ति हो	...	५००
४५—गुडविल (Goodwill)		
(१) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से	...	५०१
४६—शारीरिक और ममता मन्वन्धी अन्य अधिकार		
(१) मानहानि के लिये हर्ज के वादों में साधारण प्रतिवाद	...	५०२
(२) वाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब आपत्ति ब्रयन सच होने की हो	५०२
(३) साधारण प्रतिवाद पत्र हर्ज की नालिशों में जो शत्रुता से फौजदारी का झूठा मुकद्दमा चलाने के विषय में हो	...	५०३
(४) फारम न० ७ का प्रतिवाद पत्र जब अभियोग सच्चा होने की आपत्ति हो	५०३

४७—अदालत माल की नालिशें

(१) वाद पत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब कि गोद से इनकार हो	५०४
(२) वाद पत्र न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब जमीदार और कृषक का सम्बन्ध होने से इनकार हो	५०४
(३) वाद पत्र न० ८ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से	...	५०५

तृतीय अध्याय— शपथपत्र, प्रार्थनापत्र इत्यादि ५०६—५६०**१—शपथ-पत्र**

(१) प्रमाण-पत्र सम्बन्धी शपथ-पत्र	५०६
(२) किसी पक्षकार के मर जाने पर उसके उत्तराधिकारियों के नाम स्थित कराने के लिये	५०७
(३) अदालत अपील में इचराय डिगरी स्थगित कराने की दरखास्त की पुष्टी के लिये	५०८
(४) " " " " दूसरा शपथ-पत्र	...	५०९
(५) शपथ-पत्र खर्चा या इमानत अपीलान्ट से लिये जाने के लिये	...	५१०

२—प्रार्थनापत्र

(१) कार्यवाही स्थगित कराने के लिये	५११
--------------------------------------	-------	-----

३—आवेदन पत्र, इस्तान्तर वाद

(१) जब पक्षों के बीच दो मुकद्दमों में एक ही बातों का भगड़ा हो	...	५१३
---	-----	-----

विषय		पृष्ठ
(२) जत्र न्यायाधीश प्रार्थी के विरुद्ध सम्मति प्रगट कर चुके हैं		५१४
(३) प्रमाण की सुविधा के आधार पर		५१५
४—नाद पक्षाकार		
(१) जरूरी परीक का नाम बढ़ाये जाने के लिये ...		५१६
(२) अनावश्यक पक्षाकार का नाम पृथक किये जाने के लिये ...		५१७
५—स्थानी तामील		
(१) स्थानी तामील के लिये प्रार्थनापत्र		५१७
६—न २-१३ का संशोधन		
७—स्वर पर मुकदमा वा.म. करने के लिये		
(१) वादी के अनुपस्थित होने पर		५१६
(२) रेल की दुर्घटना के आधार पर		५१६
८—एकतरफा डिगरी की संसूची के लिये		
(१) समन की तामील और नालिथ की सूचना न देने के कारण		५२०
(२) संरक्षिका के परदानशील होने और उसके कारिन्दा के बीमार हो जाने के आधार पर		५२१
९—बहियो के मुआउने के लिये		५२२
१०—मिस्र तजब कराने के लिये		५२३
११—निर्णय से पूर्व गि.पुन.गी के लिये		५२४
१२—निर्णय से पूर्व कु.गी के लिये आवेदन पत्र		५२५
१३—नि.पे.इ.जा के लिये		५२६
१४—रिसीवर नियम के लिये जाने के लिये		५२६
१५—उत्तराधिकारी का नाम चढाने के लिये		५२७
१६—वादी के नशान खर्चा लिये जाने को		५२८
१७—अन्तिम डिगरी की तैयारी के लिये		५२८
(१) तैयारी डिगरी कतई नीलाम जायदाद		५२८
(२) जत्र डिगरीदार को एक अवधि के अन्दर रुपया दाखिल करने का हुक्म हुआ हो		५२९
१८—जानी डिगरी की तैयारी के लिये		५२९
(१) साधारण प्रार्थना पत्र		५२९
(२) ऋणी की जायदाद के विरुद्ध		५३०

विषय	पृष्ठ
१९—दस्तावेज—इनका डिगरी	५२६
२०—दस्तावेज, उद्गारदारी	५३३
(१) श्रुती की ओर से डिगरी जारी कराने पर	... ५३३
(२) अन्य विरोध	... ५३३
(३) उद्गारदारी उत्तराधिकारी की ओर से	... ५३३
(४) वेजा कुर्की होने पर अन्य व्यक्ति की ओर से	... ५३४
(५) इसी प्रकार का दूसरा नमूना	... ५३४
(६) तीसरा नमूना	... ५३४
२१—दस्तावेज, मंजूरी नीलाम	५३४
(१) पहला नमूना	... ५३५
(२) दूसरा नमूना	... ५३५
२२—विवाद-पत्र	
(१) पहला नमूना	... ५३८
(२) इसी प्रकार का अन्य फारम	... ५३७
(३) द्वितीय विवाद या अपील नियम	... ५३७
२३—आवेदन-पत्र, इनका स्थगित कराने के लिये	५३८
२४—अपीलान्ट से ज्ञापन करने के लिये	५३८
२५—दस्तावेज वापसी रुय्या	५३८
(१) डिगरी मसूदा हो जाने पर	... ५३८
(२) वापसी दखल	... ५३६
(३) वास्ते वापसी दखल व हर्जा	... ५४०
२६—आवेदन-पत्र, डिगरी व व द पत्र के संशोधन के लिये	५४१
२७—आवेदन पत्र संरक्षण के सर्तीफिकेट के लिये	
(१) साधारण नमूना	... ५४२
(२) अवयस्क के पिता की ओर से संरक्षक बनने की	... ५४३
(३) संरक्षक नियत किये जाने के लिये बहिन की ओर से	... ५४३
२८—जायददा दस्तान्त कराने की आज्ञा के लिये आवेदनपत्र	
(१) रहन सादा की आज्ञा प्राप्त करने को	... ५४६
(२) विक्रय पत्र (बैनामे) के द्वारा	... ५४७
२९—आवेदन पत्र संरक्षण हटाने के लिये	५४८
३०—उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सर्तीफिकेट) विरासन	५४६
(१) उत्तराधिकार के सर्तीफिकेट के लिये	... ५५०

विषय		पृष्ठ
(२) वापसी या मंजूरी सर्टीफिकेट बिरासत	...	५५०
३१—रूपया दाखिल करने के लिये आवेदन पत्र		
(१) राहिन की ओर से	५५१
(२) खरीदार की ओर से	...	५५१
(३) रहन कर्ता की ओर से स्वयं अपने और अन्य रहनकर्ताओं के उत्तराधिकारी होने पर	५५२
३२—आवेदन—पत्र प्रोवेट व प्रबंधक पत्रों के लिये		
प्राथमिक नोट	५५७
(१) प्रोवेट के लिये आवेदन पत्र मय मृत्यु लेख के	...	५५४
(२) इसी प्रकार का दूसरा आवेदन पत्र जब मृत्यु-लेख की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की जावे	५५४
(३) प्रबंधक-पत्र प्राप्त करने के लिये	५५६
३३—इन्साल्वेन्सी (देवालियापन)		
प्राथमिक नोट	५६३
(१) ऋणी की ओर से आवेदनपत्र	५५६
(२) जब गिरफ्तारी या कैद हो चुकी हो या कुर्की का हुकम हो गया हो	५६०
(३) लेनदारों की ओर से	५६०
पर्याय-शब्द सूची		५६१-५९०

प्रस्तावना

प्लीडिंग से क्या समझा जाता है

वह लेख जिससे मुद्दे (वादी) अपनी शिकायत अदालत के सामने रखता है और उसकी सहायता (दादरसी) चाहता है, वादपत्र, अर्जीदावा या अर्जी नालिश कहलाता है और मुकदमा उस समय से शुरू हो जाता है जब अर्जीदावा, मुद्दे या उसका वकील अदालत में दाखिल कर देता है। यदि वह नियमानुसार हो और उसमें कोई त्रुटि या खराबी न हो तो अदालत से मुदायलह के नाम सम्मन् जारी होता है, जिसमें मुकदमे की सुनवाई के लिये एक तारीख नियत होती है और मुदायलह को सूचना दी जाती है कि जो कुछ प्रतिउत्तर उसकी करना हो, उस तारीख पर आकर करे।

सम्मन् की तामील हो जाने पर नियत तारीख पर मुद्दे के मुकदमे के जवाब में मुद्द यत्त अपना लिखित बयान दाखिल करता है जिसको प्रतिवाद पत्र, जवाबदावा या बयान तहरीरी कहते हैं। अर्जीदावे और बयान तहरीरी से अदालत यह निश्चय करती है कि दोनों पक्षों में कौन सी बातों पर झगडा नहीं है और कौन सी बातें ऐसी हैं कि जिनके सम्बन्ध में झगडा है।

कभी अर्जीदावा या बयान तहरीरी में, और कभी दोनों में कुछ खोट या खराबी होती है और कभी ऐसा होता है कि उन दोनों से झगडे के हालात निश्चित नहीं होते और अन्य बातें मालूम करने की आवश्यकता होती है। इन दोनों दशाओं में अदालत, मुद्दे या मुदायलह, या दोनों को अतिरिक्त बयान दाखिल करने की आज्ञा देती है और दोनों पक्ष उस आज्ञा का पालन करते हैं। कभी फरीक़ैन अपने आप एक दूसरे के बयानों के जवाब में या किसी चर्चा की व्याख्या करने के लिये हालात लिख कर अदालत के सामने पेश करते हैं और कभी अदालत स्वयं असली हालात जानने के लिये या फरीक़ैन के मुकदमा को सीमित करने के लिये उनसे या उनके वकीलों या पैरोकारों से सवाल करके उनके जवाब लिखती है¹। यह सब प्लीडिंग कहलाते हैं और उनसे झगडे वाली बातें (निजार्ई अमूरत) निश्चय की जाती हैं जो तनकीह कहलाती हैं और जिनका निश्चय करना मुकदमे के फैसले के लिये आवश्यक होता है।

परन्तु प्लीडिंग के पूरे आशय में अर्जीदावे और बयान तहरीरी के अतिरिक्त वह सब बयान भी आ जाते हैं जो फरीक़ैन की ओर से तनकीह नियत होने से पहिले किये जाते हैं। हिन्दी भाषा में कोई एक उपयुक्त और पूरा अर्थ

¹ Haji Fakirbux v. Thakur Pd, A I R 1941 Oudh 457.

रखने वाला शब्द नहीं है जो प्लीडिंग के मतलब और मानी को उचित रूप से प्रगट कर सके। यही कारण है कि हिन्दी के संग्रह ज़ाबता दीवानी के अनुवाद में प्लीडिंग शब्द को ज्यों का त्यों रख दिया है और उसकी जगह में कोई अन्य हिन्दी या उर्दू का शब्द काम में लाने का प्रयत्न नहीं किया। "बयान मुकदमा" प्लीडिंग के स्थान में, अन्य उचित शब्द न होने की दशा में काम में लाया जा सकता है। इस पुस्तक में प्लीडिंग शब्द और कहीं कहीं उसके अर्थ में "बयान मुकदमा" प्रयोग किया जावेगा। बयान मुकदमे से, साधारण रूप में, अभिप्राय मुद्दई के अर्जीदावे और मुहायलह के बयान तहरीरी से होगा। लेकिन उसके पूरे मानी में मुकदमे के वह सब ज़बानी और तहरीरी बयान फरीक़ैन के शामिल होंगे जो उन्होंने तनक़ीह हो जाने से पहिले या तनक़ीह कायम होने के लिये किये हैं¹।

प्लीडिंग का अभिप्राय और प्रयोजन

प्लीडिंग या बयान मुकदमे का सबसे पहिला और मुख्य अभिप्राय यह होता है कि वे बातें जिनकी बाबत दोनों पक्षों में झगड़ा होता है और जिनके फैसले की आवश्यकता होती है, निश्चय और नियत हो जाती हैं जिसके कारण से मुकदमे के निर्णय करने में समय और मेहनत दोनों की बचत होती है और दोनों पक्ष नियत की हुई झगड़े की बातों से इधर उधर जाने से रोक दिये जाते हैं²।

दूसरा अभिप्राय यह होता है कि प्रत्येक पक्ष को प्रत्यक्ष और ठीक प्रकार से यह ज्ञात हो जाता है कि दूसरे पक्ष का क्या मुकदमा है जिसका उसको जवाब देना और मुकाबला करना है और किसी फरीक़ को अचानक और असावधानी की हालत में मुकदमा लड़ने का डर नहीं रहता। प्रत्येक पक्ष उचित रूप से सबूत व साहाय्य इकट्ठा और पेश कर सकता है और अपने मुकदमे की पैरवी के लिये तैयार हो सकता है³।

तीसरा लाभ प्लीडिंग का यह होता है कि एक संक्षिप्त और स्पष्ट लेख हमेशा के लिये बना रहता है जिससे भविष्य में झगड़ा होने की दशा में तुरन्त मालूम हो जाता है कि कौन कौन सी बातें फरीक़ैन के बीच में तय हो चुकी हैं और उनकी बाबत मुकदमे बाकी नहीं हो सकती।

प्लीडिंग की वर्तमान दशा

प्लीडिंग की बनावट और तैयारी का ढंग, इस देश में कानूनी शिक्षा बहुत ऊँचे दर्जे पर पहुँच जाने और ज़ाबता दीवानी में प्लीडिंग के नियम सम्मिलित

¹ Md Vahya v Rahim Ali, A I R 1929 Lah 165., 1945 Cal 218

² Per Jessel M R in Throp v Holdsworth, (1876) 3 Ch D. 687

³ Per Lord Halsbury in Syed Mohd v Fateh Mohd, 22 I. A. I. L. R. 22 Cal 324 (331) P. C.

हो जाने पर भी, शीचनीय और अधूरी दशा में है। सैकड़ों मुकदमे प्रति दिन ऐसे होते हैं जिनमें अनुचित या अधूरे प्लीडिंग से असली भगड़े का फ़ैसला नहीं होने पाता या उसका कोई विशेष भाग या भाव छूट जाता है जिससे अनावश्यक और बेकार मुकदमेवाची पैदा हो जाती है। बहुत से कानूनी उच्च प्रगट होने से रह जाते हैं या उस समय में प्रगट किये जाते हैं जब उनके सुनने और तजवीज़ करने का समय नहीं रहता। कोई प्लीडिंग बहुत लम्बा और बहस से भरा हुआ होता है, किसी में अनावश्यक और बेमतलब का विस्तार होता है और असली और जरूरी उच्च नहीं दिये जाते या अधूरी तरह पर उनका सङ्कत मात्र होता है और उनके सम्बन्ध में जरूरी बातें नहीं लिखी जाती। लिखने का ढंग और बयानात का सिलसिला भी नियमानुसार नहीं होता, यहाँ तक कि जो इनकार या स्वीकार एक दूसरे बयानों की बाबत किये जाते हैं वह भी उचित प्रकार से नहीं लिखे जाते¹।

बहुधा यह देखा गया है कि जब वकील लोग धारा ४१, सम्पत्ति परिवर्तन विधान² का उच्च करते हैं तो उसके सम्बन्ध में वे बातें नहीं लिखते जो उस दफे का आवश्यक भाग हैं और जिनके बिना वह दफा लागू नहीं होती। इसी तरह एस्टापिल (Estoppel—रोक बाद) का उच्च करते हुये दूसरे फ़रीक के उस बयान, फ़ैल (कार्य) या तर्क फ़ैल (चूक) का ख़िक्र नहीं किया जाता जिसको उस फ़रीक ने सच मान कर और जिस पर भरोसा करके काम किया हो। इसी प्रकार से अंगीकारी और ढील (Acquiescence and Laches) के मसले की बाबत भी वह चाकझात पूरी तरह से बयान नहीं किये जाते जिनसे नालिश का हक़ समाप्त हुआ हो। पुरन्याय (Res judicata), जो मामूली और आम उच्च है, वह तक भी उचित प्रकार से नहीं लिया जाता। स्वीकृति या अंगीकारी (Ratification), निर्वाचन (Election), जुआ (Wager) इत्यादि के उच्च की बाबत भी यही हालत देखने में आती है, और यही दशा अन्य विधानों की विभिन्न धाराओं के विरोध पर होती है।

अनुभव में तो यहाँ तक आया है कि मुदायलह रूफ़ा या तमस्सुक की नालिश में सिर्फ़ भगड़े वाले व्यवहार से ही नहीं वरन् मुद्दई के साथ कोई लेन देन या सम्बन्ध होने से भी इन्कार करता है परन्तु बयान तहरीरी जो उसकी और से दाखिल होता है उससे यह अभिप्राय प्रगट नहीं होता, सिर्फ़ भगड़े वाले मामले से ही इनकार पाया जाता है और इस कमी से मामले की रंगत पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। एक मुदायलह ऐसा है जिसने मुद्दई से वह कर्ज़ा जिसका दावा है नहीं लिया मगर और कर्ज़े लिये और दिये हैं, दूसरा मुदायलह ऐसा है कि जिसने न भगड़े वाला कर्ज़ा लिया और न किसी और कर्ज़े के लेने का उस को मुद्दई से सरोकार पड़ा। ऐसे मुदायलह की तरफ़ से केवल यह बयान तहरीरी

¹ A. I. R. 1938 P. C. 147 ; 1981 Cal 458

² Transfer of Property Act

दाखिल करना कि मुहायलह ने भ्रगड़े वाला कर्ज नहीं लिया और न भ्रगड़े वाला तमस्सुक लिखा, कितना अन्तर डाल सकता है।

बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक फरीक के विरुद्ध जाती हैं और वह फरीक उनको जान बूझ कर अपने प्लीडिंग में नहीं लिखता और बहुत से महाशय इस प्रकार की कार्यवाही को एक प्रकार की बुद्धिमानी समझते हैं। परन्तु जब वे बातें दूसरे ओर के प्लीडिंग में आती हैं तो छिपाने वाले फरीक पर अदालत को धोका और भाँसा देने का सन्देह होता है और बहुधा करके अदालत का विश्वास उसकी ओर से हट जाता है और फिर उसका ठीक से जवाब देना असंभव हो जाता है और मुकदमें में दोष उत्पन्न हो जाता है। सारांश यह है कि बहुत सी कमी ऐसी हैं जिनका प्लीडिंग के ठीक और नियमानुसार तैय्यार करने के लिये दूर होना जरूरी है, और बहुत सा विस्तार और वे मतलब का बढ़ाव ऐसा है जिसका बंद करना आवश्यक है। प्लीडिंग के रूप और उसकी प्रणाली को ठीक करने की भी आवश्यकता है।

अब तक त्रुटियाँ दूर न होने के कारण

पश्चिमी प्लीडिंग के नियमों के जानने वाले बैरिस्टर, और एडवोकेट प्रायः हाईकोर्टों में काम करते हैं जहाँ पर नम्बरी (इश्तदाई) मुकदमें नहीं सुने जाते और न फैसल होते हैं। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के हाईकोर्टों में, जहाँ कुछ नम्बरी मुकदमें सुने जाते हैं, प्लीडिंग अंग्रेजी में दाखिल होती है और नियमानुसार होती है। इन प्रान्तों में प्रायः १६ प्रतिशत मुकदमें मुफस्सिल की अदालतों में फैसल होते हैं जो उर्दू या उस प्रान्त की भाषा में निर्माण होते हैं और उनको वह लोग तैय्यार करने हैं जिनको पुराने ढंग की आदत पड़ी हुई है और जिनके लिये पुरानी आदत छोड़ना और नई जानकारी प्राप्त करके उसको काम में लाना कठिन होता है।

नये वकील महाशय जो पेशे में दाखिल होते हैं उनकी शिक्षा अंग्रेजी में होती है। उनको प्रान्त की भाषा से जिनमें प्लीडिंग दाखिल होते हैं, न अनुराग होता है और न उसमें उनको उचित योग्यता लिखने पढ़ने की और बयान मुकदमा अच्छी तरह शुद्धता के साथ तैय्यार करने की होती है। शब्दों का उल्था करने और मज़मून बनाने में उनको तरह तरह की कठिन-इयाँ पड़ती हैं और उनके सुभीते और सहारे के लिये कोई ऐसी पुस्तक नहीं थी जिससे वह आवश्यकता के समय सहायता ले सकें। कुछ थोड़े से नमूने जो ज्ञान्ता दीवानी की परिशिष्ट में दिये हुये हैं वे साधारण मामलों से सम्बन्ध रखते हैं, जो टेढ़े और गूढ़ मामले प्रत्यक्ष होते हैं उनके लिये उन नमूनों से प्लीडिंग तैय्यार करने में बहुत कम सहायता मिलती है।

इस किताब का प्रयोजन

नये वकीलों को वकालत आरम्भ करने पर प्लीडिंग की इस अघूरी दशा, में

बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसके सिवाय सर्वसाधारण की जानकारी और शिक्षा के लिये भी आवश्यक है कि प्लोडिंग की तैयारी और उसके नियमों पर कोई माननीय पुस्तक हो। यह पुस्तक इसी आवश्यकता की पूर्ति करने के विचार से लिखी गई थी। आशा है कि जिनके लिये यह परिश्रम किया गया है वह उससे लाभ उठावेंगे।

पुस्तक की स्कीम

पुस्तक दो भागों में विभाजित है—प्रथम भाग में अर्जीदावा, जवाबदावा, भिन्न भिन्न प्रकार की दरखास्तें इत्यादि लिखने के नियम व्याख्या सहित दिये गये हैं और द्वितीय भाग में प्रत्येक प्रकार के अर्जीदावा, वयान तहरीरी और दरखास्तों के नमूने दिये गये हैं।

प्रथम भाग के प्रथम अध्याय में प्लोडिंग के साधारण नियमों का, जो ज्ञान्ता दीवानी संग्रह के आर्डर ६ में दिये हुये हैं, व्याख्या सहित उल्लेख किया गया है। द्वितीय अध्याय में अर्जीदावा के विषय में आर्डर ७ में दिये हुए विशेष नियमों को समालोचना सहित दिया गया है और अर्जीदावा लिखने के लिये आवश्यक आदेश और उनके सम्बन्ध में उपयोगी अन्य बातें लिखी गयीं हैं। इसी प्रकार तृतीय अध्याय में वयान तहरीरी या जवाबदावा लिखने के नियम (जो आर्डर ८ में दिये हुए हैं) आवश्यक व्याख्या व समालोचना सहित लिखे गये हैं। इस भाग के चतुर्थ अध्याय में दरखास्त, वयान हलफ़ी और याददास्त अपील लिखने के नियम दिये गये हैं।

द्वितीय भाग में हर प्रकार के अर्जीदावे, वयान तहरीरी और दरखास्तों के भिन्न भिन्न प्रकार के नमूने दिये गये हैं। इस भाग के भिन्न भिन्न प्रकारण ज्ञान्ता दीवानी संग्रह में दिये हुए नमूनों के विचार से नियत किये गये हैं क्योंकि साधारण नालिशें प्रायः दो प्रकार की होती हैं, (१) जो प्रतिज्ञा पर निर्भर हो (Baped on Contract) और (२) जो किसी प्रतिज्ञा पर निर्भर न हो (Baped on Tort etc)। इनके अतिरिक्त अचल सम्पत्ति के सम्बन्धित नालिशें पृथक होती हैं। भिन्न भिन्न विषयों के प्रबन्ध में यह भी ध्यान रखा गया है कि इस कला में प्रविष्ट होने वाला भी सरलता और सुगमता से अपने कार्य में निपुण हो सके।

द्वितीय भाग के अन्त में साधारण प्रार्थना-पत्रों के अतिरिक्त, जो ज्ञान्ता दीवानी संग्रह के विभिन्न धाराओं के अन्तरगत दी जाती हैं—शपथ-पत्र (वयान हलफ़ी), अपील-पत्र (मूजबात अपील) और विशेष दरखास्तों के नमूने जो अन्य विधानों पर आधारित हैं जैसे, संरक्षक को नियत करने और हटाने के लिये, या अवयस्क की सम्पत्ति परिवर्तन के लिये¹ उत्तराधिकार के सर्टीफिकेट या

¹ (Under the Guardians and Wards Act, VIII of 1890)

निष्ठापत्र के प्रोबेट के लिये^१, रहन का रुपया जमा करने के लिये^२ और देवालिया (क्रार दिये जाने के लिये)^३, के नमूने भी दिये गये हैं। इस भाग से नये वकील और मुहरिगों को विशेष रूप से और मुक्तार व कारिन्दों को साधारण रूप से सहायता मिलेगी।



१ (Under the Indian Succession Act, XXXIX of 1925)

२ (Under the Transfer of Property Act, IV of 1882)

३ (Under the Insolvency Act, V of 1920)

प्रथम भाग

प्रथम अध्याय

प्लीडिङ्ग के साधारण नियम

सन् १९०८ ई० के पहले ज्वाब्ता दीवानी में प्लीडिङ्ग के कोई नियम नहीं थे। एक्ट नं० ५ सन् १९०८ ई० की ज्वाब्ता दीवानी में, जो आजकल भी प्रचलित है, कानून बनाने वालों ने प्रथम बार ऐसे नियमों को सम्मिलित किया और उनका एक पृथक आर्डर, नम्बर ६, नियत किया। इस आर्डर में एकत्रित किये हुए नियम प्लीडिङ्ग की उस प्रणाली पर बने हुए हैं जो इङ्ग्लैण्ड में जूडिकेचर एक्ट (Judicature Act) से प्रचलित हुए और जो दीवानी के मुकदमों के लिये प्लीडिङ्ग की सबसे अच्छी प्रणाली समझी जाती है।

प्लीडिङ्ग के साधारण नियम ज्वाब्ता दीवानी के आर्डर ६ नियम नं० २, ४, ६, ८ से १३ तक में दिये हुए हैं (Order VI Rules 2, 4, 6, 8 to 13 Civil Procedure Code)। इस आर्डर के दूसरे नियम भी प्लीडिङ्ग की तैयारी से सम्बन्ध रखते हैं इसलिये सुविधा के लिये इस अध्याय में आर्डर ६ के कुल नियमों को आवश्यक व्याख्या सहित दे दिया गया है जिससे अर्जीदावा या बयान तहरीरी लिखने वाला प्लीडिङ्ग के सिद्धान्तों को भली भाँति समझ सके और उसके प्लीडिङ्ग की तैयारी में उचित सहायता मिल सके।

नियम नं० १ (Order. VI. Rule 1, C. P. C)

प्लीडिङ्ग से अभिप्राय अर्जीदावा या बयान तहरीरी से होगा।

प्लीडिङ्ग के आशय के विषय में पहिले लिखा जा चुका है। प्लीडिङ्ग से प्रायः अभिप्राय अर्जीदावा या बयान तहरीरी से होता है, क्योंकि जो कुछ एतराज़ या बयान परीक्रेन तक़ीद होने से पहिले करते हैं वे इन्हीं दोनों का भाग समझे जाते हैं। सिद्धान्त से मुद्दे का कुल मुक़दमा अर्जीदावा में, और मुदायलेह का कुल मुक़दमा बयान तहरीरी में होना चाहिये।

पहली प्रणाली यह थी कि मुद्दे के अर्जीदावा के जबाब में मुदायलेह की ओर से बयान तहरीरी दाख़िल होती थी और मुद्दे उसका जबाब दाख़िल करता था और मुदायलेह उस जबाब का भी प्रतिउत्तर दाख़िल कर सकता था। कमी कमी इसके बाद भी परीक्रेन एक दूसरे के प्लीडिङ्ग का जबाब दाख़िल करते थे और यह शृङ्खला चलती रहती थी। धीरे धीरे इसमें कमी होती गयी और वर्त्तमान संग्रह के अनुसार प्रायः मुद्दे की ओर से अर्जीदावा और मुदायलेह की ओर से जबाब दावा ही दाख़िल करने की प्रथा रह गई है। परन्तु निम्नलिखित अवस्थाओं में दोनों पक्ष अर्जीदावा व जबाब दावा दाख़िल हो जाने के बाद भी अदालत के सामने अतिरिक्त बयान तहरीरी पैश कर सकते हैं,—

(१) नियम नं० ५ के अनुसार यदि अदालत स्वयं, एक अतिरिक्त और उच्च बयान अर्जीदावा या जवाब दावे का या प्लीडिंग में लिखी हुई किसी विशेष घटना के निम्नतम आवश्यक समझे तो किसी पक्ष को ऐसा बयान दाखिल करने की आज्ञा दे और उस पक्ष को आज्ञा का पालन करना होता है ।

(२) नियम नं० १६ के अनुसार अदालत किसी फरीक को आज्ञा दे सकती है कि वह अपनी प्लीडिंग को बदल देवे या उसको सही कर देवे और ऐसी सब शुद्धियाँ उचित होती हैं जो कि फरीकैन के असली भगड़े को निपटाने के लिये आवश्यक हों ।

(३) जब अदालत मुकदमें की पहली पेशी पर अर्जीदावा और बयान तहरीरी को पढ़ती है और मुकदमें के हालात जानने के लिये फरीकैन या उनके पैरोकारों से मुकदमे के वाक्यात पूछती है और आर्डर १० नियम २ के अनुसार यह बयान लिखे जाते हैं । यह कुल बयान भी प्लीडिंग के भाग समझे जाते हैं ।

वर्तमान संग्रह के अनुसार अर्जीदावा और बयान तहरीरी के दाखिल हो जाने के बाद यही तीन परिस्थिति हैं जिनसे प्लीडिंग की वृद्धि की जा सकती है और प्रत्येक पक्ष का मुकदमा इन पर आधारित होता है और मुकदमे की अन्तिम अवस्था तक उन बयानों की सहायता ली जा सकती है ।

ध्यान रहे कि मुफलिषी की दरखास्त जब तक मंजूर न हो जावे प्लीडिंग या बयान मुकदमा नहीं कही जा सकती, मंजूर हो जाने पर वह अर्जीदावा बन जाती है^१ इसी तरह एक वकील का बयान^२ या दरखास्त इजराय डिगरी^३ प्लीडिंग का भाग नहीं होती ।

नियम नं० २ (Or. VI, Rule 2)

प्लीडिंग में केवल एक संक्षिप्त बयान, उन वाक्यात तत्व मुकदमा का लिखा जावेगा जिन पर किसी फरीक को अपना दावा या जवाब दही करना मंजूर है लेकिन कोई सबूत जिससे वह व घटनाएँ प्रमाणित की जावें नहीं लिखे जायेंगे । हर प्लीडिंग में नम्बरवार प्रकरण लिखे जावेंगे, और तारीख और रकम और नम्बर अङ्को में लिखे जावेंगे ।

यह नियम सब से आवश्यक व महत्वपूर्ण है और इसमें प्लीडिंग के असली विद्वान्त संक्षिप्त रूप में लिख दिये गये हैं । ध्यान से पढ़ने से पता लगता है कि इस नियम में नीचे लिखी हुई मुख्य बातें हैं ।

(१) प्लीडिंग में वाक्यात या घटनाएँ लिखी जावें ।

(२) वह वाक्यात तत्व मुकदमा या मुकदमें का आधार हों ।

(३) और केवल ऐसे वाक्यात ही लिखे जावें ।

1 A I R. 1914 Mad 256 (258), 1932 Lah 548

2 A I R. 1929 Oudh 204 at page 206

3 A. I R. 1916 Pat. 89 (41)

(४) उनका एक संक्षिप्त बयान हो ।

(५) कोई सबूत जिससे वह वाक्यात साबित किये जावें न लिखा जावे ।

(६) लिखने का ढंग क्या हो ।

जैसा नियम नं० १ में कहा गया है मुद्दई अपनी शिकायत अर्जीदावे में लिखता है और मुद्दायलेह उसका उत्तर अपने जवाब दावे में लिखकर अदालत के सामने पेश करता है । उन दोनों को चाहिये कि जो घटनाएँ शिकायत और उसके उत्तर में आवश्यक हों उनको अपनी अपनी प्लीडिंग में लिखें जिससे अदालत जान सके कि फरीक़ैन में किन बातों पर झगड़ा है और वह कैसे पैदा हुआ । मुद्दई को चाहिये कि वह कुल बातें लिखे जिनसे उसका हक़ और क़ान्ना भगड़े वाली चल या अचल सम्पत्ति के निस्वत में प्रगट हो और वे बातें भी लिखी जावें जिनसे मुद्दायलेह का मुद्दई के स्वत्व और अधिकार में हस्तक्षेप करना प्रगट हो । क़ानूनी शब्दों में ऐसी कुल घटनाएँ मुद्दई का स्वत्व उत्पन्न करने वाले वाक्यात कहलाते हैं और उनसे मुद्दई का मुक़दमा प्रगट व स्पष्ट हो जाता है और मुद्दायलेह जान लेता है कि उसको किन किन बातों का जवाब देना है ।

इसी प्रकार मुद्दायलेह को अपने जवाब में वह कुल घटनाएँ लिखनी चाहिये जो मुद्दई के लिखे हुए वाक्यात को स्वीकार करें या उनसे इनकार करती हों और वह बातें भी लिखनी चाहिये जिनके कारण मुद्दायलेह ने वह कार्य किया या नहीं किया है जिसकी मुद्दई ने शिकायत की । इसके अतिरिक्त यदि मुद्दायलेह को मुद्दई के हक़ से इनकार हो या उसका हक़ मुद्दई से प्रथम हो तो वह वाक्यात भी लिखे जावें जिनसे यह प्रगट होता हो । अभिप्राय यह है कि दोनों पक्ष वह कुल बातें अपनी अपनी प्लीडिंग में लिखें जो उनकी सफलता के लिये और अदालत की जानकारी के लिये आवश्यक हों ।

(१) प्लीडिंग में वाक्यात हों

प्लीडिंग वाक्यात लिखने के लिये होती है और उस में वाक्यात ही लिखे जाना चाहिये न कि क़ानून जो उन वाक्यात से लागू हो या जो क़ानूनी अधिकार किसी फरीक़ को उन वाक्यात से पैदा होते हों । यह दोनों बातें लिखना ऐसी मूल है जो प्रायः बहुत पाई जाती हैं । साबित हुये वाक्यात पर क़ानून लगाना जज का काम है न कि फरीक़ मुक़दमा का ।^१

फरीक़ मुक़दमा का काम है कि वह झगड़ा वाले मामले के सम्बन्ध में जो कुछ वाक्यात हों, तारीख़वार और ठीक ठीक बयान करे उनसे क्या अधिकार या ज़म्मेदारी किसी पक्ष को पैदा होती है वह अदालत के तजवीज़ करने का काम है । बिना उन

^१ A. I. B. 1948—Mad 190, 1930 Bom 511

घटनाएँ के बयान किये हुये कि जिनसे कानूनी अधिकार या जुम्मेदारी पैदा होती हो, केवल अधिकार या जुम्मेदारी को प्लीडिंग में बयान कर देना अनुचित होता है।¹

उदाहरणः—रास्ता रोकने के मुकदमे में केवल यह लिखना कि मुद्दई को अधिकार हक आसायश (सुगमता का अधिकार) रास्ता का मुदायलेह की जमीन पर, जो मकान मुद्दई के सामने पड़ी हुई है, हासिल है प्लीडिंग के सिद्धान्त के विरुद्ध है। मुमकिन है कि हक आसायश किसी (अतिया) दान से मिला हो या बटवारे ज्ञायदाद से, या लगातार बीस साल तक उन दशाओं में उस अधिकार को काम में लाने से प्राप्त हुआ हो जो कानून हक आसायश एक्ट नं० ५ सन् १८८१ की धारा १५ में लिखी हैं। इसलिये जब तक वह वाक्यात न लिखे जावें जिन की वजह से कानूनी विचार से वह अधिकार पैदा हो गया है केवल ऐसे अधिकार का लिख देना नियम के विरुद्ध है।

इसी प्रकार विरासत (दाय) के मुकदमों में बिना पीढी या शाखावली व मृत्यु क्रम (मरने का सिलसिला) लिखे हुये अपने को वारिस जाहज़ (शाखाधिकारी) बयान करना, या मन्सूखी दस्तावेज़ (पत्र को खण्डित कराने) के मुकदमे में बिना उन घटनाओं को लिखे हुये कि जिनसे मन्सूख कराने का अधिकार पैदा होता हो, अपने आप को ऐसी मन्सूखी का अधिकारी बयान करना, या नालिख मे बिना ज़रूरी बाक्यात बयान किये हुये अपने आप को दखल का अधिकारी बतलाना और मुदायलेह का क़ब्ज़ा अनधिकारयुक्त बतलाना, प्लीडिंग के नियमानुसार नहीं है।

यदि मुदायलेह अपने किसी कानूनी अधिकार पर भरोसा करे जो वाक्यात से पैदा होता हो तो उसको चाहिये कि वह उन वाक्यात को अपने प्लीडिंग में लिखे न कि केवल कानूनी अधिकार को।

उदाहरण—किसी प्रतिज्ञा पूरा कराने के दावे में मुदायलेह की ओर से केवल यह उज़्र करना कि मुआहिदा मन्सूख हो चुका है या तमादी में आ गया, काफी नहीं है। उसको वह वाक्यात लिखना चाहिये कि जिनके द्वारा या जिस प्रकार से उस मुआहिदा को फरीक्रीन ने रद्द या मन्सूख कर दिया हो या कानूनी विचार से उस मुआहिदे का फिस्क होना समझा जावे, या उस के पूरा कराने में तमादी की रोक पैदा हो गई हो।

प्लीडिंग का यह एक प्रारम्भिक सिद्धान्त है कि कोई पक्ष उन बातों को अपनी प्लीडिंग में न लिखे जिनको कानून उसके हक में मंज़ूर करता है या जिनके साबित करने का भार दूसरे पक्ष पर होता है जब तक कि उन बातों से विशेष रूप में इन्कार न किया गया हो (Order VI, Rule 13, C. P. C.) जैसे किसी हुन्दी या चक्के के मुआवज़ा देने का इन्दराज़ ज़रूरी नहीं होता (Sec. 118 Negotiable Instruments Act, 26 of 1881; 1943 Nag. L. J. p. 148) या जहाँ

पर मुद्दई ज़मीन पर काबिज़ हो और किसी अन्य अधिकारयुक्त पुरुष ने उसको बेदखल कर दिया हो तो मुद्दई को अपनी मिलकियत दिखाना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि अनधिकार पुरुष के विरुद्ध कानून अधिकार-युक्त पुरुष का कब्ज़ा मान ही लेता है ।¹

उदाहरण :—इमारत गिरवाने के दावे में अगर मुद्दायलेह को रोक बाद (इस्टॉपेल *Bestoppel*) का उज्र हो तो उसको कहना चाहिये कि वह ज़मीन जिस पर भूगड़े वाली इमारत बनाई गई, वह अपनी मिलकियत समझता था, और इसी विश्वास पर वह नेकनियती से इतने समय तक इमारत बनाता रहा और इतनी लागत की इमारत बना ली, इस बीच में मुद्दई स्वयं या उसका अधिकार युक्त मुख्तियार, कभी कभी या बराबर उसको देखता रहा और कभी कोई रोक नहीं की. और अपने तर्क फेल (कार्य न करने) से मुद्दायलेह को विश्वास दिलाया या विश्वास करने का अवसर दिया कि वह ज़मीन जिस पर इमारत बनाई जा रही थी, उसी की मिलकियत है। यदि कोई दावा किसी विशेष या स्थानीय कानून की किसी धारा से न चल सकता हो या किसी विशेष अदालत में दायर न किया जा सकता हो तो वे सब बातें और घटनाएँ मुद्दायलेह को अपने जबान में लिखना चाहिये जिससे वह विशेष धारा लागू होती हो।

उदाहरण :—यदि काश्तकारी से वेदखली का दावा अदालत दीवानी में दायर किया गया हो तो मुद्दायलेह को वह वाक्यात लिखने चाहिये जिनसे यह प्रगट हो कि फरी-क़ैन में काश्तकार और ज़िमींदार का सम्बन्ध है या कि मुद्दायलेह किसी ठीका या पट्टे से मुद्दई की ओर से उस भूमि पर काबिज़ हुआ।

इस सम्बन्ध में यहाँ पर और उदाहरण देना आवश्यक नहीं है। इस किताब में आगे नमूने दिये जावेंगे जिनको ध्यान से पढ़ने से पता लगेगा कि झीडिंग में किस तरह कानून लिखने से बचाव किया जाता है और कौन वाक्यात झीडिंग में लिखे जाते हैं। इस आदेश के विरुद्ध एक बचाव है जो नमूनों में उचित स्थान पर काम में लाया गया है वह यह है कि वाक्यात नफसे मुकदमा बयान करते हुये अगर वाक्यात की दुस्तती व संक्षेप के ध्यान से कानून का हवाला दे दिया जावे तो हर्ज नहीं है। इसका कारण यह है कि कभी ऐसा करने से सुभीता ही जाता है और उससे वाक्यात का बयान समझ में अच्छी तरह आ जाता है और घटनाओं का सम्बन्ध एक दूसरे से मालूम हो जाता है। ब्रिटिश इंडिया में जहाँ करीब करीब सारा कानून ज़ाप्ता की शकल में है बहुधा उचित स्थान पर भिन्न भिन्न ऐक्ट का हवाला व उनकी मुख्य धारा देना भी ज़रूरी हो जाता है और उससे झीडिंग परमिट और जल्द समझ में आ जाने योग्य हो जाती है। परन्तु उसके साथ इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कुल वाक्यात नफसे मुकदमा (तत्व के) लिखे जावे और अगर उनके साथ दुस्तती बयान या उपर लिखे किसी और 'प्रर्थ' के लिए किसी ऐक्ट की मुख्य दफ़ा का हवाला दिया जावे तो अनुचित नहीं।

उदाहरण :—ज़ायदाद के दखल के दावे में जो एक ऐसे खरीदार के विरुद्ध हो, जिसने उसको दूसरे से मोल लिया हो, और ज़ायदाद वेचने वाले को मुद्दई अनाधिकारी

¹ *Armory v. Dilmory*, 1 Sm L C 396.

बयान करे। अगर मुदायलेह उस दावा में यह उज़र करे कि उसके बेचने वाला ज़ाहरी मालिक, ज़ायदाद के असल मालिकों की रज़ामन्दी से या और मुदायलेह ने उस ज़ायदाद को मूल्य देकर, नेकनीयती से, उचित सावधानी के साथ, यह निश्चय करने के पीछे अपने हक़ में इन्तक़ाल कराया कि उसके इन्तक़ाल करने वाले को इन्तक़ाल करने का अधिकार था और इन षटनाओं का वर्णन करते हुये यह लिख देवे कि धारा ४१ क़ानून इन्तक़ाल ज़ायदाद (Transfer of Property Act) के अनुसार दावा क़ाबिल चलने के नहीं है, या यह धारा इस दावे को रोकती है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि ऊपर लिखा अंतिम भाग अनावश्यक है, मगर उससे असली मतलब तुरन्त समझ में आ जाता है।

धारा ४१ क़ानून दादरसी ऱास (Specific Relief Act) व धारा ११५ क़ानून शहादत (Evidence Act) व दफ़ा ११ ज़ाब्वा दीवानी (Civil Procedure Code) के आक्षेप भी इसी तरह के हैं जो बहुधा अनुचित प्रकार से लिखे जाते हैं। उनके सम्बन्ध में तत्व के वाक़यात ज़रूर लिखना चाहिये और उन वाक़यात में अगर क़ानून का हवाला भी लिख दिया जावे तो अनुचित नहीं है।

इसी सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने की यह है कि प्लीडिंग में क़ानून लिखना मना है, न कि क़ानून के एतराज इन दोनों का अन्तर हमेशा निगाह में रखना चाहिये। किसी फरीक़ के लिये अर्जोदावा या बयान तहरीरी के सिवा और कोई प्लीडिंग नहीं होती, जिसमें वह क़ानूनी आक्षेप दूसरे फरीक़ के दावा या जवाबदही के मद्दे पेश कर सके। और सिद्धान्त से भी हर फरीक़ का मुकदमा उसकी प्लीडिंग में होना चाहिये। इसलिये हर एक फरीक़ का कर्तव्य है कि वह अपने सब क़ानूनी उज्र प्लीडिंग में लिखे।

क़ानूनी उज्र दो प्रकार के होते हैं।

(१) वह जो फ़रीक़ैन के माने हुये वाक़यात पर किये जा सकते हैं।

(२) वह जिनके लिये एक फरीक़ अतिरिक्त वाक़यात बयान करके उन उज़रात क़ानूनी को पैदा करता है।

उदाहरण नं० १—किसी दावा में मुद्दई एक वंशाली बयान करे और उसकी रिश्तेदारी के आधार पर अपने को मुदायलेह के मुक़ाबले में उत्तम अधिकारी हिन्दू धर्म शास्त्र मिताक्षर के अनुसार बयान करे। उसके उत्तर में मुदायलेह पहिले यह कह सकता है कि उस धर्म शास्त्र के अनुसार मुद्दई मुदायलेह के मुक़ाबले में उत्तम अधिकारी नहीं है, या दोनों समान अधिकारी हैं, या मुदायलेह मुद्दई से उत्तम अधिकारी है। दूसरे मुदायलेह यह कह सकता है कि फ़रीक़ैन पर मिताक्षर शास्त्र माननीय नहीं है, किन्तु दायभाग धर्म-शास्त्र माननीय है, और उससे मुद्दई अधिकारी बिलकुल नहीं है, या उत्तम अधिकारी नहीं है, या दोनों समान अधिकारी हैं।

दूसरी दशा में मुद्दायलेह को यह नया वाक्या बयान करना पड़ा कि फरीक़ैन पर भर्म-वाख़ दाव भाग माननीय है और मुद्दई के बयान को इस बारे में काट करना पड़ा ।

उदाहरण नं० २—एक व्यापारी जिसने दूसरे व्यापारी को माल पहुँचाया हो, और माल के मूल्य का दावा अपने रहने की जगह की अदालत में दायर करे और मुद्दायलेह का यह उज़्र हो कि उस अदालत को मुक़दमा सुनने का अधिकार नहीं है । इस दशा में मुद्दायलेह मुद्दई के बयान किये हुये वाक्यात को मानते हुये यह कह सकता है कि उन वाक्यात से मुद्दई को दावा करने का अधिकार मुद्दई के निवास स्थान पर पैदा नहीं हुआ । और दूसरी दशा में वह मुआहिदा ठहरने या कीमत देने या माल संभालने की जगह की निसबत नये वाक्यात बयान करते हुए यह उज़्र कर सकता है कि अगर मुद्दई को दावा करने का अधिकार पैदा हुआ तो अन्य स्थान पर और मुद्दई के रहने की जगह पर पैदा नहीं हुआ ।

पक्षों की स्वीकृत घटनाओं पर कभी यह उज़्र भी पैदा हो जाता है कि विवादास्पद कारण उत्पन्न होने का स्थान उस अदालत की अधिकार सीमा के अन्दर नहीं है ।

तमादी (Limitation) का उज़्र भी ऐसा कानूनी उज़्र है कि जिसके लिये बहुधा नये वाक्यात बयान करने की कम ज़रूरत होती है और कानून तमादी की परिशिष्ट की धारा या किसी मुकामी या खास कानून के इवाले से उज़र लिख दिया जाता है कि दावा में तमादी लगती है, परन्तु कभी कभी इस बात से कि कज़ा किस प्रकार से था और तमादी कब से शुरू हुई और मुद्दत क्या थी और वह बढ़ी या नहीं, बहुत से भगड़े पैदा हो जाते हैं, ऐसी सूत्रों में फरीक़ैन को वाक्यात बयान करना होते हैं कि जिनसे उनका दावा या अधिकार उस मियाद से बचता हो । अगर मुद्दई का दावा कानून मियाद की किसी धारा से तमादी में आता हो तो उसको लिखना पड़ता है, कि वह कैसे तमादी से बचता है । (आर्डर • क़ायदा ६ ज़ान्ता दीवानी) ।

किसी मुआहिदा का जुभा या पब्लिक पालसी (Public Policy) के खिलाफ़ इत्यादि होने के आधार पर व्यवहार न चलने योग्य होने का, या किसी दावा का किसी कानून के अनुसार साधारण या किसी खास अदालत में वर्जित होना आदि भी कानूनी अवरोध हैं, जो कि आवश्यकतानुसार माने हुये वाक्यात पर या नये वाक्यात बयान करके किये जाते हैं और उनको उचित रीति से प्लीडिंग में लिखना चाहिये ।

अगर किसी फरीक़ को किसी कुलाचार या देशाचार या तिजारती मज़हबी या क़ौमी रिवाज़ पर भरोसा करना हो, तो वह भी प्लीडिंग में लिखना ज़रूरी है, इस कारण कि यद्यपि रिवाज कानून के मुक़ाबले में प्रचलित किया जाता है परन्तु वह कानून के समान नहीं होता, कि जिसका अदालत कानून शहादत की ५८

घारा^१ के अनुसार स्वयं नोटिस ले सके, और न अदालत से यह आशा की जा सकती है कि वह सब सब लोगों के, भिन्न भिन्न रिवाजों से परिचित हो। इसलिये रीति या रिवाज वाक्यात तत्व मुकदमा की तरह पर प्लीडिंग में लिखना चाहिये और उस के सब अंग और प्रसंग भी लिखना चाहिये।

यदि कोई फरीक कानून संयुक्त इंडिया के सिवाय अपने ऊपर या दूसरे फरीक के ऊपर किसी दूसरे कानून को माननीय बयान करता हो, और उसके कारण फरीक के कानूनी अधिकार जो संयुक्त इंडिया में विधान के अनुसार होते हो उन पर असर पड़ता हो तो उसको वह कानून भी अपने प्लीडिंग में लिखना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार का उज्र भी कानूनी उज्र के समान है, और अदालत उसको कानूनी उज्र के समान निर्णय व निष्पत्ति करेगी।

संयुक्त इंडिया के बाहर की अदालतों की तजवीज़ दफा १३ व १४ ज्ञान्ता दीवानी के अनुसार संयुक्त इंडिया की अदालतों में प्रायः सीमित रीति मानी जाती हैं, जो उन घाराओं में लिखी है इस लिये वह वाक्यात जिनसे वह प्रचलित होने योग्य या अयोग्य होती हो, लिखना चाहिये।^२

२—वह घटनाएँ मुकदमे का तत्व हों

इसका मतलब है कि प्लीडिंग में जो तत्व की बातें हों, यानी वाक्यात नफसे मुकदमा लिखे जावें और जो तत्व मुकदमा न हों न लिखे जावें। 'वाक्यात नफसे मुकदमा' वह वाक्यात होते हैं जो मुद्दई या मुद्दायलेह को किसी मुकदमा में अदालत का फैसला अपने हक में कराने के लिये बयान व साबित करना जरूरी हों या कि दूसरे शब्दों में 'वाक्यात नफसे मुकदमा' से उन सब आवश्यक घटनाओं से अभिप्राय है जो किसी पक्ष को अदालत की तजवीज़ अपने अनकूल कराने के लिये बयान और साबित करना आवश्यक हो।^३

उदाहरण १—रूपये के सादे दावा में मुद्दई का यह बयान कि मुद्दायलेह ने अमुक तारीख में इतने रुपये मुद्दई से उधार लिये, जो उसने अदा नहीं किये, वाक्यात नफसे मुकदमा है। परन्तु यदि इसी के साथ मुद्दई यह भी बयान करे कि मुद्दायलेह बेईमान है, और बेईमानी से मुद्दई का कर्जा अदा करना नहीं चाहता; यह बात वाक्यात नफसे मुकदमा नहीं है और इसको न लिखना चाहिये।

२—विवाह सम्बन्धी अधिकारों की पूर्ति के मुकदमों में, दोनों पक्षों में विवाह या निकाह का होना, और स्त्री पुरुष के समान रहना और दूसरे पक्ष का उन अधिकारों को

^१ S. c 58, Evidence Act

^२ S. c Sections 13 & 14 Civil Procedure Code

^३ 1 Q B 554, A I R 1916 Cal 658; 1934 All 11; 1917 Oudh 1917; 1938 P C 121 (Sind)

पूरा करने से बचना, 'वाक्यात नफ्से मुकदमा' हैं।¹ बहुत से किस्से और कहानी जो उनके मेल के समय की हों वे बेज़रूरी होती हैं जब तक कि ऐसे वाक्यात किसी दूसरे कारण से नफ्से मुकदमा न हों, जैसे कि विवाह से इनकार करने की दशा में सन्तान का पैदा होना ।

दखल के दावा में वह वाक्यात जिनसे मुद्दई के मालिक होना, या बेदखली का अधिकारी होना, प्रगट हो, तत्त्व मुकदमा होते हैं।² इसी प्रकार रहन की नालिशों में जहाँ पर नीलाम या बयबात की प्रार्थना हो वहाँ, रहन की तारीख, रहन कर्त्ता व रहन गृहीता का नाम, कितना रुपया रहन पर दिया गया और सद की दर, रहन की हुई जायदाद का विवरण और वह रहन-वन जो मुद्दई को मिलना चाहिये इत्यादि वाक्यात मुकदमा के तत्व होते हैं। रहन छुटाने के दावे में इनके अतिरिक्त दोनों पक्षों की प्रतिशायें जो कब्जा व इन्फकाक के बावत निश्च की गई हों और जिनसे मुद्दई को रहन छुटाने का अधिकार प्राप्त होता हो, वह भी लिखनी चाहिये ।

प्रत्येक मुकदमें में यह निश्चय करना कि कोई विशेष घटना तत्त्व मुकदमा है या नहीं उस मुकदमें के आकार-प्रकार पर निर्भर होता है, इसलिये इस विषय में कोई मुख्य नियम नियत नहीं किया जा सकता। बहुत सी घटनायें ऐसी होती हैं जिनके बारे में यह कहना कि वे इस ब्यवहार की तत्त्व हैं या नहीं बहुधा कठिन होता है। कभी कभी ज़ौदिल्ल लिखने के समय, अनुभव में आया है, कि एक घटना अनावश्यक मालूम हुई परन्तु मुकदमा चलने के पश्चात् उसका पूर्ण प्रभाव और उसकी आवश्यकता प्रतीत हुई यहाँ तक कि मुकदमें का फैसला उसी घटना के रूप के अनुसार हुआ ।

वाक्यात नफ्से मुकदमा क़ायम करने में वकील को चाहिये कि अपने क़ानूनी योग्यता और अनुभव से काम ले और जितने वाक्यात उसको फरीक़ मुकदमा और कागज़ों से मालूम हो उनसे मुकदमा के प्रकार व भगड़े वाली बातों पर ध्यान रखते हुये, यह निश्चय करे कि कौन वाक्यात नफ्से मुकदमा हो सकते हैं, उनको वह प्लीडिंग में लिख दें। यदि किसी घटना की बाबत यह संदेह हो कि वह तत्त्व मुकदमा है या नहीं तो उत्तम यह है कि उसको भी प्लीडिंग में लिख दिया जावे जिसमें आगे उसकी आवश्यकता प्रतीत होने पर प्लीडिंग ठीक कराने में कठिनाता व कष्ट न उठाना पड़े ।

जो नमूने इस पुस्तक में दिये गये हैं उनसे आशा है कि ऐसे अम्यास करने में सहायता मिलेगी, परन्तु वकील को अधिक भरोसा अपनी क़ानूनी योग्यता, मेहनत व अनुभव पर करना चाहिये। देखने में आया है कि कुछ अनुभवों वकील भी वाक्यात तत्त्व मुकदमा में और अन्य वाक्यात में जो तत्त्व मुकदमा नहीं होते, बहुत कम पहिचान करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि उनके बनाये हुये प्लीडिंग, जहाँ तक कि अन्की भाषा और क्रमानुसार वाक्यात का सम्बन्ध है, बड़े अच्छे और बोल चाल के शब्दों में होते हैं, परन्तु

¹ A I R 1921 Lah 291

² See Order VI, Rule 9, C P C , A I R. 1916 Cal. 513

ज़रूरी और बे ज़रूरी सब वाक्यात मिले हुये होते हैं, और क़ानूनन जिन बातों का उनके साथ क्रम से बयान करना ज़रूरी होता है बहुधा छूट जाती है। ऐसे प्लीडिंग अदालत खारिज कर सकती है या संशोधन (तरमीम) के लिये वापिस कर सकती है। नये वकीलों को शुरू की कठिनाई और उचित भाषा न जानने की कठिनाई इसके अतिरिक्त होती हैं। इसलिये उनको चाहिये कि वह इस बारे में विशेष परिश्रम और अभ्यास करें बिना इसके सफलता प्राप्त होने में बहुत समय लगता है और तब भी पूर्ण योग्यता प्राप्त नहीं होती है।

३—केवल घटनाएँ तत्व मुक़दमा लिखी हों

प्लीडिंग में वाक्यात नफ़से मुक़दमा के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिये। बे ज़रूरी बातें न लिखी जावें। किन्तु शोक से लिखना पड़ता पड़ता है कि इस सम्बन्ध में प्लीडिंग की वर्तमान दशा बड़ी शोचनीय है। एक फरीक़ का दूसरे फरीक़ को चालाक, बेईमान, धोका देने वाला लिख देना साधारण बात है।¹ और उसके साथ उसके गबाहों को अपना दुश्मन व इसके मेल वाले बयान करना भी साधारण ढंग समझा जाता है। यह अनुचित और निन्दनीय है। कोई आदमी बेईमान हो, परन्तु वह अपने क़ानूनी अधिकार पाने से इस कारण रोका नहीं जा सकता और न उन क़ानूनी अधिकारों से वञ्चित रखा जा सकता है जो उसकी वञ्चित घटनाओं से पैदा होते हैं। और न इस कारण से किसी दूसरे फरीक़ को कोई ऐसा क़ानूनी अधिकार पैदा हो सकता है, जो बयान किये हुये वाक्यात से उसको पैदा नहीं होता।

इसी प्रकार बहुत सी कहानी प्लीडिंग में लोग लिख देते हैं जिसका फरीक़ैन के अधिकार पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, और अनावश्यक विस्तार बढ़ जाता है।

उदाहरणः १—मुक़दमे में यदि यह भगड़ा हो कि मुद्दई ने किसी मकान या गाँव में रहना छोड़ा या नहीं, और मुद्दई उसकी काट के लिये यह लिखे कि वह दो वर्ष तक अमुक गाँव में रहा, और वहाँ से तीन बार आकर एक एक महीना भगड़े वाले मकान में रहता रहा, और फिर दूसरे गाँव में डेढ़साल रहा, और वहाँ से दो दफा आकर भगड़े वाले मकान में ठहरा, फिर तीसरे गाँव में रहा, और भगड़े वाले मकान में ठहरने को आया। इस सब कहानी की जगह पर मुद्दई लिख सकता है कि उसने भगड़े वाले मकान या गाँव में रहना नहीं छोड़ा, लेकिन वह रोज़गार के सम्बन्ध में इतने वर्ष बाहर रहा और समय समय पर गाँव में आता और भगड़े वाले मकान में रहता रहा।

२—मान हानि और अदावती भूठा फौज़दारी मुक़दमा चलाने पर हरजे के मुक़दमों में शुरू में लोग बहुधा लम्बी चौड़ी कहानी लिख देते हैं जो अनुचित होती हैं। हमेशा ज़रूरी और मुख्य घटनायें लिखना चाहिये।

¹ 8 S W R 295, 3 Ben L R 12, 3 Ch D. 376, 7 Ch D 473 Per Braund J
in S P Jain v. Sheodutt, A. I R 1946 All 213; 1946 A W. R 354

इसका यह अर्थ नहीं है कि झीडिंग में आरम्भिक (Introductory) या तमहीदी बातें छोड़ दी जावें कि जिनसे पक्षों का आपसी सम्बन्ध या व्यवहार भली भाँति प्रगट न हो सके। बहुधा ऐसी बातें अर्जी दावा या जवाब दावा का आवश्यक अंग होती हैं और उनसे फरीकैन का भ्रगडा आसानी से समझ में आ जाता है और कुल भगड़े पर प्रकाश पड़ता है।

उदाहरणः—(१) वही खाते के लेन देन की नालिष में अर्जी दावे में वह लिखना की प्रतिवादी व्यापार अमुक नाम से करते हैं और वादी का लेन देन का काम अमुक नाम से होता है, ऐसे प्रारम्भिक वाक्यात है कि जिनसे मलूम होता है कि दोनों फरीक के वहीखातों में रकमों का ग्राना जाना किस नाम से लिखा होगा।

(२) इसी प्रकार माल की वापसी या उसकी क्रीमत की नालिष में यह बयान करना कि मुदायलेह के वहाँ विवाह या और महफिन की सजावट के लिये मुद्दई के यहाँ से उसने समान मगनी मँगाया था अनावश्यक घटना नहीं है।

वे घटनायें जिनसे प्रत्युपकार या हर्जे की सख्या घटाई या बढ़ाई जा सके दावे या जवाब दावे में लिखनी चाहिये।¹ इङ्गलैण्ड के विधानानुसार ऐसी घटनायें जिनसे हर्जे की सख्या कम हो सके जवाब दावे में नहीं लिखी जा सकती परन्तु अँगरेजी विधान की धारा ४ हमारे देश के दीवानी सग्रह में शामिल नहीं की गयी।² इसलिये यहाँ पर वे कुल घटनायें जिनसे विशेष हानि का होना प्रगट हो या हर्जे इत्यादि की सख्या में वृद्धि हो अर्जी दावे में लिखी जा सकती है और जिन घटनाओं से मुद्दई के माँगे हुए हर्जे की सख्या कम की जा सके वह जवाब दावे में लिखी जा सकती है। जहाँ पर ऐसी घटनायें लिखना आवश्यक हो वहाँ उनका तारीखवार विवरण सहित लिखना चाहिये।³ यदि विरुद्ध साधारण हर्जे का दावा हो और विशेष हर्जाना न माँगा गया हो तो तफसील देने की आवश्यकता नहीं होती।⁴ किसी पक्ष को कोई घटना दूसरे पक्ष का उत्तर अनुमान करके पेशवन्दी के रूप में नहीं लिखना चाहिये।⁵

४—उनका एक सक्षिप्त बयान हे।

लम्बा बयान लिखना एक ऐसा रोग है जो झीडिंग में प्रायः सब जगह मिलता है। और इसकी जुम्मेदारी वकील और जज दोनों की है। और दोनों ही के सहयोग और प्रयत्न से इससे छुटकारा हो सकता है।

तत्त्व घटनाओं के बयान करने में जहाँ तक हो सके सक्षिप्त और स्पष्ट भाषा प्रयोग की जावे, परन्तु इसके साथ यह ध्यान रक्खा जावे कि भाषा कम करने में घटनाओं का

1 Millington v Loring, 6 Q B D 190

2 Compare Order 21, Rule 4 English Supreme Court Rules See also Wood v Durham, 21 Q B D. 501 (507)

3 Retchiff v Evans, 2 Q B D.

4 A I. R 1933 Nag 29

5. A. I. R. 1923 Lah. 475.

क्रम न जाता रहे । और उनका मतलब नष्ट न हो ।¹ यदि घटनाएँ ऐसी हैं जो विस्तार की हैं परन्तु तत्व की हों उनको झोडिंग में अवश्य लिखना चाहिये, परन्तु ऐसे ढंग पर कि वेग्लरत विषय में बढ़ाव न करें ।²

संक्षिप्त में लिखना बहुत कुछ लिखने वाले की भाषा की योग्यता और समझ के ऊपर भी निर्भर है । इसलिये झोडिंग लिखने वाले को उस भाषा का जिसमें झोडिंग लिखा जावे पूर्ण ध्यान होना चाहिये । ध्यान यह रखना चाहिये कि घटनाएँ उचित और निश्चित रूप में बयान की जावें, और जहाँ तक हो सके थोड़े शब्दों में । परन्तु पहले गुण को संक्षिप्तता पर न्योछावर न किया जावे ।³

घटनाओं को संक्षिप्तता से लिखना झोडिंग की विद्या का आवश्यक अंग है परन्तु शुद्धता और निश्चयता का ध्यान रखते हुए घटनाओं को संक्षिप्त किया जावे । जहाँ तक हो ऐसे शब्द या वाक्य प्रयोग में न लाये जावें जिनसे एक से अधिक अर्थ निकल सकते हों, क्योंकि दूसरा पक्ष कह सकता है कि उसने वादी के अभिप्राय के विरुद्ध अन्य अर्थ समझे थे । इसके अतिरिक्त अदालत को उस पक्ष की ओर से बोला देने का कभी कभी अनुमान होता है । इसलिये झोडिंग में सीधी और शुद्ध भाषा लिखनी चाहिये और वह घटनाएँ लिखी जावें जिनको पेश करने वाला पक्ष सत्य और ठीक समझता हो और जिनके बारे में उसे कोई सन्देह न हो और न वह सन्देह युक्त भाषा में लिखी जावे । नियम नं० ४ की टिप्पणी भी इस सिर्लासले में देखनी चाहिये ।

५—प्रमाण, जिससे घटनाएँ साबित की

जावें, न लिखा जावे

यदि झोडिंग में सबूत लिखा जावेगा तो विस्तार की कोई सीमा नहीं रह सकती और झोडिंग का मुख्य उद्देश्य जाता रहेगा ।⁴ इस विषय में बहुधा भूल जो झोडिंग की तैयारी में होती है यह है कि एक पक्ष दूसरे फरीक को स्वीकारी, जो उसके हक में पहिले की हो, लिख देते हैं और कभी कभी अन्य घटनाएँ भी लिख देते हैं जिनके बयान से उनके अधिकार की पुष्टि होती हो, परन्तु ऐश न करना चाहिये ।

उदाहरण—यदि किसी मुकदमे में सुद्ई का दावा हो कि सुद्ई की लिङ्की, दवा व रोशनी के आने जाने के लिये बहुत पुरानी, २० वर्ष से पहिले की है और उसको वह अपने अधिकार से लगातार और खुल्लम खुल्ला, बिना किसी रोक टोक के काम में लाता रहा है, उसकी वावत उसके अधिकार सुगमता का (इक आसायश) प्राप्त है । इसके

1 19 I A 90 P C—I L R 19 Cal 507, A I R 1932 All 467

2. I L R 58 Cal 418

3 Per Key J in Townsend v Parton, 182, 30 W. R 287

4. Philips v Phillips, 4 Q. B. D. 127 (133); A I R. 1925 Pat. 410.

जबाब में मुद्दायलेह का बयान तहरीर में यह लिखना कि इस खिड़की को मुद्दई एक दूमरे मुकदमे में केवल थोड़े समय की होना और उसका मुद्दायलेह की आज्ञा से काम में लाना बयान कर चुका है नियम के विरुद्ध है। मुद्दायलेह को मुद्दई के बयान से इन्कार करते हुये यह लिखना चाहिये कि वह खिड़की केवल इतने साल की है और वह आज्ञा से काम में लाई जाती है।¹

इसी प्रकार जब फरीकैन में किसी पुरुष की वंशावली का झगड़ा हो, और दोनों फरीक एक दूसरे की वंशावली को झूठा बयान करते हो, तो किसी फरीक को अपनी झीडिंग में यह लिखना कि दूसरे फरीक ने उस फरीक की वंशावली को झगड़क समय ठीक माना था या उसका एक भाग ठीक माना था झीडिंग के नियम के विरुद्ध है।²

अगर एक आदमी किसी काम या मुआहिदा का करना किसी दूसरे आदमी के अनुचित दबाव (Undue Influence) होने की वजह से बयान करे और उसकी पुष्टि के लिये, इसी प्रकार से काम करने की दूसरी मिसालें जिनका झगड़े वाले मुआहिदा से कोई सम्बन्ध न हो झीडिंग में लिखे, तो ऐसा करना उचित नहीं है। सिर्फ उस मनुष्य का दूसरे पुरुष के असर में होना, एक घटना के रूप में लिख देना पर्याप्त होता है।

६—लिखने का ढंग क्या हो

इसका आशय यह है कि अज्ञांदावा और बयान तहरीरी को धाराओं या दफों में बाँट कर लिखना चाहिये और दफा नम्बरवार हों। तारीख, रकम और गिनती अंकों में लिखी जायें।

दफों में बाँट देने का प्रथम लाभ यह है कि विषय के अर्थ में भ्रम नहीं होने पाता। यदि एक दफा में एक घटना लिखी जावे, जैसा की सर्वदा होना चाहिये, घटनायें तो क्रम से आती जाती हैं और बयान नियमानुकूल हो जाता है। एक घटना दूसरी घटना से बिलकुल प्रुपक हो जाने के कारण सर्वनाम लिखने के स्थान में असली नाम (संज्ञा) लिखना पड़ता है, और संदेह उत्पन्न होने या भाषा के पेचदार होने की सम्भावना नहीं रहती। ध्यान यह रखना चाहिये कि जहाँ तक हो एक दफा में एक ही घटना हो। जब कभी एक से अधिक बातें एक दफा में लिखी जावेंगी तो भाषा पेचदार हो जाने का भय रहेगा।

गिनती, तारीख और संख्या केवल अंकों में लिखे जाने का अर्थ यह है कि वृथा विस्तार न हो, इनको अक्षरों में लिखने से विस्तार होता है। परन्तु इसके साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि गिनती इस तरह लिखी जावे कि गलत पढ़ने या समझने का डर न रहे और जहाँ कहीं ऐसा भय हो वहाँ अक और अक्षर दोनों में लिख देने से कोई हानि नहीं है या किसी अन्य प्रकार से बचाव और सावधानी की जा सकती है।

1. Lumb v Beaumont, 49 L T 772, A I R 1921 Sind 159 (F. B.).

2. Davy v. Govt., 7 C. D. 478 (485); also 4 Q. B. D. 127 (133).

नियम नं० ३ (Order VI, Rule 3)

प्लीडिंग के लिये नमूने जो परिशिष्ट (अ) में दिये हुये हैं, काम में लाये जावेंगे यदि वे काम में आ सकते हों, नहीं तो दूसरे नमूने जहाँ तक हो सके उसी प्रकार के काम में लाये जावेंगे ।

इस नियम की मनशा है कि दीवानी संग्रह के परिशिष्ट (अ) में अर्जी दावे और जबाब दावों के जो नमूने दिये गये हैं वे जहाँ पर प्रयोग किये जा सकें, काम में लाये जावे बरना उसी प्रकार के अन्य फारम बनाये जा सकते हैं । जो नमूने परिशिष्ट (अ) में दिये गये हैं उनमें से प्रत्येक नमूना हर प्रकार से पूर्ण नहीं कहा जा सकता ।¹ परन्तु इन नमूनों के काम में लाने से अनुचित बढ़ाव का दोषारोपण नहीं किया जा सकता । इस पुस्तक में उचित स्थान पर परिशिष्ट (अ) में दिये हुये नमूने भी दिये गये हैं । ज़ाबता दीवानी की मनशा है कि लिखित, प्लीडिंग प्रयोग किये जावेंगे ।²

नियम नं० ४ (Order VI, Rule 4)

उन दशाश्रों में जिनमें प्लीडिंग पेश करने वाला किसी झूठ बयान, धोखा, तुक्सअमानत, जानबूझ कर चूक करने, या अनुचित बढ़ाव पर भरोसा करता हो और उन सब सुरतों में जब कि ज़ाबता दीवानी के फारमों में दी हुई बातों के अतिरिक्त अन्य बातों का लिखना भी जरूरी हो तो वे बातें तारीख और जरूरी तफसील के साथ प्लीडिंग में लिखी जावेंगी ।

नियम नं० २ यह चाहता है कि प्लीडिंग में घटनाएँ संक्षेप में लिखी जावें और नियम नं० ४ यह कहता है कि वे घटनाएँ ठीक और निश्चिंत रूप में बयान की जावें । आशय यह हुआ कि प्लीडिंग में दोनों बातें ही संक्षेप भी और ठीक और निश्चित बयान भी, यदि इन दोनों नियमों की पाबन्दी किसी फ़रीक ने अपने प्लीडिंग में न की हो तो वह अगले नियम नं० ५ के अनुसार मजबूर किया जा सकता है कि दूसरा और अच्छा बयान दाखिल करे और अदाकत ऐसा करने का हुकम दे सकती है ।³

प्लीडिंग में जो बातें लिखी जावें वह तारीखवार और जरूरी तफसील के साथ हों जिससे सन्देह उत्पन्न होने का स्थान न रहे और न बयान करने वाले को अपने बयान से इधर उधर जाने का अवसर मिल सके । प्लीडिंग को अनिश्चित प्रकार से और घूमती हुई इबारात में लिखना और जरूरत के वक्त उससे तरह तरह के मानी निकालना बहुत बुरा तरीका है । इसी तरह ऐसे शब्दों का काम में लाना जिनके दो अर्थ हों या शब्दों का ऐसा प्रयोग जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलता या उत्पन्न होता हो अनुचित है । ऐसा करना दूसरे पक्ष को एक प्रकार का धोखा देना और अपने आप अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा करना है जो न्याय के विरुद्ध है ।

¹ I L R 58, Cal 418—1936 All 658 (655)

² A I R 1935 All. 268 (269)

³ 7 P D 117 (121), 40 C W N 913, A I R. 1932, Pat. 355.

दोनों पक्षों के कानूनी स्वभावों पर सोच विचार करने और उनको निश्चय और नियत कर लेने के बाद जो प्लीडिंग बनाई जावेगी उसमें घटनाएँ ठीक और निश्चय रूप में झरूरी बयान हो सकेंगी क्योंकि तैयार करने वाले की बुद्धि और विचार दोनों फ़रीक के हक की बाबत स्पष्ट होंगे और वह उनके सम्बन्ध की बातें ठीक ठीक और अशुद्धी प्रकार से लिख सकेंगा ।

कानून में यह बर्जित नहीं है कि यदि एक ही घटनाओं से एक से अधिक कानूनी स्वत्व किसी पक्ष को पैदा होते हों तो वह उनको एक प्लीडिंग में दर्ज न कर सके । इससे विपरीत यह आज्ञा है कि यदि कोई पक्ष अपने एक से अधिक हक पर भरोसा करता हो या दूसरे फ़रीक के दावे या जवाबदही को एक से अधिक प्रकार से स्थिर रहने के अयोग्य बयान करता हो, तो उसको साफ़ और स्पष्ट शब्दों में ऐसा लिखना चाहिये जिससे दोनों हर बात को भले प्रकार जानते हुये एक दूसरे का जवाब दे सकें और कोई शिकायत बेख़बरी और अचानकता की न रहे ।

घटनाएँ ठीक तरह लिखने के लिये भाषा का उत्तम ज्ञान होना आवश्यक है इसलिये प्लीडिंग लिखने वाले को चाहिये कि आवश्यकतानुसार उचित शब्द उन मामलों के लिये काम में लावे जो उनके लिये नियत हैं ।

भूँठ बयानी, धोखा, धरोहरघात 'नुक्सअमानत' जानबूझ कर चूक करना, दावा नाजायज़ इत्यादि, ऐसे मामले हैं जो तरह तरह के रंग और ढंग से पैदा होते, और हो सकते हैं । जब तक किसी फ़रीक को उनके सम्बन्ध में आवश्यक बातें न मालूम हों वह उनका जवाब नहीं दे सकता ।

असत्य बर्णन (misrepresentation) किसी फ़रीक ने शब्दों या किसी लेख द्वारा की हो, या दो या अधिक लेखों के मुकाबले या मिश्रण से प्रगट होता हो, या कुछ शब्दों और कुछ लेख से प्रत्यक्ष हो इसलिये आवश्यक है कि दूसरे फ़रीक को ऐसे बयान का तरीका मालूम होना चाहिये जिसमें वह उसका उचित उत्तर दे सके ।¹

धोखा या फ़रेब (fraud) एक ऐसा मसला है जिसकी हज़ारों सूरतें होती हैं । जिस तरह आदमी की सभक तरह तरह के व्यवहार उत्पन्न कर सकती है इसी तरह वह सहस्रो प्रकार से दूसरों को धोखा दे सकता है । इसलिये जब तक वे घटनाएँ जिनसे फ़रेब प्रगट हो ठीक तरह से बयान न की जावें दूसरा फ़रीक उनकी काट नहीं कर सकता ।²

नुक्सअमानत (breach of trust) जिसके साम्राज्य हिन्दी में अर्थ धरोहर घात या धरोहर में बैईमानी करने के हैं, जब कभी बयान की जावे तो उसके साथ उन कामों को भी झरूरी लिखा जावे जिनसे अमानत का उत्पन्न होना और दूसरे फ़रीक का उसमें घात या बैईमानी करना प्रगट होता हो । सिर्फ़ यह कह देना कि

¹ A I R 1924 P C. 186 ; 1926 Bom 33

² A I R. 1937 P C 146 ; I L R 64 I, A 143 , 38 All 126, A. I R 1930 All 427, 1943 Oudh 192.

प्रतिवादी के पास रोकड़ रहती थी और उसने बहुत सी रकमें ग़बन करलीं काफ़ी नहीं है ।¹

जानबूझ कर किसी काम में चूक (wilful default) करने की बाबत भी वे कार्य लिखने जरूरी होते हैं जिनसे कि चूक बनती हो या जिन पर वह निर्भर हो । एक फ़रीक ने बहुत से काम दूसरे फ़रीक के विरुद्ध किये हैं और वह कुल मिल कर जान बूझ कर चूक की हद, तक न पहुँचते हों या उनमें से कुछ का कोई प्रभाव न हो, इसलिये वह विशेष कार्य लिखने चाहिये जिनकी बाबत बयान किया जाता हो कि वह मुकदमत पैदा करते हैं और वह जान-बूझ कर की गई ।²

अनुचित दबाव (undue influence) के वास्ते दोनों फ़रीक का आपस का सम्बन्ध और उनका आपसी बर्ताव या ढंग बयान करना चाहिये और उसके साथ वह खास काम जो भगड़े वाले मामले से लगाव रखते हों लिखना जरूरी होते हैं ।³

मुआहिदे के मुक़दमों में मुआहिदे की शर्तों, और कब और कहाँ और किनके बीच में मुआहिदा हुआ और वह काम करना या न करना, जिनसे दूसरे फ़रीक में जरूरी मुआहिदा का तोड़ना बयान किया जाता हो लिखने आवश्यक होते हैं । उनके विलसिले बार्ते लिखी जावें ।

हिसाब समझने के मुक़दमों में वे घटनाएँ जिनसे मुद्दाभलह की हिसाब समझने की ज़रूरत पैदा होती हो, लिखनी लाज़मी हैं और यह दिखलाना जरूरी है कि मुद्दे के हक़ पर मुद्दाभलह के किस काम के करने या न करने का असर पड़ा, जिससे उसके हिसाब समझने का हक़ पैदा हुआ ।

सारांश यह है कि दोनों फ़रीक घटनाएँ ठीक और बिना लाग लपेट के निश्चित रूप में बयान करें जिससे वह नियत हो जावे और हर फ़रीक उनकी पुष्टि या काट आसानी से कर सके । और अदालत और फ़रीक़ैन सबूत और तहकीकात में परेशान न हों और न किसी फ़रीक की अचानक और बेखबरी की हालत में मुक़दमा लड़ने की शिकायत पैदा हो ।⁴

नियम नं० ५ (Order VI, Rule 5)

एक अधिक और उत्तम बयान दावे या जवाब दावे के प्रकार, का या अधिक और अच्छे हालात किसी व्यवहार के, जो किसी प्लीडिंग में दर्ज हों सब मुक़दमों में दाखिल किये जाने का हुक्म दिया जा सकता है, खर्चे इत्यादि की ऐसी शर्तों पर जो न्यायानुकूल हों ।

1 A I R 1930 Mad 78 , 1936 Bom. 30 (36)

2. A I R. 1941 Bom 28

3. A. I R 1921 Pat 48 ; 1928 Oudh, 330.

4. 38 Ch. D. 410 ; 7 C. H. D. 435.

इस कायदे से एक फरीक अपने मुक़ाबिले वाले फ़रीक से ज़रूरी वाक्यात मालूम कर सकता है और जो प्लीडिंग उसने अधूरा या अशुद्ध टाखिल किया हो, उसको पूरा और सही करा सकता है और अदालत ऐसे फरीक को हुकम दे सकती है कि वह अधिक और अच्छा और ठीक प्लीडिंग टाखिल करे या किसी ख़ास मामले की बाबत अधिक और ठीक हालत बयान करे और जिस फरीक की ग़लती से मुक़दमा मुलतवी हो या और कोई अइच्चन पड़े उससे ख़र्चा दिलावे या और कोई उचित न्यायानुकूल आज़ा दे।¹

मुख्य अभिप्राय इस नियम का भी यही है कि भगड़े वाले मामले के सम्बन्ध में जो घटनाएँ ज़रूरी हों वे उचित और निश्चित रूप में अदालत के सामने आ जावे और जिन बातों का भगड़ा हो वह ठीक ठीक नियत हो सके और इसी अभिप्राय के लिये हर एक पक्ष को अदालत से दरख़वास्त करने और अदालत को आज़ा देने का अधिकार दिया गया है।

नियम नं० ६ (Order VI, Rule 6)

कोई आवश्यक प्रतिज्ञा, जिसके पूरा होने या घटित होने की बाबत विरोध करना मंज़ूर हो, मुद्दई या मुद्दायलेह को, जैसी सूत्र हो, अपने प्लीडिंग में स्पष्ट रूप से बयान करना चाहिये और आधीन कुल आवश्यक शर्तों के इसके, पूरा या घटित होने का बयान जो मुद्दई या मुद्दायलेह के मुक़द्दमे के चास्ते ज़रूरी हों, उनके प्लीडिंग में समझ लिया जावेगा।

इस नियम की व्याख्या आवश्यक है। यदि किसी स्वत्व का प्रचार किसी शर्त के पूरा करने या किसी घटना के घटित होने पर निर्भर हो तो मुद्दई को अर्ज़ी दावे में उसका बयान करने की जरूरत नहीं है और जब तक मुद्दायलेह स्पष्ट रूप से बयान तहरीरी में उससे इनकार न करे उस शर्त का पूरा होना या वाक़ै होना मुद्दई के अर्ज़ी दावे से मान लिया जावेगा।²

उदाहरण नं० १—यदि किसी हिन्दू अभिभक्त कुल की विधवा गुज़ारा पाने की अधिकारिणी इस दशा में हो कि वह कुल, के रहायशी मकान में निवास करे और विधवा अपने गुज़ारे का दावा अदालत में करे तो उसको अर्ज़ी दावे में यह लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वह उस समय में, जिसका दावा है, ख़ानदान के रहायशी मकान में रही और जब तक मुद्दायलेह साफ़ तरह पर इस से अपने प्लीडिंग में इनकार न करे तब तक इस शर्त का पूरा होना विधवा के अर्ज़ी दावे से मान लिया जावेगा।

1 Thompson v. Birkley, 31 L R 280, 53 L L R 53 Mad 645, 45 All. 624, 58 Cal 539

2. A. I R 1924 Pat. 205, 1938 Lah. 96, I. L R. 7 Lab 422, 24 All. 402 F. B.

उद्देश्य २—(अ) ने (ब) के हाथ गेहूँ इष्ट शर्त से बेचे कि उनकी क्रिम (अ) को जब मिलेगा जब वह गेहूँ किसी खास दफ्तर या किसी खास आदमी को जाँच में पास हो जावे। अगर (अ) गेहूँ डिलीवर करने के बाद (ब) पर क्रिम का दावा दायर करे तो उसको अपने अर्ज़ी दावे में यह लिखने की ज़रूरत नहीं है कि उसके डिलीवर किये हुये गेहूँ जाँच से पास हो गये थे और जब तक (ब) अपने प्लॉडिंग में साफ़ तरह से इनकार न करे जाँच से पास होना अर्ज़ी दावे से समझ लिया जावेगा।¹

इस सम्बन्ध में आर्डर ८ नियम २ भी देखना चाहिये।

नियम नं० ७ (Order VI, Rule 7.)

किसी प्लॉडिंग में, संशोधन की दशा के अतिरिक्त, कोई नया विनायदावा नहीं उठाया जावेगा और न कोई ऐसी घटना का बयान लिखा जावेगा जो प्लॉडिंग पेश करने वान फरीक के, किसी पहिले पेश किये हुये प्लॉडिंग के प्रतिकूल हो।

अब जवाब का जवाब और उसकी तरदीद देने का क्रायदा जाना दीवानी संग्रह में नहीं रक्खा गया इसलिये इस नियम को अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती परन्तु आर्डर ८ नियम नं० ६ इस सम्बन्ध में देखना चाहिये।

अभिप्राय इस नियम का यह है कि जब एक फरीक एक विनायदावा अपने प्लॉडिंग में दर्ज करे तो दूसरा प्लॉडिंग में नया विनायदावा नहीं उठा सकता परन्तु अदालत का आशा से अपने पहिले प्लॉडिंग का संशोधन करा सकता है।²

इस तरह कोई फरीक जा घटनाएँ अपने प्लॉडिंग में पहिले बयान कर चुका हो उसके प्रतिकूल बयान किसी दूसरे प्लॉडिंग में नहीं कर सकता।

नियम नं० १७ में प्लॉडिंग के तगमीम व बदलने का तरीका दिया हुआ है, उसके विचार से भी यह नियम विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है।

नियम नं० ८ (Order VI, Rule 8)

जब किसी प्लॉडिंग में कोई मुआहिदा बयान किया जावे, तो दूसरे फरीक के उससे सिर्फ़ इनकार करने से यह समझा जायगा कि उसके बयान किए हुये खास मुआहिदे या उन घटनाओं से इनकार है जिनसे वह मुआहिदा बनता हो, उसके कानूनन जायज या पूरे होने से इनकार नहीं समझा जायगा।

इस क्रायदे का यह मतलब है कि अगर किसी मुआहिदे के होने और उसके कानूनन जायज होने दोनों से इनकार हो तो दोनों बातें साफ़ तौर से लख देना चाहिये।

1. I. L. R. 22 Pat 513—A I. R. 1944 Pat 77.

2. 5 M. L. A. 271; A. I. R. 1943 Lab 159; 1929 Oudh 204; 1919 Mad. 471.

अगर केवल मुआहिदे में इनकार किया जावे तो उनके यह मानी होंगे कि मुआहिदा जो मुद्दई बयान करता है नहीं हुआ मगर उसके कानून से जायज़ होने का कोई एतराज़ नहीं है ।¹

उदाहरण १—यदि मुद्दई बयान करे कि मुदायलेह ने मुद्दई के साथ मुआहिदा २०० गाँठ सूत हवाला करने का ३ महीने के अन्दर एक ठहरे हुए भाव से किया, इसके जवाब में अगर मुदायलेह बयान करे कि उसको मुआहिदे से इनकार है तो उसका यह मतलब समझा जायगा कि फरीक़ान में भगड़ा सिर्फ़ मुआहिदा होने या न होने का है । यदि मुदायलेह को मुआहिदा के जायज़ होने से इनकार हो तो उसको लिखना चाहिये कि ऐसा मुआहिदा कानून से नाजायज़ है और वह कारण भी लिखना चाहिये जिससे वह अपचारयुक्त हो जैसे कहा जा सकता है कि वह जुए के रूप से था या घोखा, फरेब, दाव नाजायज़ इत्यादि से हुआ है ।

उदाहरण २—यदि मुदायलेह किसी दस्तावेज़ के असली होने और उसके कानूनन जायज़ होने पर हमला करता हो तो दोनों एतराज़ अलग २ लिखना चाहिये । सिर्फ़ दस्तावेज़ के इनकार से यह मानी होंगे कि उसके असली होने से इनकार है और उसकी बाबत फरेब, झूठ बयानी, दाव नाजायज़ वगैरह कोई ऐसा वाक्या नहीं है जो उसके विधान अनुसार ठीक होने में बाधा करता हो ।²

दफा २३, २६ कानून मुआहिदा (एक्ट ६ सन् १८७२) के अनुसार जो एतराज़ होते हैं वे भी मुआहिदे के नाजायज़ होने के होते हैं और उनको साफ़ तरह से लिखना चाहिये ।

नियम नं० ९ (Order VI, Rule 9)

जब किसी दस्तावेज़ के विषय का बयान करना जरूरी हो तो प्लीडिंग में दस्तावेज़ के प्रभाव का सक्षेप बयान करना काफी होगा । पूरा दस्तावेज़ या उसके किसी भाग की नकल की जरूरत नहीं है, यदि उस दस्तावेज़ के शब्द या उनका कोई भाग तत्व मुकद्दमा न हो ।

जब किसी दस्तावेज़ की विनाय पर नालिश दायर की जावे तो उस दस्तावेज़ की शर्तों का संक्षिप्त बयान प्लीडिंग में लिखना चाहिये लेकिन बहुत से मुकद्दमे ऐसे होते हैं जिनमें दस्तावेज़ के शब्दों के अर्थ का भगड़ा होता है और वह तत्व मुकद्दमा होते हैं । ऐसे मुकद्दमों में दस्तावेज़ या उसका उचित भाग प्लीडिंग में नकल किया जा सकता है ।

उदाहरण १—जो दावे शुफे के रिवाज या चलन की विनाय पर होते हैं उसमें वाजिबउल अर्ज़ का इन्द्राज अकसर बहुधातत्व मुकद्दमा होता है । एक फरीक़ उसको रिवाज

1 A. L. R. 1932 All 199, I. L. R. 53 All 963 See Also A. I. R. 1931 All 229

2 I. L. R. 47 Bom 137, I. L. R. 8 Pat. 450.

और दूसरा उसके मुआहिदा बयान करता है और अदालत उस इन्दराज के शब्दों से भगड़े की तजवीज और फैसला करती है। ऐसे मुकद्दमें में प्लीडिंग में इन्दराज लाजिब-उलअज़्ज़ को नकल करना बेजा नहीं होता।

२—बहुत से वसीयतनामे को विनाय पर दायर होने वाले मुकद्दमों में वसीयतनामे के शब्दों के अर्थ पर वाद विवाद होता है और इस पर मुकद्दमे का फैसला निर्भर होता है। ऐसे मुकद्दमों में दस्तावेज़ के विशेष शब्द जिनके अर्थ और अभिप्राय का भगड़ा हो वह तत्त्व मुकद्दमा होते हैं और प्लीडिंग में लिखे जाने चाहिये।¹

३—कभी २ किसी दस्तावेज़ का कानूनी असर उसके विशेष शब्दों पर निर्भर होता है और वही फरीकैन् के दम्यान भगड़े की जड़ और तत्व मुकद्दमा होते हैं और प्लीडिंग में लिखे जा सकते हैं।

परन्तु ऐसे मुकद्दमों को छोड़ कर बाकी सब मुकद्दमों में दस्तावेज़ों का कानूनी असर लिखना काफी होता है। दस्तावेज़ों की पूरी शर्तों उनके प्लीडिंग में नकल कर देना अनुचित बढ़ाव करता है और ऐसा नहीं करना चाहिये।²

दस्तावेज़ का कानूनी असर लिखने में इस बात का ख्याल रक्खा जावे कि वह उस नीतिपत्र के रूप और उसकी शर्तों से निकलता हो, किसी फरीक के मनमाने अर्थ न हो।

नियम न० १० (Order VI, Rule 10)

जग किसी पुरुष की दुश्मनी, धोखा देने का विचार, ज्ञान अथवा न्य बुद्धि की स्थिति प्रगट करना जरूरी हो तो इन स्थितियों का घटना की तरह पर बयान करना पर्याप्त होगा। उन बातों के बयान करने की जरूरत नहीं होती जिनसे वह प्रमाणित होती हैं।

यह नियम और नियम नम्बर ११ व १२, नियम नम्बर २ के भाग ४ के उदाहरण हैं और ज़ाहिर करते हैं कि विशेष मामले किस तरह प्लीडिंग में लिखे जावें।

जो हजे की नालिशों, फौजदारी का झूठा और वेबुनियाद मुकद्दमा दायर करने की बात, मुद्दई के उससे बरी हो जाने पर दायर होती हैं उनमें दुश्मनी का बयान जरूरी और तत्व मुकद्दमा होता है।

गफलत और लानरवाई की विनाय पर हजे की नालिशों में इरादा और इत्म और कभी २ मन की हालत बयान करना आवश्यक होता है।³

फरेब से सम्बन्ध रखने वाले मुकद्दमों में फरेब करने का इरादा वाक्या नफ़स मुकद्दमा होता है।⁴

ऐसी सब नालिशों में मन की हालत अतौर एक वाक्या बयान की जा सकती है।

¹ Harris v Ware 4 C. P. D. 125, Phillips v Phillips, 4 Q. B. D. 127

² A. I. R. 1916 Cal. 658

³ L. Q. B. 599; A. I. R. 1931 Mad. 110.

⁴ I. L. R. 31 Bom. 37, 2 Q. B. 109.

नियम न० ११ (Order VI, Rule 11)

यदि यह प्रगट करना हो कि किसी पुरुष को किसी स्थिति या मामले या वस्तु की सूचना थी तो उस सूचना को घटना की तरह पर बयान करना पर्याप्त होगा सिवाय उस दशा के जब कि सूचना का रूप या उनके ठीक शब्द या वह हालत जिनसे सूचना प्रमाणित होती हो तत्त्व मुकदमा हों।

सूचना (नोटिस) की परिभाषा सभ्यति परिवर्तन विधान (एक्ट ४ सन् १८८२) की धारा ३ में दी हुई है।^१

नीचे लिखी नालिशों में नोटिस का दिया जाना लिखना ज़रूरी होता है।

(१) यदि मालिक किरायेदार के ऊपर नालिश बेदखली करे तो दफा १०६ कानून इन्तिकाल जायदाद के अनुसार ज़रूरी है कि उसने नालिश दायर करने से पहिले जायदाद खाली करने का नोटिस किरायेदार को दिया हो^२ और मुद्दई को अर्ज़ीदावे में जाहिर करना आवश्यक होता है कि वह ऐसा नोटिस दे चुका है या कि किसी कारण से उसका देना कानूनन लाजिमी नहीं था। अगर मुद्दायलेह नोटिस न दिये जाने या उसके कानूनन अपर्याप्त होने का एतराज करे तो उसको लिखना चाहिये कि खाली करने का नोटिस उसको नहीं दिया गया या कि जो नोटिस उसको दिया गया वह अमुक कारण से अपर्याप्त और बेकार है।

(२) इसी तरह पर जो नालिश सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौन्सिल इंडियन यूनियन के मुक़ाबले में था किसी सरकारी आफसर के ऊपर उसके ओहदे के काम के सम्बन्ध में दायर होती है उनमें नालिश दायर करने से पहिले दो महीने का नोटिस ज़ागता दीवानी को दफे ८० के अनुसार देना पड़ता है और अर्ज़ीदावे में यह लिखाना ज़रूरी है कि इस प्रकार का नोटिस दिया जा चुका है।

(३) जो नालिश म्यूनीसिपैलटी या कोर्ट आफ वाड्स पर दायर होती है उनमें भी दो महीने का नोटिस नालिश दायर करने से पहिले देना होता है।^३

(४) जो नालिश रेलवे पर दायर होती है उनमें दफे ७७ कानून रेलवे (एक्ट ६ सन् १८६०) के अनुसार यह जाहिर करना अर्ज़ीदावे में ज़रूरी होता है कि विनायदावे की तारीख से ६ महीने के अन्दर दावे का नोटिस ऐजेन्ट रेलवे या दूसरे आफिसर को जो उस दफा के अनुसार उसके लेने का अधिकार रखता हो, दिया जा चुका है।^४

(५) जो नालिश हुन्डी लिखने या बेचान करने वाले पर खरीदार की ओर से न सिकरने की दशा में होती है उसमें भी यह लिखना ज़रूरी होता है कि हुन्डी न सिकरने का नोटिस मुद्दायलेह को दिया जा चुका है।

^१ Sec 3, Transfer of Property Act (No IV of 1882).

^२ Sec 106, Transfer of Property Act

^३ Sec 80, Civil Procedure Code

^४ See Secs 77 and 140, Indian Railways Act (Act IX of 1890)

(६) जो नालिश तकमील मुआहिदे के लिये प्रथम खरीदार की ओर से पिछले दे, खरीदार पर दायर होती है उनमें सम्बन्ध खरीदार जब ही सफल हो सकता है जब वह यह साबित करे कि पिछले खरीदार को उसके मुआहिदे का नोटिस (इल्म या सूचना) खरीदारी करने के समय था । ऐसी नालिश में इल्म का वाक्या तब मुकदमा होता है और अर्जादावे में उसका लिखना जरूरी है ।

कानून मुआहिदा (एक्ट ६ सन् १८७२) की दफा २२६ के अनुसार ऐजेन्ट को नोटिस, मालिक को नोटिस होने के बराबर होता है ।^१

जहाँ पर प्लीडिंग में नोटिस का दिया जाना लिखना हो वहाँ पर वह एक घटना के रूप में लिख देना काफी होता है । यह लिखना आवश्यक नहीं है कि नोटिस या सूचना का विषय क्या था या वह किस प्रकार से दिया गया । परन्तु जिन दावों में सूचना के शब्द या वह बातें जिनसे सूचना प्रमाणित हो तात्पर्य मुकदमा हो तो ऐसी हालत में यह भी लिखना चाहिये ।^२

मालिक की तरफ से किरायेदार के विरुद्ध बेदखली की नालिशों में प्रायः भ्रगद्दा तारीख खाली करने मकान और मियाद किराये की होती है । इसी प्रकार मुहायदे की विशेष पूर्ति की नालिशों में यह कि नोटिस या सूचना दूसरे पक्ष को किस प्रकार से दी गयी, इलकी वहस होती है । रेलवे कम्पनियों के विरुद्ध दावों में नोटिस प्रमाणित करना आवश्यक होता है और प्रायः यह प्रश्न उठता है कि नोटिस उचित पुरुष को दी गयी या नहीं । इसलिये उन नालिशों में जिनमें दूसरे पक्ष को नोटिस दिया जाना आवश्यक हो ऊपर लिखी बातों पर ध्यान रख कर उसका घटित होना लिखना चाहिये ।^३

नियम नं० १२ (Order VI, Rule 12)

यदि कोई प्रतिज्ञा या सम्बन्ध किन्हीं मनुष्यों के मध्यस्त, सिलसिलेवार पत्रों या बात चीत या इसके अतिरिक्त और घटनाओं से पाया जावे तो उस प्रतिज्ञा या सम्बन्ध को एक घटना की तरह बयान करना और पत्रों या बात चीत या वाक्यात का हवाला देना काफी होगा । उनकी तफसील देने की जरूरत नहीं है और अगर ऐसी सुरत में वह पुरुष जो प्लीडिंग पेश करता है एक से अधिक प्रतिज्ञा या सम्बन्ध जो उन घटनाओं से पाये जाते हो, बदल की तरह बयान करना जरूरी समझे तो उसको अधिकार है कि उनको उस तरह से बयान करे ।

इस नियम का अभिप्राय यह है कि कोई मुआहिदा या दूसरा सम्बन्ध जिससे कानूनी हक पैदा होते हों, बहुत सी चिट्ठों या बात चीत से ठहरा हो तो प्लीडिंग में वह मुआहिदा या सम्बन्ध चिट्ठी या बात चीत के हवाले से, जैसी सुरत हो लिख देना काफी

^१ Contract Act (IX of 1872).

^२ A I R 1944, Pat 77 A I R.

^३ A I R 1924 Nagpur 162

होता है ।। जैसे तकमील मुआहिदे के मुकदमे में मुद्दई का अर्ज़ीदावे में यह बयान करना काफी हो सकता है कि उससे मुदायलोह ने जायदाद बेचने की प्रतिज्ञा ता०... .. व ता० के पत्रों के जरिये से किया ।

अगर इस प्रकार के पत्र व्यवहार से एक से अधिक प्रतिज्ञाओं के उत्पन्न होने की सम्भावना हो तो मुद्दई उन कुल प्रतिज्ञाओं का बदल की तरह पर बयान कर सकता है और बदल की दादरसी (alternative relief) माँग सकता है, जैसे एक ही पत्र व्यवहार से सम्भव है कि फरीकैन में बिक्री का मामला हुआ हो या रहन दखली का । यह दोनों कानूनी हक प्रगट करने के बाद बिक्री दादरसी के साथ रहन दखली की दादरसी बदल के तौर पर माँगी जा सकती है ।

नियम नं० १३ (Order VI, Rule 13)

किसी फरीक को कोई ऐसी घटना अपने प्लीडिंग में बयान करने की जरूरत नहीं है जिसका क्रयास कानूनी (legal presumption) उसके हक में हो या जिसके साबित करने का भार दूसरे फरीक पर हो, जब तक कि उससे पहिले साफ तौर पर इन्कार न किया जा चुका हो (जैसे हुन्डी का रूपया जब कि मुद्दई की नालिश हुन्डी के ऊपर हो और मुआवजा खास तरह पर विनाय-दावी न हो) ।

क्रयास कानूनी तीन तरह के होते हैं जो कानून शहादत की धारा में तफसील से बयान किये गये हैं ।^१ और उनके उदाहरण उसी कानून की अन्य ४ धाराओं में दिये हुये हैं । जो कानूनी क्रयास किसी फरीक के हक में हो, घटना की तरह प्लीडिंग में लिखने की उस फरीक को जरूरत नहीं होती, जब तक कि दूसरा फरीक उससे खुली तरह पर इन्कार न करे या उस क्रयास के विवाय और विनाय पर भी वह फरीक कोई दादरसी चाहता हो या किसी चाही हुई दादरसी से इन्कार करता हो—

उदाहरण १—अ ने व पर एक हुन्डी के रुपये की नालिश की दफा । ११८ कानून हुन्डी (Sec. 11 B. Negotiable Instruments Act) के अनुसार कानूनी क्रयास यह है कि हुन्डी बदल (मुआविज़े) के साथ होती है—इसलिये अ को अपने अर्ज़ीदावे में यह बात बतौर वाक्या लिखने की जरूरत नहीं है कि हुन्डी का बदल अदा हुआ था या हुन्डी मुआविज़ा देकर लिखी गई ।^२

२—अपर लिखी नालिश में अगर (ब) हुन्डी बे बदल होने का उज़र करे या

¹ I. L. R. 45 All. 35

² See Sec 4, Indian Evidence Act

³ 1943 Nag. L. J. 148

मुद्दै अरु हुन्डी की विनायदावी के सिवाय असल कर्जा या मुआविज्जे की विनाय पर भी दावा करता हो तो वह अपने प्लीडिंग में यह घटना कि प्रत्युत्कार या बदल दिया गया लिख सकता है ।

बहुत से मुकदमों में ऐसा होता है कि रुकका (प्रामेसरी नोट) या हुन्डी उचित स्टाम्प पर न होने या किसी दूसरी वजह से शहादत में पेश किये जाने के क्वाबिल नहीं होता, ऐसी नालिशों में मुआविज्जे की विनाय भी नालिश में रखना जरूरी होता है और अर्जीदावा इस तरह बनाना होता है कि रुकका या हुन्डी मिसल से निकाज़ दिये जाने पर भी मुद्दै के इक़ में असल मुआविज्जे की डिगरी हो सके और वह असल मुआविज्जे की जरूरी शहादत दे सके ।

नियम नं० १४ (Order VI, Rule 14)

हर प्लीडिंग पर फरीक के और उसके वकील के (अगर कोई हो) दस्तखत होंगे परन्तु यदि प्लीडिंग दाखिल करने वाला फरीक पक्ष मौज्द न होने या किसी अन्य उचित कारण से प्लीडिंग पर हस्ताक्षर न कर सके तो उसकी ओर से दस्तखत करने या नालिश या प्रतिवाद करने के लिये नियमानुसार नियत किया हुआ कोई आदमी हस्ताक्षर कर सकेगा ।

हर फरीक और उसके वकील को प्लीडिंग पर दस्तखत करना चाहिये और फरीक की ग़ैरहाजिरी में उसका मुखतार (सर्वाधिकारी या मुख्याधिकारी उसकी ओर से दस्तखत कर सकता है । एक मुकदमे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुद्दै की जबानी इजाज़त काफी मान ली है ।¹

इस नियम का अभिप्राय है कि प्रत्येक पक्ष अपने प्लीडिंग की ज़िम्मेदारी ले और वाद को यह भंगड़ा न उत्पन्न हो कि कोई अर्जीदावा या नयान तहरीरी उस पक्ष की अज्ञा या अनुमति बिना उसकी ओर से दाखिल किया गया ।²

समझ जाता दीवानी जो १८५६ ई० व १८७७ ई० में प्रचलित की गयी उनमें कोई विशेष दफा नहीं थी जिससे किसी पक्ष का एजेंट या मुखतार उसकी ओर से प्लीडिंग पर दस्तखत कर सकता हो । यह त्रुटि १६०८ के समझ में दूर कर दी गयी ।³

हस्ताक्षर या तस्दीक की भूल या गलती ऐसी गलती नहीं है जिसके कारण प्लीडिंग खारिज कर दी जावे । ऐसी भूल के सुधार के लिये दूसरे पक्ष को आक्षेप जल्द से जल्द करना चाहिये और ऐसी भूल या गलती का सशोधन अदालत की इजाज़त से किया जा सकता है ।⁴

¹ A I R 1943 Cal 13

² I L R 9 All 505, A I R 1925 Sindh 275.

³ I L R 25 All 431, I L R 4 Bom 468

⁴ I L R 39 All 343, I L R 54 All 57, I L R. 22 All 55.

नियम नं० १५ (Order VI, Rule 15)

(१) सिवाय इसके कि किसी समय के प्रचलित कानून में अन्य प्रकार का हुक्म हो, हर एक प्लीडिंग के नीचे पक्ष दाखिल करने वाला या दाखिल करने वालों पक्षों में से एक या कोई दूसरा आदमी जो अदालत के इतमीनान में मुकदमे के हालात से परिचिन होना साबित हो, तसदीक लिखेगा ।

(२) तसदीक करने वाला आदमी प्लीडिंग के नम्बरवार फिकरों के बारे में यह लिखेगा कि किनकी तसदीक वह ज्ञाती इल्म से करता है और किनकी उस इत्तला से जो उसको मिली है और वह जिसको सत्य विश्वास करता है ।

(३) तसदीक पर, तसदीक करने वाले के दस्तख़त होंगे और उसमें तारीख, जिस पर, और स्थान, जहाँ पर, दस्तख़त किये गये हो, लिखना होगी ।

तसदीक करने के लिये नियम यह है कि हर प्लीडिंग की तसदीक उसको पेश करने वाला पक्ष करता है । अगर पेश करने वाले कई मनुष्य हों और कुछ उनमें से तसदीक न कर सकते हों, या कुल तसदीक करने के योग्यकाबिल न हो तो उनमें से कोई एक या उनकी ओर से कोई और पुरुष, जो अदालत के विश्वास में मुकदमा के हालात से जानकारी रखता हो तसदीक कर सकता है ।¹

तसदीक हर फिकरे की बावत अरने जाता इल्म या इत्तला से जैसी परिस्थिति हो करनी चाहिये और तसदीक की तारीख व स्थान लिखना चाहिए और उसके नीचे हदस्ताक्षर किये जावें ।

जिस हालात में कोई फ़रक अपने प्लीडिंग की तसदीक खुद नहीं कर सकता तो उसके मुख्तार या पैरोकार को अदालत से इजाज़त हासिल करना होती है और इजाज़त के लिये दस्तख़ास्त और बयान हलफ़ी देना होती है और अदालत को इतमीनान दिलाना होता है कि वह वाक्यात मुकदमा से परिचित है ।²

जिस अदालत के सामने प्लीडिंग पेश किये जावें उसका यह कर्तव्य है कि यह देखे कि इस नियम के अनुसार उनको प्रमाणित कर लिया गया है और तसदीक उचित शब्दों में लिखी गयी है । जहाँ पर प्लीडिंग परदानशीन खियों की ओर से दाखिल की गयी हो वहाँ पर अदालत अपने आप को सन्तुष्ट कर सकती है कि वह प्लीडिंग उस खी को, जिसकी ओर से वह दाखिल की गयी है, सुना कर समझा दी गयी थी और उसकी अनुमति, अदालत में दाखिल करने के लिये प्राप्त करली गयी थी ।³ परन्तु ध्यान रहे कि यदि

¹ I L R 17 Cal 680 (P O)

² I L R 26 All 154 ; I L R 4 Bom 468 (F B).

³ 43 I A. 212, I L R. 38 All. 627 (P O)

दूसरा पक्ष उपस्थित न हो तो एक तरफा फैसले के लिये ऐसी तसदीक प्रमाण का स्थान नहीं ले सकती और उसके अतिरिक्त सबूत देना आवश्यक होता है ।¹

जैसा नियम नं० १४ के नेट में ऊपर लिखा गया है तसदीक की गलती या भूल का सुधार अदालत की आज्ञा से किया जा सकता है । और दूसरे पक्ष को ऐसी त्रुटि जल्द से जल्द मौके पर दिखाना चाहिये ।²

नियम नं० १६ (Order VI, Rule 16)

अदालत को किसी स्थिति मुकदमा पर अधिकार है कि किसी प्लीडिंग में से किसी ऐसे मामले को निकालने या संशोधन करने का हुक्म देवे जो अन आवश्यक या अपमान युक्त हो या जिससे मुकदमे के निर्णय में अन्याय, उल्लंघन या देर होने का भय हो ।

इस क्रायदे से एक फरीक को दूसरे फरीक के प्लीडिंग, अदालत के हुक्म के द्वारा संशोधन व तरमीम कराने का अधिकार दिया गया है और यह ऐसा हक है जिससे भारत संघ में लोग बहुत कम फायदा उठाते हैं ।

जो प्लीडिंग अनावश्यक व आकार में लम्बे चौड़े हों, या अनुचित शब्दों से भरे हों उनको तरमीम कराने की दरखवास्त देना दूसरे पक्ष का ज़रूरी काम है और ऐसा करने से ही प्लीडिंग की वर्तमान दशा सुधर सकती है परन्तु यह प्रयत्न जब ही सफल हो सकता है जब अदालत भी इस ओर ध्यान दे । साधारणतया यह देखा है कि न्यायाधीश लोग इस तरह की दरखवास्त को अच्छी निगाह से नहीं देखते और एक तरह से अपना समय नष्ट करना समझते हैं । यदि उनको यह प्रतीत हो जावे कि थोड़े दिन के बाद उनको अपना ढग बदलने और प्लीडिंग की छान बीन और दुरस्ती करने से बहुत कुछ सुगमता मिलेगी तो प्लीडिंग की प्रणाली उत्तम हो जावेगी ध्यान रहे की अदालत, बिला किसी पक्ष की दरखास्त के, स्वयं प्लीडिंग संशोधन का हुक्म दे सकती है ।³

जो वाक्यात तल मुकदमा न हों या जो फरीकैन का मुकदमा या आपसी सम्बन्ध समझने में मदद न देते हों वे औरज़रूरी होते हैं और उनके प्लीडिंग से निकाले जाने का हुक्म दिया जा सकता है ।⁴

इसी तरह एक फरीक का दूसरे को वेईमान—चालाक—मक्कार—दगाबाज़ कहना या बिना कारण बददयानत बतलाना या उसको कोई दोष लगाना या किसी बदनाम गिरोह या पार्टी का मेम्बर, सरगना, वगैरह बयान करना सब अपमान युक्त शब्द हैं और

1 I L R 43 Cal 1001

2 I L R 20 All 442, I L R. 54 All 57; I L R. 46 All 637

3 I L R 40 Mad 365, F B

4. 114 I. C. 906 (All).

जब तक कि वह मुकद्दमे में तत्त्व मुकद्दमा न हों प्लीडिंग से निकालने के योग्य होते हैं ।¹

बहुत सी घटनाएँ ऐसी होती हैं जिनके प्लीडिंग में रहने से अदालत के दिल पर एक फरीक या उसकी शहादत की निस्वत बुरा खयाल पैदा होता है । न्यायाधीश आखिर मनुष्य ही होते हैं और ऐसा खयाल और बुरा गुमानी पैदा हो जाने से अन्याय हो जाने का डर होता है । कुछ वाक्यात से मुकद्दमे के सुनने में परेशानी और देर होती है ।² इस तरह के वाक्यात के लिये प्लीडिंग में कोई स्थान नहीं होना चाहिये सिवाय उन मुकद्दमों के जिनमें ऐसे वाक्यात तत्त्व मुकद्दमा हों ।

नियम नं० १७ (Order VI, Rule 17)

अदालत किसी नौबत कार्रवाई मुकद्दमे पर, किसी पक्ष को आज्ञा दे सकती है कि वह अपने प्लीडिंग को उस प्रकार से और उन शर्तों पर जो न्यायानुकूल हो बदल दे, या तरमीम करे और ऐसे सब संशोधन कर दिये जावेंगे जो पक्षों के मध्य असली विवाद का निपटारा करने के लिये आवश्यक हों ।

कमी २ ऐसा होता है कि दूसरे फरीक के बहीखाते या कागजात मुआइना करने या बन्द खवालात के जवाब से या अन्य प्रकार पर एक फरीक को अधिक हालत मालूम हो जाते हैं, या किसी गलती या भूल या कानूनी कमी की वजह से किसी फरीक को अपने प्लीडिंग तरमीम कराने की जरूरत होती है । इस नियम से अदालत को अधिकार दिया गया है कि वह किसी नौबत मुकद्दमे पर किसी फरीक को अपने प्लीडिंग न्यायानुकूल और विशेष शर्तों पर बदलने या तरमीम करने की इजाजत देवे, मगर तरमीम सिर्फ ऐसी होगी जो असल झगड़े फरीक़ैन का तसक्रिया करने के वास्ते जरूरी हो ।

इस नियम का अभिप्राय है कि अदालत उन मुकद्दमों में जो उसके सामने पेश हों असली झगड़ा फैसला करे और इस विचार से जो कुछ सुधार अथवा संशोधन, उचित हों, उनकी आज्ञा दे देवे । परन्तु ध्यान रहे कि ऐसा करने से दूसरे पक्ष के साथ कोई अन्याय न होता हो ।

¹ Davy v Garret, 7 Ch Div 473, Per Braund, J in S P Jain v Sheo Datt (A L R 1946 All 213—1946 A, W R 354)

"It is far too common to find invective masquerading as pleading.....I hope that lawyers whose duty, both to their profession and to the court, it is to see that pleadings are properly framed, will set their face against this practice and whenever they do not, that Masters and Subordinate Judges will make strict use of those rules provided by the Civil Procedure Code for ensuring that the proper principles in practice of pleading are observed."

² I L R 22 Mad 155 (160)

³ Per Bowen, L J in Cropper v. Smith, 26 Ch Div. 700 (710)

यह नियम दरख्वास्त अथवा अन्य प्रार्थना पत्रों के संशोधन के लिये भी लागू होता है।¹ ज़ाब्ता दीवानी के संग्रह में भिन्न भिन्न प्रकार के संशोधन के लिये नियम पृथक पृथक दिये गये हैं। अदालत की आज्ञा, तजवीज़ और डिगारियों का संशोधन धारा ११२ के अनुसार हो सकता है।² धारा ११३ में अदालत को प्रायः पूर्ण अधिकार संशोधन व सुधार के लिये दिया गया है और अदालत मुकद्दमें की, और उससे सम्बन्धित कार्यवाही की किसी समय पर और किसी दशा में, त्रुटि या गलती का सुधार कर सकती है।³

आर्डर १ नियम नं० १० के अनुसार दावे में फरीक़ैन घटाये बढ़ाये जा सकते हैं।⁴ और आर्डर ६ नियम नं० १६ के अनुसार एक पक्ष दूसरे पक्ष की प्लीडिंग का अदालत की आज्ञा से संशोधन व खण्डन कर सकता है।⁵ वर्त्तमान नियम के अनुसार एक पक्ष अपने ही प्लीडिंग को अदालत की आज्ञा से तरमीम कर सकता है और आर्डर १४ नियम नं० ५ के अनुसार मुकद्दमे की तनकीहात का सुधार किया जा सकता है।⁶

इस कायदे के असली भाग ४ नियम हैं।

(१) तरमीम की इजाज़त किसी नौबत मुकद्दमे पर दी जा सकती है यहाँ तक कि अपील दोयम तक में तरमीम हो सकती है। (A. I. R. 1941 Pat. 399; 1940 Lah. 256; 1941 Cal. 1 ; 56 All. 428; 1937 P. C. 42)

(२) तरमीम व बदल ऐसे प्रकार या तरह पर करने की आज्ञा दी जावेगी जो न्यायानुकूल हो, जिसका यह अभिप्राय है कि अगर किसी फरीक़ का जायज़ हक़ किसी कमी या गलती की वजह से मारा जाता हो तो उसके दूर करने के लिये तरमीम का अवसर दिया जावेगा। एक फरीक़ के दूसरे फरीक़ पर बेजा फ़ायदा या फ़ावू हासिल करने के लिये तरमीम की इजाज़त न दी जावेगी। (I. L. R. 58 All. 505; I. L. R. 33. Bom. 644 (649); A I. R. 1923. Lah. 505; 1944 Bom. 197.)

(३) दूसरी शर्तें जो न्यायानुकूल हो उसके साथ लगाई जा सकती हैं जैसे हर्ज़ा दिलाना और दूसरे फरीक़ के काट के लिये और नई शहादत तहरीरी या ज़बानी दाखिल करने का मौक़ा दिया जाना। (A. I. R. 1928 Oudh 305; 1927; Mad. 182; 13 I. C. 128).

(४) असल भगड़े के तसक्रिये के लिये जो तरमीम जरूरी हों वह की जावेगी

1 A I R. 1938 Pat. 209.

2 Sec 152, Civil Procedure Code

3 Sec 153, Civil Procedure Code

4 Order I, Rule 10, Civil Procedure Code

5 Order 6, Rule 16, Civil Procedure Code

6 Order 14, Rule 5, Civil Procedure Code.

जिसके यह मानी हैं कि ऐसी तरमीम नहीं की जावेंगी जिनके मुकद्दमे का प्रकार (Nature) बदलता हो और भ्रगड़े वाली बातें कुछ से कुछ हो जाती हों। (I. A. Supp. 131 P.C.; 9 All. 188 ; 1942 Lah. 1 F. B. ; I. L. R. 34 Cal. 372).

नियम नं० १८ (Order VI, Rule 18)

यदि कोई फरीक जिसको तरमीम की इजाजत का हुक्म मिल गया हो, उस अवधि के अन्दर जो उस हुक्म से उस काम के लिये नियत की गई हो, या अगर उसमें कोई अवधि न मुकर्रर की गई हो तो हुक्म की तारीख से १४ दिन के अन्दर, तरमीम न करे तो बाद गुजरने नियत मियाद के या १४ रोज़ के, जैसी सूरत हो, वह फरीक तरमीम नहीं कर सकेगा जब तक कि अदालत मियाद न बढ़ा देवे।

इस क़ायदे का सारांश यह है कि तरमीम नियत की हुई मियाद के अन्दर कर देनी चाहिये। अगर अदालत ने कोई मियाद नियत न की हो तो १४ दिन के अन्दर कर देनी चाहिये। यदि ऐसा न किया जावे तो तरमीम की इजाजत का हुक्म बेकार हो जाता है, या जब तक अदालत मियाद न बढ़ावे तरमीम नहीं हो सकती।¹

अदालत को सुहलत देने और मियाद बढ़ाने का अधिकार मियाद समाप्त होने से पहिले और मियाद समाप्त होने के बाद दोनों दशाओं में होता है और ज़ान्ता दीवानी की दफ़ा १४८ ऐसी मियाद बढ़ाने में लागू होती है।²

संशोधन के साधारण अधिकार, अदालत को दफ़ा १५३ ज़ान्ता दीवानी समझ में दिये गये हैं और अदालत किसी अवसर पर किसी काररवाई की भूल चूक या ग़लती दूर कर सकती है यहाँ तक कि विशेष दशाओं में अपील दायम फैसल हो जाने के बाद भी अज़ीदावा व डिगरी तरमीम हो सकती है।

जो नियम क़ायदा नं० १७ की व्याख्या में दिये हैं उनका तरमीम करने में हमेशा ध्यान रक्खा जाता है।

¹ I L R 1942 Karachi (P C), 60 I C. 376 ; 1940 Mad 641

² I L R 16 Brm 263 , 4 I C 492 See Sec 148, C P O

प्रथम भाग

द्वितीय अध्याय

वाद पत्र या अर्जीदावा

अर्जीदावा, मुद्दई की नालिश की नींव का पत्थर होता है जिस पर मुकदमें का भवन उठाया जाता है। पुष्ट नींव पर हर प्रकार की इमारत मजबूत बन सकती है इसी प्रकार से योग्य और उचित अर्जीदावा बन जाने पर मुद्दई के मुकदमे में कानूनी त्रुटियाँ खराबी आने का भय कम हो जाता है। यदि अर्जीदावा ठीक और यथेष्ट नहीं होता तो तरह २ की खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। बहुत सी त्रुटियाँ ऐसी होती हैं जिनका दूर करना बहुधा कठिन और कभी २ असम्भव हो जाता है।

प्रतिष्ठत कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जो फैसला होने से पहिले या अपील में वापस लेने पड़ते हैं और दुबारा नालिश करने की इजाजत अदालत से हासिल करनी होती है। कभी २ ऐसा होता है कि अर्जीदावे की खराबी प्रथम अपील या अपील द्वितीय के सुनने के समय प्रतीत होती है और उस समय उसके दूर करने का कोई उपाय नहीं रहता और बहुत सा खर्च हो जाने पर भी मुद्दई अपने ऐसे हक पाने में असफल रहता है जो उसके कानून से मिलना चाहिये था। सैकड़ों अच्छे मुकदमे झीड़झक की खराबी से बिगड़ जाते हैं और मुद्दई को वह फल नहीं मिलता जो न्याय और नीति दोनों से उसके मिलना चाहिये था।

इसलिये आवश्यक है कि अर्जीदावा बहुत सोच विचार के बाद लिखा जावे और उस व्यवहार की हर ओर से जाँच परताल करने और ऊँच नीच समझने के बाद उसके लिखने को लेखनी उठाई जावे।

सादा और मामूली तमसुक व कर्ज़ इत्यादि की नालिशों को छोड़ कर बहुत भगड़े और पेच पेच के मामलों के अर्जीदावे जो लोग वे सोचे विचारे जल्दी से लिख देते हैं उनको बहुधा पछताना पड़ता है। कभी सशोधन की दफ्तास्त देनी होती है, कभी किसी धारा को बदलना, बदलना या बदलना पड़ता है, कभी विनायदावी आगे पीछे की जाती है, कभी एक विनायदावी की जगह दूसरी विनायदावी रखी जाती है या दोनों जोड़ी जाती है और इस वजह से कभी २ नये मुद्दई या मुद्दायलह बनाये जाते हैं।

इन सब दशाओं में कष्ट और साधारण व्यय के अतिरिक्त दूसरे फ़रीक़ को हज़ा देना पड़ता है। मुकदमे में वेमत्तलव का बढ़ाव और फैलाव होता है। दूसरा पक्ष

मुद्दै की सन्चाई और ईमानदारी पर आक्षेप करने का अवसर पाता है और तरह २ की शिकायत पैदा हो जाती है। कभी २ यह विरोध उत्पन्न हो जाता है कि एक तरह का मुकदमा तरमीम से दूसरी तरह का मुकदमा हुआ जाता है। ये सब त्रुटियाँ सोच विचार और समझ भूझ कर अर्जीदावा तैयार किये जाने पर बहुत कम होती हैं। और दूसरे पक्ष को एतराज़ के अवसर बहुत कम हो जाते हैं।¹

इसमें सन्देह नहीं कि उत्तम और उचित अर्जीदावा तय्यार होना बहुत कुछ वकील की योग्यता, समझ और ऊँच नीच व आगा पीछा देख लेने पर निर्भर है, परन्तु साधारण योग्यता का वकील भी, यदि वह सावधानी और समझ से काम ले तो ऐसा अर्जीदावा बना सकता है जो असावधानी से बने हुये अर्जीदावों की त्रुटियों और दोषों से रहित होगा।

कोई वकील किसी पक्ष के मुकदमे को उससे अधिक पुष्ट और सफलता योग्य नहीं बना सकता जितना कि वह असल में है, लेकिन उसके मुकदमे को सब से अच्छी दशा में अदालत के सामने रखना योग्य वकील का कार्य है। उसका कोई पहलू या हालत ऐसी न छूट जावे या रह जावे जो उस पक्ष की सफलता में रोक डालने वाली हो या जिससे उसके मुकदमे में कोई कानूनी खराबी पैदा हो जाती हो।

इस कर्तव्य को उत्तम और उचित रूप से पूरा करने के लिए पहला काम जो वकील को करना चाहिये वह यह है कि मुद्दै या उसके पैरोकार से, जो मुकदमे के हाल पूर्ण रूप से जानता हो, उन कुल हालात का ध्यान से सुने और सुनने में जल्दी न करे और न अधोर हो। जो वकील ऐसा नहीं करते उनको बहुत से मुकदमों में पूरे वाक्यात नहीं मालूम होते और अधूरे वाक्यात पर अर्जीदावा बना देते हैं जिसमें तरह २ की खराबी रह जाती है। हालात सुनने में यह जानने की कोशिश की जावे कि मुद्दै की असल शिकायत क्या है और वह क्या दादरसी, किस तरह से चाहता है।

सुगमता के लिये कुल हालात तारीखवार, क्रम से नोट कर लेने चाहिये। यदि मुद्दै कोई वंशावली, खानदानी कुर्सीनामा या शिजरा या दायभाग का क्रम बयान करे तो वह भी लिख लिया जावे। अगर मामला ऐसा हो जिसमें कुछ आदमियों के पैदा होने या मरने की तारीख जरूरी हैं या कोई खास तरीका उनकी विचारत का हो, तो वह भी नोट कर लिया जावे। कोई दाय भाग के सम्बन्ध में रिवाज जैसे गद्दीनशीनी, लश्कियों के हिस्सा न मिलना, इत्यादि बयान किया जावे तो वह भी लिख लिया जावे।

इसी तरह जिस जायदाद का भूगङ्गा हो, उसकी तफसील, वह कब और किस तरह पैदा हुई, और किसके कब्जे में रही, और उसका क्या उपयोग रहा, और मुद्दै का हक उसमें कब और किस तरह पैदा हुआ और मुद्दायलेह किस वजह से मुद्दै को उसका हक देने से इनकार करता है, यह सब बातें नोट की जावें। इसी सम्बन्ध में कोई नक़शा, गोशवारा, फेहरिस्त या याददाश्त बनाने की आवश्यकता हो तो वह भी बनवा ली जावे।

जो तहरीर दस्तावेज़, और कागज़ मुद्दई या उससे पैरोकार के पास भगड़े वाली जायदाद के सम्बन्ध में हों, उनको वकील ध्यान से पढ़ें और उनमें जो दूसरी दस्तावेजों का हवाला हो जिनसे वर्तमान भगड़े पर प्रकाश पड़ने की सम्भावना हो उनकी असल या नकल मंगा कर देखें, और उनके सिवाय अन्य दस्तावेज जो भगड़े वाले मामले से सम्बन्ध रखते हों मंगा कर देखें।

किसी दस्तावेज के लेख या उसके मजमून के बारे में मवकिल के ज़बानी बयान पर भरोसा न किया जावे। किसी दस्तावेज या उसकी जान्ते की नकल देखें बिना उनके मजमून का बयान अर्जीदावे में करना उचित नहीं होता। अनुभव में आया है कि मवकिल लोग वकीलों से ऐसे बयान अर्जी नाशिल में लिखवा देते हैं जिनका सावित करना दस्तावेज के मजमून से कठिन होता है और कभी २ मामलों की असली सूरत कुछ से कुछ हो जाती है।

सब से उच्चम नियम यह है कि अर्जी नाशिल बनाने से पहिले सब कागज़ और दस्तावेज जिनका मुकदमे से किसी प्रकार से लगाव या सम्बन्ध हो और जो फ़रीक ला सकता हो, देख और पढ़ लिये जावें। यदि किसी अदालत की मिसल का मुआहना कराना ज़रूरी हो तो वह भी करा लिया जावे। मतलब यह है कि हम तरह की कोशिश और तलाश से मामले का हर पहलू वकील की निगाह के सामने आ जायगा और वह यह देख सकेगा कि सबसे अच्छा और सुभीते का रास्ता मुद्दई की दादरसी का कौन सा है और किस तरह की जवाबदही मुद्दायलह की ओर से अनुमान से हो सकती है या होगी और उसका जवाब मुद्दई की ओर से क्या होगा। उस जवाब पर निगाह रखते हुये आवश्यक चठनाएँ अर्जीदाया में लिखी जावें।

बहुत पुराने मामलों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये। पुराना रहन छुड़ाने के मुकदमे में मुद्दई को न सिर्फ रहन का होना, उसकी तारीख, और रहन के रुपये की तादाद, जायदाद का पता, और दूसरी शर्तें सावित करनी पड़ती हैं बल्कि यह भी सावित करना पड़ता है कि मुद्दई का रहन छुड़ाने का हक अब तक आयम है। इन सब बातों को सावित करने के लिये ज़रूरत होती है कि रहन के समय से हाल तक की पूरी तहकीकात ऊपर के सब मामलों के सम्बन्ध में की जावे और ऐसा करने में राहिन, मुर्तहिन और उनके प्रतिनिधियों की यथावली उनके बयान, उनके लिखे हुये दस्तावेज, खेवट, वाजिबुलअर्ज़, दस्तर देही आदि कागज़ देखना चाहिये तब ठीक अर्जीदाया बन सकता है। ऐसी नाशिल में केवल जायदाद का पता लगाने के लिये बहुत से कागज़ दाखिल करने और देखने पड़ते हैं।

निम मुकदमे में किसी रीति या रिवाज की बहस होती है उसके लिये मिसालों की तलाश करना और उन अदालती फैसलों का इकट्ठा करना जिनमें वह रिवाज या चलन माना या न माना गया हो ज़रूरी होता है।

इसी सम्बन्ध में यह देखना ज़रूरी है कि मुद्दई का हक कब पैदा हुआ और कौन सी धारा कानून मियाद की उसमें लगती है, और मियाद गुज़र गई है तो गुज़री हुई मियाद के अन्दर कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई जो उस मियाद को बढ़ाती हो जैसे दफा १९ कानून मियाद के अनुसार कोई इकबाल या धारा २० कानून मियाद (Sections 19, 20, Limitation Act) के अनुसार असल या सूद या दोनों का अदा होना। इसके सिवाय यह कि मुद्दई हक नालिश पैदा होने के समय अवश्यक (नाबालिग) या पागल था या ब्रिटिश इंडिया से बाहर तो नहीं था, यदि था तो अयोग्यता कितने दिन तक रही और कब दूर हुई।

इसके साथ यह भी ध्यान रक्खा जावे कि मुद्दई अपनी दादरसी के लिये पहिले किसी अदालत में कोई कार्रवाई उस सिलसिले में कर चुका है या कर रहा है और वह कार्रवाई क्या थी, कितने दिन तक चलती रही और अन्तिम नतीजा क्या हुआ और किस वजह से कामयाबी नहीं हुई। इस खोज से मियाद के अतिरिक्त पुर न्याय (Res Judicata) और अदालत के मुकदमा सुनने के अधिकार (Jurisdiction) के मसलों पर भी प्रकाश पड़ता है और मालूम हो जाता है कि मुद्दई का दावा किसी पहिली मुकदमाबाज़ी या अज्ञात समाप्त मुकदमा सुनने का अधिकार न होने से असफल होने योग्य तो नहीं है।

इन सब बाज़ों को निगाह के सामने रखते हुए अर्ज़ीदावा तैयार करना चाहिये।

प्रार्थना पत्र या अर्ज़ीदावे के जो भाग होते हैं और जिस क्रम से वह लिखा जाना चाहिये वह ज्ञानता दीवानी के आर्डर ७ में दिये हुए हैं। उस आर्डर को आवश्यक व्याख्या समेत नीचे देते हैं—

आर्डर ७

अर्ज़ीदावा

नियम न० १—अर्ज़ीदावे में नीचे लिखी बातें दर्ज होगी—

- (अ) नाम उस अदालत का जिसमें नालिश दायर की जावे—
- (ई) नाम, पता और रहने का स्थान मुद्दई का —
- (क) नाम, पता और रहने का स्थान मुद्दायलेह का जहाँ तक मालूम हो सकता हो—
- (क) यदि मुद्दई या मुद्दायलेह नाबालिग या बुद्धिहीन (पागल) हो तो यह घटनाएँ कि वह ऐसा है।
- (ख) वह घटनाएँ (वाकियत) जिनसे नालिश का अधिकार उत्पन्न हो और यह कि वह कब पैदा हुआ—

- (ग) वह घटनाएँ (वाक्यात) जिनसे यह प्रकट हो कि अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त है।
- (घ) दाखरी, जिसका मुद्दा दावेदार हो—
- (च) जहाँ मुद्दा ने मुजराई दी हो या अपने दावे का कोई भाग छोड़ दिया हो तो मुजरा दिये हुये या छोड़े हुये मतालबे की संख्या।
- (छ) अदालत का मुकदमा सुनने के अधिकार और कोर्ट फीस के मतलब के लिये मुकदसे में जिस चीज का भ्रगड़ा हो उसकी मालियत, और उसका विवरण जहाँ तक मुकदमे का उससे सम्बन्ध हो।

(अ) नाम उस अदालत का जिसमें नालिश दायर की जावे—

यह निश्चय करने के लिए कि दावा किस अदालत में दायर किया जावेगा दो बातों पर ध्यान रखना चाहिये। पहली, मुकदमें की मालियत, दूसरी बिनायदावाया हक नालिश का पैदा होना।

(१) मालियत या तायून के सम्बन्ध में जाता दीवानी संग्रह की धारा १५ में नियम दिया हुआ है कि प्रत्येक मुकदमा सब से छोटे श्रेणी की अदालत में, जो उसके सुनने का अधिकार रखती हो, दायर किया जावेगा (See Section 15, C. P. C.)

खफ्रीफा की अदालतें, उन अदालतों की निस्वत जिनको नम्बरी मुकदमा सुनने का अधिकार होता है, छोटे दर्जे की अदालतें समझी जाती हैं और कानून खफ्रीफा (Provincial Small Cause Courts Act, Act IX of 1887) की धारा १६ के अनुसार जिन मुकदमों का अदालत खफ्रीफा से निर्णय हो सकता हो उनको दूसरी अदालत नहीं सुन सकती हैं। इसलिये उन मुकदमों को जिनकी मालियत ५००) से अधिक न हो (और ऐसे स्थानों में जहाँ अदालत खफ्रीफा का अधिकार १०००) है, वहाँ १०००) ५० से अधिक न हो) और वह मुकदमें नकद रुपये के सम्बन्धित हो, तब ऐसे मुकदमें अदालत खफ्रीफा ही में दायर करने चाहिये।

जो नालिश खफ्रीफा की अदालतें नहीं सुन सकतीं वह अदालत मुन्सफी, सिविल जजी या जिला जजी में, जिनको उनके सुनने का अधिकार हो दाखिल करना चाहिये। भारतीय संघ (Indian Union) में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद, पटना, और नागपुर के हाई कोर्टों के अतिरिक्त जो कि सम्राटीय चार्टर से स्थापित की गई थीं, गवर्नर जनरल के पास किये हुये भिन्न भिन्न कानूनों से नीचे लिली हुई अदालतें स्थापित की गई हैं।

प्रेसिडेन्सी नगरों के छोड़कर मुद्रिसल को दीवानी अदालतें प्रायः चार प्रकार की होती हैं :—

(१) अदालत जिला जज ।

(२) अदालत सिविल जज या सर्वाडिनेट जज प्रथम श्रेणी

(३) अदालत जिला मुन्सिफ या अन्य मुन्सिफ या सर्वाडिनेट जज द्वितीय श्रेणी

(४) अदालत जज खफीफा ।

पहली दो प्रकार की अदालतों के आर्थिक अधिकार की कोई सीमा नहीं है और यह अदालतें हर प्रकार के मुकदमों सुन सकती हैं चाहे उनकी मालियत कितनी भी हो ।

मुन्सिफों के आर्थिक अधिकार प्रायः ५०००) रु० से अधिक नहीं होते और कहीं कहीं पर केवल २०००) ही होते हैं । खफीफा के मुकदमों का निर्याय करने का अधिकार न्यायाधीश के अनुभव के अनुसार दिया जाता है और प्रायः १००) रु० तक होता है । जहाँ पर खफीफा की अदालत पृथक् होती है वहाँ पर उनके आर्थिक अधिकार १०००) रु० तक दिये गये हैं ।^१

(संयुक्त प्रान्त में ऐसी अदालतें आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ और मुगदाबाद में स्थित हैं)

बम्बई, पंजाब व मध्य प्रान्त में अदालत सिविल जज को अदालत सर्वाडिनेट जज प्रथम श्रेणी की कहते हैं और अदालत मुन्सिफ को अदालत सर्वाडिनेट जज द्वितीय श्रेणी कहते हैं ।

सर्वसाधारण के हित के लिये जो ट्रस्ट स्थापित किये जाते हैं या जिनका किसी धार्मिक कार्य से सम्बन्ध हो उनकी वास्तु ट्रस्टी इटाये जाने, नये ट्रस्टी नियत करने या प्रबन्ध प्रणाली नियत करने इत्यादि के दावे ज्ञाता दीवानी की धारा ३२ के अनुसार अदालत जिला जज में दाखिल होते हैं । और कानूनी उत्तराधिकार (Indian Succession Act, Act XXXIX of 1925) और ईसाई धर्म के अनुयायियों के विवाह सम्बन्धित मुकदमों में (under the Indian Divorce Act, IV of 1869) अदालत जिला जज या अदालत हाई कोर्ट में दाखिल होते हैं ।

बहुत से प्रान्तों में स्थानीय कानून प्रचलित हैं जिनके अनुसार विशेष मुकदमों में माल की अदालतों में दाखिल होते हैं और उन मुकदमों से अदालत दीवानी का कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इसलिये जहाँ आवश्यकता हो ऐसे प्रान्तीय या स्थानीय कानून को मुकदमा दायर करने से पहले अवश्य देख लेना चाहिये ।

विनाय दावा या हक नालिश के सम्बन्ध में ज्ञाता दीवानी संग्रह की धारा १६, १७,

^१ Presidency Act III of 1873, For Bengal N. W. P. and Assam Act XII of 1887

१८, १९ और २० हैं जिनका सारांश यह है कि अचल सम्पत्ति (जायदाद गैरमनकूला) स्थित के दावे उस अदालत में दायर होते हैं जिसकी अधिकार सीमा के अन्दर वह जायदाद स्थित हो और चल सम्पत्ति (जायदाद मनकूला) और किसी मनुष्य के व्यक्तिगत हानि पहुँचाने पर हज़ों के दावे, मुद्दई की इच्छानुसार उस अदालत में दायर होते हैं जिसकी अधिकार-सीमा के अन्दर नुकसान पहुँचाया गया हो, या जिसकी अधिकार-सीमा के अन्दर मुद्दायलेह रहता हो या कारबार करता हो, या लाभ के हेतु कार्य करता हो ।

इन नियमों के अनुसार प्रत्येक दावा उस अदालत में दायर किया जावेगा जिसके कि अन्वय्यार समाश्रत की अधिकार-सीमा के अन्दर—

(अ) मुद्दायलेह और जब एक से अधिक मुद्दायलेह हों तो हर एक मुद्दायलेह मुक़दमा दायर करने के समय वास्तव में और अपनी खुशी से रहता हो या कारबार करता हो या मुनाफे के लिये काम करता हो, या ।

(ब) मुद्दायलेहम में से कोई एक (जहाँ एक से अधिक हों) मुक़दमा दायर करने के समय वास्तव में और अपनी खुशी से रहता हो या कारबार करता हो या अपने फायदे के लिये काम करता हो परन्तु शर्त यह है कि ऐसी हालत में या तो अदालत ने आज्ञा दे दी हो या मुद्दायलेहम जो ऊपर लिखी तरह न रहते हों या कारबार न करते हों या आप मुनाफे के लिये काम न करते हों, ऐसा दावा दायर होने में रज़ाबन्द हों, या—

(स) विनाय दावा, पूर्ण या अंशित उत्पन्न हुआ हो ।

अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले दखल, बटवारा या विभाजन, रहन होने पर नीलाम और इनफिकाक, भार की पूर्ति इत्यादि के दावे वहीं पर दायर होंगे जिस अदालत की अधिकार सीमा में ऐसी अचल सम्पत्ति स्थित हो । यदि भगड़े की जायदाद एक से अधिक अदालतों की अधिकार सीमा में स्थित हो तब दावा उनमें से किसी एक अदालत में मुद्दई की इच्छानुसार दायर किया जा सकता है ।

प्रतिश्रा भंग होने पर दावा करने का स्वत्व वहाँ पैदा होता है जहाँ पर (१) प्रतिश्रा या मुद्दाइदा किया गया हो या (२) जहाँ पर ऐसी प्रतिश्रा को भंग किया गया हो या (३) जहाँ पर उसके सम्बन्ध में कोई रूपया दिया लिया गया हो या दोनों पक्षों में और कोई कार्य करना नियत किया गया हो^१

उदाहरण—यदि एक पुरुष ने स्थान देहली में २०० बोरे सरसों मुद्दई को स्थान बम्बई में देने और उसका मूल्य मुद्दई के फर्म से जो कि स्थान पटना में स्थित है, लेने की प्रतिश्रा की और उसका रहने का स्थान कलकत्ता हो तो प्रतिश्रा भंग होने पर दावा इन चारों शहरों में दायर किया जा सकता है क्योंकि देहली, बम्बई और पटना में विनाय दावा पैदा हुआ और कलकत्ता मुद्दायलेह के रहने का स्थान था ।

अदालत का मुकदमा सुनने का अधिकार (अखत्यार समाप्त) प्रार्थना पत्र या अर्जीदावा के बयानों पर निर्भर होना है¹ कभी कभी फरीकैन में मुआहिदा हो जाता है। कि यदि उनमें किसी व्यवहार या व्यवसाय का झगड़ा उत्पन्न होगा तो किसी विशेष अदालत में दायर किया जावेगा, यदि ऐसी प्रतिज्ञा हो तो दावा नियत अदालत में ही दायर करना चाहिये²

संयुक्त प्रान्त में U. P. Agriculturists' Relief Act की धारा, के अन्तर्गत काश्तकार के विरुद्ध दावा उसी अदालत में दायर किया जा सकता है जिसकी अधिकार सीमा में वह रहता हो न कि जहाँ उसका मोरूची निवास स्थान हो³ मुदायलेह के निवास स्थान का नालिश दायर करते समय ध्यान रखना चाहिये।

(ई) व (ऊ) नाम पता व रहने का स्थान मुद्दई का और मुदायलेह का जहाँ तक मालूम हो सकता हो।

जाता दीवानी संग्रह के आर्टिकल १ नियम नं० १ के अनुसार।

“वह सब मनुष्य एक मुकदमे में मुद्दई सम्मिलित किये जा सकते हैं जिनके किसी एक ही कार्य या मामले या कर्ष्यों या मामलों के सिलसिले की बाबत, या उनके सम्बन्ध में, किसी दादरसी का हक होना बयान किया जाता हो, चाहे सम्मिलित हो कर पृथक् २, या उनमें से किसी को, जहाँ यदि ऐसे आदमी पृथक् २ दावा दायर करते, तो घटनाओं या कानून के समान प्रश्न उत्पन्न होते”।

इसी प्रकार से उसी आर्टिकल के नियम ३ के अनुसार “वह सब मनुष्य मुदायलेह बनाये जा सकते हैं जिनके विरुद्ध में कोई दादरसी का हक एक ही कार्य या व्यवहार या कई कर्ष्यों या व्यवहारों में होना बयान किया जाता हो, चाहे सम्मिलित होकर या पृथक् २ या उनमें से किसी पर, जहाँ कि पृथक् २ दावे ऐसे मनुष्यों के विरुद्ध में दायर होते, तो कोई घटनाओं या कानून का समान प्रश्न उत्पन्न होता”।

इन दोनों नियमों का अभिप्राय यही है कि जहाँ पर समान प्रश्न कानून से या घटनाओं से उत्पन्न होते हैं वहाँ पर एक से अधिक मनुष्यों के स्वत्वों का निर्णय अदालत कर सकती है और ऐसे सब मनुष्य को एक ही मुकदमे में मुद्दई या मुदायलेह बनाये जा सकते हैं।

साधारणतया दावों में वादी और प्रतिवादी नियत पुरुष ही होते हैं परन्तु बहुत से दावे ऐसे होते हैं जिनमें निश्चय रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कई विशेष पुरुषों में से वास्तविक स्वत्वअधिकारी कौन सा पुरुष है या किसके विरुद्ध अदालत

¹ *Mst. Ananti v Channu*, A. I. R 1930, All 193 F B

² *Musaji v. Durgadas*, A. I. R 1946, Lah 57, F B 936 All 514, 1937 All 650

³ *Kishor Lal v. Ram Sunder*, 19 A. L. J. 822.

से डिगरी मिल सकती है। ऐसी दशा में इन नियमों के अनुसार वे सब मनुष्य मुद्दई या मुद्दायलोह बनाये जा सकते हैं।

ऐसे मनुष्यों के अतिरिक्त बहुत से मुकदमों में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका फ़रीक होना दूसरे नियमों के अनुसार आवश्यक होता है और उनके फ़रीक किये बिना वह मुकदमे नहीं चल सकते।

ज्ञाता दीवानी का आर्डर ३४ नियम १, रहन के दावों से सम्बन्ध रखता है और वह यह है:—

“रहन के सम्बन्धित किसी दावों में वे सब मनुष्य फ़रीक बनाये जावेंगे जिनका रहन वाली जायदाद या रहन छुड़ाने के अधिकार में कोई हक हो”^१

इसलिये रहन के मुकदमे में चाहे वह रहन छुटाने का हो या जायदाद नीलाम कराने का, वे सब व्यक्ति फ़रीक कर लेने चाहियें जिनका सम्बन्ध जायदाद या हक इनफिकाक से हो^२ जो पुरुष मुद्दई बनने चाहियें और बनने से इनकार करें, उनको मुद्दायलोह बना देना चाहिये और यह बात स्पष्ट रूप से अर्ज़ीदावे में लिख देना चाहिये।

इसी तरह मुआहिदा की बाबत जो नालिश उसके पूरा करा पाने या उसकी बाबत और दादरसी हासिल करने की होती है उसमें वे सब व्यक्ति जिनको दादरसी का इक़ होता हो और वे सब मनुष्य जिनके मुक़ाबिले में दादरसी का इक़ होता हो, जरूरी फ़रीक होते हैं और उनके लिये भी ऊपर लिखे अनुसार कार्रवाई करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में क्रानून मुआहिदा (एक्ट १ सन् १८७२) की दफ़्ते ४१ व ४३ पर ध्यान रखना चाहिये।

बहुत से मुकदमों में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको फ़रीक बनाना या न बनाना मुद्दई के अख्तियार में होता है। जैसे अगर कोई बच्चों का झर्रीदार उसकी वसूलायी का दावा देनदार के मुक़ाबिले में दायर करे तो कर्ज़ा बेचने वाले का फ़रीक मुकदमा करना लाज़िमी नहीं होता। इसी तरह जो और दूसरी नालिशों इन्तक़ाल लेने वाले की जानिव से होती हैं उनमें इन्तक़ाल करने वाले फ़रीक जरूरी नहीं होते लेकिन सुविधा इसीमें बहुधा रहती है कि बेचने वाले को फ़रीक कर लिया जावे जिससे वह आगे को अपने किये हुए इन्तक़ाल की बाबत कोई भगड़ा पैदा न कर सके।

जहाँ कहीं सन्देह हो कि कोई विशेष व्यक्ति फ़रीक बनाना चाहिये या नहीं तो ऐसी दशा में अच्छा यही होता है कि उसको फ़रीक मुकदमा कर लिया जावे और अर्ज़ीदावे में वह घटनायें लिख दी जावें जिनके कारण से उसको फ़रीक बनाया हो। ऐसा करने से यदि अदालत उसको अनावश्यक फ़रीक करार देती है तो मुद्दई से खर्चा बहुधा उन घटनाओं का खयाल करते हुये नहीं दिलाती।

१. A. I. R. 1927, P. C. 232

२. A. I. R. 1935 Cal, 667

जो नालिश मियाद खतम होने के करीब दायर होती है उसमें फरीक बनाने की बाबत विशेष सावधानी बर्तनी पड़ती है। अगर कोई जरूरी फरीक मियाद के अन्दर फरीक बनने से रह जाता है तो उसके मुक़ाबिले में दावे में तमादी लग जाती है।

इन सब बातों को सामने रखते हुए वकील को अर्जीदावा तैयार करना और मुक़दमे को तरतीब देना चाहिये।

इन दोनों उपनियमों (ई व ऊ) में पूरा पता से अभिप्राय पिता का नाम, जाति, व्यवसाय और निवास स्थान से होता है जिससे उस व्यक्ति की व्यक्तित्व (Individuality) निश्चय हो जाय। जहाँ वादी या प्रतिवादी संख्या में एक से अधिक हों तो उन पर नम्बर डाल देने चाहिये विशेष कर जब प्रतिवादियों की संख्या अधिक हो और उनके स्वत्व एक से प्रथम प्रथक हों या उनको भिन्न २ कारणों से प्रतिवादी बनाया गया हो तो उनके दूसरे प्रथक २ पक्ष बना देने से सुविधा होती है जैसे प्रतिवादी प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष इत्यादि (मुद्दायलेहम फरीक अव्वल, फरीक दोयम, फरीक सोयम वगैरह)

यदि वादी बहुत से हो और उनके स्वत्वाधिकार प्रथक हो सकते हैं तो भी ऐसा ही कर लेना चाहिये परन्तु ऐसा कम होता है क्योंकि जहाँ भिन्न २ वादियों के स्वत्व प्रथक २ होते हैं वहाँ पर उनकी ओर से एक ही मुक़दमा चालू करने के बजाय एक से अधिक दावा दायर करना अच्छा होता है। जब किसी विशेष वादी या प्रतिवादी के सम्बन्ध में कोई घटना अर्जीदावे में लिखी जावे तो यह अच्छा होता है कि उसके नाम के साथ उसका नम्बर अथवा उसका पक्ष या दोनों ही लिख दिये जावें जैसे—“लक्ष्मी चन्द वादी न० २” या “रामकृष्ण प्रतिवादी न० ६” या “अहमद बख्श मुद्दायलेह फरीक दोयम” इत्यादि। ऐसा करने से गलती का डर बहुत कम हो जाता है।

उपनियम (अ), (ई) और (ऊ) में जो बातें लिखी जाती हैं वह मुक़दमे का सिरनामा कहलाती हैं। अर्जीदावे में मुक़दमे का सिरनामा विवरण के साथ दिया जाता है और वह इस प्रकार होता है। (देखो परिशिष्ट (१) अपेन्डिक्स (ए) ज्ञाता दीवानी)।

मुक़दमे का सिर नामा

अदाखत ...

अ— व — (लिखो पूरा पता, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान इत्यादि)

..... वादी या मुद्दै ।

बनाम

क— ख — (लिखो पूरा पता, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान इत्यादि)

..... प्रतिवादी या मुद्दायलेह ।

इसके अतिरिक्त मुक़दमे का नम्बर और (वर्ष ईसवी सन्) लिखा जाता है। वास्तव में यह सिरनामे का कोई भाग नहीं है परन्तु इसके लिखने की आवश्यकता इस कारण

से होती है कि एक अदालत में एक साल में सैकड़ों मुकदमों दायर होते हैं और जब तक मुकदमों का साल और नम्बर न मालूम हो उसकी मिसल का पता लगना कठिन होता है और उसके सम्बन्ध के कागज़ उसकी मिसल में सुावधा से सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। इसलिये अर्ज़ीदावे के सिवाय और जो प्रमाण पत्र, कागज़, दरखास्त, फिहरिस्त सबूत इत्यादि दाखिल होते हैं उन पर भी संक्षिप्त सिरनामा और मुकदमों का नम्बर और साल लिखना पड़ता है और वह इस प्रकार होता है—

अदालत ।

नम्बर मुकदमासन्..... ।

अ—ब, मुद्दई ।

बनाम

क—ख,मुद्दायलेह ।

(क) यदि मुद्दई या मुद्दायलेह नाबालिग या बुद्धिहीन (पागल) हो तो ही यह कि वह ऐसा है—

इस नियम के अनुसार जिन मुकदमों में वादी या प्रतिवादी आवश्यक या बुद्धिहीन (नाबालिग या पागल) होते हैं उनमें आवश्यक होता है कि इस बात का उल्लेख किया जावे क्योंकि विधानानुसार ऐसा व्यक्ति न कोई दावा कर सकता है न किसी दावे का प्रति उत्तर दे सकता है ।

यदि वादी (मुद्दई) नाबालिग या बुद्धिहीन हो तो उसकी ओर से दावा उसके किसी मित्र, पैरोकार या रफीक की मार्फत, आर्डर ३२ नियम न० १ ज्ञाप्ता दीवानी संग्रह के अनुसार होना चाहिये । यदि ऐसा न किया जावे तो प्रतिवादी की प्रार्थना पर ऐसा दावा खारिज कर दिया जाता है और जो पुरुष या वकील ऐसा दावा दायर करने का ज़िम्मेदार हो उससे अदालत प्रतिवादी का खर्चा दिला सकती है¹

इसी प्रकार से यदि प्रतिवादी नाबालिग या बुद्धिहीन हो तो अदालत मुकदमों में किसी अन्य कार्यवाही होने से पहले आर्डर ३२ नियम ३ ज्ञाप्ता दीवानी संग्रह के अनुसार उसका संरक्षक या वाली उस मुकदमों के लिये नियत करती है और इसके लिये दरखास्त मुद्दई को देना पड़ती है जो किसी ऐसे पुरुष का नाम निर्धारित करता है जो नाबालिग का संरक्षक होने योग्य हो और जिसका कोई हक नाबालिग के विरुद्ध उस मुकदमों में न हो । यदि नाबालिग का पहले से कोई सार्टिफिकेट प्राप्त संरक्षक हो तो प्रायः वही मुकदमों में उसका संरक्षक नियत किया जाता है ।

जो प्रार्थना पत्र मुकदमों के दौरान में संरक्षक नियत करने के लिये दी जाती है उसकी पुष्टि (ताईद) के लिये शपथ पूर्वक कथन (वयान हलफ़ी) देना होता है जिसमें

¹ See Order XXXII, Rules 1 and 2, C. P. C

प्रातवादी के अवयस्क होने और निर्धारित संरक्षक का उसका योग्य संरक्षक होना इत्यादि लिखना चाहिये। जो नियम नाबालिगों के लिये ज्ञाप्ता दीवानी संग्रह में दिये हुए हैं वही नियम आर्ट ३२ नियम १५ के अनुसार बुद्धिहीन पुरुषों को भी लागू होते हैं।

दावा हमेशा नाबालिग के नाम से दाखिल होता है, बली के नाम से दाखिल नहीं होता और न बली फरीक मुकदमा समझा जाता है^१ विला बली के कोई दावा नाबालिग की ओर से अदालत में सुनने योग्य नहीं होता है। कोई मुसलमान नाबालिग स्त्री भी अपने पति के विरुद्ध तलाक के लिये दावा बिना बली के नहीं कर सकती^२ और बिना सरस्वक नियत किये नाबालिग के विरुद्ध यदि डिगारी हासिल भी कर ली जावे तो वह न्याय विरुद्ध होती है^३ इसलिये यह हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है कि जहाँ पर कोई फरीक नाबालिग हो, उसका सरस्वक नियत कराये बिना मुकदमे को आगे नहीं चलाना चाहिये यह भी ध्यान रखना चाहिये कि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग का, उसकी बिना रज़ामन्दी संरक्षक नहीं बनाया जा सकता है^४ यदि मुकदमे के दौरान में नाबालिग बालिग हो जावे तब उसकी दूचना अदालत को दरखास्त देकर देनी चाहिये जिससे अदालत उसके सरस्वक को हटा दें।

विशेष मुकदमों में फरीकैन का पता

कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिनमें मुद्दई और मुद्दायलोह के पता देने के लिए विशेष नियम बताये गये हैं। इन नियमों का ध्यान रखकर अर्जीदावा या जवाबदावा तैयार करना चाहिये। शीर्षक के नमूने नीचे दिये हुये हैं।

जो नालिशों सरकार की ओर से या उसके विरुद्ध की जाती हैं उनमें जाता दीवानी संग्रह की धारा ७६ के अनुसार पता इस प्रकार देना चाहिये।

(अ) जब कि मुद्दई या मुद्दायलोह केन्द्रिय सरकार हो तो उसका पता (Government of India Act of 1935) के अनुसार "गवर्नर जनरल इन काउन्सिल" या "इन्डियन यूनियन सरकार"

पहिले "सिक्रेटरी आफ स्टेट फार इन्डिया इन कौन्सिल" के नाम से जो मुकदमे चलते थे वह अब Indian Independence Act 1947 के बाद "भारत सभ" या "इन्डियन यूनियन" के नाम से जावेंगे।]

(ब) जब कि प्रान्तीय सरकार फरीक हो तो उसका पता प्रान्तीय सरकार के नाम से दिया जाता है, जैसे प्रान्तीय सरकार संयुक्त प्रान्त बिहार इत्यादि।

एडवोकेट जनरल, प्रान्त या सूबा...

1 Bhaba Pershad Khan v Secretary of State, I L R 14 Cal 159 (F. B.)

2 Sakina Bibi v Natthi, 1944 A L W 41.

3 Vali Jan v Bankey Behari, 30 I L R. Cal 1021 (P C) also 57 Mad. 973, 55 Cal 124

4 Baij Nath Rai v Dharam Deo Tewari, 14 A. L. J 353, 29 A L J 777.

कलकटर या जिलाधीश जिला

स्टेट ऑफया रियासत

[Sovereign Prince या Ruling Prince, स्वतंत्र नरेश अपने राज के नाम से दावा कर सकता और उसके विरुद्ध उसके राज के नाम से दावा हो सकता है इस सिलसिले में जाता दीवानी समग्रह की धारा ८२ से ८७ तक देखने योग्य है ।]

अ—ब— लिमिटेड कंपनी जिसका रजिस्टरी किया हुआ दफ्तर स्थान..... है ।

अ—ब— एक पब्लिक ऑफीसर क—ख—कंपनी का ।

अ—ब— (लिखो पूरा पता इत्यादि स्वयं अपने और क—ख— (पता इत्यादि लिखो) के और सब श्रृंखला देने वालों की ओर से ।

अ—ब— (पूरा पता और निवास्थान लिखो) स्वयं अपनी और अन्य द्विवेचर हिस्सेदार कंपनी... ..लिमिटेड की ओर से ।

अ—ब—नावालिग (पूरा पता और निवास्थान लिखो), क—ख (या कोर्ट ऑफ वार्ड्स) अपने रफ़ीक—की मारफत ।

अ—ब—(पूरा पता इत्यादि) पागल (या कमसमझ बज़रिये क—ख अपने रफ़ीक के.....

अ—ब—‘फ़र्म शराकती जो साभे का कारबार स्थान आफशल रिसविर करता है ।

[दो या दो से अधिक व्यक्ति जो आपस में किसी फ़र्म के साभोदार हों, उस साभोदारी के सबधित दावे फ़र्म के नाम से दायर कर सकते हैं और उनके विरुद्ध भी फ़र्म के नाम से दावा हो सकता है । एक ही साभोदार फ़र्म की ओर से अर्जी दावा व जवाब दावा पर हस्ताक्षर कर सकता है और उसको प्रमाणित (तसदीक) कर सकता है परन्तु हिन्दू आवमक्त कुल की ओर से, कर्ता या मैनेजर के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हिन्दू कुल के सदस्य कानूनन साभोदार नहीं समझे जाते ।¹

सिन्ध और पंजाब प्रान्तों को छोड़कर, जहाँ पर जाता दीवानी के आर्डर ३० नियम १ को हिन्दू आविमक्त कुल के कारबार के लिये भी लागू कर दिया है, अन्य प्रान्तों में कुल के फ़र्म के नाम से दावा नहीं चल सकता ।²

अ—ब—(पता इत्यादि) बज़रिये अपने एटरनी क—ख (पता इत्यादि) के ।

अ—ब—,(पता इत्यादि) शिवायत ठाकुर.....

अ—ब—,(पता इत्यादि) वसी क—ख मरे हुये का... ..

अ—ब—,(पता इत्यादि) उत्तराधिकारी—मृत का—ख—का ।

¹ A I R 1936 Nag 292

² A I R 1940 Lah. 256, 1935 [All 280, 1933 Bom 304, 1938 Pat 270]

नियम नं० १ (ख)—घटनाएँ जिनसे नालिश करने का अधिकार उत्पन्न हो और यह कि वह ऋष पैदा हुआ—

इस उ० नियम का अभिप्राय है कि मुकदमे के तत्व की घटनाएँ, अर्थात् वे घटनाएँ जिनको प्रमाणित करने पर मुद्दई अदालत का निर्णय अपने हक में बोधित होने की आशा करता हो, अर्जीदावे में लिखनी चाहिये ।¹

इन्हीं तत्व की घटनाओं के उचित रूप से उल्लिखित किए जाने पर दोनों पक्षों के स्वतंत्र और मुकदमे का निर्णय निर्भर होता है क्योंकि ये घटनाएँ मुकदमे की बुनियाद या आधार होती हैं। इनके यथेष्ट रूप से लिखने के लिए नियम पहले अध्याय में दिये जा चुके हैं (आर्डर ६, नियम २ और उसकी व्याख्या विशेष रूप से देखनी चाहिये)।

उन नियमों का सारांश यह है कि प्रार्थना पत्र से स्पष्ट रूप से प्रगट होना चाहिये कि मुद्दई को किस प्रकार से और किस समय हक नालिश उत्पन्न हुआ और मुद्दाभलेह की ज़म्मेदारी किस प्रकार पैदा हुई। ये घटनाएँ विस्तार पूर्वक नहीं बरन् संक्षिप्त रूप में लिखी जानी चाहिये।

इस सम्बन्ध में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। कहीं कहीं पर एक ही घटना से या बहुत सों घटनाओं से वादों को एक से अधिक स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं और उनके लिए वह भिन्न भिन्न दादरसी माँग सकता है। इसके विरुद्ध कहीं कहीं पर एक से अधिक घटनाओं के घटित होने पर भी उसको एक ही दादरसी मिल सकती है। दोनों दशाओं में घटनाओं को अर्जीदावे में इस प्रकार से लिखना चाहिये जिससे मुद्दई के भिन्न भिन्न स्वतंत्र, यदि हों प्रकट हो जावें और वह उन सबको प्रमाणित कर सके और वहस के समय उनसे सहायता ले सके

उदाहरणः—(१) यदि मुद्दई अपने किसी पूर्वज का उत्तराधिकारी हो और ऐसे पूर्वज ने उसके हक में निष्ठापत्र (वसीयत नामा) भी लिखा हो, तो यह दोनों बातें अर्जीदावे से प्रगट होनी चाहिये कि मुद्दई उत्तराधिकार से और वसीयत से भी पूर्वज की संपत्ति पाने का अधिकारी है।

(२) यदि वादी अपने मकान के सामने की ज़मीन को प्रायः २० वर्ष से आने जाने या मालकाना रूप से प्रयोग में लाता रहा हो और प्रतिवादी उसमें हस्तक्षेप करे तो वादी अपने दावे में कह सकता है कि वह उस ज़मीन का १२ साल से अधिक कब्ज़ा मुज़ालिफ़ाना रखने से मालिक हो गया और यदि यह साबित न हो सके तो यह भी कि उसको उस भूमि पर सुविधाधिकार (हक आशाश्श) हासिल है।

(३) इसी प्रकार मुद्दई, मुद्दायलह के ऊपर उसको, अपनी ओर से किरायेदार बनाने के दावा करे और यह भी कि मुद्दई उस जायदाद का मालिक है ताकि किरायेदारी साबित न होने पर दावा खारिज़ न हो।

1. Cook v Gill, 8 C. P. 107, I. L. R 30 Bom 570, I. L. R 89 All. 506; I. L. R. 22 Cal. 451.

वे घटनाएँ जिनसे हक उत्पन्न होने का समय प्रगट हो इसलिये लिखना आवश्यक होता है जिससे दावे का मियाद के अन्दर होने का दिसाव लग सके।¹

नियम नं० १, (ग) वे घटनाएँ जिनसे यह प्रकट हो कि अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त है।

इस नियम के अनुसार यह अर्जीदावा में दिखलाना आवश्यक होता है कि अदालत को अधिकार सीमा के अन्दर प्रतिवादो का निवास स्थान होने, अथवा हक नालिश उत्पन्न होने या भ्रूणके वाली अचल संपत्ति का ऐसी सीमा में स्थित होने के कारण अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त है² इस सम्बन्ध में जानता दीवानो संग्रह की १५ से लेकर २० तक धाराएँ देखली जावें और यदि तब भी किसी विशेष अदालत का मुकदमा सुनने का अधिकार संदेह युक्त प्रतीत हो, तो वे सब घटनाएँ जिनसे मुद्दई का उस अदालत में दावा करने का हक बनता हो, अर्जीदावे में स्पष्ट रूप से लिख दी जावें।

यदि दावा किसी प्रतिज्ञा या उसकी पूति न करने से सम्बन्ध रखता हो, तो कानून मुआहिदा (Contract Act) की वे धाराएँ जिनमें प्रस्ताव की स्वीकारी या अस्वीकारी का उल्लेख है ध्यान में रखनी चाहिये क्योंकि हक नालिश अर्थात् अधिकार सीमा में उत्पन्न होने से भी अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

यह बात मुद्दई को सिद्ध करनी होती है कि उस अदालत को, जहाँ पर दावा दाखिल किया गया, मुकदमा सुनने का अधिकार है न कि मुद्दायलह को, कि ऐसा अधिकार उस अदालत को नहीं है³। इसके अतिरिक्त जो बयान अर्जीदावे में लिखे जाते हैं उन्हीं के अनुसार, न कि जवाबदावे के बयानों के अनुसार, वह अदालत नियत होती है जहाँ कि मुकदमा सुना जावेगा⁴ और वह भी अर्जीदावे के बयानों पर ही निर्भर है कि मुकदमा अदालत माल में सुना जावे या दीवानो में⁵ इस लिए ऐसे बयानों का अर्जीदावा में लिखा जाना अत्यन्त आवश्यक होता है।

नियम नं० १ (घ) मुद्दई की फरियाद, या दादरसी जिसका वह प्रार्थी हो।

मुद्दई की प्रार्थना, जो अर्जीदावे के अन्तिम भाग में लिखी जावे, उचित और स्वष्ट शब्दों में होनी चाहिये और इस प्रकार की होवे जो उसकी बयान की हुई घटनाओं

1. I L B 59 Cal 448.

2. A I R 1938 Mad 497 ; 1925 Nag 183 .

3. A I R 1938 Mad 497.

4. I L R. 52 All. 501, F B ; 13 Pat 344 F. B , A I. R. 1934, Lah. 803

5. A. I. R. 1931 All. 664 .

से उसका विधानानुसार मिल सकती हो और अदालत उसके देने का अधिकार रखती हो । अनावश्यक शब्द दादरसी में उचित नहीं होते और आगे चलकर उनमें अन्य झगड़े उत्पन्न होने का भय रहता है । ऐसे शब्द जैसे 'मुद्दई के इकक का खयाल करके' या "बतजवीज़ इस वाक़े के कि .." या "बहस्तकरार इस अमर के" इत्यादि अनावश्यक शब्द हैं और व्यर्थ होते हैं । कभी २ उनके कारण अधिक केर्ट फीस देनी पड़ती है ।

यदि किसी नाबालिग़ के संरक्षक ने कोई जायदाद क्रय या रहन कर दी हो या उसका कोई अन्य परिवर्तन कर दिया हो और नाबालिग़, बालिग़ हो जाने पर जायदाद के दख़ल का दावा दायर करे तो ऐसी नालिश में बैनामे, रहननामे या अन्य दस्तावेज़ के मंख़ल कराने की प्रार्थना अनावश्यक होती है ।

इसी प्रकार से उत्तरदायी या पश्चात् दाय-भागी (वारिस या नाद) जो दख़ल की नालिश किसी हिन्दू विधवा के मर जाने पर ऐसे पुरुष के मुक़ाबले में दायर करते हैं जिसने उस विधवा से बै या रहन इत्यादि ली हो, उसी नालिश में इन्तक़ाल मंख़ल कराने की दादरसी व्यर्थ होती है, परन्तु देखने में आया कि प्रायः अनुभवी वकील भी ऐसी दादरसी लिखे बिना नहीं रहते ।

जिन मुक़दमों में इस्तकरार की दादरसी जरूरी हो वहाँ उसके लिये प्रार्थना करना चाहिये जैसे कुर्डी से बचाने के लिये इस्तकरार कराना जरूरी होता है परन्तु जहाँ दख़ल की दादरसी हो वहाँ इस्तकरार भी चाहना व्यर्थ होता है ।

रहन के आषार पर जो नालिश जायदाद के नीलाम की हो, उसमें दादरसी चाहे डिग्री आर्डर ३४ रूल ४ ज़ाबता दीवानी के अनुसार माँगी जा सकती है चाहे वह इबारत लिख दी जा वे जो ऐसी डिग्री में लिखी जाती है । रहन छुटाने . रहन के प्रतिषेध करने और प्रतिशा पूर्ति की नालिश में भी इसी प्रकार से दादरसी बनाना चाहिये ।¹ विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अदालत हुक़म सुनाने में बहुषा दावे को डिग्री या डिफ़िस करती है और उसी के अनुसार डिग्री तैयार होती है और डिग्री में डिग्री लिखने वाले अधिकतर अर्जीदावे की दादरसी की इबारत नक़ल कर देते हैं, इसलिए जिस प्रकार उत्तम और उचित शब्दों में दादरसी होगी, तो दावा डिग्री होने पर उसी प्रकार अधिक अवसर उसके प्राप्त होने का होगा ।

जो नालिश मरे हुये श्रुथी के उत्तराधिकारी के ऊपर हो उसमें दादरसी की माँग श्रुथी की जायदाद के मुक़ाबिले में होनी चाहिये यदि वारिस ने कोई ऐसी जायदाद का हिस्सा अपने काम में लगा लिया हो तो उसकी हद तक, दादरसी वारिस की ज्ञात के मुक़ाबिले में माँगी जा सकती है ।

अवश्यक (नाबालिग़) अथवा बुद्धि हीन (पागल) की केवल जायदाद जुम्मेदार

1. Or. 34, Rules 2 to 7, C. P. C.

होती है। इसी तरह मन्दिर के शिवायत, ट्रस्टी और वक्फ़ की जायदाद के मुतवल्ली बहुषा जायदाद की हद्द तक जुम्मेवार होते हैं सारांश यह है कि दादरसी ऐसी मोंगी जावे जो विधानानुसार मिल सकती हो और मुकदमे की घटनाओं से मुद्दई उसके पाने का हकदार हो।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि आर्डर २ नियम ३ जान्ता दीवानी संग्रह का अभिप्राय है कि जो जो प्रार्थना एक ही विनाय दावे के निसबत मुद्दई कर सकता है और जो उसको विधानानुसार मिल सकती है उसको करनी चाहिये क्योंकि यदि असावधानी से कोई विशेष प्रार्थना छूट जावे तो उसके लिये दूसरा दावा नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके लिये अदालत से आज्ञा न ली गई हो। मुद्दई का कुल दावा जो किसी विशेष विनाय पर उरपन्न हो उसके मुकदमें में सम्मिलित समझा जाता है^१ इसलिये मुद्दई का कर्तव्य होता है कि प्रत्येक दादरसी जो उसको मिल सकती हो, अर्जीदावे में दर्ज करे।

नियम नं० १ (च) मुजरा दिये हुए या छोड़े हुए मतालवे की संख्या।

जो दावे का भाग छोड़ा जावे या मुजरा दिया जावे उसके अर्जीदावे के अन्दर या हिसाब की तफ़्सील में, या दोनों जगह जैसा जहाँ उचित हो लिख देना चाहिये। छोड़े हुए भाग का अन्य दावा नहीं हो सकता और मुद्दई का दावा एक विनाय मुखासमत की बाबत उस कुल दादरसी का समझा जाता है जो वह उस की बाबत कर सकता है। यदि मुद्दई ने कानूनन दो दादरसी मिलने का हक हो और वह उनमें से केवल एक दादरसी चाहे तो यह समझा जायेगा कि दूसरी दादरसी उसने छोड़ दी है। (देखो जान्ता दीवानी आर्डर २, रूल २)।

नियम नं० १ (छ) भगड़े वाली सम्पत्ति का विवरण और उसकी मालियत।

जान्ता दीवानी संग्रह की धारा १५ से प्रत्येक मुकदमा उसकी मालियत के अनुसार सबसे नीचे की श्रेणी की अदालत में दाखिल होता है इसलिये अर्जीदावे में मालियत लिख देने से वह अदालत निश्चत हो जाती है जिसको उस मुकदमे के सुनने का अधिकार हो^२ और उसी आधिक संख्या, मालियत या तागून से यह निश्चय होता है कि उस मुकदमे में अपील हो सकती है या नहीं और यदि हो सकती है तो किस अदालत में। भगड़े वाली वस्तु की मालियत के हिसाब से ही कोर्ट फीस देनी होती है।

जहाँ कोर्ट फीस भगड़े वाली सम्पत्ति के बाज़ारी मूल्य के हिसाब से ली जावे वहाँ यह दोनो संख्या एक ही होती हैं परन्तु बहुत से मुकदमों में अन्य रीति से कोर्ट फीस लिया जाता है जैसे ज़मींदारी के दखल के दावों में मालगुज़ारी के पचगुनी संख्या पर यद्यपि उसका बाज़ारी मूल्य कहीं अधिक हो,^३ रहन छुटाने या रहन के प्रतिषेध के दावों में कोर्ट फीस रहन के मूल धन पर दिया जाता है^४ और किरायेदार को बेदखल करने के दावों में

1 1900 A W N 214

2 I L. R 40 Mad. Page 1

3 See A I R 1937 Bom 326, and Sec 7 V (d) Court Fees Act

4 See Art 17 (iii) Court Fees Act

केवल एक वर्ष के किराये की संख्या पर कोर्ट फीस लगता है, ऐसे दावों में अदालत के आर्थिक अधिकार के लिये और कोर्ट फीस के लिये दावे की मालियत की संख्या भिन्न भिन्न होती है।

इस उपनियम के अनुसार भगड़े वाली जायदाद की मालियत और उसका विवरण अदालत के मुकदमा सुनने के अधिकार को नियत करने और कोर्टफीस अदा करने की श्रृंखला से लिखना जरूरी होता है। कभी दोनों के लिए मालियत एक होती है और कभी पृथक् पृथक्। इस सम्बन्ध में कोर्टफीस¹ और स्टूट्स वैल्यूएशन एक्ट² = सन् १८७७ की उचित धाराओं का ध्यान रखा जावे।

नियम नं० २—यदि मुद्दई नक़द रुपया का दावेदार हो तो अर्जीदावे में दावे की शुद्ध संख्या लिखी जायगी परन्तु यदि नालिश पिछले मुनाफे की हो और शुद्ध संख्या इस प्रकार की हो कि वह मुद्दई और मुद्दाअलेह के मध्य हिसाब लिये जाने पर मालूम हो तब अर्जीदावे में दावे के रुपये की केवल अनुमानित संख्या लिखनी पर्याप्त होगी।

आशय यह है कि जब मुद्दई दावे के रुपये की ठीक संख्या जानता हो तो उसको वह संख्या लिख देनी चाहिये, जैसे कर्ज़ा, तमस्तुक, हुन्डी, रुक्का, माल की क्रीमत इत्यादि की नालिश में ठीक तादाद लिखना जरूरी है। यदि नालिश किसी जायदाद की आमदनी की बाबत हो या हिसाब समझने की हो जिनमें हिसाब हुए बिना ठीक तादाद नहीं मालूम हो सकती, उनमें अनुमान से तादाद लिख देना काफ़ी होता है।

हिसाब समझाने, पुराने मुनाफे और अन्य ऐसे दावों में जहाँ नालिश करने के समय मुद्दई को अपना रुपया निश्चित रूप से मालूम न हो, उनमें पिछले मुनाफे के हिसाब से³ न कि आगे होने वाले मुनाफे के हिसाब से मालियत निश्चित की जाती है और उस पर कोर्ट फीस दी जाती है।⁴ और बहुधा यह प्रार्थना करना उचित होता है कि हिसाब से जितना रुपया मुद्दई का निकले उसकी डिगरी, कोर्ट फीस लेकर सादर की जावे। यदि अदालत मुकदमे की मालियत से अधिक की डिगरी मुद्दई को दिलाती है तो ऐसे अधिकांश पर डिगरी की तय्यारी के समय कोर्ट फीस ले ली जाती है।

नियम नं० ३—जब अचल सम्पत्ति के लिये दावा हो तो अर्जीदावे में उस जायदाद का पर्याप्त पता, जिससे वह नियत की जा सके, लिखा जायेगा यदि उस जायदाद की चौहद्दी या नम्बर, बन्दोबस्त या पैमाइश के कागज़ों में दर्ज हो तो अर्जीदावे में ऐसी चौहद्दी और नम्बर लिखे जावेंगे।

¹ Court-fees Act VII of 1870 as amended in 1938

² Suits Valuation Act, Act 8 of 1887

³ I. L. R. 53 Cal 992, 5 Pat 361 F. B.

⁴ A. I. R. 1935 Lah 689, 22 I. C. 71

जायदाद की तफसील लिखने के दो मतलब होते हैं। प्रथम यह कि दोनों पक्षों में उसकी पहचान की वाबत कोई झगड़ा नहीं होने पाता¹ और दूसरे डिग्री सादिर हो जाने के बाद उसके इजराय में कोई बखेड़ा नहीं होता।² उपरोक्त स्पष्ट नियम, होने पर भी यह देखा गया है कि वकीलों के मुहरिर इस तरफ पूरा ध्यान नहीं देते। कहीं चौहद्दी अशुद्ध होती है, कहीं खाता और खेवट का नम्बर नहीं होता, और कहीं मुहाल लिखने से रह जाता है। कहीं रसदी हिस्सा न्यूनाधिक (कम बेश) लिख दिया जाता है, कहीं रकबा या मालगुजारी ठीक नहीं होते³ जिसका फल यह होता है कि इजराय डिग्री में बहुत से विरोध उत्पन्न हो जाते हैं और कभी कभी मुद्दई अपनी डिग्री का फल पाने से वंचित रहता है। इसलिये वकील का कर्तव्य है, कि वह जायदाद की तफसील और उसका पता स्वयं देख लेवे और केवल मुहरिर के ऊपर ही न छोड़ देवे। कुछ दिनों के अनुभव के बाद मालूम होगा कि बहुत सी मुकदमेबाज़ी जो इजराय डिग्री में इस असावधानी से खड़ी हो जाती है वह उत्पन्न न होगी और दोनों पक्ष बहुत से अनुचित व्यय से बचेंगे। यदि कोई गलती, तफसील या जायदाद के पते इत्यादि में, मुकदमे के मध्य में जात होतो उसको तुरन्त संशोधन करा देना चाहिये। ज़ान्ता दीवानी की धारा १५२ के अनुसार इस तरह की दुरुस्ती हर समय हो सकती है।

नियम नं० ४—जब मुद्दई प्रतिनिधि (क्वायममुक्ताम) की हैसियत से दावा करे तो अर्ज़ीदावे में न केवल यह प्रगट किया जायगा कि उसका दावा की वस्तु में वर्तमान स्वरुप है वरन यह भी दिखलाना होगा कि उसने वह आवश्यक कार्यवाही (यदि कोई हो) करली है, जिससे उसको उसके सम्बन्ध में दावा करने का अधिकार प्राप्त होता है।

जो रुपये की नालिश उत्तराधिकारी की ओर से दायर हो उसमें आवश्यक होता है कि डिग्री सादिर होने से पहिले उत्तराधिकार का सर्टिफिकेट दाखिल किया जावे।⁴ इसी प्रकार जो नालिश किसी वसीयतनामे के एक्ज़ीक्यूटर (Executor) की ओर से की जावे उसमें प्रोबेट या प्रबन्धक पत्र (Probate or Letters of Administration) प्राप्त करके दाखिल करना ज़रूरी होता है⁵ इसलिये ऊपर लिखे नियम के अनुसार प्रतिनिधि को अपनी नालिश में दोनों बातें लिखना चाहिये। प्रथम यह कि वह प्रतिनिधि की हैसियत से नालिश करने का अधिकार रखता है⁶ और दूसरी यह कि वह सर्टिफिकेट विरासत, प्रोबेट या प्रबन्धक पत्र या अन्य कार्यवाही जो वारिस या ऐसे क्वायममुक्ताम को नालिश का अधिकार हासिल करने के लिये ज़रूरी होती हो, कर चुका है।

1 50 W. N 121

2. See Or 20, Rule 9, C. P C

3 I. L. R 23 Pat 145, A I R 1944 Pat. 254

4 I. L. R 23 Pat 145, A I R 1944 Pat 254 . .

5. See Sections 212, 213, Succession Act

6. I. L. R 7, Bom 467, 12 Lah. 428 .

अगर मुद्दई किसी इन्तकाल के जरिये से नालिश करने का अधिकारी हो तो उसका जिक्र करना जरूरी है। यदि एक से अधिक इन्तकाल हुये हों तो उनको सिलसिले से लिख देना चाहिये जिससे मुद्दई का अन्तिम स्वत्वाधिकारी होना प्रगट हो सके। यदि मुद्दई किसी हिन्दू अविभक्त का उत्तरजीवी (पसमान्दी) होने की हैसियत से दावा करता हो, तो उसको लिखना चाहिये कि वह इस तरह से मालिक है और उत्तराधिकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।

उत्तराधिकारी और निष्ठाकर्ता (वही Executor) की नालिशों के अतिरिक्त निम्न लिखित नालिशें भी प्रतिनिध की हैसियत से होती हैं—

- (१) किसी समूह या विरादरी की ओर से एक या एक से अधिक व्यक्ति की नालिश। (under Or. 1, rule 8, C. P. C.)
- (२) किसी ट्रस्ट से संबन्धित, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की नालिश (under Sec. 92, C. P. C.).
- (३) हिन्दू अविभक्त कुल की ओर से कर्ता या मैनेजर की नालिश
- (४) किसी मूर्ति या मठ की ओर से शिवायत या प्रबन्धक की नालिश^१
- (५) सक्के या शराकत की ओर से फर्म या कोठी के नाम से नालिश^२

नियम नं० ५—अर्जीदावे से यह प्रगट होना चाहिये कि मुद्दाअल्लेह दावा की हुई वस्तु में हक रखता है या हक रखने का दावा करता है और वह इस बात का ज़ुम्मेदार है कि मुद्दई के दावे का जवाब दे।

किसी दावे का कारण तब ही उत्पन्न होता है जब कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे जो उसको नहीं करना चाहिये या कोई ऐसा कार्य न करे जो उसको करना कानून से आवश्यक हो। जैसे यदि कोई पुरुष किसी से ऋण ले या कोई माल खरीद करे और उसका रूपया या मूल्य मागने पर या किसी निश्चित समय पर देने की प्रतिज्ञा करे, परन्तु प्रतिज्ञा की पूर्ति न करे, तो वह ऐसे कार्य न करने का दायी होता है जो उसको करना चाहिये था।

इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे की नाली बन्द करदे, या दीवाल गिरादे, या उसकी जायदाद पर अनुचित कब्ज़ा कर ले वे, तो वह ऐसा कार्य करता है जो उसको विधान की दृष्टि में करना नहीं चाहिये था और प्रत्येक दशा में मुद्दई के दावा करने पर अदालत मुद्दायल्लेह से उचित कार्य न करने या अनुचित करने का जवाब तलब करती है। अर्जीदावे में लिखी हुई घटनाओं से, मुद्दई का ऐसे प्रश्न करने का अधिकार प्रत्यक्ष होना चाहिये।

1. A. I. B. 1927 All. 128 (130)

2. A. I. B. 1930 Pat 97

3. See Order 30 C. P. C.

साधारण श्रृंग के दावे में यह लिखना कि मुद्दाअल्लेह पर इतना रुपया बाकी है जो उसने अदा नहीं किया मुद्दई के ऐसे अधिकार को पूर्ण रीति से प्रगट कर देता है। इसी प्रकार हुकम इमतनाई निकलवाने के दावे में मुद्दई का सुल्बाधिकार (हक आसायश) इत्यादि का वर्णन कर देना मुद्दाअल्लेह से जवाब तलब किये जाने के लिये काफी होता है।

इसलिये अर्जीदावे से यह प्रगट होना जरूरी है कि जिस बात का दावा किया जाता है उसका सम्बन्ध मुद्दाअल्लेह से है या मुद्दाअल्लेह उससे अपना सम्बन्ध बतलाता है और उस सम्बन्ध के कारण वह मुद्दई के दावे का ज़िम्मेदार है।¹ सम्भव है कि मुद्दाअल्लेह की ज़िम्मेदारी किसी मरे हुये आदमी के या किसी पहिले ओहदेदार के प्रतिनिध की हैसियत से हो, ऐसी दशा में यह बात अर्जीदावे से प्रगट होनी चाहिये और उसी के अनुसार मुद्दाअल्लेह की ज़िम्मेदारी नियत करनी चाहिये।²

नियम नं० ६—जब नालिश उस मुद्दत के बाद दायर की जावे जो तमादी की क़ानून से नियत हो, तो अर्जीदावे में वह कारण जिससे तमादी से बचाव वाञ्छनीय हो, प्रगट करना चाहिये।

अर्जीदावा तैयार करते समय यह देखना आवश्यक होता है कि हक़ नालिश कब पैदा हुआ और कौन सी क़ानून तमादी की धारा उससे लागू होती है। अगर उस धारा से नियत की हुई मियाद बीत चुकी हो तो इस नियम के अनुसार अर्जीदावे में यह दिखलाना जरूरी है कि किस बिनाय पर दावा तमादी से बचता है।³ वह कारण जो दावे को तमादी से बचा सकते हैं वह कानून तमादी की धारा ६ से लेकर २१ तक में दज हैं। नाबालिगी, बुद्धहीनता ब्रिटिश इन्डिया (अब भारतीय) संघ से बाहर रहना, ज़िम्मेदारी का इक़वाल, असल व सूद या दोनों का अदा करना, ऐसे कारण हैं जिनसे मियाद बढ़ जाती है। कभी कभी अदालती कार्रवाई का ढँग न मालूम होने और ग़लत कार्रवाई करने से भी मियाद मिल जाती है। यदि ऐसे कारण अर्जीदावे में न लिखे जावे तो वह स्वारिज हो सकता है⁴ और न मुद्दई उन कारणों का प्रमाण दे सकता है⁵ यद्यपि अदाकत अर्जीदावे के संशोधन की आज्ञा दे सकती है⁶ यदि मियाद ख़तम होने के दिन अदालत की छुट्टी हो तो, छुट्टी के बाद अदालत खुलने के दिन मुक़दमा दाखिल किया जा सकता है और ऐसी दशा में यह लिखना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह स्वयं

1 A. I. B 1924 Nag 191.

2 A. I. B 1927 P. C. 41, 11 M. I. A. 241 (265), I. L. R. 41 A 247.

3 A. I. B 1936 Mad. 545, 1933 Lah. 491, 1944 Nag 37, I. L. R. 54 All. 506 ; I. L. B (1944) Mad 572.

4 Act 9 of 1908, Limitation Act, Secs 6—21

5 Under Or. VII, rule 11, cl. D

6 I. L. B. 31 Cal 195, A. I. B. 1934 P. C. 208, 1934 Lah. 753

7 I. L. B. 34 Bom. 250, 1918 Lah. 220).

अदालत देख सकती है परन्तु यदि यह लिख भी दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती ।

जिस विनाय पर मियाद बढवाना मंजूर हो वह विनाय लिखना आवश्यक होता है । यदि कोई विशेष काल मिवाद से घटाना मंजूर हो तो उसका आरम्भ और अन्त ठीक तरह से लिख देना चाहिये । यदि कोई साधारण धारा जैसे १२० लगानी मन्जूर हो तो वह भी यदि मुनासिब हो तो लिख दी जावे परन्तु हर हालत में ऐसा लिखना जरूरी नहीं है । यदि कोई विशेष धारा जैसे २५ या ६४ क्रानून तमादी की लगती हो तो सुविधा हठी में होती है कि उसको स्पष्ट रूप से अर्जादावे में लिख दिया जावे ।

नियम नं० ७—प्रत्येक अर्जादावे में वह दादरसी जिसका मुद्दई दावेदार हो, स्पष्ट रूप से लिखी जावेगी, चाहे वह दादरसी एक हो या एक के बजाय दूसरी हो और किसी साधारण या अन्य दादरसी का लिखना आवश्यक नहीं है, जिसको अदालत हमेशा, यदि उचित समझे उसी प्रकार से दे सकेगी जैसे कि यदि वह माँगी गई होती, और यही नियम प्रत्येक दादरसी से लागू होगा जो मुद्दायल्लेह अपने बयान तहरीरी में माँगता हो ।

दादरसी की तफसील की बाबत पहिले उपनियम नं० १ (घ) की व्याख्या में लिखा जा चुका है, दो या कई दादरसी में से एक दादरसी या एक के स्थान पर दूसरी दादरसी उस समय माँगना आवश्यक होती है जब मुद्दई एक साथ सब के पाने का अधिकार नहीं रखता या उनमें से केवल एक पा सकता है । जब ऐसी दशा हो तो स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिये कि अमुक दादरसी मुद्दई को और उसके न मिलने की हालत में अन्य दादरसी मिलनी चाहिये ।

जैसे यदि चल सम्पत्ति का दावा हो तो जायदाद न मिलने की सूरत में दूसरी दादरसी मुआवज़ा या हर्जा की होनी चाहिये । बहुत से मुकदमों में मुद्दई को निश्चित रूप से मालूम नहीं होता कि अनेक मुद्दायल्लेहों में से कौन जुम्मेदार होगा, ऐसी दशा में दादरसी नीचे लिखे प्रकार से माँगी जा सकती है ।—

“मुद्दायल्लेहम या जो उनमें से मुद्दई के दावे का जुम्मेदार करार पावे उसके मुक़ाबले में डिगरी सादिर की जावे ” ।

नियम नं० ८—जब मुद्दई कई भिन्न भिन्न दावों या विनाय दावों के आधार पर दादरसी चाहता हो, जो अलग और एक दूसरे से पृथक् कारणों पर निर्भर हो, तो वह जहाँ तक हो सके अलग अलग और भिन्न भिन्न रूप से लिखी जावेगी ।

उन परिस्थितियों के अतिरिक्त जो ज्ञान्ता दीवानी के आर्डर २, नियम ४ और ५ में दी हुई हैं, मुद्दई को एक दावे में एक से अधिक विनाय नालिश सम्मिलित करने का अधिकार नहीं होता है, और प्रत्येक विनाय नालिश पृथक् २ बयान होनी चाहिये जिससे यदि मुद्दायलेह उग्र करे और अदालत से कोई विनाय नालिश अलहदा करने का हुक्म हो, तो अर्जीदावे का सशोधन सरलता से हो सके। ऐसा करने से कोर्टफीस और अदालत का मुकदमा सुनने का अधिकार मालूम करने में सुविधा होती है और मुद्दायलेह हर एक की बाबत जवाब भी आसानी से दे सकता है।¹

वह सिद्धान्त जिनके अनुसार मुद्दई एक दावे में एक से अधिक विनाय दावा सम्मिलित कर सकता है जान्ता दीवानी संग्रह के आर्डर २ नियम ३ में दिये हुये हैं। ऐसा करने के लिये पहली शर्त यह है कि वे सब विनाय दावे जो सम्मिलित किये जावे, एक ही मुद्दायलेह के विरुद्ध हों या जहाँ पर मुद्दायलेहों की संख्या एक से अधिक हो तो उनके विरुद्ध अविभक्त (मुशर्तका) हों। इसी प्रकार जहाँ पर कई मुद्दई एक ही मुद्दायलेह या एक से अधिक मुद्दायलेह के विरुद्ध अविभक्त स्वत्व रखते हों तो उनको एक ही दावे में शामिल किया जा सकता है। दूसरी शर्त यह है कि ऐसे विनाय दावे के सम्मिलित हो जाने पर अदालत का मुकदमा सुनने का अधिकार उनको कुल जोड़ी हुई मालियत के अनुसार निश्चित होता है और कोर्ट फीस प्रत्येक विनाय दावे पर पृथक् पृथक् देनी पड़ती है (देखो कोर्ट फीस एक्ट नं० ७ सन् १८८० की धारा १७)

किसी अचल सम्पत्ति के दखल की नालिश में बकाया किराया या पुराने सुनाफा का दावा भी उसका अंश समझा जाता है। इसी प्रकार अचल सम्पत्ति के सम्बन्धी प्रतिज्ञा पूर्ति न करने के दावे में, हजेर का दावा उसका अंश समझा जाता है और एक ही दावे में दोनों प्रार्थना माँगी जा सकती हैं।

अर्जीदावे में लिखने योग्य बातों का सारांश

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है अर्जीदावा या अर्जीनालिश वह लेख होता है जिससे मुद्दई अपनी शिकायत अदालत में उपस्थित करता है और उसकी सहायता का प्रार्थी होता है। अंग्रेजी में इसके *Plaint* और इंग्लैंड में उसके *Statement of claim* कहते हैं।

अर्जीदावे या अर्जीनालिश में जो बातें लिखी जानी चाहियें वे ज्ञान्ता दीवानी संग्रह के आर्डर ६ में दत्त है और आर्डर ७ में वे बातें दी हुई हैं जो विशेष रूप से लिखी जाती हैं। इस लिये प्रत्येक अर्जी दावा आर्डर ६ और ७ में मित्र मित्र दिये हुये नियमों के अनुसार होना चाहिये और उसमें निम्नलिखित बातें आवश्यक होती हैं।

- (१) उस अदालत का नाम जिसमें दावा दायर किया जावे (आ० ७ नि० १ अ)
- (२) मुद्दई का नाम पता और निवास स्थान और मुद्दायलोह का नाम, पता और निवास स्थान जहाँ तक मालूम हो सके (आ० ७ नि० १ ई०)
- (३) यदि मुद्दई या मुद्दायलोह अवयस्क (नाबालिग) या बुद्धिहीन हों तो यह कि वह ऐसे हैं (आ० ७ नि० १ क)
- (४) यदि मुद्दई ने प्रतिनिधि की हैसियत से दावा दायर किया हो तो यह प्रगट किया जावे कि मुद्दई भ्रगड़े के मामले से सम्बन्ध रखता है और यह कि उसने वह सब आवश्यक कार्य कर लिये हैं जिनसे उसके नालिश दायर करने का अधिकार प्राप्त हो (आ० ७ नि० ४)
- (५) मुकदमे की वे तत्व घटनाये जिन पर मुद्दई तर्क करता हो सक्षिप्त रूप में लिखी जावें (आ० ६ नि० २)
- (i) वे घटनाये जो मुकदमे की आधार हों (आ० ७ नि० १ ख) ऐसी घटनायें भिन्नभिन्न धाराओं में बाट कर नम्बर बार लिखी जावेगी और तारीख, नम्बर, रकम, अर्कों में लिखी जावेगी (आ० ६ नि० २)
- (ii) यदि मुद्दायलोह के घोखा, असत्य वर्णन, अनुचित दवाव या धरोहर को अनुचित प्रयोग में लाने का तर्क करना हो तो उन घटनाओं की तारीख, रकम इत्यादि विवरण सहित लिखना चाहिये (आ० ६ नि० ४)
- (iii) यदि कोई पक्ष किसी प्रतिज्ञा के अव्यवहारिक या विधान युक्त न होने का विरोध करे, तो उस प्रतिज्ञा से केवल इन्कार कर देना पर्याप्त नहीं होता (आ० ६ नि० ८)
- (iv) यदि किसी दस्तावेज़ का उल्लेख किसी मुकदमे में आवश्यक हो तो उसके प्रभाव को अत्यन्त संक्षिप्त रूप में लिख देना पर्याप्त होगा और पूर्ण दस्तावेज़ या उसके किसी भाग की नकल करना आवश्यक न होगा जब तक कि उसके शब्द तत्व मुकदमा न हों। (आ० ६ नि० ९)
- (v) जब किसी व्यक्ति की दुश्मनी, घोखा देने की इच्छा, किसी घटना की सूचना का होना या अन्य कल्पना युक्त तर्क का लिखना आवश्यक हो तो उन बातों को घटना के रूप में लिख देना पर्याप्त होता है और वे विवरण आवश्यक नहीं हैं जिनसे वे बातें प्रामाणिक होती हों (आ० ६ नि० १०)

- (६) यदि नकद रुपये का दावा हो तो उसकी सही संख्या अर्जीदावे में लिखी जावेगी परन्तु यदि दावा पुराने मुनाफे का हिसाब समझाने का हो तो उसकी अनुमानित संख्या लिखी जा सकती है । (आ० ७ नि० २)
- (७) जब कि दावा अचल सम्पत्ति के लिये हो तो उसका ऐसा विवरण दिया जावेगा जिससे उसकी पहचान आसानी से हो सके । (आ० ७ नि० ३)
- (८) मुद्दायलह का ऋगड़े वाली वस्तु से प्रयोजन रखना या प्रयोजन रखने का दावेदार होना अर्जीदावे से प्रगट होना चाहिये । (आ० ७ नि० १)
- (९) अर्जीदावे में यह लिखा जाना आवश्यक है कि मुद्दे का विनाय दावा कब और कहाँ पर उत्पन्न हुआ और यह कि अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार है (आ० ७ नि० १ ग) । यदि नालिश साधारण अवधि के पश्चात दाखिल हो तो वह कारण जिनमे कानून मियाद से बचाव होता हो लिखने चाहिये (आ० ७ नि० ६)
- (१०) दावे की मालियत देना, जहाँ तक संभव हो, अदालत का मुकदमे सुनने का अधिकार निश्चित करने और कोर्ट फ्रीस नियत करने के लिये आवश्यक है । (आ० ७ नि० १ ब)
- (११) न्याय के लिये प्रार्थना जो मुद्दे चाहता हो, लिखी जावेगी परन्तु जो दादरसी अदालत स्वयं दे सकती हो उसके लिखना आवश्यक नहीं है (आ० ७ नि० ७)
- (१२) अर्जीदावे के अन्त में उसको पेश करने वाले मुद्दे या किसी एक मुद्दे या उसकी ओर से किसी अधिकार युक्त पुरुष के प्रमाणित (तसदीक) करना चाहिये (आ० ६ नि० १५)

ऊपर लिखे इन्दराज हो जाने पर अर्जीदावा पूर्ण हो जाता है । दावा दाखिल तब कहा जा सकता है जब कि अर्जीदावा अदालत के सामने पेश कर दिया जावे या किसी ऐसे औहदेदार व्यक्ति को दे दिया जावे जो इस काम के लिये नियत किया गया हो (आ० ४ नि० १) परन्तु उसका दायर होना तब ही कहा जा सकता है जब कि उसका इन्दराज उचित रजिस्टर में हो जावे ।

तृतीय अध्याय

प्रतिवाद-पत्र, जवाबदावा या बयान तहरीरी ।

सीडिङ्ग की परिभाषा में वाद पत्र या अर्जीदावा और प्रतिवाद पत्र या जवाब दावा व बयानतहरीरी सम्मिलित होते हैं जैसा कि ज्वान्ता दीवानी संग्रह के आर्टर्डर ६ नियम न० १ में दिया हुआ है, इसलिये सीडिङ्ग के साधारण नियम जो ज्वान्ता दीवानी के आर्टर्डर ६ में दिये हुए हैं और इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में व्याख्या सहित दिये जा चुके हैं प्रतिवाद-पत्र (बयान तहरीरी) से भी लागू होते हैं और बयान तहरीरी लिखने में उनका ध्यान रखना आवश्यक है । जो बयान या विरोध, जवाब दावे में वादी के विरुद्ध किये जावे या जो व्यवहार की तत्व घटनायें प्रतिवादी की ओर से हों उनका प्रबन्ध और लिखने का ढंग बिल्कुल वादपत्र या अर्जीदावे के समान होना चाहिये । और कुल घटनायें उसी सिखसिले से जैसा कि अर्जीदावे में किया जाता है लिखनी चाहिये ।

ध्यान रहे कि जैसे अर्जीदावा वादी के मुकदमे की नींव होती है उसी प्रकार बयान तहरीरी प्रतिवादी के मुकदमे की जड़ होती है और प्रतिवादी की हार-जीत बहुत कुछ उस पर निर्भर होती है । जिस अंश तक बयान तहरीरी नियमानुसार होगी और उसमें सब आवश्यक घटनाएँ और विरोध होंगे उसी सीमा तक मुदायलेह की ओर से मुकदमा अच्छी तरह लड़ा जा सकेगा ।

एक विशेष बात बयान तहरीरी की बाबत यह है कि अर्जीदावे की तरह उसका संशोधन सरलता से नहीं हो सकता । जो अशुद्ध अथवा त्रुटिपूर्ण अर्जीदावे दाखिल हो जाते हैं वह अदालत की आज्ञा से संशोधित हो सकते हैं और बहुधा ऐसा होता है कि यदि कानूनी त्रुटि अर्जीदावे में रह जाती है तो नालिश वापिस भी हो जाती है, नई नालिश करने की आज्ञा भी मिल जाती है, परन्तु बयान तहरीरी संशोधन का कोई उपाय कानून में नहीं दिया गया । जो घटना एक बार उस में लिख दी जाती है वह किसी तरह दूर नहीं हो सकती, केवल विशेष परिस्थितियों में अधिक बयान तहरीरी दाखिल करने की आज्ञा मिल जाती है परन्तु ऐसी दशा कम होती हैं । मुकदमा की वापसी तो प्रतिवादी के हक में हो ही नहीं सकती, इसलिये बयान तहरीरी की तैयारी में अर्जीदावे से भी अधिक सावधानी की आवश्यकता है ।

जो आदेश वादपत्र तैयार करने के सम्बन्ध में दिये जा चुके हैं उन पर प्रतिवाद पत्र के बनाने में भी, जहाँ तक कि वे उम्र से लागू हों, अमल करना चाहिये । जैसे मुकदमें की घटनाओं को ध्यान से सुनना, उनका नोट करना, उसके सम्बन्ध में कुल जरूरी क्रायाजात देखना और पढ़ना, शजरा, नक़शा या गोशबारा बनाना या बनवाना, उन कागजात की जिनका मुकदमे से सम्बन्ध हो नक़ल प्राप्त कराना और आवश्यक मिसलों का मुआइना कराना । इस प्रकार जो कुछ सामग्री एकत्रित हो उससे एक खिलखिले वार नोट या याददाश्त तैयार करना और उसके तैयार करने में तारीखों का ध्यान रखना ।

जब नोट या यादादाश्त तैयार हो जावे तो उसके और अर्जीदावे को सामने रख कर वकील को चाहिये कि नीचे लिखी बातों पर मोच विचार करे ।

१—अर्जीदावे में लिखी हुई किन घटनाओं से प्रतिवादी को इनकार है, और कौन सी स्वीकार हैं, और किन की उसको सूचना नहीं है, जिनको कि वह वादी से साबित कराना चाहता है ।

२—मुद्दे के दावे के जवाब में किन घटनाओं और कारणों पर मुदायलेह भरोसा करता है, और तत्व मुकदमा घटनाएँ (नफस मामला वाक़यात) जो मुद्दे ने बयान किये हैं, उनके जवाब में मुदायलेह की तत्व घटनाएँ क्या हैं, और मुद्दे के जितने बयान को वह स्वीकार करता हो और उनसे जो हक़ मुद्दे को उत्पन्न होता हो उसके पूरा करने के लिये वह तत्पर है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों ?

३—अर्जीदावे के बयानों से या उन बयानों से जो मुदायलेह करता है मुद्दे को हक़ नालिश है या नहीं और मुद्दे (वादी) अकेला दावा कर सकता है या नहीं ।

४—मुद्दे की ओर से किसी फरीक की बाबत नाबालगी (अवयस्कता), पागलपन, कायम मुकामी इत्यादि के कारण से दावा ठीक प्रकार से दाखिल हुआ है या नहीं ।

५—मुद्दे ने आवश्यक व्यक्तियों को फरीक किया है या नहीं, और कोई आदमी ऐसे तो नहीं है जो फरीक जरूरी मुकदमा है और मुद्दे या मुदायलेह की हैसियत से फरीक नहीं बनाये गये और इसका दावे पर क्या कानूनी असर पड़ता है ।

६—वादी ने किसी अनावश्यक मनुष्य को तो फरीक नहीं किया है और उसके पृथक् होने से मुकदमे पर अब या भविष्य में कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं । यदि पड़ता है तो क्या ?

७—अर्जीदावे में बिनायदावी एक है या एक से अधिक । अगर कई हैं तो वह कानूनन एक दावे में नालिश हो सकती हैं या नहीं और उनकी सुनवाई एक साथ सुविधा से हो सकती है या नहीं ?

८—अर्जीदावा प्लात्ता दीवानी के आडर ६ और ७ के नियमों के अनुसार बनाया गया है या नहीं ? यदि नहीं तो उसमें क्या खराबी है और उसका कानूनी असर क्या है ?

९—अर्जीदावे के बयानों को मानते हुए, नालिश की मालियत या अदालत के मुकद्दमा सुनने के अधिकार के रूयात्त से दावा उस अदालत में जिसमें कि दायर हुआ है, हो सकता है या नहीं ?

१०—किसी विशेष अदालत में दावा दायर करने के लिये मुद्दई ने कोई गलत घटनायें बर्णन की हैं या कोई रकम बनावटी बढ़ा दी है और मुद्दायलेह के बयान की हुई घटनायें या तादाद से दावा किस अदालत में दायर होना चाहिये ?

११—क्या किसी विधान के कारण, जो अब प्रचलित है या पहिले प्रचलित थी दावा दायर होने के योग्य नहीं हैं ?

१२—कोर्टफिस अर्जीदावे पर उचित लगा हुआ है या नहीं ?

१३—दावे की बिनाय, दावे का अधिकार उत्पन्न होने की तारीख जो मुद्दई ने बयान की हो, उसके विचार से कानून तमादी का कौनसा आर्टीकिल लागू होता है और मुद्दायलेह की बयान की हुई घटनाओं से कौन सा आर्टीकिल लागू होगा, और यदि कोई भेद हो उसका मुद्दई के दावे पर क्या असर पड़ता है ।

१४—यदि दावा साधारण अवधि के पश्चात् दायर हुआ हो और मियाद बढ़ाने के लिये कोई स्वीकारी या अदायगी, बयान की जाती हो, या एक या सब वादियों की नाबालगी, पागलपन या भारत संघ (Indian Union) से बाहर रहना बयान किया जाता हो, या किसी बेकार मुकद्दमेबाजी पर भरोसा किया जाता हो, तो उनके सम्बन्ध में यह देखना कि जो घटनाएँ वादी बयान करता है वे कहाँ तक असत्य हैं और उन घटनाओं से सब शर्तें पूरी हो जाती हैं या नहीं जो विधानानुसार अवधि बढ़ाने के लिये आवश्यक होती हैं ।

१५—यदि मुद्दई ने दावा प्रतिनिधि बसी, ट्रस्टी या परिवर्तन प्रवृत्ता की हैसियत से किया हो तो यह देखना कि वास्तव में मुद्दई की वह हैसियत है या नहीं, और उस हैसियत से उसको दावा करने का अधिकार है या नहीं, और उसने उन सब शर्तों और नियमों को पूरा किया है या नहीं जो दावादायर करने का अधिकार देने के लिये जरूरी है ।

इस सम्बन्ध में जो दस्तावेज परिवर्तन इत्यादि के बयान किये गये हों उनके विषय में यह देखना चाहिये कि वह स्टाम्प, रजिस्ट्री, गवाही इत्यादि समेत कानूनन परिपूर्ण हैं या नहीं और वह परिवर्तन किसी मुकदमे या कुरकी के होते हुये तो नहीं हुआ और वह विधानानुसार उचित है या नहीं। यह पूछना कि उन दस्तावेजों के विषय में भी करना जरूरी है जिन पर दावा निर्भर हो या जिन पर मुद्दे अपने दावे के सबूत में भरोसा करता हो।

१६—यह देखना कि फिरीकैन में कोई मुकदमेबाजी पहिले हुई या नहीं और हुई तो उसका दावे से कुछ सम्बन्ध है, या नहीं और उसकी वजह से कुल दावा या उसका कोई भाग पूर्व न्याय (Res Judicata) से वर्जित होता है या नहीं।

१७—वादी का कोई कार्य करना या उसका कोई बयान या इजहार ऐसा तो नहीं हुआ जिस पर एतबार करके और उसको सही मानकर प्रतिवादी ने कोई काम किया हो और उसका कानून से असर रोकबाद और खामोशी व ढील का होता हो (Estoppel, Acquiescence and Laches)

१८—यह देखना की नालिश दाखिल करने से पहिले मुद्दे को कोई नोटिस मुहायलेह को देने की जरूरत थी कि नहीं और यदि जरूरत थी तो मुद्दे ने नोटिस दिया है या नहीं। यदि दिया है तो उस नोटिस में कोई दोष तो नहीं था और यदि नहीं दिया है तो न देने से उसका नालिश पर क्या असर पड़ता है ?

१९—यदि दावा किसी प्रतिज्ञा से सम्बन्ध रखता हो तो यह देखना कि वह प्रतिज्ञा उचित थी या नहीं और उसकी लिखा पढी नियमानुसार हुई या नहीं और वह विधान से माननीय और योग्य है या नहीं, उसका बदला क्या है और वह बदल कानूनन उचित है या नहीं और प्रतिज्ञा के होने में कोई धोखा, असत्य वर्णन या अनुचित दबाव या और कोई कारण ऐसा तो नहीं है जिससे वह कानून से प्रचलित होने योग्य न हो। प्रतिज्ञा के समय पक्षों की आशु क्या थी और बुद्धि की दशा क्या थी ?

२०—यदि दावा प्रतिज्ञा की पूर्ति, विशेष कर, प्रतिज्ञा करने वाले और उसके परिवर्तन ग्रहीता के विरुद्ध हो, तो यह देखना की मुद्दे ने उस प्रतिज्ञा का ज्ञान होना, परिवर्तन ग्रहीता को इन्तकाल लेते समय बयान किया है या नहीं और मुहायलेह ऐसा होना मानता है या नहीं ?

२१—यदि दोनों पक्षों में यह झगड़ा हो कि तारीख या रजिस्ट्री की वजह से एक का दस्तावेज प्रथम या मुख्य और दूसरे का मध्यम माना जावे तो यह देखना

कि कौन सा दस्तावेज किस दस्तावेज के इत्म के साथ लिखा गया और किस एक में दूसरे का वर्णन या हवाला है या नहीं ।

२२—यदि दावा किसी हुकम या डिग्री या दस्तावेज की मसूखी का हो तो यह देखना कि सिर्फ मसूखी का दावा हो सकता है या नहीं और जो बयान मुद्दे ने किये हैं उनसे उसकी मसूखी का हक पैदा होता है या नहीं ।

२३—यदि दावा अपना स्वत्व घोषित कराने (इस्तकरार हक) का हो तो यह देखना कि मुद्दे अपने को भगड़े वाली जायदाद पर क्वाबिज (अधिकृत) होना बयान करता है या नहीं और असल में वह क्वाबिज है या नहीं ।

२४—यदि दावा किसी अमानत से सम्बन्ध रखता हो जो आम खैरात अथवा सर्व साधारण के पुण्य हेतु या किसी धार्मिक कार्य के लिये नियत की गई हो तो यह देखना कि मुद्दे का कोई ऐसा सम्बन्ध अमानत से है जिससे वह दावा करने का हक रखता है और उसने आवश्यक आज्ञा ले ली या नहीं ।

२५—यदि कोई दैविक आपत्ति के कारण जैसे भूचाल, बिजली गिरना इत्यादि या राज्यों के संग्राम से हानि हुई हो तो यह देखना कि उनकी वजह से प्रतिवादी जिम्मेदारी से छूट सकता है या नहीं ।

२६—यदि प्रतिवादी ने कोई काम नेकनीयती से किया हो और कोई बदल दिया हो तो यह देखना कि वह किसी कानून या न्याय के कारण से दावे से उसका छूटकारा हो सकता है या नहीं ।

२७—यदि दावा किसी अचल सम्पत्ति के विषय में हो तो यह देखना कि उसकी तफसील, पता और तादाद ठीक है या नहीं । यदि कोई गलती है तो उसका क्या फल होगा ।

२८—अगर दावे में पिछला मुनाफा दिलाये जाने की माँग हो तो यह देखना कि पिछले मुनाफे (वासलात) की तादाद सही है या नहीं और मुदायलेह के हिसाब से वह तादाद क्या होती है और कितने दिनों की बाबत माँगी जा सकती है ।

२९—यदि अर्जीदावे में कोई हिसाब हो तो यह देखना कि वह सही है या नहीं और अगर गलत है तो गलती क्या है और सही हिसाब क्या होना चाहिये ।

३०—यदि दावे में सूद सम्मिलित हो तो यह देखना की सूद वावानी तो नहीं है और सूद की प्रतिज्ञा Unconscionable bargain की सीमा को तो नहीं पहुँचता और किसी क़ानून से वजित तो नहीं है और कौन ऐसी घटनाएँ हैं जिनके कारण से प्रतिवादी कुल सूद या उसकी दर कम करा सकता है।

३१—यदि मुद्दे ने कोई रकम माँगी हो जो हिसाब किये बिना नहीं माँगी जा सकती तो उसके सम्बन्ध में जरूरी हिसाब का देखना।

३२—यदि मुद्दायलेह कोई मुजर्राई चाहता हो तो यह देखना कि क़ानून से वह मुजर्राई पा सकता है या नहीं और क़ानून की सब शर्तें उसकी बाबत पूरी होती हैं या नहीं।

३३—यदि मुद्दायलेह अपनी माँग मुद्दे के विरुद्ध (Counter-claim) पेश करता हो, तो यह देखना कि अदालत के दर्शाधिकार और दावे के रूप और प्रकार का ध्यान में रखकर ऐसा हो सकता है या नहीं और क़ानून की शर्तें पूरी होती हैं या नहीं।

३४—जो प्रार्थना वादी करता हो, उसकी बाबत यह देखना कि वह विधानानुसार उसको मिल सकती है या नहीं और जो बयान मुद्दे ने अर्जीदावे में किये हैं या जो मुद्दायलेह बयान करना चाहता है उनके खयाल से मुद्दे उसको पा सकता है या नहीं।

३५—मुक़दमे के खर्च का कौन फ़रीक़ देनदार होगा और किसके दोष से मुक़दमेबाजी उत्पन्न हुई, और उसके सम्बन्ध में क्या क्या घटनाएँ लिखनी जरूरी हैं।

ऊपर लिखी बातों के अतिरिक्त ऐसी बातें जो मुक़दमे से विशेष सम्बन्ध रखती हों ध्यान में रखकर वकील को बयान तहरीरी लिखने के लिये तैयार होना चाहिये।

कोर्ट फीस

ज्ञान्ता दीवानी संग्रह जो सन १८५९ ईसवी में प्रचलित हुआ उसके अनुसार प्रतिवाद्-पत्र या जवाब दावे पर भी कोर्ट फीस लगानी पड़ती थी परन्तु वर्तमान ज्ञान्ता दीवानी के अनुसार जो कि सन १९०८ से प्रचलित है जवाब दावे या बयान तहरीरी पर कोर्ट फीस नहीं लगती^१ कोर्ट फीस एक्ट की धारा १९ उपधारा ३ के अनुसार वह जवाब दावे जो कि अदालत की आज्ञा से पहली

पेशी पर दाखिल किये जावें उन पर कोर्ट फीस नहीं माँगी जा सकती इसलिये यदि पेशी से पहले ही जवाब दाखिल कर दिया जावे तो उस पर भी कोर्ट फीस की आवश्यकता नहीं होती¹ परन्तु ध्यान रहे कि यदि प्रतिवादी जवाब दावे में कोई अपना रुपया निकलता हुआ बयान करे और अपने हक में डिगरी की प्रार्थना करे तो उसपर कोर्ट फीस देनी पड़ती है।

जवाब दावे का सिरनामा

नियमानुसार प्रतिवाद-पत्र (जवाब दावा) लिखने के लिये शुरू में मुकदमे का सिरनामा उन्ही प्रकार लिखना चाहिये जैसा कि अर्जी दावे में सिरनामा लिखा जाता है अर्थात् अदालत का नाम, नम्बर मुकदमा, और पक्षों के नाम इत्यादि। जहाँ पर बहुत से चादी या प्रतिवादी हों वहाँ पर उनमें से पहले का नाम लिखकर "इत्यादि" जोड़ देना पर्याप्त होता है उसके बाद "जवाब दावा या बयान तहरीरी प्रतिवादी प्रथम पक्ष या मुद्दायल्लेह नं० १" इत्यादि जैसी दशा हो शब्द लिखने चाहिये जिनसे ज्ञात हो जाय कि किस प्रतिवादी की ओर से बयान तहरीरी दाखिल किया गया है।

जवाब दावे में किसी प्रार्थना के लिखने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि प्रतिवादी अपने हक में रुपये के लिये डिगरी का इच्छुक न हो।

बयान तहरीरी के अन्त में भी अर्जीदावे की तरह हस्ताक्षर और तसदीक का लेख होना चाहिये।

जो नियम प्रतिवाद पत्र या बयान तहरीरी बनाने के लिये ध्यान रखना पड़ते हैं वह ज्वाब्ता दीवानी संग्रह के आर्डर न में दिये हुए हैं। हम उस कुल आर्डर को आवश्यक व्याख्या सहित आगे देते हैं।

¹ See Section 19, Clause 3, Court Fees Act, VII of 1870 and A. I R 1926 Mad. 347; 1922 Pat. 252.

प्रतिवाद पत्र या बयान तहरीरी

नियम नं० १ (Order VIII, Rule 1)

प्रतिवादी को अधिकार है कि मुकदमे की पहली पेशी के समय या उससे किसी समय पहिले या उस के अन्दर जो अदालत नियत कर दे अपना बयान तहरीरी दाखिल करे और यदि अदालत आज्ञा दे तो ऐसा करना आवश्यक होगा।

मुकदमे की पहिली पेशी¹ के समय तक मुद्दायलेह को अधिकार है कि अपना बयान तहरीरी, वह जब चाहे दाखिल करे मगर पहिली पेशी हो जाने के बाद वह बयान तहरीरी केवल अदालत की आज्ञा लेकर दाखिल कर सकता है और उस अवधि के अन्दर जो अदालत नियत कर दे।

केवल प्रतिवादी को जो मुकदमा में फरीक होता है, प्रतिवाद पत्र दाखिल करने का अधिकार होता है कोई अन्य मनुष्य जो फरीक मुकदमा न हो बयान तहरीरी दाखिल नहीं कर सकता, यद्यपि वादी ने उसके विरुद्ध अर्जीदावे में बयान किये हों।²

यदि अदालत हुकम दे तो बयान तहरीरी दाखिल करना प्रतिवादी का कर्त्तव्य होता है और न दाखिल करने की दशा में मुकदमा एकतरफा सुना जाकर डिगरी एक तरफा सादिर हो सकती है।

नियम नं० २ (Order VIII, Rule 2)

प्रतिवादी को चाहिये कि वह अपने लीडिङ्ग में वे सब बातें लिखे जिनसे प्रगत यह होता हो कि दावा चल नहीं सकता या कि वह विधानानुसार नाजायज़ है या नाजायज़ करार देने के योग्य है और कुल ऐसे विरोध लिख दे जो यदि न लिखे जायें तो दूसरे फरीक को पीछे अचानक मालूम होंगे या उनसे घटनाओं की ऐसी तनकीह³ चटती हों जो अर्जीदावे से पैदा न हों, जैसे घोखा, फरेष, तमादी, दस्तबरदारी, अदायगी, पूर्ती हो जाना, इत्यादि।

¹ See Order X, Rule I, C P. C , I. L. R 1939 Nag 110 , A. I. R. 1926 Mad. 337.

² I. L. R 53 All 466 , 55 S W R 17.

³ Berdan v Greenwood, 3 Ex 26, I. L. R 22 Pat. 220 ; A. I. R. 1937 Mad 571.

इस नियम का आशय यह है कि जैसे वाद पत्र में वादी का कुल मुकदमा होता है उसी प्रकार प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादी का कुल मुकदमा होना चाहिये। जितने विरोध प्रतिवादी, वादी के दावे पर कर सकता हो या जो घटनाएँ उसके जवाब में दे सकता हो वह कुल बयान तहरीरी में लिख देनी चाहिये।

कुल प्रतिवाद निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं।

(१) प्रतिवादी अर्जीदावे के बयान और उसमें लिखी हुई घटनाओं से इनकार करे या उनको स्वीकार न करे।

इस परिस्थित में वादी को अपना अर्जीदावे का कुल बयान सिद्ध करना पड़ता है।

(२) प्रतिवादी अर्जीदावे के बयान को स्वीकार करे और उनका प्रभाव दूर करने के लिये नई घटनाएँ बयान करे जिनसे वादी के बयानों का जवाब पूरा हो जाता हो।

इस परिस्थित में सबूत का भार प्रतिवादी पर होता है और उसको मोखा या फरेब, तमादी, दस्तबरदारी इत्यादि ऐसे बयान कुल लिखना होते हैं जिनसे मुद्दे के बयान की काट होती है। यदि ऐसे बयान जवाबदावे में न लिखे जावें तो वादी को उनकी कोई सूचना मुकदमे की पेशी से पहिले नहीं हो सकती और वह, उनके अचानक मालूम होने की दशा में, उनका उचित उत्तर नहीं दे सकता और न उनके विरुद्ध प्रमाण या शहादत पेश कर सकता है इसलिये नियम नं० (२) यह चाहता है कि वह कुल घटनाएँ जिन पर मुद्दायत्तेह, मुद्दे की लिखी हुई घटनाओं को मान कर उसके दावे की काट के लिये भरोसा करता हो, वह बयान तहरीरी में लिख दी जावें जिससे मुद्दे को उनके अचानक मालूम होने की आपत्ति न हो और उन घटनाओं की तहकीकात, जो अर्जीदावे में नहीं थे, आसानी से हो सके।

(३) प्रतिवादी अर्जीदावे के बयानों को मानते हुए उनके कानूनी असर की बाबत प्रतिवाद करे।।

इस दशा में प्रतिवादी को बयान करना पड़ता है कि वादी के बयानों से कानूनन वह असर पैदा नहीं होता जो वादी प्रगट करता है इसके विरुद्ध दूसरा असर पैदा होता है जिससे दावा नहीं चल सकता।

(४) प्रतिवादी मुजर्राई चाहे या वादी के विरुद्ध अपना दावा पेश करे।

इस दशा में प्रतिवादी को वह कुल घटनाये बयान करनी चाहिये जिनसे उसके मुजर्राई या दावे का हक प्राप्त हुआ हो और कानून से उसको मुजर्राई मिल सकती हो या दाना उसका चल सकता हो।

यही चार प्रकार हैं जो मुद्दायलेह के प्रतिवाद के हो सकते हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि एक ही प्रतिवाद-पत्र में मुद्दायलेह की ओर से एक ही प्रकार की जवाबदही की जावे । जैसा अवसर हो एक से अधिक या सब प्रकार का प्रतिवाद एक ही बयान तहरीरी में काम में लाया जा सकता है ।¹ कभी कुछ घटनायें स्वीकार होती हैं कुछ घटनाएँ स्वीकार नहीं होतीं, कुछ से इनकार होता है । जो घटनायें स्वीकार होती हैं उनको सही मानते हुये मुद्दायलेह उनके कानूनी असर पर एतराज करता है और उनका असर दूर करने के लिए और घटनाएँ भी बयान करता है और इसी के साथ मुजराई या अपना दावा मुद्दाई के मुकाबिले में पेश करता है । अभिप्राय यह है कि जैसा अवसर हो वैसा ही प्रतिवाद का स्वरूप होना चाहिये ।

जवाबदावा बनाने के लिये भी झोंडिंग के साधारण नियमों का (आर्डर, ६ नियम २, ४, ६, ८, १०, ११, १२ व १३ जानता दीवानी) जो इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में आवश्यक व्याख्या सहित दिये जा चुके हैं ध्यान रखना चाहिये ।

वादी की उल्लिखित घटनाओं के साधारण विरोध के अतिरिक्त जो विशेष विरोध प्रतिवादी की वर्णन की हुई घटनाओं से प्रायः उत्पन्न होते हैं वह नीचे लिखे जाते हैं । आवश्यकतानुसार उनको स्पष्ट रूप से बयान तहरीरी में लिखना चाहिये ।

- (१) अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार न होना । (Want of Jurisdiction)
- (२) पक्षों को अनुचित सम्मिलित करना या आवश्यक फ़रीक का सम्मिलित न होना । (Non-joinder or Mis-joinder of Parties)
- (३) दावे का किसी विधान से वर्जित होना या दायर होने के योग्य न होना । (Non-maintainability of Suit.)
- (४) कई बिनाय दावों के देजा एक दावे में सम्मिलित करना । (Mis-joinder of Causes of Action)
- (५) दावे का कोई भाग का छूट जाना । (Part of Assets.)
- (६) तमादी । (Limitation.)
- (७) खामोशी व ढील । (Acquiescence and Laches)
- (८) रोक वाद । (Estoppel)
- (९) पूर्व न्याय । (Res Judicata)
- (१०) जुआ । (Wager or Wagering Contract.)
- (११) निर्वाचन । (Election)
- (१२) स्वीकारी या अंगीकारी । (Ratification)

¹ A. I R 1942, All. 308, 1925 Oudh 120, I L R 34 Cal 51 F B; A I, R. 1942, Mad. 892.

- (१३) राजकीय कार्य या हुकम सरकार । (Act of State)
- (१४) दैवीकारण (कुदरती सबब) । (Vis Major)
- (१५) न्याय युक्त उत्तर । (Equitable Defence, Equity)
- (१६) बेवाकी या अदायगी या तकमील या दस्तबर्दारी । (Payment, performance or Relinquishment)
- (१७) बदल का न होना (Want of Consideration)
- (१८) नालिश का अधिकार न होना । (Want of Right to Sue)
- (१९) स्व प्रतिज्ञा भङ्ग करना (Breach on part of Plaintiff.)
- (२०) मुद्दई का स्वयं शिकायती काम में सम्मिलित होना । (Contributory negligence)
- (२१) शिकायती काम का क़ानूनन जायज़ होना । (Justification.)
- (२२) धोखा (फ़रेब) । (Fraud)
- (२३) असत्य वर्णन । (Misrepresentation)
- (२४) दोनो फ़रीक़ की ग़तती । (Mutual Mistake)
- (२५) अनुचित दबाव । (Undue Influence)
- (२६) नाबालग़ी या बुद्धि हीनता । (Minority or Insanity)
- (२७) परिवर्तन, नेकनियती से बदल देकर लेना । (*Bonafide* transfer for value)
- (२८) मुक़दमे के दौरान में परिवर्तन होना । (Transfer during Pendency of Suit)
- (२९) रसदी पाने का हक़ । (Contribution)

नियम नं० ३ (Order VIII, Rule 3)

प्रतिवादी के लिये यह पर्याप्त न होगा कि वह उन घटनाओं व कारणों से जो वादी ने अर्जीदावे में बयान किये हों अपने बयान तहरीरी में आम इनकार कर दे वरन् उसको प्रत्येक घटना के बयान की बाबत जिसकी सत्यता वह स्वीकार न करता हो पृथक्, पृथक् लिखना चाहिये, सिवाय हर्जे के ।

इस नियम का अभिप्राय यह है कि जो बयान मुद्दई ने अर्जीदावे में किये हों उनमें से हर बयान के लिये जिसको मुद्दायलेह स्वीकार न करता हो अलग अलग अपना जवाब बयान तहरीरी में लिखना चाहिये ।¹ कुल बयान की बाबत एक साथ लिख देना कि स्वीकार नहीं है ठीक न होगा । जैसे यदि मुद्दई का बयान हो कि मुद्दायलेह ने उससे

1. Thorp v. Holdsworth, 3 Ch D. 637, 1938 O. W. N. 1030, A I R. 1916 Pat. 411.

५०) २० कर्ज़ लिये उनमें से १५) २० एक बार और १०) २० दूसरी बार अदा किये । यदि मुद्दायलेह को इन घटनाओं से इनकार हो तो उसका सिर्फ यह लिखना कि तसज़ीम नहीं है, या इनकार है, काफ़ी न होगा उसको कहना चाहिये कि उसने मुद्दई से १०) २० कर्ज़ नहीं लिये और न १५) २० और १०) २० मुद्दई को अदा किये ।

इसी प्रकार यदि मुद्दई का बयान हो कि मुद्दायलेह ने उससे घोला देकर ५०) २० ले लिये और मुद्दायलेह को इससे इनकार हो तो लिखना चाहिये कि मुद्दायलेह ने कोई घोला मुद्दई को नहीं दिया और न १०) २० या और कोई घन मुद्दई से लिया । केवल यह लिखना कि मुद्दायलेह को इनकार है या स्वीकार नहीं है, काफ़ी नहीं है ।

साधारण अस्वीकारी से मुद्दायलेह का कोई बयान उन घटनाओं की बाबत नहीं आता जो मुद्दई बयान करता है इसलिये भगड़े का मामला स्पष्ट नहीं होता और न पूरे व्यवहार पर उचित प्रकाश पड़ता है । विवादास्पद विषय (तनकीह) नियत करने और मुकदमे का उचित निर्णय होने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि अदालत को भगड़े के दोनों पहलू इष्टिगोचर हो जावे । जब मुद्दई एक घटना को सत्य कहे और मुद्दायलेह उसको असत्य बतलावे, तब तनकीह पैदा होती है, कि ऐसी घटना घटित हुई या नहीं ।

जैमे अफ़ीदावे में मुद्दई ने १० घटनाये लिखी हों और उनमें से मुद्दायलेह ६ को स्वीकार न करता हो या झूठ बतलाता हो तो उसको चाहिये कि उन ६ घटनाओं में से प्रत्येक की बाबत अपने बयान तहरीरी में सिलसिले से वह बयान लिखे जो मुद्दायलेह के अनुसार ठीक हैं और इस तरह पर मुद्दई के सब बयानों का जवाब दे ।

हर्ज की बाबत इस तरह का बयान लिखने की आवश्यकता नहीं होती । हर्ज को सिर्फ स्वीकार न करना काफ़ी होता है ।^१

नियम नं० ४ (Order VIII, Rule 4)

यदि प्रतिवादी अफ़ीदावे में लिखी किसी घटना से इनकार करे तो उसका चाहिये कि अस्पष्ट प्रकार से न करे वरन वास्तविक घटना उल्लेख करे । जैसे यदि यह बयान किया गया हो कि उसने कोई नियत रकम पाई तो उस विशेष रकम के पाने से इनकार करना पर्याप्त न होगा उसको उस रकम या उसके किसी अंश के पाने से इनकार करना चाहिये या यह लिखना चाहिये कि इतनी रकम उसको मिली । यदि कोई घटना बहुत से हालात के साथ बयान की गयी हो तो उस घटना से उन हालात के साथ इनकार कर देना काफ़ी न होगा ।

1. I. L. R. 43 Cal. 100 ; Wood v. Earl of Durham, 21 Q. B. D. 501. (506)

नियम ३ में हर घटना के विषय में अलग २ जवाब देना आवश्यक बतलाया गया है और नियम ४ में यह बतलाया गया है कि किसी घटना से इनकार किस प्रकार से करना चाहिये। यदि अर्जीदावे में मुद्दई ने यह बयान किया हो कि मुद्दायलह ने उससे १० जनवरी सन् १९४५ को १०० रु० कर्ज़ लिये, और मुद्दायलह इसके जवाब में सिर्फ इतना कहे कि उसने उक्त तारीख को १०० रु० कर्ज़ नहीं लिये तो यह इनकार काफ़ी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि मुद्दायलह ने १० जनवरी सन् १९४५ के बजाय १५ जनवरी सन् १९४५ को १०० रु० कर्ज़ लिये हों, या १०० रु० की जगह ५० रु० कर्ज़ लिये हों, और इसका इनकार मुद्दायलह को और से ऊपर लिखे वाक्य से नहीं होता। इस नियम के अनुसार पूरा इनकार जब होता है जब मुद्दायलह यह कहे कि उसने १० जनवरी सन् १९४५ या किसी और तारीख को मुद्दई से १०० रु० या और कोई मतालबा कर्ज़ नहीं लिया।

इसी प्रकार यदि मुद्दई बयान करे कि उसका और मुद्दायलह का एक इकरारनामा इन इन शर्तों से हुआ था और मुद्दायलह उसके जवाब में सिर्फ इतना कहे कि उसको, फ़रीकैन के दरम्यान इकरारनामा का उन शर्तों से जो मुद्दई बयान करता है, होने से इनकार है, तो यह इनकार साफ़ नहीं है। मुद्दायलह को यह कहना चाहिये कि उसको इनकार है कि फ़रीकैन के दरम्यान वह इकरारनामा जो मुद्दई बयान करता है, या और कोई इकरारनामा मुद्दई की बयान की हुई शर्तों से, या किन्हीं और शर्तों से हुआ। अगर उसको इकरारनामा का होना स्वीकार हो और शर्तें स्वीकार न हों तो यह कहना जरूरी है कि शर्तें जो नियत हुईं, यह थीं और जो शर्तें मुद्दई बयान करता है वह ग़लत हैं।

अगर अर्जीदावे में यह बयान हो कि मुद्दायलह ने मुद्दई के कारिन्दे को स्थान बम्बई में १०० रु० रिश्वत के ता० ५ जनवरी सन् १९४५ को दिये और मुद्दायलह इसके जवाब में यह कहे कि उसने उस तारीख पर मुद्दई के कारिन्दे को १०० रु० रिश्वत के बम्बई में नहीं दिये तो यह जवाब मुद्दायलह का इस नियम के अनुसार स्पष्ट इनकार नहीं है क्योंकि असली घटना रिश्वत देने की है और मुद्दायलह के ऊपर के जवाब से उससे वाफ़ इनकार नहीं होता, क्योंकि संभव है कि रिश्वत बम्बई के बजाय अहमदाबाद में दी हो, या ५-जनवरी सन् १९४५ के बजाय फरवरी सन् १९४५ की किसी तारीख को दी हो और १०० रु० की जगह ५० रु० या और कोई मतालबा दिया हो। सही जवाब मुद्दायलह की ओर से यह होना चाहिये कि उसने ५ जनवरी सन् १९४५ को या किसी अन्य तारीख पर, बम्बई में या किसी अन्य स्थान पर मुद्दई के कारिन्दे को १०० रु० या कोई मतालबा रिश्वत में नहीं दिया।

इस नियम का प्रयोजन (अमिप्राय) भी वही है जो नियम नं० ३ का है। दोनों क़ायदों से जो झगड़े के मामले फ़रीकैन के मध्य में होते हैं वह ठीक निश्चय हो जाते

हैं और कोई पक्ष मुकदमे की सुनवाई के समय मामले से इधर उधर नहीं जा सकता।¹

नियम नं० ५ (Order VIII, Rule 5 C. P. C.)

अर्जीदावे में प्रत्येक घटना का बयान, जिसकी वास्तव स्पष्ट रूप से या आवश्यक अभिप्राय से इनकार न किया जावे, या जिसको मुद्दायलह अपनी सीडिङ्ग में अस्वीकार न बयान करे, स्वीकार समझा जायगा, सिवाय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो अयोग्यता रखता हो।

परन्तु यदि अदालत अपने अधिकार से चाहे तो उस स्वीकार युक्त घटना को ऐसी स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य प्रकार से प्रमाणित किये जाने की आज्ञा दे सकती है।

इस नियम का वास्तविक अभिप्राय यह है कि वादी के जितने बयान हों उन सब की वास्तव प्रतिवादी का पूरा जवाब होना चाहिये। यदि प्रतिवादी वादी के किसी बयान का जवाब अपने ओडिङ्ग में न दे तो उससे यह समझ लिया जायगा कि वह बयान उसको स्वीकार है।² परन्तु यह रूल तभी लागू होगा जब मुद्दायलह अपना जवाब दाखिल करे। जवाब न दाखिल करने से यह नहीं मान लिया जावेगा कि वह अर्जीदावे के बयान स्वीकार करता है।³ इसलिये बहुत जरूरी है कि छोटी से छोटी घटना भी उच्च रहित नहीं रहनी चाहिये और जो कुछ बयान प्रतिवादी का प्रत्येक घटना की वास्तव हो वह लिख दिया जावे।

जो प्रतिवादी अवयस्क या बुद्धिहीन होते हैं वह अयोग्यता रखते हैं। उनके विषय में यह नियम लागू नहीं होता।⁴

नियम ३, ४ और ५ का मिल कर अभिप्राय यह है कि इनकार और स्वीकृति हर घटना का पृथक और अलग २ हो और वह इनकार और स्वीकृति स्पष्ट और खुले शब्दों में हो न कि सन्देह युक्त शब्दों में।⁵ यदि किसी घटना से इनकार न किया जावेगा तो यह समझा जावेगा कि वह स्वीकार है।

किसी घटना से इनकार दो प्रकार से होता है पहिला यह कि प्रतिवादी वादी की बयान की हुई किसी घटना को स्वीकार न करे और दूसरा यह कि वह उस

1. A. I. R. 1929 All. 721, 1924 Mad 838, 1923 Cal 578

2. I. L. R. 1938, Nag 469, 1943 Mad. 268, I. L. R., Lah 623.

3. I. L. R. 43, Cal. 1001, A. I. R. 1928 Lab 769

4. A. I. R. 1936 Pat 428, 1923 Mad 114

5. I. L. R. 55 All. 700, A. I. R. 1927 All 225, 1929 Mad 950 (957)

घटना की वास्तव यह बयान करे कि असल में वह घटित नहीं हुई। “स्वीकार न करने” से “इनकार करना” अधिक प्रभावशाली शब्द है और दोनों के आशय में साधारणतया यह भेद होता है कि अस्वीकारी से अभिप्राय यह होता है कि प्रतिवादी के ज्ञान में वह घटना नहीं घटित हुई और प्रतिवादी उस घटना को वादी से प्रमाणित कराना चाहता।

इनकार से अभिप्राय यह होता है कि वास्तव में वह घटना घटित नहीं हुई और वादी का बयान उसके विषय में असत्य है। इसलिये जब भगड़े वाला व्यवहार प्रतिवादी को ज्ञात हो और वह उसके न होने का विरोध करता हो तो उसकी ओर से इनकार होना चाहिये। यदि वह मामला प्रतिवादी को ज्ञात न हो तो उसकी ओर से केवल अस्वीकार करना काफ़ी होगा।

यदि वादी किसी कार्य को प्रतिवादी का किया हुआ बयान करे और प्रतिवादी उस बयान को सच न मानता हो, तो उसको चाहिये कि वह उस बयान से इनकार करे और कहे कि उसने वह कार्य नहीं किया।¹

उदाहरण

१—जब मुद्दे की शिकायत हो कि मुद्दायलह ने मुद्दे की ज़मीन पर अनुचित हस्तक्षेप किया और अमूक मूल्य की लकड़ी काट कर अपने काम में ले ली तो यदि मुद्दायलह को इससे इनकार हो तो कहना चाहिये कि मुद्दायलह ने मुद्दे की किसी आराज़ी पर हस्तक्षेप नहीं किया और न कोई लकड़ी काटी या अपने काम में ली।

२—यदि मुद्दे का बयान हो कि मुद्दायलह ने मुद्दे की दुकान स्थित बाज़ार फुलही शहर आगरा पर कब्ज़ा नजायज कर लिया और मुद्दायलह को ऐसा करने से इनकार हो और इस बात से भी इन्कार हो कि मुद्दे की कोई दुकान उस बाज़ार या शहर में है तो उसको नीचे लिखे दो वाक्य लिखने होंगे।

(अ) मुद्दायलह ने किसी दुकान स्थित बाज़ार फुलही शहर आगरा पर अनुचित अधिकार नहीं किया।

(ब) बाज़ार फुलही शहर आगरा में मुद्दे की कोई दुकान नहीं है।
अगर कोई दुकान अर्ज़ीदावे में विशेष करके लिख दी हो तो यह जवाब देना होगा :—

(अ) दुकान जिसका बयान अर्ज़ीदावे में है, मुद्दे की दुकान नहीं है।

(ब) मुद्दायलह ने उस दुकान पर कब्ज़ा नजायज नहीं किया।

यदि प्रतिवादी को किसी घटना का कोई भाग स्वीकार और कोई भाग अस्वीकार हो तो साफ़ लिखना चाहिये कि इतना अंश स्वीकार है और इतना अस्वीकार है या इतने भाग से इनकार है ।

जैसे अर्ज़ादावे में यह बयान किया गया है कि मुद्दायलह ने प्रमुक्त बयान किया जिस पर यक़ीन करके मुद्दई ने अमल किया और वह बयान घोला और ग़लत बयानी पर निर्भर था, उसके जवाब में मुद्दायलह कह सकता है कि उसके वह बयान करना तसलीम है मगर इससे इनकार है कि वह धोखे और ग़लत बयानी पर निर्भर था । संदेह और संशय दूर करने के लिये बहुधा इनकार के साथ ऐसे शब्दों के लिखने की भी आवश्यकता होती है जो मुद्दायलह के मतलब को ठीक प्रगट करें जैसे, यदि मुद्दई का बयान हो कि “मुद्दायलह ने १० जून सन् १९४६ को मुद्दई से २०० रु० कर्ज़ लिये,” और मुद्दायलह को यह कर्ज़ा या कोई और कर्ज़ा लेने से इनकार हो तो उसको लिखना चाहिये कि “मुद्दायलह ने ता० १० जून सन् १९४६ या किसी और तारीख़ पर २०० रु० जो मुद्दई मांगता है या कोई और कर्ज़ा मुद्दई से नहीं लिया” यदि उसने झगड़े वाले कर्ज़ों के सिवाय कर्ज़ा लिया और दिया हो तो कहना चाहिये कि “मुद्दायलह ने वह कर्ज़ा जिसका दावा है नहीं लिया और न कोई अन्य कर्ज़ा मुद्दई का मुद्दायलह के झुम्मे चाहिये” ।

यदि मुद्दई किसी अदादी को अवयस्क (नाबालिग) बयान करता हो और उसकी उम्र १८ साल से कम बतलाता हो और मुद्दायलह को उसकी अवयस्कता से इनकार हो तो सब से अच्छा मार्ग यह होता है कि इनकार के साथ उसकी ठीक, या अनुमान से अवस्था जो मुद्दायलह के ज्ञान में हो प्रकट कर दी जावे जिससे कोई बयान में संदेह न रहे । इसी तरह अगर अदा की हुई रक़म की तदाद की बाबत कमी बेशी का झगड़ा हो तो मुद्दायलह को जवाब में सही रक़म प्रगट करना उचित होता है ।

अगर मुद्दई ने दावे को तामादी से बचाने के लिये कोई विशेष कारण बयान किया हो या कोई विशेष आर्टीकल लगाया हो तो जवाब में उस वजह से इनकार करते हुए यह भी कहा जा सकता है कि वह वजह कानून से मियाद बढ़ाने के लिये काफ़ी नहीं है या कि वह आर्टीकल जो मुद्दई लगाना चाहता है लागू नहीं होता ।

उन घटनाओं के अतिरिक्त जो तत्व मुक़दमा होती हैं । अर्ज़ादावे के प्रथम भाग में कुछ बातें ऐसी लिखी जाती हैं जिनसे पक्षों का आपस का सम्बन्ध या व्यवहार का उत्पन्न होना प्रगट होता है । ऐसी बातें अर्ज़ादावे के मध्य में वा अन्त में भी असली घटनाओं के साथ में आ जाती हैं लेकिन वह व्यवहार का तत्व नहीं होती । इस प्रकार की घटनाओं को बाबत यदि मुद्दायलह को उनसे इनकार हो, तो वह एकत्रित रूप से

इनकार कर सकता है और कह सकता है कि जो घटनाएँ घारा नं०में लिखी हैं उनसे कुल से और उनमें से प्रत्येक घटना से इनकार है, या स्वीकार नहीं है।

नियम नं० ६ (Order VIII, Rule 6 C. P.C.)

यदि किसी नक़्द रुपये के दावे में प्रतिवादी वादी के दावे से कोई निश्चय रकम मुजरा लेना चाहता हो, जो विधानानुसार प्रतिवादी को वादी से मिल सकती हो और जो अदालत के आर्थिक अधिकार सीमा से अधिक न हो, और उसके सम्बन्ध में दोनों पक्ष वही हैसियत रखते हो जो उस के दावे में हो, तो प्रतिवादी मुक़दमें की पहिली पेशी के समय परन्तु उसके बाद नहीं, जब तक कि अदालत आज्ञा न दे देवे, अपना बयान तहरीरी दाखिल कर सकता है जिसमें उस कर्षे का विवरण जिसकी वह मुजराई चाहता है, दर्ज होगा।

२—ऐसे बयान तहरीरी का ऐसा ही प्रयोजन होगा जैसे अर्षादावे का, एक काट के दावे (Cross Suit) में, जिससे आदलत प्रारंभिक दावे और मुजराई दोनों, की बाबत पूर्ण निर्णय कर सके, किन्तु उसका कोई प्रभाव उस भार (lien) पर, जो किसी वकील का उस खर्च के मुकाबले में जो डिगरी से उसके दिलाया गया हो, न होगा।

३—जो नियम प्रतिवादी के जवाबदावा से लागू होते हैं वह उस बयान तहरीरी से भी लागू होंगे जो मुजराई के दावे के जवाब में हो।

उदाहरण

(अ) ' अ ' ने ' ब ' के लिये २००० रु० वसीयत से छोड़े और ' क ' को अपना निष्ठा कर्त्ता (वसी) और शेषाधिकारी (residuary legatee) नियत किया। ' ब ' मर गया और ' ख ' ने ' ब ' की सम्पत्ति का प्रबन्धक पत्र (चिट्ठियात एहतमाम तरका प्राप्त) किया। ' क ' ने १००० रु० ' ख ' की जमानत की बाबत अदा किये फिर ' ख ' ने वसीयती रुपये की ' क ' पर नालिश की। ' क ' वसीयती रुपये में से १००० रु० कर्ज़ की बाबत मुजरा नहीं पा सकता क्योंकि ' क ' और ' ख ' की वसीयती रुपये के बारे में वह हैसियत नहीं है जो १००० रु० अदा करने के बारे में है।

(ब) ' अ ' बिना वसीयत किये और ' ब ' का कर्ज़दार, मर गया। ' क ' ने ' अ ' की जायदाद का प्रबन्धक पत्र (एहतमाम की चिट्ठियात) हासिल किया। ' ब '

ने उसमें से कुछ जायादाद 'क' से ख़रीद की। दावे में, जो क्रीमत की बाबत 'क' 'ब' के ऊपर दायर करे, उसमें 'ब' अपना कर्ज़ा 'क' से मुजरा नहीं पा सकता क्योंकि 'क' की देा हैसियत पृथक् २ हैं। पहिली 'ब' को बेचने वाले की जिससे कि वह क्रीमत का दावा दायर करता है और दूसरी 'अ' का प्रतिनिधि होने की।

- (क) 'अ' ने 'ब' पर हुन्डी की नालिश की, 'ब' का बयान है कि 'अ' ने बेजा गफलत उसके माल के बीमा कराने में की और वह हर्ज़ का जुम्मेदार है जो उसको मुजरा मिलना चाहिये। हर्ज़ का मतालबा निश्चय न होने क वजह से मुजराई नहीं हो सकती।
- (ख) 'अ' ने 'ब' पर हुन्डी की १०० रु० की नाशिल की। 'ब' की एक डिगरी १००० रु० की 'अ' पर है। दोनों मतालबे निश्चित होने के कारण मुजरा हो सकते हैं।
- (ग) 'अ' ने 'ब' पर अनुचित हस्तक्षेप (मदाखलत बेजा) के हर्ज़ की नाशिल की। 'ब' के पास 'अ' का एक प्रामेसरी नोट (रक्का) १००० रु० का है और वह उसको इस मतालबे से मुजरा कराना चाहता है जो दावे में 'अ' को दिलाया जावे। 'ब' ऐसी मुजराई करा सकता है क्योंकि तजवीज होते ही दोनों मतालबे निश्चित हो जाते हैं।
- (घ) 'अ' और 'ब' ने 'क' पर १००० रु० की नालिश की। 'क' ऐसे दावे में वह कर्ज़ा जो सिर्फ 'अ' पर वाजिब हो मुजरा नहीं करा सकता।
- (च) 'अ' ने 'ब' और 'क' पर १००० रु० की नालिश दायर की। 'ब' अपना कर्ज़ा जो अकेले 'अ' से लेना हो मुजरा नहीं करा सकता।
- (छ) 'अ' पर 'ब' और 'क' की साम्ते की कोठी के १००० रु० चाहिये, 'ब' मर गया और 'क' जीवित है। 'अ' ११०० रु० के कर्ज़े का दावा जो अकेले 'क' पर चाहिये, दायर करता है। 'क' १००० रु० की मुजराई करा सकता है।

ऊपर लिखे नियम और उसके उदाहरणों के ध्यान के साथ पढ़ने से ज्ञात होगा कि मुजराई विशेष दशाओं में और विशेष प्रकार के मुकदमों में होती है। जब तक इस नियम की सब शर्तें पूरी न हों मुजराई नहीं हो सकती। वह शर्तें यह हैं।¹

१—दावा नकद रुपये का हो।

२—जिस मतालबे की मुजराई चाही जाती हो वह निश्चित रक़म हो।

३—वह मतालबा अदालत की माली अधिकार सीमा से ऊपर न हो ।

४—वह रकम कानून से वसूल होने योग्य हो ।

५—मुद्दायलह, की मुजराई रकम की बाबत वही हैसियत हो जो मुद्दई की नालिश के मतालबे की बाबत हो, या दूसरे शब्दों में दोनो फ़रीकैन को वही हैसियत हासिल हो जो मुद्दई के दावे में उनकी हो ।

यह जरूरी नहीं है कि मतालबे-मुजराई की संख्या मुद्दई के दावे से कम हो, यदि मुजराई और मुद्दई के दावे की संख्या बराबर होती है तो एक फ़रीक का दूसरे के जिम्मे कुछ नहीं रहता, यदि मुजराई का मतालबा मुद्दई के दावे से अधिक हो तो जितना अधिक होता है उतने की डिगरी मुद्दई के मुक़ाबले में हो सकती है (उदाहरण ख) यदि मुद्दई का दावा खारिज भी हो जाय तब भी मुद्दायलह डिगरी पा सकता है ।¹

एक हैसियत का मतलब यह है जैसा हक़ मुद्दई को मुद्दायलह से रुपया मांगने का हो उसी तरह मुद्दायलह को भी अपने रुपया मांगने का हक़ मुद्दई से हो ।² अगर एक फ़रीक वसी या मैनेजर की हैसियत से रुपया मांगता हो और दूसरा जाती हैसियत से तो दोनों की हैसियत एक नहीं होती और मुजराई नहीं हो सकती ।³

अदायगी और मुजराई के भेद को ध्यान रखना चाहिये । अदायगी किसी जुम्मेदारी की बाबत होती है जिसको पूरा कराने के लिये नालिश होती है । मुजराई किसी और पृथक् मामले के विषय में होती है जिसकी जुम्मेदारी मुद्दई पर होती है और मुजराई चाहने पर उसकी निसबत भग़ड़ा मुक़दमे में तथ होता है ।⁴

चूँकि मुजराई का सम्बन्ध एक पृथक व्यवहार से होता है इसलिये मुजराई के मतालबे पर अर्ज़ी-नालिश की तरह कोर्टफ़ीस देना पड़ता है ।⁵ अदायगी के उज़्र पर केई कोर्टफ़ीस नहीं दिया जाता ;⁶

अगर मुद्दायलह अपने जवाबदावे में मुजराई का विरोध नहीं उठाता तो वह मुजराई की शहादत देने से और उस पर बहस करने से रोक दिया जाता है ।⁷ और

1. I L R 56 All 912, A I. R 1942 Cal 552, 1942 Mad 580 ; 1 L. R. 5 All 237

2 A I R 1941 Cal 308, 1940 Lah 290

3 I L R 5 All. 299, A I R 1940 Nag. 77

4 A I. R. 1940 All. 393, 5 I. C 67

5 I L R (1942) Mad. 836, I L R 1941 Nag. 753, A. I R 1935 Pat. 110 ; A I R 1938 All 532.

6 A I. R 1937 Lah 62

7. A. I. R 1927 Lah 431, 1915 Mad 242

मुद्दई की डिगरी हो जाने पर, उसकी हजरा में भी ऐसी मुजराई मुद्दायलह नहीं पा सकता ।¹ इसलिये अत्यन्त आवश्यक है कि मुद्दायलह मुजराई का विरोध जवाबदावे में स्पष्ट रूप से लिख देवे ।

मुजराई का मतालबा निश्चित होने का अर्थ यह है कि उसकी संख्या निश्चित हो न कि यह कि वह दूसरा पक्ष स्वीकार करता हो या उसकी डिगरी अदालत से सादिर हो चुकी हो । अनिश्चित हर्जे या खिसारे की मुजराई नहीं हो सकती ।² यदि हिसाब लगाने पर मतालबा निश्चित किया जा सके तो उसकी मुजराई मुद्दायलह माग सकता है ।³ परन्तु जहाँ पर फरीकैन का पुराना हिसाब देखना पड़े और बिना हिसाब के रकम निश्चित न हो सकती हो या मुद्दायलह के हिस्से या उसकी संख्या की निस्वत भ्रगङ्गा हो, ऐसी दशा में मुद्दायलह मुजराई नहीं माँग सकता ।⁴

अदालत मुजराई का प्रश्न उसी संख्या तक फैसल कर सकती है जितना कि उस अदालत को अधिकार हो, क्योंकि मुद्दायलह की मुजराई के रकम कीब 1 वत हैसियत एक मुद्दई की तरह होती है और उसके हक में आर्डर २० रूल १६ फिकरा १ के अनुसार डिगरी सादिर की जा सकती है ।⁵ इसलिये यदि मुजराई का मतालबा अदालत के नकदी अधिकार से अधिक हो तो उसका दूसरा दावा किया जा सकता है या मुद्दई के ऐसी संख्या स्वीकार कर लेने पर उचित हुकम दिया जा सकता है । यह आवश्यक नहीं है कि दावे और मुजराई की संख्या मिला कर अदालत के आर्थिक अधिकार के अन्दर हों क्योंकि वह दो दावे गिने जावेगे ।⁶ जैसे एक मुसिफ़ी के दावे में जहाँ अदालत का आर्थिक अधिकार १००० रु० हो और यदि दावा २००० का हो किन्तु मुद्दायलह ५००० रु० तक की मुजराई माग सकता है ।

नियम नं० ७ (Order VIII, Rule 7 C. P. C.)

अगर मुद्दायलह एक से अधिक और जुदागाना जवाबदही या मुजराई पर भरोसा करता हो जो पृथक और अलग २ घटनाओं पर निर्भर हों, वह जहाँ तक हो सके पृथक और अलग २ लिखी जावें ।

इस नियम का अभिप्राय यह है की मुद्दायलह मुद्दई के दावे का जवाब कई प्रकार से दे सकता है और एक से अधिक मतालबे की मुजराई माँग सकता है । यदि ऐसे जवाब या मुजराई अलग २ घटनाओं से बनते हों तो वे घटनाएँ अलग २

1 A I R 1924 Lah 434

2 I. L. R 46 All. 922, A. I R 1943 Oudh 17, 5 I C. 67 and 211

3. L B. R 186 F. D

4. I. L R 1941 Nag. 753, 57 Cal 855, 39 All 392, A I. R. 1936 All. d 522

5. I. L. R. 57 All. d 912, A, I R. 1942 Cal. 559

6. A. I. R. 1932 Bom. 611, 1942 Mad. 580, I. L R 5 All. d. 236, 3 Cal. 527

लिखनी चाहियें। ऐसा करने से प्रत्येक का फैसला अलाहिदा २ किया जा सकेगा और मुद्दई भी अलाहिदा २ जवाब दे सकेगा। (देखो आर्डर ७ नियम ८)

नियम नं० ८ (Order VIII, Rule 8, C. P. C.)

कोई बजह जवाब दावा की, जो नालिश करने या मुजर्राई का बयान तहरीरी दाखिल करने के बाद पैदा हुई हो, मुद्दायलह या मुद्दई, जैसी सुरत हो, अपने बयान तहरीरी में उठा सकता है।

साधारण नियम यह है कि फरीकैन के स्वत्व व अधिकार का निर्णय उस तारीख तक किया जाता है जिस तारीख पर मुकदमा दायर किया गया हो¹ परन्तु विशेष परिस्थितियों में न्याय-रक्षा के लिये अदालतें दावा दायर होने की बाद की घटनाओं का भी फैसला करते समय खयाल कर सकती हैं।²

इस क्रायदे के अनुसार विशेष परिस्थित में मुद्दई और मुद्दायलह दोनों दूसरा बयान तहरीरी दाखिल कर सकते हैं और वह विशेष परिस्थित यह है कि उसके दाखिल करने का कारण, अज्ञांदावा या बयान तहरीरी मुजर्राई का, दाखिल करने के बाद पैदा हुई हो। इसी नियम के अनुसार मुद्दई मुद्दायलह के मुजर्राई के बयान तहरीरी के जवाब में अपना बयान तहरीरी दाखिल करता है।

नियम नं० ९ (Order VIII, Rule 9, C. P. C.)

कोई प्लीडिंग बाद बयान तहरीरी मुद्दायलह के दाखिल नहीं किया जायेगा सिवाय उस प्लीडिंग के जो मुजर्राई के जवाब में पेश किया जावे किन्तु अदालत की आज्ञा से और ऐसी शर्तों पर जिनको अदालत उचित समझे नया प्लीडिंग दाखिल हो सकेगा, परन्तु अदालत को अधिकार है कि जिस समय चाहे बयान तहरीरी या अधिक (मज्जीद) बयान तहरीरी दाखिल करावे और उसके दाखिल करने के लिये समय नियत करे।

साधारण नियम यह है कि मुद्दायलह का बयान तहरीरी दाखिल होने के बाद कोई मोडिङ्ग दाखिल नहीं होता किन्तु तीन परिस्थितियों में ऐसा होता है और वे ये हैं—

(१) जब मुद्दायलह ने मुजर्राई चाही हो, तो मुद्दई उसके जवाब में अपना बयान तहरीरी दाखिल कर सकता है।

¹ I. L. R. 10 Luck 270 ; 11 Alld. 438 ; A I R 1940 Sind 182

² A I R. 1941 Oudh 422 , (429) , 1929 Alld 341 ; I. L R 52 Bom 883 ; 6 C. L. J. 74.

- (१) अदालत की इजाजत से ओर उन शर्तों पर जो अदालत नियत करे दोनों फरीक नया या अधिक बयान तहरीरी दाखिल कर सकते हैं ।
- (२) जब अदालत स्वयं किसी फरीक से बयान तहरीरी या अधिक बयान तहरीरी मांगे

नियम नं० १० (Order VIII, Rule 10, C. P. C.)

अगर कोई फरीक जिससे बयान तहरीरी मांगा गया हो, बयान तहरीरी उस अवधि के अन्दर दाखिल न करे जो अदालत से नियत हुई हो तो अदालत को अधिकार है कि उस फरीक के विरुद्ध तजवीज देवे या मुकदमे की निसबत कोई ऐसा हुक्म दे जो उचित हो ।

नियम नं० ६ और १० का उद्देश्य है कि अतिरिक्त, जवाब दावा पेश करने से पहले अदालत की आज्ञा प्राप्त करली जावे ।¹ यदि अवयस्क मुद्दायलह मुकदमे के दौरान में वयस्क या बालिग हो जाता है तब भी वह अदालत से आज्ञा लिये बिना स्वयं जवाब दावा नहीं दाखिल कर सकता है ।² यदि फरीकैन की झीडिङ्ग में कोई त्रुटि या अस्पष्टता हो तो अदालत उसको एक पूर्ण और अतिरिक्त जवाब दावा दाखिल करने की आज्ञा दे सकती है ।³ और उस फरीक के, अदालत की आज्ञा उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध मुकदमा फैसला कर सकते है या अन्य उचित हुक्म दे सकते है । ध्यान रहे कि अतिरिक्त जवाब दावे में कोई फरीक अपने पहले जवाब दावे के विरुद्ध बयान नहीं कर सकता ।

बयान तहरीरी की बनावट

जैसा कि नियम नं० २ की टिप्पणों में उल्लिखित किया गया है प्रतिवाद के स्वरूप ४ होते हैं ।

- (१) प्रतिवादी अर्जादावे के बयान और घटनाओं से इन्कार करे या उनको स्वीकार न करे ।
- (२) प्रतिवादी उन बयानों को स्वीकार करे पर उनका प्रभाव नष्ट करने के लिये अन्य घटनायें बयान करे जिनसे उस पर ज़िम्मेदारी न आती हो ।
- (३) अर्जादावे की घटनाओं को स्वीकार करते हुए भी उनके विधानानुसार प्रभाव पर आक्षेप करे । अथवा,

1. A. I. R 1925 Bom 390, 1915 Mad 984

2. A. I. R Mad 117, 1937 Pat 625

3. I. L R 17 Cal 840. (848.)

(४) प्रतिवादी अदायगी की मुजराई चाहे या वादी के विरुद्ध अपना-
दावा पेश करे ।

प्रतिवाद के येही ४ स्वरूप हो सकते हैं जो विशेष २ परिस्थितियों और दशाओं में काम में लाये जाते हैं । आवश्यकतानुसार चारों प्रणाली एक ही जवाबदावे में काम में लाई जा सकती हैं क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि एक ही प्रणाली प्रयोग में लाई जावे ।

जवाबदावा लिखने की एक से अधिक रीतियाँ प्रचलित हैं । एक रीति जिसकी सबसे अधिक प्रथा है वह यह है की पहिले अर्ज़ीदावे की प्रत्येक धारा के विषय में इन-कारी, स्वीकारी या अस्वीकारी लिखी जाती है । इस प्रकार अर्ज़ीदावे के सब धाराओं की बाबत लिखने के बाद अतिरिक्त बयान (उज्रात मज़ीद) या इसी तरह के शब्दों से सरनामा करके मुद्दायलह के विरोध लिखे जाते हैं जिनमें मुद्दायलह का कुल मुक़दमा लिखा जाता है ।

दूसरी रीति यह है कि अर्ज़ीदावे के हर फ़िक्क्रे की बाबत इनकार या स्वीकारी होना या न होना लिखते हुये उस फ़िक्क्रे का पूरा जवाब मुद्दायलह की ओर से एक या एक से अधिक फ़िक्क़रों में लिख दिया जाता है । जब इस प्रकार अर्ज़ीदावे के एक फ़िक्क्रे का मामला पूरा हो जाता है तो दूसरे फ़िक्क्रे की बाबत इनकार, स्वीकारी या अस्वीकारी लिख कर उसका पूरा जवाब दिया जाता है । इसी तरह हर फ़िक्क्रे का जवाब देकर कुल बयान तहरीरी तैयार होता है ।

तीसरी रीति यह है कि अर्ज़ीदावे के फ़िक्क़रों का हवाला न देकर मुद्दायलह मुक़दमे की तत्व घटनाएँ बयान करता है और उस सिलसिले में उन घटनाओं के विषय में जो मुद्दई ने बयान की हैं इनकारो या स्वीकारो करता है ।

ज़ोडिंग के उदाहरण जो इस पुस्तक में आगे दिये जावेंगे उनमें तीनों तरह के बयान तहरीरी मिलेंगे किन्तु सबसे उत्तम रीति यही होती है कि मुद्दायलह अर्ज़ीदावे के हर फ़िक्क्रे को नम्बरवार लेवे और उसकी बाबत बयान करे कि उससे इनकार है या वह स्वीकार है या स्वीकार नहीं है या इतना स्वीकार है और इतना स्वीकार नहीं है और उसकी बाबत मुद्दायलह का उत्तर क्या है और पूरा जवाब उची जगह लिख दे । जब पहिले फ़िक्क्रे का जवाब इस तरह ज्ञतम हो जावे तब दूसरा फ़िक्क़रा लेवे और उसका जवाब भी उसी तरह लिखे । फिर तीसरा, चौथा, पाँचवाँ फ़िक्क़रा वगैरह अन्त तक लेता जावे और जवाब देवे और अपने घटनाओं के और कानूनी विरोध उचित स्थान पर लिखता जावे और बचे हुये विरोध या मुजराई इत्यादि अन्त में लिख देवे । इस तरह तैयार किया हुआ तहरीरी दाख़िल होने से दोनों पक्षों का मुक़दमा बहुत जल्द समझ में आ जाता है और विवाद-स्पद विषय (तनक़ीह) आसानी से नियत हो जाते हैं ।

प्लीडिंग के नियमों की पूर्ति भी उत्तम रूप से हो जाती है। जो बयान-तहरीरी के नमूने आगे दिये गये हैं वह बहुधा इसी बनावट के हैं।

प्लीडिंग में, नियमों के अनुसार कानूनी स्वत्व लिखने की आवश्यकता नहीं होती परन्तु अनेक स्थानों पर ऐसा लिख देने से घटनाओं के समझने में सुविधा होती है और बहुधा बढ़ाव बच जाता है। ऐसी दशा में यह लिख देना कि वादी असुक्र स्वत्व का अधिकारी है या प्रतिवादी उसका जिम्मेदार है अनुचित नहीं होता।

जहाँ मुद्दालयलह मुजर्राई चाहता हो या अपना दावा मुद्दई के मुक़ाबिले में पेश करता हो, तो वह बयान-तहरीरी में उन घटनाओं के लिखते हुये जिनसे ऐसा हक़ पैदा हो, लिख सकता है कि वह मुजर्राई या अपना मतलब पाने का अधिकारी है।

चतुर्थ अध्याय

दखर्वास्त, हलफ़ी बयान और अपील

१—दखर्वास्ते

मुक़दमा दायर हो जाने के बाद जब वह पहिली अदालत या अदालत अपील में चलता रहता है, उसके सिलसिले में बहुत सी दखर्वास्ते प्लान्ता दीवानी संग्रह की विविध धाराओं और नियमों के अनुसार गुज़रती हैं, जैसे मुक़दमें की काररवाई रुकवाना, उसको एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तक़िल कराना, हुक़म इमतनाई निकलवाना, रिसीवर नियत कराना इत्यादि। जब कोई दावा या अपील किसी एक फरीक की अनुपस्थिति में डिगरी या डिगमिस हो जाता है तो उसको नम्बर पर लाने के लिये दखर्वास्त पेश होती है, जब मुक़दमा एक अदालत से एक फरीक के हक़ में निर्णय हो जाता है तो सफल पक्ष उस तजवीज़ की डिगरी को असफल पक्ष के विरुद्ध जारी करने के लिये इजराय की दखर्वास्त पेश करता है और असफल फरीक उसमें उअदार होता है। यदि अदालत अपील से पहिली अदालत का फैसला मनसूख़ हो जाता है और पहिली अदालत से सफल पक्ष ने इजराय डिगरी से कुछ लाभ प्राप्त कर लिया होता है तो अपील से जीतने वाला फरीक उसके मुक़ाबले में वापसी की दखर्वास्त पेश करता है।

इन सब दखर्वास्तों के अतिरिक्त एक अदालत की डिगरी और अन्य आह्वानों के विरुद्ध अपील की दखर्वास्ते, जो मूजबात अपील या याददाश्त अपील के नाम से बोली जाती हैं, पेश होती हैं, और हर अदालत दीवानी की डिगरी या हुक़म की तजवीज़ सानी, निर्णय पर फिर से विचार करने, की दखर्वास्त हो सकती हैं। इजराय डिगरी में जो काररवाई होती हैं उनके सिलसिले में बहुत सी दखर्वास्ते, उअरदारी, मंसूखी नीलाम इत्यादि की गुज़रती हैं। रकन के मुक़दमों में प्रारम्भिक डिगरी के पश्चात अंतिम डिगरी बनने की दखर्वास्त, और यदि आइ की जायदाद के नीलाम से पूरा रुपया वसूल नहीं होता, तो ज़ात के मुक़ाबले में डिगरी बनवाने की दखर्वास्त दी जाती है। इस तरह पर अनेक प्रकार की दखर्वास्ते पेश होती हैं।

उन दख्खवास्तों के अतिरिक्त जो किसी दीवानी के मुकदमे या अपील के सिलसिले में दी जावें, दीवानी की अदालतों को बहुत सी ऐसी दख्खवास्तें सुनने का अधिकार होता है जिनका सम्बन्ध किसी मुकदमों से नहीं होता, जैसे किसी अवयस्क (नाबालिग) का संरक्षक नियत करने, संरक्षक (बली) को इजाजत इन्तकाल देने, सार्टीफिकेट उत्तराधिकारस्वत्व (विरासत) या प्रोबेट प्रवन्धक-पत्र (चिट्ठियात एहतमासतर्का) हासिल करने, देवालिया करार दिये जाने इत्यादि इस प्रकार की दख्खवास्तों पर जो कारवाई होती है वह मुत्तफर्रिका मुकदमे कहलाते हैं और जानता दीवानी संग्रह ऐसी कारवाई से लागू होता है ।

असाधारण और मुतफर्रक दरखास्तों के बनाने के लिये भी वह सावधानी बर्तनी चाहिये जो कि प्लीडिंग बनाने के लिये और यह ध्यान रखना चाहिये कि उनमें अनावश्यक बातें न लिखी जावे जिनसे उनका आकार न बढ़ने पावे किन्तु जिस उद्देश्य के लिये दरखास्त दी जावें उसकी पूति के लिये उचित घटनाएँ और बयान उल्लिखित किये जावें ।

यह जानने के लिये कि प्रार्थना पत्र में क्या लिखा जावेगा वह कानून जिसके आश्रित दरखास्त दी जावे ध्यान से पढ़ लिया जावे । जाप्ता दीवानी संग्रह और अन्य कानूनों की भिन्न भिन्न धाराओं में प्रायः वे सब बातें विवरण सहित लिखी हुई हैं जिनका किसी एक दरखास्त में लिखना, जो उस कानून के अनुसार दी जावे, आवश्यक होता है जैसे जाप्ता दीवानी संग्रह की धारा १० में मुकदमें की कार्यवाही को स्थगित कराने के लिये ; धारा २४ में मुकदमें को इन्तकाल कराने के लिये ; आर्डर ३३ नियम २ में मुफलिसों के लिये या अवयस्क का संरक्षक बनने के लिये एक्ट ८ १८६० में (Guardian and Wards Act 1890) । या देवालिया के लिये कानून देवालिया (Provincial Insolvency Act) ऐसी दरखास्तों में यह विशेष ध्यान रखना चाहिये कि कोई विवरण जो उस कानून के अनुसार लिखना आवश्यक हो दरखास्त में छूट न जावे, जहाँ तक हो सके वे ही शब्द प्रयोग में लाये जावें, जो उस कानून के अनुसार जिसके आश्रित दरखास्त दी जावे, आवश्यक हों ।

दरखास्त के सिरनामे में अदालत का नाम लिखने के बाद प्रार्थी (सायल) का नाम और विरुद्ध पक्ष (फरीक सानी) का नाम लिखना चाहिये । यदि दरखास्त किसी नम्बरी या मुतफर्रक मुकदमे के सम्बन्ध में दी गई हो तो उस मुकदमे का नम्बर और वर्ष अदालत के नाम के नीचे लिखना चाहिये । वह कानून या नियम जिसके अनुसार दरखास्त दी जावे, सिरनामे के नीचे लिखा जावे । जिस प्रकार से भिन्न २ दरखास्त लिखी जाती हैं वे इस पुस्तक के

द्वितीय खंड में दिये हुये नमूनों से सुगमता से जाने जा सकते हैं, उनको ध्यान से देखना चाहिये ।

प्लीडिंग की तरह घटनायें जो दरखास्तों में लिखी जावें शुद्ध और स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में दीजावें । उनको भिन्न २ धाराओं में विभाजित किया जावे और जहाँ तक हो सके एक घटना एक धारा या पैरा में लिखी जावे और पैरो पर नम्बर डाले जावें । जहाँ पर आवश्यक घटनायें अनेक हों या पुराना व्यवहार हो तो ऐसी घटनाओं को तारीखवार या अन्य सिलसिले से लिख देना चाहिये ।

अनेक दरखास्तों के समर्थन के लिये हलफी बयान (शपथ पत्र) देना कानून से जरूरी होता है जैसे पंचायती फैसले के विरुद्ध एतराज, उत्तराधिकारी का नाम चढ़वाना, रिसीवर नियंत कराना इत्यादि । अन्य साधारण दरखास्तों के समर्थन के लिये भी अदालत बयान हलफी माँगती है । जहाँ पर दरखास्त और बयान हलफी दोनों में एक ही घटनाओं का वर्णन हो वहाँ पर यह उचित होता है कि उन घटनाओं को हलफी बयान में लिखकर दरखास्त में न दोहराया जावे वरन् यह लिखा जा सकता है “ उन घटनाओं के अनुसार जो कि इस दरखास्त की पुष्टि के बयान हलफा में वर्णन की गई है सायल प्रार्थी है कि..... इत्यादि इत्यादि ” दरखास्त की मालियत भी लिखना चाहिये जिससे अदालत का रसूम, तलबाना, व फीलों की फीस इत्यादि नियत हो सके ।

अन्त में प्रार्थना जो कुछ हो चाफ शब्दों में लिखनी चाहिये और उसके नीचे प्रार्थी या उसके वकील के हस्ताक्षर होने चाहिये । बहुत सी दरखास्तों पर तर्दीक लिखना भी जरूरी होता है । जैसे अर्जीदावा, तर्मीम करने की दरखास्त इत्यादि । ऐसी दरखास्तों को अर्जीदावा की तरह प्रमाणित भी करना चाहिये ।

इन सब प्रकार की दरखास्तों में से बहुत सी दरखास्तें ऐसी होती हैं जिनके लिखने या बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती । इस लिये हर प्रकार की दरखास्तों के नमूने देने से पुस्तक का अनावश्यक बड़ाव होगा । इस लिये केवल उन दरखास्तों के नमूने दिये गये हैं जिनके बनाने में कुछ कठिनाई होती है या जिनकी बाबत सावधानी करने की आवश्यकता है ।

दरखास्तों के मजमून से उनकी समर्थन (ताईद) के बयानहलफी बड़ी आसानी से, यदि नियमों और दिये हुये नमूनों का ख्याल रक्खा जावे, बन सकते हैं ।

२—बयान हलफ़ी (शेष-पत्र)

(आर्डर १९ ज़ाबता दीवानी संग्रह)

बयान हलफ़ी अदालत की बहुत सी कार्रवाइयों में दाखिल होते हैं। कभी वह अदालत के हुक्म से एक या एक से अधिक घटना सिद्ध करने के लिये पेश किये जाते हैं। कभी उनके देने की आवश्यकता मुक़दमे से संबन्धित अभ्यवातों प्रगट करने के लिये होती हैं, कभी दस्तावेज़ात के मुआइने के सम्बन्ध में उनका दाखिल करना आवश्यक होता है। कभी वह मुक़दमे के दौरान में किसी दरखास्त के समर्थन में पेश किये जाते हैं। मुक़दमे को या उसकी किसी कार्यवाही को स्थगित कराने, या अभ्य हुक्म निकलवाने, उत्तराधिकारी का नाम चढ़वाने, कुर्ची या गिरफ्तारी कराने, रिखविर नियत कराने इत्यादि की डिगरी बगैरह की दरखास्त के साथ बयान हलफ़ी देना जरूरी होता है जिस द्वारा अदालत को विश्वास दिलाया जाता है और उसका इतमीनान किया जाता है कि वे घटनाएँ जिनके आधार पर दरखास्त दी जाती है, सच हैं।

बयान हलफ़ी नीचे लिखे नियमों के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिये—

१—बयान हलफ़ी में सिर्फ़ वे घटनाएँ लिखी जावें जो शपथ लेने वाला अपनेज्वाती इल्म से समर्थन कर सके।

यदि बयान हलफ़ी किसी मुक़दमे की दरखास्त की पुष्टि में दिया जावे तो उसमें वे घटनाएँ भी लिखी जा सकती हैं जिनका बयान हलफ़ी देने वाले को विश्वास हो किन्तु शर्त यह है कि ऐसे विश्वास का कारण भी प्रकट कर दिया जावे।

२—बयान हलफ़ी पृथक २ धाराओं में विभाजित हो और प्रत्येक धारा पर सिलसिले से नम्बर हो।

४—जहाँ तक हो सके व्यवहार या घटनाओं के पृथक २ भाग अलग अलग धाराओं में लिखे जावें।

इन नियमों के अतिरिक्त बयान हलफ़ी के प्रारम्भ में बयान देने वाले का पूरा पता लिखना पड़ता है और यह प्रगट करना भी जरूरी होता है कि उसका उस काररवाई से, जिसमें बयान हलफ़ी वह दे रहा है, या उसके फ़रीकों से, क्या सम्बन्ध है।

घथान हलफी के अन्त में तसदीक लिखना होती है। तसदीक में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये कि किन घटनाओं को बयान करने वाला अपने ज्ञाती इल्म से सच-जानता है और किन घटनाओं को वह सच विश्वास करता है और वह विश्वास किस सूचना से या अन्य प्रकार से वह रखता है। तसदीक में स्थान और तारीख लिखी जानी चाहिये और उस पर हस्ताक्षर होना चाहिये।

क्योंकि असत्य शपथ पत्र पेश करने वाले के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा चल सकता है इसलिये हलफी बयान की तैयारी में विशेष सावधानी बर्तनी चाहिये। वकील का कर्तव्य है कि वह बयान दाखिल करने वाले से उन घटनाओं की जिनका शपथ पत्र में वर्णन हो पूरी र पूछताछ करके तसदीक कर लेवे जिससे उस मनुष्य की या वकील की असावधानी से भविष्य में कोई दुष्परिणाम न उत्पन्न हो। बयान हलफी में यदि किसी स्थान या किसी व्यक्ति का उल्लेख होवे तो उसका पूरा पता भी देना चाहिये जिससे उसकी पहचान हो सके। यदि बयान के लिये किसी दस्तावेज से सहायता ली गई हो तो उसका पता और विवरण देना चाहिये। ध्यान रहे कि बयान हलफी का संशोधन नहीं हो सकता परन्तु यदि कोई गलती या अशुद्धि हो गई हो या अन्य आवश्यक घटनायें लिखनी जरूरी हो तो दूसरा बयान हलफी दाखिल किया जा सकता है।

३-मूजबात अपील

मूजबात या याददास्त अपील वह पत्र होता है जिसमें वह ऐतराज या बजूहात, (मूल कारण या तर्क) लिखे जाते हैं जिनके आधार पर अधीन अदालत का फैसला मनसूख करने की प्रार्थना किसी पक्ष की ओर से होती है।

मूजबात अपील प्रार्थना पत्र की तरह नहीं लिखी जाती। इसमें दूसरे पक्ष की शिकायत लिखना या मुकदमे के व्यवहार की घटनाएँ लिखना बेकार होता है, इस लिये ऐसा नहीं करना चाहिये।

अर्जीदावा और जवाब दावा की तरह मूजबात अपील में भी ऊपर उस अदालत का नाम लिखना होता है जिसमें अपील दायर की जावे। इसके बाद अपील का नम्बर, प्रार्थी का नाम और मुकदमे का सिरनामा, यानी फरीकैन का नाम और उस हुक्म या डिगरी की तफसील जिसके विरुद्ध अपील की जावे और उसकी मालीयत लिखनी चाहिये। इसके बाद वह मूल कारण जिनके आधार पर या

जिनकी वजह से अधीन अदालत का फैसला भंग व मंसुख कराना हो दर्ज करना चाहिये। अपील करने वाले पक्ष की प्रार्थना या वह दादरसी जिसका वह इच्छुक हो, भी साधारणतया मूजवात अपील में लिखी जाती है यद्यपि यह उसका आवश्यक अंग नहीं है क्योंकि अदालत उचित दादरसी अपीलान्ट को हमेशा दिला सकती है।

मुकदमे के सिरनामा में अपीलान्ट या अपील करने वाले का नाम पहले लिखा जाता है और उसके बाद रैसपान्टैन्ट, चिरुद्ध पक्ष या फरीक सानी, का। पक्षों के नाम के साथ यह भी लिख देना चाहिये कि वह पहिली अदालत में किस हैसियत से फरीक थे, चादा या प्रतिवादी, मुद्दई या मुदायलह, सायल या फरीक सानी जैसे—

(१) अ—ब—(पता इत्यादि) मुद्दई या मुदायलह अपील करने वाला
(अपीलान्ट) बनाम

क—ख—(पता इत्यादि) मुद्दई या मुदायलह उत्तरदाता (रैसपान्टैन्ट) या

(२) अ—ब—(पता इत्यादि) डिगरीदार या मदयून, अपील करने वाला
(अपीलान्ट) बनाम

क—ख—(पता इत्यादि) डिगरीदार या मदयून, उत्तरदाता (रैसपान्टैन्ट)

फरीकैन के नाम के बाद उस आर्डर या डिगरी का विवरण देना चाहिये जिसके खिलाफ अपील की गई हो, उसका नम्बर व साल, तारीख, नाम अदालत जिसने डिगरी पास की और नाम हाकिम इस प्रकार से लिखना चाहिये।

“अपील खिलाफ डिगरी मिस्टर या श्री…… मुंसिफ, परिचमी, इलाहाबाद, जो मुकदमा नम्बरी…… सन्……में ता०……मा०……सन्……को सादर हुई।”

“उपरोक्त मुद्दई अपीलान्ट अदालत जिला जज इलाहाबाद में, खिलाफ डिगरी मिस्टर……मुंसिफ, गरवी, इलाहाबाद, मुकदमा नं०…… सन्……जो ता०……मा०……सन्……को सादर हुई निम्न लिखित कारणों से अपील करता है”……

(देखो फारम नं० १ परिशिष्ट १ ज्ञान्ता दीवानी संग्रह)

मूजवात अपील में मूल कारणों के पहिले अपील की मालियत लिखनी चाहिये। यद्यपि ज्ञान्ता दीवानी संग्रह में इस विषय पर कोई नियम नहीं दिया गया, भिन्न २ हाई कोर्टों ने नियम बना रखे हैं जिनसे अपील का ताथून लिखना जरूरी होता है, क्योंकि कभी मुकदमे का एक अंश डिगरी होता है और बाकी भाग खारिज होता है और अपील उसी अंश की दायर की जाती है जिसमें अपील

करने वाला पक्ष असफल रहता है, इसके अतिरिक्त कोर्ट फीस, वकीलों की फीस इत्यादि ऐसे नियत किये गये तायून के हिसाब से ही लगाई जाती है, इसलिये अपील और क्रॉस अपील की मालियत लिखनी चाहिये ।

वजुहात अपील वह कारण होते हैं जिनकी वजह से उस हुक्म या डिगरी को कोई पक्ष मंखूख और रद कराना चाहता है । आर्डर ४१ रूल २ के अनुसार अपील करने वाला पक्ष उन्हीं वजुहात पर बहस कर सकता है जिनको उसने अपनी याददाश्त अपील में दर्ज किया हो यद्यपि अदालत अन्य वजुहात पर भी अपना निर्णय दे सकती है और अपीलान्ट को अन्य कारणों पर बहस करने की आज्ञा दे सकती है परन्तु यह बहुधा नहीं दी जाती^१ । कोई पक्ष अपना मुकदमा अपील में बदल नहीं सकता न कोई ऐसी वजह उठा सकता है जिनको उसने प्रारंभिक अदालत में अपना आधार नहीं किया^२ या जिनको उसने प्रगट नहीं किया^३ । इन सब बातों का ध्यान रख कर अपील की मूजबात बतानी चाहिये ।

प्रथम अपील में अधीन अदालत की शहादत समझने की गलती और कानून जो मुकदमे से लागू हो उसकी त्रुटियाँ, दोनों पर बहस की जा सकती है । इसलिये वह सब वजुहात मूजबात अपील में लिखने चाहिये । द्वितीय अपील प्रायः अधीन अदालत की कानून संबन्धी गलती पर ही हो सकती है इसलिये कानूनी त्रुटियों पर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

आर्डर ४१ रूल १ के अनुसार मूजबात अपील में (१) विरोध (ऐतराज) संक्षिप्त रूप से लिखे जावें, (२) उसमें शहादत, बहस या बयान न लिखा जावे, (३) प्रत्येक विरोध पृथक लिखा जावे और उसपर सिलसिलेवार नम्बर डाला जावे (४) वह ऐतराज उस डिगरी से संबन्धित हों जिसके विरुद्ध अपील की जावे । इसके अतिरिक्त मूजबात अपील के साथ अधीन अदालत की तजवीज व डिगरी की नकल, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो दाखिल करना चाहिये । यदि किसी विशेष कारण से नकल न मिल सकी हो तो उसको बाद को दाखिल करने की इजाजत ले ली जावे ।

दादरसी लिखने के बाद अपील कर्ता या उसके वकील के हस्ताक्षर होने चाहिये । मूजबात अपील कर तसदीक नहीं लिखी जाती इसलिये अपील करने वाले पक्ष का वकील ही दस्तखत कर सकता है ।

आर्डर ४१ रूल २२ के अनुसार अपील दाखिल होजाने पर दूसरा फरीक या सफल पक्ष क्रॉस ओब्जेक्शन या अपील (Cross objection or cross appeal)

^१ See 80 I O 921, I L R 13, All 381.

^२ 53 I. A. 64 (70), 94 I C. 501, I L R 16 Bom. 586.

^३ I. L. R 10 Mad 1 (8), 33 Bom. 35

दाखिल कर सकता है। क्रॉस-अपील के लिये भी उन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिये जो मूजबात अपील के लिये आवश्यक हैं, साधारण शब्दों को जहाँ तहाँ बदल देना चाहिये।

सिरनामे में “अपील” के बजाय “क्रॉस-अपील” और सिरनामा के नीचे इस प्रकार लिखना चाहिये।

“क्रॉस-ओब्जेक्शन या एतराज खिलाफ अपील आ० ४१ रूल २२ के अनुसार(उत्तरदाता पक्ष का नाम) की ओर से”।

क्रॉस-अपील, अपील दाखिल हो जाने के एक महीने के अन्दर दायर किया जा सकता है। यह अवधि यदि अदालत अपील चाहे बढ़ा सकती है। क्रॉस-अपील का नोटिस दूसरे पक्षों को अदालत की ओर से दिया जाता है और अपील यदि अदम पैरबी में खारिज भी हो जावे, तब भी क्रॉस-अपील की सुनवाई की जाती है।

द्वितीय भाग

प्रथम अध्याय अर्जीदावों के नमूने

१- ऋण या कर्जा

ऋण भिन्न २ प्रकार से लिया जाता है। साधारण रूप से सरखत, रुका, टीप या तमस्सुक, हुन्डी और वही खाते इत्यादि पर कर्ज लिया जाता है। और इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं जवानी लेन देन भी होता है। इसलिये कर्जे की नालिशें भिन्न २ प्रकार की होती हैं।

इस भाग में अर्जी दावों के जो नमूने दिये गये हैं वह हत उधार, प्रामेसरी नोट, टीप या तमस्सुक, और वहीखाते इत्यादि पर लिये हुए कर्जे की बाबत हैं। हुन्डी व चैक इत्यादि की नालिशें अन्य भागों में आगे दी जावेंगी। हर प्रकार की नालिश का नमूना लिखना असम्भव ही नहीं वरन् वृथा भी है। जो नमूने यहाँ पर दिये गये हैं उनसे हर प्रकार के ऋण की नालिश आसानी से तय्यार की जा सकती है।

यदि कर्जा किसी दस्तावेज पर दिया गया है तो दावा उसी के आधार पर होना चाहिये। यदि सादे कर्जे का दावा हो तो उसमें कर्जे का दिया जाना, उसकी अदायगी की प्रतिज्ञा और उसका भंग होना और वह किन शर्तों पर दिया गया था अर्जी दावे में लिखना चाहिये। यदि दावा तीन साल के अन्दर है तो कर्जे की अदायगी के इकरार का लिखना आवश्यक नहीं है। यदि कर्जा मुद्दई के वहीखाते में लिखा हो या मुद्दायतह ने अपने हाथ से तहरीरी इकरार किया हो तो भी अर्जी दावे में इसका लिखना जरूरी नहीं है परन्तु यदि इसी इकरार के ऊपर दावा किया जावे तो उसका लिखना जरूरी है। जवाब दावे में मुद्दायतह कह सकता है कि कर्जा वसूल होने काबिल नहीं है क्योंकि वह किसी अन्याय युक्त या अनुचित काम के लिये दिया गया था या वह कर्जे की शर्तों से इनकार कर सकता है।

यदि ऋणी अपना हस्ताक्षर या चिन्ह स्वीकार न करे तो मुद्दई को कर्जा

साबित करना होता है।¹ और यदि ऋणी अपने हस्ताक्षर को तस्लीम कर लेवे तब उसको यह साबित करना होता है कि उसने वह कर्जा नहीं लिया।²

यदि दस्तावेज किसी अविभक्त हिन्दूकुल के फर्म के हित में लिखा गया हो तो दावा अविभक्त कुल के मैनेजर या कर्ता के नाम से करना चाहिये या उस कुल के सब बालिग सदस्यों के नाम से न कि ऐसे फर्म के नाम से क्योंकि अविभक्त हिन्दू कुल का कानूनन कोई फर्म नहीं हो सकता।³ यदि प्रामेसरी नोट एक से अधिक व्यक्तियों के नाम लिखा गया हो तो दावा सब की ओर से होना चाहिये।⁴ यदि स्टाम्प की कमी से प्रामेसरीनोट प्रमाणित होने के अयोग्य हो तो मुद्दे अपना ऋण अन्य शहादत से तब ही साबित कर सकता है जब कि वह ऋण प्रामेसरी नोट लिखने के पहिले से निकलता हो अन्यथा नहीं।⁵ इसलिये जहाँ ऐसे कम स्टाम्प के नोट पर दावा करना हो तो अर्जीदावे में पुरानी षकाया, माल की क्रोमत इत्यादि को प्रगट कर देना चाहिये जिससे उसकी शहादत दी जा सके।

यू० पी० एम्रीकलचरिस्ट रिलीफ एक्ट १९३४ के पास हो जाने पर कार्तकार ऋणी के विरुद्ध कोई दावा तहरीरी लेख बिना दायर नहीं किया जा सकता।⁶ मुद्दे के वही खाते का इन्दराज ऐसा तहरीरी सबूत नहीं माना जाता। इस कानून की धारा ३६ के अनुसार ऋणी को कर्जे की तहरीरी की नकल देना आवश्यक है वरना मुद्दे सूद नहीं पा सकता। यदि मुद्दे लेन देन करता हो तो उसको इस कानून के अनुसार नियम पूर्वक हिसाब रखना चाहिये और उसकी वार्षिक प्रतिलिपि ऋणी के पास भेजनी चाहिये।⁷

तमस्सुक से ऋिया हुआ कर्जा

तमस्सुक के दावों में कर्जदार का तमस्सुक लिखना, रुपये का दिया जाना, सूद की शरह और वह शर्तें या शर्तें जिसके तोड़ने पर दावा किया गया हो अर्जीदावे में लिखनी चाहिये, परन्तु अनावश्यक शर्तों को लिखना नहीं चाहिये।⁸

1 A. I. R. 1936 P. C. 139; 1932 All. 164, 1939 Rang. 85 F. B.

2 A. I. R. 1943 All. 90

3 A. I. R. 1940 Bom. 164, 1939 Bom. 147.

4 A. I. R. 1937 Rang. 227 F. B.

5. Sheo Nath vs Sarju Nonia. A. I. R. 1943 All. 220.

6. A. I. R. 1943 Oudh. 332.

7. See Secs. 32, 34 and 39 L. P. Agri. Rel. Act, 1934.

8. देखो नमूना नं० ६ और ७।

क्रिस्त बन्दी तमस्सुक के दावे में क्रिस्त वाजिब होने की तारीख और यदि कोई क्रिस्त अदा की गई हों तो अदायगी का रुपया और तारीख लिखा जाना चाहिये। यदि किसी एक क्रिस्त के अदान होने पर कुल ऋण अदा हो जाने योग्य होने का इक़रार हो और तारीख वाजिबी से मियाद गुज़र जाने पर दावा किया गया हो तो तमस्सुक के उस विषय सम्बन्धी पूरे शब्द लिख देना उत्तम होता है। यदि मुद्दई ने कुल रुपया वसूल करने का हक़ छोड़ दिया हो और सिर्फ़ बकाया किस्तों का ही दावा करे तो उसको ऐसा छोड़ देना साफ़ तौर पर अर्ज़ादावे में लिखना चाहिये।¹

बही खाते के आधार पर नाबिंशें

यह दावे दो प्रकार के होते हैं एक तो वह नाबिंशें जो कि बहीखाते के असली इन्दराजात पर की जाती हैं। दूसरी वह जिनमें आपस में हिसाब होकर दोनों पक्षों की अनुमति से बकाया चढ़ा दी जाती है। जहाँ बकाया चढ़ाने के बाद प्रतिवादी या उसका मुख्तार हस्ताक्षर करदे तो उस तारीख से विनाय दावा पैदा होता है। (धारा ६४ क़ानून मियाद)। यदि मुद्दायलह के हस्ताक्षर ऐसी जगह पर हों तो दावा असली इन्दराज पर ही करना चाहिये परन्तु बकाया चढ़ाने की तारीख से मियाद लगाई जावेगी।² अवधि बढ़ाने के लिये स्वीकृति या (Acknowledgment) मियाद के अन्दर होनी चाहिये।³ जहाँ पर एक से अधिक ऋणी हों तब एक के स्वीकृति से दूसरे के विरुद्ध मियाद नहीं बढ़ती।⁴ ध्यान रखना चाहिये कि यदि कर्ज़दार बकाया पर दस्तख़त करे और बकाया २० रु० से अधिक हो तो एक आने का टिकट लगा होना चाहिये।

मियाद—साधारण ऋण के दावों में, जो हत उधार, रुक्का, टीप, नोट, बहीखाते इत्यादि के आधार पर हों, मियाद तीन वर्ष की होती है, उस तारीख से जब कि मुद्दई को दावा करने का अधिकार उत्पन्न हुआ। यदि ऋण की तहरीर की रजिस्ट्री हुई हो तब मियाद ६ साल की होती है।⁵

इन्दुलतलब कर्ज़ा में तारीख तहरीर से ही मियाद शुरू हो जाती है।

1. देखो नमूना नं० ८।

2. Bholanath vs, Netram, 3 A. L. J. 800

3. A. I. R. 1938 All 217 F. B.

4. A. I. L. R. 1936, All 820 F. B., 1940 Cal 137.

5. आर्टीकल ६६, ६७, ७४, ७५, क़ानून मियाद।

यदि अदायगी की कोई तारीख नियत की गई हो तो उस तारीख से, यदि कोई शर्त नियत हो तो उस शर्त के चल्लघन के दिन से ।

(१) *बाबत रुपया के जो कर्ज़ दिया गया हो

(मुकदमे का सिरनामा)

(अ—ब—) मुद्दई बयान करता है :—

१—तारीख.....माह.....सन्.....को मुद्दई ने मुद्दायलह को मुबल्लिग.....रु० कर्ज़ दिये जो बतारीख.....को अदा हो जाना चाहिये थे ।

२—मुद्दायलह ने यह रुपया सिवाय..... रु० के, जो उसने तारीख..... माह.....सन्.....को दिये थे, अदा नहीं किया ।

३—(अगर मुकदमे में कोई कानूनी तमादी लगती हो और मुद्दई उससे बचने का अधिकारी हो तो यहाँ पर बयान करे)—

जैसे—

मुद्दई... माह.....सन्.....से ता०...मा० .. स०...तक नाबालिग (या पागल) था ।

४—बिनाय दावा ता०को पैदा हुई और अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त है ।

५—दावे की मालियत अदालत के दर्शनाधिकार के लियेरु० है और देने कोर्टफीस के लियेरु० है ।

मुद्दई प्रार्थना करता है कि उसकोरु० मय सूदफी सदी, ता०..... से फैसले के दिन तक का, दिलाया जावे ।

(२) इत उधार कर्ज़ों की बाबत

बअदालत

न० सु० सन्

अहमदबक्श वल्द मुहम्मदयार खाँ, कौम पठान, पेशा लैनदैन, साकिन मीरगन्ज इलाहाबाद मुद्दई

* ऊपर दिया हुआ नमूना ज़ाग़ा दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) शिद्दुन्न १ का पहिला नमूना है । और अगले नमूनों में जो कक्षा गया है "कि फिकरा नं० ४ व ५ नमूना नं० १ का दर्ज़ करो" वह इही नमूने के फिकरा नं० ४ व ५ से अभिप्राय है ।

बनाम

छोटे बल्द रमज़ानी, क्रौम कसाई, पेशा तिजारत, साकिन बहादुरगंज
इलाहाबाद मुदायलोह

अहमदबकश मुद्दई नीचे लिखा हुआ बयान करता है :—

१—मुदायलोह के बाप रमज़ानी ने मुबलिय २००७) ६० (दो हज़ार)
१६ जून सन् १६३५ ई० को मुद्दई से मारफत उसके वली, मुहम्मद यार खाँ से कर्ज़ा लिया
और मुआहिदा किया कि आधा रुपया मय सूद १६० फी सदी १६ जून सन् १६३६ ई०
को और बकाया आधा रुपया मय सूद १६० फी सदी १६ जून १६३७ को अदा
करेगा ।

२—रमज़ानी ने एक हज़ार रुपया मय सूद ता० १६ जून सन् १६३६ ई० को अदा
कर दिया लेकिन बकिया रुपया और उसका सूद अदा नहीं किया ।

३—हसके बाद रमज़ानी की मौत हो गई । मुदायलोह उसका लड़का और
वारिस है और उसकी जायदाद पर काबिज़ है ।

४—मुदायलोह ने १६ दिसम्बर सन् १६३७ ई० को २०) ६० सूद में अदा किये
और कुछ अदा नहीं किया ।

५—बतारील १७ जून सन् १६३७ ई० को जिस रोज़ कि १०००) ६० और
उसका सूद वाजिब हुआ मुद्दई नाबालिग (या पागल) या और वह २० अगस्त
सन् १६४१ ई० को बालिग हुआ (या उसका पागलपन दूर हो गया) इसी
लिये दावा मियाद के अन्दर है ।

६—हिाब से मुद्दई के प्रतिज्ञा किये हुए दिन तक मुदायलोह पर.....
रुपया वाजिब हैं जो उसने तलब व तक्राजा करने पर भी नहीं दिये ।

७—बिनाय मुखासमत १६ जून सन् १६३७ को पैदा हुई लेकिन ज़हूर
उसका ता० २० अगस्त सन् १६४१ बरोज़ बालिग होने मुद्दई के (या) बरोज़ दूर
होने उसके पागलपन के) बमुकाम शहर इलाहाबाद में हुआ और अदालत को
अख्तियार समाप्त हासिल है ।

८—मालियत दावा, कोर्ट-फीस देने व अख्तियार अदालत के लिये.....
रु० है ।

मुद्दई प्रार्थी हैं कि उसको.....रु० असल व सूद जैसा कि हिाब में नीचे दर्ज है

मय खर्च नालिथ, सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने के दिन तक बमुकाबले जायदाद रमज़ानी के, जो मुद्दायलोह के कब्ज़े में है दिलाया जावे ।

तफसील हिसाब

असल रूपया२०
सूद एक २० सै० माहवारी के हिसाब से १६ जू } सन् १९३७ ई० से १५ मई सन् १९४२ तक } वसूल १७ जून सन् १९३७ को२०
वाकी२०

(इवारत तसदीक, दस्तखत मुद्दई, तारीख व मुकाम) द० वकील मुद्दई इलाहाबाद १५ मई सन् १९३२ ई० ।

(३) *बावत कर्ज़ा जां प्रामेसरी नोट पर लिखा गया हो ।

(सिरनामा)

(अ—ब—) वादी नीचे लिखी प्रार्थना करता है :—

१—प्रतिवादी ने एक प्रामेसरी नोट वादी के नाम अपने हाथ से ता०..... को लिख दिया और.....२० मय सूद १ २० माहवारी इन्दुलतसब (या लिखने की तारीख से दो माह बाद) अदा करने का इकरार किया ।

२—प्रतिवादी ने उसमें से कुछ अदा नहीं किया ।

३—बिनाव दावा—

४—तायून नालिथ—

मुद्दई प्रार्थी है कि उसको.....२० असल और सूद मब खर्चा नालिथ और दौरान व आइन्दा रूपया वसूल होने के दिन तक प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

*नमूना न० ३ के खिलसिले में झोडङ्ग का नियम नम्बर १३ और उसकी टिप्पणी जो तीसरे अध्याय में दी गई है देखनी चाहिये । इस नमूने में दावा खिले हुए प्रामेसरी नोट के आकार पर है ।

(४)*दूसरा नमूना बाबत कर्जा जो प्रामेसरी नोट पर लिखा गया हो ।

(सिरनामा)

उक्त मुद्दई निम्न लिखित प्रार्थना करता है—

१—मुद्दायलेह मुद्दई की दूकान से जो कि बाज़ार कसेरठ, हाथरस में है और जिस परनाम पड़ता है कपड़ा की खरीद किया करता था

२—ता०.... ..को क्रीमत परचा का हिसाब होकर.....६० मुद्दई के मुद्दायलेह पर बकाया निकले ।

३—मुद्दायलेह ने उसी तारीख को .. . ६० का प्रामेसरी नोट मुद्दई के नाम लिख दिया और इक्क़रार किया कि उक्त रुपया मय सूद ॥) सैकड़ा माहवारी मुद्दई को उसके मॉगने पर अदा करेगा ।

४—मुद्दायलेह ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया ।

(यहाँ पर फिकरा नं० ४ व ५ नमूना नं० १ का मज़मून लिखना चाहिये) Fresh live (दादरसी या प्रार्थना)

(५) तीसरा नमूना बाबत कर्जा जो प्रामेसरी नोट पर लिखा गया हो ।

बअदालत सिविल जज महोदय, बुलन्द शहर, अलीगढ़

नं० मु० सन् १९ ई०

प्यारे लाल वल्द मोहन लाल, वैश्य पेशा लैन दैन साकिन मोरपुर परगना व तहसील खुरजा जिला बुलन्दशहर—मुद्दई ।

बनाम

१—राधेसिंह, वल्द हरबक्स,	} बेटे गंगाबक्स,	} क्रौम जाट, साकिन मौज़ा कल- रूका, परगना व तहसील खुरजा, जिला बुलन्दशहर—मुद्दायलेह
२—मोहनसिंह,		
३—हरबंससिंह,		

* नोटः—जब प्रामेसरी नोट का मुआवज़ा कोई पहिला कर्जा या प्रामेसरी नोट की दीगर ज़िम्मेदारी स अलहदा हो तो मुद्दई प्रामेसरी नोट के स्टाम्प की कमी या और किसी कारण से शहादत में पेश न हो सकने पर, उस पहिले कर्जे या ज़िम्मेदारी को साबित कर सकता है और अदालत उसकी डिगरी सादिर कर संकती है ।

ऊपर लिखे नमूने नं० ४ व ५ ऐसी दशा में प्रयोग में लाने चाहियें क्योंकि इनमें कर्जा पृथक दिखाया गया है और उसकी बाबत रक़ा या प्रामेसरी नोट का लिखा जाना दिखाया गया है ।

प्यारे लाल मुद्दे निम्न लिखित बयान करता है :—

१—राधेसिंह मुद्दायलेह नं० १ व गंगाबक्स ने जो मुद्दायलेह नं० २ व ३ का वाप या १,०००) रु० २४ जून सन् १९... ..को मुद्दे से कर्ज लिया और यह रुपया, एक रु० सैकड़ा माहवारी सूद के साथ मांगे जाने पर अदा करने का वायदा किया ।

२—राधेसिंह व गंगाबक्स ने इस कर्ज के बाबत एक प्रामेसरी नोट मुद्दे के नाम लिख दिया जो कि अरज़ीदावे के साथ दाखिल किया जाता है ।

३—असली मदयून गंगाबक्स मर गया है । मुद्दाअलेह नं० २ व ३ उसके लड़के व वारिस हैं और उसकी जायदाद पर काबिज़ हैं और सब मुद्दायलेहम मुद्दे का रुपया अदा करने के जिम्मेदार हैं ।

४—यह कि १६ जून १९.....ई० को मुद्दे को १४० रु० सूद में असल मदयून से इस प्रामेसरी नोट पर वसूल हुए, बाक़ी रुपया अभी बाक़ी है ।

५—हिस्साब से.....रु० मुद्दे के निकलते हैं मुद्दायलेहम तलब व तकाज़ा करने पर भी यह रुपया अदा नहीं करते ।

६—बिनाय दावा तारीख लिखे जाने रुकके से (२४ जून १९... ई०) बमुकाम मीरपुर, इस अदालत की हद के अन्दर पैदा हुआ ।

७—दावे का तायून अदालत के अख्तयार व कोर्टफीस अदा करने के लिये सु०.....रु० है ।

मुद्दे प्रार्थी है कि :—

- (अ) दावा बिलाने..... रु० के मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व आहन्दा वसूल होने के दिन तक, बमुक़ाबले ज्ञात व जायदाद मुद्दाअलेह नं० १ और बमुक़ाबले जायदाद मुद्दायलेह नं० २ व ३ डिगरी किया जावे ।
- (ब) मुक़दमे के हालात को देखते हुए जो दादरसी अदालत बहक इन्साफ समके सादिर करे ।

(६) बाबत कर्ज़ा जो तम्मसुक इन्दुलतख़ब पर लिया गया हो ।

बअदालत मुन्सफ़ी कोल, अलीगढ़

नं०.....सु०.....१९...ई०

ला० गंगाप्रसाद,
ला० किशनलाल

} बेटे ला० कल्यानदास खत्री, पेशा लैनदेन, रहने वाले नगूला, हाल शहर कोल, मुहल्ला मियांगंज, मुद्दयान,

बनाम

१—इसमाइल, वल्द करीमवक्स,

२—अब्दुलमजीद, वल्द खुदावक्स,

} रंगरेज़, सोकिन बरवे, तहसील
विसौली, जिला बदायूँ—मुद्दा-
यलेह ।

मुद्दायान नीचे लिखा हुआ बयान करते हैं :—

१—ता० १७ मई सन् १६ केा मुद्दायलेह नं० १ व खुदावक्स (जो कि मुद्दायलेह नं २ का बाप व मूरिस था) ने मुद्दायान से ६००) रुपया नक़्द कर्ज़ा लिये और एक तम्मसुक लिख दिया जिस में वह रुपया मयसमय सूद ॥॥) आ० सैकड़ा माहवारी, मागने पर अदा करने का इकरार किया । सूद का रु० छः माही देना ठहरा और अगर यह रुपया छुठे महीने न अदा हो तो यह इकरार हुआ कि सूद का रुपया असल में जोड़ दिया जावे और सूद दर सूद उक्त दर के हिसाब से वसूलयाबी के दिन तक लगाया जावे ।

२—ता० २१ जून स १६ केा दस्तावेज के लिखने वालों ने १५०) रु० असल व सूद में अदा किये और यह वसूलयाबी तम्मसुक पर अपने हाथ से लिख कर दस्तखत कर दिये ।

३—इसके बाद खुदावक्स का देहान्त हो गया । मुद्दायलेह नं० २ उसका लश्का व उत्तराधिकारी है और उसकी जायदाद पर अधिकार रखता है ।

४—हिसाब से रु० मुद्दायान के निकलते हैं और उनको इस रुपये के वसूल करने का हक़ मुद्दायलेह नं० १ व जायदाद खुदावक्स (जो कि मुयद्दालेह नं० २ के कबज़े में है) से हासिल है ।

५—मुद्दायलेह से कई बार रुपया मांगा गया लेकिन वे देने की तैयार नहीं हुए ।

६—बिनाय दावा १७ मई सन् १६.....तारीख़ लिखे जाने दस्तावेज़ से शहर काल में अदालत की हद्दों के अन्दर पैदा हुआ । चूँकि १५०) रु० २१ जून सन् १६..... को दिया गया है दावा अन्दर मियाद है ।

७—मालियत दावे की अदालत के अधिकार वा कोर्ट फ़ीस के लिये..... रु० है ।

८—मुद्दई प्रार्थी है कि—

दावा दिला पाने..... रु० असल और सूद, जैसा कि नीचे हिसाब में दिखलाया है, मय खर्च नालिश या सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने तक मुद्दायलेह नं० १ की ज्ञात व जायदाद के खिलाफ़ और जायदाद खुदावक्स के खिलाफ़ जो मुद्दायलेह नं० २ के कबज़े में हो, डिग्री किया जावे ।

हिसाब रुपया :—

असल

..... रु०

सूद १७ मई सन् १६—से २१ जून सन् १६—तक

कुल २ साल १ महीना ४ दिन का दर ॥॥॥ सैकड़ा२०
माहवारी वसूल ता० २१ जून १६— का२०
बाक़ी२०
सूद २१ जून १६— से २१ मई १६— तक कुल २३	
माह का दर ॥॥॥ सैकड़ा माहवारी२०
कुल जोड़२०

तसदीक की इबारत

हस्ताक्षर मुद्दयान

” वकील

(७) बाबत क़र्ज़ा जो नियत तारीख के तम्मसुक पर किया हो ।

(सिरनामा मुक़दमा)

मुद्दई नीचे लिखी अर्ज करता है :—

१—ता० ..माहसन् के मुद्दायलेह ने एक तम्मसुक मुद्दई के नाम लिख दिया और उनमें इकरार किया कि वह ६००) मय सूद २० १) सैकड़ा माहवारी तारीख लिखी जाने तम्मसुक के एक साल के अन्दर अदा करेगा । यदि वह आघा रुपया छः महीने के अन्दर और बक़ाया २० एक साल के अन्दर बेबाक कर दे तो सूद १) सै० माहवारी के बजाय १) २० सैकड़ा माहवारी लगाया जावेगा और यदि रुपया अदा न किया जावे तो मुद्दाअलेह सूद दर सूद छः माही १) सै० माहवारी बेबाकी होने के दिन तक देने का क़िम्मेदार होगा ।

२—मुद्दायलेह ने आघा रुपया और उसका सूद जैसा प्रतिज्ञा किया था छः महीने के अन्दर दे दिया । लेकिन बक़िया आघा रुपया और सूद १ साल के अन्दर नहीं दिया ।

३—लिखे हुए दस्तावेज़ के हिसाब से जिसके विनाय पर यह दावा किया जाता है.....२० मुद्दई के मुद्दायलेह पर बाक़ी है जो अभी तक मुद्दायलेह ने अदा नहीं किये ।

४—विनाय दावा :—

५—तायून नालिश :—

(दादरची की प्रार्थना)

(१०३)

(८) बाबत कर्जा जो किस्तबन्दी तमस्सुक पर किया गया है ।

बन्धदालत सिविल जज बदायूँ ।

न० मु०.....सन् १९...

(१) शरीफुद्दीन, बेटा, (२) मुस० नजीमुल्जनिसा, बेटी, रफीउद्दीन, साकिन
इसलामनगर, कौम शेर, पेशा ज़मींदारी—मुद्दयान ।

बनाम

(१) बहादुरअली, लड़का, (२) मुसम्मात महरुलनिसा, लड़की (३) मु०
कलसुमुलनिसा, बेवा अहमदअली, साकिन इसलाम नगर कौम मुगल, पेशा खेती—
मुद्दायलेहम

मुद्दयान मज़कूर नीचे लिखा बयान करते हैं :—

१—अहमदअली मूरिस मुद्दाअलेहम ने ता० १० अप्रैल सन् १९३३ ई० को
६४००) रु० रफीउद्दीन मूरिस मुद्दयान का पहिला कर्जा कबूल करके एक तमस्सुक,
जिसके ऊपर कि यह नालिश की जा रही है लिख दिया । उसमें इत्तरार किया कि मतालाबा
८००) रु० की छमाई किस्तों से बिना सूद के अदा करेगा और पहिली किस्त ता० १०
अक्टूबर सन् १९३३ और दूसरी ता० १० अप्रैल सन् १९३४ को अदा करना ठहरा और
बाक़ी किस्तें इसी हिसाब से १० अक्टूबर व १० अप्रैल को हर छमाही, जब तक कि रुपया
बेबाक न हो अदा करना ठहरा और किसी किस्त के नियत समय पर न दिये जाने पर कुल
रुपया एक साथ मय १ रुपया सै० माहवारी सूद, वाइदा पूरा न करने के दिन से देना
इत्तरार पाया ।

२—ता० १० अक्टूबर १९३३ ई० को अहमदअली ने पहिली किस्त अदा करदी ।
इसके बाद उसका देहान्त हो गया ।

३—मुद्दायलेहम मृतक अहमद अली के उत्तराधिकारी हैं और उसकी संपत्ति पर
अधिकार किये हुए हैं ।

४—मुद्दायलेहम ने दूसरी किस्त का रुपया जो कि उनकी १० अप्रैल सन् १९३४
ई० को देना था नहीं दिया । इसलिये कुल रुपया मूल और सूद एक साथ देना उन पर
बाजब हो गया ।

५—रफीउद्दीन मूरिस मुद्दयान का भी ता० १० मई १९३८ ई० को देहान्त
हो गया । मुद्दयान उसके वारिस हैं और उन्होंने इस कर्ज के रुपये का सर्टीफिकेट विरासत
उचित अदालत से ले लिया है ।

६—नीचे दर्ज किये हुए हिसाब से ६६२६।।) रु० आज की ता० तक मुद्दायलेहम को देने चाहिये ।

७—मुद्दहयान इस कर्ज के रुपये को, मृतक अहमदअली की जायदाद से, जो कि मुद्दायलेहम के अधिकार में है, वसूल करने के इक़दार हैं ।

८—अहमदअली की जायदाद में से, एक मकान जो कि मुहल्ला शाह पाड़ा शहर कोल में है मुद्दायलेहम ने २८००) रु० को बेच कर रुपयाअपने ज्ञाती काम में लगा लिया है इसलिये कर्ज के २८००) रु० के लिये मुद्दायलेहम की ज्ञात व जायदाद-खास, देनदार है ।

९—मुद्दायलेहम से इस रुपये के बेबाक करने को कहा गया और एक रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया गया लेकिन वह ध्यान नहीं देते और न कुछ अदा करते हैं ।

१०—विनाय दावा दूसरी किस्त न देने पर ता० १० अप्रैल १९३४ को इसलामनगर में, अदालत की हदों के अन्दर पैदा हुआ ।

११—दावे की मालियत कोर्ट फीस देने व अदालती अधिकार के लिये ६६२६।।) रु० है ।

इसलिये मुद्दई प्रार्थी है

कि उसका दावा ६६२६।।) रु० मूल मय सूद और खर्चा नालिश व सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने के दिन तक असली मदयून मृतक अहमदअली की सम्पत्ति के खिलाफ जोकि मुद्दायलेहम के अधिकार में है डिगरी किया जावे और इसी रुपये में से २८००) रु० तक मुद्दहयान को डिगरी वसूल करने का इक़दर मुद्दायलेहम की ज्ञात व खास जायदाद से दिया जावे ।

(यहाँ हिसाब का व्यौरा देना चाहिये) ।

(९) बदनी या सट्टा के तमस्सुक पर दावा ।

(सिरनामा)

(अ—ब—) मुद्दई नीचे लिखा बयान करता है—

१—ता०.....को मुद्दायलेह ने मुद्दई के पहिले कर्ज के.....रु० अपने ऊपर क़बूल करके एक तमस्सुक एक रु० चैकड़ा माहवारी सूद पर मुद्दई के नाम सहरीर कर दिया और इस तमस्सुक के असल व सूद की अदाबगी में उसने अपनी रबी सन् १३—फसली की गेहूँ की पैदावार को १० सेर फी रु० देने का इक़रार किया और ऐसन करने पर ता०...के बाज़ार भाव से मय सूद इन्दुलतलब अदा करने का वाहदा किया ।

२—मुद्दायलेह ने इक़रार के बमूजब मुद्दई के हवाले ग़ल्ला नहीं किया ।

३—गेहूँ का भाव ता०— को बाज़ार में ५६ फी रु० था ।

४- दास्तावेज की शर्तों के बमूजिव, हिसाब से मुद्दई के मुद्दाअलेह के ऊपर— रु० निकलते हैं जो उसने अब तक अदा नहीं किये।

१-विनाय दावा (मुद्दाअलेह के इक़रार न पूरा करने के दिन से)

६-तायून दावा :—

मुद्दई की प्रार्थना : --

(१०) *वाकत कर्ज़ा जो बही खाते पर लिया हो।

(मुकदमें का सिरनामा)

उरोक्त वादी निम्नलिखित प्रार्थना करता है—

१-प्रतिवादी व्यवसाय का कारवाः रामगोपाल मोहनलाल के नाम से करते हैं।

२-प्रतिवादी, वादी की दूकान से जिस पर वृजलाल प्यारेलाल नाम पड़ता है और जो हाथरस में स्थित है, तिजारत के काम के लिये बग़्या कर्ज़ लेते थे जो कि उनकी दूकान के बहीखाते में प्रतिवादियों की दूकान के नाम लिखा जाता था और उसके समय समय पर देते रहते थे।

३-प्रतिवादियों के खाते पर ॥) रु० सै० माहवारी का सूद लगाया जाता था।

४-ता०.....से ता०.....तक .. रु० वादी के बहीखाते में प्रतिवादियों के नाम पड़े और... रु० उनके जमा हुए।

५-नीचे दिये हुए हिसाब के अनुसार.....रु० मूल व व्याज मुद्दाअलेहम के ऊपर बाक़ी है जो मुद्दाअलेहम ने तकाज़ा करने पर भी अदा नहीं किया।

*नोट—यदि फरीकैन में किसी तारीख पर हिसाब होकर कुछ रुपया मुद्दाअलेहम पर बाकी निकला हो और उसका दावा किया जाय तो फिकरा न० ५ ऐसे लिखना चाहिये—

५-ता०..... मा०..... सन् .. दोनों पक्षों में हिसाब होकर..... रु० वादी का प्रतिवादियों पर निकला जो उसने तकाज़ा करने पर भी अदा नहीं किया।

और फिकरा नं० ४ से रकमों के लिखने के बजाय दोनों पक्षों का व्यवहार चाखू लिखना काफ़ी होगा।

(१०६)

६—बिनाय दावा :—

७—दावे की मालियत :—

(प्रार्थना)

(११) * बाबत कर्जा बकाया जो हिसाब होने पर
स्वीकार कर लिया गया हो

(सिरनामा)

उक्त मुद्दे नीचे लिखी प्रार्थना करता है ।

१—मुद्दे लैन दैन का कारबार करता है और मुद्दाअलेह अनाज की दूकान करता है ।

२—मुद्दाअलेह, मुद्दे से कर्जा लिया करता था और सूद व हिसाब ॥) से० माहवारी देता था ।

१—१७ फरवरी स०... से लेकर जून स०.....तक फरीकों में ता०..... मा०...सन्.....को हिसाब होकरर० मुद्दे का मुद्दाअलेह के ऊपर निकला ।

४—हिसाब लेन देन और बकाया का मुद्दे की दूकान के खाते में दर्ज है । मुद्दाअलेह ने बकाया स्वीकार करके उस पर अपने दस्तख़त कर दिये और टिकट लगा दी ।

५—मुद्दाअलेह ने बकाया का रुपया और उसका सूद अभी तक अदा नहीं किया ।

६—बिनाय दावा—

७—दावे की मालियत—

प्रार्थना

(१२) बाबत कर्जा के जो हुन्डी लिख कर लिया गया हो ।

(सिरनामा)

मुद्दे निम्न लिखित प्रार्थना करता है—

*नोट—यदि आपस के चलते हुए हिसाब की बकाया मनज़ूर न की गई हो तो भी इसी नमूने को जहाँ तर्हों बदल कर काम में लाना चाहिये ।

† नोट—हुन्डियों की नालिशों के नमूने आगे हुन्डी के प्रकरण में दिये गये हैं ।

१—मुद्दाअलोह, फ़र्म रामचन्द्र सोहन लाल वाकै बिलराम के मालिक है ।

२—मुद्दाअलोह ने ता०... को ६००) रु० १) रु० सै० माहवारी सूद पर मुद्दई से कर्ज़ लिये और २ महीने बाद अर्दा करने की प्रतिज्ञा की ।

३—मुद्दाअलोह ने दो महीने का सूद पेशगी मुद्दई को दे दिया और कर्ज़ के रुपये के बदलें में दो महीने की मुद्दती हुन्डी अपने फ़र्म के ऊपर मुद्दई के नाम लिख कर देदी ।

४—दो महीने व्यतीत हो जाने पर भी अभी मुद्दाअलोहम ने हुन्डी का रुपया अर्दा नहीं किया ।

५—सूद की दर १) रु० सै० माहवारी फरीकैन में ठहरी थी । मुद्दई हुन्डी के रुपये पर, रुपया अर्दा न होने की तारीख से नालिश करने के दिन तक, सूद का हकदार है ।

६—विनाय दावा ता०... हुन्डी की मियाद खतम होने के दिन से मुकाम बिलराम में पैदा हुई और अदालत को अधिकार नालिश सुनने का हाविल है ।

७—दावे की मालियतः—

मुद्दई पार्थी है :—

कि रु० असल व सूद जैसा नीचे हिसाब में दिया है) मय खर्चा नालिश व सूद दौगान व आइन्दा, वसूल होने के दिन तक की डिगरी की जावे ।

(हिसाब का न्यौरा)

(१३) ऋखरीदार की ओर से तम्मसुक के कर्ज़ की बाबत ।

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित प्रार्थना करता है :—

१—मुद्दाअलोह नं० १ ता० ४ जनवरी सन् १९...ई० को ३००) रु० मुद्दाअलोह नं० २ से तम्मसुक के ऊपर कर्ज़ लिये और इस रुपये को १) रु० सै० माहवारी सूद के साथ माँगने पर अर्दा करने की प्रतिज्ञा की ।

२—रुपया पर सूद छः माही अर्दा करना ठहरा और ऐसा न करने पर यह ठहरा

*नोट—कर्ज़ की नालिशों के अर्ज़ादावे, जो कि प्रामेसरी नोट, हुन्डी, बहीखाते या और किसी तरह से लिखा गया हो इसी ढंग से लिखे जा सकते हैं । आवश्यक शब्द बदल देना चाहिये ।

कि सूद का रुपया मूल में जोड़ दिया जावे और १) रु० सै० माहवारी के हिसाब से ही सूद दर सूद लिया जावे ।

३—मुद्दाअल्लेह नं० १ ने मुद्दाअल्लेह नं० २ को ऋण के रुपये में से कुछ अदा नहीं किया ।

४—मुद्दाअल्लेह नं० २ ने अपना अमल व सूद का रुपया बसूल करने का हक ता०... ..को बैनामा करके मुद्दई के हाथ बेच दिया और अब मुद्दई उसका मालिक और रुपया बसूल करने का हकदार है ।

५—इस बै की सूचना मुद्दाअल्लेह नं० १ को रजिस्टर्ड नोटिस से ता०... .. को दे दी गई थी ।

६—मुद्दाअल्लेह नं० १ ने रुपया अभी अदा नहीं किया ।

७—हिसाब से मुद्दाअल्लेह नं० १ पर रु० निकलते हैं और यही मालिक कोर्ट फीस देने व अदालत के अखत्यार समाप्त के लिये हैं ।

८—विनाय दावा तमस्सुक लिखे जाने के दिन, ता०... ..से अदालत की अधिकार सीमा के अन्दर पैदा हुई और अदालत के मुकदमा सुनने का हक हासिल है ।

मुद्दई प्रार्थी है कि—उसको रु० मय खर्च नाबिश, सूद दौरान व आइन्दा रुपया बसूल होने के दिन तक मुद्दाअल्लेह नं० १ से दिलाया जावे ।

२—अदायगी ज़ायदाद

यदि किसी व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति के हिसाब से १००) रु० निकलते हों और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किमी अम से १५०) अदा कर देवे तो अधिक दिया हुआ १०) रु० पहला व्यक्ति वापस माँग सकता है। कभी २ वसूल करने वाला भी गलती से अपने रुपये से अधिक वसूल कर लेता है ऐसी दशा में भी पहला व्यक्ति उस रुपये के वापस पाने का अधिकारी होता है।

ऐसे दावे अंगरेजी में “ Money had and received ” के नाम से कहे जाते हैं। इन दोनों प्रकार के दावों में मुद्दई वा रुपया मुद्दाअलेह के कब्जे और उपयोग में रहता है और मुद्दाअलेह उसको सूद सहित, जो कि हरजे के रूप में माँगा जा सकता है वापिस करने का ज़ुम्मेदार होता है। यदि अनुचित दबाव से रुपया या कोई वस्तु मुद्दई से ले ली गई हो तो कानून मुआहिदा की धारा ७२ के अनुसार उसकी वापसी का भी दावा हो सकता है परन्तु ध्यान रहे कि कानून न जानने के कारण यदि गलती हुई हो तो दावा नहीं हो सकता, वाक्यात की गलती से ही बिनाय दावा पैदा होती है।¹

मियाद—इन दावों में अवधि प्रायः ३ साल की होती है जिसकी गणना अदायगी या वसूलयाबी की तारीख से की जाती है या गदती मालूल होने के दिन से (See Act 96 Limitation Act)।²

(१) *बाबत रुपये के जो ज़यादा दे दिया हो।

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित पार्थना करता है।

१—ता० ... के, मुद्दई चाँदी की सलाखआ० फ्री तोले की दर से मोल लेने को और मुद्दाअलेह नेचने को, राज़ी हुए।

२—मुद्दई ने यह सलाख के हाथों पर परखवाई और उसके कहने पर कि, हर एक सलाख १५०० तोले खालिस चाँदी की है, मुद्दई ने... रु० उसकी बाबत मुद्दाअलेह को दिये।

1 A I R 1940 Mad 956

2 A I R 1940 Madras 660

* नोट—ऊपर दिया हुआ नमूना ज़ाबता दीवानी के शिब्थूल १ अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नं० २ है।

३—उनमें से हर एक सलाख १२०० तोले खालिस चाँदी की निकली और यह बात जब मुद्दई ने रुपये दिये थे उसको मालूम नहीं थी।

४—मुद्दाअल्लेह ने वह रुपया जो उसको ज्यादा दिया गया था वापिस नहीं किया है।

(यहाँ पर क्रिकरा नं० ४ व ५ नमूना नं० १ और मुद्दई की प्रार्थना लिखना चाहिए)।

(२) अधिक दी हुई क्रीमत वापिस करने के लिये।

नाम अदालत—

नं० मुकदमा

सोहनलाल मुद्दई बनाम

हरपरशद मुद्दाअल्लेह।

सोहनलाल मुद्दई निम्नलिखित प्रार्थना करता है।

१—ता० १६ अगस्त सन् १९—को मुद्दाअल्लेह ने २०० बोरी गेहूँ १०) ६० फ्री बोरी के हिसाब से मुद्दई के हाथ यह कह कर बेचे कि हर एक बोरी में २ मन गेहूँ हैं।

२—मुद्दाअल्लेह ने गेहूँ के २०० बोरे मुद्दई के हवाले कर दिये और मुद्दई ने उधरी हुई क्रीमत के हिसाब से २०००) ६० मुद्दाअल्लेह का अदा कर दिये।

३—ता० २५ अगस्त सन् १९—ई० को मुद्दई ने वही गेहूँ के बोरे फ़रम मगनीराम बुद्धमेन के हाथ बेचे और जब उक्त फ़र्म ने बोरियाँ तुलवाई तो हर एक बोरी १ मन ३० सेर की उतरी।

४—मुद्दाअल्लेह के पास १० सेर हर बोरी के हिसाब से ५० मन गेहूँ की क्रीमत १००) ६० ज्यादा पहुँचे।

५—मुद्दाअल्लेह ने यह रुपया माँगने पर भी अदा नहीं किया।

६—बिनाय दावा ता० २५ अगस्त सन् १९—तोल में कमी मालूम होने के दिन से.....पर अदालत की सरहद के अन्दर पैदा हुई और अदालत को नालिश सुनने का हक़ हासिल है।

७—दावे की मालियत अदालत के अख्तियार व कोर्ट फीस देने के लिये २००) ६० है।

मुद्दई प्रार्थी है कि उसको यह रुपया भय खर्च नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक दिलाया जावे।

३-माल की कीमत

ऐसे दावों में माल बिक्री करने और कीमत अदा करने का मुआहिदा अर्जी दावा में लिखना चाहिये। यदि क्रोमत पहिले न ठहराई गई हो तो दफ्ता नद कानून मुआहिदा (Sec. 89 Contract Act) के अनुसार उचित कीमत मांगी जा सकती है परन्तु यह भी मुद्दे को अर्जीदावे मे लिखना चाहिये। यह स्पष्ट रूप से लिखा जावे कि क्रोमत कब देना ठहरी थी, मुद्दे से माल मितने के पहले या मुद्दाअलेह के माल हचाले हो जाने पर, अथवा कसी नियत समय के बाद, चूंकि जब तक कीमत अदा होने योग्य न हो जावे तब तक दावा नहीं किया जा सकता।

यदि एक ही मुहाइदे से कई बार बिक्री की गई हो तो हर एक बिक्री को पृथक पृथक न देकर उनका विवरण अर्जीदावे के अन्त में परिशिष्ट या सूची क रूप में दिया जा सकता है। खर्चा इत्यादि, यदि मुहाइदे मे इकरार किया गया हो, या उसकी पूर्ति के लिए जरूरी हो, तब ही मांगा जा सकता है।

बिक्री किये हुए माल की डिलीवरी न लेने पर दावा करते समय यह देखना चाहिये कि खरीदार माल का मालिक हो गया है या नहीं (देखो कानून बिक्री माल, धारा १६ से २७ तक)।¹ यदि वह उसका मालिक हो गया है, यर्थापि माल बिक्री कर्ता के अधिकार में ही हो तो भी बिक्री कर्ता कीमत का दावा कर सकता है या दफा १०७ कानून मुहाइदा (Contract Act) के अनुसार उचित नोटिस देकर माल को फिर बेच सकता है और कमी कीमत का खरीदार के ऊपर दावा कर सकता है। यदि खरीदार माल का मालिक नहीं हुआ तो सर्फ बेचने वाला हजाने का दावा कर सकता है, जो कि मुहाइदा तोड़ने के दिन, इकरारी कीमत और बाजारी कीमत का अन्तर होता है।²

जहाँ माल की मिल कियत निश्चय न हो वहाँ पर बतौर बदल के (Alternately) दोनों बाते एक ही अर्जीदावे में लिखी जा सकती है।

माल लेने से इन्कार करने के दावे में मुद्दे को अवश्य दिखाना चाहिये कि उसने माल देना चाहा लेकिन मुद्दाअलेह ने उसको ग्रहण करने से इन्कार किया। कीमत के दावे में मुद्दे को दिखाना चाहिये कि माल का मालिक मुद्दाअलेह हो

1 Sale of Goods Act also I L R 32 Cal 816 , 33 Cal 547 ; 50 Bom 360 ; 24 A. L. J 657, 1926 P C 38

2 24 I Cal 124 , 25 All 55, 94 I C 924, P. C.

गया है और यदि दुबारा बिकरी होने पर हर्जे का दावा हो तो मुद्दाअलेह को नोटिस होना भी दिखाना चाहिये ।

माल की डिलीवरी न देने पर दावे में मुद्दई को दिखाना चाहिये कि उसने डिलीवरी मांगी याकि मुद्दाअलेह ने स्वयं डिलीवरी देने का इत्तारार किया था ।

अनस्थिर वस्तुओं (Moveables) या चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में धारा १२ कानून दादरसां खास (Specific Relief Act) से अनुसार प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि इन चीजों का मुआवजा रुपये में दिया जा सकता है । परन्तु यदि वह वस्तु किसी विचित्र प्रकार की या विशेष मूल्य की हो तो प्रतिज्ञा की पूर्ति का दावा किया जा सकता है इसलिए अर्जी दावे में उनकी विचित्रता का बयान होना चाहिये ।¹

(१) * नियत दाम पर बेचे हुए और हवाले किये हुए

माल की बाबत

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित प्रार्थना करता है :-

१—ता० के ने १०० बोरी आटे की (या माल जिसकी फिहरिस्त दी जाती है) मुद्दाअलेह के हाथ बेचा और हवाले किया ।

२—मुद्दाअलेह ने.....२० माल के बारे में हवाला करने माल के दिन (या और किसी तारीख के जो अर्जादावे से पहिले हो) देने का इत्तारार किया था ।

३—यह रगया उसने अदा नहीं किया ।

४—ता० .. . के.....का देहान्त हो गया और वह अपने अखीरी वसीयतनामे से अपने भाई मुद्दई को वसी मुक़रर कर गया ।

५—विनाय दावा —

६—दावे की मालियत—

७—मुद्दई वसी की हैसियत से दादरसी चाहता है ।

1 Sec 12 Specific Relief Act, A I R 1925 Lah. 905, 90 I. C 605

* ऊपर दिया हुआ नमूना जाम्ना दीवानी के शिष्यूल नं० १ अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नं० ३ है ।

(२) दूसरा नमूना माऊ की क्रीमत के बाबत

(सिरनामा)

उक्त मुद्दयान निम्न लिखित प्रार्थना करते हैं :—

१—मुद्दाअलेह की हुन्डी परचे की दूकान स्थान एटा में उनके पुरखा गोबरधनदास वंसीधर के नाम से जारी है ।

२—मुद्दयान तिजारत व हुन्डी परचे का कारबार हरमुखराय कन्हैयालाल के नाम से हाथरस में करते हैं ।

३—मुद्दयान से मुद्दाअलेहम की दूकान हुन्डी परचा खरीद किया करती थी ।

४—मुद्दाअलेह के खाते में ब्याज की दर ॥८॥ सै० माहवारी की थी जो मियाद के १५ दिन बाद से लगाई जाती थी ।

५—ता०को हिसाब कर के २३२४॥८॥ रु० मुद्दयान के, मुद्दाअलेहम पर हुन्डी परचे की क्रोमत के बाकी निकले और उसकी चिट्ठी मुद्दाअलेहम ने मुद्दयान के गरोसे के लिये टिफ्ट लगा कर लिख दी ।

६ इसके पश्चात् मुद्दाअलेहम ने २००) रु० ता० . .. वै और १००) रु० ता० ...को, कुल ३००) रु० अदा किये और बकायारुपया अभी अदा नहीं किया ।

७—हिसाब सेरु० मुद्दयान के निकलते हैं और अदालत के ४ दर्शना-बिकार व कोर्टफ्रीड देने के लिये यही दावे की मालियत है ।

(३) तिसरा नमूना माऊ की क्रीमत के बाबत

नाम अदालत

मु०

न०

सन्

फर्म मेसर्स कोर्ड ऐन्ड मैकडानलड लिमिटेड

मुद्दयान

बनाम

शवाला प्रसाद

मुद्दाअलेह

मुद्दयान निम्न लिखित बयान करते हैं :—

१—ता०.....को२० हुन्डी परचे के क्रीमत के बारे में सोभाराम के प्रतिवादियों पर चाहिये ये ।

२—हुन्डी परचे की क्रीमत इस हिसाब से है—

(यहाँ पर विवरण देना चाहिये)

३—ऊपर लिखी ता०.....को सोभाराम ने अपना लहना बैनामा लिख कर वादी के हाथ वेच दिया और अब मुद्दई उसका मालिक व वसूल करने का दक़दार है ।

४—बै करने की सूचना मुद्दई ने मुद्दाअलेह को ता०.....को दे दी थी ।

५—प्रतिवादी ने यह रुपया अदा नहीं किया ।

(यहाँ पर नमूना नं० १ के फिकरा नं० ४ व ५ का विषय लिखना चाहिये)

(प्रार्थना)

(६) बही खाते में लिखे हुए माल की क्रीमत व कर्जे
के बारे में दावा

(सिरनामा)

मुद्दइयान नीचे लिखा बयान करते हैं :—

१—यह कि शहर कोल में मुद्दइयान का फ़र्म भुजीलाल मोहनलाल के नाम से और मुद्दाअलेहम का तालों का कारखाना छोटेलॉ नूरखॉ के नाम से बहुत दिनों से जारी है ।

२—यह कि मुद्दाअलेहम अपने कारखाने के लिए नक़द रुपया, पीतल और अन्य सामान मुद्दइयान से बहुत दिनों से लेते थे और उस रुपये और पीतल व सामान की कीमत को ॥=) सै० माहवारी सूद के साथ समय समय पर अदा करते रहते थे ।

३—यह कि तारीख.....से लेकर ता०.....तक मुद्दाअलेहम के नाम २० .. . नक़द व माल की कीमत व सूद के बारे में मुद्दइयान के बहीखाते में.....२० कुल दरज हुए और.....२० मुद्दाअलेहम के फ़ुटकर जमा हुए । इसलिये२० मुद्दइयान के मुद्दाअलेहम पर बहीखाता के हिसाब से बाकी है ।

४—यह कि मुद्दाअलेहम ने हिसाब के दौरान में एक दफे ता०... . को अपना हिसाब समझ लिया और ११५०) २० मुद्दइयान के बहीखाते में निकाल कर अपने दस्तखत कर दिये और टिकट लगा दी ।

५—यह कि मुद्दइयान ने बकाया रुपया के अदा करने के लिये कई बार तकाजा किया लेकिन मुद्दाअलोहम ने कुछ ध्यान नहीं दिया ।

मुद्दइयान प्रार्थी हैं कि.....रु० असल व सूद नीचे दिये हुए हिसाब से मय खर्च नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक मुद्दाअलोहम से दिलाया जावे ।

(७) बाबत माल जो उचित मूल्य पर बेचा

व हवाला किया गया

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित प्रार्थना करता है :—

१—ता०.....को वादी ने खाने पीने व पसरट्टे का सामान (जिसका विवरण-नीचे दिया गया है) प्रतिवादी के हाथ बेचा और उसके हवाला किया । इसकी कीमत के बारे में किसी प्रकार का मोल भाव नहीं हुआ ।

२—इस कुल सामान का उचित मूल्य..... रु० होते हैं ।

३—प्रतिवादी ने यह रुपया नहीं दिया ।

(यहाँ पर नमूना नं० १ के फिकरे ४ व ५ का विषय लिखना चाहिये) ।

विवरण.....प्रार्थना ।

(८) इसी प्रकार का दूसरा नमूना ।

(सिरनामा)

फर्म मोतीराम बुद्धसेन उक्त मुद्दई निम्नलिखित विनय करते हैं :—

१—मुद्दई की पसरट्टे की कोठी स्थान हाथरस में जारी है ।

२—मुद्दाअलोहम ने अपने लड़के की शादी के लिये ता०.....से ता०..... तक मसाले इत्यादि मुद्दई की कोठी से मँगवाये जिसका विवरण नीचे हिसाब में दिया गया है ।

३—मुद्दाअलोहम ने इन चीजों का कोई भाव तै नहीं हुआ लेकिन उनकी मुना-सिव कीमत हिसाब से.....रु० होती है ।

४—मुद्दाअलोहम ने कई बार मॉगने व नोटिस देने पर रुपया अदा नहीं किया ।

५—दावे की मालियत अदालत के अधिकार (मज़मून फिकरा नं० ४ व ५ नमूना १ लिखिये)

६—मुद्दई प्रार्थी है :—

(अ) कि.....रु० हिसाब का दिलाया जावे ।

(ब) खर्च नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक भी दिलाया जावे ।

* (९) बाबत ऐसी वस्तु के जो प्रतिवादी के आर्डर पर बनाई गई हो और उसने न लिया हो

(सिरनामा)

उपरोक्त वादी निम्नलिखित विनय करता है :—

१—ता० कोस्थान पर या कोई अन्य वस्तु (अ—ब—) ने वादी से प्रतिज्ञा की कि वादी उसके लिये (६ मेज और ५० कुर्सियाँ) बनावे और उनके हवाले करने पर (अ—ब—) उनके दाम... ..रु० अदा करेगा ।

२—यह कि वादी ने वे चीज धना कर ता०. ...को (अ—ब—) से कहा कि वे तैयार है और वादी उनके देने को उसी समय से तैयार और राजी है ।

३—यह कि (अ—ब—) ने उन चीजों को नहीं लिया और न उनकी कीमत अदा किया ।

(नमूना नं० १ के फिकरे नं० ४ व ५ लिखिये)

(वादी की प्रार्थना)

(१०) इसी प्रकार का दूसरा नमूना

(सिरनामा)

मुहम्मद अमीर मुद्दई अर्ज करता है :—

१—मुद्दई बाजार चॉदनी चौक शहर देहली में तसवीर बनाने का काम करता है ।

* नोट—ऊपर दिया हुआ नमूना जाब्ता दीवानी के शिडयूल १ अपेनडिक्स (अ) का नमूना नं० ५ है ।

मुद्दाअल्लेह ने ता०.....सन्.....को मुद्दई से यह मुद्दाहिदा किया कि मुद्दई उसके लिये ६ तसवीर नीचे लिखे नमूने की, जो कि मुद्दाअल्लेह ने मुद्दई को दिया एक हफ्ते के अन्दर तैयार करके हवाला कर देवे और मुद्दाअल्लेह २४०) रु० उनकी कीमत मुद्दई को अदा करेगा ।

(नमूने की तफसील)

३—मुद्दाअल्लेह ने १०) रु० मुद्दई को ठहराते वयाना समय के दिये और बाकी २४०) तसवीर हवाले करते वक्त देना करार पाये ।

४—मुद्दई ने मुद्दाहिदे के अनुसार तसवीरे नमूने के मुताबिक १ हफ्ते के अन्दर तैयार करके मुद्दाअल्लेह को देना चाही और मुद्दाअल्लेह से २४०) रु० बाकी कीमत के माँगे ।

५—मुद्दाअल्लेह तसवीर लेने और बाकी कीमत देने पर तैयार नहीं होता और त्रिला बजह हुज्जत और टाल टूल करता है ।

६—मुद्दई तैयार की हुई तसवीर देने और बाकी कीमत का रुपया लेने को हर वक्त तैयार रहा और अन्न भी है ।

(मजमून फिकरा नं० ४ व ५ नमूना नं० १ लिखिये ।)

मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(अ) मुद्दाअल्लेह से २४०) रुपया बाकी कीमत और खर्च नालिश और सूद दौरान व आइन्दा, रु० बसूल होने तक दिलाये जावे और ६ तसवीर तैयार की हुई नमूने सहित मुद्दई से मुद्दाअल्लेह को दिला दी जावे ।

(११) नीलाम किये हुए माल की कीमत के लिये

(सिरनामा)

मुहम्मदजान मुद्दई नीचे लिखा निवेदन करता है :—

१—मुद्दई ने तारीख..... को नीलाम मे मुद्दाअल्लेह को कुछ सामान जिसकी कीमत ४००) रु० थी नीलाम की शर्तों के अनुसार फरोख्त किया । एक शर्त यह थी कि नीलाम के एक हफ्ते बाद तक रुपया अदा करके माल उठा लिया जावे ।

२—माल की तफसील और कीमत जिस पर मुद्दाअल्लेह ने माल खरीद किया नीचे दी हुई है—

(नाम माल)

(कीमत)

३—मुद्दाअल्लेह ने मियाद के अन्दर माल नहीं लिया और न उसकी कीमत अदा की ।

(मजमून फिकरा नं० ४ व ५ नमूना नं० ११ लिखना चाहिये)

(प्रार्थना)

* (१२) बाबत उस कमी कीमत के जो दोबारा नीलाम कराने से हो

(सिरनामा)

मुद्दई नीचे लिखा निवेदन करता है :—

१—ता० को मुद्दई ने (कुछ माल) इस शर्त पर नीलाम किया कि जो माल १० दिन के अन्दर रुपया अदा करके न लिया जावे वह फिर खरीदार की तरफ से नीलाम कर दिया जाय और यह शर्त मुद्दाअल्लेह को मालूम थी -

२—मुद्दाअल्लेह ने कुछ चीनी के बर्तन.....रु० को नीलाम में खरीदा ।

३—मुद्दई, मुद्दाअल्लेह को यह बर्तन नीलाम के दिन और उसके १० दिन बाद तक देने को तत्पर और राजी था ।

४—मुद्दाअल्लेह अपने खरीद किये हुये बर्तनों को नीलाम के १० दिन बाद तब नहीं ले गया न उनकी कीमत अदा की ।

५—ता०.....को मुद्दई ने वह बर्तन मुद्दाअल्लेह की तरफ से.....रु० को दोबारा नीलाम कर दिये ।

६—दूसरे नीलाम में खर्चा.....रु० हुआ ।

७—मुद्दाअल्लेह ने वह कमी जो दूसरे नीलाम करने पर हुई अदा नहीं की ।

(फिकरा ४ व ५ नमूना नं० १ लिखिये)

मुद्दई की प्रार्थना ।

४—मजदूरी व नौकरी

मजदूरी या रज्जरत का दावा तभी लाया जा सकता है जब कि मुद्दई किसी इकरार की वजह से मुद्दाअलेह के लिये कोई काम करे। यदि ऐसा काम काने में कुछ सामान भी लगाया जावे तो मुद्दई उसकी उचित कीमत माँग सकता है (देवो दावा नं० ३)। परन्तु अपने ही सामान से यदि मुद्दई मुद्दाअलेह के लिये कोई चीज बनावे (जैसे तस्वीर, मेज, कुर्ची, इत्यादि) तो हर्जाने का दावा लाना चाहिये क्योंकि यहाँ पर मजदूरी मुद्दई ने अपने लिये ही की न कि मुद्दाअलेह के लिये। परन्तु यदि क ई मनुष्य दूसरे की जायदाद पर बिना इजाजत अपने आप ही कोई ऐसा काम करे जो कि उसको मन्जूर करना पड़े तो वह उसका मुआवजा पाने का हकदार नहीं होता जैसे कोई व्यक्ति अधिकार विरुद्ध कब्जा करके मकान की मरम्मत करा देवे।

मजदूरी का दावा किसी काम के समाप्त हो जाने पर ही करना चाहिये जब तक कि दोनों पक्षों में ऐसी कोई प्रतिज्ञा न हो कि काम अधूरा रहने पर भी मजदूरी दी जावेगी (देखो कानून मुआहिदा ; धारा ३६)

मियाद—मजदूरी या नौकरी अदा होने की नियत तारीख से तीन साल के अन्दर दावा दायर होना चाहिये यदि ऐसी कोई तारीख नियत न हो तो काम समाप्त होने के तीन वर्ष के अन्दर।¹

* (१) उचित मजदूरी के किये दावा

(सिरनामा)

बादी निवेदन करता है :—

१—ता०.....से ता०.....तक बादी ने कुछ तस्वीर और नक्शे प्रतिवादी के कहने पर बनाए। इस विषय पर कोई इकरार नहीं हुआ था कि उस काम के लिये, कितना रुपया बादी को दिया जावेगा।

1. Article 56, Limitation Act

*नोट—यह ज्ञान्ता दीवानी के शिड्यूल १ अपेनडिक्स (अ) का नमूना नं० ७ है।

२—उस काम की उचित मज़दूरी.....रुपया है ।

३—प्रतिवादी ने यह रुपया अदा नहीं किया ।

(मज़मून फिकरा नं० ४ व ५ नमूना नं० १ लिखना चाहिये)

वादी की प्रार्थना

(२) बाबत मुनासिब मज़दूरी ।

(सिरनामा)

(अ—ब—) मुद्दई निवेदन करता है—

१—मुद्दई सिलाई का काम करता है ।

२—ता०.....को मुद्दाअलोह के यहाँ लड़के की शादी थी । उसने शादी के लिये बहुत से कपड़े सिलवाये लेकिन शरह के त्तारे में कोई मुआहिदा नहीं किया ।

३—मुद्दई ने जो कपड़े सिये उनकी मुनासिब सिलाई नीचे दर्ज हैं—

(नाम कपड़ा)

(सिलाई)

४—मुद्दाअलोह ने सिलाई के हिसाब में सिर्फ २५) रु० दिये हैं बकिया.....रु० तकाज़ा करने पर भी नहीं दिये ।

५—बिनाय दावी ता०.....(काम तैयार करने के दिन से)

मुद्दई प्रार्थी है कि.....रु० मुद्दाअलोह से मय सूद के दिलाया जावे ।

* (३) मज़दूरी इत्यादि की उचित कीमत की बाबत ।

(सिरनामा)

मुद्दई निवेदन करता है :—

१—ता०.....को (स्थान)—में मुद्दई ने एक मकान (यहाँ मकान का नम्बर व पता देना चाहिए) मुद्दाअलोह के लिये उसके कहने पर तामीर किया और उसका मसाला (ईंट, चूना इत्यादि) भी अपने पास से लगाया, लेकिन कोई इकरार ह्द बात का नहीं हुआ था कि उस काम और मसाले की क्या कीमत दी जायगी ।

२—उस काम और मसाले की उचित कीमत.....रु० है ।

३—मुद्दाअलोह ने यह रुपया अदा नहीं किया ।

* नोट—यह जम्ता दीवानी के शिड्यूल I. App. A. का नमूना नं० ८ है ।

५—हुन्डी व चैक

हुन्डी के दावों में कुछ आवश्यक शब्द जान लेने चाहिये। वह यह हैं।

जो पुरुष हुन्डी लिखता है उसको "लिखने वाला" और जिसके हक में लिखी जाती है उसको "रखने वाला" और जिसका हुन्डी अदा करने का आदेश दिया जावे उसको "ऊपर वाला" कहते हैं।

जो हुन्डी खरीद करता है वह "बेचान लेने वाला" और जो बेचता है वह "बेचान देने वाला" कहलाता है। जो कोई हुन्डी को सही करके उसके अदा होने की जिम्मेदारी लेवे वह "सही करने वाला" कहलाता है।

इनके अंग्रेजी में समान शब्द यह है :—

लिखने वाला Drawer	बेचान लेने वाला Endorsee
रखने वाला Payee	बेचान देने वाला Endorser
ऊपर वाला Drawee	सही करने वाला Acceptor

हुन्डी के दावों में तारीख, रकम और फरीकैन के नाम स्पष्ट रूप से दिये जाने चाहिये। यह भी लिखना चाहिये कि प्रतिवादी हुन्डी का लिखने वाला, सही करने वाला, या बेचान करने वाला है। यदि वह लिखने वाला या बेचान देने वाला हो, तो उसको हुन्डी के न सिकरने का नोटिस दिया जाना भी दिखाना चाहिये क्योंकि (दफा १८ Negotiable Instruments Act के अनुसार) नोटिस जरूरी होने के सिवाय बिनाय दावा भी नोटिस देने की तारीख से शुरू होता है। कोई सही करने वाला अपने नाम के पहिले सब फरीकैन (लिखने, सही करने और बेचान देने वालों) पर दावा कर सकता है और जब तक हुन्डी न सिकर जावे यह सब लोग देनदार है और सब को फरीकन मुकदमा बनाना चाहिये। दावा नं ३ व ४ के नोट सावधानी से इसी सिलसिले में पढ़ने चाहिये।

हुन्डी व चैक का रुक्का और अन्य Negotiable Instruments की तरह Negotiable Instruments Act की धारा ११८ के अनुसार प्रत्युपकार (मुआवजा या बदल) मान लिया जाता है इस लिये अर्जी दावे में यह लिखना कि हुन्डी या चैक बदल के एवज में लिखा गया जरूरी नहीं है परन्तु यह जरूर लिखना चाहिये कि हुन्डी या चैक, जिसका दावा किया जावे

सकरने के लिये पेश की गई थी और उसकी अदायगी नहीं की गई^१। उसी विधान की धारा ७६ के अनुसार यदि कोई सूद के लिये प्रतिज्ञा हुन्डी में न लिखी हो तो मुद्दई धारा ८० के अनुसार ६ रुपया सैकड़ा वार्षिक सूद मांग सकता है।^२

मियाद—हुन्डी या चैक का रुपया भुगतान होने योग्य हो जाने की तारीख, से ३ साल के अन्दर दावा दायर होना चाहिये।

(१) दावा लिखने वाले का ऊपर वाले पर।

(विरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी ने ता०.....को प्रतिवादी के ऊपर अपने हाथ की लिखी हुई हुन्डी से, जो मुद्दती तीन महीने की थी, प्रतिवादी को आदेश दिया कि वह ५००) रु० वादी को मुद्दत पूरी हो जाने पर अदा करे।

२—प्रतिवादी ने हुन्डी को सही (Accepted) कर दिया लेकिन उसका रुपया मुद्दत पूरी हो जाने पर नहीं दिया।

३—वादी का नीचे लिखा रुपया प्रतिवादी पर चाहिये।

हुन्डी का रुपया	५००) रु०
सूद ता०	से लेकर दावा दायर करने की तारीख तक—रु०
निखराई व सिकराई—	— - रु०

४—विनाय दावा ता० को हुन्डी के दिन गुज़र जाने पर (स्थान) में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई।

५—दावे की मासियत—

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) दावा दिलाने.....रु० असल व सूद व निखराई सिकराई डिगरी किया जावे।

(ब) खर्च नालिय व सूद रुपया वसूल होने के दिन तक दिलाया जावे।

1. A. I R. 1923 Lahore 388 ; 22 C. W. N 1036 ; 1934 A. L. J 892
2 A. I B 1928 Bom. 35 F B ; 107 I C 753 ; 6 A. L. J. 233

(२) दावा रखने वाले का हुन्डी लिखने वाले पर

(सिरनामा)

मुद्दई निवेदन करता है।

१—ता०.....को फर्म मुदाअलोह ने जिनका.....नाम पड़ता है एक हुन्डी.....६० की अपने ऊपर, ६० दिन की मुद्दती, मुद्दई के रखने, की लिखी।

या—मुदाअलोह ने एक हुन्डी से, जो उसने ता०.....को अपने ऊपर मुद्दई के हक में लिखी.....६० का ६० दिन की मुद्दत के बाद अदा करने का इत्तफाक किया।

२—यह मुद्दत (६० दिन की) गुजर गई, मुदाअलोह ने हुन्डी का रुपया अदा नहीं किया।

३—हुन्डी ॥॥) सै० माहवारी के सूद से ली गई थी। मुद्दई इसी दर सेबाद का सूद भी लगाता है।

४—मुद्दई का, नीचे दिये हिसाब से.....६० निकलता है।

(हिसाब की तफसील)

५—विनाय दावा, ता० को हुन्डी की मुद्दत पूरी होने से... ..(स्थान) में अदागत के इलाके के अन्दर पैदा हुई—

६—दावे की मालियत।

(मुद्दई की प्रार्थना)

(३) दावा बेचान लेने वाले का सही करने वाले पर

(सिरनामा)

मुद्दई निवेदन करता है—

१—फर्म रामचन्द्र हरप्रसाद कानपुर ने ता०.....को एक ६००) ६० की हुन्डी, मुद्दती २ माह, फर्म रामसहाय गौरसहाय कलकत्ता के ऊपर, फर्म धनीराम साधूराम कानपुर से के हक में लिखी।

२—फर्म धनीराम साधूराम ने उक्त हुन्डी मुद्दइयान को बेचान कर दी और मुद्दइयान उसके मालिक हैं । (देखो नोट नं० १)

३—मुद्दइयान ने हुन्डी की मियाद गुज़र जाने पर वह फर्म मुद्दाअलेहम, रामसहाय गौरसहाय, कलकत्ता को उसके रुपये की बेबाकी के लिये पेश की । मुद्दाअलेहम ने हुन्डी को सही कर दिया लेकिन उसका रुपया अभी तक अदा नहीं किया । (देखो नोट नं० ३)

४—मुद्दइयान, हुन्डी का रुपया व सूद और निखरा सिकराई वगैरह मुद्दाअलेहम से वसूल करने के हकदार हैं । (देखो नोट नं० २)

५—बिनाय दावा—

६—दावे की मालियत—

मुद्दइयान प्रार्थी है कि :—

(अ) दावा, दिलापाने.....रु० हुन्डी का व.....रु० सूद का ॥) सै० माहवारी की दर से, ता० मुद्दत पूरी होने से नालिश करने के दिन तक व.....रु० खर्च निखराई सिकराई कुल.....रु० के मुद्दाअलेहम पर मय खर्च नालिश व सूद रु० वसूल होने के दिन तक, डिगरी किया जावे ।*

*नोट नं० १—यदि मुद्दइयान के पास हुन्डी कई बेचान के बाद आई हो तो फिकरा नं० २ में यह लिखना चाहिये—

“फर्म धनीराम साधूराम ने (अ—ब—) के नाम और (अ—ब—) ने— (क—ख—) के नाम और— (क—ख—) ने मुद्दइयान को बेचान किया और मुद्दइयान उसके अब मालिक हैं” ।

नोट नं० २—अगर दावा हुन्डी लिखने वाले पर भी करना हो तो फिकरा नं० ४ ऐसे लिखना चाहिये और दोनों को मुद्दाअलेहम बनाना चाहिये ।

“मुद्दइयान, रुपया हुन्डी, सूद व निखराई सिकराई इत्यादि के फर्म रामचन्द्र हरप्रसाद कानपुर, हुन्डी लिखने वाले व फर्म रामसहाय गौरसहाय कलकत्ता, जिनके ऊपर हुन्डी लिखी गई और जिन्होंने उसको सही किया, से लेने के हकदार हैं” ।

नोट नं० ३—यदि मुद्दइयान ने किसी अन्य पुरुष के हाथ हुन्डी बेचान करदी हो और उसके न सिकरने पर मुद्दइयान को उसका रुपया देना पड़ा हो तो फिकरा नं० ३ इस तरह होना चाहिये—

“मुद्दइयान ने उक्त हुन्डी (अ—ब—) के हाथ बेचान की और बेचान लेने वालों ने मुद्दत गुजरने पर मुद्दाअलेहम की दूकान पर अदायगी के लिये उसको पेश किया, मुद्दाअलेहम ने हुन्डी को सही कर दिया मगर उसका रुपया अदा नहीं किया । मजबूर हो कर मुद्दइयान को, उसका रुपया, सूद, निखराई सिकराई वगैरह बेचान लेने वाले को वापिस देना पड़ा” ।

(४) हुन्डी न सिकरने पर रखने वाले का लिखने वाले पर दावा

१—प्रतिवादियों ने ता० को एक ७००) रु० की हुन्डी, मुद्दती ३० दिन, वादी के नाम फर्म रामसहाय गूदड़मल कानपुर के ऊपर, माल के बदले में लिखी। (देखो नोट नं० १ व ४)

२—वादी ने मुद्दत पूरी हो जाने पर, उसके रुपये की अदायगी के लिये हुन्डी फर्म रामसहाय गूदड़मल कानपुर को पेश की। (देखो नोट नं० २)

३—उक्त फर्म ने हुन्डी को नहीं सिकारा और इस की सूचना वादी ने प्रतिवादियों को रजिस्ट्री नोटिस से ता०को दे दी।

४—प्रतिवादियों ने नोटिस देने पर भी हुन्डी का रुपया सूद व निखराई सिकराई इत्यादि अभी तक नहीं दिया। उसका हिसाब नीचे दिया है—* (देखो नोट नं० ३)

* नोट नं० १ यदि वादी के रखने की हुन्डी न हो और उसने बेचान लिया हो तो अर्जादावा इसी तरह का होगा और धारा न० १ में “वादी के नाम” के बजाय उस आदमी का नाम लिखना चाहिये जिसके हक में हुन्डी पहिले लिखी गई हो और अन्त में उन सब बेचानों का उल्लेख होना चाहिये जिससे वादी हुन्डी का मालिक हुआ।

नोट नं० २—हुन्डी का न सिकराना दो तरह से हो सकता है। पहला तो यह कि जिसके ऊपर हुन्डी हो वह उसको सही न करे, और दूसरा यह कि मुद्दत पूरी होने पर रुपया अदा न करे। दोनों हालतों में नालिश करने का स्वत्व उत्पन्न होता है इस लिये यदि सही करने से इन्कार करने पर नालिश की जाय तो धारा नं० २ में “रुपये की अदायगी” के बजाय “सही करना” लिखा जावे। शेष विषय वैसा ही रहेगा।

नोट नं० ३—कभी कभी लिखने वाले को हुन्डी न सिकराने का नोटिस दिये जाने का हक नहीं होता या वादी किसी कारण से नोटिस नहीं दे सकता और कानूनन इसके न देने के प्रभाव से बचना चाहता है (दफ्ता ७८ कानून हुन्डी, ऐक्ट २६ सन् १८८१ ई०) ऐसी दशा में धारा नं० ४ के बजाय नीचे लिखी हुई धारा लिखना चाहिये।

“प्रतिवादी का कोई रुपया या बीजक फर्म रामसहाय गूदड़मल कानपुर वालों पर नहीं था” याकि “प्रतिवादी ने फर्म रामसहाय गूदड़मल को उक्त हुन्डी सिकराने से रोक दिया था (या जो कुछ नोटिस न देने का कारण हो) इस कारण से प्रतिवादी हुन्डी न सिकरने के नोटिस पाने का अधिकारी नहीं था”।

नोट नं० ४—यदि हुन्डी मुद्दती होने के बजाय दर्शनी, पहुँचे दाम की या मॉग पर अदा करने की हो, तो अर्जादावे में “मुद्दती ३० दिन” के बजाय वही शब्द लिखने चाहिये और आवश्यक संशोधन के साथ अर्जादावा इसी प्रकार का होना चाहिये।

रुपया हुन्डी	६०	} कुल.....६०
सद	६०	
खर्च निखराई सिकराई	६०	
खर्च नोटिस	६०	

(५) दाव बेचान लेने वाले का रखने वाले पर

१—दुकान रामचन्द्र हरप्रसाद कानपुर ने ता०.....को दो हजार रुपये की एक हुन्डी मुद्दा ६० दिन रामसहाय गौरसहायमल कलकत्ता के ऊपर धनीराम साधूराम कानपुर वालों को लिखी ।

२—फर्म धनीराम साधूराम ने इस हुन्डी का वादी के नाम बेचान कर दिया ।

३—वादी ने इस हुन्डी को दुकान रामसहायमल गौरसहायमल कलकत्ता वालों पर अदायगी के लिये पेश किया लेकिन उन्होंने उसको नहीं सिकारा ।

४—वादी ने हुन्डी न सकरने की रजिस्ट्री नोटिस ता० को प्रतिवादी को दे दिया ।

५—प्रतिवादी ने हुन्डी का रुपया व सद व खर्चा निखराई सिकराई वादी को अदा नहीं किया ।

(यहाँ रुपये का हिसाब देना चाहिये)

(६)—बेचान लेनेवाले का उसको बेचान देने-
वाले के ऊपर दावा

१—दुकान रामचन्द्र हरप्रसाद कानपुर ने ता०.....कोरुपये की दर्शनी (या पहुँचे दाम की) हुन्डी फर्म रामसहाय गौरसहायमल कलकत्ता के ऊपर फर्म धनीराम साधूराम कानपुर वालों के हक में तहरीर की ।

२—फर्म धनीराम साधूराम ने यह हुन्डी फर्म राधाकिशन सीताराम खुर्जावालों के हाथ बेचान की और राधाकिशन सीताराम ने उसको फर्म मुद्दहयान के हाथ जिस पर कि.....नाम पड़ता है बेचान कर दिया ।

३—वादियों ने हुन्डी को अदायगी के लिये फर्म रामसहाय गौरसहायमल कलकत्ता को पेश किया लेकिन उन्होंने उसको नहीं सिकारा ।

४—वादियों ने हुन्डी न सिकरने का नोटिस प्रतिवादियों (फर्म राधाकिशन सीताराम खुर्जा) को ता०.....को रजिस्ट्री नोटिस दे दिया ।

५—प्रतिवादियों ने हुन्डी का रुपया, सूद व इखराजात व खर्च निखरई सिकरई मुद्दयान को अदा नहीं किया उसका व्योरा नीचे दिया जाता है।

हुन्डी का रुपया—	२०	} कुल रुपया.....
सूद	२०	
खर्च निखरई सिकरई	२०	

(७) दावा बेचान लेनेवाले का बेचान देनेवाले और लिखने वाले पर

नाम अदालत.....

नं० मु०.....सन्...

१—बुद्धसेन	} वादी	} प्रतिवादी
२—केदारनाथ		
३—हीरालाल		
	बनाम	
१—श्यामलाल	} प्रथम पक्ष	
२—बद्रीदास		
३—गंगाप्रसाद	} द्वितीय पक्ष	
४—मदनमोहन		
५—ब्रजलाल		
६—राधेलाल		
७—माधोप्रसाद		

वादी निवेदन करते हैं :—

१—वादी दूकान जीवाराम कन्हैयालाल हाथरस के मालिक है जिसका मैनेजर व अपने हिस्से का मालिक बुद्धसेन का सगा भाई मुन्नालाल था और अत्र उसकी जगह पर कर्ता खानदान की हैसियत से मुद्दई न० १ मैनेजर है।

२—प्रतिवादी प्रथम पक्ष एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं और हाथरस में श्यामलाल बद्रीदास के नाम से कारबार करते हैं।

३—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष की दूकान गन्नीलाल मदनमोहन के नाम से पत्थर बाजार हाथरस में है जिसका मैनेजर अपने हिस्से का मालिक व खानदान मुशतर्का का कर्ता होने की वजह से उनका बुजुर्ग गन्नीलाल था।

४—नीचे लिखी हुई चार किता हुन्डियाँ गन्नीलाल मदनमोहन की, अपने ऊपर की हुई और श्यामलाल बद्रीदास के रखले की हैं और उन्हीं के आधार पर यह नालिश की जाती है—

- (१) हुन्डी तादादी १०००) मियादी ५० दिन ता०
(२) ,, ,, १०००) ,, ६० दिन ता०
(३) ,, ,, १०००) ,, ७० दिन ता०
(४) ,, ,, १०००) ,, ८० दिन ता०

५—श्यामलाल ब्रद्रीदास ने ये हुन्डियों ता०..... को जीवाराम कन्हैयालाल के हाथों मुन्नालाल मैनेजर के नाम मुआवज़ा पाकर बेची ।

६—वादियों ने हुन्डियों की मियाद पूरी हो जाने पर उनको अदायगी के लिये प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को पेश किया लेकिन उन्होंने उनको नहीं सिकारा ।

७—हुन्डी न सिकरने की खबर वादियों ने प्रतिवादी प्रथम पक्ष को नियमानुसार दी और उनसे उनका रुपया भी माँगा ।

८—हुन्डियों का रुपया अभी तक दोनों प्रतिवादियों में से किसी ने अदा नहीं किया ।

९—हाथरस की बाज़ार के रिवाज व आपस के इकरार से, वादी ॥८) सै० माहवारी के हिसाब से सूद पाने के हकदार हैं ।

१०—विनाय दाबी, हुन्डी न सिकरने के दिन से अदालत के इलाके के अन्दर स्थान.....पर पैदा हुई ।

११—दावे की मालियत अदालत के अधिकार और कोर्टफ़ीस देने के लिये ४०४०) रु० है ।

वादी प्रार्थी है :-

(अ) कि नीचे दिये हिसाब के अनुसार ४०४०) रु० मय खर्च नालिश व सूद रुपया वमूल होने तक ढिलाया जावे ।

(- तफ़्तील हिसाब)

(८) बैंक के आधार पर दावा

१—प्रतिवादी ने ता०.....को एक बैंक ५००) रु० का इलाहाबाद बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद के ऊपर वादी के नाम तहरीर करके उसके हवाले कर दिया ।

२—वादी ने वह बैंक इलाहाबाद बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद के यहाँ ता०.....को पेश किया मगर बैंक ने बैंक का रुपया अदा नहीं किया ।

३—वादी ने रजिस्ट्री नोटिस के द्वारा जो ता०.....को दिया गया प्रतिवादी को चैक न सिकरने की इत्तला दे दी मगर प्रतिवादी ने चैक का रुपया अदा नहीं किया ।

४—वादी चैक का रु०.....सूद के साथ प्रतिवादी से वसूल करने का हकदार है ।

६—आपसी हिसाब

साधारणतया आपसी हिसाब का अभिप्राय शुद्ध रूप से नहीं समझा जाता और किन्हीं दो फर्म के आपसी लेन देन को लोग आपसी हिसाब ख्याल कर लेते हैं। वास्तव में यदि दो व्यक्तियों या फर्मों के मध्य रकमों और भाल का आना जाना हो और उन दोनों का सम्बन्ध ऋणी और ऋण देने वाले का न हो तब वह आपसी हिसाब कहलाता है। ऐसे हिसाब में कभी एक पक्ष के ऊपर और कभी दूसरे पक्ष के ऊपर बकाया की रकम निकलती है। इसके विरुद्ध ऋण के व्यवहार में बकाया हमेशा ऋणी के ऊपर ही निकलती है।

आपसी हिसाब होने के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक ऐसे व्यवहार की पृथक जिम्मेदारी उत्पन्न होती हो। इसके विरुद्ध ऋण होने को दशा में नाम की तरफ ऋण की रकम लिखी जाती है और जमा की तरफ, मूल या सूद या दोनों की अदायगी। जमा की रकमों नाम की रकमों से सम्बन्धित होती है और वह पृथक जिम्मेदारी उत्पन्न नहीं करती वरन् पहली ही जिम्मेदारी की बेबाकी के लिये होती हैं।

मियाद—आपसी हिसाब यदि खुला और चलता हुआ रहे अर्थात् कोई बाकी न निकाली गई हो और आपसी व्यवहारों की शृंखला चलती रहे, तब उसकी विशेषता यह होती है कि कानून मियाद के आर्टिकल ८५^१ के अनुसार उसकी नालिश उस वर्ष के अन्त से ३ साल के अन्दर हो सकती है जिस वर्ष में उक्त हिसाब की अन्तिम रकम लिखी जाना स्वीकार हो या प्रमाणित की जा सके^२ साधारण ऋण की मियाद केवल ३ साल की होती है।^३

1 See Art. 85, Schedule 1, Limitation Act

2 I L R 39 All 33, 47 Bom. 128, 27 A. L. J. 73, 107 I C 538.

3 1934 A. L. J. R 623, P. C

* (१) आपस के हिसाब के आधार पर नक़द रुपया का दावा

(मुक़दमे का सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ऊपर लिखे हुए फ़रीक़ैन कानपुर में साहूकारी का काम करते हैं ।

२—फ़रीक़ैन के फ़र्मों में आपस में हिसाब एक अरसे से चला आता था और जो रुपये क़ा लेन देन होता था दोनों के बही खातों में लिखा जाता था और सालाना दिवाली पर हिसाब का मिलान हो कर एक फ़र्म की बकाया दूसरे फ़र्म पर दोनों के बही खातों में लिख दी जाती थी ।

३—अन्तिम बार तिथि.....या ता०.....को हिसाब का मिलान होकर..... रुपया मुद्दई फ़र्म के, मुद्दाअल्लोह के फ़र्म पर निकले थे और उसके बाद बदस्तूर रुपये का लेन देन तिथि.....या ता०...तक होता रहा और हिसाब खुला और चलता हुआ रहा ।

४—इस आपसी हिसाब में ब्याज की दर आठ आना ॥) सै० माहवारी थी और पहिले हिसाब में भी इसी दर से ब्याज लगाया जाता रहा था ।

५—हिसाब से जो फ़ि अर्ज़ीदावे के साथ दाखिल किया जाता है फ़र्म मुद्दई का मुद्दाअल्लोह के फ़र्म पर.....रु० निकलता है ।

(२) इसी तरह का दूसरा नमूना

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं—

१—वादी का फ़र्म जीवाराम कन्हैयालाल के नाम से, पत्थर बाज़ार शहर हाथरस में प्रचलित है ।

२—प्रतिवादी एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं और उनका कौटुम्बिक फ़र्म गन्नोलाल मदनमोहनलाल के नाम से इसी बाज़ार में है ।

२—घादियों के फ़र्म जीवाराम कन्हैयालाल व प्रतिवादियों के फ़र्म गन्नोलाल मदनमोहन में आपस में लेन देन था जो तिथि.....या ता०..... से आरम्भ हुआ ।

* नोट—इन दावों के लिये इसी अध्याय में कर्ज़ा के दावा नं० १० का नोट देखना चाहिये ।

४—लेन देन की सब रकमें दोनों फर्म के बहीखातों में लिखी जाती थीं और फरीकैन में आपस में ब्याज की दर ॥८॥ सै०मा०थी ।

५—उपरोक्त दोनों फर्मों में तिथि.....या ता० को हिसाब हुआ और आपस के लेन देन की रकमों को काट कर वादियों के फर्म मुद्दहयान के प्रतिवादियों के फर्म पर १०,००७॥८॥ रुपये निकलते थे, उसका जमा खर्च दोनों फर्मों के बहीखातों में हुआ था ।

६—इसके बाद २० तारीख को प्रतिवादियों के फर्म के नाम पड़े और२० तारीखको तथा२० ता० को कुल... . रुपया जमा हुए इस तरह से.....२०फर्म मुद्दहयान के फर्म मुद्दाअलेहम पर बाकी हैं ।

७—यह कुल हिसाब वादियों के फर्म बहीखातों में जिसकी नकल अर्जादावे के साथ पेश की जाती है और प्रतिवादियों के बहीखातों में जिसकी नकल पेश कराई जावेगी दर्ज है ।

८—हिसाब से ११८८०) २० वादियों का प्रतिवादियों के ऊपर बाकी है जो उसने माँगने व तक्राजा करने पर भी अदा नहीं किया ।

९—लेन देन तारीख . . .से शुरू हुई लेकिन फरीकैन में, कानून मियाद के दफा ८५ के मुताबिक, आपसी हिसाब मियाद के अन्दर हुआ था और प्रतिवादियों के यहाँ ४६००) २० तारीख को नकद गये और तारीख..... को प्रतिवादियों ने हिसाब सही स्वीकार करके बकाया निकाली और मु०३६१०) २० सूद में अदा करके जमा कराये और तारीख को हिसाब तसलीम करके ६०४०) २० अदा किये इस लिये दावे में तमादी का कोई असर नहीं है ।

१०—दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्टफीस देने के लिये ११८८०) २० है ।

११—विनाय दावी तारीख की मियाद के अन्दर अदालत के इलाके में स्थान हाथरस में पैदा हुई ।

१२—वादी प्रार्थी हैं :—

(अ) दावा दिला पाने ११८८०) २० असल व सूद नीचे दिये हुए हिसाब के अनुसार, मय खर्च दौरान व आइन्दा, वसूल होने के दिन तक प्रतिवादियों के ऊपर डिगरी किया जावे ।

(हिसाब का विवरण)

७—अमानत का रुपया

जिन शर्तों पर अमानत रक्खी गई हो वह अर्जी दावे में लिखनी चाहिये और इसकी अदायगी का तक्राबा किया जाना और रुपये का अदा न होना भी लिख देना चाहिये क्योंकि नालिश की विनाय ऐसा तक्राबा करने से उत्पन्न होती है ।¹ इस सम्बन्ध में ट्रस्ट के प्रकरण का नोट भी देखना चाहिये ।

(१) बाबत अमानती रुपया

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—मुद्दाअलोहम का साहूकारी का फर्म.....के नाम से बाज़ार बादशाही मसजिद शहर मुरादाबाद में जारी है ।

२—मुद्दई का रुपया मुद्दाअलोह की दूकान पर अमानत में जमा रहता था जिसका सूद ॥) आने सैकड़े माहवारी मुद्दाअलोह मुद्दई को अदा करते थे और कुल रुपये के, इन्दुलतलब (माँगा, जाने पर) देनदार थे ।

३—मुद्दई ने पहिले मुबलिग.....रु० ता०... .. को जमा किये और बाद को बहुत सी रकमें जमा करता रहा और असल व सूद में रुपया लेता रहा ।

४—रुपये के लैन दैन का कुल हिसाब मुद्दाअलोहम की दूकान के बहीखातों में और बही याददास्त मुद्दई में, जो मुद्दाअलोहम की दूकान के मुनीम ने उसको दे रक्खी थी, दर्ज है और वह हिसाब अर्जीदावे के साथ पेश किया जाता है ।

५—हिसाब से मुद्दई का.....रु० मुद्दाअलोहम पर बाक्की है जो मुद्दाअलोहम ने अदा नहीं किया ।

६—विनाय दावी ता०को रुपया माँगने और मुद्दाअलोहम के न अदा करने के दिन से बमुकाम मुरादाबाद अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई ।

७—दावे की मालियत—

(प्रार्थना)

1. Art. 60, Limitation Act See also I. L. R 51 Mad. 549, A I R. 1927 Bom. 438, 1927 Pat 91.

(२)—अमानती माल के बारे में, दूसरा नमूना

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—यह कि प्रतिवादी दूकान राधाकृष्ण सीताराम स्थिति खुरजा के मालिक है ।

२—यह कि वादी के पिता विहारीलाल का उक्त दूकान पर समय समय पर रुपया जमा होता था और इसी तरह पर उसको इस दूकान से रुपया वसूल भी होता था और वह रुपया प्रतिवादियों की दूकान की बहियों में और वादी के पिता के हिसाब की बही में दर्ज होता रहा और अंतिम बार तिथि.....या तारीख.....को मुद्दई के पिता और प्रतिवादियों की दूकान में आपस का हिसाब हुआ और मुबलिंग ४६३०) २० प्रतिवादियों ने अपने ऊपर स्वीकार और मन्जूर किये और इस रकम का बहियों में इन्दराज हुआ ।

३—यह कि इसके बाद ८१८) २० मुद्दई के पिता को कई तारीखों में वसूल हुये ।

४—यह कि फरीकैन के इकरार से इस रुपये पर ब्याज ॥३॥ आने सैकड़े माहवारी लगाया जाता था ।

५—यह कि वादी के पिता विहारीलाल का देहात हो गया । वादी उनका उत्तराधिकारी है, और इस रुपये को वसूल करने का हकदार है और उसने कर्ज का रुपया वसूल करने का सर्टिफिकेट विरासत ले लिया है ।

६—यह कि हिसाब से ४११२) २० असल व ६६६) २० सूद कुल ४८११) २० निकलते हैं जिनको वादी मृतक विहारीलाल का वारिस होने के कारण प्रतिवादियों से वसूल करने का हकदार है और यही दावे की मालियत, कोर्टफीस व अदालत के अधिकार के लिये है ।

७—यह कि बिनाय दावा तिथि.....तदनुसार ता०....., आखिरी बकाया निकालने के दिन से अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई है और अदालत को अधिकार मुकदमा सुनने का हासिल है

मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(अ) ४८११) रुपया असल और सूद या जितना भी रुपया वादी के पिता विहारीलाल का प्रतिवादियों पर निकलता हो सूद सहित वसूल होने के दिन तक, मय नॉलिश खर्च के वादी को दिलाया जावे ।

(हिसाब का विवरण)

८—वादी के लिये वसूल किया हुआ रुपया

यदि कोई पुरुष कोई ऐसा रुपया वसूल कर लेवे जिसका हकदार कोई अन्य पुरुष हो तो वह वसूलयाबी हकदार मनुष्य के लिये समझी जाती है और वसूल करने वाला व्यक्ति, हकदार मनुष्य को उसको देने का जिम्मेदार होता है।

यदि रुपया अदा करने वाले के किसी कार्य या गलती से ऐसा हुआ हो तो वह अदायगी जायद कहलाती है और उसके नमूने अन्य प्रकरण में दिये जा चुके हैं। यदि ऐसी वसूलयाबी रुपया वसूल करने वाले की गलती या उसके अन्य कार्य से हुई हो जिसका जिम्मेदार रुपया अदा करने वाला न हो, दोनों दशाओं में अधिकारी पुरुष ऐसे रुपये के लिये दावा कर सकता है और उन अर्जीदावों के नमूने इस प्रकरण में दिये गये हैं।

मियाद—ऐसे दावों में कानून मियाद का आर्टिकल ६२ लागू होता है (Art 62 Limitation Act) और मियाद ३ साल की होती है।¹

[नोट—इस विलखिले में अदायगी जायद की मद में दिये हुए अर्जीदावे और नोट देखने चाहिये। वह ऐसे रुपये के बारे में हैं जो वास्तव में गलती से प्रतिवादी ने वादी के लिये वसूल किया]

(१) बेजा वसूल किये हुये रुपये की वापसी के लिये

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—मुद्दई मौजा रामनगर तहसील स्याहा मे खेती का काम करता है।

२—मुद्दाअलोह उसी मौजे मे जमीदार की तरफ से कारिन्दा था और काश्तकारों से लगान वसूल करता था।

३—ता०.....को मुद्दाअलोह ने मुद्दई से यह कहा कि वह जमीदार का कारिन्दा और लगान वसूल करने का हकदार है और मुद्दई ने मुद्दाअलोह के बयान को सही समझ कर रबी सन्.....फ० का लगान मुबलिया..... रुपया मुद्दाअलोह को अदा कर दिया और मुद्दाअलोह ने उसकी रसीद जमीदार के कारिन्दे की हैसियत से दे दी।

४—इसी लगान के बारे में जमीदार ने मुद्दई के ऊपर अदालत माल में नालिश दायर की। मुद्दई ने लगान की अदायगी का उज्र, मुद्दाअलोह की दी हुई वसूलयाबी की रसीद पर किया, लेकिन अदालत से ता०.....को यह फैसला हुआ कि मुद्दाअलोह

1. I. L. R 46 Cal. 670, P. C., 30 All 318, A I R 1927 All. 161, F B

लेंगान वसूल करने के दिन से करीब ६ महीने पहिले बर्खास्त हो चुका था और उस तारीख पर लगान वसूल करने का हकदार नहीं था, इसलिये ज़मींदार का दावा मुद्दई के ऊपर डिगरी हो गया ।

५—मुद्दई अदा किये हुए रुपये को मय १) ६० सै० माहवारी सूद व ज़मींदार की नालिश के खर्च का जो उसके ऊपर निकला मुद्दाअलोह से पाने का हकदार है ।

६—विनाय दावी ता०.....को रुपया अदा करने के दिन और ता०.....को ज़मींदार की डिग्री होने के दिन से बमुकाम मौजा रामनगर, अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई ।

७—दावे की मालियत—

(मुद्दई की प्रार्थना :—)

(२)—वसूल किये हुए रुपये को अदा न करने के बारे में

१—मुद्दई और मुद्दाअलोह की एक डिग्री नम्बरी सन् . . ई० अदालत..... की जो रामसहाय इत्यादि मदयूनों के ऊपर मुबलिंग ६० .. की थी ता० ..को अदा होने योग्य हुई ।

२—मुद्दाअलोह ने इस डिग्री को अदालत से जारी कराकर उसका.....६० सूद के साथ मदयून डिग्री से ता०... को वसूल करके अपने काम में लगा लिया ।

३—मुद्दई का हिस्सा डिग्री मजकूर में एक चौथाई था ।

४—मुद्दाअलोह ने मुद्दई के हिस्से का मतालवा और सूद तकाज़ा करने पर भी अदा नहीं किया ।

(३) बेजा वसूल किये हुये रुपये के न अदा करने पर

१—मुद्दई का कर्जा अ... व ...आदमी के ऊपर बज़ारिये सादा तमसुक ता० ... का लिखा हुआ था, जो मुद्दई ने फर्जी तौर पर अपने नौकर मुद्दाअलोह के नाम लिखा लिया था ।

२—इस दस्तावेज़ की नालिश मुद्दई के खर्च से मुद्दाअलोह के नाम में अ...व... के ऊपर अदालत .. में दायर हुई और उसके विनाय पर ता० .. को डिग्री नम्बरी.....सन्अ—ब— के ऊपर सादिर हुई ।

३—मुद्दाअलोह ने वह डिग्री अदालत से जारी कराकर उसका कुल रुपया मु०..... ६० अ—ब— से ता०..... को वदनीयती से स्वयं वसूल करके अपने काम में खर्च कर दिया ।

४—उक्त रुपये का मालिक व वसूल करने का हकदार मुद्दई है । मुद्दाअलोह ने यह रुपया मुद्दई के माँगने पर भी अभी तक अदा नहीं किया ।

६—इस्तेमाल और दखल

(Use and Occupation)

प्रयोग (इस्तेमाल) और दखल के मुआवजे के दावे अंग्रेजी में विशेष नाम से पुकारे जाते हैं। (Compensation for Use and Occupation)

यदि एक व्यक्ति की जायदाद दूसरे व्यक्ति के प्रयोग में हो जो पहले व्यक्ति के स्वत्व को स्वीकार न करे, तो प्रयोग करने वाला व्यक्ति मालिक को उसका मुआवजे का देनदार होता है। यह परिस्थित बद्धा तब होती है जब प्रयोग कर्ता ने कब्जा व दखल मालिक से लिया हो परन्तु वह दस्तावेज जिसके आधार पर कब्जा दिया गया किसी कानूनी त्रुटि के कारण शहादत में पेश किये जाने योग्य न हो जैसे स्टाम्प की कमी, या रजिस्ट्री न होना इत्यदि। ऐसी दशा में विधान अनुमान करता है कि प्रतिवादी की मनशा उचित किराया देने की थी। उत्तम रीति यह है कि अर्जीदावे में मुद्दे बतौर बदल के वास-लात भी मंगे ताकि यदि प्रतिवादी, वादी के आज्ञा से कब्जा होना अस्वीकार करे तो क्षति-भूति (खिसारे) के बदले वादी को अन्तरभूत लाभ (वासलात) मिल सके।

यह दावे ऐसी दशा में किये जाते हैं, जबकि मुद्द अजेह मुद्दे की आज्ञा से लेकिन बिना किसी इकगार के मुद्दे की जायदाद पर कब्जा रहा हो। यदि यह दर हो कि मुद्दाअलेह मुद्दे की आज्ञा से कब्जा करने में इनकार करेगा तो बतौर बदल के दर्यागो मुनाफे का भी दावे में इजहार करना चाहिये। यदि किराये व बेदखली के दावे में किरायेनामा या पट्टा शहादत में न पेश किया जा सके या किरायेदारी की शर्तें साबित न की जा सकें तो अर्जीदावे का संशोधन करा के इस्तेमाल व दखल का दावा किया जा सकता है। इस्तेमाल और दखल के दावे में मुद्दे का मालिक या अधिकारी सिद्ध करना आवश्यक नहीं है बयं कि यदि मुद्दाअलेह मुद्दे की आज्ञा से कब्जा ही तो कानून शहादत की धारा ११६ के अनुसार, मुद्दे की मालिकियत से इनकार नहीं कर सकता।

मियाद—आर्टिकल ११५ या १२० के अनुसार, जो लागू हो ३ या ६ वर्ष की होती है।

* (१) मुनासिब किराये पर इस्तेमाल और दखल की बाबत

(सिरनामा)

*नोट—यह नमूना ज़ान्ता दीवानी के पहले शिब्यूल के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर ६ है।

मुद्दई जो कि मृतक अ—ब—का वसी (निष्ठाकर्ता) है निम्नलिखित निवेदन करता है:—

१—मुद्दाअल्लोह ने मकान नम्बरवाकै सड़कउपरोक्त अ—ब—की अनुमति से ता०से ता० तक अपने दखल में रक्खा और उस मकान में रहने के लिये कोई किराया ठीक तय नहीं हुआ था ।

२—उस मकान का उचित किराया मुबलियारुपये होते हैं । मुद्दाअल्लोह ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया ।

३—विनाय दावा

४—दावे की मालियत

५—मुद्दई अ—ब—के वसी की हैसियत से दावा करता है ।

(मुद्दई की प्रार्थना)

* (२) उचित किराये पर उपयोग की बाबत

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :

१—मोटर कंपनी लिमिटेड का मोटरों का कारखाना शहरमें जारी है और वहाँ से मोटर किराये पर दी जाती हैं ।

२—प्रतिवादी ने उपरोक्त कारखाने की एक मोटर नम्बरीया (अगर दूसरा पता हो तो लिखना उचित है), ता०सेता०तक अपने दखल में रक्खी । इस मोटर को उपयोग में रखने के लिये कोई किराया ठीक तय नहीं हुआ था ।

३—मोटर का उचित किराया, उस समय के लिये मु० रुपया होता है ।

४—श्यामलाल मोटर कंपनी लिमिटेड का मैनेजिंग एजेंट है और कंपनी के आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन से (कंपनी के नियमों से) नालिश करने का अधिकारी है ।

* नोट—नालिशें जो मालिक और किरायेदार में होती हैं उनके नमूने आगे दूसरे प्रकरण में दिये हुये हैं ।

१०—पंचायती फैसले

पंचायत दो तरह से होती है एक जो कि अदालत के बाहर बिना अदालत की मदद से (Without intervention of court) होती है और दूसरी वह है जो किसी दायर हुए मुकदमा में अदालत की (intervention) सहायता से होती है। पहले तरह की पंचायत से जो फैसला होता है उसकी बाबत अदालत में नियमानुसार दावा किया जा सकता है और मुद्दई अपनी प्रार्थना में जो कुछ उसके फैसला से दिलाया गया हो माँग सकता है। दूसरी तरह के पञ्चायती फैसले के अनुसार अदालत डिगरी बना देती है। पञ्चायत की बाबत कानून पहले जाणा दीवानी के परिशिष्ट २ धारा २० (Sch. II Para 20 C. P. C.) में दर्ज थे। सन् १९४० में कानून पञ्चायती (Arbitration Act) पास हुआ और पञ्चायती फैसलों के विषय में अब कुल कानून इसी ऐक्ट में दे दिये गये हैं और (Sch. II C. P. C.) मन्सूख कर दिया गया है। इस ऐक्ट में कानून तमादी के धारा १५८, १५९, १७८ और १७९ में संशोधन हो गया है। नये धारा १५८ कानून मियाद के अनुसार पञ्चायत फैसला अदालत में दाखिल कराने के लिये फैसला करने की नोटिस तामील होने के तीन महीना के अन्दर दी जानी चाहिये। पञ्चायती फैसला मन्सूख कराने की दरखास्त फैसला दाखिल होने के ३० दिन के अन्दर दी जा सकती है, पहले इसकी मियाद केवल दस दिन ही थी।

यदि अदालत में दावा दायर किये बिना कोई मगढ़ा पंचों के सुपुर्द कर दिया गया हो आर पंचों ने फैसला दे दिया हो तो वादी उसके अनुसरण के लिये नम्बरी नालिश दायर कर सकता है और उसको वही प्रार्थना दावे में करनी चाहिये जो पञ्चायत से उसके हक में निर्णय हुआ हो परन्तु उत्तम रीति यह होती है कि कोई पक्ष उचित अदालत में दरखास्त दे सकता है कि पञ्चायती फैसला अदालत में दाखिल किया जावे और उसके अनुसार डिगरी तैयार की जावे। ऐसी दरखास्तों पर साधारण दरखास्त के समान स्टाम्प लगता है^१ और वह फैसले के ६ महीने के अन्दर दाखिल हो जानी चाहिये।^२ अदालत को इन दरखास्तों पर यह विचार करना होता है कि डिगरी पञ्चायती फैसले के अनुसार जारी की जा सकती है या नहीं।^३

यदि मुकदमे के दौरान में अदालत की बिना आज्ञा के फरीकैन अपने मगढ़े को पंचों के सुपुर्द कर दें और पञ्च अपना फैसला दे दें तब भी

1. A. I. R. 1938 All. 758, 1936 Lah 134

2. 13 C. W. N 62.

3 Art. 73, Limitation Act

4 I. L. R 45 All. 628

अदालत फैसले के अनुसार छिगरी तैयार होने का हुक्म दे सकती है।^१ पंचायत के लिये लिखित दरखवास्त होनी चाहिये परन्तु दोनों पक्षों की अनुमति से मौखिक प्रार्थना पर भी भगड़ा पंच के सुपुर्ष किया जा सकता है।^२ पंचायत के दावों में पक्षों का पंचायत के लिये रजामन्दी, पंचायती फैसले का दिया जाना उससे जो कुछ दादरखी दिलाई गई हो स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये।

मियाद—नम्बरी दावा दायर करने के लिये मियाद ६ साल की होती है परन्तु यदि दावा प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति का हो तब मियाद केवल ३ वर्ष की होगी।^३

*** (१) दावा नक़द रुपया का, जो पंचायती फैसले से दिख़ाया गया हो**

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०.....को वादी और प्रतिवादी में १० कुम्पे तेल की कामत के विषय में आपस में भगड़ा हुआ जिसको वादी माँगता था और प्रतिवादी देने से इन्कार करता था। दोनों पक्ष इस भगड़े को अ ..त्र...और क...ख ..के पंचायती फैसले पर छोड़ने के लिये राजी हुये। इसका इकरार नामा साथ साथ पेश किया जाता है।

२—ता०.....को उक्त पंचों ने फैसला किया कि प्रतिवादी वादी को.....रुपया अदा करे।

३—प्रतिवादी ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया।

(यहाँ पर फिक्र नं० ४ और ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये)

६ वादी का प्रार्थना

(२) पंचायती फैसले के बाबत

(सरनाला)

मुद्दै निम्नलिखित निवेदन करता है :—

1. Order 23, Rule 3, O P. O., I. L. R. 51 Bom. 908, F B

2 20 C. W. N 137, P. O., I. L. R. 30 All 32.

3. Art. 120, Limitation Act; Kuldip vs Mohan Dabe, I L. R. 34 All 43

4 Art 113, Limitation Act

* नोट—यह नमूना जान्ता दीवानी के शिडयूल १ अपेन्डिक्स (अ) का नम्बर १० है।

१—फरीकैन ने मकानात मुहल्ला मदार दरवाजा शहर बदायूँ में एक दूसरे से मिले हुये हैं ।

२—दोनों मकानों के बीच में एक गली है जिसकी मिलकियत की बाबत फरीकैन में भगड़ा था और जिसमें मुद्दाअलेह ने हाल ही में एक पाखाना बनवा लिया था ।

३—फरीकैन ने ता०..... के इकरारनामा से मु० गुफकारहुसेन वकील को भगड़ा तै करने के लिये पञ्च बनाया और उनके अधिकार दिया कि गली की मिलकियत और मुद्दाअलेह के बनाये हुए पाखाने के हटा देने की बाबत वह जो कुछ फैसला कर देंगे वह फरीकैन को कबूल व मंजूर होगा और फरीकैन उसके अनुसार काम करेंगे ।

४—उक्त पञ्च ने बाकायदे पञ्चायत की और फरीकैन और उनकी शहादत को सुना और ता०.....को अपना फैसला बाकायदे तैयार करके सुना दिया । पञ्च साहब ने उक्त गली को दोनों फरीकैन की मुरतर्का मिलकियत करार दिया और मुद्दाअलेह को हुकम दिया कि वह एक महीने के अन्दर पाखाने को गली के अन्दर से हटा दे ।

५—यह मियाद खतम हो गई और मुद्दाअलेह ने अभी तक पाखाना नहीं हटाया ।

६—त्रिनाय दावी

७—दावे की मालियत—

मुद्दई प्रार्थना करता है कि मुद्दाअलेह को हुकम दिया जावे कि वह बनवाये हुए पाखाने को खुदवा देवे वरना अदालत के द्वारा और मुद्दाअलेह के खर्चों से वह गिरवा दिया जावे ।

* (३) पञ्चायत के इकरारनामों को दाखिल कराने के लिये

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१ - फरीकैन एक कित्ता बाग, आराज़ी ३ त्रिस्वा १७ बिस्वान्सी पुख्ता नम्बरी... वाकै मौजा.....परगना.....के मालिक मुरतर्का आवे आवे हिस्से के हैं ।

२ उस बाग में तरह २ के फूलदार व फलदार पेड़ हैं और कुछ हिस्से में गुलाब की खेती भी होती है ।

३—फरीकैन में बाग के फल फूल और गुलाब की काश्त के उपयोग के बारे में बहुत दिनों से भगड़ा था ।

* नाट—ऐसे दावे सन् १९४० के Arbitration Act से पहिले Schedule II, rule 17, C. P. C. के अनुसार दाखिल किये जाते थे ।

५—फरीकैन ने भगड़ा मिटाने के लिये ता०.....को पञ्चायती इकरारनामा लिख दिया और उससे (अ) व (ब) को पञ्च और (क) को सरपञ्च इकरारनामे में लिखे हुए अधिकारों के साथ नियत किया। नकल इकरारनामा साथ साथ पेश की जाती है।

५—अभी तक उक्त सरपञ्च व पञ्चों ने कोई पञ्चायत नहीं की और न पञ्चायती फैसला तय्यार किया।

६—त्रिनायदावी—

७—दावे की मालियत—

मुद्दे की प्रार्थना है कि ता०.....का इकरारनामा अदालत में दाखिल होने का और उसके अनुसार पञ्चायती कार्यवाई होने का हुक्म किया जावे।

* (४) पञ्चायती फैसला दाखिल होने और उसके अनुसार डिग्री तय्यार होने के क्रिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है:—

१—दोनों पक्ष एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य थे और कई प्रकार की जायदाद, ज़मींदारी व सक्ती, अर्थात् शहरी, चल संपत्ति जैसे ज़ेवर, नकद रुपया और मवेशी, सवारी इत्यादि के मालिक थे।

२—दोनों पक्षों में बहुत दिनों से आपस में विरोध था और वह खानदानी जायदाद को आपस में बटवाना चाहते थे।

३—ता०.....के इकरारनामे से फरीकैन ने अ.....व को पक्ष मुकर्रर किया। असली पञ्चायती इकरारनामा उक्त पक्ष के पास है उसकी नकल अर्जीदावे के साथ पेश की जाती है।

४—ता०.....को उक्त पक्ष ने अपना पञ्चायती फैसला तय्यार कर दिया और जायदाद का बटवारा कर दिया। असली पञ्चायती फैसला उक्त पक्ष ने प्रतिवादी के कब्जा में रहने का आदेश दिया है और वह उसके पास है। नकल साथ साथ पेश की जाती है।

५—त्रिनायदावी ता०.....को पञ्चायती फैसला तय्यार होने के दिन से अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई।

६—दावे की मालियत अदालत के अधिकार के लिये, बटवारे से वादी के हिस्से यानी.....रुपये की है और कोर्टफौस.....रु० का अदा किया जाता है।

वादी प्रार्थी है कि ता०... ..का पञ्चायती फैसला अदालत में दाखिल कराया जावे और उसके अनुसार डिग्री तय्यार की जावे।

* नोट—ऐसे दावे सन् १९४० के Arbitration Act के पहिले Civil Procedure Code के Schedule II, rule 20 के अनुसार दाखिल होते थे।

११—विदेशी तजवीज़

क्योंकि अभी तक विदेशी वा रियासतों की डिगरियाँ भारतसंघ (Indian Union) की अदालतों में जारी नहीं कराई जा सकती (दफा ४४ ज़ाबता दीवानी) इसलिये उनके बाधत नम्बरी दूवा किया जा सकता है यदि प्रतिवादी भारतसंघ में रहता हो। इन दावों में असली बिनाय दावे का दिखाना आवश्यक नहीं है सिर्फ प्रतिवादी के विरुद्ध तजवीज़ का होना, और उसका अपनी जुम्मेदारी पूरा न करना, दिखा देना काफी होता है।

मियाद—विदेशी निर्णय की तारीख से मियाद ६ साल की होती है।^१

(१) दावा नक़द रुपया का, विदेशी निर्णय के आधार पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०.....को स्थान.....मे महकमा.....रियासत.....ने वादी और प्रतिवादी के मुक़दमें में जो कि उस विभाग में दायर था, यह फैसला किया कि प्रतिवादी.....रु० वादी को मय सूद ऊपर लिखी तारीख से अदा करे।

२—प्रतिवादी ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया।

(यहाँ पर फिका नम्बर ४ और ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये)
मुद्दई की प्रार्थना—

(२) विदेशी फैसले पर दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०.....को मुद्दई ने एक दावा मुद्दाअल्लेह पर रियासत जयपुर की अदालत हाईकोर्ट में दायर किया।

२—ता०.....को अदालत हाईकोर्ट ने उक्त मुक़दमें में मुद्दई का दावा डिमी किया और हुकम दिया कि मुद्दाअल्लेह २०००) रुपये सिद्धा रियासत जैपुर मुद्दई को अदा करे।

३—अदालत हाईकोर्ट रियासत जैपुर कानून से स्थापित है और उसका इजलास बाकायदे उक्त रियासत के कानून के मुताबिक होता है और उसको फरीकैन के मुक़दमा सुनने व फैसला करने का हक हासिल था।

1. Article 117, Limitation Act; I L. R. 22 Cal 222; A I R. 1941 Pat 109, 1928, P. C 83

४—मुजलिया २०००) ६० सिक्का जैपुरी की कीमत सिक्का सरकारी में..... रुपया होता है ।

(यहाँ पर फिकरा नम्बर ४ और ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये)

५—मुद्दई प्रार्थी है कि उसको .. रुपया और खर्ची नालिश व सूद रुपया बख्त होने के दिन तक मुद्दाअलेह से दिलाया जावे ।

१२—जमानत

जमानत दो प्रकार की होती है. एक व्यक्तिगत, ज्ञाती या शरूमी और दूसरी सम्पत्ति या जायदाद की, कभी कभी दोनों प्रकार की पाबन्दी एक ही जमानत में सम्मिलित होती है जिससे प्रतिभू (जामिन) की ज्ञात और जायदाद दोनों जिम्मेदार होती हैं । इस प्रकरण में केवल ज्ञाती जमानत के सम्बन्धित अर्जाएँ दिये गये हैं । जहाँ जायदाद की जमानत दी जाती है उसकी नालिश सादा रहन की नालिश के तुल्य होती है जिनके "नीलाम की नालिशों" के प्रकरण में नमूने दिये गये हैं ।

व्यक्तिगत (ज्ञाती) जमानत की नालिश साधारण तमरसुक की नालिश के प्रकार की होती है परन्तु उसमें जमानत की शर्तें लिखना आवश्यक होता है और यह कि वे घटनायें जिन पर प्रतिभू ने जिम्मेदारी ली थी घट चुकी है और बादी को नालिश करने का अधिकार प्राप्त हो चुका है । यह भी लिखना चाहिये कि जमानत लिखित थी या मौखिक (जवानी) और हानि का विवरण देना चाहिये ।

साधारणतया ऋणी और प्रतिभू की जिम्मेदारी एक समान होती है, जब कि दोनों के विरुद्ध दावे का कारण एक साथ उत्पन्न हो, और नालिश ऋण देने वाले की इच्छानुसार दोनों पर पृथक् २ या एकत्रित करके दायर की जा सकती है, यदि इस विरुद्ध कोई इकरार न हो ।

यदि प्रतिभू ने किसी मनुष्य की ईमानदारी के लिये जमानत दी हो और उसकी बेईमानी से उसके मालिक को हानि हावे तो ऐसे दावों के सम्बन्ध में कानून मुआहिदा की धारा १२४ से लेकर १४७ तक देख लेनी चाहिये । याद प्रतिभू किसी डिगरी के जारी होने पर उसके रुपये के देने की जिम्मेदारी ले तो ऐसे जामिन के विरुद्ध पृथक् नालिश करने की आवश्यकता नहीं होती और दीवानी संप्रद की धारा १४५ के अनुसार डिगरी प्रतिभू के विरुद्ध भी, असली ऋणी के तुल्य जारी कराई जा सकता है और जमानत का रुपया वसूल करने के लिये वह भी डिगरी में फरीक समझा जाता है ।¹

1 12 I. A. 142 (P. C.), I L R 12 Cal 143

यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य या घटना से भविष्य में हानि न होने का विश्वास दिलावे और हानि हो जाने पर उसकी पुति करने की प्रतिज्ञा करे तो इस तरह का इक्कार भी एक प्रकार की जमानत होती है और उसकी नालिश भी अन्य जमानत के दावों की भाँति की जा सकती है ।

मियाद—जमानत के लिये मियाद ३ साल की होती है और वह दावे का कारण प्रत्यक्ष होने की तारीख से गिनी जाती है।¹ यदि जमानत किसी रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेज से नियत की गई हो तब मियाद ६ साल की हो जाती है।²

* (१) किराये की अदायगी के लिये जामिन के ऊपर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०.....को (अ—ब—) ने वादी से..... (समय) के लिये मकान नम्बर.....स्थित सड़क.....सुबलिसा६० वार्षिक पर, जो कि मासिक अदा होना ठहरा था, किराये पर लिया ।

२—प्रतिवादी ने उक्त मकान के किराये के मासिक अदा होने के लिये अपनी जमानत की ।

३—किराया बाबत माह.....सन् जो कि सुबलिसा.....६० होता है, अदा नहीं किया गया (यदि प्रतिज्ञा-पत्र से जामिन को इतना देना जरूरी हो तो यह और लिखना चाहिये) ।

४—ता०.....को वादी ने किराया न अदा होने की सूचना प्रतिवादी को दी और उसके बाबत तकाजा भी किया ।

५—प्रतिवादी ने किराये का रुपया अभी तक अदा नहीं किया ।

६—दावे का कारण! :—

७—दावे की मालियत :—

1 Arts 82 and 83, Limitation Act

2 Art 116, Limitation Act

* नोट—यह नमूना शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अ) जाप्ता दीवानी का नमूना नम्बर १२ है ।

(२) ऋण की अदायगी के लिये ज़ा़मिन के ऊपर नाज़िश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—एक पुरुष, नबीबख्श मुद्दई के (१०००) रु० का कर्ज़दार था और मुद्दई उस पर नाज़िश करने वाला था ।

२—ता०.....को इस इकरार के बदले में, कि मुद्दई नबीबख्श को ता०.....तक कर्ज़ का रुपया अदा करने की मुहलत दे दे और उस समय तक उस पर नाज़िश न करे, मुद्दाअलेह ने उसकी जमानत लिख दी और यह इकरार किया कि नबीबख्श के, ऊपर लिखी ता०.....तक कर्ज़ का रुपया न अदा करने पर स्वयं ता०.....को यह रुपया अदा करेगा ।

३—मुद्दई ने इस जमानत की वजह से कर्ज़ा का रुपया अदा करने के लिये ता०.....तक नबीबख्श को मुहलत दे दी और उस पर नाज़िश नहीं की ।

४—नबीबख्श ने कर्ज़ का मतालबा वादा की हुई तारीख पर अदा नहीं किया और वह रुपया उस पर अभी तक बाकी है ।

५—विनाय दावा ता०.....को मुद्दाअलेह के वादा तोड़ने के दिन से स्थान.....में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई ।

६—दावे की मालियत :—

७—(मुद्दई की प्रार्थना)

(३) माल की कीमत के बारे में, ज़ा़मिन पर नाज़िश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०....को मुद्दई ने (२०००) रु० का किराने का सामान, जिसका तफसील नीचे दी हुई है मुद्दाअलेह की जमानत पर, एक पुरुष रामलाल को उधार दिया और मुद्दाअलेह ने, मुद्दई के रामलाल को माल उधार देने पर यह इकरार किया कि अगर रामलाल माल की कीमत अदा न करेगा तो मुद्दाअलेह उसकी कीमत मुद्दई को देगा ।

२—उक्त रामलाल (या मुद्दाअलेह) ने अभी तक माल की कीमत अदा नहीं की ।

३—बिनायदावा माल बेचने के दिन से ता०.....को स्थान....., अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई ।

४—शेख की मालियत —

(मुद्दे की प्रार्थना)

(४) क्लर्क की ईमानदारी के बारे में, ज़ामिन के ऊपर नाज़िश

१—मुद्दे ने ता०.....को अहमदउल्ला को मुद्दाअलोह की ज़मानत पर अपना क्लर्क नियत किया और मुद्दाअलोह ने उसी तारीख.....को एक ज़मानत नामा लिख दिया जिससे इक्क़रार किया कि अहमदउल्ला के पास जो कुछ रकमों क्लर्क की ईसियत से आयेगी मुद्दे को देता रहेगा और माहवारी खर्च और आमदनी का हिसाब मुद्दे को समझता रहेगा और यदि अहमदउल्ला ऐसा न करेगा तो मुद्दाअलोह मुबलिया १०००) ५० तक उसके चाल चलन का ज़िम्मेदार रहेगा ।

२—इस इक्क़रार के अनुसार अहमदउल्ला छः माह तक मुद्दे का नौकर रहा लेकिन उसने न तो कुल बचल किया हुआ नया मुद्दे को अदा किया और न माहवारी हिसाब समझाया ।

३—नहीं तक मुद्दे मालूम कर सका है नीचे लिखी रकमों अहमदउल्ला ने अदा नहीं की और न उनका कोई हिसाब दिया—

ता०.....	बचल किया हुआ	५०
"	"	"

मुद्दे का कुल रुपया जो अहमदउल्ला पर बाकी है—

४—मुद्दाअलोह ने यह रुपया तक्राना करने पर भी अदा नहीं किया ।

(५) पात्र की क़ीमत के बाबत दोनों, ज़ामिन व देनदार, के ऊपर नाज़िश

१—ता०.....को प्रतिवादी नम्बर १ ने वादी से प्रार्थना की कि वादी उसके हाथ, उधार माल बेचे ।

२—ता०.....को प्रतिवादी नम्बर २ ने मुद्दे के पास लिखकर यह तहरीर भेजी और इक्क़रार किया कि यदि वादी प्रतिवादी नम्बर १ को ४००) ५० तक माल उधार देवे तो प्रतिवादी नम्बर २ उसका देनदार होगा ।

३—यदि वादी ने लिखी हुई इस तहरीर के अनुसार प्रतिवादी नम्बर १ को ५० ३७५) ५० का किराने का माल (नीचे लिखे हुये विवरण के अनुसार) उधार बेच डाला ।

४—दोनों प्रतिवादियों ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया ।

* (६) एक ज़ामिन की दूसरे ज़ामिन पर, अपने हिस्से का रुपया वसूल करने के लिये नालिश

(निरनामा)

१—ता०.....को एक रजिस्ट्रीयुक्त लगन-पत्र (ज़मानतनामा) लिखा गया जिससे वादी और प्रतिवादी संयुक्त रूप में और पृथक-पृथक ३०००) रु० तक एक पुरुष राहतअली के, जो उस समय शाहजहाँपुर म्युनिसिपैलटी में खजौंची के पद पर नौकर था, ज़ामिन हुये कि उक्त राहतअली अपना खजौंची का काम नेक नीयती और इमानदारी के साथ करेगा ।

२—राहतअली ने वेदमानी की और म्युनिसिपैलटी का बहुत सा रुपया ग़वन कर गया जिसकी वजह से शाहजहाँपुर को म्युनिसिपैलटी ने वादी के ऊपर दावा करके डिग्री हासिल करली और उसका कुल रुपया मय खर्चा वादी ने वसूल कर लिया ।

३—प्रतिवादी इस मतालावे के प्राये हिस्से का जुम्मेदार है जो उसने अदा नहीं किया ।

† (७) कर्क की ईमानदारी के लिये ज़ामिन के इफ़रार नामों पर नालिश

(निरनामा)

मुद्दे निम्नलिखित निवेदन करना है :—

१—ता०... .. को मुद्दे ने (अ—ब—) को कर्क की हिसियन में नौकर रक्खा ।

२—ता०.....को मुद्दाअलेह ने, मुद्दे में इकरार किया था कि अगर (अ—ब—) कर्क के पद का अपना काम ईमानदारी में न करे और कुल रुपया या कर्ज के दस्तावेज़ या और किसी माल की वाचत जो मुद्दे के इस्तेमाल के लिये मिले, उसका हिस्सा न दे सके, तो जो कुछ नुकसान उसकी वजह से मुद्दे को हो, उसके बारे में मुद्दाअलेह मुद्दावजा, अदा करेगा किन्तु यह रुपया मुवलिग... ..रु० में ज्यादा किसी हालत में न होगा ।

या २—मुद्दाअलेह ने मुद्दे में इकरार किया था कि वह मुद्दे को ...रु० वतौर जुमाना देगा लेकिन इस शर्त पर कि अगर (अ—ब—) अपने कर्क व खजौंची

* नोट — यदि दावा दोनों फरीकें के ऊपर दायर करके डिग्री प्राप्त की गई हो और कुछ रुपया एक ने अदा किया हो तो उसका दावा भी हर्ती प्रकार का होगा परन्तु कुछ आवश्यक शब्द बदले जायेंगे ।

† नोट—यह नमूना शिडबूल १ अपेन्डिक्स (अ) ज़ाप्ता दीवानी का नम्बर १८ है ।

के पद पर नेक नियती व ईमानदारी से काम करे और सब रुपया, दस्तावेज और माल बगैरह का, जो मुद्दई के लिये उसके पास अमानत में आवे ठीक ठीक हिसाब मुद्दई को दे दे तो यह इकरारनामा रद्द हो जावेगा ।

या २—... ..उसी तारीख में मुद्दाअलोह ने मुद्दई को इकरार नामा लिख दिया जो इसके साथ पेश किया जाता है ।

३—ता०और ता०.को (अ—ब—) ने... ..र० और अन्य सामान जो कुल... ..र० का होता है मुद्दई के लिये वसूल किया लेकिन उसका हिसाब उसने नहीं दिया और उस पर अब तक... ..र० बाकी है और वह हिसाब का देनदार है ।

१३—प्रतिज्ञा और उसका भंग होना

केवल विशेष प्रतिज्ञायें ऐसी होती हैं जिनके भंग होने पर अदालत से उस प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति कराई जा सकती है अधिकांश प्रतिज्ञाओं के भंग होने पर वादी हर्जा माँग सकता है । इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थिति ऐसी भी होती हैं जहाँ पर प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति नहीं कराई जा सकती परन्तु प्रतिज्ञा के विरुद्ध कार्य करने से प्रतिवादी रोका जा सकता है ।

चल सम्पत्ति के सम्बन्धित प्रतिज्ञा भंग होने पर प्रायः हानि ही दिलाई जाती है और अचल सम्पत्ति सम्बन्धित प्रतिज्ञाओं के भंग होने पर साधारण-तथा विशेष पूर्ति कराई जाती है । जहाँ किसी प्रतिज्ञा की पूर्ति किसी पुरुष के व्यक्तिगत कार्य पर निर्भर हो तो ऐसे पुरुष के प्रतिज्ञा भंग करने पर उसको ऐसे कार्य करने से अदालत मनाही का हुक्म दे कर रोक सकती है । जो व्यक्ति प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति का अधिकारी हो, वह अपनी इच्छानुसार केवल हर्जे का ही दावा कर सकता है । इस प्रकरण में केवल वह अर्जीदावे दिये गये हैं जहाँ पर हर्जा माँगा जावे । प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति और मनाही के हुक्म के लिये दावों के नमूने उचित प्रकरण में आगे दिये जावेंगे ।

यदि दावा प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति का हो वहाँ पर वादी उसी बिनाय पर हरजाने के लिये दूसरा दावा नहीं ला सकता, इस लिये इन मुकदमों में बिम्बप में (बतौर बदल के in the alternative) हर जाने की प्रार्थना कर देनी चाहिये ताकि यदि अदालत विशेष पूर्ति का फैसला न भी करे तो हरजाना मिल सके ।

अर्जीदावे में प्रतिज्ञा का किया जाना, और वादी का अपने भाग की प्रतिज्ञा पूर्ति करना, या पूर्ति के लिये तत्पर (प्रस्तुत) और रजामन्द होना, और प्रतिवादी

का प्रतिज्ञा भंग करना दिखाना चाहिये । वादी को अपनी रजामन्दी दिखाने के लिये वह सब घटनाएँ जिनसे उसकी तत्परता प्रगट हो लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि यह प्रमाण में पेश की जा सकती हैं । यदि प्रतिज्ञा का नियत समय के अन्दर पूरा होना आवश्यक था तो यह भी लिखना चाहिये और यदि कोई समय नियत नहीं किया गया था तो वादी का उचित समय के अन्दर उनको पूरा करने का तय्यार रहना और प्रतिवादी से उसकी पूर्ति के लिये कहना, दिखाना चाहिये । यदि प्रतिवादी ने मुआहिदा पूरा करने से विल्कुल इनकार कर दिया है या जायदाद किसी और व्यक्ति को बेच कर उसको पूरा न करने की इच्छा प्रकट की है तो वादी को अपनी तय्यारी और रजामन्दी दिखाना जरूरी नहीं है । हरजाने के दावे में, खर्चा जो कि इकरारनामों की तय्यारी में हुआ हो और रुपये का सूद भी दावे में जोड़ा जा सकता है और वह घटनाएँ जिनसे हर्जे का रूपया नियत हो अर्जीदावे में लिखना चाहिये । (इसी खिलासले में "माल की कीमत" के प्रकरण का नोट पृष्ठ १११ पर भी पढ़ना चाहिये) ।

मियाद—प्रतिज्ञा भंग होने पर हर्जे के दावे में मियाद ३ साल की होती है । यदि लिखित और रजिस्ट्री प्रतिज्ञा हो तब मियाद ६ साल की होती है ।

*(१) ज़मीन ख़रीदारी की प्रतिज्ञा भंग करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०..... को वादी और प्रतिवादी ने एक इकरारनामा लिखा जो अर्जीदावे के साथ दाखिल है ।

या १—ता०.....को वादी और प्रतिवादी ने आपस में यह इकरार किया कि वादी प्रतिवादी के हाथ ४० बीघे जमीन . (स्थान) में स्थिति है .. रु० बेच देगा और प्रतिवादी उसको वादी में क्रय करेगा ।

२—यह कि ता०.....स्थानमें वादी ने जो कि उस समय बिना किसी के सामे के उस जायदाद का अकेला मालिक था, (और जैसा कि प्रतिवादी को बतला दिया गया था वह सम्पत्ति सब जिम्मेदारियों और भार रहित थी) प्रतिवादी को उस जायदादका एक विक्रय-पत्र इस शर्त पर देने के लिये उपस्थित किया कि प्रतिवादी उसकी कीमत का रूपया अदा करे ।

1 A I R 1928 Lab 20, 111 I. C 48

2. I L. R. 54 Cal. 97, 99 I C. 244

* नोट—यह नमूना शिटयूल १ अपेन्डिक १ (अ) जाफ़ा दीवानी का नमूना न० ११ है ।

था २—वादी प्रतिवादी के नाम वनामा या त्रिकों पत्र लिखने के लिये राजी था और अब भी राजी है ।

३—यह कि प्रतिवादी ने क्रीमत का रुपया अभी तक अदा नहीं किया ।

४—दावे का कारण—

५—दावे की मालियत -
वादी की प्रार्थना ।

(२) ज़मीन ख़रीदारी की प्रतिज्ञा भंग करने मर

१- ता०.....को एक इकरार नामे से मुद्दाअलेह ने एक मजिल मकान वाकै (यहाँ पर कुल तफसील देना चाहिये) तीन हज़ार रुपये को मुद्दई के हाथों बेचने का मुद्दाअहिदा किया जिसमें से ५००) रुपया उसी समय बयाना के रूप में मुद्दई ने मुद्दाअलेह को दे दिया और शेष रुपया ता० को वनामा के लिखे व रजिस्ट्री होने के दिन अदा होना करार पाया ।

२ मुद्दई फौज में नौकर है और उसकी छुट्टी ता०.....को खतम होती थी इस वास्ते उसने ता०.....वनामे की रजिस्ट्री व लिखे जाने के लिये नियत की थी ।

३ -मुद्दई हर समय बक्राया रुपया अदा करने को तय्यार रहा लेकिन मुद्दाअलेह ने वनामे की रजिस्ट्री नियत ता०.....को नहीं होने दी ।

४--उस तारीख के पश्चात मुद्दई ने मुद्दाअलेह को नोटिस दिया कि वह एक हफ्ते के अन्दर वनामे को तहरीर व रजिस्ट्री करदेवे लेकिन मुद्दाअलेह ने इस पर ध्यान नहीं दिया ।

५--मुद्दाअलेह के मुद्दाअहिदा तोड़ने की वजह से मुद्दई वनामे का रुपया व बक्राया रुपया (जो उसने देने के लिये इकट्ठा किया था), के उपयोग से वञ्चित रहा और रजिस्ट्री बग़ैरह की पूँछ ताड़ में जो रुपया खर्च हुआ उसकी तफसील नीचे दी जाती है

१—बयाने का रु० ५००)

२—ब्याज बयाने पर रु० —

कुल जोड़.....रु०

३—बक्राया रुपया पर सूद—

४—रजिस्ट्री का खर्च—

* (३) बेचे हुए माल को हवाला न करने पर नाक़िश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

* नोट—यह नमूना शिडयूल १ अपेन्डिक्स (अ) ज़ाफ़्त दीवानी का नमूना नम्बर १४ है ।

१—ता० ...को वादी और प्रतिवादी ने आपस में इकरार किया कि प्रतिवादी ता०.....को आटे के १०० बोरे वादी के हवाले करे और वादी उसी समय उनकी क्रीमत.....रु० अदा करे ।

२—उस तारीख को माल की खानगी पर वादी यह रुपया प्रतिवादी को देने को तैयार था और उसने उसके देने को और माल लेने को प्रतिवादी से कहा था ।

३—प्रतिवादी ने माल वादी के हवाले नहीं किया जिसकी वजह से वादी को वह लाभ नहीं हुआ जो कि उसको माल मिल जाने पर होता ।

४—दावे की मालियत -

५—विनाय दावी -

(वादी की प्रार्थना)

(४) बिक्री किये हुए माल को हवाला न करने पर

(सिरनामा)

मुद्दे निम्नलिखित निवेदन करता है : -

१—स्थान हाथरस में.....(तिथि या तारीख) को मुद्दाअल्लेह ने १५१ मन रुई (३) रु० फी मन के हिसाब से मुद्दे के हाथ बेची और माल के देने का वाइदा मित्ती.....तक का किया सफेद रुई १५ फी मन देना ठहरा और बीज (बीया) ५ ई सेर फी मन का ठहरा और तौल बाज़ारू भाव फी मन के बजाय नौधडी फी मन का ठहरा ।

२—मुद्दे ने मुद्दाअल्लेह को बयाना के तौर पर ११) रु० अदा किया और क्रीमत माल देने के वक्त अदा करना तै हुआ ।

३—रुई का भाव दिन प्रति दिन चढ़ता गया और मित्ती.....तदनुसार तारीख.....को भाव २५) रु० फी मन का हो गया । मुद्दाअल्लेह ने मुद्दे के बार बार कहने और समय पूरा हो जाने पर भी माल नहीं तौला ।

४—मुद्दे को मुद्दाअल्लेह के माल न डिलीवर करने से वह लाभ प्राप्त नहीं हो सका जो मुद्दाअल्लेह के माल दे देने से होता ।

५—मुद्दे भगड़े को निपटाने के लिये इकरार से २५) रु० फी मन के भाव के बजाय २४) रु० फी मन के नुकसान का दावीदार है ।

६—विनाय दावा तारीख.....वाइदा होने के दिन से स्थान हाथरस में पैदा हुई ।

७—दावे की मालियत १४००) रु० है ।

८—मुद्दे प्रार्थना करता है कि दावा दिला पाने मुबलिमा १४००) रु० असल व

सूद, नीचे लिखे हिसाब से मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व भविष्य में रुपया वसूल होने के दिन तक मुदाअलोह के ऊपर डिग्री किया जावे ।

(हिसाब का विवरण)

(५) बेचे हुए माल की दिल्लीवरी न मिलने पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं :—

१—उक्त दोनो पक्ष अनाज, रुई व विनौले का व्यापार नगर अलीगढ़ में करते हैं ।

२—प्रतिवादियों ने वादियों से तारीख ...को ५०० मन विनौला प्रति रुपया २६ सेर डेढ़ पाव (॥५६।=) के हिसाब से क्रय किया पैसा ६० तुलाई देने की प्रतिज्ञा की और वादा किया कि विनौले प्रतिज्ञा की ता० से १५ दिन पीछे तौल कराये जावें, यही इक़रार लिख कर प्रतिवादियो ने वादियो को दे दिया ।

३—विनौले का भाव बाद को मंदा हो गया इसलिये वादियों के बार बार कहने पर भी प्रतिवादियों ने अपने वाइदे के अनुसार विनौला नहीं तौला ।

या अंत में ता०.....को वादियों ने प्रतिवादियों को नोटिस दिया कि चार दिन के अन्दर विनौले तुलवा देवें लेकिन उन्होंने विनौला नहीं तौलाया और जवाब में एक शलत नोटिस वादियो को दे दिया ।

४—वादियों ने विवश होकर बाज़ार भाव से विनौला ता०.....को २८ सेर प्रति रुपये के हिसाब से बेच दिया और इस प्रकार से वादी की ७६०) ६० की हानि प्रतिवादियों के वाइदा तोड़ने से हुई ।

५—वादी हक़दार हैं कि उनको ७६०) ६० मय सूद ॥) सैकड़ा मासिक प्रतिवादियों से दिलाया जावे ।

६ विनाय दावा विनौला बेचने की तारीख से अदालत के अधिकार के अन्दर पैदा हुई और वह वाइदा तोड़ने के दिन से आरम्भ हुई ।

वादी प्रार्थी हैं :—

(अ) कि ७६०) ६० रु० हज़े का दावा मय सूद दौरान व आइंदा वसूल होने के दिन तक प्रतिवादियों के ऊपर डिगरी किया जावे ।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे ।

(क) अन्य दादरसी जो अदालत उचित समझे वादियों के हक़ में सादिर करे ।

(६) माल हवाला करने के मुआहिदा तोड़ने पर

हरजे की नालिश

१—तारीख.....माह.....सन्.....को मुदाअलोह ने २०० बोरे गेहूँ वजनी ४०० मन १०) ६० फी मन के हिसाब से मुद्दई के हाथ बेचे और एक महीने के अन्दर उनको हवाले करने का वायदा किया और यह मुआहदा तहरीर कर दिया ।

२—मुद्दई ने यह गेहूँ, जैसा कि मुदाअलोह को अच्छी तरह से मालूम था रेलीबार्दर्स को मुआहदे से ४० दिन के अन्दर सपलाई करने के वास्ते खरीद किया था और रेलीबार्दर्स से १५) ६० फी मन का भाव ठहरा था ।

३—मुदाअलोह ने यह माल मुद्दई के हवाले नहीं किया और ता०..... को मुद्दई के बार बार कहने पर हवाला करने से इनकार कर दिया ।

४—मुदाअलोह के वादा तोड़ने की वजह से मुद्दई को वह लाभ नहीं मिला जो उसको रेलीबार्दर्स को माल देने से होता ।

५—मुदाअलोह के वादा तोड़ने से मुद्दई का नीचे लिखा हुआ नुकसान हुआ (जैसे ५) ६० फी मन के हिसाब से ४०० मन पर नुकसान २०००) ६० हुआ) ।

*(७) नौकर रगने का मुआहिदा तोड़ने पर नालिश

१—ता०.....को वादी और प्रतिवादी में यह इकरार हुआ कि वादी (एकाउन्टेड फोरमैन, क्लर्क, मुनीम, मोटरड्राइवर या नौकर) की हैसियत से प्रतिवादी की नौकरी (एक वर्ष) तक करेगा और प्रतिवादी उसको.....रुपया मासिक वेतन दिया करेगा ।

२—ता०.....को वादी प्रतिवादी का नौकर हुआ और जब से नौकर है और साल के अन्त तक उसी नौकरी पर रहने के लिये राजी है और यह प्रतिवादी को अच्छी तरह मालूम है ।

३—ता०.....को प्रतिवादी ने वादी को बिना किसी कारण के नौकरी से हटा दिया और वेतन देने से भी इनकार कर दिया ।

(८) नौकरी करने का मुआहदा तोड़ने पर नालिश

१—मुदाअलोह लोहे के इमारती सामान तय्यार करने का काम बाजार कर्नेलगंज कानपुर में करता है ।

* नोट—यह नमूना शिडयूल १ अफेन्डिक्स (अ) ज्ञाप्ता दीवानी का नम्बर १५ है ।

† नोट—यदि इकरारनामें में फिकरा नं० ४ में लिखी हुई शर्त न हो तो मुद्दई नौकरी से निकाले जाने पर हर्जे की नालिश कर सकता है । और यदि फरीकैन में यह शर्त हो कि नौकरी से निकलने पर कोई नोटिस दिया जावे तो इसी नमूने के फिकरा नम्बर ४ में यह और लिखना चाहिये, “नौकरी से निकालने के पहिले मुदाअलोह मुद्दई को एक महीने का नोटिस देगा”।

२—मुद्दाअल्लेह ने १५ जौलाई सन् १९३५ ई० को इकरारनामा लिख दिया जिससे मुद्दई को अपने कारखाने का तीन साल के लिये, १ अगस्त सन् १९...ई० से २५०) रु० मा० वेतन पर मैनेजर नियत किया ।

३—मुद्दई उसी तारीख से मैनेजरी का कार्य ईमानदारी के साथ करता रहा । ता० १७ मई सन् १९३६ ई० को मुद्दाअल्लेह ने मुद्दई को अनुचित रूप से नौकरी से निकाल दिया और नौकर रखने से इनकार किया ।

४—दोनों फरीकैन में शर्त यह थी कि अगर मुद्दाअल्लेह बेजा तौर पर मुद्दई को नौकरी से निकाले तो वह पूरे ३ साल की तनख्वाह का देनदार होगा ।

*(९) इसी प्रकार का दूसरा दावा

१—ता०.....वादी और प्रतिवादी में यह इकरार हुआ कि वादी.....रु० साल पर प्रतिवादी को नौकर रखेगा और प्रतिवादी नफ़ाश की हैसियत में वादी की एक वर्ष तक नौकरी करेगा ।

२—वादी अपनी तरफ से इकरार पूरा होने के लिये सब कुछ करने को तैयार है और ता०.....को उसने यह बात प्रतिवादी से कही भी थी ।

३—प्रतिवादी ने ता०.....से वादी की नौकरी करना शुरू की लेकिन ता०.... से उसने वादी की नौकरी करने से इनकार कर दिया ।

† (१०) मज़दूर के काम बिगाड़ने पर नाबिश्

१—ता०.....को वादी और प्रतिवादी के मध्य आपस में एक प्रतिज्ञापत्र लिखा गया जो साथ साथ पेश किया जाता है (या उसका तात्पर्य यह था) ।

२—वादी ने अपनी ओर से प्रतिज्ञापत्र की सब शर्तें पूरी कीं ।

३—प्रतिवादी ने जो राजगीर था प्रतिज्ञापत्र में दिया हुआ मकान अनुचित प्रकार से और फारीगरी के विरुद्ध बनाया । वादी को यह हानि हुई -

(यहाँ पर हानि का विवरण देना चाहिये)

* नोट—यह जासा दीवानी के शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर १६ है ।

† नोट—यह जासा दीवानी के शि०१ अपेन्डिक्स (अ) का नमूना न० ७४ है ।

१४—प्रिन्सिपल और एजेन्ट

शब्द एजेन्ट की परिभाषा में कारिन्दा, मुख्तारआम या मुख्तार खास, आद्वितिया और बे मब ठयकिक जो हमरे पुरुष के लिये कोई कार्य करें सम्मिलित होते हैं। माधारण प्रकार से एजेन्ट अपने प्रिन्सिपल से कमीशन इत्यादि पाता है परन्तु एजेन्टी का सम्बन्ध उत्पन्न करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसके प्रिन्सिपल की ओर से कोई प्रत्युत्तर दिया जावे और एक मित्र या कोई कुटुम्बी भी किसी विशेष कार्य के लिये असली मालिक का एजेन्ट मान लिया जाता है।

इन मुकदमों में प्रिन्सिपल और एजेन्ट का सम्बन्ध आपस में कब उत्पन्न हुआ, एजेन्टी की जरूरी शर्तें और किसी प्रतिज्ञा या क्लानुनी शर्तों का मोड़ना, जिसमें दावे का कारण उत्पन्न हुआ हो अर्थात् दावे में लिखना चाहिये। प्रिन्सिपल व एजेन्ट के एक हमरे के साथ आपस में कब कर्तव्य हैं और जिनके चलचन करने में बिनाय दावा पैदा होता है वह धारा २११ से २२४ तक क्लानुन मुआहिदा में दिये हुये हैं।¹

मियाद—जहाँ एजेन्ट ने प्रिन्सिपल की ओर से रुपया अदा किया हो क्लानुन मियाद के आर्टिकल ६१ के अनुसार दावा ३ साल के अन्दर दायर होना चाहिये। यदि प्रिन्सिपल एजेन्ट के विरुद्ध अबल सम्पत्ति के निश्चय दावा दायर करे तो आर्टिकल ८२ के अनुसार ३ वर्ष और यदि एजेन्ट की लापरवाही या घेईमानी से हानि हुई हो तो आर्टिकल ६० के अनुसार सूचना की तारीख से ३ साल।

(१) हिसाब के लिये प्रिन्सिपल की एजेन्ट पर नाजिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—यह कि ता०.....को प्रतिवादी ने एक इकरारनामा लिखा जिससे उसने प्रतिज्ञा की कि वह वादी के एजेन्ट की हैसियत से उसके कारखाने के बने हुए ताले इत्यादि कमीशन पर बेचेगा और वादी के माँगने पर ठीक ठीक हिसाब उस को देता रहेगा और जो रुपया माल बेचने से वसूल होगा वह भी हिसाब के साथ साथ देता रहेगा।

२—यह कि ता०.....माह.....सन्...६० से लेकर ता०.....माह.....सन्.....६० तक प्रतिवादी ने वादी के एजेन्ट की हैसियत से उसके कारखाने के बने हुए ताले इत्यादि बेचे। बिके हुए माल की ठीक ठीक सख्या और उनकी कीमत जो प्रतिवादी ने वसूल की वादी को मालूम नहीं है।

¹ See 186 Contract Act; I. L. R. 22 Bom. 764, 20 All 497

३—यह कि वादी ने प्रतिवादी से विक्रे हुए तालों का हिसाब समझाने और वसूल किये हुये रुपया को अदा करने के लिये कहा, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देता ।

४—यह कि प्रतिवादी एजेंट की हैसियत से जैसा कि ता०....के इकरारनामों से प्रगत है और कानून से हिसाब समझाने और रुपया अदा करने का जिम्मेदार है ।

५—यह कि दावे का कारण ता० . के हिसाब समझाने और रुपया अदा करने से अन्तिम इनकार करने के दिन से स्थान में पैदा हुई ।

६—दावे की मालियत—

७—वादी प्रार्थी है कि :—

(क) प्रतिवादी को आज्ञा हो कि वह कुल हिसाब उस माल का जो उसने वादी के एजेंट की हैसियत से बेचा वादी को समझावे ।

(ख) जो कुछ रुपया वादी का निकले उसकी मय मूद प्रतिवादी के ऊपर डिग्री की जावे

(ग) जो कुछ रुपया प्रतिवादी की गलती या बेपरवाही से वसूल न हुआ हो या प्रतिवादी ने बेइमानी से अपने काम में लगाया हो वह वादी को दिलाया जावे ।

(घ) इस नालिश का खर्चा प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

(२) हिसाब समझाने के लिये मृत के निष्ठाकर्ता (वसी) का एजेंट के ऊपर दावा

१ वादी, मृत (अ - ब -) का वसी है ।

२—प्रतिवादी उक्त मृत अ - ब - का २५ अक्टूबर सन् १९३२ ई० से मृत्यु के दिन, यानी १६ मई सन् १९४२ ई० तक कारिन्दा और मुखतारआम रहा और उसकी ज़मींदारी व शहरी सम्पत्ति की आय वसूल करता रहा ।

३ - प्रतिवादी ने मुखतारआम व कारिन्दा की हैसियत से, मृत (अ - ब -) के लिये रुपया वसूल किया जिसका उसने कोई हिसाब नहीं दिया और हिसाब देने से इनकार किया ।

(३) हिसाब समझाने के लिये भिन्सपल का एजेंट के ऊपर दावा

(सिरनाभा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता :—

१—प्रतिवादी नम्बर १ आदत का कारोबार करवे केसी, जिला मथुरा में रामस्वरूप रत्नलाल के नाम से करता है ।

२-वादी और प्रतिवादी न० २ अरहर की दाल तय्यार करने व बेचने के काम में सम्झौदार थे और वहाँ जमुना प्रसाद ज्वाला प्रसाद के नाम से काम करते थे।

३-वादी और प्रतिवादी नम्बर २ ने जमुना प्रसाद ज्वाला प्रसाद के नाम से अरहर की दाल की तय्यारी मुद्दाअलेह नम्बर १ की आदत में ता०.....से आरम्भ की।

४-वादी और प्रतिवादी नम्बर २ ने मुबलिग ८००)६० इस कारोबार में लगाये और शेष रुपया प्रतिवादी नम्बर १ फी ॥॥) आने से० मा०के सूद पर लगना ठहरा और यह भी ठहरा की प्रतिवादी नम्बर १ का दाल के क्रय-विक्रय दोनों पर ॥) आ० फी सदी की आदत और भी मिलेगी

५-यह कारोबार ता०.....से ता०.....तक चलता रहा और कुल माल बेचने के बाद उसमें लाभ रहा जिसकी ठीक ठीक संख्या बिना हिसाब के मालूम नहीं हो सकती।

६-यह सब हिसाब प्रतिवादी रामस्वरूप रजलाल की दूकान के वहीखाते व क्रय-विक्रय पुस्तक में दिया हुआ है।

७-प्रतिवादी नम्बर १ ने हिसाब प्रतिवादी नम्बर २ व वादी को नहीं समझाया और न वह रुपया जो उस पर चाहिये था, अदा किया।

८-प्रतिवादी नम्बर २ नालिश में शामिल नहीं हुये इसलिये उनको प्रतिवादी बनाया गया।

९-बिनाय दावा माह जून सन्.....में काम समाप्त होने व हिसाब न देने के दिन से स्थान कोठी में अदालत के इलाके के अदर पैदा हुई।

१०-दावे की मालियत—
वादी प्रार्थी है कि -

(अ) प्रतिवादी नम्बर १ को आज्ञा हो कि वह दाल की खरीद और फरोस्तगी का हिसाब ता०.....से ता०.....तक वादी को समझा दें और हिसाब करके जो कुछ ६० प्रतिवादी न० १ पर निकले उसकी डिग्री की जावे।

(ब) नालिश का खर्चा दिलाया जावे।

(४) हिसाब समझाने के लिये प्रिन्सिपल का एजेन्ट

के ऊपर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-

१-प्रतिवादीगण कमीशन एजेन्सी का काम करते हैं और उनका हेड आफिस हाथरस है। उनकी एक दूकान नदराम फूल चन्द के नाम से बम्बई में बादी है।

३—टोनों फरीकैन में तारीख को स्थान हाथरस में एजेन्सी का इक्कार हुआ ।

३—आदत की दर प्रतिवादियों के क्रय विक्रय पर 12) आना सै० और आपसी नद । ३) सैकड़ा मा० की दर से लेना देना करार पाया ।

४—वादी ने माल की खरीद व विक्री प्रतिवादियों की बम्बई की दूकान पर पक्की आदत में तारीख.....ई० से शुरू की और अपना माल रुई व कपास हाथरस व कोसी या इटावे में तैयार किया हुआ विक्री के लिये प्रतिवादियों की दूकान पर भेजता रहा ।

५— इस काम का सिलसिला तिथि... ..या तारीख.....तक चलता रहा और इस समय में लाखों रुपये के माल व नकद रुपया का आना जाना रहा ।

६ - प्रतिवादी, बार बार कहने पर भी ठीक हिसाब नहीं देते और न वादी का वाकी और सूद अदा करते हैं ।

७ - प्रतिवादियों ने कुछ हिसाब वादी के पास भेजे हैं जिनमें आदत, पिंजरा पोल, धर्मखाता व रेल के बीमें की रकमे शलती से वादी के नाम लिख दी हैं और नमूना का माल कम दर से लगाया गया है और तौल में बहुत कमी दिखाई गई है । वादी के माल विक्री होने का भाव कम और खरीदारी का भाव अधिक लिख दिया है ।

८—वादी का हिसाब करके बहुत सा रुपया प्रतिवादी पर निकलेगा, लेकिन उसकी ठीक तादाद बिना हिसाब के मालूम नहीं हो सकती और यह सब हिसाब प्रतिवादियों के कब्जे में है और वह कमीशन एजेन्ट की हैसियत से हिसाब समझाने और वादी के रुपया के अदा करने का देनदार व जिम्मेदार है ।

९ वादी इस समय दावे की मालियत ११०००) रु० करता है और उस पर कोर्ट फीस अदा करता है । हिसाब से जितना रुपया निकलेगा उस पर अधिक कोर्ट फीस लगा दी जायेगी ।

१०— एजेन्सी का इक्कार स्थान हाथरस में हुआ था और प्रतिवादी कमीशन एजेन्ट की हैसियत से वादी के रहने के स्थान हाथरस में हिसाब समझाने के जिम्मेदार हैं । प्रतिवादी भी हाथरस के रहने वाले हैं इसलिये अदालत को दावा सुनने का अधिकार प्राप्त है ।

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) प्रतिवादियों को हुकम हो कि वह वादी को उसके माल की ता० .. में ता० तक खरीद व विक्री का ठीक ठीक हिसाब समझा देवे ।

(ब) हिसाब से वादी का जो कुछ रुपया निकलता हो उसकी डिगरी नालिश के खर्च व सूद के साथ प्रतिवादियों पर की जावे ।

(५) बहीखाते के आधार पर आहत की बकाया के वाचत दावा

(सिरनामा)

वादी नीचे लिखा निवेदन करते हैं : -

१- प्रतिवादी व्यापार का कारोबार हरगोविन्द दुर्लभदास के नाम से करते हैं ।

२ वादियों की दूकान बसतलाल हीरालाल हाथरस, की आहत में प्रतिवादी माल खरीदा करते थे और उसकी क्रीमत हुन्डी व नोट आदि से देते रहते थे ।

३-प्रतिवादी के खाते में रु० ॥॥ आ० सैकड़ा मासिक की दर से लगाया जाता था और आहत, माल की क्रीमत पर ॥॥आ० सैकड़ा की थी ।

४ - माल की खरीदारी और रुपये का देन लेन मुद्दयान की दूकान के वही खातों में जो कि महाजनी में, नियमानुसार रखे जाते हैं ठीक-ठीक लिखा जाता है ।

५-प्रतिवादी का खाता तिथि या तारीख.....से शुरू हुआ और तिथि या तारीख.....तक चलता रहा । इस समय में १३८८४)६० प्रतिवादी के नाम और १२३४७॥॥॥ उनके जमा हुये । मु० १५३६३)॥ खाते में बाकी रहे और ता०.....से आज तक का रु० ६०॥॥), २२॥॥) दूकान का किराया (३)॥ नोटिस का खर्च कुल १६५०) प्रतिवादी के ऊपर बाकी है । वादी की दूकान के वही खाते की नकल अर्जी दावे के साथ-साथ पेश की जाती है ।

६-प्रतिवादी ने कुछ बाजरा वादी की आहत में खरीद किया था वह भाव सस्ता हो जाने के कारण हाथरस रहने दिया और बाद को स्थान सेहीर मगा लिया और कुछ बाजरा बाकी रह गया वह अभी तक हाथरस में मौजूद है उसके देने में वादी को एतराज नहीं है ।

७-प्रतिवादी वादी का रुपया बार-बार मॉगने व तकाजा करने पर भी अदा नहीं करते । विनाय दावी स्थान हाथरस में मियाद के अन्दर पैदा हुई ।

८-दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस देने के लिये १६५०) रु० है ।

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) १६५०) रु० असल व रु० जैसा कि हिसाब से निकलता है दिलाने के लिये दावा मय खर्चा नालिश व रु०, दौरान व आहदा प्रतिवादी पर डिग्री किया जावे ।

(६) पक्का आदतिया का, एजन्सी के इक्कार पर दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१-मुद्दई का कार्य्य न्यौपार पक्की आहत करने का है ।

२—मुद्दई की आदत में मुद्दाअल्लेह सूत खरीद किया करता था और उस खरीदारी में मुद्दई का रुपया लगता था और उस रुपये पर मुद्दाअल्लेह ब्याज दस आने सैकड़ा मा० अदा करता था ।

३—मिती या तारीख ... तक दोनों फरीकों के दर्म्यान हिसाब जारी रहा और उसके पहले का हिसाब तै हो गया था सिर्फ ११०) रु० मुद्दाअल्लेह को देना बाकी था ।

४—मुद्दाअल्लेहम का कुल हिसाब मुद्दई के बही खातों में दर्ज है और जो रुपया मुद्दाअल्लेह ने अदा किया वह जमा किया गया है ।

५—अन्त में मुद्दाअल्लेह की खरीदी हुई सूत की २०२ गाँठ मुद्दई के यहाँ पड़ी रही जिनको मुद्दाअल्लेह ने सस्ता भाव हो जाने के कारण नहीं उठाया ।

६—मुद्दई ने मुद्दाअल्लेह को नोटिस दिया कि वह गाँठ उठा लेवे परन्तु मुद्दाअल्लेह ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया । लाचार होकर मुद्दई ने सौदा मुद्दाअल्लेह रामचन्द्र की रज़ामन्दी से हरदेवदास मिल वालों के साथ तै कर लिया और कई मनुष्यों के कहने पर मुद्दाअल्लेह को सिर्फ २) आ० फी रु० के नुकसान का जुम्मेदार ठहराना मान लिया जिसका जमा खर्च मुद्दई के बही खातों में किया गया ।

७—दोनों फरीकैन में ब्याज ॥२) सैकड़ा माहवारी ठहरा था ।

८—अब हिसाब से ४४५४) रु० असल व सूद मुद्दई का मुद्दाअल्लेह पर निकलता है जो उसने अदा नहीं किया ।

९—मुद्दाअल्लेह ने मुद्दई के बही खातों में लिखा हुआ अपना कुल हिसाब देख लिया है ।

१०—घिनाय दावा आखिरी तक़जे के दिन से स्थान हाथरस में ता० ... को अदालत के अन्दर पैदा हुई और अदालत को मुक़दमा सुनने का अधिकार प्राप्त है ।

११ दावे की मालियत (४४५४) रु० ।
मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(अ) ४४५४) रु० असल व सूद और खर्चा नालिश मय सूद दौरान व आईन्दा मुद्दई को मुद्दाअल्लेह से दिलाया जावे इत्यादि

(७) आड़तिया की तग़फ़ से व्यापारी के ऊपर दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है—

१ - प्रतिवादी की आदत की दूकान अब्दुलमजीद अब्दुलहमीद के नाम से स्थान हाथरस के बाजार मुर्सान दरवाजा में जारी है और मुद्दईयान तिजारत का कारोबार रामलाल खेमचन्द्र के नाम से स्थान मथुरा में करते हैं ।

२—मुद्दाअलोहम ने मुद्दइयान के लिये वहीसियत - आदतिया दो अदद खची खरीद की जिसकी तफसील यह है—

तिथि या० ता० खरीदारी	असाढ सुदी ६	असाढ सुदी १०
वजन	४२४५४	४४८५२
भाव	४॥॥—)	४॥॥॥
किस्म गल्ला	वेभर चनारी	वेभर मटरारी
पता	रामलालगज की	वो० जोधराज छीतर-मल की ।

३—दोनों खत्तियों के नफा नुकसान के लिये मुद्दइयान ने, ४००) ६० मुद्दाअलोहम के पास जमा किये और दोनों खत्तियाँ मुद्दाअलोहम के पास इस शर्त से रहीं कि वह मुद्दइयान के कहने पर उनको विक्रय करेगे ।

४—मुद्दाअलोहम समय समय पर बाजार भाव के बारे में इत्तला देते रहे और भाव के हिसाब से कीमत की कमी का रूपया उनसे मगाते रहे, मुद्दइयान का कुल १२५०) ६० पहुँचा ।

५—फागुन सवत्...में मुद्दाअलोहम ने खत्तियों की कीमत का बीजक जिसमें अदा किया हुआ रक्या दिखाया गया था मुद्दइयान को दिया और उस समय भी मुद्दाअलोहम ने मुद्दइयान से कह दिया कि वह खत्तियाँ मुद्दइयान की अनुमति से बेचेगे ।

६—इसके बाद कई बार मुद्दइयान ने मुद्दाअलोह से खत्तियाँ बेचने के लिये कहा वह टाल टाल करते रहे । इस पर मुद्दइयान ने यह भी चाहा कि खत्तियाँ की कीमत का बक्रिया ६० अदा करके खत्तियाँ मुद्दाअलोहम से लेकर अपने कबजे में कर लेवे लेकिन मुद्दाअलोहम ने न वह खत्तियाँ बेची और न मुद्दई के हवाले की ।

७—मुद्दाअलोहम उन खत्तियों को देना नहीं चाहते और मुद्दइयान के रूपया को मारना चाहते हैं ।

८—खत्तियों में फायदा है लेकिन मुद्दइयान भगड़े की वजह से रूपया की वापसी का दावा करते हैं ।

९—इस रुपये पर ॥॥) आ० सैकड़ा माहवारी का सूद देना करार पाया था और इसी शर्त से मुद्दइयान सूद मॉंगते हैं ।

१०—विनाय दावा नवम्बर १९४५ ई० में आखिरी इनकार करने के दिन से हाथरस में पैदा हुई ।

११—दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस के लिये १५००) ६० है ।

मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(अ) मुबलिगा १५००) रु० असल व सूद का जैसा कि नीचे हिसाब में दिया है या उतनी रकम जो अदालत मुद्दई की मुद्दाअलोहम पर तजवीज करे सूद सहित दिलाई जावे ।

(ब) और कोई दादरसी जो मुकदमें में न्याय के हेतु समझी जावे वह मुद्दई को दिलाई जावे ।

(क) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे ।

हिसाब की तफसील :—

असल रुपया	सूद	कुल जोड़
१३५०)) आ० सै० वकाया	
	रकम पर	१५००) रु०
	१५०)	

(८) एजैन्ट की गिन्सपक के ऊपर इकरार किये हुए रुपये के लिये नालिश

१—यह कि प्रतिवादी ने ता०.....को अपने हाथ की लिखी हुई चिठी से, वादी को मिर्जापुर से २०० बोरे अलसी खरीदने के वास्ते अपना एजैन्ट नियत किया । शर्त यह ठहरी थी कि वादी अपने उत्तरदायित्व पर प्रतिवादी के लिये माल किसी ऐसी कीमत पर जो ७) रु० प्रति मन से अधिक न हो क्रय करेगा और उसके बम्बई भेज देगा और प्रतिवादी वादी की कीमत और कमीशन के रुपये की ' पहुँचे दाम ' की हुन्डी को सिकार देगा ।

२—यह कि इस इकरार के अनुसार वादी ने ता०.....से ता०.....तक अपनी जुम्मेदारी पर प्रतिवादी के लिये १६३ बोरी अलसी ठहरे हुए भाव के अन्दर क्रय की और ता०.....को उनको बम्बई भेज दिया और प्रतिवादी के ऊपर माल की कीमत व कमीशन के रुपया की हुन्डी (अ—ब—) के नाम लिख दी जो ता०.....को भुगतान के लिये उपस्थित की गई ।

३—यह कि प्रतिवादी ने ता०.....को उक्त हुन्डी को नहीं सिकारा और उसकी अदायगी से इनकार कर दिया, इसी ता०.....को विनाय दावी पैदा हुई ।

(९) कमीशन या दलाली के रुपये की नालिश

१—वादी दलाली का काम करता है और वह हाथरस में मकानों का दलाल है ।

२—प्रतिवादी ने ता०.....को वादी को यह हिदायत की कि वादी उसका

मकान जो मुहल्ला लखपती शहर हाथरसे में है विकवा देवे और उसकी जो कुछ कीमत मिलेगी उस पर २) रु० सैकड़ा प्रतिवादी कमीशन अदा करेगा ।

३—वादी ने प्रतिवादी का मकान.....रु० में.....के हाथ विकवा दिया और उसका बानामा भी रजिस्ट्री हो गया ।

४—प्रतिवादी ने कमीशन का.....रु० वादी को अभी तक अदा नहीं किया ।

* (१०) हिसाब समझाने के लिये एजेंट की ओर से नाजिश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—मुद्दई कमीशन एजेंट है और मुद्दाअल्लेह कपड़े बेचने का काम किनारी बाजार आगरे में करता है ।

२—ता०.....माह.....सन्.....को मुद्दई और मुद्दाअल्लेह में जवानी यह करार पाया कि मुद्दई जो ग्राहक मुद्दाअल्लेह के यहाँ लावेगा और जो उसके यहाँ से कपड़ा खरीटेने उसकी कीमत पर वह मुद्दई को 1) आ० सैकड़ा कमीशन देगा । (देखो नोट न० १)

३—यह कि मुद्दई बहुत से ग्राहक मुद्दाअल्लेह की दूकान पर लाया जिन्होंने कपड़ा मुद्दाअल्लेह की दूकान से खरीदा । ग्राहकों के नाम व पता जहाँ तक मुद्दई को याद है सूची (अ) अर्जादावा में दर्ज हैं परन्तु ग्राहकों की ठीक ठीक संख्या मुद्दई को मालूम नहीं है ।

४—यह कि मुद्दाअल्लेह ने इस कमीशन के रुपये को अब तक अदा नहीं किया । मुद्दई ने मुद्दाअल्लेह से बार बार इसको देने के लिये कहा परन्तु उसने ध्यान नहीं दिया ।

५—यह कि बिनाय दावी स्थान आगरा में ता०.....से लेकर ता०.....तक कमीशन को न अदा करने के समय पैदा हुई ।

* १ नोट—यदि मौखिक प्रतिज्ञा होने के बजाय इकरारनामा या चिठ्ठी इत्यादि लिखी हुई हो तो धारा न० २ में यह लिखना चाहिये और जो कुछ शर्तें नियत हुई हों वह भी लिख देना चाहिये और उन शर्तों का पूरा होने का बयान धारा नम्बर ३ में करना चाहिये ।

२ नोट—यदि मुद्दई अपना काम पूरा कर चुका हो लेकिन मुद्दाअल्लेह की बेजा कार्रवाई से बयान में की शर्तें पूरी न हो सकी हों, तो यही नमूना जहाँ तहाँ आवश्यक संशोधन करके काम में लाया जा सकता है ।

६ - दावे की मालियत—

मुद्दई की प्रार्थना :—

(अ) मुद्दाअल्लेह से हिसाब कपड़े की खरीदारी और कमीशन की आमदनी का उन खरीदारों के निसवत लिया जाये जो मुद्दई मुद्दाअल्लेह की दूकान पर लाया ।^१

(ब) जितना रुपया हिसाब करने के बाद मुद्दई का निकले उसकी डिग्री मय खर्च नालिश व सूद वसूल होनेकी दिन तक मुद्दाअल्लेह पर की जावे ।

१५—दूसरे की ज़िम्मेदारी का रुपया अदा करने पर

ऐसी नालिशें विभिन्न दशाओं में करनी होती हैं । साधारण दशा तो यह होती है कि कोई रुपया एक मनुष्य को अदा करना हो और ऐसी अदायगी से मुद्दई के हक की भी रक्षा होती हो परन्तु वह मनुष्य उस रुपये को अदा न करे और मुद्दई उसको बेबाक करदे । दूसरी दशा यह होती है कि किसी अन्य पुरुष से वसूल होने वाला रुपया किसी कानून की त्रुटि या राजती से या किसी अनुचित कार्य की वजह से बलपूर्वक मुद्दई से वसूल कर लिया जावे और मुद्दई के एतराज होने पर भी उसको अदा करना पड़े । तीसरी दशा यह होती है कि किसी अवयस्क (नवालिंग) या विवेकहीन (फातिरुल अफज) या अन्य ऐसे पुरुष को जो स्वयं प्रतिज्ञा करने के योग्य न हो, के निर्वाह-योग्य सामग्री दी जावे और अन्तिम दशा यह होती है जब कि एक व्यक्ति दूसरे के लिये कोई काम करे और उसका अभिप्राय बिना प्रत्युपकार या बदला के ऐसा काम करने का न हो ।

यानी जब किसी दूसरे की ज़िम्मेदारी का रुपया मुद्दई से ज़बरदस्ती वसूल किया जावे, या उससे कानूनन वसूल किया जा सके, या मुद्दई को अपने हक बचाने के लिये रुपया देना पड़े तो इन हालतों में, मुद्दई मुद्दाअल्लेह पर दावा कर सकता है । जैसे कि किसी मुद्दाअल्लेह के विरुद्ध डिग्री की इजरा में मुद्दई की जायदाद कुर्क हो जाने पर^१ या किसी मुरतहिन के, राहिन के किराये विरुद्ध की डिग्री अदा कर देने पर^२ दावा किया जा सकता है, परन्तु यदि वादी को रुपया देने से कोई लाभ नहीं था और उससे वह ज़बरदस्ती वसूल किया गया, तो ऐसी हालत में दावा नहीं किया जा सका ।^३

1 I L R 29 All 563, 52 Cal. 914

2 10 A L J 73, I L R 32 Cal 643

3. Angelal vs Sidhgopal, A I R 1940 All 214, 1939 Pat 497.

अर्जीदावे में (१) यह कि मुद्दई ने रुपया अदा किया है (२) यह कि वह अदायगी मुद्दाअलेह की तरफ से की गई जैसे मुद्दाअलेह ने स्वयं रुपया दिलवाया हो या ऐसी घटनाएँ हों जिनसे मुद्दाअलेह का अभिप्राय रुपया दिलाने का प्रगट होता हो (३) मुद्दाअलेह रुपये देनदार है ।

नोट :- कानून मुआहिदा ¹ की धारा ६८ से ७० इस सिलसिले में देख लेनी चाहिये । जो नमूने इस भाग में दिये गये हैं वह साधारण तबदील के साथ अन्य दशाओं में भी काम में लाये जा सकते हैं ।

* (१) इकरार नामा से बरी करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-

१—ता०.....को वादी और प्रतिवादी कोठी..... के नाम से सामे में व्योपार करते थे । उन्होंने सामा तोड़ कर आपस में यह इकरार किया कि प्रतिवादी सामे का सब माल असबाब अपने पास रखे और कोठी का कुल कर्जा अदा करदे और जो दावे इसके ऊपर कोठी के कर्जों के बारे किये जावे उन सबसे वादी बरी कर दिया जावे ।

२—यह कि वादी ने इकरारनामे के अनुसार जो जो शते उसकी तरफ से पूरी होनी चाहिये थी पूरी कर दी ।

३ - यह कि ता०... को एक पुरुष श्री राम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से वादी और प्रतिवादी के ऊपर कोठी के कर्जों को वावत डिग्री हासिल की और वादी ने..... रुपया उस डिग्री की अदायगी में श्रीराम को दिया ।

४—यह कि यह रुपया प्रतिवादी ने वादी को अभी तक नहीं दिया ।

५—बिनाय दावी :-

६—दावे की मालियत :-

(वादी की प्रार्थना)

(२) हिस्सेदार की माल गुजारी की अदायगी के वाबत ।

१—मुद्दई और मुद्दाअलेह मौजा दरियापुर मुहाल सफेद में हिस्सेदार हैं ।

२—इस मुहाल का अधूरा बटवारा हो गया है और कुल मुहाल की मालगुजारी एकजार्ड अदा की जाती है ।

¹ Contract Act 2 of 1876 See 68 to 70

* नोट : यह नमूना शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अ) जाप्ता दीवानी का नम्बर २० है ।

३—मुद्दाअल्लेह ने सन् १३— फसली की बाबत अपने हिस्से की मालगुजारी सरकारी खजाने में जमा नहीं की । मुद्दई ने अपने हिस्से की मालगुजारी अदा कर दी थी ।

४—शेष मालगुजारी के लिये सरकार की ओर से मुहाल की कुल जमींदारी नीलाम के वास्ते कुर्क हुई ।

५—मुद्दई ने अपना हिस्सा बचाने के लिये... ..मालगुजारी का रुपया जो मुद्दाअल्लेह पर चाहिये था, ता०.....को सरकारी खजाने में जमा कर दिया और मुद्दाअल्लेह के ऊपर मालगुजारी का रुपया बेनाक हो गया ।

६ मुद्दई उस का, मय ब्याज १) रुपया सैकड़ा माहवारी के, लेने का मुद्दाअल्लेह से हकदार है ।

(३) दूसरे की डिग्री का खया अदा कर देने पर ।

१—ता०.....के लिये हुये ठीकानामे से प्रतिवादी भौजा अहमदनगर में मुहाल रामसहाय का, शेरसिंह जमींदार की ओर से १३ — फसली से १३ — फसली तक तीन साल के लिये ठेकेदार रहा ।

२—शेरसिंह ने ठेके के रुपया की अदायगी के लिये वादी को भी ठेकेनामे की तहरीर में सम्मिलित कर लिया था ।

३—ऊपर लिखे सालों में कृषकों से प्रतिवादी ने लगान की तहसील वसूल की और उसने सरकार की मालगुजारी भी अदा की लेकिन ठेके का ३००) रुपया जो शेरसिंह जमींदार को देना चाहिये था अदा नहीं किया ।

४—शेरसिंह ने ठेके का रुपया और ब्याज की नालिश दोनों पक्षों के ऊपर अदालत माल में दायर की और वहाँ से ता०..... कोरुपया की डिग्री दोनों पक्षों पर हो गई ।

५—उस डिग्री की इजराय में शेरसिंह ने वादी की जमींदारी की हकीयत कुर्क कराई और वादी ने अपनी जायदाद बचाने के लिये डिग्री और खर्च का रुपया ता० को अदालत में जमा कर दिया और डिग्री बेनाक कर दी ।

६—ठेके की कुल आय प्रतिवादी के हाथ में आई और वही ठेके के कुल रुपये का देनदार है जो कि वादी को ठेके में शरीक होने के कारण अपनी सम्पत्ति बचाने के लिये देना पड़ा ।

७—प्रतिवादी ने यह रुपया तकाजा करने पर भी अदा नहीं किया ।

(१६६)

(४) जायदाद के मालिक की ओर से किराया
अदा कर देने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—काटन जिनिंग फेक्टरी लालचन्द्र ताराचन्द्र हाथरस में सालिकराम प्रतिवादी नम्बर १, एक तिहाई हिस्से का मालिक था और शेष दो तिहाई के मालिक अन्य प्रतिवादी थे ।

२—इस कारखाने की जमीन मूरखज नाम के एक मनुष्य की थी और वह कारखाने के मालिकों के पास तीन साल के किराया पर इस शर्त पर थी कि यदि किराया वाजिब होने के दिन से दो महीने के अन्दर किराया अदा न किया जावेगा तो जमीन के मालिक को कारखाने की जमीन व इमारत पर दखल पाने का अधिकार होगा ।

३—सालिकराम का हिस्सा वादी के पास ता०.....के लिखे हुए किफालती दस्तावेज से ५०००) रुपया में आड था जिसकी विनाय पर डिग्री नम्बरी.....सन्अदालत सिविल-जर्जी अलीगढ़ से सालिकराम के ऊपर सादिर होकर प्रतिषेध में थी और उसमें ता०.....नीलाम के लिये नियत थी ।

४—इसी समय में जमीन के मालिक मूरखज ने इस साल के किराये की बाबत डिग्री ता०.....को अदालत सिविल जर्जी अलीगढ़ से कारखाने के मालिकों के ऊपर इस शर्त पर प्राप्त कर ली कि यदि वह लोग डिग्री का रुपया दो माह के अन्दर अदा न करे तो कारखाने की इमारत को गिरा देने के बाद मूरखज को उसकी जमीन पर दखल दिलाया जावे ।

५—यह दो महीने की अवधि नीलाम की तारीख से पहिले ही समाप्त होती थी और भय यह था कि किराये की डिग्री का रुपया अवधि के अन्दर न अदा होने पर कारखाने की कुल इमारत गिरा दी जावेगी और वादी अपनी आड़ की डिग्री का रुपया वसूल नहीं कर सकेगा ।

६—वादी ने अपना हक बचाने के लिये किराये की डिग्री का.....रुपया प्रतिवादियों की ओर से ता०.....को अदालत की आज्ञानुसार मूरखज के लिये दाखिल कर दिया और वह डिग्री बेबाक हो गई ।

७—वादी इस दाखिल किये हुए रुपये को, कारखाने के मालिक प्रतिवादियों से १) रुपया सैकड़ा मासिक सूद सहित पाने का दावेदार है ।

१६—रसदी (Contribution) *

रसदी के दावे ऐसी दशा में उत्पन्न होते हैं जबकि दोनों पक्ष एक तीसरे मनुष्य को अदायगी के लिये देनदार हो और वादी ने अपने हिस्से से अधिक अदायगी की हो। दावा करने का हक अदायगी करने के बाद पैदा होता है। ऐसे दावों में वादी को (१) वह घटनाएँ जिनसे फरीकैन की मुश्तर्का ज़ुम्मेदारी साबित हो (२) वादी का हिस्सा (३) यह कि उसने अपना हिस्सा अदा कर दिया है (४) वह मतालबा जो उसने ज़ायद (अधिक) अदा किया हो (५) और प्रतिवादियों को कहाँ तक वादी को रूपा अदा करना चाहिये अर्ज़ी दावे में लिखना चाहिये।

यदि वादी ने कुल हिसाब कुछ कम रुपया देकर वेबक किया हो या किसी प्रतिवादी ने कुछ रुपया अदा किया हो तो यह सब रपट रूप से विवरण सहित दिखाना चाहिये और जितना रुपया वास्तव में दिया गया हो उसी का दावा किया जा सकता है। ऐसे मुकदमों में कर्जदार या वह मनुष्य जिसको वादी ने रुपया अदा किया हो जरूरी फरीक नहीं है।

रसदी के मुकदमों में एक विशेषता यह होती है कि जहाँ पर एक से अधिक प्रतिवादी हो वहाँ उनके विरुद्ध एकजायी डिप्री के बजाय पृथक-पृथक डिप्री होती है जिससे प्रत्येक प्रतिवादी की ज़िम्मेदारी प्रतीत हो। यदि ऐसा न किया जावे तो जहाँ पर बहुत स फरीक हों वहाँ पर एक दावे के बजाय उतने ही दावें करने पड़ें।

यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई रकम पाने के हकदार हो और वह उनमें से एक ही ने बसूल कर ली हो तब भी दूसरा व्यक्ति या अन्य हिस्सेदार अपने हिस्से की रकम के लिये दावा कर सकता है और वह भी एक प्रकार से रसदी की ही नालिश होती है। ये दावे ज़ावता दीवानों की धारा ७३ के अनुसार बहुधा किये जाते हैं।

रसदी के दावे सम्मिलित ज़िम्मेदारी से पैदा होते हैं और वे हिस्सेदारों,¹ कर्ष लेने वालों,² रेहन करने वालों,³ जमानन देने वालों और ट्रस्टियों इत्यादि में आपस में उत्पन्न होते हैं जब कि मुद्दे को अपनी ज़िम्मेदारी से अधिक रुपया अदा करना पड़ा हो।

1. 26 C W N 634

2 L. L. R 43 All 77 ; 19 C W. N 193

3 A I R 1925 All 127, 16 A L J 148

नोट* :—इसमें सादा रसदी के नमूने ही दिये गये हैं जहाँ पर अचल सम्पत्ति पर भार उत्पन्न नहीं होता। यदि रसदी से अचल सम्पत्ति पर भार उत्पन्न होता हो उसके लिये भाग २३ नौताम की नालिशों के नमूना नम्बर १३, १४ व १५ देखने चाहिये।

मियाद—रसदी का दावा रूपया अर्दा करने के दिन से तीन साल के अन्दर होना चाहिये (देखो आर्टिकल ६१ और ६६ कानून मियाद) ।

(१) एक देनदार की ओर से, जिसने डिगरी का रूया अर्दा क्रिया हो, दूसरे पर नाक़िश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—दोनों फरीकैन, इंट व चूना बनाने के कारखाने में जो मौजा अनीपुर जिला मुरादाबाद में था, आधे आधे हिस्से के हिस्से दार थे ।

२—यह कारखाना दोनों पक्षों की रजामन्दी से बन्द हो गया और उसका माल असबाब पक्षों ने अपने अपने भाग का बॉट लिया था ।

३—कारखाने के ऊपर, प्यारेलाल नामक एक व्यक्ति का ऋण था जिसका दावा ता०.....के अदालत सिविल जज मुरादाबाद से, दोनों पक्षों के ऊपर डिग्री हो गया ।

४—डिग्रीदार ने इस डिग्री की इजराय में वादी की सम्पत्ति कुर्क कराई और वादी ने डिग्री और इजराय का खर्च इत्यादि का रूपयाअदालत में दाखिल करके डिग्री बेनाक कर दी ।

५—प्रतिवादी इस मतालवा में से आधे का देनदार है और वादी मागिक के हिसाब से अर्दा करने के दिन से सूद पाने का अधिकारी है ।

६—विनाय वावी—

७—दावे की मालियत—

(वादी की प्रार्थना)

(२) जुदागाना जिम्मेदारी होने पर रसदी की नाक़िश

१ - मुद्दई और मुदायलह ने ता०.....मा०'.....सन्... .ई० के एक दस्तावेज लिख कर रामसहाय नामक एक पुरुष से १५००) कर्जा लिया जो एक १) सैकडे माहवारी से इन्दुलतलब अर्दा करने ठहरे ।

२—इन कर्ज के १५००) रूपया में से १०००) रूपया मुदायलह ने और ५००) रूपया मुद्दई ने लिये थे ।

३—मुद्दई ने ता०.....के दस्तावेज के बारे में २००) रूपया रामसहाय को अर्दा किये बकिया रूपया किसी फरीक ने अर्दा नहीं किया

४—रामसहाय ने बाकी रुपया वसूल करने को नालिश दायर करके डिग्री नम्बरी.....सन्.....अदालत.....से फरीकैन के ऊपर ता०.....को हासिल की और इजरा करा कर उसका कुल मतालशा ता०.....को मुद्दई से वसूल कर लिया ।

५—मुद्दायलह के ऊपर, हिसाब से.....रुपया निकलता है जो कि उसको मुद्दई को देना चाहिये । मुद्दायलह तलब व तकाजा करने पर भी यह नहीं देता । मुद्दई १) रुपया सैकड़ा खद अतौर हर्जा पाने का हकदार है ।

(३) एक हिस्सेदार की सभे के खर्च की बाबत दूसरे हिस्सेदार पर नालिश

१—कासगञ्ज जिला ऐटा में म्युनिसिपलगञ्ज की दूकानों के फरीकैन मालिक हैं जिसमें से वादी का हिस्सा $\frac{1}{2}$ आ० और प्रतिवादी का $\frac{1}{2}$ आ० का है ।

२—दूकानों की जमीन की मालिक कासगंज की म्युनिसिपैलटी है और फरीकैन के पुरखों ने ता०.....के लिखे हुये दवामी (सर्वदा) पट्टे की शर्तों के अनुसार दूकाने तैयार की थी और उस पट्टे की एक शर्त यह थी की दूकानों की मरम्मत म्युनिसिपैलटी की आज्ञा के अनुसार दूकानों के मालिकों को करानी होगी और मरम्मत न कराने पर पट्टे दारी का हक खतम हो जावेगा और वह वेदखल कराये जावेंगे ।

३—कासगंज की म्युनिसिपैलटी से ता०.....के इन दूकानों की मरम्मत के लिये दो महीने की मियाद का एक सक्यूलर जारी हुआ ।

४—वादी ने इस सक्यूलर के अनुसार दूकानों की मरम्मत करा दी और इसमें मुद्दई का १०००) रुपया खर्च हुआ ।

५—मरम्मत का हिसाब अर्जीदावे के साथ साथ पेश किया जाता है ।

६—.....रुपया प्रतिवादी के हिस्से का उसके ऊपर वाजिब है जो उसने बार-बार माँगने पर भी अदा नहीं किया ।

७—बिनाय दावा ता०.....(मरम्मत कराने के दिन से) ।

(४) एक डिग्रीदार की दूसरे डिग्रीदार पर रसदी के लिये नालिश

(देखो दफा ७३ ज़ाब्ता दीवानी)

१—मुद्दई की एक डिग्री नम्बर.....सन्.....अदालत सिविल जन इलाहाबाद, रामलाल मदयून के विरुद्ध थी जिसकी इजराय में उसकी जायदाद कुर्की थी ।

२—मुद्दायलह की एक दूसरी डिग्री नम्बर.....सन्.....अदालत.....भी रामलाल मदयून के ऊपर थी और उसकी इजराय में भी वही जायदाद कुर्की और नीलाम के लिए चढ़ी थी ।

३—मुदायलह की इजराय डिग्री में यह जायदाद ता०.....को.....रुपया में नीलाम हुई और मुदायलह बिला मुद्दई के इल्म के नीलाम का रुपया अदालत से ता०.....को उठा ले गया ।

४—मुद्दई की डिग्री नम्बरी...सन्...का मतालवा नीलाम को तारीख के दिनरुपया था और मुदायलह की डिग्री नम्बरी.....सन्.....का मतालवा नीलाम के दिन.....रुपया था ।

५—कुल नीलाम के मतालवा में से खर्चा निकाल कर हिसाब से जैसा कि नीचे दिया हुआ है रसदी का.....रुपया मुद्दई पाने का हकदार था जो मुदायलह ने अनुचित रूप से बदल कर लिया । मुद्दई रसदी का.....रुपया और उस पर १) सैकड़ा माहवारी सूद पाने का मुदायलह से अधिकारी है ।

१७—धोखा या फरेब

धोखे के सम्बन्ध में कानून यह है कि यदि कोई काम किसी मनुष्य से धोखे से कराया गया हो या उसके विरुद्ध किया गया हो, चाहे वह कितना ही नियम-पूर्वक और गम्भीरता से हुआ हो, व्यर्थ होता है, और उस व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर धोखा किया गया हो उसका कोई प्रभाव नहीं होता । वह ऐसे कार्य को खण्डित कर सकता है, और यदि उसका कोई हर्जा या हानि हुई हो तो वह धोखा देने वाले व्यक्ति से वसूल कर सकता है ।

धोखा और फरेब भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयोग में लाये जाते हैं और उसके अनेक रूप हो सकते हैं । इसलिये वे घटनाएँ जिनसे वादी को धोखा दिया जाना प्रत्यक्ष हो और जिनसे उसका हक नालिश उत्पन्न हो, अर्जीदावे में लिखना चाहिये ।

धोखे या गलत बयानी से यदि वादी को कोई नुकसान हुआ हो तभी हरजाने का दावा किया जा सकता है । बिना नुकसान हुए दावे का कारण उत्पन्न नहीं होता । धोखे का अर्जीदावे में पूरा बयान होना चाहिये और यह भी दिखाना चाहिये कि प्रतिवादी ने स्वयं या उसके ही कारण वह धोखा किया गया, या उसको धोखे के फलस्वरूप लाभ हुआ । वादी को ऐसे गलत बयान पर विश्वास होना और यह कि प्रतिवादी उसका असत्य होना जानता था अर्जीदावे में लिखना चाहिये ।^{1*}

1 A. I. R. 1937 P C 21

* नोट:—पद २१ तस्मीम और मनसूखी में दिये हुए नमूने इस सिलसिले में देखना चाहिये क्योंकि वे दावे भी धोखे और फरेब से ही उत्पन्न होते हैं ।

मियाद—आर्टिकल ९५ कानून मियाद के अनुसार धोखे के ज्ञान की तारीख से मियाद तीन साल की होती है। जब तक कि वादी को धोखे का ज्ञान न हो तब तक मियाद का कोई प्रभाव नहीं होता और मियाद की अवधि ऐसे ज्ञान होने की तारीख से आरम्भ होती है।

* (१) धोखे से माल लेने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है:—

१—ता०.....को प्रतिवादी ने वादी को उसके हाथ कुछ माल बेचने पर राजी करने के लिए वादी से यह कहा कि प्रतिवादी मालदार है और अपनी सब देनदारी के अलावा.....रुपया की हैसियत रखता है।

२—वादी इस वजह से अपना माल जिसकी कीमत.....रुपया थी प्रतिवादी के हाथ बेचने और हवाला करने पर राजी हो गया।

३—प्रतिवादी के यह बयान ठीक नहीं थे और उस वक्त प्रतिवादी स्वयं जानता था कि वह झूठ बयान कर रहा है।

४—प्रतिवादी ने इस माल की वास्तव रुपया नहीं अदा किया।

(माल हवाला न किया गया हो तो यह कि वादी को माल की तैयारी और इसके लादने और वापिस लेने में.....रुपया व्यय करना पडा।)

५—बिनाय दावा:—

६—दावे की मालियत:—

(वादी की प्रार्थना)

† (२) धोखे से दूसरे पुरुष को कर्ज दिखाने पर

१—ता०.....को मुद्दायलह ने मुद्दई से यह बयान किया कि, महावीर प्रसाद एक विश्वास योग्य और मालदार आदमी है और अपनी देन से कहीं ज्यादा रुपये की मालियत रखता है।

या, यह कि महावीर प्रसाद एक जुम्मेदार और अच्छी हैसियत का मनुष्य है उसको माल कर्ज देने में किसी तरह का डर नहीं है।

* नोट—यह नमूना शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अ) जॉन्टा दीवानी का नमूना नम्बर २१ है।

† नोट—शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अ) जॉन्टा दीवानी का नमूना नम्बर २२।

२—इस वजह से मुद्दई, महावीर प्रसाद के हाथ.....रुपया का चावल तीन महीने के वायदे पर बेचने को राजी हुआ ।

३—मुद्दायलह के यह बयान बिल्कुल भूठे थे और वह उस समय पर जानता था कि वह भूठ बयान मुद्दई को धोखा देने की नीयत से कर रहा है (या मुद्दई-को धोका देने और नुकसान पहुँचाने के वास्ते कर रहा है) ।

४—महावीर प्रसाद ने उस चावल का रुपया अदा नहीं किया और मुद्दई उस माल को हाथ से खो बैठा ।

* (३) धोखे से माल लेने वाले और उसके क्रय करने वाले पर नाश्चिंश, जब धोखे का ज्ञान हो

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०.....को प्रतिवादी रामलाल ने वादी को, इस अभिप्राय से कि उसके हाथ कुछ माल विक्रय किया जाय, यह प्रकाशित किया कि प्रतिवादी एक मालदार और ईमानदार मनुष्य है और अपनी देनदारी से.....रुपया की अधिक मालियत रखता है ।

२—वादी इस कारण से, रामलाल के हाथ एक सौ सन्दूक चाय जिसका मूल्य.....रुपया था बेचने और हवाला करने पर सहमत हो गया ।

३—रामलाल का यह कथन बिल्कुल असत्य था और वह उस समय उसका भूँटा होना स्वयं जानता था (या बयान करते समय प्रतिवादी रामलाल दिवालिया था और वह जान बूझ कर भूँटा बोला) ।

४—रामलाल ने वह माल केवल.....रुपया में प्रतिवादी रामनरायण के हाथ, जिसको उस बयान के भूँठ होने का ज्ञान था, बेच दिया ।

५—दावे का कारण :—

६—दावे की मालियत :—

वादी की प्रार्थना

(अ) वह माल वापिस दिलाया जावे और अगर यह न हो सके तो..... रुपया दिलाया जावे ।

(ब) इस माल को रोक रखने की वाबतरुपया हरजाना दिलाया जावे ।

* नोट—यह नमूना शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अ) ज़ाप्ता दीवानी का नमूना न० २३ है ।

(४) घोखा व वारन्टी का उल्लंघन

१—प्रतिवादी ने ता०को एक घोड़ा इस शर्त के साथ (६२५) रुपया में वादी के हाथ बेचा कि वह तन्दुरुस्त व पुष्ट है न कभी भागता है न किसी को लात मारता है और बहुत अच्छा काम देता है ।

२—प्रतिवादी के यह बयान बिल्कुल गलत थे क्योंकि मुआहिदे से पहिले मुदायलह का घोड़ा तन्दुरुस्त नहीं था, कई बार लगाम तोड़ चुका था और कई बार अपनी लातों से आदमियों को चोट पहुँचा चुका था. इसके अतिरिक्त उसको गाड़ी में काम करने की आदत भी न थी ।

३—वादी ने प्रतिवादी के झूठे बयान को कि प्रतिवादी का बेचा हुआ घोड़ा पुष्ट है और गाड़ी में बहुत अच्छी तरह चलता है सच समझ कर उसको प्रतिवादी से (६२५) रुपया में मोल लिया और कीमत अदा की ।

४—यह बयान करते समय प्रतिवादी उसको झूठ जानता था और उसने झूठा जान कर वादी को धोका देने की नीयत से यह बयान किया ।

५—वह घोड़ा ऊपर लिखी त्रुटियों के कारण वादी के किसी काम का न था लिये इस विवश होकर वादी ने उसको (३७५) रु० में बेच कर छुटकारा पाया और वादी को कीमत कमी होने और बेचने के खर्च के अतिरिक्त उसको बेचने की तारीख तक खिलाने और देख भाल करने में.....रुपया व्यय करना पड़ा । जिसका विवरण यह है—

- (१) कीमत की कमी—
- (२) खुराक का खर्चा—
- (३) बेचने का खर्चा—

कुल जोड़.....रुपया

१८—चल-सम्पत्ति

(Personal Property or Movables.)

दूसरे के माल को अनुचितरूप से रोकने या उसके उपयोग में लाने पर यह दावे किये जा सकते हैं। इनमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि वह माल या वस्तुएँ प्रतिवादी ने किस प्रकार से (उचित या अनुचित) पाया। मांगने पर माल वापिस करने से इनकार करना दिखाना चाहिये। वादी को दावा करने के समय उस माल के ऊपर तुरन्त अधिकार करने का हक हासिल होना चाहिये न कि यह कि वह किसी समय पर उनका अधिकारी होगा और यह भी अर्ची दावे में दिखाना चाहिये।

साधारण प्रकार से चल सम्पत्ति के दावों में माल न मिलने पर उसका मूल्य हर्जे के रूप में दिलाया जाता है इसलिये इन दावों में मूल्य की भी अतिरिक्त प्रार्थना होनी चाहिये।

विशेष दशाओं में उन्ही वस्तुओं का वादी को दिलाया जाना, जिसके लिये उसके दावा किया हो आवश्यक होता है जैसे किसी ग्रन्थकार के दावे में प्रकाशक या छापेखाने के मालिक से उसकी कच्ची लिपि का दिलाया जाना या किसी विशेष मूल्य के चित्र का प्रतिवादी से दिलाया जाना। ऐसे दावे दफा ११ कानून दादरशी खास के अनुसार दायर किये जा सकते हैं और यदि माल या वस्तु किसी विशेष मूल्य का हो तो हुक्म इन्तनाई भी निकलवाया जा सकता है।

मियाद—इन दावों में मियाद तीन साल की होती है। देखो आर्टिकल ४८ व ५६ कानून मियाद।

(१) अनुचित रूप से माल रोकने पर

(चिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०.....को इस अर्चीदावे के साथ दी हुई सूची की चीजों का वादी मालिक था (या वह चटनाएँ लिखनी चाहिये जिनसे अधिकार का हक प्रकट हो) और इन सब चीजों की मालियत लगभगरूपया थी।

२—उस तारीख से नालिश करने के दिन तक प्रतिवादी ने वह माल वादी को नहीं दिया।

३—इस नालिश के दायर करने से पहिले अर्थात् ता०.....को वादी ने अपना माल प्रतिवादी से माँगा लेकिन उसने देने से इनकार किया।

४—बिनाय दावी—

५—दावे की मालियत—

६—वादी प्रार्थी है कि—

(अ) उसको माल पर कब्जा दिलाया जावे और अगर माल पर कब्जा न दिलाया जा सके तो वादी को रुपये दिलाये जावें ।

(व) माल के रोक रखने का.....रुपया हर्जाना दिलाया जावे । (यहाँ माल की सूची देनी चाहिये)

* [२] माल की वापसी या उसके मूल्य के लिये ।

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—मुद्दायलह के यहाँ दिसम्बर सन् १९—में लड़के की शादी थी । उसने महफिल सजाने के लिये नीचे लिखा हुआ सामान मुद्दई के यहाँ से मगनी लिया ।

(सामान की तफसील)

२—शादी हो जाने के बाद उस सामान के साथ मुद्दायलह ने एक कालीन कीमती १८०) रुपया और दो दड़ी के फर्श कीमती करीब २००) रुपया वापिस नहीं किये ।

३—मुद्दई ने बार बार मुद्दायलह से कालीन और फर्शों को वापिस करने को कहा और ता०.... को एक रजिस्ट्री किया हुआ नोटिस भी दिया लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और यह इन्कार करने के बराबर है ।

४—बिनाय दावा ता०.....को वापिस सामान न करने के दिन से स्थान में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई ।

५—दावे की मालियत :—

६—मुद्दई प्रार्थी है कि मुद्दायलह को हुक्म हो कि वह कालीन और दोनों फर्श मुद्दई के हवाले करे नहीं तो उनकी कीमत ३८०) रुपया मुद्दायलह से मुद्दई को दिलाया जावे ।

† [३] माल बरबाद करने की धमकी देने पर वापिसी

माल और हुक्म इमतनाई के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

* नोट—यह नमूना शिब्बूल १ परिशिष्ट (अ) का नमूना नम्बर २३ है ।

† नोट—यह शिब्बूल १ परिशिष्ट (अ) जाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर ३६ है ।

१ - मुद्दई अपने दादा के एक नामी चित्रकार से बने हुये चित्र का मालिक है और उन सब चीजों का जिनका नीचे बयान आया है मालिक था और उस तस्वीर की कोई नक़ल मौजूद नहीं है । (या कोई और ऐसी विशेषता लिखनी चाहिये कि वह वस्तु बहुत रुपया खर्च करने पर भी नहीं मिल सकती) ।

२-ता० के वादी उसके सुरक्षित रखने के लिये प्रतिवादी के पास रख आया था ।

३-ता० के वादी ने वह तस्वीर प्रतिवादी से माँगी और उसके रखने के खर्चों को देने के लिये कहा ।

४-प्रतिवादी ने उसके वापिस करने से इन्कार किया और धमकी देता है कि यदि उससे ऐसा कहा जावेगा तो वह उसे छिपा देगा, बेच डालेगा या और किसी तरह से नुकसान पहुँचावेगा ।

५-अगर कोई मुआवज़े का रुपया दिलाया जावे तो वह वादी की तस्वीर त्रिगाढ़ देने का उचित मुआवज़ा न होगा ।

६-बिनाय दावी :—

७-दावे की मालियत :—

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) हुक्म इम्तनाई से प्रतिवादी तस्वीर को बेचने या छिपाने या नुकसान पहुँचाने से रोक दिया जावे ।

(ब) प्रतिवादी से वह चित्र वादी को वापिस दिलाई जावे ।

[४] माऊ की वापसी और हुक्म इम्तनाई के लिये

१-मुद्दई के पिता इमासुद्दीन शायर थे और उन्होंने एक नजम की किताब अपनी ज़िन्दगी में बनाई थी जिसको वह छुपवाना चाहते थे ।

२-किताब का मसौदा बिलकुल पूरा हो गया था लेकिन उसके प्रकाशित कराने से पहिले ही पिछले अगस्त में उनका देहान्त हो गया ।

३-मुद्दायलह इसरार प्रेस, कानपुर नामक छापेखाने का मालिक है और उसके यहाँ किताबों की छपाई का काम होता है ।

४-ता०.....के मुद्दई ने किताब का मसौदा मुद्दायलह के दिखलाया और उससे प्रार्थना की कि वह उचित शर्तों पर उसके प्रकाशित करदे ।

५-मुद्दायलह ने वह मसौदा मुद्दई से ले लिया और यह वायदा किया कि मजमून देख लेने के बाद उसकी शर्तों को निश्चित करेगा । बहुत दिन हो जाने परभी मुद्दायलह, न तो किताब प्रकाशित करने की शर्त निश्चित करता है और न मुद्दई को मसौदा वापिस देता है और उसके बार बार कहने पर उसके फाड़ डालने की धमकी देता है ।

६-मसौदे में जो नजम है उनका बनना अब असम्भव है और उनके फाड़ देने पर उनका रुपया में मुआवज़ा नहीं हो सकता ।

१६—साम्ना या शराकत

साम्ना वह सम्बन्ध है जो उन मनुष्यों के मध्य में होता है जिन्होंने अपनी सम्पत्ति, परिश्रम, अथवा विद्या किसी कार्य में लगाने, जिसको वे सब मिलकर करते हों या उनमें से कोई व्यक्ति उन सब की ओर से करता हो, और जिसका लाभ (मुनाफा) उन्होंने परस्पर बाँटने की प्रतिज्ञा की हो। (देखो धारा २३६ प्रतिज्ञा-विधान)

साम्ने की बाबत नालिशों प्रायः दो प्रकार की होती हैं, पहली तो साम्ना तोड़ने और हिसाब समझने की, दूसरी सिर्फ हिसाब के लिये। दूसरी प्रकार की नालिशें तभी होती हैं जब कि साम्ने का कारबार बन्द हो चुका हो या किसी साम्नेदार के मरजाने के कारण साम्नेदारी खतम हो चुकी हो। साधारण रूप से साम्नेदारी का कार्य होते हुए में हिसाब समझाने की नालिश नहीं हो सकती और न एक साम्नेदार दूसरे साम्नेदार पर किसी निश्चित रुपये या रकम का जिसका साम्ने से सम्बन्ध हो दावा कर सकता है। वह अपने हिस्से का मुनाफा भी तभी माँग सकता है जब कि साम्नेदारी स्थित होते समय ऐसी शर्त नियत की गयी हो। साम्नेदारों के परस्पर स्वत्व और उत्तरदायित्व उन प्रतिज्ञाओं पर निर्भर होते हैं जो उनमें आपस में ठहरती हैं। ऐसी प्रतिज्ञा बहुधा प्रकट रहती हैं परन्तु कुछ कारबार के प्रकृति के ऊपर भी निर्भर होती हैं। उन प्रतिज्ञाओं का परिवर्तन अथवा संशोधन कूल साम्नेदारों की सहमति से ही हो सकता है। जहाँ ऐसी प्रतिज्ञाये प्रगट न की गयी हो तब साम्नेदारों के स्वत्व और उत्तर दायित्व का निपटारा एक्ट ६ सन् १९३२ ई० की विविध धाराओं के अनुसार होता है।^१

शराकत के दावे मुआहिदा के अनुसार होते हैं और यदि कोई ऐसा मुआहिदा न हो तो कानून मुआहिदा के अनुसार साम्ना तोड़ने के लिये दफा २१४ में दी हुई किसी विनाय पर दावा किया जा सकता है। वह विनाय अर्थात् दावे में शराकती शर्तों के साथ स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये। इसके साथ हिसाब भी माँगा जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो रिसीवर नियत करने की प्रार्थना भी की जा सकती है। यदि हिसाब माँगा जाय तो साम्नेदारों के हिस्से और वह शर्तें, जिनसे विनाय दावा पैदा हुई हो, लिखनी चाहियें।

अदालत का कर्तव्य है कि वह साम्ना तोड़ने और पक्षों के मध्य में हिसाब तय होने के लिये स्वयं डिफ्री में हुक्म दे और इसके लिये अर्थात् दावे में यह लिखना कि प्रत्येक प्रतिवादी से कितना रुपया वसूल होना चाहिये जरूरी नहीं है। यदि दावे से पहिले ही शराकत फिस्क होना करार देना हो तो उसकी

तारीख और वह क्यों कर फिस्क हुई यह भी लिखना चाहिये। शराकत का हिसाब कौन रखता था और किस के पास बहीखाते इत्यादि हैं यह सब प्रश्न प्रारम्भिक डिग्री में तय किये जाते हैं।

यदि वादी किसी विशेष हिस्सेदार को मैनेजर होने के कारण या अन्य किसी कारण से हिसाब समझाने या किसी कागज या वस्तु का देनदार ठहरावे तो वे सब बातें अर्जीदावे में लिखनी चाहिये जिनकी वजह से ऐसी प्रार्थना की गयी हो। जहाँ पर बहुत से सामेदार होते हैं वहाँ पर सामे का काम बहुधा एक या दो सामेदार ही देखते भालते हैं। वही हिसाब और सामे की तहवील रखते हैं; इसलिये उन्हीं से हिसाब समझाने की प्रार्थना होनी चाहिये।

कानून मुआहदा की धारा २५४ में वह सब कारण लिखे हुए हैं जिनके वजह से सामा तोड़ने का दावा किया जा सकता है और रिखीवर नियत हो सकता है। यदि सामे की सम्मिलित सम्पत्ति की देखभाल आवश्यक न हो और सामे का रूपया वसूल करना न हो तब रिखीवर नियत कराना व्यर्थ होता है। इन दावों में प्रथम या इन्तदाई डिगरी के बाद प्रायः हिसाब लिया जाता है^१ डिगरी हो जाने पर सामेदारी नालिश दायर होने की तारीख से फिस्क या तोड़ी हुई मानी जाती है^२ और सामा टूटने से पहले एक सामेदार दूसरे सामेदार से हिसाब नहीं माँग सकता^३ जब तक कि सामेदारी क्रयम होने के समय ऐसा इकरार न हुआ हो।

मियाद—सामे का अन्त हो जाने पर मुनाफे या हिसाब की नालिश आर्टिकल १०६ कानून मियाद के अनुसार ३ साल के अन्दर होनी चाहिये परन्तु सामा तोड़ने या सालाना मुनाफा माँगने के लिये दावा आर्टिकल १२० के अनुसार ६ वर्ष के अन्दर किया जा सकता है।

कोर्ट फीस—हिसाब समझने के दावे में वादी अपने हिसाब से लगभग दावे की मालियत नियत कर सकता है। यदि हिसाब से उसका रूपया अधिक निकले तब उसको डिगरी बनने से पहले शेष अधिक रूपये पर कोर्ट फीस देनी होती है।

(१) सामा तोड़ने और हिसाब समझाने के लिये दावा

१—वादी और प्रतिवादी.....साल (या महीने) से आपस में कुछ लिखी हुई प्रतिज्ञाओं के अनुसार सामे में कारबार करते थे (या लिखे हुये दस्तावेज के अनुसार या दोनों के जबानी इकरार से, जैसा हो वैसा लिखना चाहिये)।

1 I L R 20 Mad 313

2 A I R 1927 P C 70.

3 I L R 9 All 120

२—साम्ने के समय में कुछ भगड़े और लड़ाई वादी और प्रतिवादी में पैदा हुईं जिनकी वजह से उस कारवार को ऐसी दशा में रखना कि दोनों पक्षों का लाभ हो असम्भव है ।

(या प्रतिवादी ने साम्ने की शर्तों का उल्लङ्घन किया जोकि नीचे दी गई है) ।

(२) साक्षा तोड़ने और हिसाब समझाने के बिये दावा

(खिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—फरीकैन अनाज की क्रयविक्रय की एक दूकान साम्ने में बाजार खलीफा मडी इलाहाबाद में मई सन् १९... ई० से जारी हुई और अब तक जारी है ।

२ - मुद्दई का हिस्सा साम्ने के कारवार में ६ आने का, और मुद्दायलह १ व २ में से हर एक का हिस्सा ५ आने का, इस तरह कुल १६ आने का था और हर एक हिस्सेदार ने अपने अपने हिस्से के अनुसार रुपया लगाया और अपने अपने हिस्से के लाभ और हानि के लेने देने का इक्कार किया ।

३ - फरीकैन में आपस में यह शर्त ठहरी थी कि मुद्दायलह नं० १ साम्ने की दुकान पर खरीद फरोख्त का काम करेगा और मुद्दायलह नं० २ उसका हिसाब किताब रक्खेगा और उसके कब्जे में दूकान का सामान रहेगा और मुद्दई बाहर जाकर माल खरीद कर लावेगा ।

४—मुद्दई अपना काम साक्षा शुरू होने से ही बड़ी कोशिश और मेहनत से करता रहा और दोनों मुद्दायलहम अपने ज़िम्मे का काम ईमानदारी और मेहनत के साथ नहीं करते ।

५—मुद्दायलह नं० १ अधिकतर अपने निजी काम में लगा रहता है जिससे साम्ने के काम का बहुत हरजा और नुक़सान होता है और मुद्दायलह नं० २ साम्ने का ठीक हिसाब नहीं रखता और उसने हिसाब का लगभग २०००) रुपया अनुचित रूप से अपने काम में लगा लिया है ।

६—ऐसी हालत में साम्ने का कारवार लाभ सहित नहीं चल सकता ।

७—मुद्दई ने मुद्दायलह से साक्षा तोड़ने और हिसाब समझाने को कहा लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं देते इसलिये विवश होकर यह नालिश करनी पड़ी ।

८ - विनायवादी ता०... को हिसाब देने और साक्षा तोड़ने से इन्कार के आखिरी दिन से स्थान इलाहाबाद में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई ।

९—दावे की मालियत अदालत व कोर्ट फीस के लिये १०००) रुपये हैं ।
मुद्दई प्रार्थी है कि :—

- (क) फरीकैन का साभा तोड़ दिया जावे
(ख) सामे के कारबार का हिसाब लिया जावे ।
(ग) एक रिसीवर नियत किया जावे ।

(३) साभा तोड़ने व हिसाब के किये दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :-

१—फरीकैन और उनके पूर्वजों ने काटन प्रेस का एक कारखाना सन् १६— ई० से सामे में स्थान हाथरस में जारी किया और उसका नाम पूरनमल श्यामलाल काटन प्रेस रक्खा ।

२ सामे की कुल शर्तें ता०.....के लिये हुये इक्कारनामे में दर्ज हैं जो फरीकैन और उनके पुरुखों ने अपने अपने हिस्सों के विचरण के साथ लिख कर रजिस्ट्री करा दिया था ।

३ - ता०.....के इक्कारनामा लिखने वालों में से कई आदमियों का देहान्त हो गया और उनके उत्तराधिकारी उनकी जगह पर कारखाने में सामी हुये । अभी तक मुकदमें के फरीकैन सामे के कारखाने में हिस्सेदार हैं और उनके हिस्से इस भाँति है :-

हिस्सा मुद्दई— $\frac{1}{4}$

हिस्सा मुद्दायलह नं० १— $\frac{1}{4}$

हिस्सा मुद्दायलह नं० २— $\frac{1}{4}$ हिस्सा मुद्दायलह नं० ३, ४, ५ व ६— $\frac{1}{4}$

हिस्सा मुद्दायलह नं० ७— $\frac{1}{4}$ ।

४—इस कारखाने का मैनेजर व कारकुन ता०.....के लिखे हुए इक्कारनामे से मुद्दायलह नं० १ का पिता जमनादास नियत किया गया था और उसके देहान्त के बाद ६ साल से मुद्दायलह नं० १ है ।

५—मुद्दायलह नं० १ सामे के कारबार का ठीक प्रबन्ध नहीं करता और न हिस्सेदारों के इक्कारनामे के अनुसार हिसाब समझता है और न मुनाफा अदा करता है (यहाँ पर और भी कोई शिकायत हो तो लिखनी चाहिये जैसे.....) ।

६—मुद्दायलह नं० १ ने मुद्दायलह नं० ३ से ६ तक के सामे में एक दूसरा कारखाना खोल लिया है और अधिकतर वह गॉठ बघाई का काम उसी कारखाने में करते हैं और फरीकैन के सामे के कारखाने को नुकसान पहुँचाता है । मुद्दई को ४ साल के कोई उसके हिस्से का लाभ नहीं मिला ।

७ - मुद्दई अब कारखाने में साभा नहीं रखना चाहता ।

८—मुद्दायलहम से साभा तोड़ने और हिसाब समझाने को कहा गया और रजिस्ट्री नोटिस भी दिया गया लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया ।

६—विनायदावी (नोटिस देने के दिन से) ।

१०—दावे की मालियत —

११—मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(क) कारखाना पूरनलाल श्यामलाल हाथरस का साभा तोड़ दिया जावे ।

(ख) मुद्दायलह न० १ को हुकम हो कि वह साभे के कारखाने का हिसाब मुद्दई को समझा देवे ।

(ग) रिसीवर नियत किया जावे और ऋण वसूल व अदा किया जावे और अन्य प्रबन्ध किया जावे ।

(घ) हिसाब से जो कुछ मुद्दई का निकले वह मुद्दई को दिलाया जावे ।

(४) साभा स्वतम करार देने और हिसाब के लिये दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—ता०.....के रजिस्ट्री किये हुए इकरारनामे के अनुसार फरीकैन और उनके पुस्तकों ने एक कारखाना काटन प्रेस कानपुर में जारी किया जिसका नाम कानपुर काटन वर्क्स रक्खा ।

२—लाला महावीर प्रसाद उस कारखाने के मैनेजर नियत हुये और कारखाने में हिस्सेदार भी थे । ग्रामदनी और खर्च का सब हिसाब किताब इकरारनामे की शर्तों के अनुसार उन्हीं के पास रहा करता था और उन्हीं की मारफत हिस्सेदारों को बटवारा हुआ करता था ।

३—उस इकरारनामे में यह शर्त है कि ग्रामदनी और खर्च का हिसाब सालाना हुआ करेगा और हिस्सेदारों के मंजूर किये हुये खर्चों को काट कर बचा हुआ रुपया हिस्सेदारों में उनके हिस्सों के अनुसार बाँट दिया जाया करेगा ।

४—असली कुल हिस्सेदारों का देहान्त हो गया और कुछ हिस्सेदारों के हिस्से छिन गये अब उक्त कारखाने में हिस्सेदार और उनके हिस्से इस भाँति हैं—

मुद्दई = ॥ ; मुद्दायलह न० १—॥ आना , मुद्दायलह नं० २ से ५ तक ॥॥ ; मुद्दायलह नं० ६ से ९ तक ॥॥ ; मुद्दायलह नं० १०, ११ । ॥॥ ; मुद्दायलह नं० १२ ॥॥ कुल जोड़ १६ आना ।

५—ता०.....को लाला महावीर प्रसाद मैनेजर अदालत जजी कानपुर से देवा-लिया करार दे दिये गये और कानूनन साभा टूट गया और कोई अन्य व्यक्ति कारखाने का मैनेजर नियत नहीं हुआ ।

६—ता०.....को उक्त मैनेजर का हिस्सा उनके रिसीवरों के द्वारा नीलाम हो गया और उसको मुद्दायलह नं० १ ने खरीद लिया है और वह कुल कारखाने पर बेजा कब्जा करके अपने आप को मैनेजर बतलाता है ।

७ - वास्तव में अब कोई साम्ना स्थिति नहीं है और न मुदायलह नं० १ मैनेजर है ।
८—कारखाना और हिसाब किताब के कुल कागज़ मुदायलह नं० १ के कब्जे में हैं और उसने कारखाने का बहुत सा सामान अपने निजी काम में लगा लिया है ।

९—मुदायलह नं० १ से हिसाब तय करने और कारखाने का बटवारा करने के लिये बारबार कहा गया लेकिन वह राजी नहीं होता ।

१०—बिनायदावी (मुदायलह नं० १ के अनुचित अधिकार करने के दिन से) ।

११—दावे की मालियत—

१२—मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(अ) उक्त कारखाने में फरीकैन का साम्ना खतम करार दिया जावे ।

(ब) सामे का कुल हिसाब किताब समझाया जावे और कारखाने को जो ऋण देना लेना हो वह अदा व वसूल किया जावे । कुल खर्चा व देन लेन के बाद जो नकद रुपया और सामे का सामान हो वह हिस्सेदारों में उनके हिस्सों के अनुसार बाँट दिया जावे ।

(क) रिसीवर नियत किया जावे ।

(५) तोड़े हुये सामे का हिसाब समझाने के लिये दावा

(खिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—यह कि मुदायलह और मुद्दई के चचेरे भाई कड़हरमल की आदत की दूकान और टाल मुद्दसान दरवाज़ा शहर हाथरस में जारी थी ।

२—यह कि दूकान और टाल में कड़हरमल और मुदायलह आवे आवे के हिस्सेदार थे ।

३—यह कि कड़हरमल ता०.....को मर गया और उसके मर जाने की वजह से साम्ना टूट गया ।

४—यह कि सामे की दूकान का कुल हिसाब किताब और रोकड़ बाकी मुदायलह के कब्जे में है ।

५—मुद्दई कड़हरमल का उत्तराधिकारी है और उसने कई बार मुदायलह से प्रार्थना की कि जो कुछ हिसाब कर के कड़हरमल का निकलता हो वह मुद्दई के हवाले करे लेकिन मुदायलह ने इस पर ध्यान नहीं दिया ।

६ - बिनायदावी (मुदायलह के इन्कार करने के दिन से) ।

७—इस समय दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस के लिये १२०० रुपया रखी जाती है अगर हिस व से इससे ज्यादा रुपया निकलेगा तो उस पर मुद्दई अलहदा कोर्ट फीस अदा करेगा ।

मुद्दई प्रार्थी है कि सामे की दुकान और टाल का हिसाब मुद्दायलह से लिया जावे और कुल लेन देन का हिसाब वेवाक का के नकद रुपया और स्टोक व बारदाना इत्यादि में से, जो कुछ हिस्सा कड़हरमल का करार दिया जावे वह मुद्दायलह से मुद्दई को दिलाया जावे और इसके लिये यदि रिसीवर नियत करना जरूरी समझा जावे तो उसके लिये हुकम दिया जावे ।

*** (६) मुनाफे के लिये एक हिस्सेदार का मैनेजर पर दावा**

१—मुद्दई काटन जिनिङ्ग के कारखाने में जिसका नाम रामलाल प्यारेलाल है एक चौथाई का हिस्सेदार है ।

२—मुद्दायलह उस कारखाने का कुल हिस्सेदारों की तरफ से मैनेजर व कारकुन नियत हुआ है और उसका यह कर्तव्य है कि वह हर साल की पहिली अगस्त को मुनाफा हिस्सेदारों में बाँट देवे और उस का हिसाब उनके पास भेज देवे ।

३—मुद्दाअलेह ने सन्.....से.....तक लाभ का हिसाब मुद्दई के पास भेजा लेकिन मुनाफे का रुपया बार बार माँगने पर भी नहीं भेजा ।

(देखो नोट नं० १ व ३,)

४—ऊपर लिखे इकरारनामे में यह शर्त है कि पहिली अगस्त के बाद लाभ देने की दशा में मैनेजर लाभ के रुपयों पर आठ आना सैकड़ा माहवारी के हिसाब से सूद का देनदार होगा । मुद्दई इस लिये सूद लेने का हकदार है ।

(देखो नोट नं० २,)

५—हिसाब से मुद्दई का.....रुपया मुद्दायलह के ऊपर निकलता है ।

* नोट नं १- अगर मुद्दायलह ने लाभ का हिसाब न भेजा हो तो फिकरा नं० ३ में यह भी लिखना चाहिये । लेकिन इस हालत में लाभ की रकम ठीक ठीक मालूम नहीं हो सकती ।

नोट नं २—अगर सूद की दर इकरारनामे में न दी गई हो तो सूद बतौर हरजा भी वसूल किया जा सकता है और ऐसाही फिकरा नं० ४ में लिखना चाहिये ।

नोट नं० ३—अगर मुद्दायलह की जिम्मेदारी बजाय इकरारनामे के और किसी तरह पर नियत हुई हो या कारखाने का दस्तूर हो तो यह भी फिकरा नं० ३ में लिखा जा सकता है ।

२०—मालिक व किरायेदार

मालिक और किरायेदार के सम्बन्ध की बाबत कई प्रकार की नालिशों हो सकती हैं। ऐसी नालिशों साधारण प्रकार से मालिक की ओर से किरायेदार के ऊपर बकाया किराया और बेदखली को होती हैं।

बेदखली की नालिश में यह आवश्यक है कि किरायेदारी नालिश दायर करने से पहिले खतम हो चुकी हो वरना मालिक को दखल पाने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता।

किरायेदारी का अन्त कई प्रकार से हो सकता है। प्रथम यह कि मालिक किरायेदार को पन्द्रह दिन का (जहाँ पर माहवारी किरायेदारी हो) या ६ महीने का (जहाँ पर सालाना किरायेदारी हो) दफा १०६ कानून इन्तकाल जायदाद के अनुसार नोटिस दे देवे और किरायेदारी खतम कर देवे। ऐसे नोटिस देने में यह ध्यान रखना चाहिये कि नोटिस की मियाद किरायेदारी को अन्तिम तिथि पर खतम होनी चाहिये।

यदि किरायेदारी किसी नियत अवधि के लिये हो और किरायेनामों में नोटिस देने की शर्त न हो तब उस अवधि के पूरा हो जाने पर नोटिस देना आवश्यक नहीं होता और किरायेदारी अन्त हो जाती है।

तीसरी किरायेदारी खतम करने की विधि यह होती है कि किरायेदार की मालिक की मिल्कियत से इन्कार करने पर या किसी तीसरे मनुष्य को उसका मालिक कहने पर, मालिक नोटिस देकर किरायेदारी का अन्त कर सकता है। और भी दशाओं में जो दफा १११ कानून इन्तकाल जायदाद में दी हुई है किरायेदारी खतम की जा सकती है।

बेदखली के दावों में जिस बिनाय पर बेदखल करना हो वह दिखानी चाहिये। यदि नोटिस के बिनाय पर हो तो ध्यान रहे कि नोटिस, तहरीरी और नोटिस देने वाले का दस्तखती होना चाहिये और कम से कम १५ दिन (मकान इत्यादि के लिये) या ६ महीने का (खेत, जमीन वगैरह के लिये) होवे। यदि नियत समय के पूरा हो जाने पर बेदखली का दावा हो तो नोटिस देने की जरूरत नहीं होती।

किराये के दावों में किराये देने का इत्कार और बकाया का रुपया साफ तौर पर दिखाना चाहिये। यदि किराया नामा किसी नियत समय के लिये था तो मुद्दायलह का कब्जा दिखाना जरूरी नहीं है लेकिन अगर किरायेनामा नियत समय के लिये न हो तो यह दिखाना कि उस समय में जिसके लिये दावा किया जाता है मुद्दायलह जायदाद पर कब्जा रहा, जरूरी होता है। किरायेनामों के बिनाय पर दावे में मुद्दायलह, मुद्दई के मालिक होने से इन्कार नहीं

कर सकता इसलिये अर्जो दावे में मुद्दे का मालिक होना लिखना आवश्यक नहीं है। दावा करने की तारीख पर जो कुछ बकाया हो वह सब दावे में शामिल कर लेना चाहिये नहीं तो उसके लिये आर्डर २ क्रायदा २ ज.प्रा दीवानी के अनुसार दूसरा दावा नहीं किया जा सकता।

किरायेदार की तरफ से मालिक के विरुद्ध नालिशें कम होती हैं कभी कभी किरायेदारी का सम्बन्ध नियत हो जाने पर भी मालिक किरायेदार को कब्जा नहीं देता या कोई मरम्मत या तामीर जिसका फरीकैन में इस्तरार हुआ हो नहीं कराता। ऐसी सुरतों में किरायेदार की ओर से नालिश की जा सकती है।

मियाद—किरायेदारी, खबानी, पट्टा, सरखत या बिना रजिस्ट्री किये हुये किराये नामे से जहाँ उत्पन्न हो वहाँ पर आर्टिकल ११० कानून मियाद के अनुसार ३ साल की मियाद होती है। यदि किरायेनामा रजिस्ट्री किया हुआ हो तो मियाद ६ साल की होती है (आर्टिकल ११६) बेदखली का दावा १२ साल के अन्दर दायर किया जा सकता है (आर्टिकल १३९ कानून मियाद)

कोर्ट फीस—बेदखली के लिये किरायेदार के विरुद्ध सिर्फ एक साल के किराये पर कोर्ट फीस लिया जाता है।

नोट :—पिछले महायुद्ध की वजह से प्रायः सभी बड़े शहरों में मकानों की कमी के कारण किरायेदारों की रक्षा के लिये मध्यवर्ती सरकार की ओर से आर्डिनेन्स पास किये गये थे। और इसी अभिप्रायः से महायुद्ध अन्त हो जाने पर भी भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न कानून पास किये गये हैं। संयुक्त प्रान्त में एक्ट नं० ३ सन् १९४७^१ ३० सितम्बर १९४८ तक प्रवर्तित है इस कानून की अवधि हाल ही में १९५० तक बढ़ा दी गई है। इसलिये इस अवधि तक मालिक और किरायेदार के दावों में इस प्रान्त में थे अन्य प्रान्तों में जहाँ ऐसे ही दूसरे विधान लागू हों, नालिश करने से पहले उनको देख लेना चाहिये।

* (१) मालिक की पेड़ काटने से रोकने के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

- १—वादी (यहाँ सम्पत्ति का वर्णन करना चाहिये) का मालिक है।
- २—प्रतिवादी उस पर वादी के दिये हुये पट्टे के अनुसार अधिकृत है।
- ३—प्रतिवादी ने वादी की बिना सहमति कई कीमती पेड़ काट डाले हैं और वेचने के लिये कई और पेड़ काट डालने को कहा है।

(फिकरा नं० ४-५ नमूना नं० १ यहाँ पर लिखना चाहिये)

1. The United Provinces Temporary Control of Rent and Eviction Act, 1947

अबह शिड्यूल १ परिशिष्ट (अ) जान्ता दीवानी का नमूना नम्बर १६ है। इस्तेमाल और दखल के वाकत नमूने पद ६ में दिये जा चुके हैं।

६—वादी प्राकी है कि प्रतिवादी उस ज़मीन में कोई और पेड़ काटने या और किसी से पेड़ कटवाने से, अदालती हुकम से रोक दिया जावे । (यहाँ पर नक़द मुआवज़ा दिलाने की प्रार्थना भी की जा सकती है) ।

(२) मासिक की पट्टे व क़बूलियत के ऊपर नाज़िश

१—ता०.....के रजिस्ट्री किये हुये पट्टे से मुद्दई ने एक मज़िल पकी दूकान जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी हुई है स्थित बाजार शहर.....मुद्दायलह को ७ साल के लिये किराये पर दी ।

२—मुद्दायलह ने उसी तारीख़ को किरायेदारी की निस्वत क़बूलियत लिखदी और रजिस्ट्री करा दी और उसमें हर महीने की अन्तिम तारीख़ को २५) रुपया मासिक के हिसाब से किराया देना इक़रार किया ।

३—मुद्दायलह दूकान पर किरायेदार की हेसियत से क़ाबिज़ है और उसके ऊपर किराया इस भाँति बाकी है—

ता०.....से लेकर ता०.... तक, कुल.....महीने का २५) रुपया मासिक की दर से.....रुपया ।

४—क़बूलियत में लिखी हुई शर्त के अनुसार मुद्दायलह बाक़ी रुपये पर १२ आना सैकड़ा माहवारी के हिसाब से छद्द पाने का हक़दार है ।

(३) मासिक के वारिस की तरफ़ से किराये की नाज़िश

(सिरनामा)

मुद्दैया निम्नलिखित निवेदन करती है: —

१—क़स्बा जटारी परगना टप्पल में मुद्दैया की एक मज़िल पकी और कच्ची दूकान (जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी हुई है) स्थित है और भण्डावाली के नाम से मशहूर है ।

२—यह दूकान मुद्दैया के पति तेजराम ने खरीदी और बनवाई थी और उसका सामने का थोड़ा सा हिस्सा मुद्दैया ने कुछ दिनों से पका बनवा लिया है ।

३—इस दूकान पर कई किराये दार मुद्दैया के पति की तरफ़ से बैठते और किराया अदा करते रहे ।

४—ता० ई० से मुद्दायलह उस दूकान पर १०) रुपया माहवारी के हिसाब से मुद्दैया के पति की तरफ़ से किरायेदार था और समय समय पर मुद्दैया के पति को किराया अदा करता रहा । ता० को मुद्दायलह ने किराये में ५०) रुपया मुद्दैया को अदा किये और आगे के लिये ता०.....से किराया—बजाय १०) रुपये के ८) रुपया माहवार—मुद्दैया से मंज़ूर करा लिया ।

५—मुदायलह के ऊपर हिसाब से.....रुपया किराये की बात बका है।

६—बिनायदावी हर माह की ता० २२ को किराया वाजिब होने के दिन से पैदा हुई। मुद्दैया वतौर हरजा बकाया रुपये पर एक रुपया सैकड़ा मासिक के हिसाब से सूद पाने की हकदार है।

७—मुद्दैया प्रार्थी है कि बकाया किराया व सूद का.....रुपया मय खर्चा नालिश व सूद दौरान, त्र आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक उसको मुदायलह की जात व जायदाद से दिलाया जावे।

(४) अवधि समाप्त होने पर मालिक की दखल और किराये के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ने एक मज़िल कच्चा नौहरा स्थित मौज़ापरगना..... प्रतिवादी को ता०.....की रजिस्ट्री युक्त कबूलियत से ३ साल के लिए (१५) मासिक किराये पर दिया और किराया हर मास देना ठहरा।

२—यह ३ साल ता०.....को खतम हो गईं।

३—प्रतिवादी के ऊपर ६ महीने का किराया ता०.....से ता०..... तक बका है।

४—वादी जायदाद पर दखल और बकाया किराया पाने का अधिकारी है और उसको किरायेदारी समाप्त होने के दिन से दखल मिलने के दिन तक हरजाना दिलाया जावे।

६—दावे के कारण—

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) उसको दखल दिलाया जावे।

(ब) ६० रुपया शेष किराया दिलाया जावे।

(क) दखल मिलने तक का हरजाना दिलाया जावे।

(५) को टम देने के बाद कि १५ व दखल की नालिश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—मुद्दई की एक दो खनी दूकान जो कि सञ्जी मंडी शहर कोल में स्थित है ता०..... से २२) रुपया मासिक किराये पर मुद्दायलह के पास है।

२—मुद्दायलह ने एक किरायेनामा ता०.....को मुद्दई के नाम लिख दिया था जो पेश किया जाता है।

३—मुद्दायलह के ऊपर ४ महीने का किराया ४८) रुपया शेष है। मुद्दई को, मुद्दायलह को किरायेदार रखना मंजूर नहीं है और उसने मुद्दायलह को एक नोटिस भी दे दिया है।

४—मुद्दायलह नोटिस देने पर भी दूकान खाली नहीं करता और न किराया अदा करता है। मुद्दई दूकान पर दखल और किराये का रुपया पाने का हकदार है।

५—विनायदावी, दखल के बावत नोटिस की अवधि समाप्त होने के दिन से और किरायेदारी खतम होने के दिन से पैदा हुई, और किराये की बावत हर महीने की ११ तारीख से स्थान कोल में पैदा हुई।

६—दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फ्रीस के लिये वार्षिक किराया १४४) रुपया और बकाया ४८) रुपया कुल १९२) रुपया है।

७—मुद्दई प्रार्थी है :—

(अ) कि उसको ऊपर लिखी दूकान जिसकी चौहद्दी नीचे दर्ज है, पर दखल दिलाया जावे।

(ब) ४८) रुपया बकाया किराया मय खर्च नालिश व सूद दिलाया जावे।

(६) मुतहिन या राहिन किरायेदार के ऊपर, जायदाद के दखल के लिये दावा

(सिरनामा)

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता० २५ अक्टूबर सन् १९—ई० के लिखे हुये दखली रहननामे से मुद्दायलह ने एक मजिल पक्की दूकान स्थित किनारी बाजार आगरा जिसके चारों चौहद्दी नीचे लिखी हुई है मुद्दई के पास दखली रहन की और उसी तारीख को किराया नामा लिख कर मुद्दायलह ने यह दूकान मुद्दई से किराये पर ले ली और उसमें मुद्दई की मर्जी के अनुसार माह अमाह किरायेदार की हैसियत से काबिज रहा।

२—मुद्दायलह की किरायेदारी ता०..... के नोटिस से २५ नवम्बर सन् १९—ई० को समाप्त हो गई।

३—मुद्दई उस दूकान पर दखल पाने का हकदार है।

४—विनायदावी (ता० २५ नवम्बर सन् १९— ई० करायेदारी खतम होने के दिन से) ।

५—दावे की मालियत (एक साल का किराया) ।

६—मुद्दई प्रार्थी है कि उसको ऊपर लिखी दूकान पर मुदायलह को बेदखल कराकर दखल दिलाया जावे ।

(७) मालिक की दखल व किराये के लिये नालिश

१—ता०.....के लिखे हुये किरायेनामे से प्रतिवादी ने मकान नम्बरी ५४ खुशहाल पर्वत इलाहाबाद वादी से २५) रुपया मासिक किराये पर ३ साल के लिये ता०.....से लिया और उसमें रहने लगा ।

२—किरायेनामे में यह शर्त है कि प्रतिवादी मासिक किराया हर महीने की पहली तारीख को अदा करता रहेगा और किसी महीने का किराया बाकी रहने पर वादी को, प्रतिवादी को बेदखल करने का अधिकार होगा ।

३—प्रतिवादी अभी तक मकान में किरायेदार की तरह रह रहा है उसने ता०..... तक का किराया अदा किया और ता०.....तक का किराया बाकी है जो प्रति वादी अदा नहीं करता ।

४—वादी मकान पर दखल पाने का और बकाया किराया और हरजा पाने का हकदार है । वादी ने प्रतिवादी को किरायेदारी खतम करने का नोटिस दे दिया है ।

(८) मिलकायत इन्कार करने पर दखल की नालिश

१—प्रतिवादी नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी और वादी के पूर्वजों की तरफ से किरायेदार है और इसी हैसियत से उस पर काबिज़ है ।

२—ता०....ई० तक इस जायदाद का किराया १२५) रुपया वार्षिक प्रतिवादी वादी को अदा करता रहा ।

३—उसके बाद से प्रतिवादी ने वादी को किराया देना बन्द कर दिया और अब वादी को उस जायदाद का मालिक होने से इन्कार करता है और अपने आपको मालिक बतलाता है ।

४—वादी इस जायदाद पर दखल पाने का दावेदार है और प्रतिवादी को किरायेदारी खतम करने और जायदाद खाली कराने की नीयत से कानूनी नोटिस दे चुका है ।

५—विनाय दावी (मिलकियत इन्कार करने के दिन से) ।

(९) दखल व किराये के लिये पयज़ी किरायेदार पर नालिश

(सिरनामा)

मुद्दई निम्न लिखित निवेदन करता है :—

१—मुद्दई का वालिद मुहम्मद अहमद एक मजिल अहातानं०..... वाक्य छावनी मेरठ का मालिक था ।

२—ता०ई० के लिखे हुये किराये के इकरारनामे (पट्टा या कवूलियत) से मुहम्मद अहमद ने यह अहाता ७) रुपये मासिक पर मुहम्मद बक्स नामी एक आदमी को ७ साल के लिये किराये पर उठाया । किराया हर महीने देना ठहरा था ।

३—मुहम्मद बक्स उस अहाते पर काबिज रहा और मुद्दई के पिता को किराया अदा करता रहा । बाद को उसने ता०.....को बैनामा लिख कर अपने किरायेदारी के हकक मुदायलह के नाम कर दिये । उस वक्त से मुदायलह जायदाद पर काबिज हो गया और मुहम्मद अहमद को किराया अदा करता रहा ।

४—मुहम्मद अहमद का ता०को इन्तकाल हो गया । अकेला मुद्दई उसका वारिस और अहाते का मालिक है ।

५—ता०.....ई० को मुद्दई ने मुदायलह को नोटिस दिया कि वह अहाते को ता० तक खाली कर देवे ।

६—मुदायलह ने मुद्दई को अहाते पर दखल नहीं दिया और दखल देने से इन्कार करता है और उस पर अनुचित रूप से काबिज है ।

७—मुदायलह ने ता०.....ई० तक का किराया अदा कर दिया है उसके बाद का किराया उस पर बाकी है ।

८—बिनाय दावा बाबत दखल, किरायेदारी खतम होने के दिन, ता०..... को और बकाया किराये की बाबत पिछले हर महीने की १० ता० को पैदा हुई ।

९—दावे की मालियत—

१०—मुद्दई प्रार्थी है कि :—

(क) अहाते पर दखल दिलाया जावे ।

(ख).....रुपया बकाया किराया दिलाया जावे ।

(ग) ता०.....ई० से दखल मिलने के दिन तक दरम्यानी मुनाफ़ा दिलाया जावे ।

(१०) किरायेदार की, मालिक पर, क़ब्जे के लिये नालिश

१—ता०.....के रजिस्ट्री किये हुये पट्टे से मुदायलह ने एक मजिल पक्का मकान स्थित मुहल्ला सराय खिरनी शहर फतेहपुर १५) रुपया मासिक किराये पर ता०.....से ७ साल के लिये मुद्दई को किराये पर दिया और इकरार किया कि मुद्दई (उसके उत्तराधिकारी

था उसके कायम मुकामों) के, उपर लिखा हुआ किराया देते रहने पर इकरारी अवधि तक उनके दखल और कब्जे में वह मकान रहेगा और मुद्दालयह या उसके उत्तराधिकारी व कायम मुकाम या उसके द्वारा से उसके सामी या दाबीदार, वादी के कब्जे व दखल में किसी तरह की रक़ावट या मदाखलत न कर सकेंगे (पट्टे में जो कुछ शर्तें हो वह लिखनी चाहिये) ।

२—मुद्दई ने उसी तारीख को मकान की किरायेदारी मंजूर करली और मुद्दालयह के नाम कबूलियत लिख कर रजिस्ट्री करा दी ।

३—मुद्दालयह उस मकान का पूरी तौर पर मालिक नहीं था और वह ७ साल के लिये उसको किराये पर मुद्दई के हाथ नहीं उठा सकता था ।

४—पट्टे व कबूलियत के लिख जाने के बाद महावीर प्रसाद मुद्दालयह के सगे भतीजे ने एक दावा इस मुकदमें के दोनों फरीकैन पर मकान के पट्टे व दखल की मंखी के लिये इस त्रिनाय पर किया कि वह मकान एक मुशतर्का खानदान की जायदाद है जिसके मुद्दालयह व महावीर प्रसाद सदस्य हैं और अकेले मुद्दालयह को, बिना महावीर प्रसाद की सहमति जायदाद को ७ साल के पट्टे पर देने का कोई अधिकार नहीं था ।

५—यह दावा पहिली अदालत से मुद्दालयह की जवाबदही करने पर भी ता०.....
...को डिग्री हुआ और अपील से ता०को वह फैसला बहाल रहा ।

६—इस फैसले के बमूजिब महावीर प्रसाद ने बजरिये अदालत मुद्दई को ता०.....
...को वेदखल करके खुद दखल ले लिया ।

७—मुद्दई मकान में रहने और उसके इस्तेमाल से रोक दिये जाने पर हरजा पाने का हकदार है।

(११) मालिक की किरायेदार पर मरम्मत न कराने पर नाक़िश

१—ता०.....को प्रतिवादी ने वादी से एक मंजिल कच्चा व पक्का मकान स्थित मदार दरवाजा अनूपशहर.....रूपया मासिक पर ३ साल के लिये किराये को लिया और उसमें स्वयं रहने लगा ।

२—किरायेदारी के वाजत वादी ने प्रतिवादी के नाम रजिस्ट्री किया हुआ पट्टा और प्रतिवादी ने वादी के नाम रजिस्ट्री की हुई कबूलियत लिखाई । असली कबूलियत नाक़िश के साथ दाखिल की जाती है ।

३—कबूलियत में शर्तें यह हैं :—

(१) यह कि जब तक वह किरायादार प्रतिवादी उस मकान में रहेगा अपने ध्यय से मकान की हर वर्ष मरम्मत कराता रहेगा और उसको रहने के योग्य रखेगा ।

(२) मौजूद मकानात को किसी तरह बदल नहीं सकेगा और न उनकी हालत को किसी प्रकार से बिगड़ने देगा ।

४—प्रतिवादी ने इन शर्तों के विरुद्ध मकान की २ वर्ष से सफेदी और मरम्मत नहीं कराई जिस कारण उसकी छते खराब हो गई हैं और चूती हैं, जगह जगह पर दीवाल और फर्श का पलस्तर उखड़ गया है और बाज़ाखाने की दो कड़ियाँ टूट गई हैं इसके अलावा प्रतिवादी ने एक खिड़की जो हवा व रोशनी के लिये सड़क की तरफ थी निकलवा दी है और उस जगह को बहुत भद्दी तरह ईंटों से बन्द करा दिया है और मकान की दशा किल्कुल खराबकर रखी है ।

(१२) किरायेदार की मालिक पर हरजे की नाक़िश

१—ता०.....को प्रतिवादी ने एक रजिस्ट्री युक्त दस्तावेज लिख कर वादी को मकान नं०.....स्थित.....शहर..... साल के लिये कुछ शर्तों पर किराये पर दिया और प्रतिवादी ने वायदा किया कि वादी और उसके काम मुकाम इस मुद्दत तक उस मकान पर उचित रूप पर जिला एतराज काबिज रहेंगे ।

२—वादी को नालिश का अधिकार देने के लिये जिन जिन शर्तों का तोड़ना आवश्यक था वह तोड़ी गई ।

३—ता०.....को इकरारी अवधि के अन्दर रामनारायन, उस मकान के असली मालिक ने वादी को उस मकान से निकलवा दिया और उसको अब तक कब्जा नहीं देता ।

४—इस वजह से वादी अपना दर्जीगिरी का पेशा उस मकान में नहीं कर सकता और वहाँ से निकल जाने में उसका.....रुपया व्यय हुआ और (अ—ब—क इत्यादि) का काम उसके हाथ से जाता रहा ।

२१—दस्तावेजों की तरमीम या मन्सूखी

(Rectification and Cancellation of Documents)

किसी नीति-पत्र या दस्तावेज के संशोधन (तरमीम) की आवश्यकता जब उत्पन्न होती है जब कि उस दस्तावेज से उसके दोनों पक्षों का वह अभिप्राय प्रगट न होना हो जो कि उसके लिखने में उनका उद्देश्य था । यदि ऐसी त्रुटि किसी एक पक्ष की गलती या असावधानी से उत्पन्न हुई हो तो साधारण प्रकार से उस नीति-पत्र का संशोधन नहीं हो सकता । परन्तु यदि वह नीति-पत्र दोनों पक्षों की गलती या उनके भ्रम से उत्पन्न हुआ हो तो उसका संशोधन अदालत से कराया जा सकता है और ठीक-ऐसीही दशा में यह कहा जा सकता है कि वह उभयपक्ष की अभिप्राय व इच्छा को उचित रूप से प्रगट नहीं करता ।

यदि एक ही पक्ष कोई भूल कर रहा हो और ऐसी भुन दूसरे पक्ष के धोखे या असत्यवर्णन इत्यादि के कारण उत्पन्न हुई हो तभी वह दस्तावेज के संशोधन कराने या उसके खंडित कराने का दावा कर सकता है। यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष से कोई दस्तावेज बलपूर्वक, अनुचित दबाव, धोखा या फरेब अथवा असत्य वर्णन से लिखा लेता है या कोई पक्ष दस्तावेज लिखने के समय अवयस्क (नाबालिग) अथवा विवेक हीन (फातिरुल-अबल) होता है तब उसके विरुद्ध वह दस्तावेज पूर्णरूप से या अंश रूप से जैसी दशा हो व्यर्थ या प्रभाव रहित होता है और वह पक्ष उसके संशोधन कराने या खंडित एतान किये जाने का दावा कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रतिज्ञा बिना बदल या अपूर्ण बदल के होवे अथवा किसी साधारण नीति के विरुद्ध होवे जैसे जुए की हार के बदले में दस्तावेज लिखाना इत्यादि, यह भी ऐसे कारण हैं जिनसे दस्तावेज की तरमीम या मन्सूखी कराई जा सकती है।

यदि दावा तरमीम कराने का हो तो वादी को अर्जीदावे में फरीकैन की असली मन्शा, और यह कि वह दस्तावेज में उचित प्रकार से तहरीर नहीं की गई और इन दोनों में क्या फर्क है दिखाना चाहिये। यह अन्तर किस प्रकार से हुआ, (धोखे से या गलती से हुआ हो तो दोनों फरीकैन ने गलती की हो) और उससे वादी को, जो हानि हुई हो या होने का भय हो यह भी दिखाना चाहिये।

किसी दस्तावेज को मन्सूख या खंडित कराने के लिये वादी को दो बातें दिखानी चाहिये (१) यह कि दस्तावेज खंडित है या उसको खंडित करने का वादी को अधिकार प्राप्त है। (२) यह अगर दस्तावेज इसी हालत में छोड़ दिया जाय तो वादी को बहुत हानि पहुँचने का भय है। (दफा ३६ कानून दादरसी ख्यास)। इसलिये अर्जीदावे में यह बातें होना आवश्यक हैं—

(१) दस्तावेज का संक्षिप्त ध्यान।

(२) वह वाक्यात जिनसे वह मन्सूख किया जा सकता है।

(३) दस्तावेज मन्सूख न कराने पर वादी को क्या हानि हो सकती है।

दस्तावेज मन्सूख कराने के लिये स्पष्ट रूप से प्रार्थना करनी चाहिये, सिर्फ इस्तकरार कराना हर जगह काफी नहीं होता। यदि दस्तावेज से दखल भी दे दिया गया है तो अदालत वादी को दखल की दरखवास्त करने पर मजबूर कर सकती है।

मियाद—दस्तावेज की तरमीम के लिये दावा तीन साल के अन्दर उस तारीख से जब कि वादी को दोनों पक्षों की गलती अथवा अन्य पक्ष के धोखे, असत्य वर्णन इत्यादि का ज्ञान हुआ¹ जहाँ दावा दस्तावेज की मन्सूखी के लिये हो और

ऐसा दस्तावेज खंडित या बेअसर न हो तो तीन साल की होती है ।^१ परन्तु यदि वह दस्तावेज शुरू से ही वादी के विरुद्ध खंडित और बे असर हो तो तीन साल की मियाद लागू नहीं होती क्योंकि वादी उस दस्तावेज को बिना मनसूख कराये भी दखल या अन्य उचित प्रार्थना का दावा कर सकता है और ऐसी दशा में मियाद ६ साल की होती है यदि वादी और उसके पूर्वाधिकारी दस्तावेज में फरीकैन हों^२ वसीयत नामे की मनसूखी के लिये भी मियाद ६ साल की होती है ।^३

कोर्टफीस—यदि दावा सिर्फ इस्तकारार का हो कि असुक रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज मुद्दे के विरुद्ध काल अदम और बे असर है और अन्य कोई प्रार्थना की गई हो (consequential relief) तो दफा १७ (३) कोर्ट फीस ऐक्ट के अनुसार नियत कोर्ट-फीस लगता है^४ लेकिन यदि दस्तावेज की मनसूखी की भी प्रार्थना की गई हो तो आर्टिकल १ परिशिष्ट १ कोर्ट फीस ऐक्ट के अनुसार मालियत पर कोर्ट फीस लगाना चाहिये ।^५

(१) भूज के आधार पर प्रतिज्ञा मनसूख कराने के लिये, दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-

१--ता०.....को प्रतिवादी ने वादी से यह बयान किया कि एक कित्ता भूमि क्षेत्रफल ता०बीघा स्थित... .. प्रतिवादी की है ।

२ - वादी को उस ज़मीन को... ..रुपया में खरीदने के लिये यह भूँटा विश्वास दिलाया गया कि वह बयान सच है और वादी ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर कर दिये जो कि इस नालिश के साथ दाखिल किया जाता है । उस ज़मीन का किवाला वादी के नाम नहीं लिखा गया ।

३ - ता०को वादी ने प्रतिवादी को कुछरुपया उसकी कीमत के बाबत अदा कर दिये ।

४—यह ज़मीन असलियत में केवल ५ बीघे निकली ।

५—बिनाय दावी —

६—दावे की मालियत --

वादी की प्रार्थना —

(अ) रुपया मयसूद ता०से दिलाया जावे ।

(ब) वह इकरारनामा वापिस करा दिया जावे और मनसूख कर दिया जावे ।

1 Article 91 Limitation Act ; I L R 50 All 510 ; A. I R. 1928 All 268

2 22 I. A 171 ; A I R 1926 Lah 635

3. Art 120 Limitation Act ; 51 L C 943.

4 1935 L J. R 869 F. B ; A I. R. 1935 All. 817.

5 I L R 5 Luck 235

(२) घोखे से कराई हुई प्रतिज्ञा की मनसूखी के लिए

१—वादी १० बीघे पक्की, भूमि नं०..... स्थित मौजा, नूरपुर, तहसील, फतेहवादा जिला आगरा का मालिक और जमींदार है।

२—यह मौजा वादी के निवास स्थान से लगभग ३ मील की दूरी पर है और रेल या पक्की सड़क न होने से वादी का वहाँ आना जाना बहुत कम होता है।

३—वादी की यह जमीन बहुत घटिया दरजे की है जिसका चिरस्थायी कृषक गैर मौसूखी किसान) बहुत कम लगान पर जोता बोया करते हैं।

४—प्रतिवादी ने इस जमीन के मोल लेने के लिये उसके मुनाफे के लिहाज से (जो कि सरकारी मालगुजारी देने के बाद लगान से वसूल होता है) ता०.....केरुपया में, वादी से खरीदारी का मुआहिदा किया।

५—इस मुआहिदे की बाबत वादी ने एक इकरारनामा प्रतिवादी के नाम लिख कर उसी तारीख को उसके हवाले कर दिया।

६—वादी को मालूम हुआ है कि उस जमीन में ३ फिट की गहराई पर एक बहुमूल्य केयले की खान है जिसका मुआहिदे के समय वादी को कोई ज्ञान नहीं था। प्रतिवादी को केयले का वहाँ मौजूद होना मालूम था और वादी के पीछे उसने भूमि को जगह जगह पर खोद कर यह अच्छी तौर पर निश्चय कर लिया था। मुदायलह ने यह बात वादी को नहीं बताई और उसके जान बूझकर घोखे में रक्खा।

७—उक्त प्रतिज्ञा प्रतिवादी ने जान बूझकर घोखे के साथ कराई थी और वादी पर माननीय नहीं है।

(३) बेहोशी की दशा में लिखाये हुये वसीयतनामे को मनसूख कराने के लिए दावा

(चिरनामा)

मुद्दिया नीचे लिखी अर्ज करती है :

१—मुद्दिया के पिता लालसिंह बहुत खी जायदाद, शहरी व जमींदारी के, मुरादाबाद के जिले में मालिक व काबिज थे।

२—उक्त लालसिंह का ८० साल की उम्र में ता० १६ जून १९.....ई० को देहान्त हो गया।

३—लालसिंह के कोई औलाद नहीं थी और उनकी खी श्रीमती राजकुँवर उन्हीं के सामने मर चुकी थी। केवल मुद्दिया उनकी पुत्री उनकी मृतक सम्पत्ति (मतकका) की मालिक और काबिज हुई और अब भी है।

४—लालसिंह को बहुत दिनों से बवासीर का रोग था और अधिक आयु होने

के कारण से उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी और उनको अपने हानि लाभ का कोई ज्ञान नहीं रहा था।

५—मुद्दइया अधिकतर उन्हीं के पास रहती थी परन्तु जून के आरम्भ में अपनी ससुराल, श्यारोल जिला शाहजहाँपुर एक शादी में चली गई थी।

६—मुद्दइया की अनुपस्थित में लालसिंह को बुखार आ गया और बाय की हालत हो गई। मरने से २—३ दिन पहिले वह विल्कुल बेहोश हो गये थे और यह बेहोशी की हालत मरते समय तक रही। मुद्दायलहम ने जो लालसिंह के परिवारी हैं मुद्दइया की अनुपस्थिति और उनकी बेहोशी का अनुचित लाभ उठाकर चालाकी से कातिब और गवाहों को मिलाकर लालसिंह की तरफ से अपने नाम एक वसीयतनामा तैयार कराया और सब-रजिस्ट्रार को घोखा देकर उसकी रजिस्ट्री करा ली।

७—असलियत में लालसिंह ने कोई वसीयतनामा अपनी खुशी व रजामन्दी से अपने आप, होश ह्वाच की हालत में मुद्दायलहम के नाम नहीं लिखा। और न १४ जून सन् १९.....ई० को जिस रोज कि उस वसीयतनामे की रजिस्ट्री होना दिखाई गई है, उक्त लालसिंह शारीरिक व मानसिक दुर्बलता से और बुखार व बाय की बेहोशी से, अपने हानि लाभ को सोच समझ कर अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध कर सकते या वसीयत नामा लिख सकते थे।

८—मुद्दइया मृतसम्पत्ति (मतसूका) पर काबिज है परन्तु मुद्दायलहम उसको तरह तरह की धमकी वेदखल करने और हानि पहुँचाने की देते हैं और एक गाँव की वावत मुद्दायलहम नं० १-ने वसीयतनामे के आधार पर अदालत माल में अपना नाम दाखिल होने के लिये ता०.....को दरखास्त दे दी है।

९—इस वसीयतनामे के बिना मंसूख किये हुए पढ़ा रहने से मुद्दइया को आगे हानि का डर है।

१०—बिनायदावी, ता० १७ जुलाई सन् १९...ई० मुद्दायलहम के, घोखे की काररवाई मालूम होने की दिन से और ता० ...को मुद्दायलहम नं० १ की, अपना नाम दाखिल करने की दरखास्त देने के दिन से स्थान.....में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई।

११—दावे की मालियत अदालत के अधिकार हेतु कुल सम्पत्ति की मालियतरुपया है और कोर्ट फीच.....रुपया पर दिया गया है।

मुद्दइया प्रार्थी है कि :—

(अ) ता० १५ जून सन् १९.....ई० का रजिस्ट्री किया हुआ वसीयतनामा जो कि मुद्दइया के पिता लालसिंह का लिखा दिखाया गया है, काट दिया जावे और मनसूख कर दिया जावे।

(ब) इस नालिश का खर्च मय सूद दिलाया जावे।

(४) नावालिग से लिखाये हुये बैनामे की मनसूखी के लिये

(खिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी अवयस्क (नावालिग) है और उसका सर्टीफिकेट प्राप्त हुआ संरक्षक उसकी माँ, प्रतिवादी नं ३ है ।

२—प्रतिवादी नं ३ ने वादी के संरक्षक बनने का सर्टीफिकेट अदालत जजी लाहौर से प्राप्त किया जो वादी के वयस्क होने पर ता०.....को समाप्त हो गया ।

३—अवयस्क वादी और प्रतिवादी नं० १ की मित्रता थी और वह एक जगह ही उठा बैठा करते थे वादी प्रतिवादी न० १ के कहने पर चलता था और उसके काबू और बस में था ।

४—प्रतिवादी नं० १ ने वादी के अवयस्क और अनुभवहीन होने और ऐसे सम्बन्ध का अनुचित लाभ उठाया और उसको धोके से अपने बस में खींच कर कई झूठे रक्के और दस्तावेज अपने और अपने मित्रों के नाम लिखा लिये और उनके बदले में वादी को अधिक से अधिक ४००) रुपया दिये ।

५—इसके बाद प्रतिवादी नं० १ ने ता०.....के सिविल सर्जन सहारनपुर से वादी के बालिग होने का सर्टीफिकेट लेकर नीचे लिखी हुई हकीयत का वादी से अपने नाम बैनामा ७००) रुपया अदा किए हुये दिखला कर रजिस्ट्री करा लिया लेकिन वास्तव में वादी को केवल २००) रुपया नकद दिये और बाकी पहिले कर्जे के रककों में फाट देना (मुजरा देना) दिखाया ।

६—हकीकत में यह बैनामा वादी की अवयस्कता में बिना रुपया दिये अनुचित अरसर डाल कर धोखे से लिखाया गया है । वह कानूनन नाजायज़ है और उससे नीचे लिखी जायदाद में प्रतिवादी नं १ का कोई अधिकार पैदा नहीं हुआ ।

७—वादी अभी तक इस जायदाद पर काबिज़ है और प्रतिवादी का दखल उस पर नहीं है ।

८—बिनायदावी (बैनामा लिखने की तारीख से) ।

९—दावे की मालियत अदालत के अधिकार हेतु जायदाद की कीमत यानी ७००) रुपया है और नियत कोर्ट फीस दिया गया है ।

१०—वादी प्रार्थी है कि ता०.....का रजिस्ट्री किया हुआ वादी की ओर से प्रतिवादी के नाम नीचे लिखी हुई जायदाद की बाबत लिया हुआ बैनामा मनसूख कर दिया जावे ।

(सम्पत्ति का विवरण)

(५) झूठे बयान और धोखे से बिरागये हुये
दस्तावेज वी मनसूखी के जिये
परदा नशीन स्त्री का दावा

१—वादी एक अनपढ़ और परदा नशीन औरत है ।

२—प्रतिवादी वादी का भाई है और बहुत दिनों से वादी की ओर से उसके हिस्से की जायदाद का प्रबन्ध और तहसील बसूल करता था ।

३—वादी को हर तरह से प्रतिवादी पर विश्वास और भरोसा था और उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था ।

४—लगभग दो साल पहिले प्रतिवादी ने वादी से कहा कि जायदाद के सुप्रबन्ध और निगहबानी के लिए वादी की तरफ से प्रतिवादी के नाम एक लिखे हुए पत्र की आवश्यकता है जिससे हर प्रकार के अधिकार प्रतिवादी को दे दिये जावें ।

५—वादी ने प्रतिवादी के बयान को उचित और सच समझ कर एक दस्तावेज पर जो प्रतिवादी ने ऊपर लिखे अभिप्राय के लिये लिखा हुआ बतलाया, अपने अँगूठे का निशान लगा दिया और प्रतिवादी ने उसकी रजिस्ट्री वादी को परदे में बैठा कर, झूठा बयान करके धोखे से करा ली ।

६ वादी को उस दस्तावेज की तहरीर, उसके लिखने के या रजिस्ट्री के समय नहीं समझाई गई और न उसका मतलब व कानूनी असर बतलाया गया और न उसको किसी रिश्तेदार या और अन्य मनुष्य की सलाह मिली । वादी ने प्रतिवादी पर विश्वास होने के कारण उसके बावत कोई सन्देह नहीं किया ।

७—लगभग २ महीने हुए कि वादी के पास अदालत माल से उसके हिस्से की जायदाद के बावत एक दाखिल खारिज का नोटिस आया । उस समय वादी को प्रतिवादी की ईमानदारी पर सन्देह हुआ और पूँछ ताछ करने पर मालूम हुआ कि प्रतिवादी ने प्रबन्ध अधिकार पत्र के बजाय वादी के हिस्से की बावत त्याग पत्र (दस्तनदारी) अपने नाम लिखा लिया है और उसके आधार पर वह अनुचित रीति से वादी के हिस्से की जायदाद को लेना चाहता है ।

८—असलियत में वादी ने प्रतिवादी के नाम अपने हिस्से का कोई (त्याग पत्र) नहीं लिखा और न अपने हिस्से का किसी तरह पर त्याग किया ।

९—वादी अपने हिस्से पर अभी तक काबिज है ।

१०—वह दस्तावेज बिना मनसूख किये पड़े रहने पर वादी को दाखिल खारिज के मुकदमे में हानि पहुँचने का और आगे चल कर हानि होने का भय है ।

(६) अनुचित दबाव डाल कर पर्दा नशीन स्त्री से लिखाये हुये
दस्तावेज़ की मनसूखी के लिये दावा

१—वादी के पति के दादा, सुखदेव १० बीघा १८ बिस्वा पक्की भूमि समापुर परगना व तहसील कोल का, जोकि खाता खेवट नं० ३ मुहाल सुखदेव में दर्ज है, अकेला मालिक और काबिज था ।

२—लगभग ३२ साल हुये होंगे कि सुखदेव का देहान्त हो गया । वादी के पति लेखराजसिंह का पिता दलीपसिंह जोकि सुखदेव का लड़का था उसी के सामने मर चुका था इसलिये अकेला लेखराजसिंह उस सम्पत्ति का मालिक हुआ ।

३—लगभग ११ साल हुये होंगे कि लेखराजसिंह भी बिना औलाद छोड़े मरगया और वादी उस जायदाद पर अपने पति की अकेली उत्तराधिकारिणी होने के कारण मालिक और काबिज हुई लेकिन कौटुम्बिक प्रतिष्ठा और आपसी प्रीति के कारण लेखराजसिंह की माता लाल कुँवर का नाम वादी के नाम के साथ साथ माल के कागजों में दर्ज हो गया ।

४—वादी एक अनपढ़ और परदा नशीन स्त्री है उसको यह मामले समझने की योग्यता और बुद्धि नहीं है और वह श्रीमती लालकुँवर के बुढ़ापे और सास होने के कारण उसके काबू और दबाव में रहती थी ।

५—वादी के पति लेखराजसिंह के कुटुम्ब के लोग वादी के उत्तराधिकारी होने की वजह से उससे रंज मानते हैं और तरह तरह की मुकदमे बाजी स्वयं करते और अन्य आदमियों से कराते हैं ।

६—वादी की सास श्रीमती लालकुँवर और वादी एक ही मकान में रहती हैं । प्रतिवादी लालकुँवर का भतीजा है और वादी और लालकुँवर के पास आता जाता था और घर के काम में मदद देता था ।

७—प्रतिवादी ने वादी के साथ सहानुभूति प्रगट की और वादी को यह विश्वास दिलाया कि वह वादी का शुभचिन्तक और भला चाहने वाला है और यदि वादी उसको मुखतारआम नियत करदे तो वह उसको उसके पति के कुटुम्ब के लोगों के हमलों से बचावेगा और उनसे मुक़ाबला करने में उसकी ब्रह्म सहायता करेगा और कोई भगड़ा न होने देगा ।

८—मुसम्मात लालकुँवर ने प्रतिवादी के इस बयान को सहारा दिया और वादी को प्रतिवादी का मुखतारआम रखने को राज़ी किया और वादी प्रतिवादी के नाम मुखतारनामा लिखने के लिये तैयार हो गई ।

९—प्रतिवादी ने मुखतारनामा लिखने के बहाने से वादी के अँगूठे का निशान एक कागज पर लगवाया और वादी ने प्रतिवादी के कहने पर उसकी रजिस्ट्री करादी लेकिन वादी को उस पत्र का तात्पर्य न पढ़ कर सुनाया गया और न समझाया गया ।

१०—लगभग २० दिन हुये होंगे कि वादी को यह खबर हुई कि उसके साथ धोखा किया गया है और उससे नीचे लिखी जायदाद के बावत एक रहननामा प्रतिवादी ने अपने नाम लिखा लिया है।

११—वादी ने इसके बाद रजिस्ट्री के दफ्तर से पता लगवाया और नकल ली तो मालूम हुआ कि प्रतिवादी ने एक सादा रहननामा ३०००) रुपया का नीचे लिखी जायदाद के बावत १७ मई सन्.....१९.....ई० को वादी की तरफ से लिखा लिया है।

१२—वादी को रहननामा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी और न उसने असलियत में कोई रहननामा लिखा और न कोई बदले का रुपया वादी ने लिया। रहननामे के लिखवाने और रजिस्ट्री करवाने की सब काररवाई प्रतिवादी ने धोखा और फरेज से की है।

१३—इस दस्तावेज के बिना मनसूख हुये पड़े रहने से वादी को भविष्य में हानि पहुँचने का भय है।

(७) धोखे से लिखाये हुए दस्तावेज को मनसूख कराने के लिये दावा

१—वादी के पति ठाकुर टीकमसिंह का १९—ई० में देहान्त हुआ और वादी उनकी उत्तराधिकारी की हैसियत से अपने पति की कुल मृत सम्पत्ति (मतरुका) पर मालिक और क़ाबिज हुई।

२—प्रतिवादी नं० १ ठाकुर टीकमसिंह का सगा भाई है। दोनों भाई अलग अलग रहते थे और उनका कारोबार और जमींदारी व खेती सब अलग अलग थी और ठाकुर टीकमसिंह का अलाहदगी की हालत में देहान्त हुआ।

३ सितम्बर १९.....ई० में प्रतिवादी नं० १ ने प्रतिवादी नं० २ के नाम अपने आप एक इकरारनामा लिखा और उसके लिखने और रजिस्ट्री के समय वादी को यह धोखा देकर कि वह इकरारनामा तालिबनगर की जमींदारी के प्रबन्ध की सहूलियत के लिये (जो कि वादी और प्रतिवादी नं० १ का रामे का अविभाजित महल है) लिखाया जाता है वादी को अपने साथ शामिल कर लिया और उसने प्रतिवादी नं० १ के कथन पर विश्वास करके उस पर हस्ताक्षर कर दिये और उसकी रजिस्ट्री करा दी।

४—अब वादी को मालूम हुआ है कि वह इकरारनामा ऊपर लिखे अभिप्राय के लिये नहीं लिखाया गया और अनावश्यक है और उसमें निम्नलिखित शब्द लिखे गये—

“टीकमसिंह, और शेरसिंह एक अविभक्त कुल (मुश्तक खानदान) के सदस्यों की हैसियत से शामिल और शरीक थे और जायदाद जमींदारी और सब कारबार उनका शामिल था।”

५—प्रतिवादी नं० २ प्रतिवादी नं० १ का ब्यादमी है और दोनों का आपस में एका है ।

६—वादी एक अनपढ़ और पर्दा नशीन स्त्री है वह यह बातें समझने की योग्यता नहीं रखती न उसके पास इस योग्य कोई मनुष्य था कि जिससे वह सलाह कर सकती । प्रतिवादी ने वादी की पुत्री के पति और उसके काम की देख भाल करने वाले ठाकुर केवलसिंह को मिलाकर चालाकी से इकरारनामा लिखवाया । वादी उसको न अच्छी तरह से सुन सकी और न अच्छी तरह से समझी ।

७—प्रतिवादी नं० २ ने इकरारनामे के आधार पर कोई काररवाई नहीं की और न उसकी कोई ऐसी इच्छा मालूम होती है परन्तु प्रतिवादी नं० ३ का दफा नं० ४ में दिये हुये शब्दों के प्रयोग में लाने और मृतक टीकमसिंह की सम्पत्ति का अपने आप को मालिक दिखाने के लिये इरफ़ा मालूम होता है ।

८—इकरारनामा वतमान दशा में रहने से वादी को उसके हक घटने और किसी समय उसको उससे हानि पहुँचने का भय है ।

(८) धोखे से लिखाये हुये दस्तावेज के संशोधन के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—देवबन्द जिला सहारनपुर के मुहल्ला सैयदबाड़े में एक पक्की हवेली और उसी से मिली हुई चार दूकानों का वादी मालिक था । हवेली के दरवाजे के, दो दूकान पश्चिम और दो दूकान पूरब की ओर थी ।

२—वादी ने ६ जून १९... ..ई० के बैनामे से हवेली और पूरब की दो दूकान ६०००) २० प्रतिवादी के हाथ बेच दी ।

३—बैनामे का मसौदा प्रतिवादी के कहने से लिखा गया । उसने उसमें शलती या धोखे से बै की हुई जायदाद की तफसील इस तरह से लिखवाई है जिससे दो दूकान के बजाय चारों दूकान बैनामे में शामिल होती हैं ।

४—वादी को बैनामे के लिखे जाने और रजिस्ट्री के समय प्रतिवादी की यह काररवाई मालूम नहीं हुई । वादी ने प्रतिवादी की ईमानदारी पर भरोसा करके बै की हुई जायदाद की तफसील और हद्दों का ध्यान से नहीं देखा ।

५—पश्चिमी दो दूकानों पर जो बै नहीं की गई वादी अभी तक काबिज़ है परन्तु बैनामा के बिना संशोधित पड़े रहने से वादी को हानि पहुँचने और भगड़े में पड़ने का डर है ।

६—बिनायदावी (धोखे की काररवाई मालूम होने के दिन से) ।

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि ६ जून १९—ई० के तैनामे में त्रै की हुई जायदाद की तफसील और उसकी संरहदों का इस तरह से संशोधन किया जावे कि जिससे हवेली के दरवाजे की पश्चिम ओर वाली दो दूकान उसमें शामिल न हों (या जिससे केवल हवेली और पूर्वी दो दूकानों का त्रै होना प्रकट होवे) ।

२२—प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति (तामील मुखतस)

(Specific Performance of Contract)

किसी मुआहदे या प्रतिज्ञा की पूर्ति न होने पर, प्रतिज्ञा मंग करने वाले से, अदालत उस प्रतिज्ञा का पालन करा सकती है अथवा उसके विरुद्ध दूसरे पक्ष को उसका हर्जा दिला सकती है । बहुत सी प्रतिज्ञाएँ ऐसी होती हैं जिनकी विशेष पूर्ति के लिये अदालत प्रतिज्ञा भङ्ग करने वाले पक्ष को आज्ञा देती है कि वह अपनी प्रतिज्ञा का पालन करे और ऐसा न करने पर, अदालत उसकी ओर से उस कार्य की पूर्ति करती है और वह उभय पक्ष पर इसी प्रकार माननीय होता है जैसे कि प्रतिज्ञा भङ्ग करने वाले पक्ष ने उस कार्य को किया हो ।

साधारण प्रकार से ऐसे दावे किसी पक्ष के विक्रय-पत्र, रेहन या पट्टा इत्यादि की प्रतिज्ञा कर देने के बाद दूसरे पक्ष के हित में न दस्तावेज लिखने पर दायर किये जाते और वादी के सफल हो जाने पर अदालत वह बयनामा, रेहन नामा या पट्टा प्रतिवादी की ओर से खुद मुद्दई के हक में लिखती है जिसकी विधि प्लाब्ता दीवानी के संग्रह में दी गई है ।

कानून दादरसी खास (Specific Relief Act) की भिन्न भिन्न धाराओं का ध्यान रखते हुए ऐसी नालिशें तैयार करनी चाहिये । विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुआहिदा या प्रतिज्ञा जिसका पालन कराना लक्ष्य हो उसकी अदालत से विशेष पूर्ति हो सकती है । अर्जी नालिश में मुद्दई को अपनी ओर से कुछ शर्तों को, जो कि नियत की गई हो हर समय पूरा करने के लिये तत्पर होना दिखाना चाहिये । यदि प्रतिज्ञा कर्ता से किसी अन्य पुरुष ने जायदाद को किसी परिवर्तन द्वारा प्राप्त कर लिया हो तो उसके प्रतिज्ञा का ज्ञान होना अर्जीदावे में लिखना आवश्यक होता है वरना उसके विरुद्ध वादी विशेष पूर्ति की डिगरी का अधिकारी नहीं होता ।

प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति (तामील मुखतस) के लिये अर्जीदावे में वह सब बातें लिखनी आवश्यक हैं जो कि अचल सम्पत्ति की बिक्री के बारे में लिखनी होती हैं (देखो नोट-पद १३) ।

यदि चल सम्पत्ति की बिक्री के बाबत मुआहदे की विशेष पूर्ति करने का

दावा करना हो तो उनकी बहुमूल्य या विशेष अर्जीशवे में दिखाना चाहिये नहीं तो दफा १२, कानून दादरसीखास के अनुसार विशेष पूर्ति के बजाय मुआवजा दिलाया जाता है।

मुकदमे के फरीक—इन मुकदमों में जिन मनुष्यों के मध्य प्रतिज्ञा हुई हो, या उनके उत्तराधिकारी अथवा वह पुरुष जिनसे वह प्रतिज्ञा पालन कराई जा सकती हो उचित पक्ष होते हैं और उनके अतिरिक्त अन्य फरीक नहीं बनाये जा सकते। कथ की प्रतिज्ञा में खरीदार अपने हक का परिवर्तन कर सकता है और परिवर्तन गृहीता विशेष पूर्ति का दावा कर सकता है^१, अन्य फरीक जो ऐसे दावे कर सकते हैं या जिनके विरुद्ध ऐसे दावर किये जा सकते हैं कानून दादरसी खास की दफे २३ व २७ में दिये गये हैं।^२

मियाद—जहाँ पर प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये कोई समय नियत हो तो दावा नियत समय के तीन साल बाद तक होना चाहिये। यदि कोई ऐसा नियत समय न हो तब तीन साल की अवधि की गणना उस समय से की जाती है जब कि प्रतिज्ञा की पूर्ति से इन्कार किया गया हो या वादी को ऐसी इन्कारी का ज्ञान हुआ हो। रजिस्ट्री किये हुए मुआहिदे के तामील के लिये भी मियाद ३ साल की है।^३

कोर्ट-फीस—इन दावों पर कोर्ट-फीस कानून कोर्ट-फीस की दफा ७ (१०) के अनुसार लगती है।^४

डिग्री—मुआहिदे की विशेष पूर्ति की डिगरी की विशेषता यह होती है कि ऐसी डिगरी से दोनों पक्ष लाभ उठा सकते हैं और उसकी इजराय वादी और प्रतिवादी दोनों ही करा सकते हैं।^५

* (१) विक्री करने के मुआहिदे की तामील के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ता०.....के लिखे हुये इकरारनामे से प्रतिवादी ने वादी से इकरारनामे

1. 26 A. L. J. 196.

2 Secs. 23 and 27 Specific Relief Act.

3. Art. 113 Limitation Act ; I. L. R. 31 Mad. 452

4 Sec 7 (X) Court-Fees Act.

5. I. L. R. 59 Ca 1501 ; 46 Bom. 990 ; 55 Mad 796

* नोट—यह शिक्कूल १ परिशिष्ट (अ) ज्ञान्ता दीवानी का नमूना नम्बर ८७ है। इसी सिल सिले में भाग १३ के नमूने १ व २, जब दावा तामील के बजाय हर्जे का हो देखने योग्य हैं।

में लिखी हुई जायदाद कोरुपया में मोल लेने (या बेचने) का इकरार किया ।

२—वादी ने प्रतिवादी से प्रार्थना की कि वह अपनी तरफ से उस इकरारनामे को पूरा करे परन्तु उसने ऐसा नहीं किया ।

३—वादी अपनी तरफ से इकरारनामे की तामील के लिये तैयार और राजी रहा और अब भी यह बात प्रतिवादी अच्छी तरह से जानता है ।

४—दावे का कारण—

५—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि प्रतिवादी को हुकम दिया जावे कि वह इकरारनामे की तामील करे और वह सब काम पूरे करे जो कि वादी को उस जायदाद पर पूरा कब्जा देने के लिये आवश्यक हों (या उसी जायदाद का कब्जा कबूल करे) और नालिश का खर्चा दे ।

(२) इसी तरह का दूसरा दावा

१—ता०.....को वादी और प्रतिवादी ने इकरारनामा लिखा जो दाखिल किया जाता है, इकरारनामे में लिखी हुई जायदाद का प्रतिवादी मालिक था ।

२—ता०.....को वादी ने.....रुपया प्रतिवादी को पेश किया और प्रार्थना की कि प्रतिवादी उस सम्पत्ति को उचित दस्तावेज लिख कर वादी के नाम कर दे ।

३—ता०.....को वादी ने दुबारा यही प्रार्थना प्रतिवादी से की (या प्रतिवादी ने वादी के नाम जायदाद दस्तावेज लिख कर करने से इन्कार किया) ।

४—प्रतिवादी ने अभी तक कोई परिवर्तन पत्र (दस्तावेज इन्तकाली) नहीं लिखा ।

५—वादी अब भी प्रतिवादी की सम्पत्ति के लिये निश्चित रुपया देने को तैयार और राजी है ।

(३) सूग्रीदा का मुआहिदे की तामील के लिये दावा

१—ता०.....बत १६—ई० के स्थान सिकन्दराराऊ में प्रतिवादी ने नीचे लिखी हुई अपनी हकीमत को वादी के हाथ २२०००) रुपया में बेचने का मुआहिदा किया ।

२—यह कि उसी तारीख को प्रतिवादी ने प्रामेसरी नोट (रुक्का) लिख कर १५००) रु० बैनामे का स्टाम्प खरीदने इत्यादि खर्च के लिये वादी से लिये और मुआहिदे की याददाश्त लिख कर वादी के हवाले कर दी जो दाखिल की जाती है । यह याददाश्त इकरारनामे के समान है प्रतिवादी ने उस पर अनुचित रूप से एक आने का टिकट लगाया है । वादी उस पर कमी और दंड देकर उसको गवाही में पेश करते हैं ।

३—वैनामे के रुपयों में से प्रामेसरी नोट का. १५००) रुपयां और एक किता डिगरी सिविल जजी अलीगढ़, लाला विशम्भर सहाय डिगरी दार बनाम सालेह मुहम्मदखाँ का रुपया मुजरा-होना ठहरा था और देवकीनन्दन तेजपालसिंह और गोवर्धन ऋण देने वाला का रुपया अदा करना और बकाया रुपया रजिस्ट्री के समय नकद देना ठहरा था। प्रतिवादी ने एक हफ्ते के अन्दर-वैनामे की तकमील करने का वायदा किया था।

४—वादी मुआहिदा के अनुसार वैनामा कराने और रुपया देने को तैयार रहा और अब भी है। प्रतिवादी की वेईमानी करने की इच्छा है और वह वैनामे की पूर्ती करने में टाल टूल करता है और वादी के बार बार कहने पर भी वह वैनामा लिखने और उसकी पूर्ती करने को तैयार नहीं होता।

(वायदाद का विवरण)

(४) इसी प्रकार का सुलहनामे के आधार पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी का मकान मुहल्ला मामूमानजा में है जिसके पिछवाड़े पूरब की ओर कुछ जमीन खाली पड़ी हुई है।

२— इस जमीन की मिलकियत और उस पर नाली निकालने की बाबत फरीकैन में कुछ भगड़ा था और आपस में मुकदमा चलकर उसकी अपील जारी थी।

३—ता० १ मार्च सन् १६—ई० के अदालत के सामने फरीकैन में यह करार पाया कि वह जमीन (२४ फी० लम्बी ३ फीट चौड़ी) जोकि नकशे में लाल लकीर से दिखाई गई है प्रतिवादी १००) रुपया में वादी के नाम वै कर दे और २०) रुपया बयाने के प्रतिवादी ने तभी ले लिये, बकाया रुपया रजिस्ट्री के समय देना करार पाया और यह भी इकरार हुआ कि प्रतिवादी वादी के नाम सुलहनामे के अनुसार १ सप्ताह के अन्दर वैनामा लिख दे।

४—वादी सदा वैनामे को पूरा कराने और रजिस्ट्री के समय बकाया ८०) रुपया देने के लिये तैयार रहा और बार बार प्रतिवादी से वैनामे की पूर्ति के लिये कहा। वह वैनामे को पूरा करने और रजिस्ट्री कराने से इन्कार करता है।

५—बिनायदावी (पूर्ण करने का अन्तिम तकाजा करने के दिन से)।

६—दावे की मालियत (१००) रुपया)।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) मुआहिदे की तकमील के लिये प्रतिवादी को हुक्म हो कि ऊपर

लिखी ज़मान का ज़ैनामा वादी के नाम मार्च १९—ई० के तस्किनानामे के अनुसार लिख दे और उसको रजिस्ट्री करा देवे ।

(ब) उसकी तकमील और रजिस्ट्री के बाद उस ज़मान पर वादी को देखल दिलाया जावे ।

(क) नालिश का खर्च मय सूद दिलाया जावे ।

(५) खरीदार का बेचने वाले पर, प्रतिज्ञा की पूर्ति के किये

१—ता० १० जनवरी १९—ई० में नलि लिखी हुई ज़मान को, वादी ने प्रतिवादी के हाथ बेचने का इक़रार किया और उसकी क़ामत पंचायत और आप्त की रज़ामन्दी से २१५०) रुपया नियत हुई, इस रुपया में से १५०) रुपया प्रतिवादी ने वादी से रसीद लेकर अदा कर दिये और बाक़ी रुपया ज़ैनामे की रजिस्ट्री के समय जो कि पंच ने १० मार्च १९—ई० को क़ुरा दी वादी को देना ठऱा और ऐसा न करने पर ५००) रुपया प्रतिवादी से वादी को दिलाना पंच ने तजवीज किया ।

२—वादी ने प्रतिवादी की रज़ामन्दी से उस ज़मान का ज़ैनामा १० मार्च १९—ई० को २५) रुपया के स्टाम्प के ऊपर लिखवा दिया और प्रतिवादी से बक़ाया २०००) रुपया देने और ज़ैनामे की रजिस्ट्री कराने को कहा ।

३—प्रतिवादी ने १० मार्च १९—ई० को बक़ाया रुपया देने और ज़ैनामे की रजिस्ट्री कराने का वायदा किया । वादी उनके पाठ उस तारीख को गया लेकिन वह ढाल ढूल करने लगे इसलिये मजबूर होकर वादी ने उनको तार दिया और दफ़्तर रजिस्ट्री में ज़ैनामे की रजिस्ट्री के लिये अर्ज़ी भेज की और ३३ बजे तक वहाँ हाजिर रहा लेकिन प्रतिवादी हाजिर नहीं हुये और न रुपया लाये और वेदनामी से वादी को एक भूँठा नोटिस दे दिया कि उसने आपसी सुलहनामे के अनुसार ज़ैनामा लिखवा कर पूरा नहीं किया ।

४—प्रतिवादी ने जान बूझ कर इक़रार तोड़ा और ज़ैनामे की रजिस्ट्री नहीं कराई और न रुपया अदा किया, वादी ज़ैनामे की रजिस्ट्री कराने को हर समय तैयार रहा और अब भी है लेकिन प्रतिवादी बक़ाया २०००) रुपया देने को तैयार नहीं हुए और न अब है ।

५—वादी ज़ैनामे की तकमील कराने और बक़ाया २०००) रुपया प्रतिवादी से पाने का हक़दार है और वह १० जनवरी १९—ई० के आपसी सुलहनामे से ५००) रुपया हरजे के भी प्रतिवादी से पाने का हक़दार है ।

६—त्रिनायदावी (१० मार्च १९—ई० ज़ैनामे की रजिस्ट्री न करने के [३२ से) ।

(६) खरीदार का बेचने वाले और परिवर्तन से पाने वाले पर तामीर के लिये दावा

बन्धदालत—

नम्बर...

लाला चिरंजीलालवादी ।

बनाम

तोताराम प्रतिवादी नं० १ व लल्लूसिंह प्रतिवादी नं० २ ।
वादी निवेदन करता है :—

१—यह कि प्रतिवादी नं० २ लल्लूसिंह, हरदेवसिंह व सुन्दरसिंह के साथ खाता खेवट नं० ५, कुल ४० बीघा १० बिस्वा पुख्ता भूमि स्थित हाथरस में से ६ बीघा १७ बिस्वा का मालिक था ।

२—यह कि ता० १४ नवम्बर १९—ई० को प्रतिवादी नं० २ ने हरदेवसिंह व सुन्दरसिंह के सामे में एक दवामी पट्टा ८ बीघा १९ बिस्वा पुख्ता भूमि १८६) रुपया के लगान की अपनी ६ बीघा १७ बिस्वा भूमि को सम्मिलित करके केशवदेव मैनेजर श्रीवलदेव मिल कम्पनी के नाम लिख दिया और वह ज़मीन केशवदेव के अधिकार में मिल बनाने के लिये कर दी ।

३— यह कि बलदेव मिल कम्पनी ने उस ज़मीन पर मिल तैयार की लेकिन कम्पनी के फेल हो जाने से वह मिल वादी और कई हिस्सेदारों ने सामे में खरीद ली । यह मिल मय उस ज़मीन के वादी के कब्जे में है और अब उसका नाम फूलचन्द बागला मिल रक्खा गया है ।

४—यह कि नवम्बर १९—ई० में प्रतिवादी नं० २ ने कुल भूमि ८ बीघा १९ बिस्वा में से अपने आधे हिस्से को बेचने की इच्छा प्रकट की और वादी से ॥॥॥ आना सैकड़ा लाभ पर बिक्री का मामला तै होकर २० नवम्बर १९—ई० को बैनामे का मसौदा भी तैयार हो गया और प्रतिवादी ने बयाने के ४००) रुपया वादी से लेकर बै करने के लिये इकरारनामा लिख दिया ।

५—यह कि तोताराम प्रतिवादी नं० १ ने वादी के नाम इस इकरारनामे की खबर पाकर प्रतिवादी नं० २ को बहका कर ८ दिसम्बर १९—ई० को एक विक्रयपत्र अपने नाम लिखा लिया और भगड़ा और मुकदमे बाजी फैलाने की नीयत से वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक रुपया इस बैनामे में लिखवा लिया ।

६—यह कि प्रतिवादी नं० १ को वादी के बै करने के मुआहिदे का, जिसके आधार पर २० नवम्बर १९—ई० का इकरारनामा लिखा गया, अच्छी तरह से शान था ।

७—प्रतिवादी नं० १ के नाम का बैनामा, वादी के विक्रय करने के इकरार

का ज्ञान और सूचना होते हुये हुआ है और वह वादी के विरुद्ध विलकुल वेअसर है ।

८—वादी ने प्रतिवादी नं० २ से कई बार उस भूमि का बँनामा लिखने और उसकी तकमील करके रजिस्ट्री कराने और इकरारनामे में लिखे हुये हिसाब के अनुसार बँनामा का रुपया लेने के लिये कहा लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं देता और टाल टूल कर देता है ।

९—बिनायदावी—(२० नवम्बर १९—ई० वादी के नाम इकरारनामा लिखने और ८ दिसम्बर १९—प्रतिवादी के नाम बँनामा लिखने के दिन से पैदा हुई) ।
वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) २० नवम्बर १९—ई० के लिखे हुये इकरारनामे की तामील की जावे और अदालत की डिगरी से प्रतिवादी को हुकम हो कि वह १ मास के अन्दर आगे हिस्से का, (८ बीघा १९ बिस्वा पक्की आराजी जो कि ६ बीघा १७ बिस्वा के साथ खाता खेवट न० ५ में दर्ज है) बँनामा लिख दे ।

(ब) इस नालिश का व्यय वादी को दिलाया जावे ।

(७) बिक्री की निश्चय प्रतिज्ञा से सूचित बिक्री कर्त्ता और खरीदार के ऊपर दखल के लिये दावा

बअदालत.....

नम्बर मुकदमा... ..

नरायनसिंह.....वादी ।

बनाम

१—श्यामलाल.....प्रतिवादी, प्रथम पक्ष ।

२—नजीरहसन उर्फ मुहम्मद

नजीरअहमदखॉ

३—मुखम्मत् तल्लूकी ।

४—मुखम्मत् हरा ।

} प्रतिवादी, द्वितीय पक्ष ।

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी ने अपनी नीचे लिखी हुई हकतीयत ६२५) रुपया में वादी के हाथ बेचने का मुआहिदा किया और १९ जौलाई १९—ई० को बँनामा तैयार कर दिया । २५०) रुपया वादी ने अदा कर दिये और २७५) रुपया रजिस्ट्री के समय देना करार पाये बक्काया १००) रुपया पहिले मर्तीहिन (रहन ग्रहीता) को देने के लिये वादी के पास छोड़े गये और दो एक दिन में रजिस्ट्री कराने का वायदा किया

२—बाद को उस हक्कीयत का अधिक मूल्य मिलने लगा और प्रतिवादी नं० २ की नीयत में वेईमानी आ गई। उसने बैनामे की रजिस्ट्री कराने में टाल टूल की और वादी जबरदस्ती उसकी रजिस्ट्री करने को तैयार हुआ।

३—प्रतिवादी नं० २ ने वादी का यह इरादा जान कर, वह हक्कीयत आपस में साजिश से एका करके प्रतिवादी नं० १ के नाम ४ अगस्त १९.....ई० को बैनामा लिख कर बेच दी और प्रतिवादी नं० १ ने पहिले मुआहिदे से सूचित होते हुये भी वेईमानी से हक्कीयत अपने नाम बै कराली।

४—वादी मजबूर होकर अपने बैनामे को रजिस्ट्री के लिये ७ अगस्त १९.....ई० को दफ्तर सत्र-रजिस्ट्रार अलीगढ़ में पेश किया लेकिन प्रतिवादी नं० २ ने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई।

५—वादी ने रजिस्ट्रार अलीगढ़ से जबरन रजिस्ट्री कराने का हुकम लेकर अपने नाम लिखे हुये बैनामे की ३१ मार्च १९—ई० को रजिस्ट्री कराली और उसका बेची हुई जायदाद के ऊपर पूरा अधिकार हो गया और वह उस जायदाद का मालिक है।

६—प्रतिवादी नं० १ ने, वादी के नाम बिक्री होने का खान और सूचना होते हुये भी वेईमानी और प्रतिवादी नं० २ से मिल कर वादी हानि पहुँचाने के लिये यह जायदाद मोल ले ली है और बैनामे में कीमत का रुपया भूँठा लिखा है। उस बैनामे का वादी के विरुद्ध कोई असर नहीं है और वादी जायदाद पर दखल और वासलत पाने का प्रतिवादी से हकदार है।

७—विनायदावी (बैनामा लिखे जाने के दिन यानी २६ जौलाई १९.....ई० को पैदा होकर रजिस्ट्री के दिन यानी १३ मार्च १९.....ई० को हुई)।

८—शवे की मालियत—(बैनामे का ६५०) और ५०) ६० वासलात कुल ७००) रुपया अदालत के अधिकार के लिये है और कोर्ट फीस मालगुजारी से ५ गुने .. ६० पर.....६० दी गई है।

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) नीचे लिखी हुई जायदाद पर प्रतिवादी को बेदखल कराकर वादी को दखल दिलाया जावे।

(ब) ५०) रुपया सन् १३.....फसली के वानत वासलात, प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(क) इस नालिश का खर्चा दिलाया जावे।

(ख) मुकद्दमे के हालत देखकर, अगर- और कोई-दादरसी आवश्यक समझी जाय तो दिलाई जावे।

(८) प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये परिवर्तनकर्ता
और खरीदार के ऊपर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—यह कि ता० १७ अप्रैल १९.....ई० को स्थान हाथरस में प्रतिवादी फ़रीक अब्दुल ने एक पक्की बनी हुई एक मंजिला हवेली का जो कि मुहल्ला लखपतीगज हाथरस में थी और जिसकी चौहद्दी नीचे दी हुई है (१४०००) रु० में वादी के हाथ बेचना तै किया और बयाने का (१०००) रु० लेकर उस हवेली की बाबत इकरारनामा इस शर्त पर लिख दिया कि एक महीना के अन्दर हवेली का विक्रयपत्र प्रतिवादी नम्बर १, वादी के नाम लिख कर बाकायदे रजिस्ट्री कर देगा और बकाया रुपया रजिस्ट्री के समय वादी से वसूल कर लेगा ।

२—प्रतिवादी नम्बर १ से बैनामे की पूर्ति करने और रजिस्ट्री कराने और बकाया रुपया लेने के लिये बार बार कहा गया लेकिन वह टालटाल करता रहा ।

३—यह कि इसके बाद प्रतिवादी नम्बर १ ने ता० २१ जौलाई सन् १९.....ई० को उस हवेली का बैनामा लोभ में आकर (१९०००) रु० में प्रतिवादी नम्बर २ के नाम कर दिया और उसने वादी के नाम हवेली बेचने के मुआहिदे से सूचित होते हुये भी उसको अपने नाम वै करा लिया ।

४—यह कि प्रतिवादी नम्बर २ के हक में लिखा हुआ बैनामा पहिली विक्री का ज्ञान होते हुए किया गया है वह वादी के विरुद्ध बिल्कुल बेअसर है और वादी उस पहिले मुआहिदे की तकमील व तामील कराने का दोनों प्रतिवादी के विरुद्ध हकदार है ।

५—प्रतिवादी नं० १ से मुआहिदे की तामील और जायदाद पर दखल देने और बकाया (३०००) रुपया लेने को कहा गया लेकिन वह ध्यान नहीं देता ।

६—बिनायदावी १७ अप्रैल सन् १९.....ई० मुआहिदे के दिन से और २१ जौलाई सन् १९.....ई० प्रतिवादी नम्बर २ के नाम बैनामा लिखे जाने के दिन से पैदा हुई ।

७—दावे की मालियत (इकरारी कीमत यानी (१४०००) रुपया है) ।
वादी प्रार्थी है—

कि वादी के नाम वै करने के मुआहिदे की तामील करा दी जावे और जायदाद के ऊपर दखल दिला दिया जावे ।

२३-२६—रहन की नालिशें

२३-नीलाम के लिये दावे

रहन कई प्रकार के होते हैं। रहन सादा या दृष्टिबन्धक (Simple mortgage) विक्रय-तुल्य रहन, (Mortgage by conditional sale) रहन भोग बन्धक या रहन दखली, (Usufructuary or possessory mortgage) रहन अङ्गल (English mortgage) रहन बहवालागी सम्पत्ति-स्वत्व पत्र (Mortgage by deposit of title deeds) और अनियमित रहन (Anomalous mortgage)।

इसी तरह से रहन से सम्बन्ध रखने वाली नालिशों भी कई प्रकार की होती हैं।

यहाँ पर वह नीचे लिखे चार भागों में दी गई है।

नं० २३—नीलाम, (Sale):

नं० २४—बैबात (प्रतिषेध—Foreclosure)

नं० २५—इनफिक्ताक (रहन छुटाना—Redemption) और

नं० २६—राहिन व मुरतहिन की अन्य नालिशों।

रहन का कानून बहुत कठिन और गूढ़ है और यहाँ पर विस्तार पूर्वक उसके ऊपर लेख नहीं लिखा जा सकता। वकील को चाहिये कि ऐसी नालिशों में अर्जीदावा लिखने से पहिले सम्पत्ति परिवर्तन विधान (Transfer of property Act) की उचित धाराओं को अच्छी तरह देखे।

नीलाम की नालिश तभी की जा सकती है जब कि मुद्दे को आड़ की हुई जायदाद के विक्रय से रहन-धन प्राप्त करने का अधिकार हो। यह अधिकार प्रायः दृष्टिबन्धक (जिसको रहन सादा, रहन किफालती या आड़ भी कहते हैं) से प्राप्त होता है और रहन-धन के लिये नालिश तभी की जा सकती है जब कि रहन नामे में लिखी हुई शर्तों के अनुसार रहन ग्रहीता की रहन का करया पाने का अधिकार पैदा हो जाता है।

इन नालिशों में रहन की तारीख, रहन कर्ता व रहन ग्रहीता का नाम, रहन का रुपया, सूद की दर रहन की हुई जायदाद का विवरण और वह तारीख जब कि रहन का रुपया अदा होने के योग्य हो गया लिखनी चाहिये। यदि मुद्दे या मुद्दाअलेह का हक किसी परिवर्तन से प्राप्त हुआ हो अथवा एक से अधिक परिवर्तन हों तो उनका भी संक्षिप्त बयान होना चाहिये और ऐसे परिवर्तन ग्रहीताओं को मुकदमें में फरीक बनाना चाहिये।

नीलाम के लिये दावे में पहिला मुर्तहिन जरूरी फरीक नहीं होता और जायदाद उस रहन के आधीन नीलाम की जा सकती है लेकिन आर्डर ३४

नियम १२ के अनुसार अदालत मुर्तहिन की रजामन्दी से जायदाद को बिना किसी भार के नीलाम कर सकती है।

यदि किसी पाश्चात् रहन प्रहीता का वादी के रहन से, किसी हिस्से की बाबत हक़ मुख्य हो तो वादी उसका रुपया अदा कर देने पर नीलाम के लिये दावा कर सकता है। यदि वादी किसी हिस्से के बारे में उसका हक़ स्वीकार करे तो उसको वह हिस्सा रहन से छुटाना चाहिये। ऐसी हालत में इनफिकाक के लिये कोर्ट फीस देनी पड़ती है।

नीलाम, बैबात व, इनफिकाक के सब दावों में रहन का पूरा विवरण जैसा कि अपेन्डिक्स (अ) ज्ञाप्ता दीबानी के नमूनों में दिया हुआ है देना चाहिये। इनफिकाक के दावे में रहन छुटाने के लिये यदि और कोई शर्त हो तो वह भी लिखनी चाहिये। राहिन और मुर्तहिन के स्वत्व जो जायदाद के परिवर्तन से पैदा हुये हों पृथक २ देना चाहिये। यदि रहन की हुई जायदाद की तफसील बटवारे या बन्दोबस्त से बदल गई हो तो अर्जीदावे में जायदाद का पहिला और नया विवरण दोनों दिखाना होता है।

बकाया रुपया का हिसाब अर्जीदावे के आखीर में तफसीलवार देना चाहिये और यदि रहन दखली हो तो आमदनी व खर्च का हिसाब भी दिखाना होता है।

हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के विरुद्ध रहन के दावों में यदि जायदाद रहन-कर्ता की पैदा की हुई हो तो कुटुम्ब के और सदस्यों को फरीक़ नहीं बनाना चाहिये क्योंकि राहिन के सिवाय औरों के विरुद्ध विनाय दावा पैदा नहीं होता। परन्तु जब जायदाद मुश्तर्क़ खानदान की हो, जिसमें कि और मेम्बरों का भी हक़ हो तब ही ऐसे मेम्बर फरीक़ बनाने चाहिये और वह घटनाएँ जिनसे वह रहन के पावन्द हों अर्जीदावे में लिखना चाहिये। जैसा कि राहिन खानदान का कर्ता था या रहन से खानदान को फायदा पहुँचा या कि कुटुम्ब के हेतु रहन करना आवश्यक था या कि किसी पहिले कर्ज की अदायगी के लिये रहन क्रिया गया था।

जहाँ पर पहिले कर्ज की बेयाकी के लिये अविभक्त कुल की जायदाद रहन की गई हो वहाँ पर यह दिखाना कि ऐसा कर्ज आवश्यक था जरूरी होता है परन्तु यदि वह कर्ज (१) पिता ने ले लिया हो, (२) अथवा सदस्यों की रजामन्दी से लिया गया हो या (३) रहन के समय तक किसी सदस्य का जन्म न हुआ हो तो कर्ज की आवश्यकता दिखाने की जरूरत नहीं होती।

रहन प्रहीता यदि चाहे तो बिना और मेम्बरों को फरीक़ बनाये हुये ही रहन कर्ता के विरुद्ध दावा कर सकता है। ऐसा करने में भी कर्ज की आवश्यकता नहीं दिखानी पड़ती क्योंकि रहन कर्ता यह नहीं कह सकता कि वह रहन

करने का अधिकारी न था परन्तु यदि और कोई मेम्बर रहन पर आक्षेप करना चाहे तो फरीक बनने के लिये दख्खास्त दे सकता है।

यदि आइ क्री हुई सम्पत्ति के नीलाम से रेहन का कुल रुपया बेबाक न हो और रेहन में रेहन-कर्ता की जाती जिम्मेदारी का इत्कार हो तब व्यक्तिगत डिगरी के लिये भी प्रार्थना की जा सकती है। इस विषय पर भिन्न भिन्न हाई-कोर्टों में कुछ मतभेद है कि अर्जीदावे में ऐसी प्रार्थना लिखना आवश्यक है या नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि जब तक डिगरी में जायदाद नीलाम हीकर रेहन का रुपया बकाया न रहे तब तक इस प्रकार की प्रार्थना करना व्यर्थ होता है। परन्तु ऐसी प्रार्थना दावे में लिख देने से कोई हर्ज नहीं होता और दूसरे पक्ष को एक तरह से सूचना हो जाती है कि बादी रेहन का पूरा रुपया जायदाद से न वसूल होने पर जाती डिगरी से वसूल करना चाहता है। जानता दीवानी संग्रह में दिये हुये नमूनों में भी इस प्रकार की प्रार्थना उपस्थित है।^१

यदि रेहन-प्रहीता रेहन की जायदाद का कुछ भाग खरीद लेवे और रेहन का रसदी रुपया बकाया जायदाद से वसूल करना चाहे या कोई रेहन-कर्ता रेहन का कुल रुपया अदा करके अन्य रेहन कर्ताओं से उनके हिससे का रुपया वसूल करना चाहे, इन दोनों दशाओं में भी नालिश नीलाम की होती है और इस पुस्तक में दिये हुये नमूने उचित संशोधन के साथ काम में लाये जा सकते हैं। उनमें वे घटनाएँ जिनसे रसदी का इक पैदा हो लिखना चाहिये।^२

इसी प्रकार से जिन जमानत नामों में (लगनक-पत्रों में) अचल सम्पत्ति आइ की जाती है वह सादा रेहन के तुल्य होते हैं और उनके अर्जीदावे भी इसी प्रकार से तैयार करने चाहिये।

मियाद—रजिस्ट्री किये हुए रेहन नामों के ऊपर नीलाम या प्रतिषेध (वैवात) की नालिश रुपया अदा हो जाने के योग्य होने की तारीख से १२ साल के अन्दर होनी चाहिये। यदि जाती डिगरी की भी प्रार्थना हो तो दावा ६ साल के अन्दर दायर किया जावे।^३

कोर्ट-फीस—कुल रेहन-धन पर, मूल और उसका सुद जिसका दावा किया जावे उस पर पूरी कोर्ट-फीस लगती है।^४

डिगरी—रेहन के दावों में प्रायः दो प्रकार की डिगरियाँ हुआ करती हैं। पहली प्रारम्भिक और इसके बाद दोनों पक्षों में हिसाब किताब हो जाने पर

1. See I. L. R. 57 All. 797; A. I. R. 1933 Oudh 520; 1924 Lah. 132; 35 L. W. 559 P. C.

2. Form No 45 App. A, Sch 1 C P. O.

3. A. I. R. 1935 All. 263 and 391; 1931 Pat 164.

4. Articles 129 and 139 Limitation Act.

दूसरी अन्तिम। प्रारम्भिक (इन्तर्दाई या Preliminary) डिगरी हो जाने पर साधारण प्रकार से ६ महीने का अवकाश या जो समय अदालत उचित समझे दिया जाता है और इसके बाद अन्तिम डिगरी प्रस्तुत की जाती है। नीलाम की नालिशों में प्रारम्भिक डिगरी आर्ट ३४ नियम ४ के अनुसार और अन्तिम (Final या फाई) डिगरी आर्ट ३४ नियम ५ संग्रह जान्ता दीवानी के अनुसार प्रतिषेध (वैधात या Foreclosure.) के दावों में प्रारम्भिक डिगरी आर्ट ३४ नियम २ और अन्तिम डिगरी आर्ट ३४ नियम ३ के अनुसार और रहन छुड़ाने के दावों में प्रारम्भिक डिगरी आर्ट ३४ नियम ७ के अनुसार और अन्तिम नियम ८ के अनुसार प्रस्तुत की जाती है।

नोटः—भिन्न भिन्न दशाओं में नीलाम की नालिशों में क्या क्या लिखना चाहिये यह नीचे दिये हुये नमूनों के पढ़ने से शत होगा। इन नमूनों में कहीं पर मुकदमें का पूरा सिरनामा कहीं पर विवरण पूर्ण घटनायें और कहीं पर पूरी दादरसी, पाठक की जानकारी के हेतु लिख दी गयी हैं।

२३—नीलाम

* (१) नीलाम की साधारण नालिश का नमूना

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—यह कि प्रतिवादी की जमीन का वादी रहन गृहीता (मुर्तदिन) है।

२—रहन का विवरण इस भाँति है—

(अ) रहन की तारीख—

(ब) रहन कर्ता और रहन गृहीता का नाम—

(क) रहन के ऊपर कितना रुपया लिया गया—

(ख) सूद की दर—

(ग) रहन की हुई जायदाद—

(घ) रुपया जो इस समय रहन पर निकलता है—

(च) यदि वादी को अन्य प्रकार से स्वत्व मिला हो तो उचित रूप से धरान करना चाहिये कि वादी किस हिसियत से दावेदार है।

(अगर वादी कब्ज़ा समेत रहनदार के हो तो यह भी लिखना चाहिये कि—)

* नोट—यह नमूना शिखर्यूल १ अर्पेन्डिक्स (अ) जान्ता दीवानी का नमूना नम्बर ४५ है।

३—वादी ने रहन की हुई सम्पत्ति पर ता०..... को कब्जा पाया और ता०..... से रहनदार की है सयत से काबिज है।

४—बिनाय दावा—

५—दावे की मा.लियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(क) दावा का मतालवा जो कुछ प्रतिवादी पर हो दिलाया जावे और उसके अदा न होने पर (जहाँ आर्डर ३४ कायदा ६ लागू होता हो) जायदाद को नीलाम किया जावे।

(ख) नीलाम की कीमत से यदि वादी का रुपना बेबाक न हो तो वादी को आशा दी जावे कि वह शेष रुपया के लिये डिगरी जारी कर सके।

(२) रहन ग्रीता के उत्तराधिकारी की ओर से, रहन कर्ता के उत्तराधिकारी पर, सम्पत्ति के नीलाम को नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-

१—यह कि अमरसिंह नामक एक पुरुष प्रतिवादी की भूमि का मुर्तहिन था रहन की तफसील नीचे दर्ज है—

(अ) रहन की ता०—२३ जौलाई सन् १६...ई०।

(ब) रहन करने वाले का नाम—केसरीराय, मुर्तहिन—अमरसिंह।

(क) तादाद रुपया २००) ६०।

(ख) व्याज १॥) ६० लैकड़ा मासिक हर छठवें महीना देना करार पाई और छमाही सूद न देने पर सूद दर सूद देना ठहराया।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति की तफसील—३ हिस्सा मवाजी ४७ बीघा पुख्ता आराजी ८५) मुन्दर्जा खाता खेवट नम्बर ५ मुश्तर्का रामप्रसाद इत्यादि दीगर बाकै मौजा हरक्रीगढ़ी परगना पेटला तहसील खैर केवलसिंह नम्बरदार।

(घ) रकम जो वाजिबउल अदा है—मुब.लिफा १५६४) रुपया।

३—दस्तावेज का असली मालिक अमरसिंह एक अविभक्त हिन्दू कुल का सदस्य था और कुटुम्ब के अविभक्त होते हुए उसका देहांत हो गया। वादी शेषाधिकारी होने की वजह से उसका मालिक और नालिश करने का हकदार है।

४—दस्तावेज के लेखक केसरीराय का भी देहांत हो गया है। प्रतिवादी उसके भतीजे हैं और उसकी जायदाद पर काबिज हैं।

५—बिनाय दावा दस्तावेज लिखने के दिन से ता० २३ जौलाई सन् १६..... ई०

को और अन्तिम तकाजा करने के दिन से तो.....को स्थान हर की गद्दी परगना पटला तहसील खैर जिला अलीगढ़ में अदालत के अधिकार के अन्दर पैदा हुई ।

६—दावे की मालियत (१५६४) रुपया) ।

वादी प्रार्थी है कि :—

प्रतिवादी को हुकम हो कि २३ जौलाई सन् १६—ई० के रहन नामे की वात्र असल व सूद का १५६४ रुपया मय खर्चा और सूद दौरान व आईदा, रुपया वसूल होने के दिन तक एक नियत तारीख तक प्रतिवादी अदालत के अन्दर जमा करें और ऐसा न करने पर रहन की हुई जायदाद नीलाम की जावे और नीलाम के मतालवे से कुल रुपया बेनाक कर दिया जावे ।

(३) इसी प्रकार की रहनकर्ता के ऊपर, रहननामे के खरीदार की ओर से नाजिश

वअदालत.....

नम्बर मुकदमा.....

मदनलाल

वादी

बनाम

१—मौलाबखश बल्द लाल खॉ

२—मु० मुनी लड़की लाल खॉ

३—छेदी लाल

४—भोलानाथ

} प्रतिवादी

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी प्रतिवादी नं० १ व २ की सादा रहन की हुई सम्पत्ति का रहन प्रहीता है ।

२—रहन का विवरण यह है —

(अ) रहन की तारीख — २५ अगस्त सन् १६.....ई० ।

(ब) रहन कर्ताओं के नाम—लाल खॉ बल्द महबूब खॉ और मौलाबखश बल्द लाल खॉ ।

रहनदार का नाम—भोलानाथ ।

(क) रहन का रुपया—५५० रुपया ।

(ख) सूद की दर — ॥=॥ आना मासिक और सूद छमाही देना ठहरा । कुल रुपया तीन साल के अन्दर बेनाक करना था जो अदा नहीं किया ।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण—एक पक्का बना हुआ मकान स्थित मुहल्ला मदार दर्वाजा शहर अलीगढ़ जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी है।

(घ) हिस्सा से इस समय १०४०॥१-) निकलता है।

(च) १२ नवम्बर सन् १९.....ई० के विक्रय पत्र से भोलानाथ वास्तविक रहनदार ने वादी के नाम यह रहन नामा जिसके ऊपर कि दावा किया जाता है बेच दिया, अब वादी उसका मालिक और दावा करने और रुपया वसूल करने का अधिकारी है।

३—लाल खाँ का देहांत हो गया, प्रतिवादी नम्बर १ उसका लड़का और प्रतिवादी नम्बर २ उसकी लड़की, उसके उत्तराधिकारी हैं इसलिए दोनों को फरीक बनाया गया।

४—प्रतिवादी नम्बर ३ उस जायदाद का इस रहन के भार से सूचित खरीदार है और तर्तीव मुकदमा के लिये प्रतिवादी बनाया गया।

५—नम्बर ४ असली रहनकर्ता केशल नालिश के सुधार व तर्तीव के लिये फरीक किया गया है।

६—विनाय दावा ता० २५ अगस्त सन् १९.....ई० को स्थान हायरस में पैदा हुई।

७—दावे की मालियत (१०४०॥१-) है।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी नम्बर १, २ व ३ को आज्ञा हो कि वह नीलाम का रुपया मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व भविष्य में रुपया वसूल होने के दिन तक वादी को अदा करें नहीं तो सम्पत्ति नीलाम की जावे।

(ब) यह कुल रुपया या इसका कोई भाग बाकी रहने पर मौलाबक्स प्रतिवादी की, या मृतक लाल खाँ की और कोई सम्पत्ति इस रुपया की देनदार ठहराई जावे और वादी को अधिकार दिया जावे कि वह ऐसी डिग्री की तैयारी के लिये दरखास्त दे सके।

(४) मुर्तहिन के प्रतिनिधि (कायम मुकाम) की ओर से राहिन व इनराय डिगरी से खरीदार के ऊपर नाजिब

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं।

१—वादी उस जायदाद के सादा मुर्तहिन हैं जिसके द्वितीय प्रतिवादी प्रथम राहिन हैं।

२—इस रहन की तफसील यह है—

(क) रहन की तारीख—७ मार्च सन् १६...ई० ।

(ख) राहिन का नाम—चौधरी समीउद्दीन ।

मुरतहिन का नाम—लाला वासुदेव सहाय ।

(ग) रहन का रुपया—४०००)६० ।

(घ) सूद की दर—॥॥॥) सै० मा० और कुल रुपया माँगने पर अदा करना ठहराया ।

(ङ) रहन की हुई जायदाद की तफसील —

(१) पौने नौ बिस्वा जमींदारी स्थित मुलतानपुर परगना बलराम तहसील कासगंज जिला ऐटा जो खेवट नम्बर १ में ६४२ दर्ज है ।

(२) नीलाम की एक मंजिल कोठी जिसकी चौहद्दी नीचे दी हुई है और जो राल के तालाब पर सिकन्दर जिला अलीगढ़ में स्थित है ।

(चौहद्दी)

(च) इस समय कुल १०५३२) रुपया वाजिब हैं ।

३—वादी और उनके उत्तराधिकारी और लाला वासुदेव सहाय का सम्मिलित कारखाना था जिसके मैनेजर लाला वासुदेव सहाय थे । कुटुम्ब में बटवारा हो जाने के कारण से कारखाना भी हिस्सों में बाँट दिया गया था लेकिन वह दस्तावेज़ जिसके ऊपर यह नालिश की जाती है मुरतका रहा और वादी उसके मालिक व दावा करने के हकदार हैं ।

४—वादी १ से ५ तक का हिस्सा ३ है, वादी नम्बर ६ का हिस्सा ३ है; वादी ७ और ८ का हिस्सा ३ है; और वादी नम्बर ९ का हिस्सा भी ३ है ।

५—असली राहिन चौ० समीउद्दीन खॉ का देहांत हो गया प्रतिवादी फरीक प्रथम उनके कानूनी उत्तराधिकारी और उनकी जायदाद पर काबिज़ हैं और उस श्रृणु के अदा करने के ज़म्मेदार हैं ।

६—प्रतिवादी द्वितीय एक नकद रुपया की डिग्री के इजराय में इस हकियत के एक हिस्से का खरीदार है उसका हक इस दस्तावेज़ के भार के बाद पैदा होता है और नालिश की तरतीब और उसका रहन छुटाने का हक मिटाने के लिये उसको फरीक बनाया गया है ।

७—राल तालाब की कोठी अब टूटी हुई दशा में है और उस पर एक पहिली किफालत का भार है इस लिये मुद्दइयान उसको इस किफालत से छुटकारा देते हैं ।

८—चौधरी समीउद्दीन खॉ ने १४४६॥) रुपया सन् ..ई० के नील की चिक्री से दावे के दस्तावेज़ में अदा किये उसमें से १०००) रुपया असल में और ४४६॥) ता० ५ अप्रैल सन्.....ई० तक सूद मुजरा कराये और उसके बाद कुछ नहीं दिया ।

६—प्रतिवादी फ़रीक तृतीय व वादी नं० ६ के बीच में पञ्चायत से भगड़ा तै होकर दस्तावेज के रुपया वसूल करने का हक वादी नम्बर ६ को दिया गया है अतएव प्रतिवादी भगड़ा मिटाने के लिये फ़रीक बनाये गये हैं ।

१०—विनायदावी ता०

११—दावे की मालियत (१०५३१) रुपया)

वादी प्रार्थी है कि :-

(अ) प्रतिवादी फ़रीक प्रथम व फ़रीक द्वितीय को हुकम हो कि वह १०५३१ रुपया असल व सूद नीचे लिखे हुये हिसाब के अनुसार मय खर्च नालिश व सूद दौरान और आइंदा रुपया वसूल होने के दिन तक अदा करें नहीं तो जायदाद नीलाम की जावे ।

(हिसाब का विवरण)

(५) रहनग्रहीता का हिन्दू रहनकर्ता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों

पर सम्पत्ति के जीलाम के लिये दावा

१—वादी उस सम्पत्ति के सादा रहनग्रहीता हैं जिसके प्रतिवादी राहिनान हैं ।

२—इस रहन का विवरण निम्नलिखित है—

(क) रहन की तारीख... ..

(ख) रहनकर्ता का नाम.....

रहनग्रहीताओं का नाम.....

(ग) रहन का रुपया.....

(घ) सूद की दर..... १॥॥ रुपया सैकड़ा मा० सूद छःमाही।

कुल रुपया इन्दुल तलब अदा करना ठहरा।

(ङ) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण (यहाँ पर विवरण लिखना चाहिये) ।

(च) इस समय मुजलिसा.....) स० वाजिब है ।

३—प्रतिवादी नम्बर २, ३ व ४ प्रतिवादी नं० १ के अवयस्क पुत्र हैं और नम्बर ३ व ४ दस्तावेज लिखने के बाद पैदा हुये हैं । कुल प्रतिवादी अविभक्त कुल के सदस्यों की हैसियत से ऋण अदा करने के उत्तरदायी हैं क्योंकि प्रतिवादी नम्बर १ ने मैनेजर व कर्ताकुटुम्ब की हैसियत से कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के लिये ऋण लिया था ।

(६) अचल संपत्ति के नोंछाम के लिये मुर्तहिन् की ओर
से, हिन्दू पिता और पुत्रों पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी अर्जादावे में लिखी हुई प्रतिवादी नम्बर १ की स्वयं पैदा की हुई जायदाद का मुर्तहिन् है ।

२—उस रहन का विवरण नीचे दर्ज है —

(अ) रहन नामा लिखने की तारीख—

(ब) राहिन का नाम भोलाप्रसाद, प्रतिवादी नम्बर १ ।

मुर्तहिन् का नाम—मिश्रीलाल, वादी ।

(क) रहन का रुपया...३०००)

(ख) व्याज की दर फ्री सैकड़ा ॥॥=) आना मासिक है और व्याज के अदा होने की शर्त यह है कि सूद छमाही अदा होगा सूद के न देने पर वह रुपया भी असल में मिला कर उस पर भी व्याज इसी दर से अदा किया जायेगा ।

(ग) मरहूना सम्पत्ति अर्जादावे में नीचे दर्ज है :—

(घ) अब.....रुपया रहननामे के वाजत वाजिबउल अदा है ।

३—यह जायदाद भोला प्रसाद प्रतिवादी फरीक प्रथम की खुद पैदा की हुई है और यह श्रृण उसने हिन्दू अविभक्त कुल के कर्त्ता की हैसियत से कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के लिये लिया था प्रतिवादी फरीक द्वितीय भोला प्रसाद के पुत्र होने की वजह से उसके अदा करने के जुम्मेवार हैं और नालिश की तरतीब व भगड़े को दूर करने के लिये उनको भी फरीक मुरुदमा किया गया है ।

४—श्रीमती नगीना (प्रतिवादी नं० ७) ने एक मंजिल मकान को जिसमें भोला प्रसाद रहते हैं और जो शहर कोल मुहल्ला नंगा टोला में स्थित है एक सादी डिगरी को जारी करके खरीद लिया है और पं० गङ्गा प्रसाद प्रतिवादी नं० ८ ने दूकान एक मजिला जो शहर कोल मुहल्ला मियागंज में है दस्तावेज की नालिश करके कुर्क करा ली है अतएव मुकदमे की तरतीब के लिये इनको प्रतिवादी फरीक तृतीय बनाया गया है ।

५—दस्तावेज लिखने वाले भोला प्रसाद ने रहननामे के मुताबके में केवल..... रुपया ता०.....ई० को वादी को अदा किया और ता०.....को मौज़ा मुजब्वर को वादी के हाथ.....रुपया, जुज मतालना रहननामे में बै कर दिया अब केवल.....रुपया वादी का प्रतिवादी के ऊपर बाकी है जो कि रहन की हुई जायदाद से वसूल हो सकता है ।

६—भोला प्रसाद असलियत में, एक मजिल दूकान (जो शहर कोल मु० मियाँ

गंज में स्थित है) का मालिक नहीं था बल्कि केवल मुर्तहिन था और उसने उसका रेहन छुटा कर उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया था इसलिये वादी उसकी क़िफ़ालत से दस्तबंददार होता है ।

७—बिनाय बाबा.....

८—दावे की मालियत.....

९—वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को रुपया असल व सूद भय खर्चा नालिश व सूद आज तक का प्रति-वादी से दिला दिया जावे वरना जायदाद के नीलाम से वादी को रुपया वसूल कराया जावे ।

(ब) अगर जायदाद भरहूना के नीलाम से वादी को रुपया अदा न हो तो वादी को अधिकार दिया जावे कि वह भोलाप्रसाद की ज्ञात व दूसरी जायदाद से वसूल कर सके ।

(१) तफसील जायदाद जो आड़ हुई है ।

(२) तफसील जायदाद जो नीलाम होने वाली है ।

* (७) जादाद के नीलाम के लिये पिछले मुर्तहिन की अपने और मुख्य रहन के रुपये के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी प्रतिवादी नं० १ की भूमि का सादा रहनदार है ।

२—इस रहन का विवरण यह है—

(अ) रहन की तारीख—

(ब) रहन करने वाले का नाम—रामचरण ।

रहन-ग्रहीता का नाम —बलदेवसिंह ।

(क) रहन के रुपये की संख्या.....१२५०) रुपया ।

(ख) ब्याज की दर.....१) रुपया सै० मा० और हर छठे महीने पर ब्याज दर ब्याज और कुल रुपया इन्दुलतलब अदा करना करार पाया ।।

* नोट—क़ानून से पिछले मुर्तहिन को यह आवश्यक नहीं है कि अपने रहन की नालिश में पहिले मुर्तहिन को फ़रीक बनाये या उसके रहन को जुदा कर दोनों रेहनों का रुपया वसूल करने की प्रार्थना करे परन्तु उसको क़ानून से यह अधिकार प्राप्त है । इस तरह की बहुत कम नालिशें होती हैं लेकिन जहाँ मुख्य रहन में बिना पिछले मुर्तहिन को फ़रीक बनाये हुए नीलाम हो जावे उस समय ऐसी प्रार्थना आवश्यक है । नमूना नं० ८-ब (नौ) इसी प्रकार के हैं ।

(ग) इस समय ३३२५) रुपया वाजिब हैं ।

(घ) जायदाद मरहूना का विवरण—

३—प्रतिवादी फरीक द्वितीय इस जायदाद के कुछ हिस्से का पहिला मुतहिन हैं जिसकी तफलील यह है—

(अ) रहन की तारीख... ..

(ब) नाम राहिन—रामचरण व हरनाम ।

नाम मुर्तहिन—श्री गोपाल व भजनलाल ।

(क) रेहन का मतालना ५००) रुपया ।

(ख) व्याज की दर ॥॥) आना सैकडा मासिक और कुल रुपया इन्दुलत-लव अदा करना होगा ।

(ग) इस समय जो मतालना वाजिब है ८४०) रुपया ।

(घ) जायदाद मरहूना का विवरण—

४—वादी का रुपया अदा करने के लिये प्रतिवादी फरीक प्रथम से कदा गया लेकिन वह ध्यान नहीं देते । वादी.....रुपया वसूल करना चाहता है ।

५—दावे की विनाय ता०दस्तावेज के लिखने के दिन से व ता०इनकार करने के दिन से स्थान.....में अदालत के अधिकार के अन्दर पैदा हुई ।

६ दावे की मालियतरुपया है ।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी फरीक अव्वल को हुकम हो कि वह मुतलिसा ३३२५) रुपया मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने के दिन तक अदालत की मुकर्रर की हुई तारीख पर वादी को अदा करें ।

(ब) प्रतिवादी के यह रुपया न अदा करने पर वादी को अधिकार दिया जावे कि वह प्रतिवादी फरीक द्वितीय का रुपया अदा कर दे और उसको ७ मई सन् १९...ई० के लिखे हुये दस्तावेज की रकम वसूल करने का अधिकार रहन की हुई जायदाद को नीलाम करके, और ता० ६ जून सन् १९.....ई० के दस्तावेज का रुपया उस दस्तावेज में लिखी हुई जायदाद को नीलाम करके वसूल करने का अधिकार दोनों मय खर्चा नालिश व सूद वसूल होने के दिन तक डिग्री से दिया जावे ।

(८) नीलाम के लिये पिछड़े मुरतहिन की, राहिन और जायदाद खरीदने वाले के ऊपर नाबिश्

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है :—

१—वादी, प्रतिवादी फ़रीक दोयम की रहन की हुई जायदाद की सादा मुरतहिन है।

२—इस रहन की तफ़सील यह है—

(अ) रहन की तारीख—

(ब) राहिनों का नाम—तारासिंह व बहादुरसिंह।

मुरतहिन का नाम—मुरलीधर।

(क) रहन का रुपया—४०००) रु०।

(ख) ब्याज की दर फी सैकड़ा १=) रु० मासिक और ब्याज हर साल अदा होगा वरना सालाना सूद असल में मिलाया जावेगा और कुल रुपया इन्दुल तलव अदा होगा।

(ग) मरहूना जायदाद का विवरण—

(घ) इस समय मु० ७००००) रु० वाजिब हैं।

३—२१ मई १९०६ ई० के लिखे हुये बँनामे से मुरलीधर की स्त्री श्री० परवती व मुरलीधर के लड़के रूपराम की स्त्री श्री० गंगा कुँअर ने जो कि इस दस्तावेज़ की, उत्तराधिकारिणी होने की वजह से मालिक हुई, यह दस्तावेज़ वादी के नाम वै कर दिया और अत्र वादी दस्तावेज़ की मालिक और दावा करने की अधिकारिणी है।

४—असली मदीयून तारासिंह का देहान्त हो गया प्रतिवादी नं० ७, ८ व ९ उसके उत्तराधिकारी हैं।

५—प्रतिवादी नं० १ और प्रतिवादी नं० २ से ६ तक के पूर्वाधिकारी, बिहारी लाल इस जायदाद के पहिले मुरतहिन, ता०..... के लिखे हुए दस्तावेज़ तादादी ३९५०) रुपये से थे।

६—इन पहिले मुरतहिनों ने पिछले मुरतहिन मुरलीधर व रूपराम को मुकदमे में फरीक नहीं बनाया और उनको बिना रहन छुटाने का अवसर दिये हुए रहननामे के आघार पर डिग्री करके, जायदाद को ३२९६२।=), डिग्री के कुल मतालवे में, ता०.....को नीलाम में खरीद लिया और उसी समय से उस जायदाद पर काबिज़ हैं और उसके मुनाफे से लाभ उठाते हैं।

७—प्रतिवादी प्रथम पक्ष की इस डिग्री व नीलाम की कार्रवाई से वादी के विरुद्ध कोई असर नहीं होता और वादी कुल प्रतिवादियों के विरुद्ध जायदाद का नीलाम कराने की हकदार है।

८—जायदाद की आमदनी से मटरूमल बिहारीलाल का कुल रुपया बेबाक हो गया है और अब इस जायदाद पर उनका कोई रुपया बाकी नहीं है ।

९—वादी इस बात पर भी राजी है कि यदि हिसाब से प्रतिवादी फरीक अब्दुल की कोई रकम वाजिब हो तो वह वादी से दिलाई जावे और जायदाद, दस्तावेज के मुताबिके की बाबत जो वादी को प्रतिवादी फरीक अब्दुल को देना पड़े, नीलाम की जावे ।

१०—दावे का तायून मुबलिया ८००००) ८० है ।

११—बिनायदावी—

१२—वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी को हुकम हो कि वह ७००००) रुपया असल व सूद मय खर्चा नालिश व सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने के दिन दस्तावेज में लिखी हुई दर के अनुसार उस तारीख पर जो इस बारे में अदालत नियत करे वादी को अदा करें नहीं तो जायदाद नीलाम की जावे और वादी के रुपया की बेबाकी करा दी जावे ।

(ब) अगर ता०के दस्तावेज की बाबत कोई रुपया प्रतिवादी फरीक प्रथम को दिलाना अदालत उचित समझे तो उसके लिये वादी को उसके देने का अवसर दिया जावे और जायदाद फिकरा (अ) में लिखे हुये मुताबिके और इस रुपये के दिलाने के लिये नीलाम की जाये ।

* (९) पिछले मुरतहिन की ओर से पहिले मुरतहिन और राहिन के ऊपर सम्पत्ति नीलाम कराने के लिये नाक़िश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : -

१—प्रतिवादी फरीक प्रथम प्रतिवादी फरीक द्वितीय की ज़मीन के सादा रहन ग़हीता है ।

* नोट नं० १— इस सिलसिले में डिग्री का नमूना जो ज़ाप्ता दीवानी के शिख्ज़ १ परिशिष्ट (ब) के नम्बर ९ में दिया हुआ है देखने योग्य है ।

नं० २—मुरतहिन को अधिकार है कि वह नालिश केवल अपने राहिन के ऊपर दायर करे और हक़ मुरतहिन के नीलाम की प्रार्थना करे या वह हक़ रहननामा और रहननामा दोनों के आधार पर अपने राहिन और जायदाद के असली मालिक के ऊपर नालिश करे और असली हक़ीयत के नीलाम की प्रार्थना करे । पहिली दशा में अर्जादावा भाग २६ के नमूना नम्बर १ के अनुसार होगा और दूसरी दशा में इस नमूने के अनुसार अर्जादावा लिखा जावेगा ।

२—रहन का विवरण यह है—

(यहाँ पर भाग २३ के नमूना नं० १ में दी हुई बातें लिखनी चाहिये) ।

३—वादी उस रहननामे का सादा रहनग्रहीता है और उसका विवरण यह है ।
(यहाँ पर भी भाग २३ में दिये हुये रहननामे की कुल बातें लिखनी चाहिये जैसे कि पहिले नमूने में लिखी जा चुकी हैं) ।

४—दावे की मालियत—

५—वादी प्रार्थी है कि—

अदालत से हुक्म हो कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष.....रुपया असल व सूद ता०के लिखे हुये रहननामे की बाबत खर्च नालिश व सूद इत्यादि, सहित और प्रतिवादी द्वितीय पक्षरुपया असल व सूद ता०.....के रहन नामा की बाबत मय खर्च नालिश इत्यादि एक नियत तारीख तक अदा करे और दोनों प्रतिवादियों के अपना अपना मतालबा न अदा करने की दशा में सम्पत्ति नीलाम की जावे और वादी का मतालबा बेबाक किया जावे ।

* (१०) जमानत नामे के आधार पर जायदाद के नीलाम के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१— ता०को वादी ने प्रतिवादी नं० १ का मुन्शी (क्लार्क या मुनीम) की हैसियत में नौकर रक्खा ।

२ - ता०को प्रतिवादी नं० २ ने रजिस्ट्री किये हुए जमानत नामे से इफ्फार किया कि यदि प्रतिवादी नं० १ क्लार्क के पद का अपना काम ईमानदारी और सच्चाई से न करे और कुल नकद रुपया, दस्तावेज और माल जो वादी के लिये उसको मिले उसका हिसाब न दे सके तो जो कुछ वादी को उसकी वजह से हानि होगी उसकी बाबत प्रतिवादी उतनी रकम जोकि ... रु० से ज्यादा न हो अदा करेगा और उसकी अदायगी के विश्वास के लिये नीचे लिखी जायदाद जमानत नामे में उस मतालबे की देनदार कर दी ।

(यहाँ पर सम्पत्ति का विवरण देना चाहिये)

३— ता० और ता० ... के प्रतिवादी नं० १ ने मुबलिग रु० का माल इत्यादि वादी के नाम वसूल किया और उसका हिसाब नहीं दिया और वह मतालबा अब तक बाकी है ।

* नोट—इसी मिलसिले में भाग १२, जमानत का नमूना नं० ७ देखना चाहिये ।

४—बिनाय दावी (बाकी के हिसाब का मतलब देने से इन्कार करने के दिन से)

५—दावे की मालियत —

६—वादी प्रार्थी है कि —

उसका मतलब जो कि प्रतिवादी न० १ पर बाकी है दिलाया जावे नहीं तो जमानत नामे में लिखी हुई सम्पत्ति नीलाम की जावे ।

*** (११) इजराय डिगरी में दी हुई जमानत को जायदाद नीलाम करार कर छुड़ाने के लिये नालिश**

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—अदालत सिविल जजी से एक डिग्री नम्बर १६६० ई०, ७०००) ४० की मय खर्चा नालिश ता० २२ जनवरी सन् १९.....ई. के हिदायतउल्ला-प्रतिवादी के ऊपर वादी को प्राप्त हुई ।

२—हिदायतउल्ला ने वादी के विरुद्ध अदालत हाईकोर्ट में अपील न० ५६ सन् १९.....दायर की और फैसला न होने तक इजरायडिग्री स्थगित रखने के लिये दख्वास्त दी ।

३—हाईकोर्ट से इजरायडिग्री स्थगित रहने की इजाजत ता० ६ मार्च सन् १९.....के इस शर्त पर हुई कि डिग्री की जायदाद की बाबत जमानत हिदायतउल्ला अपीलॉट से ले ली जावे ।

४—जमानत की तफसील नीचे लिखी है—

(क) जमानत नामे के लिखने की तारीख— २८ फरवरी सन् १९ ... ई० ।

(ख) जामिन का नाम..... रामसहाय ।

जिसके नाम जमानतनामा लिखा गया .. रजिस्ट्रार हाईकोर्ट इलाहाबाद ।

(ग) जमानत की सख्या .. कुल मतलब उस डिग्री का जो अदालत हाईकोर्ट से मुकदमा अपील अवल नम्बरी ५६ सन् १९.....ई० में सादिर हो ।

(घ) जमानत की हुई जायदाद का विवरण .. ३ बिस्वा ज़िमीदारी मुन्दर्जा खाता खेवट नम्बर ६ मुहाल रामसुख मौ० चन्दनपुर तहसील भोगाँव जिला मैनपुरी ।

(ङ) रकम जो इस वक्त वाजिब है ... डिगरी का कुल रुपया, मुबलिंग ६६५०) ४० ।

* नोट—सादा जमानत की नालिशों इसी प्रकार के पद १२ में दी जा चुकी हैं ।

५—हिदायतउल्ला की अपील हाईकोर्ट से ता० ७ अगस्त सन् १६ ई० को खारिज हो गई, और जमानत का मतलबा वाजिब हो गया ।

६—रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने जमानतनामा वादी के नाम बदल दिया और अब वादी नालिश करने का अधिकारी है ।

* (१२) एक राहिन की दूसरे राहिन पर, रसदी के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—फरीकैन की जायदाद एक मनुष्य मोहनलाल के पास सादा रहन थी ।

२—उस रहन का विवरण यह है—

(जैसा कि नीलाम के नमूना नं० १ में)

३—फरीकैन के पूर्वाधिकारी (मूरिस) शेरसिंह राहिन का देहान्त हो गया । मोहनलाल मुरतहिन ने इस रहननामा के अनुसार रहन के मतलबे और बैनात के लिये अदालत में दावा नम्बरी ३०१ सन् १६.....ई० फरीकैन के मुकामले दायर किया जो ता० १७ मई सन् १६ ई० को डिग्री हुआ ।

४—वादी ने ता० को इस डिग्री का कुल.....र० अदालत में दाखिल कर दिया और डिग्री खारिज हो गई ।

५—वादी कुल डिग्री के आधे मतलबे का मय ब्याज १) र० सै० मासिक व सद् दर सद् सालाना जोड़ कर अदा होने की तारीख तक पाने का दावीदार है ।

(१३) रहन का कुल रुपया अदा करने पर हिस्से के खरीदार की रसदी के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी नं० १ अर्जीदावे में नीचे लिखी हुई जायदाद (अ) (ब) व (ज) का मालिक था ।

२—प्रतिवादी नं० १ की यह कुल जायदाद एक पुरुष हरदेवदास के यहाँ.....र० में ता० के लिखे हुए सादा रहननामे के अनुसार रहन थी । दस्तावेज में ब्याज की दर ३) र० सैकड़ा मासिक थी और सद् वार्षिक जोड़ा जाता था ।

* नोट—सादा विभाग (रसदी या Contribution) की नालिशों पद १६ में दी जा चुकी है ।

३—वादी जायदाद (अ) का खरीदार और प्रतिवादी नं० २ जायदाद (ब) का खरीदार है जो इजराय डिग्री में प्रतिवादी नं० १ के मुकाबले जेर रहननामा नीलाम हुई । जायदाद (ज) का प्रतिवादी नं० १ अब भी मालिक व काबिज है ।

४—वादी ने ता०को रहननामा मौसूमा हरदेवदास के कुल मतालवा के अदा करके हर एक जायदाद को आड़ से बचा लिया ।

५—नीचे लिखे हिसाब से रसदी का मतालवा (ब) जायदाद के ऊपर ... रु० और (ज) जायदाद के ऊपर... रु० होता है ।

आड़ की हुई कुल जायदाद का मूल्य ४१००)

जायदाद (अ) का मूल्य १४००) रसदी का... रु० ।

” (ब) ” ” १६००) ” ,,,... रु० ।

” (ज) ” ” १०००) ” ,,..... रु० ।

६—प्रतिवादी ने अपनी जुम्मेवारी का मतालवा अदा नहीं किया ।

(१४) मुख्य रहन का रुपया काट कर रसदी के

दिये नाक़िश

(सिरनामा)

उक्त वादी निम्नलिखित अर्ज करता है :—

१—प्रतिवादी नं० १ जायदाद (अ), (ब), व , ज) का मालिक था ।

२—जायदाद (अ), रामलाल के यहाँ प्रतिवादी नं० १ की ओर से ॥३) सै० मा० व्याज पर.....रु० में रहन थी ।

३—प्रतिवादी नं० १ की ओर से जायदाद (ब) दिलदार हुसेन के यहाँ ता० ... के दखली रहननामे के द्वारा ...रु० में रहन थी जिस पर अधिकार मुरतहिन का था और सूद व लाभ बराबर बराबर था ।

४—प्रतिवादी नं० १ यह कुल जायदाद सुन्नूलाल के यहाँ ता०... के सादा रहननामे के अनुसाररु० में दस्तावेज पर १) रु० सै० मा० वार्षिक व्याज दर व्याज रहन की थी ।

५—फिर प्रतिवादी नम्बर १ ने (अ) जायदाद को प्रतिवादी नं० २ के हाथ बँ कर दिया और (ब) जायदाद का हक् राहिनी सादा कर्ज के बारे में नीलाम होकर नीलाम का मूल अदा करने पर वादी ने खरीद लिया । प्रतिवादी नं० १ जायदाद (ज) का खुद मालिक है ।

६—सुन्नूलाल ने ता०... ..के सादा रहननामे के आधार पर फरीकैन के उपर ता०.....को अदासत.....मुक़दमा नम्बरी.....में आड़ हटाने व जायदाद के

नीलाम के लिये नालिश दायर की और ता० के फरीकैन से मुकाबले २० की डिग्री प्राप्त की ।

७—फरीकैन ने डिग्री का मतालवा अदा नहीं किया इसलिये अदालत से २० वसूल करने के लिये नीलाम होने का हुक्म हुआ ।

८—वादी ने जायदाद बचाने के लिये डिग्री का कुल मतालवा ता० के अदालत में जमा कर दिया और डिग्री पूरा रुपया दे दिये जाने के सबब से खारिज हो गई ।

९—सुन्लाल के नाम रहननामा होने के समय जायदाद (अ) का बाजारी मूल्य फिक्का नं० २ में लिखे हुये हुये किफायत को घटा कर .. २० था और जायदाद (ब) की फिक्का नं० ३ में लिखे हुये दखली रहन मतालवा घटा कर... .. २० थी और जायदाद (ज) की २० थी । रसदी के लिये जायदाद (अ) पर.....२० और जायदाद (ज) के ऊपर .. २० निकलता है ।

१०—प्रतिवादी नं० १ व २ ने अपने ऊपर निकलता हुआ रुपया अभी तक अदा नहीं किया ।

२४—प्रतिषेध या वैवात

(Foreclosure)

रेहन के सम्बन्ध की यह दूसरी प्रकार की नालिश होती है । यदि रेहन धन रेहन के शर्तों के अनुसार अदा होने योग्य हो गया हो और उसके देने में रेहन कर्ता असमर्थ रहे तब रेहन-ग्रहीता (१) रेहन की हुई सम्पत्ति को नीलाम करा कर अपना रेहन धन प्राप्त कर सकता है अथवा (२) उसको यह अधिकार होता है कि रेहन-कर्ता के रेहन छुड़ाने के हक को नष्ट करा देवे और उस सम्पत्ति का स्वयं मालिक हो जावे । इस दूसरी प्रकार की कारवाइ को प्रतिषेध कहते हैं ।

प्रतिषेध की नालिश में वही सब घटनाएँ और विवरण देनी चाहिये जो कि नीलाम की नालिश में और जो कि पद २३ के नोट में ऊपर लिखी जा चुकी हैं । ये दोनों प्रकार की नालिशें रेहन-ग्रहीता की ओर से दायर की जाती हैं और एक ही रूप की होती हैं । परन्तु वादी की प्रार्थना सम्पत्ति के नीलाम के बजाय प्रतिवादी का हक नष्ट करने और वादी को सम्पत्ति का मालिक करार देने की होती है ।

मियाद—प्रतिषेध की नालिश भी नीलाम की नालिश की तरह रेहन

का रुपया अदा होने योग्य हो जाने की तारीख से १२ साल के अन्दर होना चाहिये ।^१

कोर्ट-फीस—दावे की मालियत या रहन के मूल धन पर पूरा कोर्ट फीस लगता है ।

(१) * प्रतिपेघ (वैचात) के लिये साधारण नमूना

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—यह कि वादी प्रतिवादी की जमीन का रहनग्रहीता है जिसे बेचे जाने के लिये प्रार्थना की जा रही है ।

२—इस रहन का विवरण इस भाँति है—

(अ) रहन की तारीख.....।

(ब) राहिन का नाम।

मुरतहिन का नाम।

(क) रहन का मतालवा।

(ख) सूद की दर .. .।

(ग) रहन की हुई जायदाद की तफसील..... .।

(घ) मतालवा जो इस समय निकलता है..... .।

(च) यदि वादी ने किसी दूसरे से अधिकार प्राप्त किया हो तो सच्चे में लिखना चाहिये कि वादी दावा करने का हकदार है ।

३—यदि वादी मुरतहिन मय कब्जा हो तो इस भाँति लिखना चाहिये—

वादी ने रहन की हुई जायदाद पर ता०..... .को कब्जा हासिल किया और उसी तारीख से मुरतहिन की हैसियत में जायदाद पर काबिज है ।

४—दावे का कारण—

५—दावे की मालियत—

* नोट १—यह नमूना जाता दीवानी के शिब्बूल १ अ० (अ) के न० ४५ के अनुसार है ।

* नोट २—रहन की हुई जायदाद के बेचने का अधिकार सिर्फ सादा राहिन को है । रहन दखली में रहन की हुई जायदाद के बेचने का अधिकार उसी हालत में है जहाँ कि राहिन ने स्वयं अपनी जात से रुपया देने की प्रतिज्ञा की हो ।

1. Article 132 Limitation Act

वादी प्रार्थी है कि—

बकाया मतालवा और मुकदमा दायर करने के दिन से उसका सूद दिलवाया जावे और यह न अदा किये जाने पर जायदाद रहन से छुटाने से रोक दी जावे और कब्जा दिलाया जावे ।

(२) रहन नामे की अवधि समाप्त हो जाने पर अधीकृत रहन-ग्रहीता की, रहन-कर्ता के उत्तराधिकारियों पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी की आराज़ियों का वादी रहन-ग्रहीता मय कब्जा है ।

२—रहन का विवरण यह है—

(अ) रहन की तारीख — ११ जुलाई सन् १९.....ई० ।

(ब) रहन कर्ता का नाम — हरदयाल ।

रहन-ग्रहीता का नाम—शेरसिंह ।

(क) रहन के रुपये की संख्या—५०००) रु० ।

(ख) सूद की दर—रहन के रुपये पर सूद और रहन की हुई सम्पत्ति का लाभ बराबर करार पाया गया और यह ठहरा कि रहन-ग्रहीता सम्पत्ति पर कानिज़ रहे और सूद के बदले में लाभ लेता रहे । १५ साल के बाद वास्तविक रुपया अदा कर देने पर जायदाद रहन से छूट जावेगी नहीं तो बिक्री (बै) पूरी हो जावेगी ।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण—

४०० बीघा भूमि हक्कीयत ज़मींदारी, खाता खेवट नं० ७ महाल जैशीराम मौज़ा रबूपूर, परगना जेवर, जिला बुलन्दशहर ।

(घ) इस समय रहन का वास्तविक मतालवा ५०००) बकाया है ।

(च) असली रहन-ग्रहीता शेरसिंह का देहान्त हो गया, वादी उसका लड़का व उत्तराधिकारी है और रहन की हुई जायदाद पर कानिज़ है ।

(छ) असली राहिन हरदयाल का भी देहान्त हो गया । प्रतिवादी न० १ उसकी लड़की मानकुँअर का लड़का है और उत्तराधिकारी होने के कारण माल के कासजों में उसका नाम दर्ज है ।

३—प्रतिवादी नं० २ मृतक हरदयाल के कुटुम्ब का है । प्रतिवादी नं० २ और नं०

१ में, आपस में हरदयाल के उत्तराधिकारी होने की बाबत भगड़ा है और मुकदमा चल रहा है। आगे का भगड़ा मिटाने के लिये उनको फरीक बनाया गया है।

(३) सयुक्त रहन होने पर जायदाद का प्रतिषेध कराने और दखल के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी की जायदाद का वादी दो रहननामों के अगुसार मुरतहिन है।

२—पहिले रहन का विवरण इस भाँति है :—

(अ) रहन की तारीख् .. १६ जून सन् '९—ई० ।

(ब) रहन करने वाले का नाम—यारमुहम्मद ।
मुरतहिन का नाम—दिलदारवख्श ।

(क) रहन का मतालवा—३५००) रु० ।

(ख) ब्याज की दर ॥=) आना सै० माहवारी और ब्याज दर ब्याज छः माही और कुल रुपया रहन की ता० से अवधि के अन्दर ६ साल में अदा होना ठहरा और रहन की हुई जायदाद न अदा करने पर बिक्री हो जावे ।

(ग) जायदाद का न्योरा—पक्की बनी हुई एक मजिला हवेली मय कुल हकूक स्थित रानी मन्डी, शहर इलाहाबाद ।

(यहाँ पर चौहद्दी लिखी जावे)

(घ) इस समय इस रहन के ५२२०) रु० निकलते हैं ।

३—दूसरे रहन का विवरण यह है ;—

(अ) राहिन का नाम—यारमुहम्मद ।

मुरतहिन का नाम—इलाहीवख्श लड़का व नूर फातमा लड़की
दिलदार वख्श ।

(ब) रहन की ता० ११ सितम्बर सन् १६.....ई० ।

(क) रहन का मतालवा—६००) रु० ।

(ख) ब्याज की दर फी सैकड़ा ॥=) आ० मा० ब्याज दर ब्याज और कुल रुपया १३ जून सन् १६.....ई० तक अदा होना ठहरा ।

(ग) इस समय ११२५) रु० इस रहन नामे की बाबत वाजिब है ।

(घ) रहन की हुई जायदाद वही जायदाद जो १६ जून सन् १६.....ई० के पहिले रहननामे में रहन है ।

४—१३ जून १६३५ ई० के रहननामे के असली मुरतहिन दिलदार बरुश का देहान्त हो गया, वादी उसका लड़का और उसकी लड़की मुसम्मात नूर फातमा उसके वारिस हुए । मुसम्मात नूर फातमा ने दोनों रहननामों में अपना हक वादी के नाम, दान, हिबा कर दिया । अब वादी अकेला मालिक और दावा करने का हकदार है ।

५—बिनायदावी (दोनों रहननामों की अवधि समाप्त होने के दिन से) ।

६—दावे की मालियत :—

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) प्रतिवादी को हुक्म हो कि वह ६३४५) रु० असल और सूद दोनों रहननामों का मतालबा मय खर्च नालिश व सूद अदालत से नियत की हुई तारीख तक अदा करे नहीं तो रहन की हुई जायदाद प्रतिषेध कर दी जावे और वादी को उस पर दखल दिला दिया जावे ।

(४) क़ाबिज़ मुरतहिन का राहिन पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी नं० १ की जायदाद का वादी क़ाबिज़ मुरतहिन है ।

२—उस रहन का विवरण यह है :—

(अ) रहन की तारीख—१६ मई सन् १६.....ई० ।

(ब) राहिन का नाम—हरभजन ।

मुरतहिन का नाम—सीताराम ।

(क) रहन के रुपये की संख्या—१२५०) रु० ।

(ख) सूद की दर ॥) सैकड़ा मासिक और यह भी करार पाया कि मुरतहिन सात साल तक रहन की हुई जायदाद पर क़ाबिज़ रह कर उसकी आमदनी वसूल करे और सरकारी माल गुजारी और तहसील वसूल के खर्च काट कर जो कुछ मतालबा बचे उसको हर छमाही रहन के सूद में काटता रहे । जो कुछ भी सूद के रुपये में हो वह हर छमाही रहन के मतालबा में जोड़ कर उस पर भी इसी हिसाब से सूद लगाया जावे । सात साल की अवधि के बाद जो कुछ मतालबा हिसाब से मुरतहिन का निकले

वह दो महीने के अन्दर राहिन को अदा करना होगा, नहीं तो रहन की हुई जायदाद बेच दी जावेगी ।

(ग) रहन की हुई जायदाद की तफसील—

२ बीघा १३ बिस्वा हकीयत जमींदारी जो कि खाता खेवट नं० ६ पट्टी राम-सुख महाल तोताराम स्थित मौजा हरग्यानपुर परगना व तहसील रामबाग जिला हमीरपुर में दर्ज है ।

(घ) नीचे दिये हुए हिसाब से ४२७५ रु० बकाया निकलते हैं ।

३—सीताराम मुरतहिन का देहान्त हो गया चादी उसका लड़का व उत्तराधिकारी है ।

४—बिनाय दावी १६ मई सन् १९...ई० के दो महीने बाद यानी १६ जुलाई सन् १९.....ई० को अवधि के अन्तिम दिन से स्थान हरग्यानपुर, अदातत की अधिकार सीमा के अन्दर पैदा हुई ।

५—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि उसका जो रुपया हिसाब से निकलता हो दिलाया जावे और बैबात के लिये डिग्री आर्डर ३४ नियम २५ जाता दीवानी के अनुसार वादी के नाम प्रतिवादी के ऊपर सादिर की जावे ।

२५—रहन छुटाना (इनफेकाक)

(Redemption.)

यह रहन के सम्बन्ध की तीसरी प्रकार की नाज़िश है । जिस तरह रहन-गृहीता को रहन का रुपया अदा होने योग्य हो जाने पर जायदाद को नीलाम या प्रतिषेध कराने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है वैसे ही रहन-कर्ता को उस रुपया को अदा कर देने पर रहन छुटाने का अधिकार-उत्पन्न हो जाता है । यदि रहन-धन बेधाक हो चुका है तो रहन-कर्ता को कोई रुपया और नहीं देना पड़ता वरना जो हिसाब से रुपया निकलता हो वह देखल पाने से पहिले रहन-गृहीता को देना पड़ता है । इस प्रकार से रहन-कर्ता और रहन-गृहीता के स्वत्व प्रायः एक समान है ।^१

रहन-छुटाने के दावे में उन सब मनुष्यों को मुकदमे में प्ररीक बनाना चाहिये जिनका कोई रहन की हुई जायदाद में हक हो या जिनको रहन छुटाने का हक पैदा होता हो ।^२ ऐसे कोई मनुष्य यदि वादी होने से इन्कार करें या वादी न बनना चाहें तो उनके प्रतिवादी बनाया जा सकता है ।

रहन की तारीख, रहन-कर्ता व रहन-गृहीता के नाम, रहन का मूलधन और

1 I L. R. 36. All 195 P C ; 16 Mad 486 , 25 A L. J R. 1051.

2 Or. 34 B. 1. C P C.

सूद की दर, रहन की हुई जायदाद की तफसील और रहन की शर्तें विशेष कर रहन छुटाने के लिये जो प्रतिज्ञायें दोनों पक्षों में नियत हुई हों और यह कि वादी को रहन छुटाने का अधिकार है अर्जीदावे में लिखना चाहिये। यदि रहन-ग्रहीता रहन की हुई जायदाद पर काबिज हो और रहन के रुपये पर किसी निश्चित दर से सूद चढ़ता हो तब रहन के हिसाब की भी प्रार्थना होनी चाहिये। यदि वादी के हिसाब से कुल रुपया जायदाद की आमदनी से बेबाक हो गया हो या इसके अतिरिक्त कुछ रुपया प्रतिवादी के पास उस आमदनी से जमा हो गया हो तो वैसी ही उचित प्रार्थना दावे में होनी चाहिये।

सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा ११ में वह पुरुष जिनकी ओर से रहन छुटाने का दावा हो सकता है दिये हुए हैं। यदि रहन एक से अधिक रहन-कर्ता की ओर से लिखा गया हो तो उनमें से एक रहन-कर्ता सिर्फ अपने हिस्से को नहीं छुड़ा सकता।¹ परन्तु वह पूर्ण रहन को अन्य हिस्सेदारों की अनुमति लिये बिना भी छुटा सकता है।² यही नियम जहाँ पर एक से अधिक रहन-ग्रहीता हों तब भी लागू होता है।³

यदि रहन-कर्ता रहन-धन अदा करने के लिये अपनी इच्छा प्रगट करे और उसको देने को तत्पर हो या सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा ८३ के अनुसार अदालत में रुखा जमा कर देवे तब रहन के रुपये पर उस तारीख से सूद नहीं चढ़ता।⁴ यदि वादी ने रहन का रुपया प्रतिवादी को दावा करने से पहले अदा करना चाहा हो या अदालत में जमा कर दिया हो तो उसका बयान अर्जीदावे में लिखना चाहिये परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि रहन छुटाने के हर दावे में दावा करने से पहले रहन का रुपया देने के लिये वादी ने अपनी इच्छा प्रगट की हो और न रहन छुटाने का दावा सिर्फ इसी विनाय पर खारिज हो सकता है।⁵

काश्तकारों के ऋण का भार हटाने के लिये कुछ प्रांतों में विशेष कानून पास किये गये हैं। संयुक्त प्रान्त में "कृषक सहायक विधान"⁶ और "ऋण भार निवारण विधान"⁷ प्रचलित हैं और उनसे काश्तकारों को रहन छुटाने के लिये बहुत सी सुविधायें दी गई हैं। "कृषक सहायक विधान"⁸ की धारा १२ के अनुसार रहन छुटाने के लिये दावा साधारण प्रार्थना पत्र की तरह मामूली कोर्ट फीम पर किया जाता है और "ऋण भार निवारण विधान"⁹

1 58. I. C. 129.

2 I L R 48. Cal 22 P C, 22 Mad 209

3 I L R 47 Cal 175 P C

4 A I R 1923 P. C 26, I. L R 55 Mad 458

5 19 A L J. R. 572 F B I L R 43 All 638

6 U. P. Agriculturist Relief Act, 1934

7 U P Debt Redemption Act 1940

8 U P. Agriculturist Relief Act.

9. U. P. Debt Redemption Act.

इसी के अनुसार सूद की दर कम की जा सकती है। जहाँ पर ऐसे दावे दाथर हों उचित क़ानून की धाराओं को अध्ययन करने के बाद अर्जीदावा लिखना चाहिये।

कोर्ट—फ़ीस-रहन छुटाने के दावे में रइन के मूलधन पर कोर्ट-फ़ीस लगता है यदि पूर्व लाभ (वासलात) मांगा जावे तो वासलात के रूपये पर कोर्ट-फ़ीस नहीं देना पड़ता। अदालत के अधिकार के लिये भी मूलधन के हिसाब से ही मालियत नियत करनी पड़ती है।¹

मियाद—रहन छुटाने के लिये साधारण मियाद ६० साल की है।² परन्तु यह मियाद रहन-ग्रहीता की स्वीकृति और इकबाल से बढ़ाई जा सकती है। यदि ऐसी स्वीकृति का लाभ लेना हो तो उसकी सम्बन्धित घटनाएँ अर्जीदावे में लिखना चाहिये।

(१) रहन के छुटाने के लिये साधारण नमूना

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—यह कि वादी उस सम्पत्ति का रहन-कर्ता है जिसका प्रतिवादी रहन-ग्रहीता है।

२—रहन की तफ़सील यह है—

(अ) रहन की तिथि ... ।

(ब) रहन करने वाले व रहन-ग्रहीता का नाम.....।

(क) रहन पर कितना रुपया लिया गया—

(ख) ब्याज की दर—

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण

(घ) यदि वादी ने किसी दूसरे से अधिकार प्राप्त किया हो तो यह लिखना चाहिये कि वादी को दावा करने का अधिकार किस प्रकार से है।

यदि प्रतिवादी का कब्ज़ा हो तो यह भी लिखना चाहिये कि ३ — प्रतिवादी का रहन की हुई सम्पत्ति पर कब्ज़ा है या वह उसका लगान या किराया वसूल करता है।

(नमूना न० १ का फ़िक़रा न० ४ व ५ लिखिये)

वादी प्रार्थी है कि वह रहन की हुई सम्पत्ति को छुटा ले और लेख के अनुसार उस पर अधिकार प्राप्त करे।

1. A I R 1933 Lah 155, I L R 45 All 154

2. Art 148 Limitation Act

(२) रहन-कर्ता के उत्तराधिकारी की ओर से रहन-ग्रहीता के प्रतिनिधि के ऊपर रहन छुटाने के लिये नालिश

नाम अदालत

नं० मुकदमा

मोहन लाल वादी..... बनाम.....हरसुखराय प्रतिवादी ।

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी उस जायदाद का राहिन है जिसका कि प्रतिवादी मुरतहिन है ।

२—रहन का विवरण यह है—

(अ) रहन की तारीख—(५ नवम्बर सन् १९.....ई० ।

(ब) राहिन का नाम—हीरालाल ।

मुरतहिन का नाम—चैन सुखराय ।

(क) रहन का रुपया - १५०० ।

(ख) सूद की दर—रहन की हुई जायदाद की आमदनी और रहन के रुपये का सूद बराबर ठहरा और यह भी करार पाया कि मुरतहिन जायदाद पर काबिज रह कर रहन के रुपये के सूद में उसकी आमदनी लेता रहे और ४ साल की अवधि के बाद जब कि रहन का रुपया दिया जावे जायदाद रहन से छूट जावे ।

(ग) जायदाद का विवरण—एक मजिला मकान (यहाँ पर पूर्ण विवरण देना चाहिये) ।

(घ) असली राहिन हीरा लाल का देहान्त हो गया, वादी उसका लड़का व उत्तराधिकारी है ।

(च) असली मुरतहिन चैनसुखराय का भी देहान्त हो गया उसके मुरतहिनी अधिकार उसके उत्तराधिकारियों के विरुद्ध इजराय डिग्री नीलाम हो कर प्रतिवादी ने खरीद किये । अब रहन की हुई जायदाद पर प्रतिवादी काबिज है ।

३—रहन नामे के अनुसार असली मुरतहिन और उसके प्रतिनिधि रहन की हुई जायदाद पर काबिज रह कर उसकी आमदनी रहन के रुपये के सूद में वसूल करते रहे और अब भी करते हैं ।

४—रहन नामे में लिखी हुई ४ साल की अवधि का अंत हो गया । वादी अब रहन छुटाने का अधिकारी है ।

५—दावे का कारण ता० १५ नवम्बर सन् १९.....ई० को रहन की अवधि समाप्त होने के दिन से स्थान.....में पैदा हुई ।

६—दावे की मालियत (रहन का मूलधन यानी १५००) व०) वादी प्रार्थी है कि—

(३६१)

(अ) उसका नीचे लिखी हुई जायदाद पर १५ नवम्बर सन् १९ .. ई० के रहन नामे के अनुसार १५००) रु० दिलावा कर दखल दिलाया जावे और तहरीर कराकर जायदाद वापिस कराई जावे ।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे ।

(३) इसी तरह का दूसरा दावा, जब कि जायदाद पर दखल और हिसाब से बचा हुआ रुपया लेना हो

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी उस सम्पत्ति का रहनकर्ता है जिसका कि प्रतिवादी रहनग्रहीता है ।

२—रहन का विवरण इस भाँति है —

(अ) रहन की ता १६ नवम्बर सन् १९.....।

(ब) नाम राहिन—अहमदनूर खाँ पिता मुद्ई राहिन, पूर्वाधिकारी प्रतिवादी मुर्तहिन का नाम भवानी-प्रसाद व तुलसी प्रसाद ।

(क) रहन पर ३६०७३) रु० लिया गया ।

(ख) ब्याज की दर—सूद व लाभ बराबर ।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति—१० बिस्वा १६ बिस्वाँसी १३ कचवासी हकीयत मौजा वरई शाहपुर परगना व तहसील..... जिला अलीगढ़ ।

(घ) रहन की हुई सम्पत्ति घरेलू बटवारा से प्रतिवादी के भाग में पड़ी और अब उस पर मुर्तहिन का कब्जा है ।

३—रहन की हुई सम्पत्ति वादी के पिता ने वादी के नाम बेच दी अब अकेला वादी उसका मालिक है और रहन से छुटाने का अधिकारी है ।

४—रहन के समय में, रहनग्रहीता ने रहन की हुई जायदाद में से ४०००) रु० की कीमत के पेड़ कटवा डाले । इन कटवाये हुए पेड़ों का मूल्य रहन के मतालवा से मुजरा होने योग्य है ।

५—रहन नामे में यह शर्त थी कि ६७ बीघा ७ बिस्वा पक्की भूमि जिसका लगान ३५०) रु० था रहनकर्ता के अधिका. में रहेगी लेकिन इस भूमि पर रहनग्रहीता काबिज रहे और ६१०॥) वार्षिक काश्तकारों से वसूल करते रहे । वादी हकदार हैं कि इस रु० मे से लगान का ३५०) रु० वार्षिक घटा कर शेष ६६०॥) वार्षिक १) रु० मा० सूद के साथ रहन के मतालवे में से मुजरा पावे ।

६—इस ज़मीन की आय और कटे हुए पेड़ों के मूल्य से रहन का रुपया वेर्बाक हो कर बहुत सा मतालबा प्रतिवादी के पास अधिक पहुँच गया है जो कि वादी ४००) रु० के करीब समझता है लेकिन अगर हिसाब से और अधिक निकलता हो तो वादी कोर्टफ्रीस लगाकर उसके पाने का हकदार है ।

७—प्रतिवादी से कई बार हिसाब देने, रहन छुटाने और अधिक पहुँचे हुए मतालबे की वापसी के लिये कहा गया लेकिन वह इस ओर कोई ध्यान नहीं देता ।

८—विनाय दावी ता० १० जून सन् १९.....ई० को अन्तिम तकाज़ा करने व इनकार करने के दिन से स्थान सिकदराराउ में पैदा हुई ।

९—दावे की मालियत, रहन का रु० ३६०३७) और वार्षिक बकाया का ४००) रु० कुल ३६४३७) रु० है ।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी से हिसाब लिया जाय और हिसाब लेने के बाद रहन की हुई सम्पत्ति जो कि धारा नं० १ में बर्णन की गई है, रहन से छुटा कर वादी को उस पर सीर की भूमि के साथ पूरा दखल दिलाया जावे और जितना भी रुपया हिसाब से अधिक पहुँचा हुआ निकले वह प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे और यदि हिसाब से प्रतिवादी का रुपया बाकी निकले तो वह वादी से दिला कर सम्पत्ति रहन से बरी कर दी जावे ।

(ब) नालिश का कुल खर्च प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

(४) राहिन के प्रतिनिधि की, मुर्तहिन के उत्तराधिकारियों पर दखल, वासिळात व हिसाब के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी उस जायदाद का राहिन है जिसका प्रतिवादी नं० १ मुर्तहिन है ।

२—उस रहन का विवरण यह है—

(अ) रहन की तारीख—२३ अगस्त सन् १९.....ई० ।

(ब) राहिन का नाम—कुँअर खुबरसिंह ।

मुर्तहिनी के नाम—लाला नरायणदास ३ हिस्सा व बुधसेन रत्नलाल ३ और ताराचन्द भी एक तिहाई के हिस्सेदार थे ।

(स) रहन पर १७५००) रु० लिया गया ।

(क) व्याज की दर रहन के रुपये का व्याज और मरहूना जायदाद का लाभ बराबर ठहरा। रहन की अवधि ११ साल यानी शुरू सन् १३.....फ० से लेकर सन् १३ .. फसली ठहरी परन्तु अवधि गुजर जाने के बाद जिस समय रहन का मतालवा फसल रबी के अंत में दिया जावेगा तब ही रियासत छूट जावेगी।

(ख) रहन की हुई रियासत का विवरण यह है:—

(यहाँ पर तफसील देनी चाहिये)

(ग) असली राहिन कुंवर रघुवरसिंह ने ता० ई० को त्रैनामा लिख कर रहन की हुई जायदाद वादी के नाम बेच डाली। उसी समय से वादी उसका मालिक और उसको रहन से छुटाने का अधिकारी है केवल नालिश की तरतीब के लिये कुंवर रघुवरसिंह को फरीक किया गया है।

(घ) नारायण दास, ताराचन्द व रत्नलाल का देहान्त हो गया है।

छत्तरमल, कुंवरसेन व बाबूराम लडके व दायभागी मृतक नारायणदास, और श्यामलाल, रामजीमल व ठाकुरदास लडके हरीशकर, लडका व दायभागी मृतक ताराचन्द और श्री० खुमान कुंअर विधवा व दायभागी मृतक रतनलाल के हैं और बुद्धसेन और मृतक मुर्तहिनों के उत्तराधिकारी जायदाद मरहूना पर अधिकार किये हुये हैं।

(च) मुर्तहिनों ने अपने कब्जे के समय में रहन की हुई जायदाद की कुल आराजी में से ३२ बीघा आराजी जिस पर रहन के समय ढाका था साफ कराकर जुताउ करली और उसकी लकड़ी अपने काम में ले आये जो रहननामों की शर्तों के अनुसार राहिन की थी। उसकी कीमत ३०००) ६० और इस पर सूद ५००) ६० कुल ३५००) ६० प्रतिवादी नं० १ से मुजरा पाने का वादी हकदार है।

३ मुर्तहिनों ने रहननामों की शर्तों और अपने अधिकार विरुद्ध अंगनलाल प्रतिवादी के नाम से जो बुद्धसेन वादी का ममेरा भाई है एक बाग, आराजी नम्बरी १७३८ मुवाजी १ बीघा १४ बिस्वा जमीन में लगवा दिया है। अंगनलाल को उस जमीन पर अधिकार रखने का हक नहीं है और मुकदमा बाजी से बचने के लिये उसको भी फरीक बनाया गया है।

४ - रहन की हुई जमीन के अतिरिक्त नीचे लिखी जमीन पर भी मुर्तहिनों ने रहननामों की शर्तों के विरुद्ध श्यामलाल प्रतिवादी का नाम सीर और खुद काश्त का काश्तकार, माल के कागजात में झूठा दर्ज करा दिया है असलियत में उस जमीन को और काश्तकार जातते हैं। वादी इस जमीन पर देखल पाने का हकदार है।

५—वादी ने रहन का मतालवा दफा ८३ कानून इन्तकल जायदाद के अनुसार

अदालत में दाखिल कर दिया लेकिन मुर्तहिनों ने वह रुपया जान बूझ कर नहीं लिया इसलिये वह १३ फसली से मुनाफे के पाने के हकदार नहीं हैं और वादी शुरू १३...फसली से लेकर, प्रतिवादी न० १ से दखल पाने के दिन तक का हरजाना पाने का हकदार है जिसकी डिग्री उसके नाम कोर्ट फीस अदा करने पर की जावे ।

६ विनायदावा ता० ४ जुलाई १९.....ई० धारा ८३ के अनुसार दी हुई दरखास्त के स्वीकार होने के दिन से मौजा छर्ना परगना मारहरा जिला एटा में अदालत के इलाके के अंदर पैदा हुई ।

७—दावे की मालियत, अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस के लिये ३५०००) रु० है ।

वादी प्रार्थी है कि—

(क) फिक्रा न० २ (ग में लिखी हुई हकीयत पर वादी को २३ अगस्त सन् १९.....का लिखा हुआ रहन १७५००) रु० देकर या जितना मतालबा अदालत नियत करे दिला कर वादी को इस भौति दखल दिलवाया जावे — जमीन नम्बरी १७३८, अंगनलाल के कब्जे में और नीचे लिखी जमीन पर जिस पर कि श्यामलाल प्रतिवादी का नाम जमाबन्दी में दर्ज है, वास्तविक दखल दिलाया जावे और अन्य हकियत पर मालकाना दखल दिलाया जावे ।

(ख) जो कुछ हरजाना वादी का ४ जुलाई सन् १९ . . . ई० से दखल मिलाने के दिन तक प्रतिवादी के ऊपर नियत किया जावे उसकी डिग्री कोर्ट फीस लेकर सादिर की जावे ।

(ग) इस नालिश का खर्च मय सूद दिलाया जावे ।

(धारा न० २ में दी हुई भूमि का विवरण यह है—

(५) पिछले मुर्तहिन का रहन छुटाने के लिये मुख्य
मुर्तहिन के ऊपर दावा

नारायणदास वादी बनाम १—राधा बल्लभ प्रतिवादी प्रथम पक्ष

२—जगन्नाथ } प्रतिवादी
३—नत्थूमल } द्वितीय पक्ष

नारायणदास वादी निवेदन करता है—

१—यह कि प्रतिवादी न० २ व ३ एक जमीन ४ बीघा ३ बिस्वा मुन्दर्जा खाता खेवट न० १० स्थित मौजा बालापट्टी परगना हाथरस के मालिक हैं और प्रतिवादी न० १ उसका मुर्तहिन है ।

२—रहन का विवरण इस भाँति है —

(अ) रहन की ता०—१७ अक्टूबर सन् १९...—ई० ।

(ब) राहिन का नाम—जगन्नाथ व नत्थूमल प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ।
मुर्तहिन का नाम—राधा वल्लभ प्रथम पक्ष ।

(क) रहन का मूलधन ११५०) रु० ।

(ख) व्याज की दर.....रहन के रुपये का व्याज व रहन की हुई जायदाद की आय बराबर करार पाई और मरहूना जायदाद पर मुर्तहिन का अधिकार रहना ठहरा । रहन की ता० से मरहूना जायदाद पर मुर्तहिनों का अधिकार है और वह उसका लाभ वसूल करते हैं ।

(ग) रहन की हुई जायदाद का विवरण—

(घ) ऊपर लिखी जायदाद २ नवम्बर सन् १९.....ई० के सादा रहननामे के अनुसार वादी के पास रहन है और वादी के पास ११५०) रु० १७ अक्टूबर सन् १९.....ई० के रहन को छुटाने के लिये अमानत के रूप में छोड़ा गया है । वादी जो कि पिछला मुर्तहिन है प्रतिवादी २ व ३ के प्रतिनिधि की हैसियत से रहन छुटाने का हकदार है ।

३—वादी ने प्रतिवादी न० ३ से रहन का रुपये लेने और हक्कीयत छुटाने के लिये कई बार कहा लेकिन प्रतिवादी तैयार नहीं होता इसलिये मजबूर होकर वादी ने धारा ८३ एक्ट ४ सन् १८८२ के अनुसार ११५०) रु० अदालत में जमा कर दिया लेकिन प्रतिवादी नोटिस की तामील हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुआ और न रहन का छुटकारा किया इसलिये यह नालिश है ।

४—विनायदावी, रहन का मतालवा दाखिल करने और धारा ८३ के अनुसार दी हुई दरखास्त खारिज होने के दिन से स्थान बालापट्टी में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई ।

५—दावे की मालियत ११५०) रु० ।

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) वह जायदाद को रहन से छुटा ले और तहरीर करा कर उसे वापस ले और उस पर अधिकार प्राप्त करे ।

(ब) नालिश का खर्च मय सूद दिलाया जावे ।

(६) रहन की हुई सम्पत्ति खरीदने वाले की, रहनग्रहीता पर रहन छुटाने, हरजाने, और हिसाब के लिये नालिश

नाम अदालत

न० मुकदमा सन् १९.....ई० ।

गया प्रसाद..... वादी ।

बनाम

गंगाब्रह्म, देवीसिंह, रामस्वरूप, सु० आरा वेवा कुँवर भरतसिंह—प्रतिवादी प्रथम पक्ष ।

शिवराजसिंह, खागनसिंह, लड़के गंगा बख्त व गंगासिंह, लालसिंह लड़के रामप्रसाद, होड़लसिंह लड़का नाबालिग देवीसिंह मारफत अपने सरक्षक.....के, द्वितीय पक्ष ।

श्रीमती देवकीकुँवर विधवा रूपसिंह प्रतिवादी, तृतीय पक्ष ।
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—यह कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष, प्रतिवादी तृतीयपक्ष की सम्पत्ति के मय कब्जा मुर्तहिन हैं ।

२ इस रहन का विवरण नीचे लिखा हुआ है —

(अ) रहन की ता०—१९ अक्टूबर सन् ... ई० ।

(ब) रहनकर्ताओं के नाम भन्डूसिंह व श्रीमती देवकी कुँवर ।

रहन ग्रहीता के नाम—गंगा बख्त व जीवाराम सिंह व भरत सिंह ।

(क) रहन का ४१००) रुपया है ।

(ख) ब्याज की दर $11\frac{1}{2}$ सै० मासिक ।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण ।

(यहाँ पर विवरण लिखो)

(घ) रहन की हुई सम्पत्ति की आय से रहन का कुल रुपया वेवाक हो गया और अब कुछ शेष नहीं है ।

३—वास्तविक रहनग्रहीता गंगाबख्त जीवित है और जीवारामसिंह व भरतसिंह का देहात हो गया । प्रतिवादी प्रथम पक्ष उनके दायभागी और प्रतिनिधि हैं और प्रतिवादी द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के लड़के इत्यादि हैं इसलिये उनको मुकदमे में फरीक बनाया गया है ।

४—यह रहननामा सन् १३१२ फ० से सात साल की अवधि का था और यह शर्त ठहरी थी कि अवधि समाप्त हो जाने पर ज्येष्ठ के महीने में रहनकर्ता रहन का रुपया अदा कर दे और सम्पत्ति छुटा ले और मालगुजारी की कमी वेशी रहनकर्ताओं के जुम्मे रहे । रहनग्रहीतओं ने रहन के समय से जायदाद कब्जा कर लिया लेकिन उन्होंने रहन का कुल ४१००) रुपया अदा नहीं किया और न वह अपने दिये हुये मतालवे से अधिक पाने के हकदार हैं ।

५—भन्डूसिंह रहनकर्ता न० १ ने इस जायदाद को गंगाबख्त व जीवाराम व भरत सिंह के यहाँ फिर संयुक्त रहन किया जिसकी तफसील नीचे लिखी है ।

(अ) रहन की ता०—२७ जून सन् १९.....ई० ।

(ब) रहनकर्त्ता का नाम—भन्डूसिंह ।

रहनग्रहीताओं के नाम—गगानरक्ष व जीवाराम व भरतसिंह ।

(क) रहन के मतालवे की सख्या १२२०) रुपया ।

(ख) व्याज की दर—11) फी सदी मा० इस शर्त पर कि दस्तावेज का रुपया दखली रहन के साथ साथ अदा किया जावेगा ।

(ग) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण (वही सम्पत्ति जो रहन नामा १६ अक्टूबर सन् .. . ई० से रहन हुई)

६—इसके पश्चात प्रतिवादी तृतीय पक्ष ने बैनामा लिख २१ अप्रैल सन् १६ ई० को कुल रहन की हुई जायदाद को वादी के हाथ वेच डाला इस लिये वादी को कुल रहन की हुई सम्पत्ति छुटाने का अधिकार प्राप्त है ।

७—यह कि रहन की हुई जायदाद का लाभ सूद के मतालवे से शुरू से ही अधिक था और रहनग्रहीता रहन के समय से ही तहसील वसूल करते आते हैं इसलिये रहन का रुपया, असल व सूद, सम्पत्ति की आय से वेचाक हो चुका है और वादी का बहुत सा मतालवा रहन-ग्रहीता प्रतिवादियों पर वाजिब है ।

८—बिनाय दावा—

९—दावे की मालियत ४१००) रु०

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी रहनग्रहीताओं से रहन की हुई सम्पत्ति की आय का हिसाब लिया जावे और उनके हिसाब से कोई रकम वादी के ऊपर वाजिब हो तो वह वादी से दिला कर रहन छुड़ाया जावे और जायदाद पर अधिकार दिलाया जावे और यदि प्रतिवादी के ऊपर रहन की जायदाद के हिसाब से वादी का मतालवा वाजिब हो तो उसकी डिग्री वादी के हक में रहनग्रहीता के ऊपर सादिर फरमाई जावे और जायदाद पर अधिकार दिलाया जावे ।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे ।

(७) जायदाद मरहूना के एक हिस्से को छुटाने के लिए कुल जायदाद के खरीदार पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—रूस्तम ली खाँ अर्जीदावे की परिशिष्ट (अ) और (ब) में दी हुई जायदाद का मालिक था ।

२—रुस्तमअली खॉ की ओर से यह दोनों जायदादे ता०.....के रहननामों से रामचन्द्र के पास रुपये में लाभ व सूद बराबर पर दखली रहन थी और रहन की हुई दोनो जायदादों पर रामचन्द्र मुर्तहिन काबिज था ।

३—रहननामों में जायदाद छुटाने के लिये शर्त यह थी कि जिस समय ज्येष्ठ मास के अन्त में रहन का रुपया अदा किया जावे तभी रहन की हुई जायदाद छूट जावे ।

४—शिब्यूल (अ) में लिखी हुई जायदाद सादा इजराय डिग्री अदातल..... नम्बरी : अहमदहुसैन डिग्रीदार बनाम रुस्तमअली खॉ मदयून में दायर नीलाम हुई और वादी ने ता०को खरीद करके उस पर नियम के अनुसार अधिकार प्राप्त कर लिया । वादी का नाम माल के कागजों पर राहिन के श्रेणी में दर्ज हो गया है ।

५—शिब्यूल ' ब ' में लिखी हुई जायदाद रुस्तमअली खॉ ने ता०..... के हिना-नामा के अनुसार अपने नाती मुहम्मदहुसेन के नाम हिवा कर दिया । मुहम्मदहुसेन ने वह जायदाद प्रतिवादी के हाथ बेच डाली और प्रतिवादी ने उस जायदाद पर राहिन की हैसियत से माल के कागजों पर अपना नाम लिखा लिया ।

६—फिर प्रतिवादी ने रहन की हुई जायदाद को छुटाने का दावा अदालत... में रामचन्द्र मुर्तहिन के ऊपर दायर करके (अ), (ब) जायदाद छुटाने के लिये असल रहन कारुपया अदालत में दाखिल करके दोनों जायदादों पर ता०.....को अधिकार प्राप्त कर लिया ।

७—शिब्यूल (अ) में लिखी हुई वादी की जायदाद पर ता०.....से प्रतिवादी मुर्तहिन की हैसियत से काबिज है और उसकी आमदनी वसूल करता है ।

८—शिब्यूल (अ) में लिखी हुई जायदाद की कीमत बाजारू भाव से.....र० और शिब्यूल (ब) में लिखी हुई जायदाद की कीमत बाजारू भाव से रहन के समयर० थी ।

९—प्रतिवादी का शिब्यून (अ) में दी हुई जायदाद की बाबत रहन का रसदी मतालवा.....रुपया होता है । वादी ने यह रुपया प्रतिवादी को देना और शिब्यूल (अ) में दी हुई जायदाद को छुटाना चाहा और रजिस्ट्री युक्त नोटिस भी दिया मगर प्रतिवादी ने उस पर ध्यान नहीं दिया ।

१०—अन्त में वादी ने पिछले ज्येष्ठ में यह मतालवा सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा २३ (Transfer of property Act) के अनुसार रहन छुटाने के लिये अदालत में जमा कर दिया लेकिन प्रतिवादी ने यह रुपया लेने और जायदाद छोड़ने से इनकार किया, इसलिये यह नालिश है ।

(८) रहन छुटाने के लिये इसी प्रकार का दूसरा दावा

(खिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी उसी जायदाद का राहिन है जिसका कि प्रतिवादी मुर्तहिन है ।

२—रहन का विवरण यह है—

(अ) रहन की ता०..... ।

(ब) राहिन का नाम—हीरासिंह

मुर्तहिन का नाम—शिवदयाल ।

(क) रहन का रुपया—(१२००) रु० ।

(ख) ब्याज की दर—||८) आना सै० माहवारी और सूद रहन की हुई जायदाद की आमदनी काट कर, जो कि मुर्तहिन के कब्जे में दी गई, सालाना देना ठहरा ।

(ग) रहन की हुई जायदाद—

खाता खेवट न०.....में लिखी हुई ज़मींदार में १० बिस्वा का हिस्सा स्थित मुहाल हीरासिंह मौज़ा अहमीपुर परगना शहवाज़पुर, ज़िला हमीरपुर ।

३—रहन की हुई जायदाद में से आधी हीरासिंह ने प्रतिवादी के हाथ बेच डाली और शेष जायदाद नक़द रुपया की इजराय डिग्री में हीरासिंह के विरुद्ध नीलाम होकर वादी ने खरीद कर ली, इस तरह दोनों फ़रीक़ैन आधी आधी जायदाद के मालिक हुये ।

४—प्रतिवादी ने.....रुपया, ता० १२ मई सन् १९.....ई० के रहन नामे का असल व सूद व मतालवा रामदयाल, मुर्तहिन शिवदयाल के पिता व वारिस को अदा करके रहन की हुई रियासत छुटा ली और उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया ।

५—प्रतिवादी, वादी के आधे हिस्सा पर भी रहन छुटाने के दिन से मुर्तहिन की हैसियत से काबिज़ है । वादी ता० १२ मई सन् १९.....ई० के रहननामे का आधा रुपया देकर जायदाद रहन से छुटाने का अधिकारी है ।

६—बिनाय दावा—

७—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

२६—रहन-सम्बन्धी अन्य नालिशों

उन तीन प्रकार की नालिशों के अतिरिक्त जिनके नमूने भाग २ पद २३, २४ व २५ में ऊपर दिये गये हैं कुछ अन्य प्रकार के वाद भी रहन-कर्त्ता, रहन-गृहीता और उनके प्रतिनिधियों के मध्य में दायर होते हैं। उनके नमूने इस भाग में दिये गये हैं।

यदि मुख्य रहन की डिगरी की इजराय में, जिसमें पश्चात् रहनगृहीता फरीक न हो, और कोई पुरुष नीलाम में जायदाद खरीद लेवे पन्तु पश्चात् रहन-गृहीता उस पर काबिज हो तो नीलाम लेने वाले को पश्चात् रहन-गृहीता या उससे परिवर्तन प्राप्त पुरुष के विरुद्ध दावा करना पड़ता है और किसी प्रकार यदि खरीदार का कब्जा हो जावे तो पश्चात् रहनदार को रहन छुटाने या दखल का दावा करना होता है।

इसके अतिरिक्त यदि रहन की हुई जायदाद पूर्ण प्रकार से अथवा कोई उसका अंश नष्ट हो जावे और वह रहन के रूपये के लिये पर्याप्त जमानत न रहे और रहन गृहीता के सूचना देने पर भी रहन-कर्त्ता जमानत पूरी न करे या किसी प्रकार से, रहन कर्त्ता के हक की कमी से वह जायदाद रहन-गृहीता के कब्जे से निकल जावे, इन सब दशाओं में रहन-गृहीता रहन का रूपया पाने का अधिकारी होता है। वह सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा ६८ के अनुसार दावा कर सकता है। यदि दावा उस धारा की उपधारा 'ए' के अनुसार हो तो वादी को सिर्फ यह दिखाना काफी होता है कि प्रतिवादी ने रहन का रूपया अदा करने का इकरार किया था।

यदि दावा धारा ६८ उपधारा 'बी' के अनुसार हो तो वादी को (१) उसका जमानती जायदाद से पृथक किया जाना और (२) रहन-कर्त्ता का वह कार्य जिससे रहन-गृहीता जायदाद से पृथक किया गया, अर्जी दावे में लिखना चाहिये।

यदि दावा धारा ६८ उपधारा 'सी' के अनुसार हो तब यह कि (१) वादी दखल पाने का अधिकारी था और प्रतिवादी ने उसको दखल नहीं दिया (२) या रहन-कर्त्ता या किसी अन्य पुरुष ने उसके दखल में विघ्न डाला और (३) अन्य पुरुष के विघ्न डालने पर रहनकर्त्ता की, रहन की शर्तों के अनुसार जिम्मेदारी, यह सब दिखाना चाहिये। ऐसी दशा में रहन-गृहीता कब्जा पाने और पूर्वलाभ (वासलात) का दावा कर सकता है।^१

यदि रहन-गृहीता रहन-कर्त्ता के विरुद्ध जाती डिगरी भी पाने का हकदार हो तब दखल और जाती डिगरी की प्रार्थना बतौर बदल के अर्जीदावे में दोनों ही

करनी चाहिये क्योंकि यदि दखल दिला दिया गया है तो बाद की बादी रुपये का दावा नहीं कर सकता ।^१

मियाद—दखल का दावा उस तारीख से १२ वर्ष के अन्दर होना चाहिये जब कि रहन-गृहीता अथवा रहन-कर्ता को दखल पाने का अधिकार प्राप्त हुआ ।^२ इन दावों में पूर्वलाभ का कया सिर्फ ३ साल का माँगा जा सकता है ।

कोर्ट-फीस—रहन के मूल्धन पर कोर्ट फीस लगती है परन्तु यदि पूर्वलाभ माँगा जावे तो उस पर पृथक कोर्ट फीस देनी होती है ।

(१) नीलाम के खरीदार की पिछले मुरतहिन पर नाज़िश, जब वह मुख्य रहन की डिगरी में फ़रीक़ न हो

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : —

१—वादी ने नीचे लिखी हुई रियासत को इजराय डिग्री अदालत सिविलजजी मैनुपुरी, मोहनलाल डिग्रीदार बनाम राधेसहाय इत्यादि मदयूनान, नम्बरी १६ सन् १६३६ ई०, में नीलाम में खरीद किया ।

२—यह डिग्री ता० ११ मई सन् १६.....ई० के रहन नामे के आधार पर मोहनलाल के नाम एक मनुष्य राधाकिशुन के ऊपर सादिर हुई ।

३—प्रतिवादी ने इस रियासत को इजराय डिग्री नम्बरी २७ सन् १६४१ ई० अदालत सिविल जजी मैनुपुरी, साहू विश्वम्भर सहाय डिग्रीदार बनाम राधेसहाय की डिग्री के नीलाम में खरीद किया ।

४—यह डिग्री ७ जून सन् १६.....ई० के रहन नामे के आधार पर राधाकिशुन रहनकर्ता के ऊपर विश्वम्भर सहाय के नाम सादिर की गई थी ।

५—प्रतिवादी ने उस जायदाद पर ता०.....को खरीदारी के अनुसार अधिकार प्राप्त कर लिया और उसी समय से काबिज है ।

६—वादी की ता०..... की खरीदारी प्रतिवादी के दखल करने के बाद अमल में आई और वादी को कायदे से दखल दिहानी होने पर भी वास्तविक अधिकार जायदाद पर नहीं मिला ।

1 A 1 R 1120 Pat 87

2 Art 135, Limitation Act

७ ता० ११ मई १९.....ई० के लिखे हुए रहन नामे का मुर्तहिन मोहनलाल, डिग्री नं० २७ सन् १९४१ ई० में कोई फरीक नहीं था और न पिछला मुर्तहिन विश्वम्भर सहाय डिग्री नम्बरी २३ सन्-१९३६ ई० में कोई फरीक था ।

८—वादी की खरीदारी के सामने प्रतिवादी की खरीदारी का कुछ असर नहीं है और प्रतिवादी को जायदाद छुटाने का वादी से उत्तम अधिकार प्राप्त नहीं है ।

(नमूना नं० १ की धारा ४ व ५ लिखिये)

वादी की प्रार्थना ।

(२) इसी प्रकार की, पिछले रहन की इजराय डिगरी के खरीदार की मुख्य रहन के खरीदार पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष नीचे लिखी हुई जायदाद का मालिक था ।

(जायदाद का विवरण यहाँ पर या अर्जीदावे के अन्त में लिखना चाहिये)

२—प्रतिवादी की ओर से यह जायदाद ता० १६ जून सन् १९ ...ई० के रहन के दस्तावेज के अनुसार ४००) रुपया में प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पास रहन थी और रहन के मतालवे पर ब्याज दर ब्याज फी सै० १) रुपया मा०, सालाना लगाया जाता था ।

३—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने उस जायदाद को दूसरे दस्तावेज सादा रहन नामे के अनुसार ता० १७ जुलाई सन् १९ ... ई० को ४००) रुपया में वादी के पास ॥॥) सै० मा०, ब्याज दर ब्याज वार्षिक के हिसाब से रहन किया ।

४—प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष पर १६ जून सन् १९..... ई० के रहन नामे के अनुसार नालिश नम्बरी.....सन्.....अदालत.....में दायर की और नीलाम की डिग्री ता०.....को प्रतिवादी के विरुद्ध प्राप्त करके.....६० में जायदाद स्वयं खरीद ली परन्तु वादी नालिश व इजराय में फरीक नहीं था ।

५—वादी ने १७ जुलाई सन् १९ ई० के रहन नामे के अनुसार प्रतिवादी के ऊपर अदालतसन्.....नालिश नम्बरी... दायर करके ता०.....को डिग्री प्राप्त की और उसकी इजराय में यह जायदाद नीलाम होकर वादी की खरीदारी में आ गई ।

६—वादी ने खरीदने के बाद सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करना चाहा लेकिन

वादी की दखल दिहानी होने के पहिले प्रतिवादी प्रथम पन्, पहिली खरीदारी के अनुसार ता०को दखल प्राप्त कर चुका था और काबिज था इस कारण से वादी को सम्पत्ति पर दखल नहीं मिला।

७—वादी नीचे लिखी हुई जायदाद का पिछले रहन प्रहीता की हैसियत से..... रुपया (जितनी कीमत पर प्रतिवादी ने जायदाद खरीद ली) अदा करने पर या विज्ञापन में लिखी हुई डिग्री की कीमत अदा करने पर सम्पत्ति पर दखल पाने का अधिकारी है।

(३) इजराय डिगरी के एक खरीदार की दूसरे खरीदार पर नाक़िश जब कि वह मुख्य रहन की डिगरी में फ़रीक़ न हो

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी नीचे लिखी हुई जायदाद का डिग्री नम्बरी.....सन्... रामसहाय डिग्रीदार बनाम मोतीलाल मदनून् की इजराय में खरीदार है जो ता०....के सादा रहन नामे के अनुसार मोतीलाल रहनकर्ता के ऊपर होतीलाल के नाम सादिर की गई।

२—प्रतिवादी भी उसी जायदाद का इजराय डिग्री नम्बरी . . सन् ...हरप्रसाद डिग्रीदार बनाम मोतीलाल मदनून् से उसका खरीदार है जो ता०के सादा रहन नामे के आधार पर मोतीलाल रहनकर्ता के ऊपर एक मनुष्य धनीराम की हुई और इसी के विनाय पर दखल मिलने के दिन से जायदाद पर काबिज है।

३—वादी को प्रतिवादी के जायदाद खरीदने व कब्ज़ा कर लेने से दखल नहीं मिला।

४—होतीलाल या उसका प्रतिनिधि रामसहाय जिसने पिछले रहन नामे के ऊपर डिग्री नम्बरी.....सन्.....प्राप्त की, मुख्य रहन की डिग्री न०.... सन्.....में कोई फ़रीक़ नहीं था। वादी उसका प्रतिनिधि है और प्रतिवादी मुख्य मुर्तहिन का प्रतिनिधि है।

५—डिग्री नम्बरी . . .सन्.....का मतालवा जिसके इजराय में प्रतिवादी जायदाद को ता०.....को नीलाम में खरीद किया ...रुपया था और वादी ने जायदाद को.....रुपया में खरीद किया।

६—प्रतिवादी ने ता०.....को जायदाद पर अधिकार प्राप्त किया और उसी समय से जायदाद पर अधिकारी है और उसके मुनाफ़े से लाभ उठाता है।

७ -वादी नीलाम का रुपया अदा करने पर जायदाद का दखल पाने का अधिकारी है।

(४) रहन-ग्रहीता का, रहन की हुई जायदाद पर दखल पाने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी एक मंजिल पक्के मकान पर, जो कि मुहल्ला लखपती शहर हाथरस में है और जिसकी चौहद्दी नीचे अंकित की जाती है दखल पाने का अधिकारी है।

२—यह जायदाद प्रतिवादी ने ता०... के रजिस्ट्रीयुक्त रहन नामे के अनुसार.....६० में, सूद और लाभ बराबर पर, वादी के पास दखली रहन की और यह रहननामा अब भी कायम है।

३—मुद्दायलह ने रहन नामे की शर्तों के अनुसार वादी को रहन की हुई जायदाद पर दखल नहीं दिया और वह अब भी अनुचित रीति से उस पर अधिकार किये हुए है।

४—बिनाय दावा —

५—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि उसके रहन की हुई जायदाद पर जिसकी तफसील नीचे दी जाती है, दखल दिलाया जावे (यदि पूर्वलाभ का भी दावा हो तो वह भी लिखना चाहिये) और... ६० वासलात का, रहन की तारीख से नालिश करने की तारीख तक.....६० मासिक के हिसाब से दिलाया जावे) ।

(५) रहन-कर्ता के अनुचित कार्य से रहन की हुई जायदाद का भाग

रहन-ग्रहीता के कब्जे से निकल जाने पर

(Sec. 68, T. P. Act.)

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है —

१—ता०.....को प्रतिवादी ने नीचे लिखी हुई जायदाद वादी के पास.....६० में इस शर्त पर रहन की, कि वादी रहन की हुई जायदाद पर कब्जा रखे और उसका लाभ वसूल करे और खर्चा इत्यादि काट कर उसके रहन के रुपया के सूद में जो कि ॥३॥ आना सै० मासिक ठहरा था, लेता रहे। फरीकैन में हर छमाही हिसाब हो और रहन का कुल मतालबा और सूद की बकाया यदि कुछ हो, तीन साल के अन्दर आदा कर दे नहीं तो रहन बिक्री के द्रव्य समझा जावेगा।

२—वादी उस रहननामे के अनुसार दो वर्ष तक रहन की हुई जायदाद पर काबिज़ रहा और उसका लाभ वसूल करता रहा ।

३—ता०.....को एक व्यक्ति रामलाल ने जो कि प्रतिवादी का चचेरा भाई है वादी और प्रतिवादी के ऊपर रहन की हुई जायदाद में ने आधे हिस्से का अदालत सिविलजजी में दावा दायर किया । इस दावे में प्रतिवादी ने कोई प्रतिवाट नहीं किया और न वादी को कोई ऐसा प्रमाण दिया जिसमें वह प्रतिवादी को कुल जायदाद का अधिकारी सिद्ध (साबित) कर सकना ।

४—यह दावा पहिली अदालत से ता०.... को डिग्री हुआ और उसके अनुसार रामलाल ने रहन की हुई जायदाद में से आधे हिस्से से वादी को वेदखल कर के अधिकार कर लिया ।

५—विनाय दावी—

६—दावे की मालियत—

(वादी की प्रार्थना—रहन के रुपये की डिग्री के लिये)

(६) रहनयुक्त जायदाद की माळियत कम हो जाने

पर रहनग्रहीता का रहनकर्त्ता पर दावा

(Sec 68, T. P. Act.)

१—वादी के पास प्रतिवादी की एक पक्की हवेली स्थित.....तारीख.....के रहन नामे से.....६० में रहन देखली चली आती है ।

२—मार्च सन् १९३४ ई० में भूकम्प आया और उस हवेली की अटारी हिल जाने के कारण से उतरवानी पड़ी । इसके अतिरिक्त कई जगह उसकी दीवार फट गई जिसकी मरम्मत बड़ी कठिनाई से हुई ।

३—इसी कारण से उस सम्पत्ति को आमदनी पहिले से ४०) रुपया मासिक कम हो गई है और उसकी मालियत केवल ६० प्रतिशत रह गई है ।

४—रहन के रुपये के लिहाज से इस समय सम्पत्ति काफी मालियत की नहीं है । प्रतिवादी से जमानत पूरी करने को कहा गया और ता०.....को ६ महीने की अवधि का एक रजिस्ट्री युक्त नोटिस भी दिया गया है ।

५—प्रतिवादी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और न जमानत पूरी की ।

(७) रहनयुक्त जायदाद के बर्बाद हो जाने पर रहन-ग्रहीता का
रूपया वसूल करने के लिये दावा

(Sec. 68, Transfer of Property Act)

१—ता०.....के रहन नामे से प्रतिवादी ने अपनी नीचे लिखी हकीयत जमींदारी स्थित राजगढ़ी व बाजगढ़ी परगना सोराँव जिला एटा वादी के पास... .. रूपया में दखली रहन की और ब्याज और लाम बराबर ठहरा ।

२—रहन के दिन से वादी रहन की हुई जायदाद पर काबिज़ और दाखीलकार है और उसका लाभ वसूल करता है ।

३—रहन की हुई जमींदारी गंगा नदी के किनारे है और उसकी उत्तरी सीमा नदी है ।

४—प्रायः दो वर्ष हुये होंगे कि राजगढ़ी का आधा रकबा (क्षेत्रफल) और बाजगढ़ का तिहाई क्षेत्रफल उक्त नदी में कट कर डूब गया और नदी का बहाव इन्हीं मौजों की ओर होने की वजह से दिन बदिन उनका क्षेत्रफल कम होता जाता है और उनके नदा से फिर निकल आने की आशा नहीं है । रहन की हुई जायदाद को इस समय आमदनी६० है जो कि साधारण आय से.....६० कम है ।

५—वादी ने ता०.....को प्रतिवादी को इसी बात का नोटिस दिया और उससे प्रार्थना की कि वह ६ महीने के अन्दर जमानत पूरी करने के लिये और पर्याप्त जायदाद वादी के हवाले कर दे ।

६—प्रतिवादी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और न कोई जायदाद वादी के हवाले की ।

२७—भार की पूर्ति (निकाज़-बार)

(Charge)

भार की परिभाषा सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा १०० में दी हुई है। रहन करने पर रहन की हुई जायदाद का स्वत्व रहन ग्रहीता की ओर परिवर्तित हो जाता है। भार स्थित करने पर ऐसा नहीं होता। प्रायः वह जायदाद उस भार की पूर्ति के लिये अंकित हो जाती है परन्तु मिलिकयत पहलू की तरह पूर्ण रूप से असली मालिक में ही रहती है। इसीलिये ऐसी जायदाद का खरीदार यदि उसने परिवर्तन सद् भाव से उस भार की सूचना और ज्ञान बिना, लिया हो तो भार के रुपये का देनदार नहीं होता और वह जायदाद उसके हाथ भार रहित परिवर्तन हो जाती है।

भार की पूर्ति के लिये वाद रहन के नीलाम की नालिश की तरह होती है और वह सब बातें अर्जीदावे में लिखना चाहिये जो कि नीलाम की नालिश के लिये भाग २३ में दी गयी है।

अवधि—नीलाम की नालिश की तरह मियाद इन नालिशों की भी १२ साल की होती है और कोर्ट-फीस पूरी मालियत पर देनी होती है।

(१) निर्वाह हेतु जायदाद से भार का रुपया वसूल करने के लिये

(चिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी के खान पान का भार, इकरार नामे से (या और किसी दस्तावेज़ से) प्रतिवादी की सम्पत्ति पर है।

२—भार का विवरण यह है—

(अ) इकरार नामे की तिथि ... १७ मई सन् १८९५ ई० ।

(ब) प्रयाकर्ता का नाम—मोहनलाल ।

जिसके नाम लिखा गया—सोतीलाल, वादी ।

(क) भार संख्या—५०) रुपया मासिक ।

(ख) न्याज की दर—फी सैकड़ा आठ आना मा० रुपया वाजिव होने के दिन से, जो हर मास की पहिली तारीख को वाजिव होता है ।

(ग) अचल सपत्ति का विवरण जिस पर यह भार है—

१—एक मंजिला पक्की हवेली ।

२—दो नग दूकान नं०.....,मिली हुई दोनों दूकानें ।

३—३ बिस्वा जमींदारी ।

(घ) इस समय तक १२००) रुपया बाबत खान पान दो साल (१६...व १६...) और ब्याज.....कुल.....६० होता है ।

(धारा नंबर ४ व ५ नमूना नं० १ लिखना चाहिये)

सम्पत्ति के नीलाम के लिये वादी की प्रार्थना ।

(२) खरीदार के उत्तराधिकारी की जमानत में रुपया छोड़ने पर बार के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-

१—यह कि वादी का पूर्वाधिकारी जीवाराम अर्जादावे की परिशिष्ट (अ) और (ब) में लिखी हुई सम्पत्ति का मालिक था ।

२—यह कि परिशिष्ट (ब) में लिखी हुई सम्पत्ति जीवाराम की ओर से दो दस्तावेजों के अनुसार पूरनमल व पीतम्बर के पास रहन थी ।

३—यह कि जीवाराम ने ता० १४ दिसम्बर सन् १६..... ई० की परिशिष्ट (अ) में लिखी हुई जायदाद..... ६० में प्रतिवादी प्रथम पक्ष के नाम बँनामा लिख कर बेच दी और उस सम्पत्ति पर बेचने की तारीख से प्रतिवादी प्रथम पक्ष काबिज है ।

४—जीवाराम ने, बँनामे के मतालवे में से, प्रथम पक्ष के पास दस्तावेजों का कुल रुपया पूरनमल व पीतम्बर को अदा करने के लिये अमानत में छोड़ा था । प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने केवल एक दस्तावेज का रुपया अदा किया और दूसरे दस्तावेज का जो ता०.....का लिखा गया था६० अदा नहीं किया ।

५—उस दस्तावेज की नालिश पूरनमल व पीतम्बर ने मृतक जीवाराम के उत्तराधिकारी, वादी के ऊपर दायर करके भार की पूर्ती (निफाज किफालत) की डिग्री परिशिष्ट (ब) में लिखी हुई जायदाद के नीलाम कराने के लिये ता० ११ दिसम्बर सन् १६.....ई० को प्राप्त की और उसकी इजराय में यही जायदाद ता० २८ अगस्त सन् १६.....ई० को नीलाम हो गई ।

६—वादी६० वसूल करने का दावीदार है और इस मतालवे पर १) रुपया सैकड़ा ब्याज पाने का अधिकारी है क्योंकि दस्तावेज में, जिसके आधार पर डिग्री हुई थी इसी दर से सूद लगाया गया है ।

७—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने शिड्यूल (अ) में लिखी हुई जायदाद को प्रतिवादी प्रथम पक्ष से दखली रहन करा लिया है। वह प्रतिवादी प्रथम पक्ष का प्रतिनिधि है और मुर्तद्दिन की हैसियत जायदाद पर क्राबिज़ है।

८—हिसाब से वादी का.....रुपया निकलता है जो प्रतिवादी ने अदा नहीं किया।

९—दावे का कारण—ता० २२ अगस्त सन् १९.....ई० को, शिड्यूल (ब) में लिखी हुई जायदाद के नीलाम होने के दिन से स्थान.....में, अदालत की सीमा अधिका के अन्दर पैदा हुई।

१०—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि :—

(अ) प्रतिवादी को हुकम हो कि वह...रुपया मय खर्चा नालिश व ब्याज वसूल होने के दिन तक वादी को अदा कर दे नहीं तो शिड्यूल (अ) में लिखी हुई जायदाद नीलाम की जावे और उससे वादी के मतालबे की बेवाक़ी करा दी जावे।

(३) इसी प्रकार वा दूसरा दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ने १२ जुलाई सन् १९—ई० को नीचे लिखी हुई जमींदारी (यहाँ पर जमींदारी का विवरण देना चाहिये) प्रतिवादी रघुबर के पूर्वजों के हाथ ४०२७॥) रुपया को बेचा और कुल रुपया खरीदार के पास श्रृण बेबाक करने के लिये अमानत के रूप में छोड़ा।

२—प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी ने कुल अमानत में से केवल २०००) रुपया अदा किये, शेष २०२७॥) रुपया नीचे लिखे हुये कर्ज़दारों को, जो बैनामे में लिखा हुआ है अदा नहीं किया।

३—उन श्रृण देने वालों ने जिनका रुपया निकलता था वादी से तकाज़ा किया और नालिश करने को तत्पर हुए इसलिए वादी ने वह रुपया अदा कर दिया।

४—वादी २०२७॥) ६० को, जो श्रृण का अदा नहीं किया गया, बेची हुई जायदाद को नीलाम करा कर वसूल करने का अधिकारी है।

५—कर्ज़ देने वालों के रुपये का सूद १) सैकड़ा मासिक था जो कि वादी को प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी के अनुचित कार्य के कारण देना पड़ा, वादी उसी दर से ब्याज पाने का अधिकारी है।

२८—न्यास, ट्रस्ट या अमानत

ट्रस्ट एक सम्पत्ति स्वामित्व सम्बन्धी जिम्मेदारी होती है और उस विश्वास से उत्पन्न होती है जो दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों या दूसरे अन्य स्वामी के लाभ के लिये (जिम्मेदारी लेने वाले में) किया जाय और वह उसको स्वीकार करे या उसकी घोषणा की जाय और वह उसको स्वीकार करे।

वह व्यक्ति जो विश्वास करता है या उसकी घोषणा करता है, "ट्रस्ट कर्ता" या उत्पन्न करने वाला (धरोहर रखैय्या) कहलाता है। वह व्यक्ति जो उस विश्वास को स्वीकार करता है "ट्रस्टी" या धरोहरी कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके लाभ के लिये विश्वास स्वीकार किया जाता है लाभप्रायक (Beneficiary, Cetiue Trust) कहा जाता है। जिसके सम्बन्ध में ट्रस्ट होता है वह "ट्रस्ट सम्पत्ति" या धरोहर या माल धरोहर कहलाती है। और लाभप्रायक का अधिकार वह अधिकार होता है जिससे वह ट्रस्टी के मुकामिले में ट्रस्ट सम्पत्ति के स्वामी का स्थान पाता है और यदि कोई पत्र या दस्तावेज हो, जिसके द्वारा ट्रस्ट की घोषणा की गई हो वह ट्रस्ट-पत्र कहलाता है। और किसी कर्तव्य का निषेध जो कि ट्रस्टी पर, ट्रस्टी की हैसियत से किसी कानून के कारण उस समय करना अनिवार्य हो, ट्रस्ट-निषेध कहलाता है (एक्ट २ सन् १८८२, धारा ३)।^१

ट्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण ट्रस्ट और दूसरा विशेष ट्रस्ट। साधारण ट्रस्ट जो किसी धार्मिक या पुण्य के कार्य से सम्बन्ध रखते हों, और उनके किसी ट्रस्टी को पृथक करने अथवा अन्य ट्रस्टी को नियुक्त कराने या ट्रस्ट की किसी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने, इत्यादि के लिये दावे, दो अथवा दो से अधिक ऐसे मनुष्यों की ओर से दायर किये जा सकते हैं जिनका ट्रस्ट में कोई स्वत्व हो अथवा जिनको ट्रस्ट से लाभ होता हो। ऐसे दावों में संग्रह खाप्ता दीवानी की धारा ६२ के अनुसार प्रान्त के एडवोकेट जनरल की अनुमति लेनी होती है।^२

इन दावों में अन्य आवश्यक बातों के अतिरिक्त यह भी लिखना आवश्यक होता है कि ट्रस्ट में दादियों का क्या स्वत्व है जिससे उनको नालिश करने का अधिकार प्राप्त है और यह कि एडवोकेट जनरल की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अर्जीदावे में वही प्रार्थना की जा सकती है जिसके लिये अनुमति प्राप्त की गई हो। ऐसे दावे अदालत खिला जज में ही दायर किये जाते हैं चाहे उनकी मालियत कुछ भी हो।

धारा ६२ खाप्ता दीवानी के अतिरिक्त, किसी इमामवादा, मसजिद या कब्रिस्तान इत्यादि से साधारण लाभ उठाने में उसके मुतबल्ली या किसी अन्य

1. Sec. 3, Indian Trusts Act, II of 1882.

2. Sec. 92, C. P. C.

पुरुष की ओर से विघ्न डालने पर, अथवा किसी मन्दिर या अन्य देव स्थान में किसी प्रकार की रोक टोक लगाने पर, वह मनुष्य जिनके लिये ऐसी मरिजद या देवालय स्थित किया गया हो, दावा कर सकते हैं। ये नालिशों साधारण दावों की तरह प्रत्येक अदालत में दायर की जा सकती हैं।

विशेष ट्रस्ट के सम्बन्ध में दावा लाभपायक अथवा उसके वायभागियों की ओर से ही किया जा सकता है और ऐसे दावों का ध्येय यह होता है कि ट्रस्ट का प्रबन्ध ट्रस्ट कर्ता की इच्छाओं के अनुसार किया जावे। कभी कभी ट्रस्टियों को ट्रस्ट की जायदाद अनाधिकारी मनुष्यों से पाने के लिये नालिश करनी होती है और कभी ट्रस्टी को किसी ट्रस्ट-सम्पत्ति के उचित अधिकारी जानने के लिये, जहाँ पर उसके एक से अधिक दावेदार हों, नालिश करनी पड़ती है। अन्तिम प्रकार के दावों, को Inter pleader suit कहते हैं।

ऐसे दावों के लिये ज्ञाता दीवानी में एक विशेष आर्डर नं० ३५ दर्ज किया गया है जो देख लेना चाहिये। आर्डर ३५ नियम ५ के अनुसार एजेन्ट या क्रिया-दार अपने मालिक के विरुद्ध ऐसे दावे दायर नहीं कर सकता परन्तु ध्यान रहे कि एक रेलवे कम्पनी जिसको भेजने के लिये माल सुपुर्द किया गया हो, माल देने वाले की एजेन्ट नहीं होती और ऐसा दावा दायर कर सकती है।^१

कोर्ट-फीस—कोर्ट-फीस ऐक्ट की परिशिष्ट २ आर्टिकल १७ (iii), के अनुसार नियत कोर्ट-फीस इस्तकरार का लगता है।^२

मियाद—किसी ट्रस्टी के विरुद्ध दावा दायर करने के लिये कोई मियाद नियत नहीं है और ट्रस्ट-जायदाद के लिये किसी समय, चाहे कितनी भी मियाद बीत गई हो दावा किया जा सकता है।^३ जहाँ पर कोई ट्रस्ट स्थित न हो परन्तु दोनों पक्षों का सम्बन्ध ट्रस्टी, और ट्रस्ट के लाभपायक के तुल्य हो, ऐसी दशा में आर्टिकल १२० के अनुसार मियाद ६ साल की होती है।^४

नोट :—इस भाग में भिन्न भिन्न प्रकार के १५ वाद-पत्रों के नमूने दिये गये हैं जिनसे ट्रस्ट से सम्बन्धित हर प्रकार का अर्जीदावा तैयार किया जा सकता है।

1 28 I. C 948, 17 B L R 339

2 A I R. 1928 Lah 113, 61 I C 820

3. Sec 10, Limitation Act.

4 22 A L J 866.

* (१) अमानत रखने वाले की, दो दावेदारों का झगड़ा
तय करने के लिये नालिश

(Intenpleder Suit)

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—नीचे लिखी हुई चीजों को (अ—ब) ने वादी के पास (यहाँ पर जायदाद का विवरण देना चाहिये) सुरक्षित रखने के लिये अमानत में रक्खा था।

२—प्रतिवादी (क—ख) उस माल पर दावा करता है कि (अ—ब) ने वह माल उसके नाम कर दिया था।

३—प्रतिवादी (च—छ) भी उसी माल पर एक लिखे हुए दस्तावेज़ के आधार पर कि (अ—ब) ने वह माल उसके नाम लिख दिया था दावा करता है।

४—वादी को इन दोनों प्रतिवादियों के स्वत्वों का ठीक हाल मालूम नहीं है।

५—वादी का उस माल पर केवल खर्च इत्यादि के और कोई दावा नहीं है और वह उसको उस मनुष्य के हाथ जो अदालत करार दे हवाला कर देने को राजी और तत्पर है।

६—यह नालिश किसी प्रतिवादी के साथ साज़िश करके या मिल कर नहीं की गई।

७—(दावे का कारण उत्पन्न होने की तारीख)—

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थना करता है कि—

(१) हुकम इमतनाई से प्रतिवादी इस माल की बाबत वादी पर दावा करने से रोक दिये जावें।

(२) उनको हुकम हो कि अपने स्वत्वों का अदालत से फैसला करावे।

(३) किसी मनुष्य को जब तक अदालतों झगड़ा चले उस माल के लिये रिसीवर नियत किया जावे।

(४) उस मनुष्य को माल हवाला हो जाने पर वादी को बरी कर दिया जावे और इस माल के बाबत प्रतिवादी में से किसी का वादी से कोई सम्बन्ध न रहे।

* नोट यह जाप्ता दीवानी के शिक्ष्य ल (१) अपेन्डिक्स (अ) का नम्बरा
नं० ४० है।

(२६३)

(२) इसी प्रकार की दूसरी नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है:—

१—वादी का बैंक फीरोजाबाद में आरयन बैंक लिमिटेड (Aryan Bank Ltd.) के नाम से जारी है।

२—इस बैंक में एक मनुष्य रामदास का रुपया सेविङ्गस बैंक में बतौर अमानत रखा था जो ३) ६० सैकड़ा वार्षिक सूद के साथ उक्त रामदास के माँगने पर बैंक को देना था।

३—रामदास का ता०.....को देहान्त हो गया उस समय उसके रुपये व सूद की संख्या २२३२।८ थी।

४—इस रुपया को प्रथम प्रतिवादी इस बयान से माँगता है कि वह मृतक रामदास का कुटुम्बी भतीजा और दायमागी है।

५—इस रुपया को द्वितीय प्रतिवादी इस बयान से माँगता है कि वह मृतक रामदास का गोद लिया हुआ लड़का है और इसलिये उत्तराधिकारी है।

(यहाँ पर नमूना नं० १ भाग २८ का फिक्का नं० ४ से दंतक लिखना चाहिये)

* (३) मृतक की जायदाद के प्रबन्ध के लिये कर्जदारों की ओर से, प्रॉबेट लेने वाले पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है।

१—प्रयाग निवासी मृतक अ—ब—अ अपने देहान्त के समय वादी के.....रुपया का कर्जदार था और उसकी जायदाद अथ भी कर्जदार है (यहाँ पर यह लिखना चाहिये की कर्जा किस प्रकार था और कोई जमानत थी या नहीं)।

२—उक्त अ—ब—ता०.....को मर गया और अपने अन्तिम मृत्यु लेख (निष्ठा पत्र, वसीयत नामा) से क—ख—को निष्ठा (वसी—executor) नियत कर गया है (या उसने अपनी जायदाद दान (बकूफ) कर दी या वसीयत रहित मर गया, जैसी परिस्थिति हो लिखना चाहिये)।

❧ नोट—यह ज्ञाता दीवानी का शिखबूल १, अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर ४१ है।

३—उस वसीयत को क—ख—ने प्रमाणित किया (या जसने मृतक अ—ब—की सम्पत्ति का प्रबन्ध पत्र—प्राप्त किया) ।

४—प्रतिवादी ने मृतक (अ—ब) को चल और अचल सम्पत्ति (या उसकी आमदनी) पर कब्जा कर लिया और वादी को वह श्रृण अदा नहीं किया ।

५—बिनाय दावी—

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

मृतक (अ—ब) की चल व अचलसंपत्ति का हिसाब लिया जावे और उसका प्रबन्ध अदालत की डिग्री के अनुसार किया जावे ।

* (४) मृतक की जायदाद से कोई विशेष वस्तु पाने वाले का दावा

ऊपर लिखे नमूना नम्बर ३ को इस प्रकार बदल दो—

धारा नम्बर १ को काट कर धारा न० २ इस तरह से शुरू करना चाहिये—

१—मृतक अ—ब— निवासी थान... .. का, ता०... .. को या लग-भग ता०..... को देहान्त हुआ । उसने अपने अन्तिम ता०..... के लिखे हुए वसीयतनामे से (क—ख) को अपना वसी नियत किया और उसी वसीयतनामे से वादी के नाम (यहाँ पर जो चीज वादी को दी गई हो लिखना चाहिये) की और उसके लिये छोड़ी ।

२—प्रतिवादी (अ—ब) अचल सम्पत्ति पर अधिकारी है और उसके अतिरिक्त (यहाँ पर खास चीजों के नाम देना चाहिये) पर भी अधिकारी है ।

(वादी की प्रार्थना यह होगी कि प्रतिवादी को हुकम हो कि वह नीचे लिखी हुई चीजों वादी के हवाले करे) ।

(सूची)

† (५) मृतक की जायदाद से नकद रुपया पाने वाले की नाकिश

(सिरनामा)

ऊपर दिया हुआ नमूना नम्बर ३ इस प्रकार बदल देना चाहिये—

(धारा नम्बर १ काट देनी चाहिये और धारा नम्बर २ के बजाय यह लिखना चाहिये) ।

१— मृतक (अ—ब), निवासी स्थान.....का, ता०.....को देहान्त हुआ और उसने अपने ता०..... के लिखे हुये अन्तिम मृत्यु लेख (वसीयतनामे) से (क—ख)

* नोट—यह जाता दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर ४२ है ।

† नोट—यह जाता दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर ४३ है ।

(२६५)

को निष्ठा (वसी) नियत किया और उसी (वसीयतनामे) से वादी के लिये रुपया नकाद वसीयत करके छोड़ा ।

२—धारा नं० ४ में शब्द 'ऋण' के बजाय "वसीयती रुपया" लिखना चाहिये ।

(६) यही नमूना अर्थात् नं० ५ इस प्रकार से भी किया जा सकता है

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—अ—च . . . निवासी स्थान.....का, ता०.....को देहान्त हुआ और उसने अपने अन्तिम वसीयतनामे को नियमानुसार, ता० १ मार्च सन् १९.....ई० को इस प्रकार लिखवाया, .. .कि वर्तमान प्रतिवादी और च—छ—(जो कि उसके सामने ही मर गया) वसी नियत किये और अपनी चल और अचल सम्पत्ति उनके पास इस हेतु से छोड़ी कि वह लोग उक्त जायदाद का किराया और आमदनी वादी को उसके जीवित रहते हुए देते रहें और मरने पर उसके यदि कोई लड़का जो कि २१ वर्ष का हो जाय या कोई लड़की जो इतनी ही आयु को पहुँची, हो, तो उसको देते रहे और ऐसा न होने पर उसकी अचल सम्पत्ति वतौर अमानत उस मनुष्य के लिये रहे जो कि उसका उत्तराधिकारी हो और उसकी चल सम्पत्ति उन मनुष्यों के पहुँचे जो कि वादी के देहान्त होने के समय कुटुम्बी हों ।

२—प्रतिवादी ने वसीयतनामा (ता० ४ अक्टूबर सन् १९—ई०) को प्रमाणित किया । वादी की अभी शादी नहीं हुई है ।

३—मृतक अपने देहान्त के समय चल और अचल सम्पत्ति का अधिकारी था। प्रतिवादी ने अचल सम्पत्ति का किराया वसूल किया और चल सम्पत्ति भी अपने अधिकार में करली है और कुछ अचल सम्पत्ति बेच भी डाली है ।

४—(दावे का कारण व मालियत)—

वादी प्रार्थी है—

(अ) यह कि मृतक अ—च— की चल व अचल सम्पत्ति का प्रबंध इस अदालत से हो और इस हेतु यथायोग्य आज्ञा दी जावे ।

(ब) अदालत अन्य कोई हुकम देना उचित समझे सादिर करे ।

* (७) एक ट्रस्टी की ओर से ट्रस्ट की पूर्ति के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

* नोट—यह जाब्ता दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नं० ४४ है ।

१—वादी अन्य मनुष्यों के साथ एक समर्पण पत्र का जो ता०.....के अ—ब— और क—ख— यानी प्रतिवादी के पिता व माता में विवाह होते समय लिखा गया था, एक ट्रस्टी है। (या एक दस्तावेज का, जो कि अ—ब— की जायदाद के वावत, प्रतिवादी इत्यादि उसके श्रेण देने वालों के लाभ हेतु लिखा गया, एक ट्रस्टी है)।

२—वादी ने ट्रस्ट की पूर्ति का भार अपने ऊपर लिया और वह समर्पण पत्र से दिलाई हुई चल और अचल सम्पत्ति पर (या उसकी आमदनी पर) काबिज है।

३—प्रतिवादी ज—द— ने उस दस्तावेज की पूर्ति के लिये दावा कर रखा है।

४—विनायदावा—

५—दावे की मालियत—

वादी चाहता है कि वह कुल लगान व जायदाद के लाभ का हिसाब और चल व अचल सम्पत्ति का जो कुछ रुपया जो उसको ट्रस्टी की हैसियत से मिला, उसका हिसाब समझावे इसलिये वादी प्रार्थी है कि अदालत ज—द— या और ऐसे मनुष्यों के सामने जिनका उसमें लाभ हो ट्रस्ट का हिसाब वादी से ले और ट्रस्ट की कुल जायदाद का प्रबन्ध प्रतिवादी ज—द— इत्यादि के हेतु काम में लावे।

(८) ट्रस्ट से लाभ उठाने वाले की ओर से ट्रस्ट की पूर्ति के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी अन्य कई मनुष्यों के साथ ता० .. . के लिखे हुये समर्पण पत्र से एक लाभ उठाने वाला मनुष्य है।

२—प्रतिवादी ज—द— ने ट्रस्ट की पूर्ति का भार अपने ऊपर लिया और समर्पण पत्र से दिलाई हुई चल और अचल सम्पत्ति और उसकी आय पर अधिकृत है।

३—वादी समर्पण पत्र के अनुसार उसकी पूर्ति से लाभ उठाने का अधिकारी है।

४—विनायदावा—

५—दावे की मालियत—

६—वादी चाहता है कि प्रतिवादी ज—द— चल और अचल सम्पत्ति के कुल किराये, लगान व लाभ इत्यादि का और चल व अचल सम्पत्ति या उसके किसी क्रय किये हुये हिस्से के रुपये का हिसाब समझा देवे इसलिये वादी प्रार्थी है कि प्रतिवादी ज—द— को हुक्म हो कि वह अदालत में वादी और अन्य लाभ उठाने वाले पुरुषों के सामने उक्त ट्रस्ट का कुल हिसाब समझावे और ट्रस्ट की कुल जायदाद वादी और अन्य लाभ उठाने वाले पुरुषों के हेतु प्रबन्ध की जावे या ज—द— ऐसा न करने का कारण बतलावे।

(९) मैनेजर को हटाने और ट्रस्ट की पूर्ति के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—स्थान फरखावाद मुहल्ला मदार दर्वाजे में वादी के दादा रामसिंह का बनवाया हुआ एक श्रीकृष्ण जी का मन्दिर बहुत दिनों से स्थापित है ।

२—उक्त रामसिंह ने मन्दिर के राग व भोग के लिये नीचे लिखी हुई सम्पत्ति पुण्य की और उसके मैनेजर और प्रबन्धकर्ता बाल किशुन, भोजराज, होती लाल कौम चैश्य निवासी फरखावाद को ता०.....के दानपत्र (वक्फनामे) के अनुसार उक्त पदों पर नियत किया ।

३—यह प्रबन्धकर्ता पुण्य की हुई सम्पत्ति का दानपत्र (वक्फनामे) के अनुसार प्रबन्ध करते रहे । एक एक करके इन तीनों का देहान्त हो गया । प्रथम प्रतिवादी, वर्तमान मैनेजर व प्रबन्धकर्ता है, और पुण्य की हुई सम्पत्ति पर अधिकारी है ।

४—उसने दानपत्र की शर्तों के विरुद्ध पुण्य की हुई सम्पत्ति का कुछ भाग ता०.....के लिखे हुये सादा रहननामे से द्वितीय प्रतिवादी के पास रहन कर दिया है और कुछ हिस्से का सर्वकालिक (दवामी) पट्टा ता०.....को तृतीय प्रतिवादी के नाम लिख दिया है और उसको दखल दे दिया है ।

५—पुण्य की हुई सम्पत्ति की वार्षिक आय लगभग २०००) रुपया होती है जिसमें से मन्दिर का व्यय केवल ५००) ६० वार्षिक है । बाकी रुपया प्रतिवादी अनुचित रीति से अपने काम में लाते हैं जो कि तृतीय प्रतिवादी, सर्व कालिक पट्टेदार वसूल करता है ।

६—प्रथम प्रतिवादी के कुप्रबन्ध से मन्दिर की मरम्मत नहीं की गई और दर्शन वाले कम आते हैं । राग व भोग उचित प्रकार से नहीं लगाया जाता और न प्रवाद बढता है । वादी पुण्यकर्ता रामसिंह का दायभागी है और दानपत्र के अनुसार सम्पत्ति के प्रबन्ध और उसकी आय-व्यय से सम्बन्ध रखता है और नालिश करने का अधिकारी है ।

७—विनायदावा—प्रतिवादी के अनुचित रीति से रुपया अपने काम में लाने की तारीख से और विशेष प्रकार से सादा रहननामा और सर्वकालिक पट्टा लिखे जाने के दिन से ।

८-- दावे की मालियत (नियत कोर्ट फीस लगेगा) ।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रथम प्रतिवादी मैनेजरी की पदवी से हटाया जावे और उससे हिसाब लिया जावे ।

(ब) अन्य मैनेजर व प्रबन्धकर्ता नियत किये जावें ।

(क) पुण्य की हुई कुल सम्पत्ति द्वितीय प्रतिवादी के सादा रहननामें और तृतीय प्रतिवादी के सर्वकालिक पट्टे को रद्द कर के मैनेजर व प्रबन्धकर्ताओं के अधिकार में दी जावे ।

(ख) भविष्य के प्रबन्ध के लिये ता०.....के दानपत्र के अनुसार कार्य-
प्रणाली (स्कीम) बना दी जावे ।

(ग) नालिश का व्यय इत्यादि दिलाया जावे ।

(सम्पत्ति का विवरण)

(१०) प्रबन्धकर्ता की हटाने के लिये

(खिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : —

१—लगभग २० साल से स्थान मथुरा में मुहल्ला विसरौत घाट पर साहू सुखलाल की स्थापित की हुई एक धर्मशाला स्थित है ।

२—उस धर्मशाला में यात्री लोग बिना किराया ठहरते हैं और उसके दर्वाजे पर आरम्भ से ही सदाब्रत बँटता है जहाँ पर प्रत्येक फकीर व साधू को आधा सेर आटा, आधा पाव दाल और लकड़ी, मसाला, इत्यादि मिलते हैं और तीन कहार और दो अन्य मनुष्य यात्रियों की सेवा और सदाब्रत के प्रबन्ध हेतु नौकर रहते हैं ।

२—इस कुल खर्च और धर्मशाला की मरम्मत इत्यादि के लिये शमशपुर, फतेहानाद, इस्लाम नगर, और उन्ननपुर की ज़मींदारी लगी हुई हैं जो एक मैनेजर के प्रबन्ध में रहती है और वही मैनेजर धर्मशाले के खर्च व उसकी निगरानी का प्रबन्ध करता है ।

४—मैनेजर के नियत होने व हटाये जाने के बारे में साहू सुखलाल ने ता०..... के ट्रस्टनामे में, जिससे धर्मशाला स्थापित हुई यह शर्त लिखी है “ कि यदि मैनेजर ऊपर लिखा हुआ व्यय उचित रीति से न करे या धर्मशाला या सदाब्रत के प्रबन्ध में खराबी हो या वह धर्मशाला व सदाब्रत के हेतु सम्पत्ति की आय को अपने कार्य में लावे तो उसके बजाय दूसरा मैनेजर नियत किया जावे ” ।

५—ता०.....ई० से प्रतिवादी धर्मशाला और उसके सर्वधी सम्पत्ति का मैनेजर है और दोनों पर अधिकार रखता है ।

६—प्रतिवादी ने धर्मशाला व सदाब्रत का प्रबन्ध बिलकुल बिगाड़ दिया है, यात्री लोगो की कुल्ल सेवा नहीं होती और उनको कष्ट उठाना पड़ता है इससे बहुत कम यात्री धर्मशाले में ठहरते हैं । नौकर पाँच के बजाय २ या ३ रहते हैं और माँगने वालों को सदाब्रत नहीं मिलता और मिलता भी है तो बहुत कम ।

७—प्रतिवादी सम्पत्ति की आय में से लगभग आधी अनुचित रीति से अपने काम में ले आता है और आधी धर्मशाला इत्यादि में खर्च करता है ।

८—धर्मशाला व सदाब्रत के सुप्रबन्ध के हेतु वर्तमान मैनेजर का हटाया जाना और किसी दूसरे उचित पुरुष का नियत होना जो ता०.....के ट्रस्टनामों के अनुसार प्रबन्ध करे अत्यन्त आवश्यक है ।

६—वादी साहू सुखलाल के कुटुम्बी हैं और उनके धर्मशाला व सदाव्रत का उचित प्रबन्ध रखने व निगरानी का अधिकार ट्रस्टनामे में दिया गया है ।

(या वादियों ने नालिश करने की आज्ञा धारा ६२ जाप्ता दीवानी के अनुसार एडवोकेट जनरल से ले ली है ।)

१०—बिनाय दावा—

११—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी मैनेजर की पद से हटा दिया जावे और उसकी जगह उचित प्रबन्धकर्ता नियत किया जावे ।

(ब) भविष्य के मैनेजर को हुक्म हो कि वह ता०.....के ट्रस्टनामे के अनुसार प्रबन्ध करे ।

(११) वक्फ की हुई सम्पत्ति के मुतवल्ली को हटाने के लिये दावा

१—मौज्जा.....परगना.....में.....बिस्वा जमींदारी बहुत दिनों से दर्गाह शाह अजमल के खर्च व क्रायमी के लिये मुआफ़ चली आती है ।

२—इस आमदनी से मुहर्रम के दिनों में मजलिस होती है, दर्गाह पर फातहा पढ़ी जाती है और शरीव और फकीरों को रोटियों बाँटी जाती हैं ।

३—प्रतिवादी इस दर्गाह का मुतवल्ली है और मुतवल्ली की हैसियत से फिकरा नम्बर १ में लिखी हुई जायदाद पर काबिज है और उसकी आमदनी वसूल करता है ।

४—प्रतिवादी ने दर्गाह का खर्च बहुत कम कर दिया है और दान की हुई जायदाद की आमदनी का बहुत सा रुपया अपने ज्ञाती काम में लाता है ।

५—पिछले साल में दान की हुई जायदाद की कुल आमदनी करीब ५०००) २० हुई जिसमें मुशकिल से प्रतिवादी ने ५००) २० दर्गाह के खर्च में सर्फ़ किया और बाकी रकम नाजायज़ तौर से अपने काम में लाया ।

६—इससे पिछले वर्ष भी प्रतिवादी ने ऐसा ही किया था । वह मुतवल्ली के पद पर रहने योग्य नहीं है । वादी उस दर्गाह के मुजावर हैं और दर्गाह पर खर्च किये जाने से लाभ उठाते हैं ।

७—वादियों ने जाब्ता दीवानी के दफा ६२ के अनुसार नालिश करने की एडवोकेट जनरल से आज्ञा प्राप्त करली है ।

(१२) मन्दिर की सेवा व पूजा को अनुचित रीति-से
रोकने पर नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१— मुहल्ला पक्की सराय शहर कोल में एक महादेव जी का पंचायती मन्दिर है जिसमें वहाँ के हिन्दू निवासी दोनों समय पूजा व दर्शन को जाते हैं ।

२—वादी ५० वर्ष के पूर्व से उस मुहल्ला में रहता चला आता है और सदा से उस मन्दिर में यथोचित दर्शन व पूजा करता चला आया है ।

३—ता०.....के वादी उक्त मन्दिर में दर्शन व पूजा के लिये गया । प्रतिवादी ने बिना किसी अधिकार के वादी को दर्शन और पूजा न करने दिया ।

४—प्रतिवादी मन्दिर का मालिक नहीं है और न उसको किसी प्रकार से वादी को दर्शन व पूजा से रोकने का हक या अधिकार है ।

५—बिनाय दावा —

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि एक सर्वकालिक आज्ञा प्रतिवादी को इस बात की दी जावे कि वह वादी को मन्दिर में पूजा व दर्शन करने से न-रोके और न किसी तरह की रुकावट डाले ।

(१३) मसजिद में नमाज़ पढ़ने से रोकने पर

१—मछली बाजार शहर कानपुर में एक मसजिद बहुत दिनों से बनी हुई है जिसमें मुसलमान इसतहकाकन पंच रोज़ा पढ़ते हैं ।

२—वादी मुहल्ला खुलदानाद का रहने वाला है जो उस मसजिद से लगा हुआ है और वह इस मसजिद में अपने होश से नमाज़ पढ़ता चला आया है ।

३—प्रतिवादी अपने आप को मसजिद का मैनेजर बतलाता है । उससे और वादी से नियमों (अक्रायद) में मत भेद है जिससे आपस में विरोध रहता है ।

४—ता०.....के प्रति दिन की तरह नमाज़ पढ़ने के लिये वादी मसजिद में गया । प्रतिवादी ने उसको नमाज़ नहीं पढ़ने दी और उसको मसजिद में जाने से रोका ।

५—वादी को इस मसजिद में नमाज़ पढ़ने का हक है और प्रतिवादी को इस हक को बन्द करने या उसमें रुकावट डालने का कोई अधिकार नहीं है ।

(६४) कब्रस्तान में मुर्दा दफन करने से रोकने पर

१ - वादी मौजा खानपुर जिला बुलन्दशहर का रहने वाला है और कौम का रोख है ।

२ - इस मौजे में आराज़ी नम्बरी २५ रकबी ३ वीघा कब्रस्तान है जिसमें मौजे के रहने वाले शेखों के मुर्दे प्राचीन काल से दफन होते हैं ।

३ - प्रतिवादी उस मौजा का जमींदार है और वह वादी के उस कब्रस्तान में मुर्दे दफन होने से रोकता है ।

४ - ता०.....को वादी के यहाँ एक मौत हुई और उसने लाश को कब्रस्तान में दफन करना चाहा लेकिन प्रतिवादी ने ऐसा नहीं करने दिया ।

(चाज़ी ब्रैसा फ़ि नं० १२ में)

(१५) दान की हुई सम्पत्ति के बचाने के
लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -

१ - वादी के दादा (क - ख -) ने नीचे लिखी हुई चौहदी का एक मन्दिर स्थान.....में बनवा कर उसमें विहारी जी की मूर्ति स्थापित की और उसको कुटुम्बी लोग मन्दिर की तरह वरतते रहे ।

२ - उक्त क - ख - उस मन्दिर में स्वयं भी पूजा करते थे और अपने जीवन भर उसकी निगरानी और प्रबन्ध अपने आप करते रहे और मन्दिर की सेवा व पूजा के लिये एक मनुष्य च - छ - उसका पुजारी नियत कर दिया था ।

३ - क - ख - के देहात के बाद वादी के पिता अ - ब - और अ - ब - के देहात के बाद वादी बराबर उक्त मन्दिर में पूजा करते रहे और उसके प्रबन्धकरे और च - छ - पुजारी की हैसियत से मन्दिर की पूजा और सेवा का काम करता रहा ।

४ - प्रायः ५ साल हुये होंगे कि च - छ - का देहान्त हो गया । वादी ने उसके बजाय उसके लड़के (प - ल -) प्रतिवादी को पुजारी नियत कर दिया । वह उसकी पूजा व सेवा का काम वादी की निगरानी में करता रहा ।

५ - प - ल - ने बिना किसी अधिकार के और वादी को बिना मालूम हुये उक्त मन्दिर को मकान की हैसियत से ता०.....के दस्तावेज़ से एक मनुष्य म - न - के यहाँ रहन कर दिया और म - न - ने उस दस्तावेज़ के आधारे पर नालिश करके डिग्री नम्बरी.....अदालत ...से प - ल - के ऊपर प्राप्त कर ली और उसके इजराय में उक्त मन्दिर को नीलाम कराया है ।

६—प्रतिवादी आपस में मिले हुये हैं और वह वादी के कुटुम्बी मन्दिर को मकान मान कर बेचना और अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं और उन्होंने नालिश और इबराय की कुल कार्यवाही जानबूझ कर छिपा रखी थी ।

७—प्रायः एक महीना हुआ होगा कि वादी को प्रतिवादी की धोके और चालाकी का ज्ञान हुआ । उसने प्रतिवादी से भगड़ा हटाने के लिये कहा लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं देते ।

८—त्रिनाय दावा (वादी की सूचना होने के दिन से) ।

९—दावे की मालियत, (जायदाद की मालियत, परन्तु नियत कोर्ट फीस दिया जावेगा)

वादी प्रार्थी है कि—

अदालत से यह हुक्म हो कि नीचे लिखी हुई सम्पत्ति विहारी जी का मन्दिर और वादी के कुटुम्ब की पूजा करने का स्थान है और इबराय डिग्री नम्बरी.....अदालतसे नीलाम होने योग्य नहीं है ।

२६—सम्मिलित सम्पत्ति (जायदाद मुश्तर्का)

सम्मिलित सम्पत्ति के सम्बन्ध में हिस्सेदारों में कई प्रकार की नालिशें हो सकती हैं । अधिकतर सम्मिलित सम्पत्ति के बटवारे के लिये दावा दायर किये जाते हैं, जिससे हर एक हिस्सेदार का भाग या हिस्सा पृथक्-पृथक् कर दिया जावे । ऐसा दावा प्रत्येक हिस्सेदार, बालिश हो या नाबालिश (बयस्क हो या अवयस्क) दायर कर सकता है । इनमें बाकी कुल हिस्सेदारों को प्रतिवादी बनाना चाहिये और अर्जीदावा में सम्पत्ति का सम्मिलित होना और वादी का अपने हिस्से का अधिकारी होना, और यह कि उसका जायदाद या उसके किसी भाग पर कब्जा है या नहीं, लिखना चाहिये ।

यदि बटवारा किसी विशेष रूप से कराना मंजूर हो, जैसे किसी भाग को कोई विशेष भाग दिया जावे, तो ऐसा करने के लिये आवश्यक घटनायें अर्जीदावा में लिखना चाहिये जैसे कि उस हिस्सेदार ने उस भाग पर कोई विशेष खर्च किया हो या मकान बनवाया हो । यदि सम्मिलित सम्पत्ति एक से अधिक अदालतों के अधिकार सीमा में स्थित हो तो संग्रह ज्वाब्ता दीवानी धारा १७ के अनुसार उनमें से किसी एक अदालत में विभाजन का दावा किया जा सकता है ।

बटवारा के अतिरिक्त यदि एक हिस्सेदार दूसरे को हिस्सेदार सम्मिलित सम्पत्ति से वेदखल कर देवे और उसका कुल मुनाफा या लाभ स्वयं वसूल कर

लेवे या ऐसी सम्पत्ति को मकान बनवाकर अथवा अन्य प्रकार से अपने अनुचित अधिकार में कर लेवे या उसका नाजायज परिवर्तन रदन, पट्टा इत्यादि कर देवे, इन सष दशाओं में दूसरे भागी उचित नालिश कर सकते हैं। इस खण्ड में ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की नालिशों के नमूने दिये गये हैं।

सम्मिलित सम्पत्ति के विभाजन से एक भागी, कुल मुरतरका मिलकियत और कब्जा के बजाय उसके एक भाग का अकेला स्वामी और अधिकारी हो जाता है। इसलिये बटवारे के दावे उन्हीं हिस्सेदारों में किये जा सकते हैं जिनका एक सा हक हो और वह उस जायदाद पर काबिज हों।¹

कोई हिस्सेदार सम्मिलित सम्पत्ति के बटवारा का दावा कर सकता है और प्रतिवादी का यह प्रतिवाद पर्याप्त नहीं होता कि वादी ने पूरी सम्मिलित सम्पत्ति वाद में शामिल नहीं की, जब तक कि दावा हिन्दू अविभक्त कुल की सम्पत्ति के विभाजन का न हो।²

सम्मिलित और संयुक्त मिलकियत का यह एक विशेष अन्तर है कि यदि सम्मिलित सम्पत्ति पर वादी काबिज न हो तो वह तकसीम की डिगरी पाने का हकदार नहीं होता।³ ऐसी हालत में दावा तकसीम और दखल, दोनों का होना चाहिये।

इन दावों में (१) वादी का हिस्सा (२) वह वर्णन जिनसे वादी का उस हिस्से का मालिक होना प्रगट हो (३) जायदाद का सम्मिलित होना और (४) यह कि वादी जायदाद पर सम्मिलित रूप से काबिज है दिखाना चाहिये।

तकसीम के लिये पहले प्रारम्भिक (इन्वर्दाई) डिगरी दी जाती है, जिससे वादी का भाग सीमित कर दिया जाता है और तकसीम हो जाने के बाद वह डिगरी पूर्ण (कतई) हो जाती है। इन दावों को एक विशेषता यह भी है कि जहाँ पर एक से अधिक प्रतिवादी हों वहाँ पर कोई प्रतिवादी भी अपना हिस्सा पृथक् करा सकता है, ऐसी हालत में उस प्रतिवादी की हेसियत भी बतौर वादी के तुल्य हो जाती है। परन्तु यदि कोई प्रतिवादी अपना हिस्सा पृथक् करना चाहे तो उसको अपने हिस्से पर उचित कोर्ट फीस देनी होती है।

कोर्टफीस—जहाँ पर वादी सम्मिलित रूप से जायदाद पर काबिज हो चाहे उसके किसी भाग पर उसका कब्जा हो, तो कोर्ट फीस एक्ट के परिशिष्ट २ आर्टिकल १७ के अनुसार नियत कोर्ट फीस दर रुपया का लगता है, और जहाँ पर वह काबिज न हो तब मालियत के अनुसार पूरी कोर्टफीस लगती है और वादी के हिस्से की मालियत के अनुसार दावा की मालियत नियत होती है।

1 A. I. R. 1930 Pat. 177 (F B), 108 I. C. 809.

2 A. I. R. 1929 Oadh 162, 1923 Mad 96.

3 A. I. R. 1923 Pat. 162

संयुक्त प्रान्त में दफा ७ (vi) ए (Sec. 7 (vi) A, Court Fees Act) के अनुसार वादी को अपने हिस्से की एक चौथाई मालियत पर रसूम देना चाहिये और यदि वादी बेदखल हो तो पूरी मालियत पर रसूम देना चाहिये ।

मियाद—यदि वादी सम्मिलित सम्पत्ति पर काबिज हो तो तमादी का प्रश्न नहीं उठता और दावा किसी समय दाखिल किया जा सकता है परन्तु यदि वादी काबिज न हो तो इसका कब्जा हटने के १२ साल के अन्दर दावा दाखिल होना चाहिये ।¹

(१) सम्मिलित मकान के बटवारे के लिये ।

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—एक मजिल पक्की हवेली उसके चारों ओर की जमीन के साथ, जिसकी चारों ओर की सीमा नीचे लिखी हुई है, मुहल्ला शाहपाड़ा शहर अलीगढ़ में बराबर २ हिस्से में नन्दराम व भूपाल दास की सम्मिलित सम्पत्ति थी ।

२—नन्दराम के लड़के व वारिस छीतरमल और कामनीप्रसाद ने कुल मकान के अपने आधे हिस्से को वादी के पूर्वाधिकारी गुलजार खॉं को १८ मई १६.....ई० को रहन किया ।

३—गुलजार खॉं के देहांत के बाद वादी ने उसके उत्तराधिकारी की हैसियत से हवेली के इस आधे हिस्से के नीलाम के लिये दावा छीतरमल व कामनी प्रसाद के ऊपर अदालत सिविलजजी अलीगढ़ में दायर किया और वह ता० १८ नवम्बर सन् १६ ... ई० को डिग्री हुआ । उसकी इजराय में २४ अगस्त सन् १६... ई० को नीलाम में वादी ने यह आधा हिस्सा खरीद किया और वह ६ मार्च सन् १६.....ई० से अदालत के हुक्म के अनुसार उस पर काबिज है ।

४—मकान के सम्मिलित होने के कारण वादी अपनी मिलकियत से पूरा लाभ नहीं उठा सकता इस लिये उसने भूपाल दास के लड़के व उत्तराधिकारी प्रतिवादी से जो कि आधी हवेली के साझादार हैं बटवारा करने के लिये कहा लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं देते ।

५—बिनाय दावा (बटवारा के अस्वीकार करने की अंतिम तारीख से) ।

६—दावे की मालियत (मकान की कीमत के ऊपर) ।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) नीचे लिखी हुई कुल हवेली के दो बराबर कुरे बनाये जावें और एक कुरे पर वादी को पृथक दखल दिलाया जावे ।

(ब) बटवारा इस प्रकार से किया जावे कि वादी को जमीन व मलवे (पत्थर लकड़ी) में आधा हिस्सा दिलाया जावे ।

(क) नालिश का खर्चा दिलाया जावे ।

(२) सम्मिलित मकान के एक हिस्से के बँटवारे के लिये

१—एक मजिल पक्की हवेली स्थित मुहल्ला जानसेनगज शहर कानपुर फरीकैन की मिलकियत इस तरह पर है कि कोठी के पूरब की ओर जो इमारत बनी हुई है वह अकेली वादी की मिलकियत है और जो कोठी के उत्तर की ओर इमारत है वह अकेले मुदायलह नम्बर १ की मिलकियत है और जो कोठी के दक्खिन ओर इमारत है वह अकेले मुदायलह नम्बर २ की मिलकियत है लेकिन कोठी के पच्छिम की तरफ जो इमारत बनी हुई है जिसमें कि ज़ीना, पाखाना, सहन, फाटक इत्यादि हैं वह तीनों फरीकैन की बराबर २ हिस्से की सम्मिलित मिलकियत है ।

२—कोठी के नकशे में जो साथ साथ पेश किया जाता है मुद्दई का हिस्सा लाल रंग से व मुदायलह नं० १ का हिस्सा हरे रंग से और मुदायलह नं० २ का हिस्सा पीले रंग से दिखाया गया है और सम्मिलित हिस्सा खाली छोड़ा गया है ।

३—फरीकैन में सम्मिलित हिस्से का काम में लाने और इस्तैमाल के बारे में भगड़ा रहता है और वह उससे उचित लाभ नहीं उठा सकते ।

४—प्रतिवादियों से बटवारे के लिये कहा गया और रजिस्ट्री नोटिस भी दिया गया लेकिन उन्होंने अभी तक बटवारा नहीं किया ।

(३) सम्मिलित दखल और वासलात के लिये

(खिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी और प्रतिवादी बराबर २ हिस्से के.....धीधा पक्की आराजी नम्बरी... स्थान.....के दखीलकार काश्तकार हैं ।

२—उस ज़मीन पर वादी और प्रतिवादी का सम्मिलित अधिकार था और दोनों उसको मुस्तर्का जोतते बोते थे ।

३—रबी १९—फ० में जब कि जौ और गेहूँ की फरीकैन की मुस्तर्का फसल जोती बोई हुई थी, प्रतिवादी ने बलात उस ज़मीन से वादी को अनाधिकृत करके उस पर अकेले अपना अधिकार कर लिया और कुल फसल को अपने काम में लाया ।

४—उस फसल का मूल्य लगभग ४००) रुपया होगा ।

५—वादी उस आराजी पर मुस्तर्का दखल पाने और रबी की फसल की आधी क़ीमत पाने का अधिकारी है ।

६—बिनाय दावा (वादी की वेदखली के दिन से)

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) ऊपर लिखी आराजी पर वादी को मुश्तर्का दखल दिलाया जावे ।

(ब) २००) रुपया बतौर हर्जा रबी सन् १६.....:फ० के बारे में और नालिश का खर्चा दिलाया जाय ।

(४) साक्षीदार के अनुचित कार्य करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी और प्रतिवादी मौजा भटगरावाँ तहसील अनूपशहर में मुहाल तोताराम में जमीदार हैं ।

२—उस मुहाल में एक आराजी नम्बरी ६३ आबादी की है जो कि खाली पड़ी हुई है । यह आराजी दोनों फरीकौन की सम्मिलित मिलकियत की है और वह दोनों जमीदारों की हैसियत से उस पर मुश्तर्का काबिज़ हैं ।

३—जुलाई सन् १६—ई० में प्रतिवादी ने वादी की सम्मति के विरुद्ध और उससे बिना पूछे हुये उस जमीन पर एक कच्चा मकान बनवाना शुरू किया और वादी के रोकने व मना करने पर भी नहीं माना ।

४—प्रतिवादी अब भी उस मकान को बनवा रहा है और उसका विचार उसके बनवाये चले जाने का है ।

५—उस कुल जमीन का अपने काम में ले आना प्रतिवादी के अधिकार के विरुद्ध है और उससे वादी की वेदखली हो जाती है ।

६—बिनाय दावा—

७—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) वादी को अर्जादावे में लिखी हुई जायदाद पर प्रतिवादी की बनाई हुई तामीर (इमारत) तुड़वा कर या जो कुछ इमारत और बनवाई जावे उसको तुड़वा कर सम्मिलित अधिकार दिलाया जावे ।

(५) इसी प्रकार का दूसरा दावा

१—दोनों पक्षों के मकान मुहल्ला लखपती शहर हाथरस में एक ही गली में स्थित हैं

२—यह कूचा दोनों पक्षों की सम्मिलित सम्पत्ति है और उसमें होकर दोनों का रास्ता है और दोनों मकानों के नाले गिरते हैं ।

३—प्रतिवादी ने अपना मकान हाल में ही बनवाया है और लगभग दस दिन हुए होंगे कि उसने कूचे की ओर एक छज्जा गौख की प्रकार से अपनी दीवाल से ४ फीट कूचे की तरफ में निकला हुआ बनवाना शुरू किया है । अभी गौख बन कर तैयार नहीं हुई और उस पर काम शुरू ही हुआ है ।

४—प्रतिवादी का यह काम वादी के सम्मिलित अधिकार के प्रतिकूल है और वह बार २ कहने पर भी नहीं मानता ।

(६) सम्मिलित सम्पत्ति के पट्टे की मंजूरी के लिये

१—मौजा चारई परगना इगलास मुहाल रामलाल में वादी आधे हिस्से का मालिक व जमींदार है ।

२—प्रतिवादी नं० २ उस मुहाल का नम्बरदार है और आसामियों से लगान व तहसील वसूल करता है ।

३—ता०.....के प्रतिवादी नं० २ ने.....वीषा पक्की आराज़ी नम्बरी..... (यहाँ पर तफ़्सील देनी चाहिये) का बीस साल के लिये पट्टा..... रुपया वार्षिक पर प्रतिवादी नं० १ के नाम लिख कर ता० १ जुलाई सन् १६.....ई० से उसको उस भूमि पर अधिकार दिला दिया ।

४- वह जमीन आस पास की उसी तरह की और जमीनों के विचार से..... रुपया सालाना लगान को हैसियत की है और लगान प्रति दिन बढ़ता जा रहा है ।

५—प्रतिवादी नं० १ प्रतिवादी नं० २ का सम्बन्धी है । यह पट्टा कम और अनुचित लगान पर प्रतिवादी नं० २ ने प्रतिवादी नं० १ के नाम वादी के हानि पहुँचाने के लिये लिख दिया है ।

६—नम्बरदार की हैसियत से प्रतिवादी नं० २ का ऐसा पट्टा लिख देने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिये वह पट्टा वादी और मुहाल के अन्य हिस्सेदारों के प्रतिकूल अनुचित व प्रभाव हीन है ।

७—अन्य हिस्सेदार नालिश में शामिल नहीं हुए इस लिये उनके प्रतिवादी तृतीय पक्ष बनाया गया है ।

(७) विभाजन के पश्चात् लिखे हुए पट्टे की मंजूरी और जायदाद पर दखल के लिये नालिश

१—वादी और द्वितीय प्रतिवादी मुहाल रामचन्द्र नगला रामनगर, परगना..... में हिस्सेदार थे और द्वितीय प्रतिवादी उसका नम्बरदार था ।

२—वादी ने अपने हिस्से के बटवारे के लिये ता० ५ जुलाई सन् १९.....ई० को अदालत माल में प्रार्थना पत्र पेश किया ।

३—यह दरखास्त बहुत दिनों तक विचाराधीन रही और बटवारे की कार्यवाई होती रही । अन्त में तकसीम का मुकदमा १ जून सन् १९.....ई० को खतम हुआ और वादी का मुहाल अलग बन गया और बटवारा १ जुलाई सन् १९.....ई० से काम में लाया गया ।

४—तकसीम के मुकदमे के दौरान में १५ बीघा पक्की आराजी का पट्टा द्वितीय प्रतिवादी ने दस साल के लिये १५०) रुपया सालाना लगान पर प्रथम प्रतिवादी के नाम लिखा दिया । आराजी के नम्बर इत्यादि नीचे शिब्यूल में अंकित हैं

५ - पट्टे में लिखी हुई आराजी का उचित सालाना लगान ३२५) रु० है और दिन प्रतिदिन लगान बढ़ता जाता है ।

६ - उस जमीन का पट्टा इतने वर्ष के लिये इतने कम लगान पर द्वितीय प्रतिवादी ने वादी को बदनीयती से हानि पहुँचाने के लिये लिख दिया है और वह वादी की पावन्दी के योग्य नहीं है । वह वादी के विरुद्ध अनुचित और प्रभावहीन है ।

७—तकसीम से पट्टे में लिखे हुये नम्बर के खेत जो कि शिब्यूल (ब) में दर्ज हैं वादी के कुरे में आये हैं ।

८—शिब्यूल (ब) में लिखे हुए नम्बरों पर प्रथम प्रतिवादी का पट्टे के आधार पर कब्जा नाजायज और बिना किसी अधिकार के है ।

९—वादी शिब्यूल (ब) में लिखे हुए खेतों पर देखल पाने का दावेदार है ।

१०—बिनाय दावी (१ जुलाई सन् १९ . . . ई०, बटवारा होने और बेदखली का हक पाने के दिन से) ।

(८) एक हिस्सेदार का गैर साझीदार पर दावा

(विरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : -

१—मुहाल मोतीराम मौजा मडराक में वादी हिस्सेदार व कुल मुहाल का नम्बरदार है ।

२—उस मुहाल में नम्बर ७४ बगीचा है जिसमें १४ पेड़ नीम के खड़े हुए हैं और नम्बर ७५ ऊसर है जिसमें दो नीम, एक खनूर, तीन बबूल के पेड़ हैं और बहुत से नीम और बबूल के पौधे हैं ।

३—प्रथम प्रतिवादी ने द्वितीय प्रतिवादी से मिल कर जो कि उस मुहाल में हिस्सेदार है नंबर ७४ व ७५ के पेड़ों को काटना शुरू किया है और वह बेचड़क पेड़ काट रहे हैं और उनकी लकड़ी अपने काम में लाना चाहते हैं ।

४—प्रतिवादी को बिना वादी की सम्मति के पेड़ काटने या लकड़ी लेने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी का यह काम अनुचित और वादी के अधिकार के विरुद्ध है और वह हिस्सेदार व नवरदार की हैसियत से नालिश करता है।

५—बिनाय दावा—(पेड़ काटने के दिन से)।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) एक स्थायी निषेध आज्ञा प्रतिवादी के नाम निकाली जावे कि वह आराजी नवरी ७४ व ७५ मुहाल मोतीराम मौजा मडराक के पेड़ न काटे और न उनकी लकड़ी अपने काम में लावे (इसकी मालियतरुपया)।

(ब) प्रतिवादी ने जितने पेड़ काट कर अपने काम में ले लिये हों उनकी कीमत वादी को दिलाई जावे और जितने की डिग्री की जावे उसका कोर्टफीत ले लिया जावे।

३०—हिन्दू अविभक्त कुल

हिन्दू अविभक्त कुल की सम्पत्ति की मितान्तर शास्त्रानुसार कई विशेषताएँ होती हैं :—

(१) कुल के प्रत्येक सदस्य को जन्म से ही पैतृक सम्पत्ति अथवा अविभक्त कुल की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होता है जिससे वह विशेष दशाओं में उसका विभाजन करा सकता है। चाहे यह उसके भाई, पिता या पितामह की इच्छा के विरुद्ध ही क्यों न हो।

(२) कुल का कोई सदस्य कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के बिना और दूसरे सदस्यों की सम्मति बिना कुटुम्बी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का परिवर्तन नहीं कर सकता। परन्तु पिता अपने पूर्व ऋण चुकाने के लिये या ऐसे कार्य के लिए जो न्याय विरुद्ध न हो या किसी अनुचित काम के लिये न लिया गया हो, जैसे जुआ या अन्य कोई व्यसन इत्यादि, पैतृक सम्पत्ति का परिवर्तन कर सकता है और वह उसके पुत्रों पर माननीय होगा।

(३) यदि किसी सदस्य का पुत्रहीन देहान्त हो जाता है तो उसकी विधवा को कुटुम्ब के निवास-गृह में रहने का और खान पान पाने का अधिकार होता है, परन्तु कुटुम्ब की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होता।

इन दशाओं के उल्लंघन करने पर जो स्वतंत्र अन्य पक्षों को प्राप्त होते हैं उनके सम्बन्धित कुछ नालिशों के नमूने इस भाग में दिये गये हैं।

१—अविभक्त सम्पत्ति का विभाजन

(इस सम्बन्ध में खण्ड २ पद नं० २९ 'सम्मिलित सम्पत्ति' में दिया हुआ नोट देखना चाहिये)

हिन्दू अविभक्त कुल के एक सदस्य का कुल से पृथक् होना जब ही माना जाता है जब कि वह अपने पृथक् होने का, अन्य सदस्यों से कोई स्पष्ट और ऐसा कार्य करे जिससे उसके पृथक् हो जाने में कोई सन्देह न रह जावे ।¹

जैसे कोई हिस्सेदार अपने हिस्से के विभाजन के लिये दावा कर सकता है ।² बटवारे का दावा दायर करने पर वादी की पृथक् होने की इच्छा स्पष्टता से प्रगट हो जाती है ।³ तकसीम का दावा प्रत्येक बालिग हिस्सेदार दायर कर सकता है । विशेष दशा में अवयस्क (नाबालिग) हिस्सेदार भी ओर से भी उसका रक्षक बना कर दावा दायर किया जा सकता है ।

अविभक्त कुल की स्त्रियों में उस विधवा के अलावा जिसको Hindu Women's Right to Property Act के अनुसार अधिकार प्राप्त हो, अन्य स्त्रियों को बटवारा कराने का अधिकार नहीं होता परन्तु कुटुम्ब में विभाजन होने पर अधिकार-युक्त स्त्रियों को हिस्सा मिलता है, जैसे यदि किसी पुत्र के दावे पर पुत्रों में विभाजन होने पर माता को एक पुत्र के बराबर हिस्सा मिलता है ।

नाबालिग की ओर से तकसीम के दावे तभी चल सकते हैं जब कि बटवारा नाबालिग के लाभ के लिये हो, या वह नाबालिग के अधिकारों की रक्षा के लिये आवश्यक हो ।⁴ नाबालिग की ओर से दावा होने पर कुटुम्ब की अलहदगी जब तक कि डिग्री न हो जावे तब तक नहीं समझी जाती परन्तु डिग्री हो जाने पर उसका प्रभाव दावा दायर करने की तारीख से होता है ।⁵

तकसीम के दावों में नीचे लिखे मनुष्य फरीक बनाये जा सकते हैं :—

(१) भिन्न भिन्न शाखाओं के कर्त्ता या मुखिया ।

(२) कुटुम्ब की वह स्त्रियाँ जिनको हिस्सा पहुँचता हो ।

(३) वादी ने यदि अपना हिस्सा बेच दिया हो तो खरीदार, या उसने किसी का हिस्सा खरीद किया हो तो बेचने वाला ।

1. A I R 1931 P. C 154, I L R 53 All 300.

2 17 I A 194, I L R 18 Cal 157

3 A I R. 1923 P. C 59, I L R 43 Cal 1031 P C

4 I L R 29 All. 323, I L R 31 Bom 373, 17 M L J 343 P C

5 I. L. R 42 All 461 F B, I L R 14 Pat. 732 F. B But See Contra A. I R

(४) कुटुम्ब के अन्य सदस्यों के हिस्सों के खरीदार अथवा रहन गृहीता ।

यदि एक हिस्सेदार की ओर से बटवारे का दावा अन्य हिस्सेदारों के विरुद्ध हो तो पूर्ण कुटुम्बी सम्पत्ति के बाबत होना चाहिये। ऐसा न करने पर अदालत दावा खारिज कर सकती है।^१

कोर्ट फीस व मियाद :—जैसा कि पद २९ सम्मिलित सम्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा गया है । इस पद में दिये हुए वाद-पत्रों के नमूने नं० १, २ व ३ बटवारे के दावों के हैं ।

३—अविभक्त सम्पत्ति का परिवर्तन

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है अविभक्त कुल का कोई सदस्य उचित आवश्यकता के बिना कुल की किसी सम्पत्ति का परिवर्तन नहीं कर सकता है इसलिये दावा यदि ऐसे अनुचित परिवर्तन के विरुद्ध हो, तब यह कि परिवर्तन कर्ता कुल का मैनेजर या कर्ता नहीं था और यह कि परिवर्तन कुल की किसी उचित आवश्यकता के लिये नहीं किया गया, दावे में लिखना चाहिये । यदि हिन्दू पिता या कुल के कर्ता ने परिवर्तन किया हो तो निम्न लिखित बातें वादी की ओर से लिखना आवश्यक होती हैं :—

(१) कि वादी अविभक्त कुल का सदस्य है,

(२) परिवर्तन की हुई सम्पत्ति में उसका हिस्सा या हक है,

(३) सम्पत्ति कब और किस प्रकार परिवर्तन की गई,

(४) वह सब घटनाएँ जिनसे ऐसा परिवर्तन अभ्याय-युक्त और नाजायज प्रमाणित किया जा सके ।

पिता के विरुद्ध ऋण की डिगरी में यदि कुल की सम्पत्ति कुर्क व नीलाम (प्रक्षित) की जावे तो पुत्र इजराय में उज्र पेश नहीं कर सकता जब तक कि वह यह न साबित कर सके कि पिता ने वह ऋण किसी नाजायज अथवा बदचलन काम के लिये लिया था, परन्तु ऋणी के भाई भतीजे इत्यादि जो कुल के अन्य सदस्य हों, अपने हिस्सों को नीलाम से छुड़ा सकते हैं । उनको यह दिखाना चाहिये कि वह डिगरी में फरीक नहीं थे और उनका उस जावदाद में हिस्सा है ।

ऐसे दावे कुल के किसी सदस्य की ओर से दायर किये जा सकते हैं जो कि परिवर्तन के समय जीवित हो^२ और ऐसे पुत्र की ओर से भी जो कि उस समय गर्भस्थित हो और बाद को जीवित रहे।^३

1. I. L. R. 12 Lah 574

2. A. I. R. 1930 Lah 286

3. I. L. R. 35 All 571

4. I. L. R. 37 All 162, 19 A. L. J. 934.

अविभक्त कुल की जायदाद के सम्बन्ध में प्रीवी कौंसिल का माननीय निर्णय वृजनारायन बनाम मंगला प्रसाद^१ में हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए एक दूसरे फुलबेन्च मुकदमे में^२ यह निर्णय किया है कि एक हिन्दू पिता अविभक्त कुल की सम्पत्ति का, उचित आवश्यकता या अपने पूर्व ऋण के चुकाने के लिये ही परिवर्तन कर सकता है इसलिये रहन-गृहीता का परिवर्तन के लिये उचित आवश्यकता साबित करना आवश्यक होता है और परिवर्तन पर आक्षेप करने वाले पक्ष को यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि वह अनुचित था या बदचलनी के कारण किया गया।

यदि ऋण, कुल के कर्ता ने सिर्फ अपने ही नाम से लिया हो तो कुल के अन्य सदस्यों का फरीक बनाना आवश्यक नहीं है।^३ ऐसे मुकदमे की डिगरी कुल के सब सदस्यों के विरुद्ध इजराय कराई जा सकती है। यह भी लिखना आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी के विरुद्ध दावा कर्ता या मैनेजर की हैसियत से दायर किया गया है परन्तु अर्जीदावा से यह प्रकट होना चाहिये कि प्रतिवादी उस कुल का कर्ता है।^४

मियाद—अविभक्त सम्पत्ति के परिवर्तन को मनसूख कराने के लिये जहाँ परिवर्तन पिता का किया हुआ हो, अर्वाध-विधान के आर्टिकल १२६ के अनुसार मियाद १२ वर्ष की होती है और उसकी गणना उस तारीख से होनी चाहिये जिससे परिवर्तन गृहीता ने जायदाद पर कब्जा किया हो। अन्य दशाओं में आर्टिकल १२० के अनुसार मियाद ६ साल की होती है।^५

[नोट—इस पद में दिये हुए वाद-पत्र न० ४, ५, ६ व ७ परिवर्तन के विषय पर हैं]

३—निर्वाह-व्यय

यदि हिन्दू विधवा या विवाहित स्त्री किसी उचित कारणों से (जैसे पुरुष का कोढ़ी होना इत्यादि) अपने पति या उसके कुटुम्ब से पृथक रहती हो और कुचलन न हो तो वह अपने निर्वाह या गुजर के लिये खर्चा माँग सकती है। इन दावा में (१) वह कारण जिससे वह अलहदा रही हो (२) उसका कुचलन न होना और (३) उसका निर्वाह-व्यय पाने का हक्कदार होना दिखाना चाहिये। निर्वाह-व्यय की उचित संख्या, पति या कुल की आर्थिक दशा, स्थिति और स्त्री की आवश्यकता-

1. A I R 1924 P. C 50—21 A L J. 934.

2 I. L. R 51 All. 136—26 A L. J 855 F. B.

3. A L J 1173 P C , 47 All 427 , 53 Bom 444 ; A I. R. 1932 Pat 80.

4 1927 P C 56 ; 25 A L. J. 319 , I. L R 34 All 549 ; I L R. 12 Lah. 428 ;

1. L R 2 Luck 288

5. I. L R. 59 Mad 667.

नुसार नियत की जाती है।¹ पति के देहान्त होने पर विधवा, कुल की सम्पत्ति से निर्वाह व्यय मांग सकती है। हिन्दू पत्नी प्रायः निम्नलिखित दशाओं में निर्वाह-व्यय ले सकती है :—

(१) जब कि पति ने उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध छोड़ रक्खा हो।²

(२) यदि पति ने रखेली स्त्री घर में रखली हो।³

(३) यदि पति के कुटुम्ब का स्त्री के साथ निष्ठुर व्यवहार हो और उसको अपनी जान का भय हो।⁴

(४) यदि पति को कोई ऐसा रोग हो जो स्त्री को लग जाने का भय हो और जिससे आरोग्य होने की आशा न हो जैसे, कोढ़, उपदंश इत्यादि।⁵

(५) जब कि पति कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेवे।⁶

४—दत्तक पुत्र

हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार गोद लिये हुए लड़के को हर प्रकार से वह सब अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि जनित या प्राकृतिक लड़के को प्राप्त होते हैं और वह गोद के संस्कार के बाद गोद लेने वाले कुल का सदस्य हो जाता है। नियमानुसार संस्कार होने के पश्चात् दत्तकपुत्र अथवा गोद लेने वाला पुरुष उसकी मन्सूख कराने के लिये दावा नहीं कर सकते।⁷

परन्तु जहाँ गोद लेने का संस्कार नियमानुसार न किया गया हो या जब गोद लेना उचित न हो,⁸ अथवा गोद लेने वाले या गोद देने वाले की अनुमति धोखे या अनुचित दबाव इत्यादि से ली गयी हो,⁹ या गोद लेने वाले को विधानानुसार गोद लेने की योग्यता न हो,¹⁰ या हिन्दू विधवा स्त्री ने अपने पति की विना आज्ञा के गोद ली हो,¹¹ या गोद लिया हुआ लड़का गोद लेने के अन्याय्य हो।¹² इन सब दशाओं में हक्रदार पुरुष की ओर से मन्सूखी या इस्तफरार का दावा किया जा सकता है और अर्जादावे में वही बात लिखनी चाहिये जिनके आधार पर गोद को खण्डित कराना मजूर हो जैसे :—गोद लेने वाला पुरुष अधिकार युक्त

1 A I R 1934 Lah 444, A I R 1936 Bom 138

2 A I R 1935 Lah 386—1 L R 16 Lah 892; A I R 1936 Bom 138; I. L R 57 Mad 1083

3 I L R 32 Cal 284

4 I L R 34 Cal 971; I L R 19 Cal 81

5 I L R 45 Mad 812

6 I L R 8 All 78, 6 All 670

7 I L R 29 All 519 P C, 1 L R. 36 Cal 1922; 19 Bom. 239; 50 All 828

8 7 I A 250, I L R 11 Lah 303

9 I L R 35 Bom 161; 29 Mad 437.

10 I L R 40 Mad 607

11 I L R 53 Bom 242

12 1 L R 21 All, 412 P C, 48 Mad. 401, 35 All 263, 48 All 302

न था, या गोद देने लेने का संस्कार उचित रूप से नहीं किया गया अथवा गोद लेने वाला या गोद लिए जाने वाला इस योग्य नहीं था इत्यादि।

कोर्ट फीस—निर्वाह-व्यय के दावों में वार्षिक-निर्वाह के दस गुने पर कोर्ट फीस लगता है।^१ संयुक्तप्रान्त में संशोधन के बाद केवल वार्षिक-निर्वाह की रकम पर कोर्ट फीस देना होता है।

मियाद—हिन्दू-स्त्री का निर्वाह पाने के अधिकार का दावा प्रतिवादी के इन्कार से १२ साल के अन्दर किया जा सकता है।^२ बाकी निर्वाह-व्यय या गुजारे का दावा भी १२ साल के अन्दर होना चाहिये। जहाँ २२ किसी इकरार-नामा या प्रतिज्ञापत्र के अनुसार निर्वाह-व्यय नियत किया गया हो वहाँ पर आर्टिकल ११५ व ११६ लागू होते हैं।^३


नोट:—हिन्दू विधवा को कुल की सम्पत्ति में केवल जीवनभर अधिकार होता है। वह उचित आवश्यकता बिना ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का परिवर्तन नहीं कर सकती। इस पद में दिये हुए नमूने नं० ८ से लेकर १३ तक विधवा के अधिकार के सम्बन्ध में हैं। इस सिलसिले में पद ३१ का नोट देखना चाहिये।

(१) कुटुम्बी सम्पत्ति के बटवारे के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—दोनों पक्षकार एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य हैं और उनकी वंशावली यह है—



२ नीचे लिखी हुई सम्पत्ति दोनों पक्षों की संयुक्त पैतृक संपत्ति है और उनके दादा उदयराम, के समय से कुटुम्ब में चली आती है। इस पर दोनों पक्ष संयुक्त रूप से अधिकारी हैं।

३—दोनों पक्षों की किराने की एक दूकान बाजार.....शहर..... में उदयराम

१ Sec 7 Cl ० Court Fees Act

२ 129 Limitation Act

३, A. I. 3. 1937 Pat. 654 ; 1936 Pat 68.

अनन्तराम के नाम से जारी हैं और उसके भी दोनों पक्ष हिन्दू अधिभक्त कुल के सदस्य होने के कारण अधिकारी और मालिक हैं ।

४—वादी का उक्त सम्पत्ति और दूकान के कारवार में एक तिहाई हिस्सा है ।

५—कुछ दिनों से सदस्यों में आपस में भगड़ा और वैमनस्य रहता है और भविष्य में कुल का सयुक्त रहना असम्भव है ।

६—वादी ने प्रतिवादी से वटवारे के लिये कहा और ता०.....के नियमानुसार नोटिस भी दिया परन्तु प्रतिवादी ध्यान नहीं देते ।

७—वाद-कारण—(नोटिस देने के दिन से) ।


८—दावे की मालियत ।

९—वादी प्रार्थी है कि नीचे लिखी हुई सम्पत्ति और दूकान के बराबर २ के तीन कुरे बनवाये जावें और एक कुरे पर वादी को पृथक् अधिकार व दखल दिलाया जावे ।

(सम्पत्ति का विवरण)

(२) इसी प्रकार का दूसरा दावा

१—वादी और प्रतिवादी की वशावली यह है—



२—किशोरचन्द और उसके लड़के एक हिन्दू अधिभक्त कुल के सदस्य थे और स्थान जलेश्वर में किराने का कारोबार किशोरचन्द द्वारकादास के नाम से करते थे । इसके अतिरिक्त उनका लेनदेन का भी काम चालू था और दस्तावेज इत्यादि किशोरचन्द के नाम से लिखे जाते थे ।

३—किशोरचन्द और उनके लड़कों के पास हर प्रकार की चल सम्पत्ति के अतिरिक्त एक मजिला दूकाने नम्बरी १ व बाला खाना मय एक मजिल मकान न० २ पैतृक सम्पत्ति थी ।

४—सयुक्त कुटुम्ब की आमदनी से एक मजिल मकान नम्बरी ३ किशोरचन्द द्वारकादास के नाम से खरीदा गया जिसके खरीदने का समय ४० वर्ष का हुआ और उसी समय से पत्नीकार उस मकान में रहने लगे और किराने का काम व लेनदेन करते रहे ।

५—द्वारकादास का लगभग २० वर्ष हुये और किशोरचन्द का १६ वर्ष हुये देहान्त हुआ पर उस समय परिवार सम्मिलित व अधिभक्त था और पत्नीकार दाय-भागी होने की हैशियत से सयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति व व्यवसाय पर मिल कर अधिकारी

हुये और किराने को दूकान भिखारीदास चेताराम के नाम से पुकारी जाने लगी और लेन देन के दस्तावेजों में भी भिखारीदास का नाम लिखा जाने लगा ।

६—ब्योपार की सम्मिलित आमदनी से एक मंजिल दूकान जायदाद नम्बरी ४ सन् १९३६ ई० में नीलाम में खरीदी गई और सन् १९३५ ई० में दो मंजिला दूकानें (६५०) रुपया में रहन दखली कराई गई और दोनों पक्ष उस पर सम्मिलित रूप से अधिकारी चले आते हैं ।

७—दोनों पक्षों की जायदाद व कारोबार, चाहे वह किसी नाम से हों दोनों पक्ष की सम्मिलित सम्पति है और दोनों पक्ष उस पर सम्मिलित रूप से क्राबिज हैं ।


८—हाल में इस प्रकार की बातें उत्पन्न हो गई हैं कि जिन से सम्मिलित कुटुम्ब का रहना असम्भव है । प्रतिवादी से बटवारे के लिये कहा गया लेकिन वह ध्यान नहीं देते ।

(३) बटवारे और घोषणा के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—पक्षकारों की वंशावली इस प्रकार है—



२—यह कि कुन्दन लाल व गुल्लामल-एक हिन्दू कुल के सदस्य थे और कपड़े के क्रय-विक्रय का काम करते थे ।

३—यह कि दोनों ने परिशिष्ट (अ) व (ब) में नीचे लिखी हुई सम्पति संयुक्त आय से कई नामों से खरीदी और उन पर संयुक्त रूप से अधिकारी रहे ।

४—लगभग १५—१६ साल हुए होंगे कि कुन्दनलाल की कुटुम्ब संयुक्त होने की दशा में मृत्यु हुई और शेष सदस्य संयुक्त कारोबार करते रहे ।

५ प्रायः १० साल हुये होंगे कि गुल्लामल और हरचरण व शिवचरण में बटवारा हुआ जिससे पक्की हवेली और एक दूकान हरचरण व शिवचरण के हिस्से में (देखो परिशिष्ट अ) और एक अहाता और एक दूकान (परिशिष्ट ब) गुल्लामल के हिस्से में आई और खाने पहिनने का सामान दोनों फरीकैन ने पृथक २ कर लिया ।

६—उस समय से गुल्लामल बजाजी का कारोबार अपने हिस्से में आई हुई दूकान

पर करते रहे और प्रतिवादी ने अपनी दूकान में चूनी का काम कर लिया और गुल्लामल किराये के मकान में रहने लगे और एक का दूसरे से कुछ सम्बन्ध नहीं रहा ।

७ गुल्लामल की १० अक्टूबर सन् १९३० ई० के वादियों को नाबालिग छोड़ कर मृत्यु हो गई और प्रतिवादी ने वादियों और उनके माल को निर्बल और असहाय पाकर गुल्लामल की कुल सम्पत्ति पर इस बहाने से अधिकार कर लिया कि उनका और गुल्लामल का नियमानुसार कोई बटवारा नहीं हुआ था ।

८—गुल्लामल और प्रतिवादी में पूर्ण रूप से बटवारा हो चुका है और प्रतिवादी का परिशिष्ट (ब) और (ज) में लिखी हुई सम्पत्ति पर कब्जा, जो कि मृतक गुल्लामल के हिस्से की है, अनुचित है । वादी परिशिष्ट (ब) व (ज) में लिखी हुई ज़ायदाद पर अधिकार पाने के और प्रतिवादी से हिसाब लेने के दावेदार हैं ।

९—वाद-कारण (अनुचित कब्जा कर लेने के दिन से) ।

१०—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को परिशिष्ट (ब) और (ज) में लिखी हुई सम्पत्ति पर प्रतिवादी को वेदखल करके दखल दिलाया जावे और उनको हुकम हो कि गुल्लामल की दूकान का कुल माल और सामान व नकद, गहना इत्यादी वादी के हवाले कर दें और गुल्लामल की मृत्यु के दिन से अब तक का हिसाब वादी को समझा देवे और हिसाब से जितना रुपया निकलता हो उसकी डिग्री वादी के नाम प्रतिवादी के ऊपर की जावे ।

(ब) यदि अदालत के निर्णय से बटवारा होना करार न हो तो परिशिष्ट (अ), (ब) व (ज) में लिखी हुई कुल ज़ायदाद और प्रतिवादी की चल सम्पत्ति के दो कुरे बराबर २ के बनाये जावें और एक कुरे पर वादी को पृथक दखल दिलाया जावे ।

परिशिष्ट (अ)	परिशिष्ट (ब)	परिशिष्ट (ज)
एक मंजिल हवेली	एक मंजिल अहाता	सामान कपड़ा व नकद
एक मंजिल दूकान	एक मंजिल दूकान	अनाज, बर्तन इत्यादि

(४) कुटुम्ब की आवश्यकता के लिये पिता के परिवर्तन की मंजूरी के लिये नाक़िश

१—द्वितीय प्रतिवादी, वादी का पिता है और दोनों संयुक्त मितान्तर कुल के सदस्य हैं ।

२—एक पक्का मकान स्थित स्थान... वादी और द्वितीय प्रतिवादी की पैतृक सम्पत्ति है और उसमें वह अविभक्त कुल के सदस्य होने के कारण रहन सहन करते हैं ।

३—इस हवेली के अतिरिक्त वादी और द्वितीय प्रतिवादी की पैतृक जमींदारी ... श्रीधा मौजा.....परगना... ..में है जिसकी आय कुटुम्ब के व्यय के लिये पर्याप्त होती है और कुछ बच भी रहता है और ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती ।

४—द्वितीय प्रतिवादी ने ता०.... . को एक आड़ी दस्तावेज... .. रु० का प्रथम प्रतिवादी के नाम लिख दिया है और उस में हवेली और उस जमींदारी को रहन कर दिया है ।

५—कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के लिये उस दस्तावेज पर कोई रुपया नहीं लिया गया और कुटुम्ब की संयुक्त सम्पत्ति द्वितीय प्रतिवादी की ओर से बिना अधिकार और स्वत्व-विरुद्ध आड़ की गई है ।

६—द्वितीय प्रतिवादी नरोत्तम और भ्रष्टाचारी पुरुष है । यदि उसने प्रथम प्रतिवादी से कोई ऋण लिया भी हो तो वह अनुचित और न्याय विरुद्ध कार्य में लगाया गया । वादी या कौटुम्बिक सम्पत्ति उसकी देनदार नहीं है ।

७—उस दस्तावेज के बिना विरोध पड़े रहने से वादी को हानि पहुँचने का डर है ।

(५) एक सदस्य के परिवर्तन को खंडित करने के लिये दूसरे सदस्य का दावा

१—वादी और उसका भाई जसराम एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं ।

२—एक मंजिल दूकान स्थित.....दोनों की अविभक्त सम्पत्ति है और दोनों उस पर अविभक्त कुल के सदस्य होने के कारण संयुक्तरूप से अधिकारी थे ।

३—उक्त जसराम ने इस दूकान को बिना किसी उचित कौटुम्बिक आवश्यकता के प्रथम प्रतिवादी के हाथ ता०.....को बैनामा लिख कर बेच दिया और उसको दूकान पर दखन दे दिया ।

४—यह बैनामा कुटुम्ब की उचित आवश्यकता न होते हुये वादी के विरुद्ध अनुचित और प्रभाव हीन है और उसके आधार पर नै की हुई सम्पत्ति पर प्रथम प्रतिवादी का कब्जा अनुचित और न्याय विरुद्ध है ।

(६) दत्तक पुत्र की, पिता के लिखे दस्तावेज की डिग्री से बंधन में न आने के इस्तकरार के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी द्वितीय प्रतिवादी का गोद लिया हुआ पुत्र है और दोनों एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं ।

२—नीचे लिखी हुई जायदाद वादी और द्वितीय प्रतिवादी की संयुक्त सम्पत्ति है और वादी उस पर अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य होने के कारण द्वितीय प्रतिवादी के साथ संयुक्त अधिकृत चला आता है ।

३—कुटुम्ब के वय से सम्पत्ति की आय कही अधिक है और ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है ।

४—द्वितीय प्रतिवादी एक आवारा और अपव्ययी पुरुष है । कई मनुष्यों ने उससे इस स्वभाव का अनुचित लाभ उठा कर बिना रुपया दिये ही या बदला का कुछ रुपया देकर कुटुम्बी जायदाद पर आड़ी दस्तावेज अपने २ नाम लिखा लिये हैं ।

५—इसी प्रकार के एक दस्तावेज की प्रथम प्रतिवादी ने द्वितीय प्रतिवादी पर नालिश करके २० नवम्बर सन् १६...ई० को डिग्री नम्बरी ३४६ प्राप्त कर ली । उसमें वादी को फरीक नहीं बनाया और न इस नालिश की बात उसको कोई जान होने दिया ।

६—द्वितीय प्रतिवादी ने प्रथम प्रतिवादी से कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के लिये कोई ऋण नहीं लिया और न वह ऋण कुटुम्ब के किसी खर्च में आया । जो कुछ ऋण प्रतिवादी नम्बर १ ने दिया वह अनुचित और न्याय विरुद्ध कार्यों के लिये था और वादी और कुटुम्बी सम्पत्ति उसके देनदार नहीं हैं ।

७—डिग्री नम्बरी ३४६ सन् १६.....ई० में वादी फरीक नहीं है और न वह किसी उचित ऋण के बावत दी हुई है । वह वादी पर किसी दशा में पात्रन्दी के काबिल नहीं है और न उसकी इजराय में कुटुम्बी जायदाद नीलाम हो सकती है ।

८—बिनायदावी (नीलाम की सूचना के दिन से) ।

९—दावे की मालियत (कोर्ट फीस बावत इस्तक्रार) ।

वादी की प्रार्थना ।

(अ) ऋण के सम्बन्ध में, यानी जिसके विषय में डिग्री नम्बरी ३४६ सन् १६ .. ई० ता०...को अदालत सिविल जजी अलीगढ़ से सादिर हुई है यह आशा हो कि निम्नलिखित जायदाद वादी व प्रतिवादी नम्बर २ की पैतृक है इसलिये वह उस डिग्री की इजराय में नीलाम होने योग्य नहीं है ।

ब) वाद-व्यय ब्याज सहित दिलाया जावे ।

(७) कुटुम्ब के सदस्यों की ओर से अपने हिस्से
वचाने के लिये

(चिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—यह कि वादी व प्रतिवादी नम्बर २ एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं ।

(यहाँ वंशावली लिखनी चाहिये)

२—यह कि जिनिंग फैक्टरी जो कि खेरीसिंह मोहनलाल के नाम से प्रसिद्ध है उसमें वादी व प्रतिवादी नम्बर २ कुल १६ आ० में १) के हिस्सेदार व मालिक हैं और यह फैक्टरी कन्नौा सिक्करा ज़िला अलीगढ़ में स्थित है ।

३— यह कि फैक्टरी में यह हिस्सेदारी सम्मिलित पूँजी से प्राप्त की गई है प्रतिवादी नं० १ नीचे लिखे शर्तों से १) के हिस्से में २ आना ४ पाई का मालिक है ।

४ - प्रतिवादी नं० २ ने वादी के ऊपर बिना वादी को फरीक बनाये हुये एक डिग्री नम्बरी.....अदालत .. .से ता० .. को अनुचित प्रकार से प्राप्त करली है जिसकी पाबन्दी वादी के ऊपर नहीं है ।

५—प्रतिवादी न० १ ने उस डिग्री के इजराय में अर्जी दावा में लिखी हुई नीचे की सम्मिलित व पैतृक सम्पत्ति व फैक्टरी जिसमें वादी का ३ हिस्सा है कुर्क करा लिया है और कुल ऋणी जायदाद का नीलाम... ..तायून पर ता० .. को होने वाला है ।

६—प्रतिवादी नं० १ को वादी के हिस्से या हक की कुर्की व नीलाम कराने का कोई अधिकार नहीं है और प्रतिवादी की यह कार्रवाई अनुचित है ।

७—बिनायदाबी (३० नवम्बर सन् १९... ई० प्रतिवादी की कार्रवाई का ज्ञान होने के दिन से) ।

८—दावे की मालियत (१००००) रुपया है और कोर्ट फीस.....रुपया है) ।
वादी प्रार्थी है कि—

(अ) यह घोषणा की जावे कि खेरीसिंह मोहनलाल के नाम की जिनिंग फैक्टरी में २ आने ४ पाई का हिस्सा और अन्य जायदाद में जिसकी तफसील अर्जादावा के नीचे लिखी हुई है एक तिहाई हिस्सा प्रतिवादी नं० १ की डिग्री नम्बरी १९... . ई० (व अदालत एडीशिनल सिविल जज अलीगढ़) से कुर्क और नीलाम होने योग्य नहीं है ।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद प्रतिवादी नं० १ के ऊपर लगाया जावे ।
(जायदाद का विवरण)

(८) अविभक्त कुल की विधवा को अधिकार न होने की घोषणा के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी और उसका सगा भाई रामसहाय एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य थे और उनकी जमींदारी इत्यादि कुल संयुक्त थी ।

२—रामसहाय का जून सन् १६—ई० में बिना औलाद छोड़े देहान्त हो गया और कुल जमींदारी और जायदाद पर बचे हुये संयुक्त कुटुम्बी की हैसियत से वादी काबिज़ और मालिक हुआ और अब भी है ।

३—वादी ने सन्तोष व तसल्ली देने के लिये रामसहाय की विधवा प्रतिवादी का नाम माल के कागजों में आधी जायदाद पर दर्ज करा दिया था वास्तव में उसका कोई कब्जा जायदाद पर न हुआ और न है ।

४—मुसम्मात .. .अभिभक्त कुल की विधवा की हैसियत से वादी के साथ रहती और खाती पीती रही ।

५—प्रायः दो महीने हुये होंगे कि प्रतिवादी ने जमींदारी के और हिस्सेदारों ने माल की अदालत में बटवारे के लिये दरख्वास्त पेश की और वहाँ से नोटिस इत्यादि जारी हुये ।

६ - ता०.....को प्रतिवादी ने माल की अदालत में एक दरख्वास्त पेश की और उसमें अपने आप को उस हकीयत का जिसमें माल के कागजों पर उसका नाम दर्ज है मालिक और अधिकारी दिखलाया ।

७—वादी के ऐतराज करने पर अदालत माल ने ता०.....को उसको अपने स्वत्व की घोषणा अदालत दीवानी से कराने की आज्ञा हुई ।

८ - विनायदावा (प्रतिवादी की दरख्वास्त पेश करने और अदालत माल का हुकम होने के दिन से) ।

९ - दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि -

अदालत यह इस्तकरार करे कि नीचे लिखी हुई जायदाद पर जिस पर माल के कागजों में मिलकियत के खाने में प्रतिवादी का नाम दर्ज है उसका मालिक व अधिकारी वादी है और प्रतिवादी का उसमें कोई हक नहीं है ।

(९) विधवा के खान पान का, जायदाद पर भार करार देने के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—वादी के पति शेरसिंह और प्रतिवादी एक अभिभक्त हिन्दू कुल के सदस्य थे ।

२—संयुक्त कुल की सम्पत्ति नीचे लिखी हुई है जिसकी वार्षिक आय प्रायः ६०००) रुपया है ।

३—वादी के पति शेरसिंह का ता०.....को कुल अभिभक्त होते हुए देहान्त हुआ और प्रतिवादी अभिभक्त कुल के जीवित सदस्य होने के कारण मालिक और अधिकृत है

४—वादी खान पान का खर्चा कुटुम्बी जायदाद से पाने की, जो कि प्रतिवादी के कब्जा में है, अधिकारी है। यह खर्चा वादी जायदाद की आमदनी और अपने पति के हिस्से के हिसाब से ६०) रुपया माहवारी उचित समझती है।

५—प्रतिवादी के ऊपर खान पान का खर्चा ता०.....से अब तक, जो उन्होने अदा नहीं किया, बाकी है।

६—विनाय दावा—

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि -

(अ) अदालत से हुक्म हो कि नीचे लिखी जायदाद पर वादी का ६०) रुपया माहवारी का, या जितना रुपया अदालत उचित समझे, भार है।

(ब)रुपया खान पान का ता०.....से लेकर आज तक का वादी को उस जायदाद को कुर्क व नीलाम कराकर दिलाया जावे।

(१०) विधवा के कुटुम्बी घर में रहने के अधिकार के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—रामचन्द्र व हरदेवदास सगे भाई और एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य थे और एक पक्की हवेली स्थित मुहल्ला .. उनकी पैतृक सम्पत्ति थी जिसमें वह रहा करते थे (या जो कुल का निवासस्थान था)।

२—पहिले वादी के पति रामचन्द्र की मृत्यु हुई उसके बाद हरदेव दास का देहान्त हुआ। हरदेव दास की स्त्री उन्ही के सामने मर चुकी थी।

३—रामचन्द्र या हरदेव दास के कोई सन्तान नहीं है, प्रतिवादी नम्बर १ उनका चचेरा भाई है और पश्चात दायभागी की हैसियत से मालिक है।

४—वादी अधिकारिणी होने के कारण (इसतहकाकन) उस मकान में रहती थी और प्रतिवादी ने इस अधिकार को तोड़ने के लिये उस मकान का दखली रहननामा प्रतिवादी नम्बर २ के नाम लिख दिया है।

५—प्रतिवादी नम्बर २ वादी के रहने के अधिकार में बाधा डालता है।

६—प्रतिवादी की अनुचित कार्यवाही से वादी के हवेली में रहने के हक में विघ्न पड़ता है।

७—विनाय दावा -

८—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) यह इस्तक़रार किया जावे कि ऊपर लिखे हुये मकान में वादी को रहायश हक़ हासिल है ।

(ब) प्रतिवादी के नाम स्थायी निषेध आज्ञा दी जावे कि वह वादी के रहने सहन में विघ्न न डाले ।

(११) विधवा से जायदाद पाने वाले पर, दखल इत्यादि के लिये दावा


१— एक मनुष्य जुगलकिशोर, एक मकान स्थित मुहल्ला लखरता शहर हायरास का मालिक और अधिकारी था ।

२— जुगल किशोर का लड़का केदरमल उसी के सामने मर चुका था । श्रीमती पार्वती प्रतिवादी, केदरमल की विधवा है ।

३— प्रायः १३ साल हुये होंगे कि जुगलकिशोर की पुत्रहीन मृत्यु हुई और उनकी विधवा श्रीमती जमुना जीवन भर दायभागी की हैसियत से उस मकान पर अधिकारी हुई और श्रीमती पार्वती, जिसको सिर्फ मकान में रहने का अधिकार था, श्रीमती जमुना के साथ उस मकान में रहती रही ।

४— कुछ वर्ष हुये होंगे कि श्रीमती जमुना कहीं चली गई और लापते रही । अत्र पता लगा है कि उसकी मृत्यु हो गई है ।

५— वादी और मृतक जुगलकिशोर का सम्बन्ध यह है :—



६— वादी मृतक जुगल किशोर का पश्चात दायभागी है और श्रीमती पार्वती की मृत्यु होने पर इस मकान का मालिक होगा ।

७ प्रतिवादी श्रीमती पार्वती ने, यह मकान बिना किसी अधिकार के और भूँटे

बयान से ता० २२ अग्रस्त सन् १६.....ई० को बैनामा लिख कर प्रतिवादी नम्बर २ के हाथ बेच दिया और प्रतिवादी नं० २ ने प्रतिवादी नम्बर १ के साथ ता० १० दिसम्बर सन् १६ई० को इसी मकान को बैनामा लिख कर बेच दिया ।

८—प्रायः तीन महीने से, १० दिसम्बर सन् १६ई० के विक्री पत्र के अनुसार प्रतिवादी नम्बर १ ने कब्जा करना शुरू किया है और लगभग १००) रुपया का सामान वहाँ से हटा कर अपने काम में ले लिया है ।

९—२२ अग्रस्त सन् १६.....ई० और १० दिसम्बर सन् १६.....ई० के बैनामा से प्रतिवादी नम्बर १ को मकान पर अधिकार करने और उसका सामान अपने काम में लाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ और उसकी यह कार्यवाई अनुचित है ।

१०—वारी उस मकान पर दखल पाने और प्रतिवादी नम्बर १ के लिये हुए सामान की कीमत पाने का हकदार है ।

३१—पश्चात् दायभागो और हिन्दू विधवा या अन्य जीवन दायभागी

हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार कुटुम्ब की विधवा स्त्री अचल सम्पत्ति पर अपने जीवन भर अधिकारिणी होती है और उसकी मृत्यु के बाद कुटुम्बी सम्पत्ति उसके दायभागियों को न मिलकर सम्पत्ति के पिछले पूर्ण स्वामी के दायभागियों को मिलती है । प्रायः विधवा, पुत्री या मां, कुटुम्ब में किसी पुत्र के न होने पर कुटुम्बी सम्पत्ति की अधिकारिणी होती हैं । उनको अपने जीवन में ऐसी सम्पत्ति की आमदनी को खर्च करने का अधिकार होता है और यदि किसी पूर्वज का ऋण अदा करना हो या कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के लिये वह कुटुम्बी सम्पत्ति का या उसके किसी भाग का परिवर्तन कर सकती है, परन्तु वह अपने ज्ञाती खर्चों के लिये उसके ऊपर कोई अनुचित भार नहीं डाल सकती और न ऐसी सम्पत्ति को बरबाद कर सकती है ।

यदि जीवन दायभागी स्त्री अपने अधिकार विरुद्ध जायदाद को इन्तकाल करे तो पश्चात् दायभागी अपने हक के इस्तक़रार का दावा कर सकते हैं कि विधवा की मृत्यु के बाद उस इन्तकाल की पाबन्दी उनके ऊपर न होगी । ऐसे दावे का फायदा विधवा की मृत्यु के समय जो नजदीकी पश्चात् दायभागी हो वह उठा सकता है । यह दावा करीबी जीवित पश्चात् दायभागी की तरफ से दायर होना चाहिये, परन्तु यदि करीबी दायभागी विधवा से मेन में हो तो वससे नीची

श्रेणी वाला दायभागी दावा दायर कर सकता है।¹ पश्चात् दायंभागी विधवा के जायदाद नष्ट करने पर उसको रोकने के लिये और जायदाद का रिसीवर नियत कराने के लिये दावा दायर करा सकता है।

विधवा के जायदाद बेचने या अन्य प्रकार से परिवर्तन करने पर पश्चात् दायभागी उसको नाजायज़ करार देने के लिये दावा कर सकता है। अर्जीदावा में नम्बर (१) चादी का प्रथम पश्चात् दायभागी होना (२) यह कि परिवर्तन कर्ता अपने जीवन भर ही के लिये जायदाद की मालिक थी और (३) यह कि बिना उचित आवश्यकता के परिवर्तन किया गया, लिखना चाहिये। ऐसे दावे कुल पश्चात् दायभागियों की ओर से समझे जाते हैं और उनमें चादी की प्रार्थना विधवा के परिवर्तन को कुल पश्चात् दायभागियों के विरुद्ध नाजायज़ और बे असर करार देने के लिये होनी चाहिये।

पश्चात् दाय भागी के दखल के दावे में, दखल विधवा की मृत्यु के बाद ही दिलाया जा सकता है। क्योंकि नाजायज़ इन्तकाल भी विधवा के हीन-हयाती-हक का परिवर्तन कर सकता है।² ऐसे दावों में उपर लिखी बातों के अतिरिक्त यह भी लिखना चाहिये कि विधवा की मृत्यु हो चुकी है और चादी दखल पाने का अधिकारी है। यदि विधवा के इन्तकाल की प्रार्थना न भी हो तब भी पश्चात् दायभागी जायदाद पर कब्जा पा सकता है क्योंकि उसके हक पर विधवा के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।³ इन दावों में वासलात विधवा के परिवर्तन को नाम ज़ूर करने की तारीख से या नोटिस की तारीख से मांगे जा सकते हैं।⁴

दत्तक पुत्र को भी हिन्दू धर्म शास्त्र से वही सब अधिकार प्राप्त हैं जो कि जनित पुत्र को हैं क्योंकि वह गोद लेने के पश्चात् कुटुम्ब का सदस्य हो जाता है इसलिये दत्तक पुत्र भी ऐसा दावा कर सकता है।⁵

कोर्ट फीस—विधवा की मृत्यु के बाद पश्चात् दायभागी के दखल के दावे पर कोर्ट फीस दफा 6 (B) कानून कोर्ट फीस के अनुसार लगाना चाहिये।⁶ यदि परिवर्तन गृहीता ने विधवा से ज़मीन ख़रीद कर उस पर इमारत बनवा ली हो तब भी चादी सिर्फ ज़मीन की मालियत पर ही कोर्ट फीस दे सकता है।⁷

मियाद—दखल का दावा विधवा या अन्य जीवन अधिकारी की मृत्यु के १२ साल के अन्दर दायर किया जा सकता है।⁸ परन्तु यदि चल सम्पत्ति के लिये

1 8 I A. 14 P C, 1 L R 49 All 815, A I R 1931 Mad 699 F B, 24 A L J 1 P C

2 I L R 49 All 334, I L R 39 Mad 1035

3 A I R 1924 P C. 56.

4 34 I A. 87, 1927 Nag 305.

5 I. L R 41 Mad 75 F. B., I L R 33 Bom 88

6 I L R 2 Pat 125 F B

7 A I R 1928 Lah 852

8 Art. 141, Limitation Act, I L R. 23 Cal. 460; 19 All. 357.

दावा हो तो जीवन अधिकारी की मृत्यु के ६ साल के अन्दर ¹ यदि दत्तक पुत्र की ओर से दावा हो तो गोद लेने के १२ साल के अन्दर ² इस्तक्रार के दावे के लिये Article 125 लागू होता है और मियाद १२ साल की होती है परन्तु यदि दावा प्रथम पश्चात् दायभागी - के पजाय अन्य पश्चात् दायभागी की तरफ से हो तो कुछ हाईकोर्टों की राय में मियाद केवल ६ साल होती है ³

(१) हिन्दू विधवा के जीवित रहते हुए, उसके लिखे हुए वैनामे को, उसकी मृत्यु के बाद वेअसर करार देने के लिये पश्चात् दायभागी का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१— नीचे लिखी हुई जायदाद, और अन्य बहुत सी जायदाद का एक मनुष्य पूरनमल मालिक था ।

२— उक्त पूरनमल का सन्में पुत्रहीन देहान्त हो गया और उसकी सम्पत्ति पर उसकी विधवा रामदुलारी अधिकारी हुई ।

३— पूरनमल की मृत्यु के समय उसके ऊपर कोई ऋण नहीं था । उसकी सम्पत्ति की आमदनी उसकी विधवा रामदुलारी के मामूली खर्च इत्यादि से कहीं अधिक है ।

४— रामदुलारी ने बिना किसी उचित आवश्यकता के नीचे लिखी हुई जायदाद का वैनामा प्रथम प्रतिवादी के नाम ता०.....को करके उस जायदाद पर उसको काबिज करा दिया और दखल दे दिया ।

५— वादी मृतक पूरनमल का नीचे लिखी वशावली के अनुसार पश्चात् दाय भागी है ।

(यहाँ पर शजरा देना चाहिये)

६ यह वैनामा पूरनमल के पश्चात् दायभागियों की पाबन्दी के योग्य नहीं है और उसके बिना मन्सूख पड़े रहने पर भविष्य में हानि पहुँचने और साक्षी व प्रमाण न मिलने का भय है ।

७— दावे का कारण (वैनामा लिखे जाने के दिन से उत्पन्न हुआ) ।

८— दावे की मालियत (परन्तु नियत कोर्ट फीस इस्तक्रार के लिये लगेगा) ।

1 Art 220, Limitation Act, 4 A L J 39 P C

2 42 I C 245 F. B

3 I L R 22 All 33 P C; 32 Cal 62, 1 L'n 69, A I R 1924 Oudh 281;
Contra I L R 29 Mad 390 F B; 41 Mad. 659 F B

वादी को प्रार्थना है कि—

(अ) अदालत से यह घोषणा की जावे कि प्रतिवादिनी रामदुलारी का ता० का लिखा हुआ प्रथम प्रतिवादी के नाम बैनामा उक्त रामदुलारी की मृत्यु के बाद मृतक पूरनमल के पश्चात दायभागी, वादी के विरुद्ध खण्डित और वेअसर है ।

(२) विधवा के जीवित होते हुए उसके लिखे हुए
दान पत्र को खंडित कराने के लिये पश्चात्
दायभागी का दावा

१—वादी के पिता मोहनलाल के ठाकुरदास व टीकाराम दो सगे भाई थे । टीकाराम की सन्तान हीन मृत्यु हो गई और ठाकुरदास के दो लड़के हीरालाल व मूलचन्द और उनकी स्त्री मुसम्मात विलासू थी ।

२—प्रतिवादी न० १ हीरालाल की और प्रतिवादी न० २ मूलचन्द की विधवा है और प्रतिवादी न० ६ मु० विलासी ठाकुरदास की विधवा है ।

३—उक्त ठाकुरदास नीचे लिखी हुई जायदाद के मालिक थे ।

४—१२ मार्च सन् १९ ई० को ठाकुरदास ने मुसम्मात विलासू और अपने दोनों पुत्र हीरालाल और मूलचन्द के नाम एक दान पत्र इस तरह लिखा कि दान की हुई जायदाद की मालिक और अधिकारी अपने जीवन भर मुसम्मात विलासी रहेगी और उसकी मृत्यु के बाद हीरालाल और मूलचन्द उस जायदाद के मालिक होंगे ।

५—मूलचन्द की मर्द सन् १९३३ ई० में, मुसम्मात विलासू के जीवित होते हुये मृत्यु हुई । उसके पश्चात मुसम्मात विलासू और हीरालाल ने उस जायदाद का हिस्सा नामा (दानपत्र) १४ जनवरी सन् १९ ...ई० को प्रतिवादी न० १ व २ के नाम लिख दिया और उसके बाद हीरालाल का भी देहान्त हो गया ।

६—इस हिस्सानामे के लिखे जाने के समय हीरालाल को उस जायदाद में कोई हक हासिल नहीं हुआ था और मुसम्मात विलासू जीवन भर की दायभागी के कारण ऐसा दानपत्र लिखने का अधिकार नहीं रखती थी जो उसकी मृत्यु के बाद स्थिर रह सके ।


७—वादी मृतक ठाकुरदास का पश्चात दायभागी है और इस दान पत्र से उसको हानि होने का डर है ।

(३) विधवा के जीवित होते हुये उसके लिखे हुये दखली रहन के मन्सूख और बेअसर करार दिये जाने के लिये पश्चात दायभागी का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी और द्वितीय प्रतिवादी का सम्बन्ध नीचे लिखी शाखावली से प्रगट होगा ।
रामसरन



२—द्वितीय प्रतिवादी मु० जमुना कुँवरि का पति हरसरन बहुत सी जायदाद, जमीदारी व मकान इत्यादि का मालिक व अधिकारी था जिसकी वार्षिक आमदनी प्रायः ३०००) रुपया है ।

३—उक्त हरसरन का बिना औलाद जूत सन् १९.....ई०' मे देहान्त हो गया और कुल मृत संपति पर उसकी विधवा जमुना कुँवरि काबिज व अधिकारी हुई ।

४—मु० जमुना कुवर ने इस जायदाद में से नीचे लिखी हुई जमीदारी का दखली रहन १०,०००) रुपया में प्रथम प्रतिवादी के नाम लिख कर उसकी जायदाद पर दखल दे दिया है ।

५—यह रहननामा बिना किसी उचित आवश्यकता के किया गया है । जो आवश्यकता उसमें लिखी हुई है वह दिखावटी और भ्रूँटी हैं यथाथे में हरसरन के सामने का कोई कर्जा नहीं था और न कोई आवश्यकता मु० जमुना कुँवरि को जायदाद रहन करने की थी ।

६—वादी ऊपर लिखी वंशावली के अनुसार मृतक हरसरन का पश्चात दायभागी है । यह रहननामा बिना मन्सूख पड़े रहने से पश्चात दायभागियों को हानि पहुँचने और साक्षी व प्रमाण नष्ट हो जाने का भय है ।

७—बिनाय दावा—(रहननामा लिखे जाने के दिन से) ।

८—दावे की मालियत—(मालियत १०,०००) रुपया होगी परन्तु इस्तकरार के लिये नियत कोर्टफीस जावेगा) ।

वादी प्रार्थी है कि—

- (अ) इस बात का इस्तक्रार किया जावे कि द्वितीय प्रतिवादी जमुना कुंवरि का लिखा हुआ ता०.....का रहननामा उक्त जमुना कुंवरि के देहान्त के बाद मृतक हरसरन के पश्चात दायभागी वादी के विरुद्ध खंडित और वेअसर है ।
- (ब) यदि अदालत के निर्णय से रहननामे के रुपये का कोई हिस्सा उचित और वादी से दिलाने योग्य समझा जावे तो उस रुपये के अदा करने पर रहननामा खंडित और वेअसर करार दिया जावे ।

(जायदाद का विवरण)

(४) विधवा के, विना उचित आवश्यकता के छिखे हुए
दस्तावेज की मन्सूखी के छिये पश्चात
दायभागी का दावा

१—द्वितीय प्रतिवादी मु० रामकुंवर नीचे लिखी जायदाद की अपने जीवन भर के लिये वारिस थी ।

२—इस जायदाद का असली मालिक, मु० रामकुंवर का पति रामनारायण था और उसके देहान्त के बाद प्रतिवादी को नीचे लिखी जायदाद और उसके अतिरिक्त और भी सम्पत्ति दायभागी होने के कारण जीवन भर के लिये मिली और उसी समय से जिसको लगभग १५ वर्ष हुये होंगे, उक्त प्रतिवादी उस पर अधिकारी है ।

३ द्वितीय प्रतिवादी ने इस जायदाद को विना किसी उचित आवश्यकता के ता० .. को... . २० में प्रथम प्रतिवादी के पास दस्तावेज लिख कर आड़ कर दिया है ।

४—जो आवश्यकता इस दस्तावेज में लिखी गई है वह भूँठी और दिखावटी है असलियत में रामनारायण पर कोई कर्ज नहीं था और न कोई आवश्यकता मु० रामकुंवर को कर्जा लेने और जायदाद आड़ करने की थी ।

५—प्रथम प्रतिवादी मु० रामकुंवर के सगे भाई का लड़का है और दोनों प्रतिवादियों ने मिल कर मृतक रामनारायण के पश्चात दायभागियों को हानि पहुँचाने के लिये यह धोखा किया है (यहाँ पर पूरा विवरण लिखना चाहिये) ।

६ - वादी मृतक रामनारायण का पश्चात दायभागी है जैसा कि नीचे लिखी वंशावली से प्रत्यक्ष होगा ।

(यहाँ पर शजरा लिखना चाहिये)

७—ता०.....का लिखा हुआ आड़ का दस्तावेज वादी के विरुद्ध नाजायज और वेअसर है और वादी इस बात का इस्तक्रार कराने का इकदार है ।

(५) विधवा के लिये हुये पट्टे को उसकी मृत्यु के बाद
वे भ्रसर करार दिये जाने और निषेध आज्ञा
निकलवाने के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-

१—द्वितीय प्रतिवादी श्रीमती लाड़ो एक मनुष्य हरचरण लाल की लड़की है। उक्त हरचरण लाल वादी का कुटुम्बी भाई (या जो सम्बन्ध हो) नीचे लिखी वशावली के अनुसार था।

(यहाँ पर शजरा लिखना चाहिये)

२—लगभग... साल हुये होंगे कि हरचरण लाल की पुत्रहीन मृत्यु हुई और श्रीमती लाड़ो जीवन दायभागी की हैसियत से मृत सम्पत्ति की अधिकारी चली आती है।

३—श्रीमती लाड़ो को कोई औलाद नहीं है और उसके देहान्त के बाद वादी और उसका पुत्र... हरचरण लाल के दायभागी हैं।

४—सुसम्मात लाड़ो एक अनपढ़ और वृद्ध स्त्री है और प्रथम प्रतिवादी रामस्वरूप, जो उसके पति का भतीजा है और उसका कारोबार करता है, के कहने और काबू में है।

५—रामस्वरूप ने मृतक हरचरण लाल की नीचे लिखी हुई सम्पत्ति का ३० साल का पट्टा.....६० सालाना लगान पर ता० . . .के अपने नाम लिखा लिया है और उसके आधार पर उस जायदाद पर कानिज है

६—उस हकीयत की साधारण आय रुपया वार्षिक है और पट्टे में कम और अनुचित लगान बहुत दिनों के लिये होने के अतिरिक्त पट्टेदार को पेड़ काटने और नजराना देकर रिआया आवाद करने का भी अधिकार दिया गया है।

७ यह कुल कर्करवाई दोनों प्रतिवादियों ने पश्चात दायभागी वादी और जायदाद को हानि पहुँचाने के लिये की है।

८—प्रतिवादी रामस्वरूप ने पट्टे के अनुसार...नग शोशम और नीम के पेड़ जिनका मूल्य १२००) रुपया के लगभग होगा उस जायदाद से काटकर अपने काम में लगा लिये हैं और उनके अतिरिक्त और पेड़ काटने का विचार करता है।

९—प्रतिवादी की यह काररवाई नाजायज और वादी के स्वत्व के विरुद्ध है और पट्टा बिना आक्षेप पड़े रहने से जायदाद के नष्ट होने और पश्चात दायभागी वादी को हानि पहुँचाने का भय है।

१०—बिनाय दावा (पट्टा लिखने के दिन से और पेड़ काटने के दिन से) ।

११—दावे की मानियत—(परन्तु कोर्टफीस पृथक पृथक दिया जावेगा ; हुक्म हमतनाई.....रु०; हरजाना पर... रु० इस्तकरार... रु०, कुल . रु०) ।
वादी प्रार्थी है कि—

(अ) यह हुक्म दिया जावे कि द्वितीय प्रतिवादी का प्रतिवादी रामस्वरूप के नाम ता० . . . का लिखा हुआ पट्टा, मु० लाड़ो की मृत्यु के पश्चात वादी के विरुद्ध वेअसर है ।

(ब) प्रतिवादी रामस्वरूप के नाम निषेध आज्ञा जारी की जावे कि वह उस हकीयत जमींदारी के पेड़ न काटे और न कोई ऐसा काम करे कि जिससे उसकी मालियत को हानि पहुँचने का भय हो ।

(क) १२०० रु० या जितना मतालवा, अदालत उचित समझे रामस्वरूप प्रतिवादी से जमा कराये जाने की आज्ञा दी जावे ।

(ख) नालिश का खर्च ब्याज सहित दिलाया जावे ।

(६) विधवा के जीवित होते हुये, पुत्र उचित रूा से गोद न
लिये जाने के इस्तकरार के किये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी न० १, मुसम्मात चैन कुँवर, अपने पति रामलाल की मृत सम्पति पर उसके देहान्त होने के समय से जिसको प्रायः ३० साल हुये होंगे, जीवन भर दायभागी की हैसियत से अधिकारी है ।

२—वादी नीचे लिले शजरे के अनुसार उक्त रामलाल का पश्चात दायभागी है ।

(यहाँ पर शजरा लिखना चाहिये)

३—मुसम्मात चैन कुँवर की इच्छा यह है कि उसकी मृत्यु पर वादी को जायदाद न मिले इसलिये उसने अपनी बहिन का लड़का प्रतिवादी न० २ अपने पास रख लिया है और प्रकाशित करती है कि उसने प्रतिवादी न० २ को अपने पति की आज्ञानुसार गोद ले लिया है और वह शाखानुसार रामलाल का दत्तक पुत्र है ।

४—इस बात को पुष्ट करने के लिये उसने मार्च १९३९ ई० में गोद लेने की रसम भी की और कुल विरादरी में उसका गोद लेना सूचित किया ।

५—उक्त रामलाल का एक रेल की दुर्घटना में जब कि वह प्रायः ३० साल के थे, देहान्त हो गया । उन्होंने कोई आज्ञा मु० चैन कुँवर को पुत्र गोद लेने के लिये नहीं दी । प्रतिवादी न० २ के गोद लिये जाने की रसम होने और उसके प्रकाशित किये जाने से वादी

को भविष्य में हानि होने का भय है और उसके पश्चात दायभागी होने पर इसका अनुचित प्रभाव पड़ता है ।

६—बिनाय दावा (मार्च १६३६ अर्थात् गोद लिया जाना प्रकाशित होने के दिन से) ।

७—दावे की मालियत -

वादी प्रार्थी है कि—

इस बात का इस्तफ़रार किया जावे कि प्रतिवादी नं० १ को उसके पति रामलाल ने कोई आशा पुत्र गोद लेने की नहीं दी थी और यह कि प्रतिवादी नं० २ मृतक रामलाल का गोद लिया हुआ पुत्र नहीं है ।

(७) गोद लिये हुए लड़के की ओर से विधवा के विरुद्ध

उचित गोद लिये जाने के इस्तफ़रार के लिये

१ - वादी, मृतक मोहनलाल का दत्तक पुत्र है ।

२ उक्त मोहनलाल ने अपनी मृत्यु से पहिले प्रतिवादिनी को ता०..... को आशापुत्र से (या वसीयतनामे से, अथवा ज़बानी । गोद लेने की आशा दी कि वह उसके पुत्र हीन मर जाने पर किसी बिरादरी के लड़के को उसका दत्तक पुत्र कर लेवे ।

३—प्रतिवादी ने इस आशानुसार जून १६ई० में वादी को जब कि वह प्रायः ५ वर्ष की आयु का था उचित संस्कार के पश्चात दत्तक पुत्र बनाया और गोद लिया ।

४—गोद लेने के समय से वादी प्रतिवादिनी के पास सम्मिलित रूप से मोहनलाल के दत्तक पुत्र की हैसियत से रहता है और मोहनलाल की कुल जायदाद पर इसी हैसियत से अधिकारी और काबिज है ।

५—कुछ समय से प्रतिवादिनी को उसके कुटुम्बियों ने भड़का दिया है और वह वादी के जायदाद के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करती है और वादी के गोद लिये जाने को अस्वीकार करके अपने आप को उस कुल जायदाद का मालिक प्रकाशित करती है ।

६—प्रतिवादी के इस कार्य से वादी को भविष्य में हानि पहुँचने का भय है ।


(८) विधवा को, जायदाद नष्ट करने से रोकने और

रिसीवर नियत किये जाने के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—कुंवर उमरावसिंह वादी के कुटुम्बी चचा थे जैसा कि निम्नलिखित वशावली से प्रत्यक्ष होगा—



२—कुंवर उमरावसिंह की जमींदारी व हक्कीयत कई मौजों में थी जिसकी आमदनी, मालगुजारी व खर्च इत्यादि काटकर प्रायः १२०००) रुपया सालाना थी ।

३—जमींदारी के अतिरिक्त उनका बहुत से मनुष्यों पर कर्जा चाहिये था जो लगभग १०,००,००) रु० के था जिसका सूद सालाना ६०००) रु० वसूल होता था और उनके पास जेवर व नकद रुपया और सवारी इत्यादि भी थी और रहने का मकान व नोहरा बहुत मूल्य का था ।

४—उक्त उमरावसिंह की ता० ८ फरवरी सन् १९.....ई० को मृत्यु हुई और हर प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति पर उनकी विधवा प्रतिवादी श्रीमती निहाल कुंवर दायभागी की हैसियत से जीवन भर के लिये अधिकारी हुई ।

५—श्रीमती निहाल कुंवर से कु० उमरावसिंह का तीसरा विवाह जिस समय कुंवर उमरावसिंह की अवस्था ५० साल की थी हुआ था । चूँकि उक्त मुसम्मात की अवस्था कम थी इस लिये कुंवर उमरावसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसका चाल चलन खराब हो गया और वह कुछ बदचलन मनुष्यों के जाल में पड़कर उन्हीं के कहने व कब्जे में है ।

६—उक्त निहाल कुंवर ने तीन वर्ष के समय में कुल नकद रुपया व जेवरात को नष्ट कर दिया और उसके अतिरिक्त कर्जों में से भी आधे से अधिक हिस्सा वसूल करके फिजूल खर्च कर डाला और रियासत की आमदनी भी खर्च कर डाली ।

७—वादी को इस बात का पता लगा है कि उक्त मुसम्मात कुचाली मनुष्यों के बहकाने से कुछ जायदाद को मुन्तकिल करने का प्रवन्ध कर रही है और उसके सम्बन्ध में कुछ मनुष्यों से बात चीत भी की है ।

८—मुद्दई, कुंवर उमरावसिंह की मृत सम्पत्ति का पश्चात् दायभागी है और मुसम्मात निहाल कुंवर के कुचलन से भविष्य में उसको हानि पहुँचने का डर है ।

९—विनायदावा—

१०—दावे की मालियत—

मुद्दे पर प्रार्थी है कि—


(अ) कुंवर उमरावसिंह की कुल मृत सम्पत्ति का रिसीवर नियत किया जावे और रियासत का कुल प्रबन्ध उसके सुपुर्द किया जावे और वह मुसम्मात निहाल कुंवर को जायदाद की आमदनी, रियासत का खर्चा निकालने के बाद, अदा करता रहे ।

(९) विधवा की मृत्यु पर, अल्प पुरुष से जायदाद का दखल पाने के लिए

(सिरनामा)

१—वादी न० १ और मृतक बालकिशुन का सम्बन्ध नीचे लिखी वंशावली से सूचित होगा ।

राजाराम



(अ—ब , वादी न० १

२—उक्त बालकिशुन निम्नलिखित सूची (अ) में अंकित सम्पत्ति का मालिक था ।

३—बालकिशुन का सन् १९३४ ई० में देहान्त हो गया और उसकी पुत्री श्रीमती जयदेवी जीवन भर के दायभागी होने के कारण सम्पत्ति की मालिक व अधिकारी हुई ।

४—श्रीमती जयदेवी एक अनपढ़ स्त्री थी । प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी लाला शिवमुखराय ने उसको अपनी चाल पट्टी में लाकर इस सम्पत्ति का बँनामा ता०नवम्बर सन् १९..... ई० को अ अपने नाम करा लिया और अब प्रतिवादी मृतक शिवमुखराय का दायभागी होने के कारण उस पर अधिकारी है ।

५—श्रीमती जयदेवी का १९ जुलाई सन् १९४२ ई० को देहान्त हो गया वादी न० १ मृतक बालकिशुन का पश्चात दायभागी होने के कारण इस सम्पत्ति का मालिक और दखल पाने का अधिकारी है ।

६—श्रीमती जयदेवी को सम्पत्ति की बिक्री करने की कोई उचित आवश्यकता नहीं थी । उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी का उस जायदाद पर कब्जा बिना किसी अधिकार के है और वह वेदखल होने और पिछले तीन साल के वासलात अदा करने का देनदार है ।

७—वादी एक निर्धन आदमी है और मुकदमे में खर्चा नहीं कर सकता उसने सम्पत्ति और वासलात का आधा हिस्सा वादी न० २ के हाथ बेच दिया है, और नालिश दोनों की तरफ से की जाती है ।

(१०) इसी प्रकार का दूसरा दावा जबकि जायदाद पर काबिज़ मनुष्य अपने आप को दत्तक पुत्र बतलावे

१—नीचे लिखी हुई जायदाद का मालिक व अधिकारी एक पुरुष देवकर्ण था ।

२—देवकर्ण व वादी का सम्बन्ध नीचे लिखी वंशावली से ज्ञात होगा ।

(यहाँ पर वंशावली लिखनी चाहिये)

३—उक्त देवकर्ण का ता०.....को पुत्र हीन देहान्त हो गया । उसकी स्त्री पहिले ही मर चुकी थी ।

४—ऊपर लिखी वंशावली के अनुसार वादी देवकर्ण की मृत सम्पत्ति का मालिक और उसका दायभागी है ।

५—प्रतिवादी अपने आपको मृतक देवकर्ण का दत्तक पुत्र प्रकाशित करता है और उसने देवकर्ण की सम्पत्ति पर अन्याययुक्त अधिकार कर लिया है ।

६—देवकर्ण ने प्रतिवादी को गोद नहीं लिया और न कोई गोद लेने का संस्कार किया गया ।

७—प्रतिवादी देवकर्ण की बहन का लड़का है उसका गोद लिया जाना शाल्म विरुद्ध और अनुचित है ।

८—प्रतिवादी ने देवकर्ण की सम्पत्ति पर बल पूर्वक अधिकार कर लिया है । वादी उस पर दखल पाने और देवकर्ण की मृत्यु के दिन से उसका मुनाफा पाने का दावेदार है ।

(११) विधवा के दिये हुए सर्वकालिक दवामी पट्टेदार के विरुद्ध दखल के लिये

१—नीचे लिखी हुई जायदाद पर, उसके असली मालिक रामलाल की मृत्यु के बाद उसकी विधवा श्रीमती रामप्यारी जीवन भर की दायभागी होने के कारण, अधिकारिणी हुई ।

२—श्रीमती रामप्यारी ने ता०.....को प्रतिवादी के नाम इस जायदाद का एक सर्व कालिक पट्टारुपया वार्षिक लगान पर लिख दिया और उसी दिन से जायदाद पर प्रतिवादी का अधिकार करा दिया ।

३—श्रीमती रामप्यारी का ता०.....को देहान्त हो गया और वादी, रामलाल का सगा भतीजा और उसका दायभागी होने के कारण उसकी कुल सम्पत्ति का स्वामी हुआ ।

४—यह पट्टा श्रीमती रामप्यारी ने अपने अधिकार विरुद्ध, बिना किसी उचित आवश्यकता के, बहुत कम लगान पर प्रतिवादी को दे दिया था । वह पश्चात् दायभागी, वादी के विरुद्ध खडित और वे असर है ।

५—वादी जायदाद पर दखल पाने और श्रीमती रामप्यारी की मृत्यु से.....
रुपया वार्षिक लगान के हिसाब से जो कि उसका उचित लगान हैरुपया हर्जा मय सूद
१) २० सै० मा० पाने का अधिकारी है ।

(१२) दखल के लिये पुत्री का विभक्त कुल के सदस्यों पर दावा

१—वादी श्रीमती.....का पिता त्रिवेनीसहाय विभक्त कुल होने के कारण नीचे
लिखी हुई सम्पत्ति का अकेला मालिक और अधिकारी था । कुटुम्बी पुरुष उससे पृथक
रहते थे और उनका इस सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध न था ।

२—त्रिवेनी सहाय का पृथक होने की दशा में मई सन् १९२८ ई० में बिना कोई पुत्र
छोड़े देहान्त हुआ । उनकी स्त्री की उन्ही के सामने मृत्यु हो चुकी थी । अकेली वादी उनकी
पुत्री होने के कारण मृत सम्पत्ति की मालिक है ।

३—वादी अपनी ससुराल स्थान ...में थी । प्रतिवादी ने जो मृतक त्रिवेनी सहाय
के कुटुम्बी हैं वादी की अनुपस्थिति में कुल सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया ।

४—प्रतिवादी अपने आपको एक अविभक्त कुल के जीवित सदस्य होने के कारण
उस सम्पत्ति का स्वामी प्रगट करते हैं और वादी के स्वत्व को अस्वीकार करते हैं ।


५—वादी मृतक की दायभागी होने के कारण उस जायदाद पर दखल पाने की हक-
दार है ।

(१३) हिन्दू विधवा का दखल और पूर्वलाभ के लिये विभक्त कुटुम्बियों पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—दोनों पक्षों की वंशावली यह है—



२—वादी के पति प्यारे लाल और उनके दोनों भाई मोहनलाल व सोहनलाल के बीच में कुटुम्बी सम्पत्ति जून १९३२ ई० में बाँटी गई। उसके पश्चात् प्रत्येक भाई अपना पृथक २ कार्य व व्यापार करते रहे और अपने २ हिस्से की जमींदारी पर पृथक २ अधिकारी थे।

३—ग्राम जरारा की तीनों भाइयों की संयुक्त जमींदारी का मोहन लाल नम्बरदार था और वादी के पति प्यारे लाल को, लाभ न देने के कारण उसके-उपर नालिशें करनी पड़ी।

४—इसके पश्चात् जुलाई सन् १९३५ ई० में, कुटुम्ब के पृथक होते हुये प्यारेलाल का देहान्त हो गया और उसकी विधवा, वादी कुल मृत सम्पत्ति की स्वामिनी हुई।

५—प्रतिवादी ने मृतक प्यारे लाल की जमींदारी पर बिना किसी अधिकार के बल पूर्वक कब्जा कर लिया है और अविभक्त कुल प्रगट करके दाखिल खारिज की दरखास्त अदालत माल में पेश की है।

६—वादी ने उस दरखास्त का विरोध किया परन्तु प्रतिवादी का कब्जा होने के कारण ता०..... के उनका नाम दर्ज होने के लिये अदालत से हुकम हो गया।

७—वादी चायदाद पर दखल पाने और नाम दर्ज कराने के दिग् से वासलात पाने की अधिकारी है।

३२—पति और पत्नी

पति की ओर से पत्नी के विरुद्ध प्रायः दावे विवाह सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के होते हैं और ऐसे दावे स्त्री भी पति के विरुद्ध कर सकती है परन्तु स्त्री की ओर से अधिकतर दावे पति के विरुद्ध निर्वाह व्यय पाने या पति के निवास-गृह में रहने के इत्तफार के होते हैं। इन सभ दावों में वादी व प्रति वादी का विवाह होना और उनका पति और पत्नी की तरह रहना और प्रतिवादी का वादी से पृथक् हो जाना या जो अन्य शिकायत की बातें हों अर्ली दावे में लिखना चाहिये क्योंकि वह सब घटनाएँ तत्त्व मुकदमा होती हैं।¹

विवाह सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के दावों में जो पुरुष प्रतिवादी को वादी के पास आने में रुकावट डालें उनको फरीक मुकदमा बनाया जा सकता है और उनके विरुद्ध निषेध आज्ञा (हुकुम इस्तनाई) की प्रार्थना की जा सकती है परन्तु प्रार्थना यही होनी चाहिये कि वह प्रतिवादी को वादी के पास आने से न रोके।² न कि यह कि वह प्रतिवादी को अपने पास न रहने दें।³ विवाह सम्बन्धी अधिकार

1 I L B 8 All 199 F. B.

2. A. I. R 1920 Pat 798

3. I. L. R. 44 Bom. 464

के दावे पति और पत्नी दोनों की ओर से एक दूसरे के विरुद्ध किये जा सकते हैं। परन्तु ध्यान रहे कि ऐसे दावे के ढिगरी हो जाने पर भी उसकी इजराय में प्रतिवादी, चाहे पति हो या पत्नी जेन नहीं भेजा जा सकता परन्तु उसकी सम्पत्ति के विरुद्ध उचित आज्ञा दी जा सकती है।¹

दावा उच्च अदालत में दायर होना चाहिये जिसकी अधिकार सीमा में पति रहता हो और जहाँ पर पत्नी रहने से इन्कार करे।² शादी की विशेष पूर्ति के लिये दावा दायर नहीं किया जा सकता।³ परन्तु जहाँ ऐसी प्रतिज्ञा का उल्लङ्घन किया जाना प्रमाणित हो जावे वहाँ पर एक पक्ष से दूसरे पक्ष को हर्जा और नुकसान दिलाया जा सकता है।⁴ इस तरह के दावे इस पुस्तक के उचित खण्ड में दिये गये हैं (देखो—)

कोर्टफीस—विवाह सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के दावे में यदि इस्तक्रार की प्रार्थना न हो तो कानून कोर्ट फीस की परिशिष्ट २, आर्टिकल १७ (६) के अनुसार १०) का नियत कोर्ट फीस लगता है। संयुक्त प्रान्त और पंजाब में कानून के संशोधन के बाद २००) रुपये की मालियत पर कोर्ट फीस लगता है। अदालत के अधिकार के लिए वादी दावे की मालियत स्वयं नियत कर सकता है।⁵

मियाद—इन दावों में मियाद का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि कानून मियाद की धारा २३ व आर्टिकल १२० लागू होते हैं और जब तक पति या पत्नी एक दूसरे से पृथक रहें तब तक वादी को प्रतिदिन अभियोग कारण (बिनाय मुस्वासमत) उत्पन्न होता है।⁶

(१) पति का पत्नी के ऊपर विवाह सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के लिये दावा

(विरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी वादी की विवाहिता पत्नी है।

२—फरीकैन कुछ समय तक स्त्री व पति की हैसियत से रहते रहे और दो वर्ष

1. A I R 1936 All. 65, 150 I C 307.

2 I L R 59 Mad 392, 18 Bom. 316

3. I L R I Cal 74; 21 Bom 23

4 A. I R 1934 Lab 54.

5. I L. R. 28 All. 545.

6. Recurring Cause of Action. See I L R. 13 All 126.

का समय हुआ होगा कि वादी के यहाँ एक आयशा बेगम नाम की लड़की प्रतिवादी के पेट से पैदा हुई जो अब तक जीवित है ।

३—प्रतिवादी ६ महीना का समय हुआ होगा कि अपने पिता के यहाँ किसी कार्य का बहाना करके गई थी । उस समय से प्रतिवादी अपने पिता व रिश्तेदारों के बहकाने में आकर वादी के यहाँ नहीं आती ।

४—प्रतिवादी बिना किसी कारण के वादी के साथ रहने अथवा स्त्री पुरुष का इक पुरा करने में परहेज करती है इसलिये वादी विवाह सम्बन्धी अधिकार प्रतिवादी पर हासिल करने का दावेदार है ।

५—अभियोग कारण (प्रतिवादी के इनकार करने के दिन से) ।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को प्रतिवादी पर विवाह सम्बन्धी अधिकार दिलाये जावें और प्रतिवादी को हुक्म हो कि वह यह अधिकार पूरा करे ।

(२) इसी प्रकार का दूसरा दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—फरवरी सन् १९२३ ई० में वादी का प्रतिवादी के साथ विवाह हुआ ।

२—विवाह के समय से प्रतिवादी के घर में रहती रही और वह पति व पत्नी के रूप से रहन, सहन करते थे ।

३—मार्च सन् १९२७ ई० में प्रतिवादी का पिता प्रतिवादी नं० २, उसको अपनी दूसरी लड़की की शादी में सम्मिलित होने के लिये लिवा ले गया और एक महीना में वापस करने का वायदा कर गया था ।

४—प्रतिवादी नं० १ अपने पिता के कहने और वश में है वह उसको वादी के मकान पर आने से रोकता है ।

५—प्रतिवादी नं० १ भी वादी के घर पर आने और विवाह सम्बन्धी अधिकार की पूर्ति करने से इनकार करती है ।

६—वादी कई बार प्रतिवादी नं० १ को लिवाने के लिये प्रतिवादी नं० २ के घर पर गया परन्तु प्रतिवादी, वादी के साथ नहीं आई और उसके पिता ने भी उसके भेजने से इनकार किया ।

७—अभियोग कारण (आखिरी इनकार के दिन से) ।

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी को आज्ञा हो कि वह वादी के साथ विवाह सम्बन्धी अधिकार पूरा करे।

(ब) प्रतिवादी नं० २ को निषेध आज्ञा दी जावे कि वह प्रतिवादी को वादी के यह पर आने और विवाह सम्बन्धी अधिकार पूरा करने से न रोके।

(३) स्त्री की ओर से खान पान के खर्च के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१— वादी प्रतिवादी की विवाहिता स्त्री है।

२— फ़रीकैन मई सन् १९३३ ई० तक पति व पत्नी की हैसियत से रहते रहे।

३— प्रतिवादी ने जून सन् १९३३ ई० में दूसरा विवाह कर लिया और उसी समय से वह दूसरी स्त्री के साथ रहने लगा और उसने वादी की रक्षा करना व उसके पास आना छोड़ दिया।

४— वादी को पेट पालने और जीवन व्यतीत करने में अत्यन्त कठिनाई उठानी पड़ती है।

५— प्रतिवादी को, जायदाद इत्यादि से ६००) रुपया मासिक आमदनी है।

६— वादी के पिता धनाढ्य व रईस मनुष्य थे, वादी के रहन सहन के ढंग और प्रतिवादी की हैसियत के अनुसार वादी का मामूली खर्चा २००) रुपया माहवारी होता है। खान पान का खर्चा प्रतिवादी अदा नहीं करता।

७— अभियोग कारण (खान पान का खर्चा न देने के दिन से)।

८— दावे की मालियत --

वादी की प्रार्थना —

(अ) इस बात का इस्तकार किया जावे कि वादी २००) रुपया माहवारी खान पान का खर्चा प्रतिवादी से पाने की हकदार है।

(ब) खान, पान का पिछले तीन साल के बाबत २००) रुपया प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(४) पत्नी का रहायशी मकान में रहने व दखल के इस्तकाराश के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है :-

१— वादी का विवाह सन् १९३७ ई० में प्रतिवादी के साथ हुआ। उस समय से

फ़रीकौन स्त्री व पति की हैसियत से एक मंजिल मकान में जो . शहर ...मुहल्ले में स्थित है रहते रहे और वह प्रतिवादी के कुटुम्बी का रहायशी मकान है ।

२ प्रतिवादी जुलाई सन् १९४२ ई० से अनुचित सम्बन्ध के कारण दूसरी स्त्री के घर पर निवास करता था और उस समय से वादी इस मकान में अकेली रहा करती थी ।

३—प्रतिवादी का वादी से अपनी बदचलनी की वजह से कोई प्रेम नहीं था इसलिये प्रतिवादी इस फिकर मे था कि वादी को उस मकान से बेदखल कर देवे ।

४—वादी एक विवाह में सम्मिलित होने के लिये मार्च सन् १९४३ ई० में मकान का ताला बन्द करके जालन्धर गई हुई थी । प्रतिवादी ने वादी की अनुपस्थिति में ताला तोड़ कर घर पर अधिकार कर लिया ।

५—वादी मई सन् १९४३ ई० में वापस आई परन्तु प्रतिवादी ने वादी को मकान में घुसने नहीं दिया और वादी के उसमे रहने के अधिकार से इनकार किया और अब भी इनकार करता है ।

६—वादी को मकान में निवास करने का अधिकार प्राप्त है ।

७—अभियोग कारण.....

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) यह घोषणा की जावे कि वादी को उस मकान में निवास करने का अधिकार प्राप्त है ।

(ब) वादी को उस मकान पर दखल दिलाया जावे ।

३३—मुस्लिम शास्त्र

इस भाग में प्रायः उन्हीं वाद-पत्रों के नमूने दिये गये हैं जिन नालिशों में मुस्लिम शास्त्र विशेष रूप से लागू होता है जैसे निकाह तोड़ने के दावे, देन महर या तर्का शरई के दावे ।

१—विवाह-विच्छेद या फिस्क-निकाह

निकाह तोड़ने के लिये, मुस्लिम शास्त्र के अनुसार पुरुष की ओर से दावा करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पति पत्नी को स्वयं ही तलाक दे सकता है । वह ऐसा तलाक उचित कारण बिना भी दे सकता है ।¹ इसलिये फिस्क-निकाह के दावे प्रायः पत्नी की ओर से पति के विरुद्ध दायर किये जाते हैं । ऐक्ट नं० ८ सन् १९३९ के अनुसार पत्नी को निकाह फिस्क कराने का अधिकार उन कारणों पर दिया गया है जो

1 I L R 59 Cal. 539

2 Dissolution of Muslim Marriage Act

उस ऐक्ट की धारा २ में दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त आपस के इकरार से भी पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया जा सकता है।¹

इस ऐक्ट के पहले पति के नामर्द होने या उसका पत्नी पर भूटा इल्जाम लगाने पर, पत्नी को तलाक लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता था।² यदि निकाह पत्नी की नाबालिगी में उसके पिता के अतिरिक्त किसी अन्य रिश्तेदार की अनुमति से किया गया हो और बालिग होने पर वादी ने उसको अस्वीकार किया हो तब भी दावा किया जा सकता है।

इन दावों में यह कि वादी की प्रतिवादी के साथ शादी हुई और वह कारण जिनकी वजह से निकाह फिस्क कराना मन्जूर हो लिखना चाहिये। ध्यान रहे कि यदि पति के नपुंसकता होने के कारण दावा हो तो अदालत समय दे सकती है और यदि पति की नपुंसकता तब भी बनी रहे तो दावा डिगरी किया जाता है।

मियाद—कानून मियाद के आर्टिकल १२० के अनुसार मियाद ६ साल की होती है।

(नोट—नमूने नम्बर १ से लेकर ३ तक इस विषय के हैं।)

(२) दैन-महर

महर दो प्रकार का होता है :—१—“महर मोवज्जल” जो फौरन वाजिबुलअदा हो २—“महर मोवज्जल” जो बाद को वाजिबुल अदा हो।

महर के दावे में महर का इकरार और उसकी रकम और यदि महर दोनों प्रकार का हो तो कितना किस प्रकार का था और वह कब वाजिबुल अदा हुआ, यह सब बातें अर्जीदावे में जाहिर करना जरूरी है। मुस्लिम शास्त्र के अनुसार महर शादी का एक आवश्यक अङ्ग है और यदि वह किसी विशेष इकरार से नियत भी नहीं किया गया तब भी अदालत उचित संख्या (महर-मिखिल) नियत करके डिगरी दे सकती है।

महर का रुपया कर्जे की तरह होता है और पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उसकी जायदाद से अपने महर का रुपया बसूल करने की हकदार होती है और वह उसका दावा दूसरे दायभागियों के खिलाफ कर सकती है। जब तक महर का रुपया बसूल न हो जावे वह शौहर की जायदाद पर क़ाबिल भी रह सकती है।³ लेकिन वह उस जायदाद या उसके किसी भाग को मुन्तकिल नहीं कर सकती। विधवा के वारिस भी उसके महर के एख्त में जायदाद पर क़ाबिल रह सकते हैं।⁴

1. A. I. R. 1931 Lah. 135; 1933 Lah. 885, I L. R. 46 Cal 141

2. I. L. R. 55 Bom 160, 48 All. 834, 17 A. L. J. 78.

3. 1930 A. L. J. 1587, I. L. R. 55, All. 139; 43 Mad. 214 F. B.; A. I. R. 1924

Cal. 508.

4. I. L. R. 49 All 127; 7 Pat. 141.

मियाद—महर के दावों में मियाद प्रायः ३ साल की होती है। यह मियाद महर तलब करने के दिन से या महर मअजल के लिये तलाक या पति की मृत्यु के दिन से शुमार की जाती है। जहाँ पर रजिस्ट्री युक्त क्राबानामों से महर नियत किया गया हो तो मियाद ६ साल की हो जाती है।^१

(नोट:—नमूने अर्जीदावे नं० ४ से लेकर १० महर के दावों के हैं।)

(३) तर्का-शरई

मुस्लिम शास्त्र के अनुसार दायभागियों के हिससे नियत हैं। इन हिससों में इनकी (सुन्नी) और शिया शाखों में भेद है। इस पुस्तक में वारिसों के हिससे की बाबत कोई नोट देने की आवश्यकता नहीं है। वकील को चाहिये कि तर्कों के दावे में किसी प्रसिद्ध मुस्लिम शास्त्र की किताब से सहायता ले और वादी का हिससा नियत करके अर्जीदावा तैयार करे। नमूने नं० ११ से लेकर १३ तक विरासत के सम्बन्ध के हैं और ध्यान से देखने चाहिये।

(१) स्त्री की ओर से निकाह तोड़ने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है :—

१—प्रतिवादी सन् १९४५ ई० में नाबालिगा थी और उसके पिता का सन् १९४५ ई० से पहिले देहान्त हो चुका था।

२—मुहम्मद हुसेन वादी के माँमू ने जून सन् १९४५ ई० में उसकी नाबालिगा की समय वादी की माता की बिना सलाह के जो उस समय जोड़ित थी, प्रतिवादी से उसका निकाह कर दिया।

३—वादी ने बालिगा होने पर निकाह को तुरन्त अस्वीकार कर दिया और फरीकैन कमी पति पत्नी की हैसियत से नहीं रहे और न निकाह की पूर्ति हुई।

४—वादी उस निकाह के सम्बन्ध को तोड़ने और रद्द कराने की दावेदार है।

५—अभियोग कारण (बालिगा होने व निकाह को अस्वीकार करने के दिन से)।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

वादी का निकाह जो प्रतिवादी के साथ सन् १९४५ ई० में हुआ था, मन्सूख रद्द और बेअसर करार दिया जावे।

1. Arts 103, 104, Limitation Act

2. Art. 116, Limitation Act, A. I. R. 1923 Cal. 507.

(२) इसी प्रकार का विवाह विच्छेद के किये दूसरा दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—वादी की प्रतिवादी के साथ मार्च सन् १९४५ ई० में शादी हुई।

२—प्रतिवादी नामर्द है और सहवास नहीं कर सकता।

३—शादी के बाद वादी प्रतिवादी के साथ दो साल तक रही इस काल में वह वादी के साथ सहवास नहीं कर सका।

४—वादी की प्रतिवादी के साथ शादी शास्त्रानुसार खंडित और बेअसर है और वादी उसको रद्द व मन्सूख कराने की हकदार है।

५—दावे का कारण—

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

यह इस्तकरार किया जावे कि वादी की प्रतिवादी के साथ मार्च सन् १९४५ ई० में हुई शादी शास्त्रानुसार खंडित व बेअसर है।

(३) ऐक्ट ८ सन् १९३९ की धारा २ के अनुसार निकाह
फिस्क कराने का दावा

उपर्युक्त वादी निम्नलिखित प्रार्थना करती है :—

(१) यह कि वादी की शादी प्रतिवादी के साथ मार्च सन् १९४० ई० में हुई थी।

(२) यह कि प्रतिवादी शादी के ६ महीने बाद अक्टूबर सन् १९४० में अपने व्यापार के सिलसिले में कलकत्ता चला गया और उस तारीख से आजतक ... पाँच वर्ष से उसका कोई पता नहीं है।

या

(२) यह कि प्रतिवादी ने पाँच साल से (या दो वर्ष से अधिक से) वादी को छोड़ रखा है और उसकी परवरिश और निर्वाह का कोई प्रबन्ध नहीं किया है।

या

(२) यह कि प्रतिवादी को तारीख.....को दो वर्ष से अधिक की सजा अदालत.....के हुकम से हो गयी है।

या

(२) यह कि प्रतिवादी वादी के साथ बहुत सख्ती और बेरहमी का बर्ताव करता है, मारता पीटता है और तरह तरह से उसको कष्ट देता है इत्यादि।

(मजमून फिकरा नम्बर ४ व ५ लिखना चाहिये)

वादी प्रार्थी है कि उसका निकाह जोकि प्रतिवादी के साथ तारीख..... मार्च सन् १९४० को हुआ अदालत से फिस्क करार दिया जावे ।

(४) स्त्री का पति के ऊपर “ महर मोवज्जल ” के छिये दावा

(सिरनामा)

मुद्दैया नीचे लिखी अर्ज करती है—

१—मुद्दैया प्रतिवादी की विवाहिता स्त्री है ।

२—मुद्दैया की शादी मुद्दायलह से ता०... ..को हुई और “ दैन महर ” का..... रुपया देना करार पाया जोकि मॉगने पर अदा करना ठहरा ।

३—मुद्दैया ने प्रतिवादी से अपना दैन महर ता०.....को मॉगा ।

४—प्रतिवादी ने यह मतालवा अभी तक अदा नहीं किया ।

५—बिनाय दावी (तलब करने के दिन से) ।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

“दैन महर” का.....रुपया मय खर्च नालिश और सूद दौरान व आईदा रुपया वसूल होने के दिन तक प्रतिवादी से उसको दिलाया जावे ।

(५) निकाह मन्सूख हो जाने पर स्त्री का “ महर मोवज्जल ” के छिये दावा

(सिरनामा)

वादी नीचे लिखी प्रार्थना करती है—

१—वादी का प्रतिवादी के साथ ता०... ..को निकाह हुआ और “ महर मोवज्जल ” का ...रुपया देना करार पाया (या अगर महर के निस्वत कोई दस्तावेज लिखा गया हो तो उसका हवाला देना चाहिये ।)

२—फरीकैन कई साल तक पति व पत्नी की तरह रहते रहे । इसके बाद प्रतिवादी ने वादी को तलाक कर दिया जो इहत की मियाद खत्म होने पर अटल हो गया और फरीकैन का निकाह मन्सूख और रह हो गया ।

३ - प्रतिवादी ने “ दैन महर ” वादी को अभी तक अदा नहीं किया ।

(६) मुसलमान विधवा का 'महर' के लिये मृतक पति के दायभागियों पर दावा

१—वादी मृतक मुहम्मदअली की विवाहिता स्त्री है।

२—वादी का मुहम्मदअली के साथ ता०.....को निकाह हुआ और महर कारुपया करार पाया जो इन्दुल तलव देना ठहरा।

३—वादी के पति की ता०को बिना महर दिये हुए मृत्यु हो गई और प्रतिवादी मुसलिम शास्त्र के अनुसार उसके दायभागी हैं और उसकी मृत सम्पत्ति पर अपने २ हिस्से के अनुसार काबिज़ व अधिकारी हैं।

४—वादी अपने हिस्से में ...रुपया काट कर महर का बाकी रुपया मृत सम्पत्ति से, जो कि प्रतिवादी के कब्जे में है पाने की हकदार है।

५—इस मतालये पर वादी .. रुपया सैकड़ा माहवारी हिसाब से सूद पाने की भी दावेदार है जो कि उसके पति के देहान्त के दिन से लगाया जावे।

(७) इसी प्रकार का दूसरा दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—वादी के पति इमामबख्श की ता०... को मौत हो गई और उसने वादी के अतिरिक्त अपने लड़के प्रतिवादी नम्बर १ और दो पुत्री प्रतिवादी न० २ व ३ को अपना दायभागी छोड़ा।

२—नीचे लिखी हुई जायदाद मृतक इमामबख्श की सम्पत्ति है जिसमें प्रतिवादी का हिस्सा ३२ भागों में से २८ भाग का है।

३—वादी के महर का (१००००) रुपया इमामबख्श की मौत होने के समय तक अदा नहीं हुआ था।

४—वादी अपने महर का ४ हिस्सा मृत सम्पत्ति के २८ भागों से, जो कि प्रतिवादियों के कब्जे में है वगूल करने की हकदार है।

५—विनायदावी—(इमामबख्श की मृत्यु के दिन से)।

६—दावे की मालियत—

७—वादी प्रार्थी है कि.....रु० दिलाने के लिये दावा, इमामबख्श की जायदाद के कुल ३२ भागों में से २८ भाग पर जिन पर कि प्रतिवादी काबिज़ हैं, डिग्री किया जावे।

(८) मृतक पत्नी के दायभागी की ओर से पति के

ऊपर 'महर' के विभाग के लिये दावा

१—वादी की बहन मुसम्मात .. का निकाह प्रतिवादी के साथ ता० ..को हुआ और महर का .. रुपया करार पाया जिसकी वावत एक काबिननामा प्रतिवादी ने ता०को लिख दिया

२—उक्त मुसम्मातका ता०को देहान्त हो गया । उसकी जायदाद का हिस्से में, नीचे लिखे शजर के अनुसार बटवारा हुआ ।

(यहाँ पर शजर मय हिस्सों के लिखना चाहिये)

३—मुसम्मातके देहान्त के समय तक महर नहीं दिया गया था । महर में वादी का हिस्सा..... रुपया है ।

४ - प्रतिवादी ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया ।

(९) वारिस का विधवा के ऊपर जो महर के बदले

में जायदाद पर काबिज़ हो दखल के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है :—

१—वादी का पिता (क -ख) नीचे लिखी जायदाद का मालिक और अधिकारी था ।

२—(क - ख) की ता०... के मृत्यु हो गई ।

३—प्रतिवादी क -ख—की विधवा है और उसके महर का २५००) रुपया क -ख—की मृत्यु के वक्त वाजिब था ।

४—प्रतिवादी ने क—ख—के मतरूके पर उसकी मृत्यु के दिन से, महर के मतालबे के बदले में कब्जा कर लिया है और अब तक उस पर काबिज़ है और उसकी आमदनी वसूल करती है ।

५—मृतक क—ख—की जायदाद में कुल ३२ भाग में से ४ भाग की मालिक प्रतिवादी और १४ भागों का मुद्ई और बचे १४ भागों की मालिक उसकी दो लड़कियाँ फहीमुलनिसाँ और अमीरुलनिसाँ हुई ।

६ इस मतरूके की आमदनी से बहुत दिन हुये कि महर का रुपया बेबाक हो गया और उसके बेबाक हो जाने के दिन से मुदायलहा का वादी के हिस्से पर कब्जा बिना किसी अधिकार के है ।

७—बिनाय दावी -(महर का मतालबा बेबाक हो जाने के दिन से) ।

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि मृतक क—ख— की नीचे लिखी हुई जायदाद के कुल ३२ हिस्सों में से, उसको १४ हिस्सों पर बिना 'महर' का कोई मतालबा दिलाये हुए, या जो मतालबा अदालत तजवीज करे दिला कर, दखल दिलाया जावे।

(१०) वारिसों का महर के ऐवज में काबिज़ बेवा के ऊपर दखल के ऋये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-

१ - फ़रीक़ैन की वंशावली नीचे लिखी हुई है (यहाँ पर शजरा जिससे रिश्तेदारी व वादी का वारिस होना ज़ाहिर हो लिखना चाहिये) ।

२—फ़रीक़ैन के मूरिस अहमद अली का ता०.....के देहान्त हुआ और नीचे लिखी हुई जायदाद उनका मतरूका है ।

३ - मुदायलह ने इस जायदाद पर, मौत के दिन से अपने "देन महर" को ज़ाहिर करके कब्ज़ा कर लिया और आज तक काबिज़ है और उसकी तहशील वमूल करके खर्च करती है ।

४—इस जायदाद की सालाना आमदनी ... रुपया है। मुदायलहा के महर का ... रुपया वाजिब था जो जायदाद की आमदनी से अदा हो गया, इसके अलावा प्रतिवादी के कब्जे में कुछ मतालबा जायद पहुँच गया है ।

५—वादी का शरई हिस्सा ऊपर लिखे शज़रे के मुताबिक कुल...सहाम में..... सहाम है और वादी जायदाद में से अपने हिस्से पर दखल पाने का हक़दार है ।

६ वादी इस बात पर भी राजी है कि अगर 'महर' का कुछ मतालबा हिसाब से वाजिब हो तो उस मतालबा के अदा करने पर उसको जायदाद का रसदी भाग दिलाया जावे ।

७—प्रतिवादी हिसाब करने और मुद्दई का हिस्सा छोड़ने का तय्यार नहीं होती ।

८—बिनायदावा—(इन्कार के आखिरी दिन से) ।

९—दावे की मालियत—(जायदाद की कीमत और कोर्टफ़ीस रसदी जायदाद की पंच गुनी मालगुजारी पर अदा किया जावेगा) ।

वादी प्रार्थी है कि -

(अ) वादी को.....कुल भागों में से.....भागों पर दखल दिलाया जावे (या " देन महर " का जो कुछ मतालबा हिसाब से वाजिब हो उसके अदा करने पर दखल दिलाया जावे) ।

(व) जो कुछ मतालवा रसदी से वादी का निकलता हो उसकी डिग्री प्रतिवादी के उपर कोर्टफीस लेकर सादिर की जावे ।

(क) खर्चा नालिश इत्यादि दिलाया जावे ।

(जायदाद की तफसील)

(११) एक वारिस का, दूसरे काबिज वारिसों पर, दखल व वासलात के छिष्ट दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :

१—मुसम्मात अहमदी, वादी की स्त्री, अलीमुहम्मद खॉ की लड़की थी, जोकि नीचे लिखी हुई जायदाद के मालिक और अधिकारी थे ।

२—अलीमुहम्मद खॉ की ता०.....को मृत्यु हो गई और उनका मतरूका ८४ भागों में बटकर नीचे लिखी वंशावली के अनुसार विभाजित हुआ ।

(यहाँ पर वंशावली और हर दायभागो का हिस्सा लिखना चाहिये) ।

३—मुसम्मात अहमदी वेगम इस जायदाद के कुल ८४ भागों में से १२ भाग की मालिक व अधिकारी हुई ।

४—मुसम्मात अहमदी वेगम का ता०का देहान्त हो गया और उसकी जायदाद नीचे लिखी वंशावली के अनुसार.....भागों में बँटी गई जिसमें वादी का भागों का हिस्सा होता है ।

५—वादी अहमदी वेगम का शरई वारिस होने की वजह से अलीमुहम्मद के ८४ भागों में से तीन भाग का मालिक है । ।

६—प्रतिवादी अलीमुहम्मद खॉ के अन्य वारिस हैं और उनके मतरूके पर काबिज है ।

७—प्रतिवादी वादी के बार बार कहने और मॉगने पर भी उसके हिस्से का कब्जा उसको नहीं देते ।

८—वादी अपने हिस्से के वासलात का भी दावेदार है ।

९—बिनायदाबी (अलीमुहम्मद खॉ और मुसम्मात अहमदी की मृत्यु के दिन से)

(जायदाद की तफसील) .

(१२) इसी प्रकार का दूसरा दावा

१—वादी एक पर्दानशीन स्त्री है और नीचे लिखी जायदाद के ४२ हिस्सों में से ७ हिस्सों की मालिक व काबिज है ।

२—यह जायदाद वादी को, करीब १० साल हुये होंगे, उसके पिता की मृत्यु पर मिली। जायदाद के बकाया हिस्सों के प्रतिवादी फरीक अब्बल जो वादी के पिता के अन्य दायभागी हैं, मालिक हैं और वादी और उनका उस जायदाद पर मुश्तर्का कब्जा है।

३—वादी रहायशी मकान में कभी २ जाकर ठहरती है और ज़मींदारी का मुनाफ़ा प्रतिवादी नम्बर १ से जो कि नम्बरदार है और तहसील वसूल करता है, लेती रहती है।

४—प्रतिवादी फरीक अब्बल ने कुल जायदाद का ता०.....को त्रैनामा प्रतिवादी फरीक दोयम के नाम लिख कर उनको उस जायदाद पर कब्ज़ा दिला दिया है। * (देखो नोट)

५—प्रतिवादी फरीक अब्बल को वादी के हिस्से को वै करने का कोई अधिकार नहीं था। और जहाँ तक उसका वादी के हिस्से से सम्बन्ध है वह खंडित और बेअसर है और प्रतिवादी फरीक दोयम का वादी के हिस्से पर कब्ज़ा बिना किसी इस्तहका के है।

६—वादी अपने हिस्से पर दखल और त्रैनामे के दिन से वासलात, प्रतिवादी फरीक दोयम से पाने की हकदार है।

(१३) चारिस लड़की का, दूसरे चारिसों पर जिन्होंने रहन से जायदाद छुड़ा ली हो, दखल के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी अर्ज करती है :—

१—वादी के पिता काजी लताफतहुसेन एक कमरा और सात दो खनी दूकानों के, जिनकी चौहद्दी नीचे दर्ज है और जो मुहल्ला मदार दरवाजा शहर अलीगढ़ में बाकै हैं मालिक व काबिज़ थे।

२—काजी लताफतहुसेन ने वह कमरा और दूकानें ७ मई सन् १९१९ ई० को रहननामा लिख कर ३०००) रुपया में मुसम्मात नायाब के पास दखली रहन कर दीं और उन पर उसी दिन से मुश्तहिन काबिज़ हो गईं।

३—काजी लताफतहुसेन का १९२० ई० में देहान्त हो गया और उन्होंने अन्दुल-मबीद, लड़का, मुसम्मात अलिमुलनिसा लड़की, मुसम्मात मरीयमउलनिसा लड़की (वादी) और मुसम्मात शरीफुलनिसा, वेवा को अपना दायभागी छोड़ा।

४—काजी लताफतहुसेन की मौत के बाद उनके कुल दायभागी संयुक्त रूप से मृत सम्पत्ति पर अधिकारी हुये।

* नोट—यदि वादी का हिस्सा अन्य चारिसों ने रहन सादा या दखली कर दिया हो तो धारा न० ४ व ५ में आवश्यक शब्द बदलने के बाद यही फारम काम में लाया जा सकता है।

५—अब्दुलमजीद ने जो कि, प्रतिवादी फरीक़ दोयम का मूरिस था ६ जनवरी सन् १९३२ ई० को बँनामा लिखकर बिना किसी प्रकार से सूचित किये और खिलाफ़ अख्तयार कुल जायदाद को प्रतिवादी फरीक़ अब्बल के नाम बेच दिया और उसके कुछ महीने बाद से प्रतिवादी फरीक़ अब्बल कमरे और दूकानों पर काबिज हैं।

६—वादी का ३२ भागों में से सात भाग का हिस्सा है और वह प्रतिवादी फरीक़ अब्बल को अपने हिस्से का रुपया अदा करने पर दखल पाने की दावीदार है।

७—वादी ने अपने हिस्से का रहन का मतालवा अदा करके अपने हिस्से पर दखल लेने के लिये प्रतिवादी फरीक़ अब्बल से कहा परन्तु उन्होंने ध्यान नहीं दिया।

८—बिनायदावी (कब्जा न देने और इनकार करने के दिन से)।

९—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि (जैसा कि फ़िक्का नम्बर ६ में)।

(रहन की हुई जायदाद की तफ़सील)

(१४) अपने हिस्से को बचाने के लिये, एक शरई हिस्सेदार का दूसरे शरई हिस्सेदारों पर दावा

(सिरनामा)

वादी नीचे लिखी प्रार्थना करती है --

१—वादी और प्रतिवादी फरीक़ दोयम का शजरा यह है—

(यहाँ पर शजरा लिखना चाहिये)

२—प्रतिवादी फरीक़ दोयम और वादी के मूरिस अब्दुलमदयारखॉ की ता०..... को मृत्यु हुई और मृत सपत्ति पर वादी और प्रतिवादी द्वितीय पक्ष अपने अपने शरई हिस्सों के हिसाब से काबिज व अधिकारी हुये।

३—वादी की जायदाद के कुल ७२ भागों में १२ भाग का हिस्सा है। वादी अपने हिस्सेदारी का मुनाफ़ा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष से पाती रही और अब भी पाती है और रहायशी मकान में जब कभी जाकर रहती है और अपने हिस्से पर अब भी काबिज है।

४—प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने वादी के बिना किसी ज्ञान या सूचना के, अब्दुलमदयारखॉ का कुल मतरुका प्रतिवादी द्वितीय पक्ष से अपने यहाँ आड़ करा लिया और इस किफ़ालत की बिनाय पर डिग्री नंबरी ... अदालत... ..से प्रतिवादी के खिलाफ़ हासिल करके कुल जायदाद को नीलाम कराया है।

५—वादी आड़ के दस्तावेज या डिग्री में कोई फ़रीक नही है और न डिग्री के मतालबे की देनदार है। उसका हिस्सा उस डिग्री की इजराय में नीलाम नही हो सकता।

६—बिनायदावा—(इजराय और नीलाम की कार्रवाई की सूचना होने के दिन से)।

७—दावे की मालियत (नियत कोर्ट फीस इस्तक्रार के लिये लगेगा)
वादी की प्रार्थना—

(अ) यह इस्तक्रार किया जावे कि, नीचे लिखी हुई जायदाद में वादी का १२ वॉ हिस्सा इजराय डिग्री नंबरीअदालतसे नीलाम नही हो सकता।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे।

३४—हक-शफा

शफे के दावे (१) मुस्लिम-शाख, (२) रिवाज या (३) किसी विशेष प्रतिज्ञा या इक्रार की बिनाय पर होते हैं।

१—सुअी मुस्लिम शाख के अनुसार शफा करने वाले तीन प्रकार के होते हैं, (i) शफी-शरीक या हिस्सेदार (ii) शफी-खलीद और (iii) शफी-गार और शफा करने वाले की दो जरूरी मांग, ' तलब-मवासवत' जिससे शफा करने वाला इन्तकाल की हुई जायदाद को खरीदने की इच्छा प्रकट करता है और, 'तलबे-इश्तशात', जिससे वह जायदाद लेने और उसका मुआवजा देने के लिये तत्पर होता है, का होना जरूरी है क्योंकि बिना इनके दावा बल नहीं सकता।¹ इनके बाबत अर्जीदावा लिखने वाले का ध्यान सही व ठीक होना चाहिये और उचित है कि नालिश लिखने से पहले किसी मुस्लिम शाख की सहायता ले ली जावे।

अर्जी दावे में (१) यह कि शफा करने वाला किस श्रेणी का है और खरीदने वाला किसी श्रेणी का शफी नहीं है या कि नीची श्रेणी का है, (२) और खरीदारी की तफसील, लिखनी चाहिये। यदि प्रकट किया हुआ मतालबा मंजूर न हो तो यह दिखाना चाहिये कि असली खरीदारी का मतालबा क्या था। दोनों तलबों के अलावा और किसी नोटिस देने की जरूरत नहीं होती लेकिन जो मतालबा मंजूर किया जावे उसको अदा करने के लिये रजामन्दी अर्जी दावे में दिखाना चाहिये।

सुन्नी व शिया मुस्लिम शास्त्रों में शफा के सम्बन्ध में कुछ अन्तर है इसलिये यह ध्यान रखना चाहिये कि भगदे वाले व्यवहार पर कौन सा कानून लागू होगा। जहाँ पर बेचने वाला और शफा करने वाला दोनों सुन्नी हों वहाँ पर सुन्नी कानून लागू होगा और जहाँ पर यह दोनों शिया हों वहाँ पर शिया कानून लागू होगा।¹ लेकिन जहाँ पर बिक्रेता सुन्नी हों और शफा करने वाला शिया हो वहाँ पर शिया-शास्त्र के अनुसार ही हक माँगा जा सकता है।² जहाँ बेचने वाला शिया हो और शफा करने वाला सुन्नी हो वहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की राय में शिया-शरह लागू होना चाहिये।³ लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट की राय में उसका फैसला सुन्नी शरह के अनुसार होना चाहिये।⁴

सुन्नी शास्त्र के अनुसार शफा करने वालों की ऊपर लिखी तीन श्रेणियों में प्रथम श्रेणी का दूसरी श्रेणी से और दूसरी श्रेणी से और दूसरी श्रेणी का तीसरी श्रेणी से शफा का हक उत्तम होता है। शिया शास्त्र के अनुसार सिर्फ प्रथम श्रेणी वाले हिस्सेदार ही शफा कर सकते हैं और वह भी तभी जब कि उस जायदाद में दो हिस्सेदार से अधिक हिस्सेदार न हों।⁵

ध्यान रखना चाहिये कि हक शफा तभी उत्पन्न होता है जब कि जायदाद पूर्ण रूप से बिक्री कर दी गयी हो। अन्य प्रकार के परिवर्तन से शफे का हक पैदा नहीं होता।⁶ इसलिये जहाँ पर जायदाद दान की गयी हो या दवामी पट्टा लिखकर हमेशा के लिये किराये पर दी गयी हो या एक जायदाद का दूसरी जायदाद से तबादला किया गया हो वहाँ पर हक शफा पैदा नहीं होगा।⁷ यदि महर के रुपये के बदले में पति पत्नी के हक में अपनी जायदाद फरोख्त कर देवे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की राय में हक शफा पैदा हो जाता है।⁸ परन्तु अवध चीफ कोर्ट में और बाद के इलाहाबाद के कुछ मुकदमों में ऐसे इन्तकाल को हिवा-बिल एवज तजवीज किया गया है जिससे हक शफा पैदा नहीं होता।⁹

२—रिवाज

जहाँ पर शफा, रीति या चलन के अनुसार माँगा जावे वहाँ पर ऐसी रीति या चलन का साबित करना वादी का कर्त्तव्य होता है। ऐसे रिवाज मुस्लमानी प्रथा के अनुसार बहुत से शहर, कस्बों या उनके हिस्सों में अब भी प्रचलित हैं। रिवाज

1 I L R. 7 All. 775; 12 All 229

2 I L R 22 All. 102

3. I L R. 36 All 488

4. I L R 32. Cal 982

5 29 A L J 617

6 A I R 1929 Bom 206

7 I L R 15 Cal 184, 1930 A. L J 1478, but see I L R 40 All 322.

8 A I R 1932 All 596, A I R 1937 P C 174, I L R 5 All 65

9. I L R. I Luck 83; 2 Luck 575, A L R 1937 All 25, 1936 A L J 1027.

प्रमाणित करने के लिये वादी पहली ऐसी घटनाओं की शहादत दे सकता है जहाँ पर शफे से एक की खरीदी हुई जायदाद दूसरे को दिलाई गयी हो या अवालत की तजवीज से शफा का रिवाज माना गया हो। स्थानीय-रीति या मुकामी रिवाज की एक विशेषता यह है कि कहीं पर तो वह सब निवासियों पर लागू होता है और कहीं पर सिर्फ मुसलमान निवासी ही उसका फायदा उठा सकते हैं।

शफे का रिवाज प्रायः सरकारी कागजात जैसे, वाजिबुलअर्ज, दस्तूरवेही इत्यादि में दर्ज होता है लेकिन ऐसा रिवाज फरीकैन अपने जाती कागजात में भी लिख सकते हैं। यदि सम्मिलित सम्पत्ति विभाजित की जावे तो हिस्सेदार यह शर्त कर सकते हैं। किसी हिस्सेदार के जायदाद बेचने पर अन्य हिस्सेदारों को उसके खरीदने का प्रथम हक होगा।

पंजाब व अवध प्रान्तों में शफे के दावे वहाँ के स्थानीय कानून के अनुसार दायर होते हैं। (Punjab Pre-emption Act and Oudh Laws Act) लेकिन वहाँ पर भी हक शफा शरह-मोहम्मदी के अनुसार कहीं कहीं पर पैदा होता है। मद्रास प्रांत में यदि फरीकैन मुसलमान भी हो तब भी मुस्लिम शास्त्र-नुसार हक शफा पैदा नहीं होता जब तक कि कोई स्थानीय रिवाज न हो। मुस्लिम शास्त्र के अनुसार हक शफा माँगने के लिये यह जरूरी है कि जायदाद बेचने वाला और शफा करने वाला दोनों मुसलमान हो। इलाहाबाद व पटना हाईकोर्ट की राय में खरीदार का मुसलमान होना जरूरी नहीं है।¹ परन्तु इसके विरुद्ध कसकता व बम्बई के हाईकोर्टों की राय में खरीदार का भी मुसलमान होना जरूरी है।²

जमींदारी से सम्बन्ध रखने वाले शफा के दावे इस प्रान्त में प्रायः Agra Pre-emption Act के अनुसार फैसले होते हैं। इस ऐक्ट की धारा ५ के अनुसार रिवाज का वाजिबुल अर्ज या दस्तूरवेही में इन्दराज होना उसकी प्रचलित करने के लिये पर्याप्त होता है।

आगरा प्री-एम्पशन ऐक्ट के धारों में धारा ५ के अनुसार उस महाल के अन्दर शफा का हक होना और धारा १२ के अनुसार वादी का अधिकारी होना अर्जों दावे में दिखाना चाहिये। जायदाद बेचने वाला इन मुकदमों में जरूरी फरीक नही होता यद्यपि उसके फरीक बनाने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन अगर किसी दूसरे हकदार ने भी शफा का दावा किया हो तो उसको फरीक बनाना चाहिये।

मियाद—खरीदार का जायदाद पर दखल पाने के दिन से, शफा का दावा एक साल के अन्दर दायर होना चाहिये।³ जहाँपर बिक्री की हुई जायदाद ऐसी हो जिस पर दखल न हो सकता हो वहाँ पर बैनामा रजिस्ट्री कराने के दिन से एक साल की मियाद होती है। यह मियाद किसी बजह से बढ़ाई नहीं जा सकती।⁴

1 I L R 7 All. 772 F B, I L R 1 Pat 578

2 4 Beng L R 134 F B, A 1 R. 1929 Bom 206,

3 Art 10, Limitation Act

4 Sec 8, Limitation Act

कोर्ट-फीस—रहायशी मकान और मुस्लिम शास्त्र के शफा के दावे में वादी की निश्चय की हुई जायदाद की मालियत पर पूरा कोर्ट फीस देना होता है और जहाँ दावा जमींदारी के निश्चय हो जिस पर मालगुजारी बढ़ा की जाती है वहाँ वार्षिक मालगुजारी की पंचगुनी मालियत पर ।

(१) सम्मिलित शफा का मुसलमान शास्त्र के अनुसार शफा का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—मौजा राजपुर में एक मुहालनाम का है जिसमें वादी और प्रतिवादी फरीक दोयम हिस्सेदार है और वादी कुल मौजा का नम्बरदार है । प्रतिवादी प्रथम पक्ष का उसमें कोई हिस्सा नहीं है ।

२—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने अपनी नीचे लिखी हुई, उस मौजे की जमींदारी, ता० १२ अक्टूबर सन् १९.....ई० को १५०००) रुपया में बैनामा लिख कर एक अन्य पुरुष प्रतिवादी प्रथम पक्ष के हाथ बेच दी । वादी को जब उस बै की इत्तला मिली तो उसने फौरन “ तलब मवासिबत ” और “ तलब इस्तशहाद ” अपने मुख्ताराम से कराई लेकिन प्रतिवादी फरीक अव्वल कीमत का मतालबा लेने और बै की हुई जमींदारी छोड़ने पर तय्यार नहीं हुए ।

३—फरीकैन दोनों मुसलमान और हनफी सुन्नी हैं । वादी को बेची हुई जायदाद में शरीक होने की वजह से एक अजनबी आदमी के खिलाफ शफा करने का हक हासिल है ।

४—बिनायदावा (बैनामा लिखने के दिन, ता० १२ अक्टूबर सन् १९.....ई० को पैदा होकर ता० १७ अक्टूबर सन् १९.....ई० से यानी उसके रजिस्ट्री कराने के दिन से प्रगट हुई) ।

५—दावे की मालियत (१५०००) रुपया, परन्तु कोर्ट फीस पंचगुनी मालगुजारी पर लगेगा) ।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को नीचे लिखी जमींदारी का मुसलिम शरह के अनुसार १५०००) रुपया दिला कर मालिक करार दिया जावे और दखल दिलाया जावे और इस मतालबे में जितना रुपया बतौर अमानत प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पास छोड़ा गया हो वह वादी के पास छोड़ा जावे ।

(ब) नाशिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे ।

(शफा की हुई जायदाद की तफसील)

(२) वाजिबुल अज़ के आधार पर शफा का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी और प्रतिवादी द्वितीय पक्ष पास के रिश्तेदार और मौजा नूरपुर थोक कूलंदर बख्त तहसील हाथरस के सम्मिलित हिस्सेदार हैं।

२—यह कि मौजा नूरपुर में शफे का रिवाज है जिसकी बात वाजिबुल अज़ में यह लिखा है कि “ हर एक हिस्सेदार को अपने अपने हिस्से को हर प्रकार से बेचने का हक है, पहिले तो अपने पास के रिश्तेदारों के हाथ जो हिस्सेदार भी हों और यदि वह न लें तो उसी थोक के हिस्सेदारों के हाथ और यदि वह भी न लें तो जिसके हाथ चाहिगा, बेचेगा ”।

३—यह कि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने, वादी के बिना ज्ञान और सूचना के और बिना उसको खरीदने का अवसर दिये हुये रिवाज के खिलाफ नीचे लिखी जायदाद ता०.....को तैनामा लिखकर एक अन्य पुरुष प्रतिवादी प्रथम पक्ष के हाथ बेच दी और असली क्रीमत (१६००) रुपया के बजाय (२१००) रुपया बनावटी क्रीमत शफे से बचने के लिये तैनामे में लिखा दी।

४—यह कि वादी, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का निकट सम्बन्धी और उसके मुकाबले एक अन्य पुरुष को उस जायदाद के खरीद करने का कोई हक नहीं है।

५—दावे का कारण (तैनामे की रजिस्ट्री होने के दिन से)।

६—दावे की मालियत (अदालत के अधिकार के लिये जायदाद की क्रीमत, लेकिन कोर्ट फौस ५ सुनी मालगुजारी पर लगेगा)

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) उसको शफे की रिवाज के अनुसार (१६००) रुपया या जितनी क्रीमत अदालत तजवीज करे दिलाकर और प्रतिवादी को वेदखल करा कर वादी को देखल दिलाया जावे और तैनामे की शर्तों का वादी के हक में होना करार दिया जावे।

(शफा की हुई जायदाद की तफसील)

(३) वाजिबुल अज़ के आधार पर शफे का दावा

१ - मौजा रामपुर परगना सहाव (जिला एटा में मुहाल अहमदनगर का में वादी और द्वितीय प्रतिवादी मिले हुये हिस्सेदार (जिनकी जायदाद मिली हुई है) हैं।

प्रथम प्रतिवादी भी उस मुहाल का हिस्सेदार है परन्तु उसकी ज़मीन द्वितीय प्रतिवादी से मिली हुई नहीं है ।

२—द्वितीय प्रतिवादी ने अपनी उस मुहाल की नीचे लिखी हुई हक़ीयत (यहाँ पर तफ़सील देनी चाहिये) ता० को ६०००) रुपया में प्रथम प्रतिवादी के नाम बेच दी और बैनामा लिख दिया और शफ़ा के डरसे बैनामे में दिखाने के लिये कीमत ७०००) रुपया लिखा दी ।

३—इस मौज़े में प्राचीन काल के शफ़ा का रिवाज प्रचलित है और पिछले बन्दोवस्त के वाजिबुल अर्ज में उसके बाबत यह लिखा है “ हर एक हिस्सेदार को अपनी हक़ीयत बेचने का अधिकार है लेकिन पहले वह अपने मिले हुये हिस्सेदार के हाथ और उसके इनकार करने पर मुहाल के अन्य हिस्सेदारों के हाथ और उनके भी इनकार करने पर अन्य पुरुषों के हाथ बेच सकता है ”।

४ यह बैनामा वादी के बिना ज्ञान और सूचना के लिखा गया था । वादी को, वाजिबुल अर्ज के अनुसार मिले हिस्सेदार होने के कारण नियत कीमत देकर जायदाद स्वयं खरीदने का अधिकार है ।

५—वादी, शफ़ा की हुई जायदाद पर असली और वाजिबी कीमत देकर दखल पाने का दावेदार है ।

(४) शरअ और वाजिबुल अर्ज के बिनाय पर शफ़े

का दावा

(सिरनामा)

वादी नीचे लिखी अर्ज करता है—

१—वादी और प्रतिवादी फरीक दायम बेलपुर और बाहनपुर परगना अत्तरौली जिला अलीगढ़ में मिले हुये हिस्सेदार हैं और प्रथम प्रतिवादी उन मौज़ों में हिस्सेदार नहीं है और एक अजनबी मनुष्य है ।

२—दोनों मौज़ों में शफ़ा की रीति प्राचीन काल से प्रचलित है और पहिले के बन्दोवस्त में तैयार किये वाजिबुल अर्ज में भी शफ़ा की रीतिदर्ज है ।

३—वादी को वाजिबुल अर्ज के मुताबिक और मिले हुये हिस्सेदार और भाई होने की वजह से दोनों मौज़ों की हक़ीयत खरीदने का हक़ हासिल है ।

४—प्रथम प्रतिवादी ने २७ फरवरी सन् १९ ई० के बैनामे से नीचे लिखे हुये मौज़े १४२५३) रुपया आठ आना ४ पाई में द्वितीय प्रतिवादी से खरीद की और बैनामे में जर समन फर्जी व शफ़ा के डर की वजह से २०००) रुपया दर्ज कराया ।

५—इस हक़ीयत का वादी शरई, शफी है और उसने नै की इत्तला होने पर “तलव मुवास्सत” व “तलब इस्तशाद” अदा की ।

६—प्रथम प्रतिवादी वादी के त्तर त्तर कहने पर भी वाजित्री कीमत लेने और हकीयत छोड़ने पर तैय्यार नही होता ।

७—वादी उचित कीमत देने पर, हकीयत का दखल पाने का हकदार है ।

८—दावे का कारण—

६—दावे की मालियत (अदालत के अधिकार के लिये १४३५३॥) ४ पाई, और कोर्ट फीस मालगुजारी से पंचगुना अदा किया गया है ।

१०—जरसमन में से १२३५३॥) ४ मुख्य रहन की अदायगी के लिये प्रथम प्रतिवादी के पास अमानत के रूप में छोड़ा गया था । यह रूपया उसने अभी तक अदा नहीं किया और डिग्री के दिन से मय सूद शफा के मतालबे से कटना चाहिये और वादी के पास अमानत में छोड़ा जावे ।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) नीचे लिखी हुई हकीयत पर वादी को १४३५३॥) ४ पाई या जितना रूपया अदालत उचित तजवीज करे दिलवा कर दखल दिलवाया जावे और इसमें से १२३५३॥) ४ पाई डिग्री की तारीख से मय सूद वादी के पास अमानत में छोड़ा जावे और बक़या रूपया प्रथम प्रतिवादी को दिला दिया जावे ।

(ब) खर्चा नालिश मय सूद दिलाया जावे ।

(दोनों मौजों की तफसील देनी चाहिये)

(५) वाजिबुल अर्ज व मुसलमानी शास्त्र के अनुसार

बैनामे व शफा की मसूखी के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—एहतशामअली का बाप माजिदअली खाता खेवट नम्बर ४५५ पट्टी रहमानखॉ कस्बा कोल जिला अलीगढ़ का मालिक था ।

२—उसकी मृत्यु के बाद एहतशामअली, उसकी पाँच बहिन और माँ उसके हिस्सेदारान हुये ।

३—मुसम्मात जसीमबेगम, माजिदअली की एक लड़की कुल ७२ भाग में से सात भाग की मालिक थी । उसने अपना हिस्सा १४ अक्टूबर सन् १६.....ई० के बैनामा लिख कर वादी के हाथ बेच दिया और वादी उस रोज से उस हिस्से मालिक और काबिज हो गया ।

४—कस्बा कोल में बहुत दिनों से शफे का रिवाज है और उसके तानत वाजिबुल अर्ज में यह लिखा है—“हर एक हिस्सेदार को अपना २ हिस्सा इस प्रकार इन्तकाल

करने का हक है—पहिले तो वह अपने मिले हुये हिस्सेदार को और यदि वह न ले तो अन्य हिस्सेदारों को दे और जो वे भी-इनकार करें तो जिसके हाथ चाहे क्रय कर सकता है। यदि हिस्सा बेचने वाले और शफे के हकदार में कीमत की बाबत कोई भगड़ा हो तो जो कीमत एक अन्य पुरुष देने को तय्यार होगा वही कीमत शफे के हकदार को देनी होगी।”

५— ६ मई सन् १६.....ई० को एहतशामअली (प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने कुल खाता खेवट नम्बर ४५५ में से ३ बीघा दस बिस्वा पक्की आराजी, वादी के सात भाग बिना अलग किये हुये माघो प्रसाद प्रतिवादी प्रथम पक्ष के नाम बैनामा लिखकर (१२००) रुपया में बेच दी और बैनामे में भूँठी कीमत १५००) रुपया लिख दी।

६—यह बैनामा वादी के हिस्से के सात भागों की बाबत अप्रभावयुक्त व खडित है और बकाया की बाबत वादी कानून और रिवाज के अनुसार शफे का हकदार और उचित कीमत देने पर दखल पाने का अधिकारी है।

७—वादी ने क्रय की सूचना पाने पर “तलब मोवासिबत” और “तलब इस्तशाद” की, लेकिन प्रतिवादी प्रथम पक्ष हकीयत छोड़ने व उचित कीमत लेने पर राजी नहीं होता।

८—बिनायदावा (रजिस्ट्री होने के दिन से)।

९—दावे की मालियत (जैसा कि पहिले अर्जों दावों में है)।

वादी प्रार्थी है.की—

(अ) वादी को नीचे लिखी हुई ज़मींदारी के ७२ भागों में से ७ भाग पर ता० १६ मई सन् १६.....ई० के बैनामे को मंसूल-करके और बकाया ६५ भागों पर शफे का हकदार होने की वजह से असली कीमत १२००) रुपया के अनुसार या जो अदालत तजवीज़ करे दिला कर दखल दिलाया जावे।

(ब) खर्चा-नालिश इत्यादि दिलाया जावे।

(हकीयत की तफ़सील)

३५—जमींदार और प्रजा

(इस सिलसिले में "मालिक व किरायेदार" पृष्ठ २० का नोट देख लेना चाहिये)

जमींदार व रिआया के सम्बन्ध और मालिक व किरायेदार के सम्बन्ध में अन्तर होता है। प्रायः रिआया के मकान की तहती जमीन का मालिक जमींदार होता है, लेकिन रिआया को उस जमीन पर रहने और कब्जा रखने का हक होता है और वह जब तक अपने निवास-गृह या अन्य मकान को उस शकल में कायम रखे जमींदार, उसको बेदखल नहीं कर सकता, सिर्फ अपना लगान तहती जमीन के लिये वसूल कर सकता है। यह लगान कहीं पर टकीना, कहीं पर पर्जवट और कहीं पर घर ग्रहना इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है।

जब तक कि कोई आरबी इकरार या स्थानीय रिवाज न हो, रिआया को अपना मकान या उसमें रहने के हक व कब्जा को इन्तकाल करने का अधिकार नहीं होता और ऐसा करने पर जमींदार रिआया और उससे खराबने वाले दोनों को बेदखल करा सकता है।¹ रिआया के लावारिश हो जाने पर, या उसके रहायश छोड़ देने पर जमींदार उस मकान का मय भूमि के मालिक हो जाता है। कहीं कहीं पर प्रजा कच्चे मकान को बिना जमींदार की आज्ञा लिये या उचित नजराना दिये पक्का नहीं बनवा सकती और न उसमें कोई तब्दील करा सकती है।² यहाँ पर जमींदार व रिआया के सम्बन्ध के कुछ नमूने दिये गये हैं।

प्रचलित विधान के अनुसार संयुक्त प्रान्त व अवध में कृषी (जर-आती) मौजो में जहाँ पर प्रायः काश्तकार ही रहते हैं जमींदार कुल गाँव की जमीन का मालिक माना जाता है जिसमें आबादी की जमीन भी शामिल होती है जिस पर रिआया के मकान बने हुए हैं। ऐसे गाँव में रिआया अपने मकान के मलबा, मिट्टी, लकड़ी, खपड़ा, इत्यादि, के ही मालिक होते हैं और उस जमीन का मालिक, जिस पर मकान खड़ा हो जमींदार होता है।³ यदि गाँव या उसका कोई हिस्सा किसी म्युनिसिपैलिटी या टाउन परिषद की अधिकार सीमा के अन्दर आ जावे तब भी उस जमीन में जमींदार का हक बद्रनूर कायम रहता है।⁴ लेकिन ऐसी जमीन के बावत यह कानूनी क़यास कि जमींदार

1. A. I. R. 1939 All 392, 1935 All 720; 1 I. L. R. 3 Luck 107; 20 All 248.

2. 1936 A. L. J. 503; A. I. R. 1929 All. 439; 1936 All 563.

3. A. I. R. 1935 All. 720.

4. A. I. R. 1927 All. 605 and 609.

उसके हर टुकड़े का मालिक है स्थिर नहीं रहता । ज़मींदार की बिना आज्ञा या अनुमति के प्रजा अपने बाहिरि सहन पर कोई अन्य नई तामीर नहीं कर सकता ।^१

मियाद—प्रजा से मकान खरीदने वाले के विरुद्ध दावा में Art. 44 क़ानून मियाद के अनुसार मियाद १२ साल की होती है । यदि सहन की तामीर हटाने का दावा हो तो आर्टीकल ३२ लागू होता है ।^२

(१) ज़मींदार की ओर से मुन्तक़िज़ किये हुये मकान की वेदस्त्रळी के लिये नाक़िश

(चिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी गाँव साखनी परगना अनूपशहर की पूरी ज़मींदारी का मालिक है ।

२—द्वितीय प्रतिवादी उस गाँव में वादी की प्रजा की हैसियत से आवाद है और लोहारगरी का काम करता है ।

३—१७ मई सन् १९३७ ई० को बैनामा लिखकर उक्त प्रतिवादी ने उसी गाँव में अपना रहने का मकान (उसकी तफ़सील होनी चाहिये) प्रथम प्रतिवादी के हाथ बेच दिया और उसी तारीख से वह मकान पर क़ाबिज़ है ।

४—वाजिबुल अज़ और वहाँ की रिवाज़ के अनुसार प्रजा को मकान के मलवे के अतिरिक्त मकान हत्यादि बेचने का हक नहीं होता ।

५—१७ मई १९३७ ई० का बैनामा ज़मींदार के विरुद्ध खंडित और बेअसर है और प्रथम प्रतिवादी का मकान पर क़ब्ज़ा अनुचित और बिना किसी अधिकार के है ।

६—वादी मकान के नीचे की ज़मीन पर, मकान का सामान व मलवा हटाने के बाद, दख़ल पाने का अधिकारी है ।

७—अभियोग कारण —

८—दावे की मालियत —

1 A I R 1936 All 442, 1938 Oudh 251, I L R 54 All 379

2 A I R, 1937 All 472, I L R 1 Luck 469, 55 All 204

3 A I R 1937 All 427

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को मकान के नीचे की जमीन पर दखल दिलाया जावे और प्रथम प्रतिवादी को हुकम हो कि वह मकान का मलबा अदालत से नियत किये हुये समय के अन्दर वहाँ से हटा लेवे और उसके वहाँ से न हटाने पर वादी को मलबे सहित जमीन पर दखल दिलाया जावे ।

(२) ज़मींदार की बिना इजाज़त बनवाये हुए मकान के गिरा देने के लिये नाजिज़

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है —

१—वादी कस्बा कोल में मुहल्ला सराय दुवे का ज़मींदार है ।

२ इस मुहल्ले में रिआया वादी की तरफ से बसी हुई है जो अपने मकानों की ज़मीन के लिये वादी को टकीना देती है ।

३—कोई प्रजा वादी की बिना आज्ञा पुराने मकान के बजाय नया मकान नहीं बनवा सकता और आज्ञा मिल जाने पर ज़मींदारी की रीति के अनुसार सवा रूपया फी दर-वाज़ा देना पड़ता है ।

४—यह रिवाज व चलन इस सराय में प्राचीनकाल से चला आता है और रिवाज कोल की वाजिबुल अर्ज में भी लिखा हुआ है ।

५—प्रतिवादी बहुत दिनों से वादी की प्रजा की हैसियत से एक मकान में रहता था और २) आने माहवारी टकीना दिया करता था ।

६—प्रायः तीन साल हुये कि, मकान को खाली छोड़ कर और ताला बन्द करके प्रतिवादी बाहर चला गया और जुलाई १९.....ई० में वापस आया ।

७—प्रतिवादी की अनुपस्थिति में वह मकान वर्षों से गिर कर-बर्बाद हो गया । प्रतिवादी ने वादी की बिना आज्ञा उसके नया बनवाना शुरू किया है और कोई ज़मींदारी का हक अदा नहीं किया ।

८—अभियोग कारण—

९—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि —

(अ) प्रतिवादी के नाम निषेध आज्ञा निकाली जावे कि वह वादी की बिना आज्ञा के और बिना हक अदा किये हुए मकान न बनावे ।

(ब) उसके ऐसा न करने पर प्रतिवादी को बेदखल कर के दखल दिलाया जावे ।

(३) ज़मींदार का, उत्तराधिकारी न रहने पर, मकान पर दखल पाने के लिये दावा

१—वादी गाँव फरीदनगर मुहाल सफेद में दो बिस्वा का मालिक व ज़मींदार है ।

२ उस मुहाल की आवादी जुदागाना है और आवादी वाले हिस्से में एक हीरा लोधा रहता था ।

३ क़रीब २५ साल हुये होंगे कि उक्त हीरा बिना वारिस छोड़े मर गया और उसकी विधवा सु० जमना उस मकान में रहती रही ।

४—मई सन् १९३८ ई० में मुसम्मात जमना का भी देहान्त हो गया और वादी ज़मींदार होने की वजह से उस लावारिस मकान का मालिक है ।

५—प्रतिवादी उस मकान के पास रहता है और उसने हीरा वाले मकान को खाली पाकर जुलाई सन् १९३८ ई० से उस पर नाजायज कब्ज़ा कर लिया है ।

६ वादी उस मकान पर प्रतिवादी को बेदखल करा कर दखल पाने का अधिकारी है ।

(४) ज़मींदार का हक़ चहारूप के लिये दावा

१—वादी ज़िला इलाहाबाद परगना चाइल में गाँव दरियाबाद का ज़मींदार है ।

२—उस गाँव में वादी की रिआया आबाद है जो अपने मकान इत्यादि के निसवत वादी को सालाना “पर्जबट” दिया करती है ।

३—मकानों के मलबे और हक़ रिहायश की बाबत प्राचीन काल से यह रिवाज चला आता है कि किसी रिआया के मकान का मलबा या रहने का हक़ बेचने पर वादी ज़मींदार होने के कारण, क़ीमत का एक चौथाई हिस्सा पाने का हक़दार होता है ।

४—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष उस गाँव में एक मकान में (जिसकी चौहद्दी नीचे दी गई है, वादी की रिआया की हैसियत से रहता है ।

५—प्रतिवादी ने १० फरवरी सन् १९.....ई० को वह मकान २००) रुपया में नैनामा लिख कर प्रतिवादी प्रथम पक्ष के हाथ बेच दिया और उसी दिन से प्रतिवादी प्रथम पक्ष उस मकान पर क़ाबिज है।

* (५) ज़मींदार की ओर से रसम और टकीने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—प्रतिवादी ज़िला बुलन्दशहर में गाँव गंगाबाँस के मुहाल राम सहाय में रिआया की हैसियत से आबाद है और अपने रहने के मकान की ज़मीन के लिये ॥१) आना सालाना वादी को, जो कि वहाँ का ज़मींदार है, टकीना देता है।

२—वाजिबुल अज़्र और गाँव के रिवाज के अनुसार टकीना के अलावा हर एक रिआया को लड़की की शादी में एक रुपया नकद, ५ सेर चावल, दो सेर शकर, ज़मींदार को देना पड़ता है।

३—प्रतिवादी के ऊपर ३ साल का टकीना २॥) रुपया बाकी है।

४—प्रतिवादी ने पिछली जनवरी में लड़की का विवाह किया और उसकी बाबत प्रतिवादी ने ज़मींदार को रसम अंदा नहीं की। पाँच सेर चावल और दो सेर शकर की ५) रुपया क़ीमत होती है।

५—अभियोग कारण—

६—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना (टकीने और ज़मींदारी को रसम के लिये)।

* नोट— ऐसी प्रथाएँ अब बन्द होती जा रही हैं। ज़मींदारी की अन्य प्रथाओं के लिये भी, जहाँ ऐसी प्रथाएँ प्रचलित हों, जैसे कि भूसा या करबी देना या गाय भैंस चराना इत्यादि, यही अर्जादावा, आवश्यक संशोधन करने पर काम में लाया जा सकता है।

३६—दखल व वासलात (पूर्वलाभ)

यदि कोई मनुष्य वादी की जमीन पर बिना अधिकार दखल कर ले, या उचित प्रकार का दखल खतम हो जाने पर भी काबिज रहे तो ऐसी हालत में दरम्यानी मुनाफे और दखल के लिये दावे किये जाते हैं।

यह दावे याद दफा ६ कानून दादरसी खास (Specific Relief Act) के मुताबिक किये जावें तो बेदखली के दिन से छः ६ महीने की मियाद होती है नहीं तो मामूली दावा १२ साल के अन्दर किया जा सकता है। पहिली तरह के दावों में वादी को दखल दिला दिया जाता है और यह नहीं देखा जाता कि अख्तियार में जायदाद का मालिक कौन है।^१

धारा ६ के दावे के फैसले की कोई अपील नहीं होती परन्तु प्रतिवादी अपनी मिलिकयत का नम्बरी दावा बेदखल होने पर दायर कर सकता है।^२ इन दावों में किसी पक्ष की मिलिकयत का निर्णय नहीं किया जाता और असली मालिक भी ऐसा प्रश्न नहीं उठा सकता।^३ वह अपनी मिलिकयत के आधार पर दूसरा दावा दायर कर सकता है, परन्तु एक ही दावे में दोनों बातों का फैसला नहीं किया जा सकता, जैसे, याद प्रतिवादी जायदाद का मालिक हो परन्तु वादी का उस पर ६ महीने से क्रमबा हो, ऐसी हालत में वादी को दफा ६ कानून दादरसी खास के दावे में डिगरी मिल सकती है लेकिन मिलिकयत के दावे में कोई डिगरी नहीं मिल सकता।^४

इन दावों में यह कि (१) वादी का जायदाद पर कानूनी कब्जा था (२) यह कि प्रतिवादी ने दावे के दिन से ६ महीने के अन्दर उसको बेदखल कर दिया है और यह कि (३) बेदखली उसकी बिना रजामन्दी के की गई, लिखना चाहिये।

धारा ६ की नालिश में बाधनात नहीं दिलाया जा सकता इसलिये इन दावों में पुराने मुनाफा की प्रार्थना करना कथं होता है। ऐन दावे ग-नेमेन्ट के खिलाफ दायर नहीं किये जा सकते और इनका अपील या निगरानी नहीं हो सकती।

1. 7 I. O. 700.

2. I. L. R. 33 All. 174 F. B; 46 All. 903.

3. I. L. R. 56 Cal 29; A. 1. R. 1922 Bom. 216.

4. I. L. R. 33 All. 174 F. B; 25 A. L. J. 847; 46 All. 903.

दफा ९ के दायों के अतिरिक्त यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जायदाद पर बिना अधिकार काबिज हो या उसका जायज कब्जा रखने का हक खतम हो जाने पर नाजायज तरह पर काबिज रहे तो मालिक को उसकी बेदखली के दिन तक जायदाद के मुनीफा वसूल करने का हक हासिल होता है।^१

नम्बरी दायों में वह हक (स्वत्व) जिसके बिनाय पर दावा किया गया हो दिखाना जरूरी है। इसके बाद प्रतिवादी का बेदखल करना या बादी का अपने आप दखल जोड़ देना और प्रतिवादी का दखल कर लेना दिखाना चाहिये।

मुशतर्क दखल पाने के लिये अर्जीदारी में फरीकैन का मुशतर्क मालिक होना और वह घटनाएँ जिनसे ऐसे दखल में अंतर पड़ा हो, और जिस तारीख से प्रतिवादी का विरुद्ध अधिकार हुआ हो दिखाना चाहिये।

कॉर्टफीस—दफा ६ कानून दादरसी खास के दायों में कानून कॉर्टफीस की परिशिष्ट १ के आर्टिकल २ के अनुसार मालियत पर आधी कॉर्टफीस लगती है। अन्य दखल के दायों में दफा ७ V, (५) कानून कॉर्ट फीस के मुताबिक रसूम लगाना चाहिये।

मियाद—दफा ६ कानून दादरसी खास के मुकदमें बेदखली के दिन से ६ महीने के अन्दर दायर होने चाहिये।^२ दखल के अन्य दावे बेदखली की तारीख से १२ साल के अन्दर^३ एक हिस्सेदार का दूसरे हिस्सेदार के विरुद्ध दखल का दावा भी १२ साल के अन्दर दायर होना चाहिये उस तारीख से जब कि प्रतिवादी का कब्जा बादी के खिलाफ हुआ हो। इस सम्बन्ध में कानून मियाद की धारा १४२ व १४४ का अन्तर अच्छी तरह से जानना चाहिये।^४

नोट :—दखल व वासलात के मूने भिन्न भागों में पहले भी दिये जा चुके हैं। आवश्यकतानुसार वे नाम में लाये जा सकते हैं।

1. 25 A. L. J. 857; I. L. R. 49 All. 191; 6 Bom 215 F. B.; 8 Pat 351; 10 Luck. 659; A. I. R. 1930 Lah 220; But-tes 50 Cal-23 and 61 Cal. 419.

2. Art 3 Limitation Act.

3. Art. 142 Limitation Act.

4. Art. 144 Limitation Act.

5. 1934 A. L. J. 975 F. B.; I. L. R. 55 All. 209.

† (१) दखल के लिये निर्दिष्ट प्रतिकार विधान की धारा ९ के
अनुसार नालिश

(UNDER SEC 9 OF SPECIFIC RELIEF ACT)

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—वादी एक मजिल पक्के मकान पर जो कि गाँव सोरों जिला एटा में स्थित है बहुत दिनों से काबिज है ।

२—उस मकान में वादी की रहाइश थी और वह उसमें बाल बच्चों सहित रहता था ।

३—जून सन् १९३४ ई० में वह कार्यवश अपने परिवार सहित मकान में ताला लगा कर बाहर गया हुआ था । प्रतिवादी ने उसकी अनुपस्थिति में मकान का ताला तोड़ कर उस पर कब्जा कर लिया ।

४—प्रतिवादी को बलपूर्वक कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं था । वादी उस मकान पर दखल पाने का दावेदार है ।

५—अभियोग कारण (कब्जा के दिन से छः महीने के अन्दर) ।

६—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना है कि उस मकान पर प्रतिवादी को वेदखल करके वादी को दखल दिलाया जावे और नालिश का खर्चा दिलाया जावे ।

(२) असली मासिक का, कब्जा करने वाले पर, अन्तर्गत लाभ
के लिए दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—वादी, ६१ बीघा १ बिस्वा जमींदारी जो ग्राम पला साइबाद परगना कोल खाता खेवट नम्बर १ जमई १२५) रुपया का, १६ सितम्बर सन् १९३१ ई० के रहननामे के अनुसार जो मुसम्मात बसंती वेगम वेवा हुरमतखॉ ने लिखा, से दखली मुर्तहिन है ।

† नोट—दखल और अन्तर्गत लाभ वासलात के लिये बहुत से नमूने भिन्न भिन्न भागों में पहिले दिये जा चुके हैं और वह आवश्यकतानुसार काम में लाये जा सकते हैं ।

२—नालिशी के दिनों में वादी को, भौं उसको बली थी और दुर्गासिंह वादी को मामा सरबराकार था और वह रहन की हुई जायदाद की तहसील वसूल करता था।

३—दुर्गासिंह, केदारनाथ के यहाँ नौकर था। केदारनाथ ने अनुचित दत्त बाल डाल कर दुर्गासिंह से मुर्तहनी हक का एक ब्रैनामा लिखाया जिसमें उस रहन की हुई जायदाद का उसके असली मालिक और वादी को फर्जी मालिक जाहिर करके ता० ३ सितम्बर सन् १६३२ ई० के ज्वाला प्रसाद को रहन की हुई जायदाद पर अधिकारी बना दिया।

४—फसल रबी सन् १३४० फ० से उक्त दुर्गासिंह ने रहन की हुई जायदाद का मुनाफा वादी को देना बन्द कर दिया इस पर वादी को ३ सितम्बर सन् १६३२ ई० के ब्रैनामे की तहरीर का हाल मालूम हुआ।

५—वादी ने ३ सितम्बर सन् १६३१ ई० के ब्रैनामे को मंसूख करने के लिये अदालत सिविल जजो अलीगढ़ में दुर्गासिंह व ज्वाला प्रसाद के मुक़ाबले में दावा किया वह १८ मार्च सन् १६३७ ई० को डिस्मिस हुआ परन्तु अदालत अपील से वह फैसला ता० २४ मार्च सन् १६३८ ई० को मंसूख होकर वादी का दावा डिग्री हुआ वह ब्रैनामा वेअसर करार दिया गया और वही फैसला हाई कोर्ट से भी स्थिर रहा।

६—वादी ने ६ मई सन् १६३८ ई० को अदालत अपील के फैसले के अनुसार रहन की हुई जायदाद पर अधिकार प्राप्त कर लिया।

७—ज्वाला प्रसाद, १३४० फसल रबी से खरीफ सन् १३४५ फ० तक रहन की हुई जायदाद पर अनुचित रीति से अधिकार किये रहा। इस दौरान की बात वासलात के निबन्ध रहन की हुई जायदाद के वसूल करने का हक वादी को ज्वाला प्रसाद प्रतिवादी से है।

८—वादी परन्तु भगड़ा दूर करने के लिये नालिश करने के दिन से दखल पाने के दिन तक दावा करता है।

९—वासलातकी संख्या असल व सूद १) रुपया माहवारी के हिसाब से १०००) रुपया है और यही संख्या दावे का मूल्य कोर्ट फीस के लिये निर्धारित किया जाता है।

१०—अभियोग कारण—१ अगस्त सन् १६२५ ई० व १ अगस्त १६२६ ई० व १ अगस्त १६२७ ई० व १ अगस्त सन् १६३८ ई० को पैदा हुई है।

११—वादी १३ दिसम्बर सन् १६३८ ई० को बालिग हुआ है और अन्तर्गत लाभ उसकी अवयस्कता के समय में देय योग्य हुई इसलिए दावा में तमादी का कोई प्रभाव नहीं है।

मुद्दे प्रार्थी है कि—

१०००) रुपया असल व सूद नीचे लिखे हिसाब के अनुसार खर्चा नालिश सहित का दावा ज्वाला प्रसाद प्रतिवादी के ऊपर डिग्री किया जावे।

(३) अन्तर्गत लाभ और दखल के लिये, जायदाद के मालिक की ओर से अन्य पुरुषों के ऊपर जो कि उस जायदाद पर कब्जा किये हुए हों, नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—वादी एक मंजिला पक्के मकान का, स्थित मुहल्ला .. शहर.....मालिक व काबिज था।

२—वादी कार्यबश जून सन् १९४० ई० में बंबई आदि स्थानों के मकान में ताला लगा कर गया था।

३. प्रथम प्रतिवादी ने वादी की अनुपस्थिति में, दिसम्बर सन् १९४० ई० में उस मकान पर अनुचित प्रकार से कब्जा कर लिया और अपनी ओर से द्वितीय प्रतिवादी को किराये पर दे दिया। इस समय उस मकान में द्वितीय प्रतिवादी प्रथम प्रतिवादी की ओर से, किरायेदार की हैसियत से रहता है।

४—वादी सन् १९४२ ई० में वापिस आया और प्रतिवादी से मकान का कब्जा माँगा। वह लोग वादी के हक को नहीं मानते और कब्जा देने से इनकार करते हैं।

५—प्रतिवादी का उस मकान पर कब्जा नाबायज और बिना किसी अधिकार के है। वादी उस मकान पर दखल और हर्जा पाने का दावेदार है।

६—अभियोग कारण—दिसम्बर सन् १९४० ई०; नाबायज कब्जा करने के दिन से।

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी के मकान पर दखल दिलाया जावे।

(ब) ..क्या दिसम्बर सन् १९४० ई० से लेकर नालिश करने की तिथि तक अन्तर्गत लाभ और दखल मिलने के दिन तक का हर्जा दिलाया जावे।

(४) उत्तराधिकारी की ओर से काबिज अननवी

पुरुष पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं :—

१—विशुनसिंह १५ बिस्वा की असली जमींदारी जाता खेवत नम्बर १; तादादी ३ बिस्वा; रक्बा १२६ बीघा ३ बिस्वा, लगन ८६॥८; वाके मौजा हरनोट परगना शिकारपुर का मालिक था।

२—विशुनसिंह की १९१६ ई० में मृत्यु हुई और उसकी विधवा श्रीमती फूलो जीवन भर दायभागी की हैसियत से काबिज हुई और उसका नाम माल के कागज़ात में विशुनसिंह की जगह दर्ज हुआ ।

३—श्रीमती फूलो का भी मार्च सन् १९२६ ई० में देहान्त हो गया । वादी विशुनसिंह के सगे भाई दीवानसिंह के लड़के हैं और प्रतिवादी विशुनसिंह के सगे भाई धर्मसिंह के नाती हैं ।

४—धर्म शास्त्र के अनुसार विशुनसिंह के भतीजे होने के कारण, वादी प्रतिवादियों के विरुद्ध उसके निकट दायभागी है जो कि एक श्रेणी अधिक दूर हैं ।

५—श्रीमती फूलो के देहान्त के बाद प्रतिवादियों ने यह प्रगत किया कि वह भी विशुनसिंह के दायभागी हैं और इस धोके से प्रतिवादियों ने वादियों के साथ साथ ता० २० अप्रैल सन् १९३० ई० को अपना नाम अदालत माल के कागज़ों में दर्ज करा लिया ।

६—जून सन् १९३२ ई० में प्रतिवादियों ने बटवारे के लिये अदालत माल में दरखास्त पेश की उस समय वादियों के मालूम हुआ कि वादियों के हेतु हुये श्रीमती फूलो के देहान्त पर विशुनसिंह की मृत सम्पत्ति में प्रतिवादियों का कोई स्वत्व नहीं था और उन्होंने अपना नाम अनुचित रीति से माल के कागज़ों में दर्ज करा लिया है

७—वादियों ने अदालत माल में बटवारे के विरुद्ध उद्गारी पेश की और वहाँ से ता० ... के इस भगड़े का अदालत दीवानी से निरर्थक कराने के लिये आशं हुई ।

८—अभियोग कारण (प्रतिवादियों का नाम दर्ज होने, और विशेष कर-ता० ... के अदालत माल के हुकम के दिन से) ।

९—दावे की मालियत (कोर्ट फीस मालगुजारी से पंचगुने पर दिया जावेगा) ।
वादी की प्रार्थना —

(अ) वादियों को आधा हिस्सा कुल १५ बिस्वांसी ज़मींदारी खाता खेबट नम्बर १ तादादी ३ बिस्वा रकबा १२६ बीघा ३ बीस्वा, लगान ८९॥), वाकै मौजा हरनोट परगना शिकारपुर पर देखल दिलाया जावे ।

(५) अधिकारी दायभागियों का ओर से अन्य दायभागियों पर देखल के लिये दावा


१—भीमसिंह	} वादी, बनाम	१—धानूसिंह	} प्रतिवादी
२—गंगाराम		२—दालसिंह	
		३—दवंगरसिंह	
		४—भूरा	
		५—तोता	
		६—सुन्दरा	
		७—मुरलीसिंह	

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं —

१—वादियों का चचेरा भाई अजय्यराम नीजे लिखी जायदाद का जो ग्राम नहड़ी परगना काल में स्थित है, मालिक व अधिकारी था ।

२—छैः या सात महीने हुये होंगे कि अजय्यराम का देहान्त हो गया और उसकी विधवा श्रीमती कमला उस जायदाद पर जीवन भर दाय भागी होने के कारण अधिकारी हु ।

३—पिछले चैत्र में श्रीमती कमला का भी देहान्त हो गया । और उस जायदाद के पश्चात् दायभागी, वादी, निम्नलिखित वंशावली के अनुसार मालिक हुये—



४—प्रतिवादी नं० १ व २ परसराम के लड़के और नं० ३ परसराम के 'नाती' हैं जो कि आरामी का पुत्र था परन्तु एक मनुष्य सीताराम ने उसको गोद ले लिया था और उसने उक्त सीताराम की मृत सम्पत्ति को पाया जिस पर उक्त तीनों प्रतिवादी अब भी अधिकारी हैं । उनका कोई स्वत्व अजय्यराम की मृत सम्पत्ति में नहीं हो सकता ।

५—प्रतिवादी नं० ४ से ७ तक मृतक अजय्यराम के कुटुम्बी भतीजे हैं परन्तु वादिये के विरुद्ध जो कि उसके चचेरे भाई हैं, उनको कोई दायभाग नहीं पहुँचता । उनके पिता कल्यान व खूबीराम श्रीमती कमला की मृत्यु होने के समय जीवित नहीं थे ।

६—अजय्यराम की मृत सम्पत्ति के तीन मकानों में से दो मकानों पर तो वादी काबिज

हैं और तीसरे मकान पर (जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी हुई है) प्रतिवादियो ने अनुचित अधिकार कर लिया है और अदालत माल ने अनुचित रीति से वादियों के साथ साथ उनका नाम, भी अजयराम की जायदाद के कागज़ों में दर्ज कर दिया है जिससे कि वादियों को, उनके अधिकार में प्रत्यक्ष हानि पहुँचती है ।

७—वादियों का नाम बजाय कुल ज़मींदारी के सिर्फ १ तिहाई हिस्से पर दर्ज हुआ है इसलिये वह बाक़ी हिस्से पर और उस मकान पर दखल पाने के अधिकारी हैं जिस पर कि प्रतिवादियों ने अनुचित दखल कर रक्खा है ।

८—अभियोग कारण—

६—दावे की मालियत (केर्ट फीस हिस्से की पचगुनी मालगुजारी पर) ।

वादियो की प्रार्थना (धारा नम्बर ७ के अनुसार) ।

(जायदाद की तफसील)

(६) उत्तराधिकारी का दखल व अन्तर्गत लाभ के लिये काबिज़ पुरुष के ऊपर दावा ।

१—एक मनुष्य नन्हे खॉ नीचे लिखी हुई जायदाद (यहाँ पर जायदाद का व्योरा लिखना चाहिये) का मालिक व अधिकारी था ।

२—पचास वर्ष के लगभग हुये होंगे कि नन्हे बाहर चला गया और प्रतिवादी का नाम जो उक्त नन्हे का कुटुम्बी भाई लगता था माल के कागज़ों में काबिज़ होने की हैसियत से दर्ज हुआ और उस हैसियत से आज तक दर्ज चला आता है ।

३—उक्त नन्हे खॉ कभी गाँव छोड़ने पराभी मिलता रहा । वह लगभग ८ वर्ष से त्रिक्कुल लापता है । मालूम हुआ है कि उसका १६३६ ई० में या उसी के लगभग देहान्त हो गया है ।

४—वादी व उक्त नन्हे खॉ की वंशावली नीचे लिखी हुई है (यहाँ पर वंशावली लिखनी चाहिये) ।

५—वादी वंशावली के अनुसार उक्त नन्हे का उत्तराधिकारी है और उसकी मृत सम्पत्ति का मालिक है ।

६—प्रतिवादी वादी के मुकाबले में मृतक नन्हे का उत्तराधिकारी नहीं है । उसका अधिकार नन्हे की जायदाद पर बिना किसी हक के और अनुचित है ।

७—वादी ने अदालत माल में दरखास्त प्रतिवादी के नाम को काटने व अपने नाम को दर्ज करने की दी थी उस का प्रतिवादी ने विरोध किया और दरखास्त १६ दिसम्बर सन् १६४३ ई० को नार्मचूर हुई ।

दं—वादी निजाई जायदाद का पिछले ३ साल का अन्तर्गत लाभ व दखल पाने का हकदार है।

(७) असली मालिक का दखल और अन्तर्गत लाभ के बिये

अधीकृत पुरुष और उसके खरीदार पर दावा

१—मृतक केहरीसिंह, वादिनी का ससुर और नीचे लिखी हुई जायदाद का अकेला मालिक व अधिकारी था। केहरीसिंह का सगा भाई नौबतसिंह प्रतिवादी न० १ उससे विलकुल विभक्त था और उसका केहरीसिंह की जायदाद से कोई संबंध नहीं था।

२—३ मार्च १९.....ई० के लिखे हुये दानपत्र (हिवानामा) से केहरीसिंह ने अपनी इस जायदाद को वादिनी के नाम दान कर दिया और उसी तारीख से वादिनी उसकी मालिक हो गई।

३—केहरीसिंह की सन् १९.....ई० में मृत्यु हो गई और प्रतिवादी न० १ ने वादिनी की असहायता और इन बातों से परिचित न होने का अनुचित लाभ उठा कर अपना नाम अदालत माल के कागजों में केहरीसिंह के वजाय दर्ज करा लिया और वादिनी को यह विश्वास दिलाया कि उसने उन्हीं का नाम कागजों में दर्ज करा दिया है।

४—प्रतिवादी न० २ ने बक्राया लगान की एक डिगरी की इजराय में प्रतिवादी न० १ से मिल कर धोके से उस जमींदारी को नीलाम कराया और स्वयं खरीद लिया, इस मिलावट और धोके की कार्रवाई का भी वादिनी को पता नहीं चला और न वह उसमें कोई फरीक थी।

५—वादिनी केहरीसिंह की जायदाद की मालिक है और उस पर दखल और उसका अन्तर्गत लाभ पाने की अधिकारी हैं। प्रतिवादी न० १ का अपना नाम दर्ज कर लेने से और प्रतिवादी न० २ के नाम नीलाम हो जाने से वादिनी के विषय न्याय से कोई प्रभाव नहीं है।

६—अभियोग कारण (हिवानामा लिखे जाने के दिन से और मिलावट और धोके की कार्रवाई की सूचना होने के दिन से) ।

७—दावे की मालियत—

वादिनी प्रार्थी हैं कि—

(अ) नीची लिखी जायदाद पर उसके दखल दिलाया जावे।

(ब) मुबल्लिग ६००)।६० वार्षिक अन्तर्गत लाभ दिलाया जावे।

(क) नालिश का खर्चा दिलाया जावे।

(८) नीलाम खरीदने वाले का, दरख़ास्त और वासनात के लिये
मदयून और उससे मिले हुये खरीदार पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ने १४ अगस्त १९३४ ई० के लिखे हुए एक तमसुक के आधार पर प्रतिवादी नं० २ के ऊपर ७ अगस्त १९३७ ई० का दावा दायर किया और उसमें पेशी के लिये ५ सितम्बर १९३७ ई० नियत हुई, परन्तु सम्मन तामील न होने के कारण से पेशी नहीं हो सकी ।

२—वादी को उस समय मालूम हुआ कि प्रतिवादी नम्बर २ उसको हानि पहुँचाने के लिये अपनी ज़मींदारी बेचने का इरादा कर रहा है इसलिये उसने ७ सितम्बर १९३७ ई० को प्रतिवादी नं० २ की ज़मींदारी की, फैसले से पहिले ही कुरकी के लिये दरखास्त पेश की, जिसको अदालत ने जायदाद का उचित मूल्य न लिखने के कारण अस्वीकार कर दिया ।

३—यह कि अन्त में प्रतिवादी नं० २ के प्रतिवादी के बाद ६ नवम्बर १९३७ ई० को वादी का दावा डिगरी हुआ ।

४—वादी ने जिस डर से कुरकी की दरखास्त दी थी वह ठीक था और प्रतिवादी नं० २ ने डिगरी होने के ५ दिन पहिले ही नवम्बर १९३७ ई० को उसका ठेका धोके से प्रतिवादी नं० १ के नाम बहुत कम लगान पर लिख दिया ।

५—यह कि वादी ने १२ दिसम्बर सन् १९३७ ई० को कुर्की की दरखास्त ४३३ बीघा कुल रियासत ज़मींदारी की दी थी जिसको अदालत ने ता० ७ दिसम्बर सन् १९३७ ई० को उचित रूप से प्रमाणित न होने के कारण नार्मजूर कर दिया ।

६—यह कि प्रतिवादी नम्बर २ को इस कार्रवाई की सूचना मिलती रही और उसने १२ दिसम्बर सन् १९३७ ई० को उस जायदाद में से, पुख्ता २१ बीघा ६ बिस्वा आराज़ी का बैनामा और दूसरा बैनामा सन् १३४५ ई० से लेकर सन् १३४७ ई० तक के मुनाफे का प्रतिवादी नम्बर ३ के नाम फर्जी रूप से लिख दिये ।

७—यह कि प्रतिवादी नं० २ का प्रतिवादी नम्बर १ देवर, और प्रतिवादी नम्बर ३, समधिन और प्रतिवादी नम्बर ४ भाई व करिन्दा हैं, इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नम्बर ४, सूरजपुर गाँव के पटवारी का भाई है ।

८—यह कि वादी ने तीसरी बार दिसम्बर सन् १९३७ ई० के अंत में कुल ४३३ बीघा जमींदारी की कुर्की के लिये दरखास्त दी और ता० २२ नवम्बर

सन् १९३८ ई० को उसका नीलाम हुआ जो वादी ने खरीद किया और सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद वादी ने २३ मार्च सन् १९३९ ई० को दखल हासिल किया ।

९—यह कि ठेकानामा और ब्रैनामा दोनों दिखावटी हैं और मिलावट से लिखाये गये हैं और वह वादी के विरुद्ध वे असर हैं । वादी कुल हकीयत पर पूरा दखल पाने का हकदार है ।

१०—यह कि प्रतिवादियो ने वादी का पूरा दखल नहीं होने दिया इसलिये खरीदने की तारीख से नालिश करने के दिन तक, वादी अन्तर्गत लाभ पाने का हकदार है जिसकी सख्या नीचे लिखे हुये हिसाब से प्रगट होगी ।

११—बिनायदाबी (खरीदारी के दिन और जान्ते का दखल मिलने के दिन से) ।

१२—दावे की मालियत—

(अ) वादी को नीचे लिखी हुई हकीयत जमींदारी पर दखल दिलाया जावे और पहिली नवम्बर सन् १९३७ ई० का ठेका नामा और १३ नवम्बर सन् १९३७ ई० का ब्रैनामा वादी के विरुद्ध वेअसर करार दिये जावे । (हिसाब वासलात)

(९) मालिक का, ज़मीन पर दखल पाने और तामीर गिरवाने के लिये, नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले के ऊपर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है :—

१—मुहल्ला कड़ोरी फिरौजाबाद में प्रतिवादी का निवासग्रह है और उससे भिली हुई पूरब की ओर वादी की खाली जमीन है । मौके की कुल स्थिति दावे के साथ दिये हुये नक्शे से मालूम होती है ।

२—प्रतिवादी ने सितम्बर सन् १९.....ई० में अपना मकान गिराकर फिर से बनवाया और ऐसा करने में वादी की, उत्तर-दक्खिन दो गज आराजी और १२ गज जमीन पूरब-पच्छिम अपने मकान में दवा ली जो नक्शे में अ, ब, क, ख, अक्षरो से दिखाई गई है ।

३—वादी उस समय बाहर गया हुआ था, जब वापस आया तो प्रतिवादी के मकान की उत्तरी बुनियाद भरी जा रही थी ।

४—वादी ने जमीन को अनुचित रूप से मकान में दवा लेने से प्रतिवाद को मना किया लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगड़ा करने का तैयार हुआ ।

५—प्रतिवादी, वादी के नालिश करने के विचार की खबर पाकर दीवाल को बहुत बल्दी बनवा रहा है ।

६—अभियोग कारण—

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) वादी को २४ वर्ग गज भूमि (उत्तर-दक्खिन, २ गज और पूरव-पच्छिम १२ गज) पर प्रतिवादी की बनाई हुई दीवार इत्यादि को गिरवा कर दखल दिलाया जावे ।

(ब) नीचे लिखी हुई कुल तामीर प्रतिवादी के खर्चों से गिरा दी जावे और वादी की जमीन पहिले की सी हालत में करा दी जावे ।

(१०) गोद लेने वाली स्त्री की ओर से, वसीयतनामे को मनसूख करके, गोद लिये हुये लड़के और उसके वसीयत किये हुए मनुष्य के विरुद्ध, दखल के लिये दावा

ठकुरानी मान कुँअर

वादिनी

बनाम,

१—द्रगपालसिंह

२—कल्यानसिंह

} प्रतिवादी

वादिनी निम्नलिखित निवेदन करती है :—

१—वादिनी के पति ठाकुर रामप्रसादसिंह, हसनगढ़ी की नीचे लिखी हुई जायदाद के मालिक व काबिल थे ।

२—रामप्रसाद सिंह का २ अप्रैल सन् १९१३ ई० के देहान्त हुआ और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहिले अपने कुटुम्ब और वादिनी को वह वसीयत की थी जिसका विवरण १७ अप्रैल सन् १९१३ ई० के लिखे हुये इकगारनामे में दर्ज है ।

३—यह कि अपने पति के वसीयतनामे (मृत्यु लेख) के अनुसार वादिनी ने ता० २१ मार्च सन् १९१७ ई० के सर्दारसिंह के लड़के गोविन्दपालसिंह को इस शर्त पर गोद लिया कि यदि उसकी वादिनी के जीवित होते हुये मृत्यु हो जाय तो वादिनी उसी कुटुम्ब से दूसरा पुत्र गोद कर ले और इन शर्तों को मंजूर करके सर्दारसिंह ने गोविन्दपालसिंह को इकरार नामा लिख कर गोद दिया, और उसके वादिनी के जीवित होते हुए उसके पति रामप्रसादसिंह की मृत सम्पत्ति को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था ।

४—गोविन्दपालसिंह शुरु से ही एक निर्बुद्धि लड़का था और उसके अपनी हानि-लाम समझने या विचार करने की योग्यता नहीं थी और नरोत्तमजी और शराव पीने के कारण उसकी तन्दुदस्ती भी बिलकुल खराब थी ।

५—कल्याण सिंह प्रतिवादी नम्बर २ ने, जिसकी घेवती गोविन्दपालसिंह को व्याही थी और जो उसकी स्थिति जानता था, यह विचार करके कि गोविन्दपाल और हसनगढ़ी की जायदाद उसके कब्जे में आजावे उसके सन् १९२५ ई० से अपने पास रक्खा और उससे भूँटे कर्जों का इकत्राल कराया और रामप्रसादसिंह की जायदाद का अपने नाम ७ साल के लिये ठेकानामा लिखा कर उस पर अनुचित अधिकार कर लिया ।

६—इसके पश्चात् गोविन्दपाल की, कुसंगति से दशा और भी खराब हो गई और वह बीमार रहने लगा । अस्वस्थता, नरोत्तमजी और शराव की वजह से उसके अपने हानि-लाम समझने और किसी बात पर विचार करने की बिल्कुल शक्ति नहीं रही और प्रतिवादी नम्बर २ ने सन् १९२५ ई० से उसके अपने मकान से बाहर जाने या वादी अथवा अन्य किसी कुटुम्बी से मिलने का अवसर नहीं दिया ।

७—गोविन्दपालसिंह की ता०.....के मृत्यु हो गई । उसकी स्त्री भी उसके सात आठ महीने पहिले ही इसी दुःख में मर चुकी थी ।

८—गोविन्दपालसिंह के मरने से कुछ दिन पहिले प्रतिवादी नम्बर २ ने उसके जीवित रहने की आशा न देख कर लालच और जायदाद पर अनुचित अधिकार रखने के हेतु से गोविन्दपाल की बेहोशी और बद्धवासी की दशा में उससे एक वसीयतनामा द्रगपालसिंह के नाम गवाहों को मिला कर जो कि उसी के मित्र थे, तैयार कराया और उसमें कई कर्जों का भी मिथ्यावर्णन करा लिया । हसनगढ़ी की आमदनी और गोविन्दपाल सिंह के कम खर्च होने से कर्ज लेने की न कोई आवश्यकता थी और न कोई वास्तव में कर्जा लिवा गया ।

९—यह कि १७ अगस्त सन् १९२६ ई० का लिखा हुआ वैनामा बनावटी और भूँठा है और गोविन्दपालसिंह के ठीक होश हवास होते हुये बिकी पत्र नहीं लिखा गया और न गोविन्दपाल को वसीयतनामे का मजमून मालूम था । इसके अतिरिक्त वादनी के पति का वसीयत के अनुसार और सदर सिंह के प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार वह इस सम्पत्ति का पूरा मालिक नहीं था और न उसके वसीयत या परिवर्तन का अधिकार था और न उसने ऐसी कोई वसीयत की, क्योंकि उसके इतना समझने का विचार करने की शक्ति ही नहीं थी । -

१०—इसके पश्चात् प्रतिवादी ने कई कार्रवाई ऐसी की जिससे रामप्रसादसिंह की मृत सम्पत्ति का एक भाग बर्बाद हो चुका है और दिखावटी कर्जों की वजह से अन्य पुरुषों को हकदार दिखाया जाता है । गोविन्दपालसिंह के किसी ठेकेनामे

इत्यादि के विनाय पर प्रतिवादी को उस पर काबिज़ रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

११—गोविन्दपालसिंह की मृत्यु के बाद वादी ने दाखिल खारिज की दरखास्त दी और प्रतिवादी के एतराज करने पर उसके इन सब बातों का और वसीयतनामे के लिखाये जाने का ज्ञान हुआ ।

१२—प्रतिवादी की इस अनुचित कार्रवाई से वादी के पति की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और अन्य पुरुषों के पास जायदाद चले जाने का भय है और रामप्रसादसिंह की कुटुम्बी पीढ़ी स्थिर नहीं रह सकती और न उसका कोई श्राद्ध और तर्पण करने योग्य पुरुष रहता है ।

१३—वादी के पति की वसीयत-के अनुसार गोविन्दपाल की मृत्यु के बाद वादिनी उस जायदाद पर कब्जा पाने और दूसरा लड़का गोद लेने की अधिकारी है और प्रतिवादी का कब्जा नाजायज़ है । उससे कब्जा छोड़ने के लिये कहा गया लेकिन वह ध्यान नहीं देता ।

१४—अभियोग कारण (गोविन्दपाल की मृत्यु के दिन से और वसीयतनामे इत्यादि की कार्रवाई की सूचना होने के दिन से) ।

१५—दावे की मालियत—

वादिनी प्रार्थी है कि—

(अ) उसके रामप्रसादसिंह की नीचे लिखी हुई जायदाद पर दखल व कब्जा दिलाया जावे ।

(ब) प्रतिवादी के नाम वसीयतनामा, वादिनी के विरुद्ध बेअसर और मंसूख करार दिया जावे ।

(जायदाद का विवरण)

३७—स्वत्व घोषणा (इस्तकरा) की साधारण नालिशे

यदि एक पुरुष की मिल्कियत या किसी दूसरे हक पर किसी अन्य पुरुष के किसी कार्य के कारण कोई क्षति पहुँचती हो या भविष्य में क्षति पहुँचने का भय होता हो, तो वह इस्तकरार की नालिश कर सकता है। परन्तु ध्यान रहे कि यदि प्रतिवादी के शिकायती काम से वादी जायदाद से बेदखल हो या वह इस्तकरार के अतिरिक्त अदालत से अन्य प्रार्थना भी कर सकता हो तो ऐसी नालिश नहीं चल सकती।¹ हिन्दुस्तान के प्रायः सभी हाई कोर्टों की पहले यह राय थी कि इस्तकरार की डिगरी धारा ४२ निर्दिष्ट प्रतिकार विधान (दफा ४२ कानून दादरसी खास) के अनुषार ही सादिर की जा सकती है और अदालत उस दफा के अतिरिक्त डिगरी सादिर नहीं कर सकती।² परन्तु मद्रास हाईकोर्ट की राय शुरू से ही यह है कि अदालत दफा ४२ कानून दादरसी खास के अतिरिक्त भी इस्तकरार की डिगरी सादिर कर सकती है।³ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक फुलवेन्व फैसले से यही राय ग्रहण की है।⁴

दफा ४२ कानून दादरसी खास के अनुसार प्रायः दो ही प्रकार के इस्तकरार हो सकते हैं, (१) किसी कानूनी हैसियत के निस्वत और (२) किसी जायदाद में किसी हक या अधिकार के निस्वत, इसलिये उस दफे के अनुसार यह इस्तकरार नहीं किया जा सकता कि वादी अमुक परीक्षा में सफल या उत्तीर्ण हो चुका है।⁵ या कि वादी किसी जायदाद पर चलपूर्वक कानिज है।⁶ इसलिये वादी को दफा ४२ के दावा में लिखना चाहिये कि उसका क्या हक है जैसा हक मिल्कियत या पट्टा या हक मुर्तहिन इत्यादि या कि वादी कोई कानूनी हैसियत रखता है जैसे कि किसी का दत्तक पुत्र या किसी नाबालिग (अवयस्क) का वली या ट्रस्टी इत्यादि। यह भी लिखना चाहिये कि प्रतिवादी वादी का हक स्वीकार नहीं करता या कि उसके विरुद्ध कार्य करता है।

इस्तकरार के लिये वादी का जायदाद पर कानिज होना जरूरी होता है और जो अर्जीदावा में लिखना चाहिये वरना इस्तकरार वा दावा नहीं चल सकता।⁷ और वादी को दखल की प्रार्थना करनी चाहिये।⁸ ऐसी प्रार्थना उचित कोर्ट

1 Sec 42, Specific Relief Act

2 A I R. 1931 All 83, 1928 Cal 68, I L R 12 Pat 359

3 A I R. 1935 Mad 964.

4 1933 A L J 673, F B

5 23 A L J 219

6 45 I C 303

7. I L R 3 Pat 915

8 I L. B. 36 All. 312

फिस देने पर ही दावे में बढ़ाई जा सकती है।¹ परन्तु जहाँ मगड़े वाली जायदाद पर वादी और प्रतिवादी में से किसी का कब्जा न हो तो वादी को दखल की प्रार्थना आवश्यक नहीं है।²

इस्तकरार की आवश्यकता भिन्न भिन्न दशाओं में प्रतीत होती है। एक साधारण दशा यह है जब कि डिगरीदार अपनी डिगरी में किसी जायदाद को अपने निर्णीत ऋणी (मद्यून) की कह कर कुर्क व नीलाम कराता है और जायदाद के मालिक की उज्जदारी इजराय डिगरी में खारिज हो जाती है या किसी अन्य पुरुष की उज्जदारी पर अदास्त उस जायदाद को छोड़ देवे, दोनों दशाओं में उज्जदार या डिगरीदार इस्तकरार का दावा आर्डर २१ नियम ६३ चास्तादीवानी के अनुसार दायर कर सकते हैं। इसी प्रकार नीलाम होने के बाद आर्डर २१ कायदा १०३ व्यवहार-विधि-संग्रह (चास्ता दीवानी) के मुताबिक इस्तकरार के दावे किये जा सकते हैं आर्डर २१ कायदा ६३ के मुकदमों में यदि दावा डिगरीदार की तरफ से हो तो, मद्यून डिग्री का फरीक बनाना जरूरी नहीं होता लेकिन यदि दावा किसी अन्य पुरुष की तरफ से हो तो मद्यून डिग्री को मुकदमें में फरीक बनाना चाहिये।³ इन दावों में सबूत का भार प्रायः वादी पर होता है।

सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा ५३⁴ के अनुसार परिवर्तन को खंडित कराने और इस्तकरार के लिये दावे किये जाते हैं और इन्साल्पेन्सी के रिसीवर भी इस्तकरार और परिवर्तन को खंडित कराने के दावे करते हैं। इसी प्रकार बोखा या फरेव से प्राप्त की हुई डिगरी के विरुद्ध इस्तकरार कराने की आवश्यकता होती है। इस भाग में इन सब प्रकार की नालिशों के नमूने दिये गये हैं। ध्यान रहे कि इस्तकरार करना अदालत की विचार शीलता उपशमन (अख्तियारी वादरसी) है और इस्तकरार स्वत्वारूप नहीं माँगा जा सकता। यदि कोई उससे लाभ न हो तो इस्तकरार नहीं दिया जाना चाहिये।

मियाद—इस्तकरार की नालिश के लिये कानून मियाद की परिशिष्ट १ में बड़ी विशेष आर्टिकल नहीं है इसलिये ये दावे साधारण आर्टिकल १२० के अनुसार ६ साल के अन्दर दायर किये जाते हैं।⁵ परन्तु आर्डर २१ नियम ६३ व १०६ जास्ता दीवानी की नालिशों के लिये १ साल की मियाद नियत है।⁶ और डिगरी व हुकम की मन्सूखी के इस्तकरार के लिये एक साल की मियाद है। दस्तावेजों को मन्सूख कराने के लिये मियाद ३ साल है।

1 A I R 1932 Lah 255

2 A I R 1926 Oudh 43, 1933 Pat 259

3 I L R 28 All 41.

4 Sec 53, Transfer of Property Act.

5 I. L R 54 Bom 4, 2 Pat 391; 20 Cal 906

6. Art 11, Limitation Act

कोर्ट-फीस—आर्डर २१ नियम ६३ व्यवहार-विधिसंग्रह के दारों में जहाँ पर जायदाद की मालियत डिगरी की मुतालवे (रुपये) से अधिक हो तो मुकदमें की मालियत डिगरी का रुपया नियत करना चाहिये, लेकिन जहाँ पर ऐसी जायदाद की मालियत डिगरी के मुतालवे से कम हो तब अदालत के दर्शनाधिकार के लिये वही मालियत नियत करनी होती है लेकिन नियत कोर्टफीस अर्टिकल १७ (१) कोर्टफीस एक्ट से लगता है (संयुक्त प्रान्त में दावे की मालियत पर आधा कोर्ट-फीस लिया जाता है) ।^१

(१) व्यवहार-विधि-संग्रह के आर्डर २१ नियम ६३ के अनुसार

असफळ उज्रदार का इस्तफरार के लिये दावा

(ORDER XXI, RULE 63, C. P. C.)

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी पूरा मालिक है ।

२—इस जायदाद के प्रतिवादी (अ—ब—) ने अपनी डिग्री नम्बरी अदालत... . वनाम (क—ख—) की इजराय में ता०को कुर्क कराया ।

३—वादी ने इस कुर्की की निसयत जावता दीवानी के आर्डर २१ कायदा ५८ के अनुसार उज्रदारी पेश की लेकिन अदालत ने उसको सरकारी तौर से ता०को नामजूर कर दिया ।

४—इस जायदाद में (क—ख—) मदयून का कोई हक नहीं है और वादी जायदाद की मिलाकियत के बारे में अपने हक का इस्तफरार करा सकता है ।

५—विनायदावी (उज्रदारी नामजूर होने के दिन से) ।

६—दावे की मालियत (अदालत के अधिकार के लिये जायदाद की कीमत या डिग्री का रुपया होगी, लेकिन इस्तफरार का नियत कोर्ट फीस दिया जावेगा) ।
वादी प्रार्थी है कि—

(अ) इस बात की घोषणा की जावे कि नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी पूरा मालिक है और डिग्री नम्बरी.....अदालत.....(अ—ब—) डिग्रीदार वनाम (क—ख—) मदयून की इजराय में वह जायदाद कुर्क व नीलाम नहीं हो सकती ।

(जायदाद का विवरण)

(२) इसी प्रकार का डिग्रीदार की ओर से इस्तफ़रार के
लिये दावा
(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी की एक डिग्री नगवरी.....अदालत.....की सादिर की हुई
(क—ख—) के ऊपर है ।

२—इस डिग्री के इजराय में वादी ने नीचे लिखी हुई जायदाद को (क—ख—)
श्रृण्णी के नाम से कुर्क कराया ।

३—प्रतिवादी ने छपने आपको उसका मालिक और उसको कुर्क न होने के
योग्य प्रगट किया और उज्रदारी की जो ता०.....को सरसरी में मजूर हो गई और
जायदाद कुर्क से बच गई ।

४—कुर्क की हुई जायदाद का असलियत में (क ख—) मदयून वादी का
निर्णीत-श्रृण्णी मालिक व काबिज है और वह वादी की डिग्री में कुर्क व नीलाम हो
सकती है ।

५—दावे का कारण (उज्रदारी मजूर होने के दिन से) ।

६—दावे की मालियत (जैसा कि नमूना नम्बर १ में है) ।

वादी की प्रार्थना (ऊपर की धारा नम्बर ४ के अनुसार)

(३) डिग्रीदार और मदयून के ऊपर, परिवर्तन करने
के हक के इस्तफ़रार के लिये नाबिज्ञ

(ORDER XXI, RULE 63, C. P. C.)

(सिरनामा)

वादी नीचे लिखी अर्ज करती है :—

१—वादी का निकाह प्रतिवादी द्वितीय पक्ष से मई सन् १९३२ ई० में हुआ
और उसका “ दैन महर सुवञ्जल ”.....सुबलिया रु० करार पाया ।

२—“ दैन महर ” के कुछ हिस्से के बदले में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने अपनी
कुछ जायदाद वादी के हाथ ता० १० जून सन् १९३५ ई० को बै कर दी जिस पर उसी
रोज से वादी काबिज है ।

३—बकाया दैन महर के बदले में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने अपनी जायदाद
स्थित जिसकी तफसील नीचे दी जाती है ता०... . को बैनामा लिखकर बै
कर दी और उस पर उसी रोज से वादी काबिज है ।

४—नीचे लिखी हुई जायदाद को प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने अपनी नकद रुपये की डिग्री नम्बरी.....ता०.....अदालत.....की इबराय में अपने निर्णीत ऋणी, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के नाम से कुर्क कराया ।

५—वादी ने आर्डर २१ नियम ५८ व्यवहार-विधि-संग्रह के अनुसार उज्रदारी पेश की लेकिन वह ता०.....को सरसरी तौर पर नामंजूर हो गई ।

६—इस जायदाद में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का कोई हक नहीं है और न वह उस पर क्राबिज है । वादी उसकी मालिक और क्राबिज है- और इसी का इस्तकारर कराने की हकदार है ।

७—बिनायदावा (उज्रदारी नामंजूर होने के दिन से) ।

८—दावे की मालियत (जैसा कि नमूना नम्बर १ में है) ।

वादी की प्रार्थना—

(धारा नम्बर ६ के अनुसार)

(४) किसी जायदाद के एक हिस्से के नीलाम के क्राबिज न होने के इस्तकारर के लिए नाबिज

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करते हैं—

१— एक मंजिल पक्का मकान स्थित मुहल्लाशहर.....वादिनी और प्रतिवादी नम्बर २ का मौरूसी व मुश्तर्का था और उसमें वादी का १ हिस्सा और प्रतिवादी नं० २ का १ हिस्सा नीचे लिखी वशावली के अनुसार था ।

(यहाँ पर व शावली देनी चाहिये)

२—वादी को मालूम हुआ है कि प्रतिवादी नम्बर २ ने अपने अधिकार विरुद्ध कुल मकान को प्रतिवादी नम्बर १ के यहाँ आड़ कर दिया है और उसने डिग्री हाबिल करके २६ सितम्बर सन् १९३५ ई० को कुल मकान नीलाम के लिये चढ़वाया है ।

३—प्रतिवादी नम्बर २ को १ हिस्से के अतिरिक्त मकान आड़ करने का कोई अधिकार नहीं था ।

४—कुल मकान के नीलाम हो जाने से वादी के अधिकार व हक पर हानि पहुँचने का भय है ।

५—अभियोग कारण (२४ सितम्बर सन् १९३५ ई०, नीलाम की कार्रवाई मालूम होने के दिन से) ।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी हैं कि—

(अ) इस बात का इस्कारार किया जावे कि एक मंज़िल पक्का मकान स्थित मुहल्ला.....शहर.....में से ३ हिस्से के वादीगण मालिक व कानिज़ हैं और वह इजराय डिग्री नम्बरी.....अदालत..... सीताराम डिग्रीदार बनाम खुशहालीराम मदयून में नीलाम नहीं हो सकता ।


(५) उत्तराधिकार के घोषित किये जाने के लिये दावा

(See Sec. 25, Succession Certificate Act)

श्रीमती पार्वती वादी बनाम	१—सुसम्मात रामप्यारी २—सुसम्मात कटोरी ३—अयोध्या प्रसाद ४—सुसम्मात श्यामवती	} प्रतिवादी
---------------------------	---	-------------

श्रीमती पार्वती वादी निम्नलिखित निवेदन करती है —

१—दोनों पक्षों की वंशावली यह है—



२—दोनों पक्षों के पुरखा मञ्चूमल नीचे लिखी हुई जायदाद स्थित कस्बा कासगंज के मालिक व अधिकारी थे ।

३—मञ्चूमल का पुत्र रामचरण उनके जीवित रहते ही मर गया था । श्रीमती श्यामवती रामचरण की विधवा है ।

४—मञ्चूमल ने अपनी दोनों पुत्रियों, सुसम्मात रामप्यारी व कटोरी का विवाह अपने जीवन ही में कर दिया था और मार्च सन् १९३१ ई० में उनकी मृत्यु हो गई ।

५—मञ्चूमल की मृत्यु के समय वादी अवयस्क (नाबालिग) और अविवाहित थी । वह कुल मृत सम्पत्ति की मितान्तर धर्मशास्त्र के अनुसार मालिक व अधिकारिणी हुई ।

६—वादी का विवाह श्री कुन्दनलाल के साथ हुआ जो कि उसका संरक्षक है और कुन्दनलाल ने जमी अलीगढ़ में पार्वती की ज्ञात व जायदाद के संरक्षक होने का सर्टिफिकेट के लिये दरखास्त पेश की और उसमें उसके पिता से मिली हुई कुल जायदाद दिखलाई ।

७—प्रतिवादी नम्बर १ व २ ने उज्रदारी की और ता० २० दिसम्बर सन् १९३३ ई० को कुन्दनलाल को श्रीमती पार्वती की व्यक्ति और मञ्चूमल की मृत सम्पत्ति में से एक तिहाई हिस्से के संरक्षक होने का सर्टिफिकेट मिल गया और दो तिहाई हिस्से की जायत उसके उचित अदालत से इस्तक्रार कराने की आज्ञा हुई ।

८—वादी कुल मृत सम्पत्ति की मालिक व कायिज्ञ है और अपने हक का इस्तक्रार करने की हकदार है ।

९—प्रतिवादी नम्बर ३ व ४ का उस जायदाद में कोई हक नहीं है लेकिन आगे का भगड़ा मिटाने के लिये उनको भी फ़रीक बनाया गया है ।

१०—अभियोग कारण मञ्चूमल के देहान्त के दिन से उत्पन्न हुआ है परन्तु उसका प्रभाव २० दिसम्बर सन् १९३३ ई०, दायभागी की दरखास्त मंजूर होने के दिन से हुआ ।

११—दावे की मालियत (जैसा कि नम्बर १ में) ।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) अदालत से यह घोषित किया जावे कि मञ्चूमल की नीचे लिखी हुई मृत सम्पत्ति में एक तिहाई हिस्से के अतिरिक्त जिसका सर्टिफिकेट वादी को मिल गया है बकाया दो तिहाई हिस्से में प्रतिवादियों का कोई स्वत्व नहीं है और उन हिस्सों की भी मालिक व अधिकारिणी वादी है ।

(ब) खर्च नालिश इत्यादि दिलाया जावे ।

(जायदाद का विवरण)

(६) लेनदारों से बचने के लिये किये हुए परिवर्तन की मन्सूखी के लिये, एक लेनदार का दावा

(Sec. 53, Transfer of Property Act.)

(सिरनामा)

अ—ब—वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी नं० २ वादी और दूसरे मनुष्यों का कर्जदार है और उसके ऊपर २००००) रुपया के करीब कर्जा है ।

२—प्रतिवादी नं० २ के पास नीचे लिखी हुई जायदाद है, जिसकी क्रीमत करीब १५०००) रु० होती है।

३—उक्त प्रतिवादी ने कर्जा मारने व लेनदारों को परेशान करने की नीयत से इस कुल जायदाद का ता०.....के प्रतिवादी नम्बर १ के नाम ब्रैनामा लिख दिया।

४—प्रतिवादी नं० १, प्रतिवादी नं० २ की स्त्री है। उसका "देन महर" का मतालबा बहुत थोड़ा था जो कि बहुत दिन हुये बेबाक हो गया था। ता०..... का लिखा हुआ १००००) रु० में "देन महर" की बाबत ब्रैनामा फर्जी व दिखावटी है।

५—प्रतिवादी नम्बर २ का उस जायदाद पर कब्जा जैसे पहिले था वैसे ही चला आता है और वही उसकी तहसील वसूल, मालगुजारी व बन्दोबस्त करता है।

६—ब्रैनामा के बिना एतराज़ पड़े रहने से वादी व दूसरे कर्जा देने वाले मनुष्यों को हानि पहुँचने का भय है।

७—प्रतिवादी नम्बर ३ व ४ प्रतिवादी नम्बर २ को कर्जा देने वाले मनुष्यों में से हैं। चूँकि वह नालिश में शामिल नहीं हुये इसलिये नालिश की तरतीब के लिये उनके भी प्रतिवादी बना लिया गया है।

८—अभियोग कारण (ब्रैनामा लिखने के दिन से)।

९—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

- (अ) ता०.....का, द्वितीय प्रतिवादी का लिखा हुआ ब्रैनामा वादी और दूसरे लेनदारों के विरुद्ध खंडित और बेअसर घोषित किया जावे।

(७) लेनदार का ऋणी के परिवर्तन को मन्सूख करने के लिये दावा

१—प्रतिवादी नम्बर २ वादी का ऋणी है और उसकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है।

२—उक्त प्रतिवादी ने ता०.....के अपनी कुल जायदाद का एक दान पत्र प्रतिवादी नम्बर १ एक मूर्ति के नाम लिख दिया और उससे अपने आप को मुतबल्ली और प्रबन्धक नियत करके उस पर स्वयं अधिकारी बन गया और उससे लाभ उठाता है।

३—वह दानपत्र प्रतिवादी नं० २ ने अपनी जायदाद ऋण-दाताओं से बचाने के लिये और उनका रुपया मारने के लिये लिखा है। वास्तव में वह स्वयं उस जायदाद

पर मालिक की हैसियत से काबिज़ है और उसकी आमदनी अपने काम में लाता है।

४—यह दानपत्र बिना मन्सूख पड़े रहने से वादी को हानि पहुँचने का भय है।

(८) लेनदार का, मद्यून और उसके पट्टेदार के ऊपर पट्टे के बेअसर और खंडित घोषित किये जाने के

क्रिये नालिश

(T. P. Act, Sec. 53.)

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी नं० २ मौरूसी किसान है और उस पर वादी का कर्ज़ा लगभग १५००) रु०, ता० १० फरवरी सन् १९३३ ई० के लिखे हुये सादा दस्तावेज़ के विनाय पर है।

२—वादी ने उस दस्तावेज़ की नालिश प्रतिवादी नम्बर २ पर ता० ८ जनवरी १९३६ ई० को दायर की लेकिन प्रतिवादी ने उसके सम्मन की तामील जान बूझ कर बहुत दिनों तक नहीं होने दी।

३—नालिश के दौरान में ता० ११ मार्च सन् १९३६ ई० को प्रतिवादी नं० २ ने अपनी कुल जमीन का पाँच साल के लिए पट्टा २००) रु० सालाना लगान पर प्रतिवादी नम्बर १ के नाम लिख दिया।

४—१सी २५०) रु० में से १९०) रु० ज़मींदार को लगान और १५) रु० मुनाफा काश्तकारी प्रतिवादी नम्बर २ को देना पट्टे में लिखा गया है। असलियत में वह ज़मीन ५००) रु० सालाना लगान की है।

५—प्रतिवादी नं० १, प्रतिवादी नं० २ का सम्बन्धी है और उसके वादी का प्रतिवादी नं० २ पर कर्ज़ा होने का ज्ञान है।

६—यह पट्टा वादी की नालिश दायर हो जाने के बाद उसका रुपया मारने और उसको भुगड़ने में डालने के लिये लिखा गया है और उसके बिना एतराज़ पड़े रहने से वादी को हानि पहुँचने का डर है।

७—अभियोग कारण.....(पट्टा लिखने के दिन से)।

८—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—(पट्टे के नाजायज़ और बेअसर होने के इस्तफ़रार के लिये)।

(९) रिसीवर का, इन्माजवेन्ट के फर्जी इन्तकाज को नाजायज करार दिये जाने के लिये दावा

(सिरनामा)

पं० कन्हैयालाल, रिसीवर रियासत सालिगराम इन्सालवेन्ट - वादी ।

बनाम

- १—बद्रीदास
२—श्रीमती मेहरी
३—जैशंकर
४—सालिकराम
- } प्रतिवादी

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी नम्बर ४ अदालत जजी अलीगढ़ से ता० १४ मार्च सन् १९३४ ई० को देवालिया करार दिया गया और वादी उसकी रियासत का अदालत से रिसीवर नियत किया गया और उसी ता० ... से रिसीवरी का कार्य करता है ।

२—ता० १० अगस्त सन् १९२० ई० का जैशंकर, प्रतिवादी नम्बर ३ का लिखा हुआ सालिकराम के नाम ५००) रुपया का एक रहननामा था जिसमें ऋणी की नबीपुर की कुछ हकीयत आइ थी ।

३—सालिकराम की आर्थिक दशा देवालिया करार दिये जाने से दो. तीन साल पहिले बहुत खराब थी और उसने वेईमानी से अपने ऊपर ऋण का रुपया मारने के लिये, उस दस्तावेज की नालिश, नम्बरी ३१ सन् १९३२ ई० अपनी बहिन श्रीमती मेहरी के नाम से जैशंकर के ऊपर इस बयान से कराई की वास्तव में उसकी मालिक श्रीमती मेहरी है और उसका नाम फर्जीतौर से लिख दिया गया है ।

४—सालिकराम ने उस नालिश में ६ फरवरी सन् १९३२ ई० को इसी प्रकार का बयान देकर उसकी डिग्री श्रीमती मेहरी के नाम सादिर करा दी ।

५—इसके बाद सालिकराम ने उस डिग्री का दिखावटी और फर्जी बिक्री-पत्र श्रीमती मेहरी से अपने पास के सम्बन्धी बद्रीदास प्रतिवादी नम्बर १ के नाम २६ फरवरी सन् १९३२ ई० को लिखा कर रजिस्ट्री करा दिया और उस नालिश की इजराय की कार्रवाई बद्रीदास डिग्रीदार के नाम से होती रही और अब उसी इजराय में आइ की हुई सम्पत्ति नीलाम पर चढ़ी हुई है ।

६—श्रीमती मेहरी के नाम से डिग्री और बद्रीदास के नाम से इजराय डिग्री और वैनाने की कार्रवाई सालिकराम ने धोके से दिखावटी और फर्जी अपने कर्जदारों का रुपया मारने के लिये की है । यह सब कार्यवाही उसकी रियासत के रिसीवर वादी के विरुद्ध नाजायज और बेअसर है और वादी उसको मन्सूख कराने का अधिकारी है ।

७—विनायदावी (फर्जी कार्रवाई की इत्तला होने के दिन से) ।
दावे की मालियत (जैसा कि इस भाग के नमूना नम्बर १ में है) ।

वादी प्रार्थी है कि --

इस बात का इस्तक्रार किया जावे कि १० अगस्त सन् १९३२ ई० के लिखे हुये रहननामे और उसकी डिग्री नम्बरी ... अदालत.....का मालिक सालिकराम प्रतिवादी नम्बर ४ है और वादी उसकी रियासत का रिसीवर होने की हैसियत से डिग्री जारी कराने का हकदार है ।

(१०) असफळ उज्रदार का इन्सालवेन्ट के रिसीवर के

ऊपर दावा

(सिर्नामा)

१—वादी नीचे लिखी जायदाद का मालिक और उसके ऊपर काबिज है (यहाँ पर जायदाद का विवरण देना चाहिये) ।

२—वादी ने यह जायदाद ता०.... के बैनामा लिखा कर एक मनुष्य रूपराम से खरीद की थी और उसी दिन से उस पर वह काबिज और अधिकारी है ।

३—(यदि वादी ने कोई मकान इत्यादि बनवाया हो या कोई तबदील कराई हो तो वह भी लिखना चाहिये) ।

४—रूपराम का, लगभग एक साल हुआ कि दिवाला निकल गया और वह अदालत जजी से इन्सालवेन्ट करार दिया गया और उसी अदालत से प्रतिवादी उसकी रियासत का रिसीवर नियत किया गया ।

५—प्रतिवादी ने उस जायदाद पर यह कह कर कि वादी के नाम लिखा हुआ बैनामा फर्जी व नुमायशी है और असिलियत में उस जायदाद का मालिक रूपराम इन्सालवेन्ट है कब्जा करना चाहा और कब्जा दिलाने के लिये साहब जज को रिपोर्ट भी की ।

६—उस अदालत से वादी के नाम नोटिस जारी हुआ और वादी ने अपने हक की बात मालिक व काबिज होने की उस अदालत में उज्रदारी पेश की ।

७—परन्तु उस अदालत ने वादी की उज्रदारी को नामन्जूर करके रिसीवर को कब्जा दिलाने का हुक्म दिया और वादी को नम्बरी नालिश करके अपना स्वत्व प्रमाणित करने की हिदायत की ।


८—वादी के नाम का बैनामा सही और असली है और मुआवजा देकर लिखाया गया है । वादी अब तक उस जायदाद पर काबिज है और अपने मालिक होने का इस्तक्रार कराने का हकदार है ।

(११) अनाधिकारी पुरुष के लिखे हुए बँनामै का नाजायेंज़ करार देने के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी और प्रतिवादी नं० २ की वंशावली नीचे लिखी है—



१—हरलाल और उसके दो नन्हेके ए ६ हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य थे और २३ दि०वा नीचे लिखी हुई जमींदारी खाता खेवट नं० १ पट्टी जीवाराम स्थित मौज़ा हेतपुर परगना.....जिला.....में उनकी जायदाद थी ।

२—नौवत को तीन और हरलाल को एक वर्ष के लगभग हुए होंगे कि कुटुम्ब के अविभक्त रहते हुये दोनों का देहान्त हुआ और वादी बची हुई जायदाद का मालिक व अधिकारी हुआ ।

४—वादी नाबालिग (अवयस्क) है और वादी की माँ अर्थात् प्रतिवादी नं० २ एक अनपढ़ व बेसमझ स्त्री है । प्रतिवादी नं० १ ने प्रतिवादी नं० २ को बहका कर और धोके में डाल कर उस जायदाद का बँनामा ता०.....को लिखाकर अपने नाम करा लिया और उसमें अपने मतलब के लिये असत्य बातें लिखाली हैं ।

५—भगडेलू जायदाद की क्रीमत लगभग ५०००) रु० होगी और तीन हजार रुपया में बँनामा लिखा दिखाया गया है परन्तु कोई रुपया प्रतिवादी नं० २ को नहीं दिया गया । यदि कोई अशित रुपया प्रतिवादी नम्बर २ को दिया भी गया हो तो वादी के लिये उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और उससे वादी को किसी प्रकार का लाभ पहुँचा ।

६—प्रतिवादी नं० २ को वै करने का कोई अधिकार नहीं था । बँनामा बिना आवश्यकता के कम क्रीमत पर धोका और फरेब में डाल कर लिखाया गया है इसलिए वह खंडित व बे असर है ।

७—उस जायदाद पर प्रतिवादी नम्बर १ का नाम दाखिल खारिज नहीं हुआ उस पर “ वास्तविक अधिकार ” ठेकेदार का है जो हरलाल के ज़माने से १५ साल के ठेकनामा के अनुसार सन्.....फ़० से.....फ़० तक अधिकार चला आता है ।

८—बैनामा के बिना मसख रहने से वादी को हानि पहुँचने का भय है।

९—बिनायदावा (बैनामा के रजिस्ट्री होने के दिन में)।

१०—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी न० २ का प्रतिवादी न० १ के नाम ता०.....का लिखा हुआ बैनामा वादी के विरुद्ध खडित और वेअसर घोषित किया जावे।

(ब) नालिश का खर्चा दिलाया जावे।

(१२) डिग्री के मदयूनों में आपसी जुम्मेदारी के इस्तफ़रार के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी का पूर्वाधिकारी, डाली नीचे लिखी हुई जमीन (या संपत्ति) न० १, २ व ३ स्थित ग्राम या नगर... .. का मालिक व काबिज था।

२—यह तीनों जमीन डाली की तरफ से ७ जनवरी सन् १९३३ ई० के लिखे हुये रहननामे से २०००) रुपया में सूद दर १) रुपया सैकड़ा माहवारी के हिसाब से एक मनुष्य केवलराम के पास बिना दखली रहन थी।

३—उक्त डाली ने जायदाद नम्बर २ व ३ को बचाने के लिये जायदाद नम्बर १ को १९ जून १९३४ ई० को बैनामा लिख कर प्रतिवादी के हाथ बेच दिया और कीमत के रुपया में से १७५०) रुपया ७ जनवरी सन् १९३३ ई० के रहननामे की बेवाकी के लिये प्रतिवादी के पास अमानत में छोड़े।

४—इस बैनामे की तारीख से प्रतिवादी उस जायदाद पर काबिज व मालिक हैं और उसकी आमदनी से लाभ उठाते हैं परन्तु उन्होंने ७ जनवरी सन् १९३३ ई० के रहननामे का रुपया बेवाक नहीं किया।

५—उक्त रहननामे की व अन्य दो रहननामे के आधार] पर, जो डाली के लिखे हुये थे और जिसमें १ व २ नम्बर की जायदाद रहन थी, केवलराम ने अदालत.....में दावा नम्बरी ६१ सन् १९४० ई० दायर किया, जो १५ जून सन् १९४० ई० को डिग्री हुआ।

६—उस डिग्री में ३३८१) ६० ७ जनवरी सन् १९३३ ई० के लिखे हुये क़िफ़ालती दरतावेज़ की वाबत और १५ सितम्बर सन् १९४० ई० से लेकर बसूल होने के दिन तक सूद ४३

३) ६० सै० सालाना की दर से अदा करने और ब्याज न अदा करने की हालत में आढ़ की हुई जायदाद नम्बरी १ व २ व ३ के नीलाम होने का हुकम हुआ ।

७—डिग्री के मतालवा के अदा होने की अवधि समाप्त हो गई और प्रतिवादियों ने रजिस्ट्री नोटिस देने पर भी मतालवा अदा नहीं किया और न अदालत में जमा किया ।

८—प्रतिवादी मतालवा अदा करने के जुम्मेवार हैं । वह ऋण अदा करने से इनकार करते हैं और वादी को हानि पहुँचाने और कुल जायदाद उस ऋण के अदा होने के लिये नीलाम पर चढ़वाना चाहते हैं ।

९—त्रिनाथ दावा (डिग्री सादिर होने और अदायगी की मियाद के दिन से) ।

१०—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) इस बात का इस्तकरार किया जावे कि ७ जनवरी सन् १९३३ ई० के रहन-नामे की बाबत जो डिग्री अदालत सिविल जजी अलीगढ़, नम्बरी ६१ सन् १९४० ई०, ता० १५ जून सन् १९४० ई० को सादिर हुई है उसके देनदार प्रतिवादी हैं ।

(ब) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे ।

(१३) धोखे से नीलाम के सर्टीफिकेट में नाम लिखा देने पर इस्त. रार के लिये

(Sec. 66, Civil Procedure Code)

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी नाबालिग है और वादी की सरसक (वली) उसकी माँ, एक पर्दानशीन स्त्री है ।

२—प्रतिवादी, वादी का सौतेला भाई है । वह वादी की माँ की तरफ से कारिन्दा के रूप में वादी का काम करता था ।

३—इजराय डिग्री नं०.....अदालत..... . बनाम.....में मदयून ... की जायदाद नीलाम पर सही और वादी के सरसक ने उसके वादी के वास्ते खरीदना चाहा ।

४—ता०... . को, नीचे लिखी हुई जायदाद (यहाँ पर जायदाद का विवरण लिखना चाहिये) वादी ने प्रतिवादी की मारफत.....६० में नीलाम में, खरीद ली और नीलाम के दिन चौथाई धन, और शेष तीन हिस्सा अदालत में दाखिल किया और ता०.....को नीलाम मजूर हो गया ।

५—वादी के बली ने उक्त संपत्ति खरीदने का सारटिफिकेट अदालत से ता०..... का प्राप्त किया । उसके देखने से मालूम हुआ कि प्रतिवादी ने बदनीयती और धोखे से सारटिफिकेट नीलाम में अपना नाम बलौर खरीदार दर्ज करा लिया है ।

६—नीलाम की खरीदारी में प्रतिवादी ने वादी के रुपये से, उसी के लिये उसके कारिन्दा होने की वजह से अपना नाम सारटिफिकेट नीलाम में वेईमानी और धोखे से दर्ज कराया है और वादी इसी बात का इस्तकरार कराने का अधिकारी है ।

७—बिनायदावा (धोखे की कार्रवाई मालूम के होने के दिन से) ।

८—दावे की मालियत (जैसा कि नमूना न० १ में) ।

वादी प्रार्थी है कि—

यह इस्तकरार किया जावे कि नीचे लिखी हुई जायदाद का खरीदार वादी है और नीलाम के सारटिफिकेट में प्रतिवादी का नाम धोखे से दर्ज हो गया है ।

(१४) धोखे से हासिल की हुई डिग्री को मन्सूख व वेअसर करार दिये जाने के लिये नासिख

१ - प्रतिवादी ने एक नालिश न०.....सन्.....अदालत.....में वादी और एक मनुष्य (अ—ब) के ऊपर एक प्रामेसरी नोट के ऊपर दायर की ।

२—इस नालिश में वादी के रहने की जगह प्रतिवादी ने स्थान.....लिखी थी, असलियत में वादी प्रायः.....साल से स्थान.....में लगातार रहा है और पहिले स्थान में उसकी कोई रहने की जगह नहीं है ।

३—वादी को इस नालिश की सूचना नहीं हुई और न उसके पास कोई सम्मन या इत्तलानामा पहुँचा और न तामील हुआ ।

४—प्रतिवादी ने चालाकी और धोके से नालिश के सम्मन की ऊपरी तामील कराकर वादी के विरुद्ध में एकतरफा (ex-parte) डिग्री हासिल कराली ।

५—उस डिग्री का सारटिफिकेट प्रतिवादी अदालत.....का ले गया और ता०... ..के जब उसकी इजराय में वादी की चल सम्पत्ति नीलाम में चढ़ा कर कुर्क कराया, तब उस समय वादी को, डिग्री के सादिर होने का हाल मालूम हुआ ।

६—डिग्री नम्बरी.....सन्.....अदालत.....से प्रतिवादी ने अदालत को धोखा व फरेब में डाल कर वादी के विरुद्ध प्राप्त की है । वह वादी पर किसी तरह पाबन्दी के योग्य नहीं है ।

७—अभियोग कारण —(कुर्की होने व कार्रवाई डिग्री के मालूम होने के दिन से) ।

(१५) जायदाद के स्वामी घोषित किये जाने का दावा जब
कि बटवारे का मुकदमा अदालत माल में चल रहा हो

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है:—

१—वादी मौजा चरगवाँ तहसील डिबाई जिला बुलन्दशहर के मुहाल राजकुआँर में, तीन बिस्वा की हक़ीयत जमींदारी का मालिक व अधिकारी है ।

२—वादी की उस हक़ीयत में से दो बिस्वा पैतृक संपत्ति है और उसने एक बिस्वा ता० १६ मई सन् १९२५ ई० के ब्रैनामे के अनुसार प्रतिवादी के फर्जी नाम से खरीदी थी जो खरीदने के समय वादी का कारिन्दा था, मगर वादी खरीदने की तारीख से उस पर मालिक की हैसियत से अधिकारी है और प्रतिवादी का उससे सम्बन्ध नहीं है ।

३—उस मौजे मे मुहाल राजकुआँर दस बिस्वा का है उसके एक हिस्सेदार ने हाल ही में बटवारे की दख्खिस्त अदालत माल में दी और बटवारे के इश्तहार हिस्सेदारो के नाम जारी हुए ।

४—वादी ने अपने ३ बिस्वा का मुहाल पृथक् कराना चाहा परन्तु प्रतिवादी ने एक बिस्वा हक़ीयत के सम्बन्ध में, जिस पर उसका फर्जी नाम चला आता है, उभ्रदारी की और अपने आपको उसका मालिक प्रगट किया ।

५—वादी को अदालत माल से ता०.....को उस जायदाद के मालिक होने का तीन महीने के अन्दर इस्तकरार कराने का हुक्म हुआ ।

६—उस जायदाद में प्रतिवादी का कोई हक़ नहीं है । वादी उसका खरीदने के दिन से ही, जिसको १२ साल से अधिक हो गये मालिक है और उस पर मालिक की हैसियत से काबिज है । यदि प्रतिवादी का कोई हक़ मान भी लिया जावे तो वह नष्ट हो गया । वादी अपनी मिलकियत का इस्तकरार कराने का अधिकारी है ।

७— विनायदावा (अदालत माल के हुक्म के दिन से) ।

८—दावे की मालियत (जैसे कि नमूना न० १ में) ।

वादी की प्रार्थना (इस्तकरार के लिये) ।

३८—लिमिटेड या रजिस्ट्री की हुई कम्पनी

जहाँ पर किसी सामूहिक में बीस से अधिक हिस्सेदार हों, ऐसी शराकत बिना रजिस्ट्री किये स्थापित नहीं हो सकती। रजिस्ट्री हो जाने पर वह लिमिटेड कम्पनी कहलाती है।

लिमिटेड कम्पनी के हिस्सेदारों को किसी हालत में अपने हिस्से से ज्यादा रुपया नहीं देना पड़ता और कुप्रबन्ध इत्यादि होने पर कोई हिस्सेदार कम्पनी को समाप्त करने के लिये लिक्वीडेशन (Liquidation) का दावा कर सकता है।

यहाँ पर कुछ आवश्यक शब्द जानना जरूरी है।

हिस्सों के लिये दरखास्त के साथ जो रुपया दिया जाता है उसको Application money कहते हैं। दरखास्त मंजूर होने पर जो रुपया कम्पनी को अदा किया जाता है उसके Allotment money कहते हैं और इसके बाद कम्पनी हिस्सों का बकाया रुपया कई बार में माँग सकती है। पहिली माँग को, First call, दूसरी को Second call इत्यादि कहते हैं। कम्पनी स्थापित करने वालों को प्रोमोटर्स (Promoters) और चुने हुए प्रबन्ध कर्त्ताओं को डाइरेक्टर (Directors) कहते हैं। कम्पनी के नियमों को (Rules of Association) और उसके कारबार के इश्तहार को Prospectus कहते हैं और कम्पनी खतम होने पर जो रिखीवर नियत होता है वह लिक्वीडेटर (Liquidator) कहलाता है।

लिमिटेड कम्पनी की स्थिति कानून की निगाह में किसी एक व्यक्ति की तरह है। ऐसी कम्पनी अपने नियमों के अनुसार Articles of Association नियत किये हुए किसी पुरुष के मारफत दावा दायर कर सकती है और उस पर दावा किया जा सकता है कम्पनी की ओर से हिस्सेदारों पर एलाटमेंट और माँग (Call) के रुपये की नालिश दायर होती है। इसी तरह हिस्सेदारों की तरफ से मुनाफा वसूल करने की और अन्य नालिशें होती हैं। कभी कभी प्रास्पेक्टस (Prospectus) में असत्य बर्णन से कम्पनी स्थापित करने वाले धोखा देकर हिस्से बेच लेते हैं और हिस्सेदारों को जब असली स्थिति का पता लग जाता है तो वह अपनी बचत के लिये दावा दायर करते हैं। इसी प्रकार कम्पनी के डाइरेक्टरों में भगड़ा होने पर अथवा कुप्रबन्ध होने पर, कम्पनी के भंग (Liquidation) कर देने के लिये, इंडियन कम्पनी एक्ट के अनुसार हाईकोर्ट में दरखास्त दी जाती है।

यों पर सिर्फ उन्हीं नालिशों के नमूने दिये गये हैं जो अदालत दीवानो में प्रायः नम्बरी दावे किये जाते हैं ।

यह दावे हर एक कम्पनी के नियमों (Articles of Association) के अनुसार किये जाते हैं । जब कोई पुरुष हिस्सों के लिये दरखास्त देता है और वह मंजूर हो जाती है तब वह पुरुष कम्पनी का हिस्सेदार हो जाता है और आपसी प्रतिज्ञाओं के अनुसार वह कम्पनी पर, और कम्पनी उस पर, दावा कर सकती है ।

* (१) कम्पनी का, हिस्सेदार पर एल्लोटमेंट और माँग के रुपये के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी कम्पनी निम्नलिखित निवेदन करती है—

१—वादी कम्पनी, Indian Companies Act of 1913 के अनुसार एक रजिस्ट्री की हुई कम्पनी है ।

२—उक्त कम्पनी के नियम १६ व १७ के अनुसार कम्पनी के डाइरेक्टरों को अधिकार दिया गया है कि जिन हिस्सों का पूरा रुपया अदा न हुआ हो उसकी माँग करें और हर प्रकार का रुपया जो कि कम्पनी को लेना हो मय ६) रुपया सैकड़े सालाना सूद के हिस्सेदारों से वसूल करे ।

३—प्रतिवादी ने १५ अगस्त सन् १९३७ ई० को, २५) ६० प्रति हिस्से के हिसाब से ५० हिस्से खरीदने के लिये दरखास्त पेश की और १००) रुपया दरखास्त के साथ Application money कम्पनी को अदा किया और इन हिस्सों का बकाया रुपया एल्लोटमेंट (allotment) होने पर और कम्पनी को माँग आने पर अदा करने की प्रतिज्ञा की ।

४—प्रतिवादी की दरखास्त के अनुसार २२ अगस्त सन् १९३७ ई० को ५० हिस्से प्रतिवादी को दे दिये गये लेकिन प्रतिवादी ने अपने हिस्सों पर ५) रुपया फी हिस्से के हिसाब से एल्लोटमेंट का रुपया अदा नहीं किया ।

५—३१ अक्टूबर सन् १९३७ ई० को डाइरेक्टरों ने कुल हिस्सेदारों से ५) रुपया फी हिस्से की पहिली माँग की जो कि १५ दिसम्बर सन् १९३७ ई० को देना वाजिब थी और उन्होंने ५) ६० फी हिस्से की दूसरी माँग कुल हिस्सेदारों से ३१ जनवरी सन् १९३८ ई० को तलब की, जो ५ मार्च सन् १९३८ ई० तक देनी वाजिब थी । दोनों माँगों का उचित नोटिस प्रतिवादी को दिया गया परन्तु उसने उनका रुपया अदा नहीं किया ।

* नोट—यदि अकेले एल्लोटमेंट या किसी माँग के रुपया का दावा हो तो इसी प्रकार से अर्जीदावा लिखा जा सकता है ।

६—अभियोग कारण (एलाटमेंट के रुपया का २२ अगस्त सन् १९३७ ई०, और पहिले मॉग के मतालवे का १५ दिसम्बर सन् १९३७ ई०, और दूसरी मॉग के रुपया का १५ मार्च सन् १९३८ ई०, को पैदा हुआ) ।

७—दावे की मालियत—

वादी कम्पनी प्रार्थी है कि—

.. ... रुपया असल व सूद की नीचे लिखे हुये हिसाब के अनुसार मय खर्च नालिश और सूद दौरान व आइदा रुपया वसूल होने के दिन तक, प्रतिवादी के ऊपर डिग्री का जावे ।

हिसाब का विवरण—

एलाटमेंट का रुपया	} २५०) रु०	२२ अगस्त सन् १९३७ ई० से सूद दर ६) रु०	सैकड़ा रु०
पहिली मॉग		१५ दिसम्बर सन् १९३७ ई० से सूद दर ६) रु०	सै० ... रु०
दूसरी मॉग	२५०) रु०	१५ मार्च स० १९३८ ई० से सूद दर ६) रु०	सै०...रु०
	जोड़ ७५०) रु०	जोड़ सूद.....रु०	

(२) डायरेक्टरों के भूँटा प्रास्पेक्टस प्रकाशित करके हिस्सा बेचने पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी ने.....नाम की कम्पनी की बाबत, जिसका हैडऑफिस स्थान.....पर था एक प्रास्पेक्टस.....सर्व साधारण के लिये निकाला और प्रकाशित किया ।

२—ता०.....को वादी को, उस प्रास्पेक्टस.....की एक प्रति मिली ।

३—उस प्रास्पेक्टस मे लिखी हुई बातो को सत्य समझ कर और उन पर विश्वास करके वादी ने ता०को कम्पनी के २५ हिस्से खरीद किये । प्रत्येक हिस्सा १००) रु० का था और उनकी बाबत १०) रु० प्रति हिस्सा, प्रार्थना पत्र के साथ अदा किया गया था ।

४—इसके पश्चात् वादी को मालूम हुआ कि प्रास्पेक्टस में बहुत सी असत्य बातें लिखी हुई हैं वादी जहाँ तक मालूम कर सका है वह यह है :—

(अ) प्रास्पेक्टस में लिग्या है कि ५०) रु० सैकड़ा वार्षिक लाभ होता है वास्तविक में पिछले तीन वर्ष में ५) रु० सैकड़ा लाभ हुआ है और शलत हिमाव बना कर अधिक लाभ दिखाया गया है ।

(व) इसी प्रकार से और जो २ बातें हैं) इत्यादि ।

५—प्रतिवादी डायरेक्टर होने के कारण से असली हालत जानता था ।

६—इसके अतिरिक्त उक्त कम्पनी की वावत नीचे लिखी बातें प्रगट करना आवश्यक थीं जिनकी वावत, प्रास्पेक्टस में कुछ नहीं कहा गया—

(१) कम्पनी ने एक पुराना कारखाना खरीद किया है जिसका मालिक प्रतिवादी था ।

(२) यह पुराना कारखाना बहुत गिरी हुई और दुर्दशा में था और उसके लियेलागव रुपया कहीं अधिक मूल्य अदा किया गया ।

(३) ...रु० सालना लगान सिर्फ़ दो बीघे जमीन का दिया जाता है जिसका मालिक प्रतिवादी है ।

७—वादी, प्रार्थना पत्र के साथ दिये हुए रुपये के अतिरिक्त २५) रु० प्रति हिस्सा एलाटमेंट पर, और २०) रु० फी हिस्सा पहिली मॉर्ग का अदा कर चुका है । वादी का कुल दिया हुआ १३७५) रु० है ।

८—अभियोग कारण—

९—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) १३७५) रु० सूद सहित प्रतिवादी से वापिस दिलाया जावे ।

(व) इस बात का इस्तकरार किया जावे कि इन हिस्से की वावत भविष्य में वादी अन्य किसी मतालवे का देनदार न होगा ।

(क) खर्च नालिश इत्यादि दिलाया जावे ।

(३) कम्पनी के स्थापित करने वाले (Promotor) पर हिस्से वेचने के लिये, असत्य वर्णन करने पर दावा

(विरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—प्रतिवादी बहुत दिनों से चूने की नैयारी और विक्री का काम सामे में फर्मके नाम से करने थे ।

२—मार्च मन्.....में प्रतिवादी ने “कानपुर लाइम वर्कम्” के नाम से लिमिटेड कम्पनी खोलने और उम कम्पनी के हाथ अपने पुराने कारखाना को.....रु० में वेचने का

विचार किया। वास्तव में यह कारखाना शोचनीय दशा में था और उसका उचित मूल्य.....रु० से अधिक नहीं था।

३—इसी विचार से प्रतिवादी ने काम शुरू किया और ता०.....को “कानपुर लाइम वर्क्स” के नाम से एक कम्पनी रजिस्ट्री करा ली।

४—प्रतिवादी ने सर्व साधारण को उक्त कम्पनी के हिस्से मोल लेने के लिये आकर्षित करने को ता०.....को एक प्रास्पेक्टस प्रकाशित किया और उसमें यह असत्य बयान किये—

(१)—
(२)—
(३)—, } भूँटे बयानों का पूरा विवरण।

५—इस प्रास्पेक्टस में एक कापी प्रतिवादी न० १ ने, मैनेजिंग एजेंट की हैसियत से, अपने और कुल प्रतिवादिओं की ओर से ता०.....को वादी के पास भेजी।

६—इसके अतिरिक्त ता०.....को प्रतिवादी न० १ ने मैनेजिंग एजेंट की हैसियत से इस अभिप्राय से कि वादी कम्पनी के हिस्से खरीदे, वादी से ज्वानी भी वे ही बातें कहीं जो कि प्रास्पेक्टस में लिखी थी (यदि उसके किसी एजेंट या मुख्तार आदि ने कही हो तो, यही लिखना चाहिये)।

७—वादी ने प्रास्पेक्टस में लिखी हुई और प्रतिवादी न० १ की बयान की हुई बातों को सच समझ कर और उनका विश्वास कर के उक्त कम्पनी के सौ हिस्से ता०.....को मोल ले लिये और उनकी बाबत.....रुपया प्रार्थनगपत्र व एलाटमेंट का अदा कर दिया।

८—यह सब बयान ग़लत और भूँटे थे और प्रतिवादी इनका झूठा होना जानते थे।

९—यह बयान प्रास्पेक्टस में, और विशेष रूप से वादी से इस लिये किये गये थे कि वादी कम्पनी के हिस्से खरीद करे और उसका हिस्सेदार हो जावे।

१०—इन हिस्सों का इस समय कुछ मूल्य नहीं है, वह बिल्कुल बेकार हैं और उनकी बाजार में कोई कीमत बसल नहीं हो सकती।

११—वादी की.....रु० की हानि हुई और उसका सूद इत्यादि का नुकसान हुआ।

(४) डाइरेक्टर की ओर से फ़ीस के लिये कम्पनी के ऊपर दावा

१—ता०.....को वादी, प्रतिवादी कम्पनी का डाइरेक्टर नियत हुआ और अब भी डाइरेक्टर है।

२—उक्त कम्पनी के नियमों के अनुसार (Articles of Association) प्रत्येक डाइरेक्टर को ५०) रुपये प्रतिदिन फ्रीस और दुगना सेकंड क्लास का किराया हर डाइरेक्टरों की मीटिंग में सम्मिलित होने का मिलता है ।

३—वादी ता०.....से ता०.....तक डाइरेक्टरों की ६ मीटिंगों में सम्मिलित हुआ और उनमें भाग लिया ।

४—नीचे लिखे हुये हिसाब से वादी के प्रतिवादी कम्पनी पर.....६० निकलते हैं जो उन्होंने अभी तक अदा नहीं किये । (हिसाब का व्योरा) ।

५—दावे का कारण (मीटिंग होने की तारीखों से) ।

(५) कम्पनी के लीक्वीडेटर (Liquidator) की ओर

से माँग के बकाया रुपये के लिये हिस्सेदार

पर नाजिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—एक्ट ७ सन् १९१३ ई० के अनुसार रजिस्ट्री की हुई एक कम्पनी 'मैटिल वर्क लिमिटेड' के नाम से प्रचलित थी जिसका हैडक्वार्टर स्थान..... पर था और वही पर कम्पनी का लोहे की चदर, बालटी इत्यादि बनाने का कारखाना था ।

२—उक्त कम्पनी का प्रत्येक हिस्सा ५००) ६० का था और प्रतिवादी के इस कम्पनी में १० हिस्से थे जिनकी बाबत वह कुल १०००) ६० प्रार्थना पत्र के साथ और १०००) ६० पहिली माँग पर अदा कर चुका था ।

३—कम्पनी कुछ दिनों तक काम करती रही लेकिन मई १९३३ ई० में उसका काम बन्द हो गया और उसका अदालत से लिक्वीडेशन (Liquidation—पर-समाप्ति) होने लगी और वादी ता०.....के उक्त कम्पनी का Liquidator नियत हुआ ।

४—उक्त कम्पनी पर बहुत सा ऋण था जो कम्पनी की पूँजी से किसी प्रकार वेवाक नहीं हो सकता था । वादी ने साधारण हिस्सेदारों की मीटिंग में, जो कि ता०.....के सर्वसाधारण के सूचना देने के बाद हुई थी अदायगी की स्कीम और बकायादार हिस्सेदारों की सूची तैयार की ।

५—वादी ने कर्जा व खर्च इत्यादि निपटाने के लिये प्रत्येक हिस्से पर १००) ६० की दूसरी माँग ता०.....के तलब की और प्रतिवादी से उसके १० हिस्सों की बाबत १०००) ६० रजिस्ट्री किया हुआ नोटिस भेज कर माँगे ।

६—प्रतिवादी हिस्सेदार होने के कारण से इस रुपये का देनदार है और उसने अभी तक वह रुपया नहीं दिया ।

७—अभियोग्य कारण (माँग का रुपया वाजिब होने के दिन से) ।

८—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(रुपये की अदायगी के लिये)

(६) कर्जदार कम्पनी के लिक्विडिटर से प्राप्त किये हुए कर्जे की नाक़िश

१—एक्ट ७ एन् १९१३ ई० के अनुसार रजिस्ट्री की हुई एक कम्पनी। “लाहम वर्क्स लिमिटेड” के नाम से थी जो स्थान.....में चूना के कारखाने का काम करती थी ।

२—प्रतिवादी ने ता०.....को.....र० का चूना उक्त कम्पनी से खरीद किया जिसकी अदायगी के लिये १) र० सैकड़ा सूद माहवारी के हिसाब से ठहरा या ।

३—उक्त कम्पनी का काम बन्द होकर लिक्विडेशन (Liquidation) में आ गया और श्री हरीमोहन बनर्जी चैरिस्टरएटला उसके (Liquidator) नियत हुए ।

४—उक्त लिक्विडिटर ने प्रतिवादी के ऊपर का कर्जा मुआवज़ा लेकर वादी के हाथ बैकर दिया । अब वादी उसका मालिक है और वमूल करने का हक रखता है ।

५—प्रतिवादी को क्रय हो जाने की उचित सूचना कर दी गई थी परन्तु प्रतिवादी ने यह मतालम्बा अदा नहीं किया ।



३६—बीमा (Insurance)

बीमा भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जैसे आजीवन बीमा, आग लगने का बीमा, पानी या बाढ़ से क्षति का बीमा, आकस्मिक दुर्घटना का बीमा इत्यादि। ये बीमे इन्श्योरेन्स कम्पनी भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न शर्तों और प्रतिज्ञाओं के साथ करती हैं जो कि उनकी लिखित बीमा पालिसी (Insurancce Policy) में लिखी जाती है। और उन शर्तों के अनुसार बीमा कराने वाला (Policy Holder) किस्तों (Premia) का पैना, और कम्पनी इकरार की हुई घटनाओं के लिये अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करती है। दोनों पक्ष उन शर्तों के पाबन्द होते हैं और ऐसी नालिशों उन्हीं शर्तों के अनुसार दायर करनी चाहिये। उनके अर्जी दावों में वे सब बातें लिखनी चाहिये जो कि साधारण प्रतिज्ञाओं पर निर्धारित दावों में लिखी जाती हैं और उनके अतिरिक्त वह विशेष शर्त या शर्तें जिनके उल्लंघन करने पर दावा किया गया हो।

बीमा पालिसी का, यदि उसमें इसके विरुद्ध कोई शर्त न हो, परिवर्तन या इन्तकाल किया जा सकता है और परिवर्तन गृहीता या वह मनुष्य जिसको ऐसा अधिकार दिया गया हो, पालिसी-होल्डर के तुल्य उससे लाभ उठा सकता है।

* (१) मृतक के दायभागी का बीमा करने वाली कम्पनी

पर दावा

(सिरनामा)

(अ—ब) वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—(ज—द) ने ता०.....के प्रतिवादी कम्पनी के यहाँ अपनी आयु का बीमा ५०००) रुपया का कराया और उक्त कम्पनी ने पालिसी नम्बर.....उस पालिसी के अनुसार अदायगी के बदले में दे दी।

२—(ज—द) की मृत्यु ता०.....को हो गई।

* नोट—यदि दावा पालिसी के खरीदार की ओर से ही तो धारा नं० ३ इस प्रकार लिखी जायगी।

३—ता०.....को (ज—द) ने अपने जीवन ही में उस पालिसी को तहरीर करके वादी के हाथ बेच दिया था और वादी ने ता०.....को प्रतिवादी कम्पनी को रजिस्ट्री किया हुआ नोटिस इस बात का दे दिया था।

३—वादी उसका पुत्र और उत्तराधिकारी है और उसने उत्तराधिकारी होने का सर्टिफिकेट (Succession Certificate) नियम के अनुसार प्राप्त कर लिया है जो नालिश के साथ दाखिल किया जाता है ।

४—दावे का कारण (ज—द—की मृत्यु के दिन से)

५—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(२) बीमा के रुपये के लिये मृतक के निष्ठाकर्ता का इन्श्योरेंस कम्पनी पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—(ज—द) ने ता०.....के प्रतिवादी कम्पनी के यहाँ.....रु० के लिये अपने जीवन का बीमा कराया और प्रतिवादी ने उसका पालिसी न०.....उन रूप्यों के बदले में जो कि उस पालिसी के अनुसार अदा किये गये और अदा किये जाने को थे, दी ।

२—(ज—द) ने अपनी अन्तिम वसीयत ता०.....को की और इसके अनुसार वादी को वसी (निष्ठाकर्ता) नियत किया ।

३—उक्त (ज—द) की ता०..... को मृत्यु हो गई ।

४—वादी ने नियमानुसार उक्त वसीयत का प्रोवेट हासिल कर लिया है और वह दावा कर सकता है ।

(३) अन्य पुरुष के जीवन के बीमे का रुपया वसूल करने के

लिये नालिश, जब कि अदायगी दावा करने

वाले ने की हो

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—(ज—द) वादी का पिता था ।

२—वादी ने (ज—द) के जीवन का बीमा ५०००) रु० का, प्रतिवादी कम्पनी के यहाँ किया और प्रतिवादी कम्पनी ने पालिसी न०.....वादी को उसके अनुसार अदायगियों के बदले में दी ।

३—वादी ने यह बीमा सिर्फ (ज—द) के क्रिया करम और तेरहवी के लिये कराया था और वह इस मतालबे को उसकी तेरहवी ही में लगाना चाहता था ।

४—वादी के पिता (ज—द) की ता०.....को मृत्यु हो गई ।

४०.—प्राकृतिक स्वत्व व सुखाधिकार

(हकूक कुदरती व आशाइश Natural rights and rights of easement)

प्राकृतिक स्वत्व और सुखाधिकार में बड़ा अन्तर है, प्रत्येक मनुष्य को हवा में चलने, हवा में स्वाँस लेने, आम रास्ते पर आवागमन करने और नदी से पानी पीने या स्नान करने का अधिकार बिना रोक टोक के प्राप्त है इसलिये कोई अन्य मनुष्य उसको बिना उचित कारण के इन कामों से नहीं रोक सकता न उसको ऐसा करने पर नुकसान पहुँचा सकता है या उसकी स्वतन्त्रता में बाधा डाल सकता है ।

ये सब प्राकृतिक स्वत्व हैं जो प्रकृति ने मनुष्य को दान दिये हैं । इसके विरुद्ध सुखाधिकार वह स्वत्व है जो किसी व्यक्ति को प्रतिज्ञा मोआहिदे या इकरार से, किसी रीति या रिवाज से, या किसी विशेष समय तक इस्तेमाल से, सुख पाने या किसी वस्तु से लाभ उठाने का प्राप्त हो जाता है ।

इन दोनों प्रकार के स्वत्वों में बाधा होने पर स्वत्वाधिकारी दावा कर सकता है और ऐसे दावों के नसुने इस खंड में दिये गये हैं । इन दावों में वादी दो प्रकार की प्रार्थना कर सकता है । एक तो यह कि निषेध आज्ञा (अदालत हुकम इस्तनाई) से प्रतिवादी को शिकायती काम करने से आगे के लिये रोके और दूसरी यह कि शिकायती काम से जो कुछ वादी का हर्जा हुआ हो वह उसको दिलाये ।

सुखाधिकार का स्वत्व कहीं नहीं किसी वस्तु की मिल्कियत से पृथक् होता है, इसलिये हर फरीक को चाहिये कि वह अपने दावे या जवाब दावे में, जब ऐसे स्वत्व से लाभ उठाना हो, उसको पूरे विवरण के साथ लिखे और यह भी प्रगट करे कि वह अधिकार किस प्रकार से उत्पन्न या उसको प्राप्त हुआ जैसे—

हकूक आसायश के मुकद्दमे में वादी को उक्त हक (स्वत्व) का अधिकार होना और उससे रोके जाने, या उसमें विघ्न डालने की कुल घटनाएँ बयान करना चाहिये । यदि हरजाना या हुकम इस्तनाई भी माँगा जाय तो विघ्न डालने से जो नुकसान हुआ हो या जिसका मविध्य में डर हो, अर्जादावे में लिखना चाहिये ।

जहाँ पर हरजाना दिलाया जावेगा वहाँ पर फिर विघ्न न डालने के लिये निषेध आज्ञा (हुकम इस्तनाई) भी मिल सकता है परन्तु यदि उस विघ्न का, नक़द रूपये में मुआवजा उचित हो तो अदालत नहीं देगी ।

रास्ता रोकने के मुकदमे में रास्ते दो प्रकार के होते हैं, और अर्जीदावे में ऊपर लिखी हुई बातों के अतिरिक्त यह भी दिखाना चाहिये कि वह रास्ता आम है या खास। यदि रास्ता खास ही तो रोक डालना ही काफी होता है लेकिन आम रास्ते के लिये वादी को कोई विशेष हानि दिखानी चाहिये।

रोशनी व हवा के रोकने के दावों में धारा ३३ में लिखी हुई बातें और दिखाना चाहिये।

१—यह कि वादी के हकूक में प्रतिवादी के अनुचित कार्य से क्षति हुई।

२—वादी की जायदाद की मालियत में कमी हुई।

३—वादी के सुख में विघ्न हुआ।।

४—वादी अपना काम या रोजी सुख पूर्वक न कर सका।^१

हानिकर कार्य के हटाने के दावों के नमूने भी इसी खंड में दिये गये हैं। हानिकर कार्य प्रायः यह होते हैं :—

१—किसी रास्ते में रुकावट डालना या जहाँ प्रतिवादी का रास्ते को ठीक रखने का कर्तव्य हो, उसकी मरम्मत न करना।

२—आवादी में या उसके निकट कोई ऐसा कार्य करना जिससे आस पास के निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव हो जैसे धुआँ पैदा करना, बहुत शोरगुल या आवाज करना या दुर्गन्ध फैलाना इत्यादि।^२ हानिकर कार्य के विरुद्ध वादी का दावा तभी चल सकता है जब कि उसको ऐसे कार्य से विशेष क्षति हुई हो। यदि उसका कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ तो जज्जता दीवानों की धारा ९१ के अनुसार प्रात के एडवोकेट जनरल की अनुमति प्राप्त करके जनता की ओर से दावा किया जा सकता है।^३

मियाद—मुआवजे के लिये कानून मियाद की धारा ३६^४ के अनुसार विघ्न पड़ने के दिन से मियाद दो साल की है और हुक्म इमतनाई के लिये धारा १२०^५ से ६ साल की मियाद है। लेकिन इसी सिलसिले में दफा २३ कानून मियाद^६ और दफा १५ कानून आशायश^७ देखना चाहिये। हुक्म इमतनाई के लिये दावे की मालियत वादी को नियत करनी होती है।

1 1 L. R 15 All. 270 , 17 Bom 648

2 I. L. R 55 All 711 , 22 A L J 314

3 A 1 R 1937 Pat. 802 , 1929 All 767 Sec. Expl to Sec 32, Easement Act.

4 Art 36

5. Art. 120

6 Sec 23, Limitation Act.

7. Sec. 15, Easements Act.

* (१) पानी को नष्ट व अपवित्र करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी.....भूमि पर स्थित.....और उसके कुआँ पर और उस कुएँ के पानी पर काबिज है और सर्वदा उसका अधिकारी रहा है और उससे लाभ उठाने का हकदार है। इस के अतिरिक्त उसका यह भी हक है कि जो चश्मे या सोते उस कुएँ में बह कर आते हैं और गिरते हैं वह इस प्रकार से बह कर आये कि पानी गन्दा या अपवित्र न होने पावे।

२—प्रतिवादी ने ता०.....के अनुचित रीति से उन सोतों को जो उसमें गिरते हैं अपवित्र कर डाला और बन्द कर दिया।

३—इससे कुएँ का पानी अपवित्र हो गया जिससे वह घर के खर्च व काम काज के योग्य न रहा और वादी और उसके घर वाले उस पानी को काम में लाने से वंचित रहे।

४—अभियोग कारण—

५—दावे की मालियत—

(वादी का प्रार्थना)

(२) नदी का पानी अपवित्र व नष्ट करने पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी जरगवाँ तहसील.....की पूरी जमींदारी व रियासत का मालिक व काबिज है।

२—इस गाँव के पञ्चिम ओर, ग्राम सगूली की जमींदारी है जिसका मालिक व काबिज प्रतिवादी है।

३—यमुना नदी प्रतिवादी की जमींदारी सगूली में होती हुई वादी की जमींदारी में बहती है।

४—प्राचीनकाल से उस नदी का पानी वादी के गाँव के मवेशी पीते हैं और वहाँ के रहने वाले खेत सींचने इत्यादि काम काज में लाते हैं और वादी को नदी से, प्राकृतिक

* नोट—यह जाब्ता दीवानी के प्रथम परिशिष्ट के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नं० २३ है।

दशा में, बिना उसके किसी प्रकार अपवित्र अथवा नष्ट किये जाने के, पानी लेने का व उससे सिंचाई इत्यादि करने का अधिकार प्राप्त है ।

५—प्रतिवादी का मौजा सगूली में यमुना नदी के किनारे एक रंगसाजी का कारखाना है जो ता०.....से जारी हुआ है और जिसका अपवित्र व गन्दा पानी प्रतिवादी यमुना नदी में बहा देता है ।

६—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से नदी का पानी, जो उस गाँव में होकर बहता है जहाँ वादी की जमींदारी है, बदबूदार और अपवित्र हो जाता है । उसको न जानवर इत्यादि पीते हैं और न सींचने इत्यादि के काम में आता है ।

७—प्रतिवादी इस अनुचित कार्य को नहीं छोड़ता जिसके कारण से वादी को पानी एकत्रित करने में अत्यन्त कठिनाई उठानी पड़ी जिससे.....६० की उसको हानि हुई ।

८—अभियोग कारण—(कारखाना स्थापित करने के दिन से, और कारखाना चालू रहने पर प्रतिदिन से)

९—दावे की मालियत—
वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी को निषेधाज्ञा (हुकम इमतनाई) दी जावे कि वह अपने रंगसाजी के कारखाने का अपवित्र व गन्दा पानी यमुना नदी में न बहावे और न उस नदी का पानी किसी अन्य प्रकार से नष्ट करे ।

(ब) वादी को प्रतिवादी से.....६० हर्जाना दिलाया जावे ।

(ख) प्रतिवादी से वादी को नालिश का खर्चा दिलाया जावे ।

* (३) गूळ फेरने या पानी काट लेने पर

१—नदी.....के किनारे स्थान.....पर एक पनचक्की पर वादी काबिज है और बहुत दिनों से काबिज था ।

२—इस कब्जे के कारण वादी अधिकारी है कि पनचक्की चलाने के लिये वह नदी बहती रहे ।

३—ता०.....को प्रतिवादी ने उस नदी का किनारा काट कर उसका पानी अनुचित प्रकार से इस तरह फेर दिया है कि वादी की पनचक्की की तरफ बहुत कम पानी आता है ।

४—इसके कारण वादी.....मन अनाज प्रति दिन से अधिक नहीं पीस सकता और पानी फेर देने से पहिले.....मन अनाज पीसता था ।

*नोट—See Civil Procedure Code Schedule I, Appendix A, Form No. 27.

*** (४) बहते हुये पानी को फेरने से रोकने की आज्ञा प्राप्त करने के लिये नाक़िश**

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

(ऊपर लिखे नमूना नम्बर ३ के अनुसार)

वादी अधिकारी है कि प्रतिवादी को निषेधाज्ञा (हुकम इमतनाई) से उस पानी को फेरने से रोक दिया जावे ।

(और यही वादी की प्रार्थना में भी जोड़ना चाहिये)

† (५) आबपाशी के लिये पानी लेने में रोक डालने पर दावा
(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी भूमि.....स्थित स्थान.....पर काबिज़ है और उस समय भी काबिज़ था जिसका ब्योरा दिया जाता है और उसको अधिकार प्राप्त है कि.....नदी या (नहर) के पानी को उस ज़मीन के सीचने के काम में लावे ।

२—ता०.....को प्रतिवादी ने अनुचित रीति से उस नदी (या नहर) की धार को दूसरी तरफ़ फेर दिया और इस तरह वादी को खेत सीचने और पानी काम में लाने से वंचित रक्खा ।

३—अभियोग कारण—

४—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(६) पानी लेने के अधिकार में विघ्न डालने पर हज़े व निषेधाज्ञा के लिये नाक़िश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ग्राम.....परगना.....की २० बिस्वा जमीन का मालिक व काबिज़ है ।

* नोट—See C. P. C. Sch. I, App. A, Form No. 38.

† नोट—See C. P. C. Sch. I, App. A, Form No. 28.

२—इस गाँव में होकर सोन नदी बहती है और उसी से उस गाँव की जमीन जो कि नदी के किनारे है सींची जाती है और हमेशा से सींची जाती रही है और वादी को उस गाँव के ज़मींदार होने के कारण नदी के बहाव और पानी को काम में लाने का अधिकार है ।

३—प्रतिवादी ने ता०.....से उस नदी में बाँध लगा कर पानी का विशेष भाग दूसरी तरफ फेर दिया जिसके कारण नदी में पानी बहुत कम हो गया है और गाँव की आवपाशी अच्छी तरह से नहीं हो सकती । प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी को नदी के बहाव और पानी से उतना लाभ नहीं पहुँचता जितना पहले पहुँचता था ।

४—प्रतिवादी अब भी उस बाँध के कायम रख रहा है और उसका इरादा उसको कायम रखने का है ।

५—प्रतिवादी की इस अनुचित कार्रवाई से करीब ३०० बीघा पक्की ज़मीन रबी सन्.....की फसल में बिना सींची हुई रह गई और करीब ३०००) ४० की वादी की पैदावार की हानि हुई ।

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) हज़े का.....४० प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे ।

(ब) प्रतिवादी को हुकम हो कि नदी में कोई बाँध न लगावे या ऐसा काम न करे जिससे सोन नदी का बहाव या उसका पानी वादी की ज़मीन में कम हो जाय या और किसी तरह से उसको नुकसान हो ।

(क) नालिश का खर्चा दिलाया जावे ।

(७) एक तरफ का सहारा हटा देने और नुकसान होने पर हज़े का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—मुद्दल्ला दरियागंज शहर कानपुर में फरीकैन के पक्के मकान एक दूसरे से मिले व सटे हुये हैं और प्रतिवादी का मकान वादी के मकान के पच्छिम ओर है ।

२—दोनों मकान बहुत पुराने, प्रायः ३० साल के बने हुये हैं और वादी को प्रतिवादी के मकान और ज़मीन से अपने मकान और उसके नीचे की ज़मीन के लिये सहारा लेने का अधिकार है ।

३—प्रतिवादी ने मार्च सन्.....में अनुचित रूप से वादी के मकान का सहारा अपने मकान को गिरवा कर हटा लिया और किसी प्रकार का सहारा वादी के मकान को पहुँचा देने का प्रबन्ध नहीं किया ।

४—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य का फल यह हुआ कि वादी के मकान की दीवार अपनी जगह से हट कर टेढ़ी और कमज़ोर हो गई और कई जगह से मकान की छतों व डायों को नुकसान हुआ ।

५—कुल नुकसान और हर्जे के रुपये की लगभग सूची यह है—

(अ) दीवारों को नुकसान२० ।

(ब) छत को नुकसान२० ।

(क) दर्वाज़ों इत्यादि को२० ।

६—अभियोग कारण—(प्रतिवादी के मकान गिरवाने के दिन से) ।

(८) हमी प्रकार का, हर्जे व निषेधाज्ञा के लिये

अन्य अभियोग

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—गाँव अमृतपुर ज़िला गुडगाँव मुहाल तोताराम में वादी एक नग भूमि नम्बरी ३६५ का मालिक व काबिज है ।

२—इस भूमि से मिला हुआ नम्बर ३६६ प्रतिवादी का खेत है । प्रतिवादी ने कंकड़ निकालने के लिये उस खेत को फरवरी सन् १९४२ ई० से खोदना शुरू किया और उसी समय से बराबर उस खेत को खोदता और कंकड़ निकालता चला जाता है ।

३—प्रतिवादी ने ऐसा करने में भूमि नम्बर ३६५ के आस पास काफी जमीन नहीं छोड़ी जिससे उस आराजी का, दोनों तरफ से यानी नीचे और बगल से (Lateral and vertical) सहारा रहे ।

४—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी की भूमि नम्बरी ३६५ की सतह बैठ गई है और उसका बहाव रुक कर उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे उसमें बोई हुई फसल बिल्कुल खराब हो जाती है और कम कीमत की होती है इसके अतिरिक्त उस ज़मीन की मालियत भी बहुत कम हो गई है ।

५—वादी की हानि इस प्रकार हुई है ।

(अ) फसल का नुकसान.....२० ।

(ब) ज़मीन की कम कीमत.....२० ।

६—प्रतिवादी अब भी खेत को खोद रहा है और उसका इरादा कंकड़ निकालने और खुदाई जारी रखने का है । यदि उसको न रोका जाय तो वादी को और भी हानि पहुँचने का भय है ।

७—अभियोग कारण—

८—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) वादी को हजें का.....२० प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

(ब) प्रतिवादी को निषेधाज्ञा दी जावे कि वह कोई ऐसा काम न करे जिससे वादी की भूमि को हानि पहुँचे ।

(ज) नालिश का खर्चा दिलाया जावे ।

*(९) हानिकारक कारखाना जारी रखने पर दावा

१—वादी.....नामक जमीन वाकै स्थान.....पर काबिज़ है और उन सब अवसरों पर जिनकी वाबत इस अर्जी दावे में बयान किया गया है काबिज़ रहा ।

२—ता०.....से प्रतिवादी के धातु गलाने के कारखाने से धुआँ और बदबू इत्यादि हानिकारक चीजें अधिक तादाद में निकलनी शुरू हुईं जो उस जमीन पर फैलती हैं जिससे हवा खराब होती है और वह जमीन की मिट्टी पर जम जाती है ।

३—इसकी वजह से उस जमीन की फसल इत्यादि को बहुत नुकसान पहुँचता है और उनकी कीमत भी कम आती है । वादी के पशु व जानवर इत्यादि उससे दुर्बल व बीमार हो जाते हैं और बहुत से उसके जहर से मर भी गये ।

४—वादी उस जमीन में इसी कारण से अपने चौपाये, भेड़, बकरी इत्यादि नहीं चरा सकता, जो कि वह कारखाने के न होने पर कर सकता था और उसको अपने पशु, भेड़, बकरी इत्यादि वहाँ से ले जाने पड़े और उस जमीन के लाभ व अधिकार से वंचित रहा ।

(१०) हानिकारक कारखाना शुरू करने पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रायः १५ साल से कस्बा खुर्जा में भूमि नम्बरी.....वादी का फल फूल का बाग है जिसमें फसल में तरह २ के फल फूल उत्पन्न होते हैं ।

२—इस भूमि के ठीक पच्छिम की ओर उससे २० गज की दूरी पर भूमि नम्बरी.....है जिसका रकबा ५ बीघा है और जिसका कि मालिक व काबिज़ प्रतिवादी है ।

३—यह जमीन सदा से खेती बारी के काम में आती रही परन्तु पिछले अक्टूबर से प्रतिवादी ने उस जमीन में ईट पकाना और उसके पकाने के लिये एक ८० गज लम्बा

भट्टा वादी की ज़मीन के सहारे २ तैयार करना शुरू किया है और उसके लिये लोहे की चिमनी तैयार हो रही है ।

४—प्रतिवादी का उस भट्टे में ईंट पकाने का इरादा है । भट्टे की हवा वादी के फल फूल दार पेड़ों को अत्यन्त हानिकारक होगी, और बहुत से पेड़ों के जलने का डर है और चिमनी की राख और धुएँ से बाग व पेड़ इत्यादि की सफाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

५—प्रतिवादी को ऐसा काम शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है और वह वादी के मना करने पर भी नहीं मानता ।

६—अभियोग कारण—

७—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी को निषेधाज्ञा दी जावे कि वह अपनी भूमि नं०.....में कोई भट्टा न बनावे और न उसको जलावे ।

(ब) खर्चा व सूद दिलाया जावे ।

* (११) विशेष रास्ता बन्द करने पर

१—वादी एक मकान का, जो ग्राम.....में स्थित है, अधिकारी है और प्राचीन काल से उस पर काबिज़ रहा है ।

२—वादी इस बात का हक रखता है कि प्रत्येक फसल में स्वयं अथवा अपने नौकरों के (चाहे घुड़सवार या प्यादा) सहित अपने घर से.....खेतों में होकर ग्राम सड़क तक जाया करे और वहाँ से उसी रास्ते से होकर लौट कर आवे ।

३—प्रतिवादी ने ता०.....को उस गली (रास्ता) को अनुचित रीति से बन्द कर दिया जिससे वादी सवारी पर या पैदल या किसी प्रकार से आ जा नहीं सकता (और उसी समय से उस रास्ते को अनुचित रीति से बन्द कर रक्खा है) ।

४—(यदि कोई विशेष हानि हुई हो तो लिखी जावे) ।

(१२) सार्वजनिक रास्ता बन्द करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी ने सार्वजनिक रास्ते में अनुचित व बेदंगे तरह से एक खाई खोद

* नोट—यह जानता दीवानी के परिशिष्ट (१) के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नं० २५ है ।

करें मट्टी और पत्थर जो.....से.....तक है इस प्रकार से एकत्रित कर रखे जाते हैं कि रास्ता बन्द हो गया है ।

२—वादी, जो उस रास्ते पर न्याययुक्त और उचित कार्य से निकलता था उस मिट्टी और पत्थर के ढेर पर (या उस खाई में) गिर पड़ा जिससे वादी का हाथ टूट गया और उसने बड़ा कष्ट उठाया और अपना काम काज करने से भी बहुत समय तक लाचार रहा और इलाज करने में भी खर्चा लगाना पड़ा ।

३—अभियोग कारण—

४—दावे की मालियत—

* वादी की प्रार्थना—

(१३) हानिकारक वस्तु के हटाने के लिये नाजिश

(चिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ।

१—वादी मकान नम्बर.....स्थित सड़क.....शहर.....का पूरा मालिक है और सदैव उस सम्पूर्ण समय में जिसका बयान नीचे दिया हुआ है, मालिक रहा ।

२—प्रतिवादी उस भूमि का पूरा मालिक है जो.....सड़क पर स्थित है और उस सम्पूर्ण समय के लिये जिसका बयान है मालिक रहा ।

३—प्रतिवादी ने उस भूमि पर ता०.....से पशु-वध का एक स्थान नियत किया है और वह जिवह करने का स्थान अब भी मौजूद है । वह उसी समय से जानवरों को वहाँ मँगा कर जिवह कराया करता है और खून व हड्डी इत्यादि उस सड़क पर फिकवा देता है जो वादी के मकान के सामने है ।

४—उपरोक्त कारणों से वादी को मकान छोड़ना पड़ा और वह उसको किराये पर भी नहीं चला सकता ।

(१४) इसी प्रकार का अन्य अभियोग

१—दोनों पक्षों के घर, कस्बा कासगंज में एक दूसरे से मिलते व सटे हुए हैं, सिर्फ एक दीवार बीच में स्थित है ।

२—वादी, वैद्यक का पेशा करता है और मकान के एक हिस्से में निवास करता है

* नोट—यह जानता दीवानी के परिशिष्ट १ के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नं० २६ है ।

† नोट—यह जानता दीवानी के परिशिष्ट १ के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नं० ३६ है ।

और मकान के दूसरे हिस्से में उसकी बैठने की जगह है जहाँ पर वादी के पास हर प्रकार के रोगी इलाज कराने के लिये आते हैं और बैठते उठते हैं ।

३—प्रतिवादी मिले हुये मकान को अभी तक उठने बैठने के काम में लाता था परन्तु ४—६ महीना से उसने उस मकान में लोहे की कड़ाही बनाने का कारखाना खोल रक्खा है ।

४—उस मकान में रात दिन लोहार व मजदूर बड़े २ हथौड़ों से लोहे के तवों को पीटते हैं जिसके कारण से ऐसा शोर रहता है कि वादी के मकान में साधारण बोल चाल सुनाई नहीं देती और हथौड़ों की आवाज़ के कारण मनुष्य सुख से सो नहीं सकते । अधिक शोर होने के कारण से वादी के हर काम में विघ्न पड़ता है और कानों को भी उसकी आवाज़ बुरी मालूम होती है जिससे कानों को सुनने में और तन्दुरुस्ती में बहुत बुरा प्रभाव पड़ने का भय है ।

५—प्रतिवादी से उस कारखाने के हटाने के लिये कहा गया परन्तु वह ध्यान नहीं देता है ।

(१५) हानिकारक व दुखदाई वस्तु के हटाने के लिये नालिश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—स्थान हरदुआगंज जिला अलीगढ़ में गली मानसिंह के अन्दर प्रतिवादी का मकान गली के किनारे पर ही है ।

२—वह बहुत दिनों का बना हुआ, और टूटी फूटी हालत में है । उसकी दो मंजिला दीवार जो रास्ते के किनारे है तीन चार जगह फट गई है और कई जगह ईंटों की छाल गिर पड़ी है और दोनों कोनों की दीवारों से उसका जोड़ १—४ इंच हट गया है ।

३—वादी का मकान गली मानसिंह में अन्दर की ओर स्थित है और उसका दूकान के लिये रास्ता, जो कि बाज़ार में है, प्रतिवादी की दीवार के नीचे हो कर है और प्रति दिन वादी वहाँ होकर आया जाता है ।

४—उस दीवार के गिर जाने और उसके नीचे आदमी दब जाने या हानि पहुँचने का भय हर समय रहता है । चूँकि अब बरसात शुरू होने वाली है इसलिये दीवार के गिरने का और भी डर है ।

५—वादी ने उस दीवार को एक अनुभववी इनजीनियर को दिखाया जिसकी रिपोर्ट साथ २ पेश की जाती है । उससे प्रगट होगा कि दीवार का इस हालत में रहना खतरनाक है और रास्ता निकलने वालों के दब जाने का डर है और बरसात में वह खड़ी नहीं रह सकती है ।

६—प्रतिवादी से कई बार उसके तोड़ने या उसकी रक्षा के लिये और कुछ प्रयत्न करने के लिये कहा गया परन्तु वह ध्यान नहीं देता ।

७—अभियोग कारण—(प्रतिवादी को सूचित करने के दिन से) ।

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ) प्रतिवादी को आज्ञा दी जावे कि वह अपने मकान की दो मजि़ला दीवार को, जो कि गली मानसिंह के किनारे है गिरवा दे या उसकी रक्षा के लिये ऐसा प्रयत्न करे कि वह भयप्रद (खतरनाक) न रहे और उसके ऐसा न करने पर वह दीवार प्रतिवादी के खर्चों से गिरवा दी जावे ।

(ब) नालिश का खर्चा इत्यादि दिलाया जावे ।

(१६) मछली पकड़ने के स्वतन्त्र के सम्बन्ध में

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है —

१—ग्राम.....जिला.....में एक बहुत लम्बा चौड़ा तालाब है जिसके मालिक उसी गाँव के जमींदार लोग हैं ।

२—उस तालाब में मछली पकड़ने का पहिली जनवरी से ३१ दिसम्बर सन्..... का ठेका उन जमींदारों की ओर से वादी के पास था और वादी ठेकेदार की हैसियत से उस तालाब से मछली पकड़ता और बेचता है । असली ठेकानामा साथ साथ पेश किया जाता है ।

३—ता०..... के प्रतिवादी ने अपने अधिकार विरुद्ध उस तालाब में मछलियों का शिकार किया और वादी के रोकने पर भी नहीं माना और लगभग हर प्रकार की दो मन मछली पकड़ ले गया और अपने काम में लाया ।

४—इन मछलियों का मूल्य लगभग.....रुपया है ।

५—व्यवहार कारण—ता०..... (मछली पकड़ने के दिन से) अदालत की अधिकार सीमा में उत्पन्न हुआ ।

६—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना यह है कि—

(अ) प्रतिवादी को आदेश दिया जावे कि वादी के ठेका जारी रहने तक उस तालाब में मछली का शिकार न करे ।

(ब)रु० हर्जा और नालिश का खर्चा इत्यादि दिलाया जावे ।

(१७) पुल के ठेके में विधन ढालने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी के पास स्थान अनूपशहर ज़िला बुलन्दशहर में गंगा नदी के पुल का १ अप्रैल सन् १९—से लेकर ३१ मार्च सन् १९—ई० तक का ठेका है ।

२—उस ठेके की शर्तों के अनुसार किसी मनुष्य को यात्री, मवेशी या गाड़ी इत्यादि का अनूपशहर की सीमा से दो मील तक नौका, किश्ती या बोट या और किसी प्रकार से गंगा पार करने का अधिकार नहीं है । असली ठेकानामा नालिश के साथ २ पेश किया जाता है ।

३—वादी के ठेके में प्रतिवादी रुकावट डालता है और पुल से दो फर्लाङ्ग की ही दूरी पर मवेशी और यात्रियों को प्रतिवादी नावों में गंगा पार ले जाता है और वहाँ से उनको वापिस लाता है ।

४—वादी को जहाँ तक मालूम हुआ है प्रतिवादी ने नीचे लिखी हुई ठेके के विरुद्ध कार्रवाई की है—

(१) ता०.....को प्रतिवादी.....यात्री गंगा पार ले गया ।

(२) ता०.....को प्रतिवादी.....मवेशी गंगा पार ले गया ।

(३) ता०.....को प्रतिवादी.....मुसाफिर गंगा पार से लाया ।

५—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी को हानि हुई और वह अपनी उस आमदनी से वंचित रहा जो उसको मिलती ।

६—दावे का कारण, (धारा ४ में लिखी हुई तारीखों से) ।

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है—

(अ) प्रतिवादी के नाम निषेध आज्ञा (हुक्म इमतनाई) घोषित हो कि वह अनूपशहर से दो मील की सीमा के अन्दर यात्री या मवेशी गंगा पार, किश्ती या किसी अन्य प्रकार से न ले जावे और न उस पार से अनूपशहर को लावे ।

(ब) हजें का.....र० प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

(१८) पैठ या बाज़ार में रुकावट डालने पर

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है :—

१—वादी जहाँगीराबाद ज़िला बुलन्दशहर की २० बिस्वा जमींदारी का मालिक है ।

२—इस कस्बे में सैकड़ों साल से वादी की जमीन में हर हफ्ते बुध के दिन आस पास के गाँव के दूकानदार और जुलाहे, चमार, दर्जी इत्यादि अपना माल लाकर बेचते हैं और मवेशियों का क्रय विक्रय होता है।

३—वादी बाजार की जमीन का मालिक होने के कारण दूकानदार और माल बेचने वालों से किराया और मवेशी इत्यादि बेचने वालों से जमींदारी का एक बसूल करता है।

४—प्रतिवादी ने उस स्थान के पास जहाँ कि वादी का बाजार लगता है दो महीने से हर हफ्ते बुधवार के दिन एक दूसरा बाजार, अपने अधिकार विरुद्ध, लगाना शुरू कर दिया है जिससे वादी के बाजार में बहुत खराबी पैदा होती है और उसके किराये और एक जमींदारी में बहुत कमी हो गई है।

५—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी का यह नुकसान हुआ—

(यहाँ विवरण देना चाहिये)।

६—त्रिनायदावा—

७ - दायें की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) रु० हज़ा, प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(ब) प्रतिवादी के नाम निषेध आगा घोषित की जावे और उसको वादी के बाजार के पास दूसरा बाजार लगाने से या उसके बाजार में रुकावट डालने से रोका जावे।

(१९) पानी सींचने में रुकावट टाकने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी, मुहाल रामबक्स, ग्राम.....में भूमि नम्बरी ३६६-३६८ का पैतृक अधिकार प्राप्त कार्तकार है।

२—इन दोनों टुकड़ों की सिंचाई, सदा से, भूमि न० ३६७ के कुएँ से होती है और वादी को इनकी आवपाशी के लिये उस कुएँ से पानी लेने का अधिकार है।

३—रबी.....फसली में वादी ने इन दोनों टुकड़ों में गेहूँ की खेती की थी और दिसम्बर...—ई० में फसल को सींचने की अत्यन्त आवश्यकता थी।

४—प्रतिवादियों ने बलपूर्वक वादी को यह फसल नहीं सींचने दी। उसको सींचने का कोई और प्रबन्ध नहीं था।

५—प्रतिवादियों की इस अनुचित कार्रवाई का यह फल हुआ कि गेहूँ की वह कुल फसल सूख गई और कुछ पैदावार नहीं हुई और वादी की गेहूँ की फसल और उसके भूसे की हानि हुई जो प्रायः..... रु० की थी।

६—अभियोगा कारण—(दिसम्बर सन्.....से)।

७—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ)२० हर्जे का प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे ।

(ब) प्रतिवादी के नाम आज्ञा घोषित की जावे कि वह कभी वादी को नं० ३६६-३६८ के सींचने के लिये नं० ३६७ के कुएँ से, पानी लेने से न रोके ।

(२०) पानी बहने में रुकावट ढालने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी एक इकमंजिला पक्के मकान (जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी है) जो मुहल्ला मीरगज इलाहाबाद में स्थित है, का मालिक व काबिज है ।

२—यह मकान २० साल से अधिक का बना हुआ है और उसके दक्खिन की ओर बहुत दिनों से खाली ज़मीन पड़ी हुई थी जिसको लेकर प्रतिवादी ने.....ई० में मकान बनवाया है ।

३—प्रतिवादी के मकान की उत्तरी दीवार वादी की दीवार के सामने है और बीच में प्रतिवादी ने सिर्फ २ फिट चौड़ी गली छोड़ी है जिसमें उसके मकान की ३ मोरी और २ परनाले गिरते हैं ।

४—उस गली में इन परनाले व मोरियों के पानी निकलने का बहाव और निकास ठीक नहीं है जिसकी वजह से पानी वादी के मकान की दक्खिनी दीवार तक पहुँच जाता है ।

५—सन्.....ई० में प्रतिवादी ने मिट्टी डलवाकर उस गली को ऊँचा करवा दिया है जिसके कारण पिछली बरसात में वादी की दक्खिनी दीवार एक फिट की ऊँचाई तक बिल्कुल गल कर खराब और कई जगह से फट गई है और उसमें होकर वादी के मकान में पानी चला आया और जिससे दीवार और फर्श को बहुत नुकसान पहुँचा ।

६—प्रतिवादी से इसके कारण को दूर करने को कहा गया लेकिन वह ध्यान नहीं देता ।

७—दावे का कारण—

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

(अ)२० हर्जा प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे ।

- (व) इस बात की घोषणा कर दी जावे कि प्रतिवादी को बीच की गली इस प्रकार से रखने का या उसको ऊँचा कर देने का, जिससे बहाव का पानी वादी की दक्खिनी दीवार तक आ जाये, कोई अधिकार नहीं है ।
- (क) प्रतिवादी के नाम सर्वकालिक निपेधाज्ञा जारी किया जावे कि वह उस गली और अपने मकान को इस प्रकार से न रखे कि जिससे वादी को हानि पहुँचे ।
- (ख) इस नालिश का खर्चा इत्यादि दिलाया जावे ।

(२१) प्रकाश के सुखाधिकार पाने के लिये निपेधाज्ञा का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित विवेदन करता है—

१—वादी एकमजिला पक्का मकान, स्थित मुहल्ला लखपती शहर हाथरस (जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी है) का मालिक और कायिल है ।

२—इस मकान की पहिली मजिल की दक्खिनी दीवार में, रसोईघर में हवा और उजेला आने और धुआँ निकलने के लिये दो जगले हैं और दूसरी मजिल में उसी ओर बैठने के कमरे में हवा और रोशनी आने के लिये दो जगले हैं और यह चारों जंगलों २० साल से अधिक से इसी दशा में दिवत हैं और वादी के काम में आते हैं और उनको स्थापित रखने का उसको अधिकार प्राप्त है ।

३—दस दिन हुए कि प्रतिवादी ने उस दीवार से मिला हुआ मकान बनवाना शुरू किया है कि जिसके न रोके जाने पर चारों जंगलों से हवा और उजेले का आना और रसोई-घर से धुएँ का निकलना बिल्कुल बंद हो जावेगा ।

४—प्रतिवादी से तामोर रोकने के लिये कहा गया परन्तु वह ध्यान नहीं देता ।

५—अभियोग कारण—

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

- (अ) प्रतिवादी को आगा दी जावे कि वह उस मकान को इस प्रकार से न बनवावे जिससे वादी के जंगलों से रोशनी व हवा आना बंद हो जाय ।
- (ब) यदि नालिश कैसिल होने तक वह तामोर पूरी हो जावे तो वह गिरवा दी जावे और उसके न तोड़ने पर जो वादी को हानि हो, दिलाई जावे ।
- (ज) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे ।

(२२) विशेष ११८ से आने जाने की बाधत

१—सुहल्ला काजीपाड़ा शहर आगरा में वादियों के मकान.....कूचे में स्थित हैं। वादियों के अतिरिक्त, और किसी आदमी का उस कूचे में आना जाना नहीं होता।

२—यह कूचा पश्चिम की ओर आम सड़क पर निकलता है। उसमें होकर बहुत से बाजार के मवेशी, जो कि पास ही में हैं वादियों के सामने लगी हुई फुलवाड़ी और बगीचे को नाश कर जाते थे, इसके रोकने के लिये वादियों ने बहुत दिनों से उस कूचे में एक फाटक लगवा दिया।

३—ता०.....को प्रतिवादी बिना अधिकार घोड़ा गाड़ी समेत उस कूचे में घुस गया और वादियों के लगाये हुए फाटक और दरवाजे को गिरवा कर उसने अनुचित रूप से रास्ते का प्रयोग किया।

४—वादियों के मना करने पर भी प्रतिवादी अपनी अनुचित कार्रवाई जारी रखता है और उस रास्ते से आता जाता है।

(हुकम इम्तनाई व हजें के लिये प्रार्थना होगी)

४१—असावधानी, गफलत या लापरवाही

(Negligence)

असावधानी या गफलत के दावे या जवाबदावे में वे घटनाएँ लिखी जानी चाहिये जिनसे एक पक्ष के अनुसार दूसरे पक्ष की असावधानी प्रमाणित हो। ऐसी घटनाओं का उल्लेखन किये बिना सिर्फ यह लिख देना कि दूसरे पक्ष ने गफलत या लापरवाही की, पर्याप्त नहीं होता। उन घटनाओं से यह प्रगट होना चाहिये कि उत्तरदायी पक्ष का अमुक कर्तव्य था और उसने उसकी पूर्ति नहीं की या कि उसके विरुद्ध कार्य किया।

असावधानी के लिये जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर होती है जो कि असावधान था परन्तु विशेष दशाओं में एजेन्ट और नौकर की गफलत के लिये भी उसका मालिक जिम्मेदार होता है। अदालत दोषानुषंगी के मुकदमों में गफलत से प्रायः हर्जा लेने की जिम्मेदारी पैदा होती है और हर्जे की संख्या अदालत शारीरिक व मानसिक कष्ट और आर्थिक क्षति का अनुमान करके नियत करती है इसलिये गफलत व असावधानी के दावों में जो हर्जा माँगा जावे उसमें हर प्रकार के हर्जे का विवरण देना चाहिये जिससे अदालत प्रत्येक प्रकार के हर्जे की संख्या उचित रूप से नियत कर सके। वही पुरुष हर्जा पा सकता है जिसको शिकायत की हुई गफलत से शारीरिक या मानसिक कष्ट हुआ या जिसके माल या जायदाद को नुकसान पहुँचा।

यदि नालिश के पहले या नालिश करने के बाद उसकी मृत्यु हो जावे तो उसके उत्तराधिकारियों को, वादी की विशेष दशाओं के आतिगिक हर्जा पाने का स्वत्व नहीं रहता। परन्तु रेल या मोटर की दुर्घटनाओं में, प्रतिवादी की गफलत या लापरवाही से किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिस एक्ट १३ सन् १८५५ (Fatal Accidents Act) के अनुसार हरजाने का दावा कर सकते हैं पर वह वही हालत में हो सकता है जब कि यदि मृतक की मृत्यु न हुई होती तो वह हानि पहुँचने का दावा कर सकता। यह दावे स्त्री, पुरुष, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, इत्यादि की तरफ ही से लाये जा सकते हैं इसलिये अर्जीदावे में वादी का मृतक से सम्बन्ध और मुआवजे की तफसील देनी चाहिये। मृतक की मृत्यु से वादा को क्या हानि पहुँची और उसका कितना नुकसान हुआ इन्हीं बातों के अनुसार मुआवजा दिलाया जाता है।

विधान की दृष्टि में गफलत या असावधानी तब ही उत्पन्न होनी कही जाती है जब प्रतिवादी कोई ऐसा काम न करे जो किसी विशेष अवधर पर या विशेष अवस्था में एक साधारण समझदार आदमी करता, या कोई ऐसा काम करदे जो एक साधारण समझदार का आदमी उस दशा में न करता या जो कहना चाहिये कि प्रतिवादी का यह कर्त्तव्य होता है कि वह सावधानी बर्ते कि उसके किसी कार्य करने या उसके किसी कार्य न करने से दूसरे को क्षति न पहुँचे।¹ ऐसा कर्त्तव्य या तो आपस में प्रतिज्ञा से उत्पन्न होता है या साधारण प्रकार से किसी कानून या विधान से उत्पन्न होता है और प्रायः सभी को बर्तना होता है जैसे एक व्यक्ति के आम रास्ते को इस्तेमाल करने में दूसरे रास्ता चलने वालों को नुकसान या चोट न पहुँचे।

प्रतिवादी, उसके नौकर या उसके एजेंट की असावधानी या लापरवाही से नुकसान पहुँचने पर वादी को यह बातें दिखाना जरूरी हैं—

(१) वे घटनाएँ जिनसे प्रतिवादी का वादी के लिये कोई फर्क साबित हो। अगर मुआहिदे से फर्क पैदा हुआ हो तो अर्जीदावे में मुआहिदे का होना दिखाना चाहिये वरना गफलत या लापरवाही दिखाना चाहिये।

(२) वे घटनाएँ जिनसे इस फर्क को अदा न होना जाहिर हो।

(३) यह कि इस लापरवाही या गफलत से वादी को हानि पहुँची और उसका नुकसान हुआ।²

रेल व मोटर के दुर्घटना इत्यादि के मामलों में ऐसी दुर्घटना से ही प्रतिवादी कम्पनी या उसके कर्मचारियों की असावधानी नहीं मान ली जाती, परन्तु यदि घटना ऐसी हो जो प्रायः बिना असावधानी के नहीं हो सकती थी, वहाँ पर

1. A I R. 1928 Cal 504, 1938 Rang. 185.

2 I. L. R 58 Bom 189, 175 I C 804

साधारण प्रमाण होने पर भी ऐसी असावधानी मान ली जाती है।¹ जहाँ पर आबादी के पास रेल की लाइन का फाटक हो और रेलवे कम्पनी फाटक को खुला रखे तो उसके अर्थ ये होंगे कि उसकी लाइन पर कोई गाड़ी इत्यादि आने जाने वाली नहीं है और जनता रास्ते को इस्तेमाल कर सकती है और यदि फाटक खुला होने पर रास्ता चलने वाले को रेल या ट्रेली इत्यादि से नुकसान पहुँचे तो रेलवे कम्पनी की असावधानी आसानी से मान ली जावेगी।²

मियाद—गफलत या असावधानी के दावों में कानून मियाद का आर्टिकल, ३६ लागू होता है और उसके अनुसार मियाद दो साल की होती है।

* (१) लापरवाही से गाड़ी हाँकने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी मोची है और अपना कारखाना स्थान.....में चलाता है और प्रतिवादी (स्थान) का सौदागर है।

२—ता०.....को शहर कलकत्ते में दोपहर के तीन बजे वादी चौरंगी की सड़क पर होकर दक्खिन की ओर पैदल जा रहा था और उसको मिडिलटन स्ट्रीट के, जो चौरंगी का आती है, पार करना पड़ा। जब कि वह इस सड़क को पार कर रहा था और दूसरी तरफ की पटरी (पैदल चलने वालों के लिये रास्ता) पर पहुँचने ही को था, कि प्रतिवादी की एक गाड़ी जिसमें दो घोड़े जुते हुए थे और जिसको कि प्रतिवादी के नौकर हाँक रहे थे यकायक लापरवाही से बिना रास्ता चलने वालों को हेथियार किये, तेज़ी के साथ मिडिलटन स्ट्रीट से निकल कर चौरंगी में आई। इस गाड़ी की बम्ब से वादी को चोट लगी और उसके धक्के से वादी गिर पड़ा और घोड़े के पाँव तले दब गया।

३—गिर पड़ने, कुचल जाने, और उसके धक्के से वादी का बाँया हाथ टूट गया और उसके पहलू और पीठ में और शरीर के अन्दर भी धक्का पहुँचा जिसकी वजह से वह घर में.....महीने तक बीमार पड़ा रहा और बहुत कष्ट उठाता रहा और अपना कामकाज न कर सका। इसके अतिरिक्त डाक्टरों की फीस व दवा इत्यादि में.....२० खर्च हुआ और उसके कारोबार के लाभ में बहुत कमी हो गई।

४—अभियोग कारण—

५—दावे की मालियत—

(वादी की प्रार्थना)

1 See v L D Company, 13 W R 410 also 5 Q B 747

2 I L R 53 All 943 ; 16 Pat 672, 41 Cal 308

* नोट—See C. P. C. Sch I, App. A, Form No. 30.

(२) मोटर लापरवाही से हॉकने पर हर्जे^c का दावा

(सिरनामा)

१—वादी एक ताल्लुकदार है और लगभग ४००००) २० सालाना मालगुजारी सरकारी देता है और प्रथम श्रेणी का आनरेरी मजिस्ट्रेट और प्रात की काँसिल का सदस्य है।

२—ता०.....को वादी अपनी गाड़ी में शहर अलीगढ़ से आगरे को जाने वाली सड़क पर हवा खाने के लिये जा रहा था।

३—अलीगढ़ से लगभग ४ फर्लांग की दूरी पर यह सड़क एक दूसरी सड़क से, जो हाथरस से अलीगढ़ को आती है, मिल जाती है। उसी तारीख को प्रतिवादी उस समय अपनी मोटरकार में हाथरस वाली सड़क पर अलीगढ़ की तरफ आ रहा था।

४—जबकि वादी की गाड़ी दोनों सड़कों के चौराहे से गुजर रही थी, प्रतिवादी के मोटर हॉकने वाले ने मोटर को ऐसी लापरवाही और असावधानी से चलाया कि वह बड़े जोर और तेजी के साथ वादी की गाड़ी से टकरा गई जिसका नतीजा यह हुआ कि वादी गाड़ी से गिर गया और उसके बहुत चोट आई।

५—वादी को इस चोट के कारण डाक्टरों इलाज में रकबा खर्च करना पड़ा और उसकी गाड़ी को नुकसान पहुँचा, घोड़े के घाव और खुसंट हो गई और वादी तीन हफ्ते तक अपना मामूली कारोबार नहीं कर सका।

६—प्रतिवादी की लापरवाही यह थी कि उसने कोई सूचना देने का बिगुल नहीं बजाया और एकवारगी तेजी के साथ मोटर को वादी की गाड़ी से लड़ा दिया।

७—वादी की नीचे लिखी हुई हानि हुई—

(यहाँ पर हर्जा व हानि लिखना चाहिये)।

*(३) रेल की सड़क पर, प्रतिवादी की लापरवाही से

चोट लगने पर

(सिरनामा)

(अ—ब) वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—ता०.....सन्.....को प्रतिवादी साधारण रूप से यात्रियों को रेलगाड़ी से, स्थान.....से स्थान.....को पहुँचाया करते थे।

२—उस ता०.....को वादी प्रतिवादी की रेल गाड़ियों में से, एक गाड़ी पर सवार था।

*NOTE—See C. P. C Sch. I, App. A, Form No. 29.

३—इसी यात्रा में स्थान.....पर (या स्टेशन.....के पास, या स्टेशन.....और स्टेशन.....के बीच में) प्रतिवादी के नौकरों की भूल और असावधानी से रेल लड़ गई जिसके कारण से वादी को बहुत चोट पहुँची (टॉय टूट गई या सर फट गया या जो कुछ हानि पहुँची हो) और उसके इलाज में बहुत खर्चा हुआ और वादी हमेशा के लिये अपना कारबार करने से मजबूर हो गया ।

या

४—उस ता०.....को प्रतिवादी के नौकरों ने ऐसी लापरवाही और भूल से एञ्जन और उसके पीछे लगी हुई गाड़ियों को प्रतिवादी की रेलवे पर जिससे वादी उस समय अधिकार युक्त जा रहा था, हॉका व चलाया कि वादी को धक्का लगा और उसको यह चोट लगी (यहाँ पर चोट का विवरण देना चाहिये)

(४) गाड़ी लड़ जाने से चोट आ जाने पर यात्री का हर्जे

के लिये रेलवे पर दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करना है—

१—ता०.....को वादी प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे पर अलीगढ़ स्टेशन से गाज़ियाबाद के लिये दो बजे की गाड़ी पर दूसरे दर्जे का किराया देकर एक द्वितीय श्रेणी के डब्बे में सवार हुआ ।

२—प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की लापरवाही और भूल से चोला और सिकन्दराबाद स्टेशनों के बीच में यह गाड़ी गाज़ियाबाद से अलीगढ़ को आती हुई माल गाड़ी से टकरा गई और उसके घक्के से वादी अपने स्थान से नीचे गिर गया, उसकी दाहिनी बाँह की हड्डी टूट गई और दो दाँत हिल गये और कुल शरीर को घका लगा ।

३—इस चोट लगने के कारण वादी दो हफ्ते तक अस्पताल में पड़ा रहा और अपनी नौकरी पर नहीं जा सका । इसके अतिरिक्त डाक्टरों की फीस इत्यादि में खर्चा करना पड़ा जिसका विवरण यह है—

(अ) १५ दिन ता०.....से ता०.....तक का हर्जा..... २५० रु०

(ब) दस बार की डाक्टर की फीस ५० रु० ।

(क) नौकर व दवाई इत्यादि का खर्चा १०० रु० ।

४०० रु०

(५) मृतक के दायभागियों की ओर से हर्जे के
क्रिये नाक़िश

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं—

१—श्री मोहनलाल, वादी नं० १ का पति और वादी २ व ३ का पिता या और डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के ओहदे पर ६००) ६० मा० के हिसाब से सरकारी नौकर था और उसकी आमदनी से कुटुम्ब का पालन-पोषण होता था ।

२—उक्त मोहनलाल अम्बाले से कानपुर के लिये प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे पर ता०.....को दो बजे दिन को सवार हुआ ।

३—वह गाड़ी पानीपत और देहली स्टेशनों के बीच में एक दूसरी तरफ की आने वाली माल गाड़ी से टकरा गई और उक्त श्री मोहन लाल की, जो कि एञ्जिन के बाद की गाड़ी में बैठा हुआ था उस गाड़ी के साथ जल कर मृत्यु हो गई ।

४—यह घटना प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की असवधानता और भूल से हुई क्योंकि उन्होंने एक ही समय पर दो गाड़ियों को लाइन पर छोड़ दिया और लाइन खाली होने की बात उचित सावधानी नहीं की ।

५—मोहनलाल की असमय मृत्यु से वादी असहाय और बिना रक्षा व परवरिश रह गये । वादी नं० १ एक वृद्धा और अनपढ़ स्त्री है और वादी नं० २ व ३ अभी अवयस्क (नाबालिग) हैं और स्कूल में पढ़ते हैं ।

६—वादियों का उक्त मोहन लाल की मृत्यु हो जाने के बाद इस प्रकार खर्चा व हर्जा हुआ है (खर्चें और हर्जें की तफसील) ।

७—दावे का कारण (दुर्घटना के दिन से)

८—दावे की मालियत—

वादियों की प्रार्थना—

(६) रेलवे कम्पनी पर माल न हवाला करने का दावा

१—ता०..... को वादी ने २०० बेरे सरसो जौनपुर से फिरोज़ाबाद को किराया देकर ले जाने और वहाँ पर अब्दुलमजीद अब्दुलहमीद सौदागरों को डिलीवर (हवाला) करने के लिये प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों के हवाले किये और उचित रीति से रेलवे रसीद नम्बरी.....प्राप्त की ।

२—प्रतिवादी कम्पनी ने कुल २०० बेरियो में १५० बेरी उक्त सौदागरों को

हवाला कर दी और बकाया ५० बोरी प्रतिवादी कम्पनी या उसके नौकरो ने या तो स्वयं रखलीं या लापरवाही से वादी की आज्ञा विरुद्ध किसी दूसरे पुरुष के हवाले कर दी ।

३—वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ—

(हर्जे की तफसील)

४—प्रतिवादी को वादी के दावे की सूचना नियमानुसार धारा ७७ रेलवे एक्ट के अनुसार दी जा चुकी है ।

(७) माल न हवाला करने और हानि होने पर, रेलवे कम्पनी पर दावा

१—ता०.....को वादी ने २०० बोरी गेहूँ.....स्टेशन पर प्रतिवादी कम्पनी को किराया देकर.....स्टेशन ले जाने और बहाँ वादी को हवाला करने के लिये दिये और रेलवे रसीद नं०.....उसी तारीख को प्राप्त की ।

२—यह माल ता०.....को स्टेशन.....पर पहुँचा लेकिन २०० बोरी में से २५ बोरी कम थीं और ४५ बोरी पानी से भीगी हुई थीं जिससे उनका अनाज बिल्कुल सड़ गया था और किसी काम का नहीं रहा, कुल १३० बोरी अच्छी दशा में थी ।

३—जाच करने पर मालूम हुआ कि उस वैगन (Wagon) की, जिसमें कि प्रतिवादी कम्पनी ने लाद कर यह बोरीयाँ भेजी थीं छत टूटी हुई थी और बरसात होने के कारण से मँह का पानी वैगन में भर जाने से बोरीयाँ भीग गईं और अनाज खराब हो गया । वादी को यह हानि प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की भूल और लापरवाही से हुई और २५ बोरी या तो प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों ने चोरी कर ली या उनकी असावधानता और वे एहतयाती से कम हो गईं । वादी को सिर्फ १३० बोरी की डिलीवरी दी गई ।

४—धारा ७७ रेलवे एक्ट के अनुसार वादी ने अपने दावे की सूचना उक्त रेलवे कम्पनी के एजेंट को छः महीने के अन्दर दी थी परन्तु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया ।

५—वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ—

(हर्जे का विवरण)

(८) अधिक किराये की वापसी के लिये

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ने ता०.....माह.....सन्.....ई० को प्रतिवादी कम्पनी की मारफत २५० बोरी गेहूँ किराया देकर अलीगढ़ से बनारस मेजने का मुआहिदा किया और उक्त कम्पनी ने वह माल अलीगढ़ से बनारस पहुँचा दिया ।

२—प्रतिवादी कम्पनी ने इन बोरियों का रेलवे की किताब में लिखी हुई दर से जो ऐसे माल पर लगती है अधिक किराया माँगा, और जबतक कि वादी इस अधिक दर से किराया अदा न करे माल की डिलीवरी देने से इनकार किया।

३—वादी को अधिक किराया अदा करना पड़ा और उसने ता०...मा०...सन्ई० को किराया देकर माल की डिलीवरी ले ली।

४—प्रतिवादी कम्पनी ने इस प्रकार अधिक किराया वसूल किया -

संख्या बोरी.....	बोरा
वजन माल.....	मन
नियम पूर्वक दर.....	र०
नियम के दर से कुल किराया.....	र०
किराया जो कम्पनी ने वसूल किया.....	र०
किराया जो कम्पनी पर अधिक पहुँचा.....	र०

५—अधिक दिये हुए रुपये पर वादी हर्षा के रूप में १) रुपया सै० मा० का सूद पाने का हकदार है।

६—अभियोग कारण—(.....किराया वसूल करने के दिन से)।

७—दावे की मालियत—

८—प्रतिवादी के एजेंट को धारा ७७ रेलवे एक्ट के अनुसार ता०.....ई० को, वादी नोटिस दे चुका है।

(वादी की प्रार्थना)

(९) रेलवे कम्पनी के ऊपर, भूक से फाटक न बन्द करने और हानि पहुँचने पर दावा

१—प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे लाइन, अलीगढ़ से रामघाट को जाने वाले पक्की सड़क को उत्तर-पूरब कोण की तरफ स्टेशन से लगभग दो फर्लांग के फासले पर, पार करती है और उस स्थान पर एक फाटक है जिसको फाटक रामघाट कहते हैं।

२—उस फाटक के ऊपर एक लैम्प लगी हुई है जो रात के समय फाटक खुला होने पर सफेद और बन्द होने पर लाल रोशनी दिखलाती है।

३—ता०.....को वादी आगरे की गाड़ी से सवार होने के लिये रात के ११ बजे अपनी टमटम पर जा रहा था। वादी दूर से सफेद रोशनी देख कर और फाटक खुला पाकर वे रोक, टमटम को हॉके हुये रेलवे लाइन पर चला जा रहा था।

४—रेलवे लाइन पर उस समय एक माल गाड़ी शनटिंग (Shunting) कर रही थी। उसका धक्का बड़े जोर से वादी की गाड़ी को लगा।

५—धक्के से, वादी टमटम से दूर जा पड़ा और उसकी सीधी बाँह और सीधी टाँग में गहरी चोट आई और कुल शरीर को झटका पहुँचा। घोड़ा घायल होकर एक तरफ गिर कर मर गया और टमटम चूँ-र हो गई।

६—वादी को प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की भूल और असावधानी से अत्यन्त शारीरिक कष्ट और हानि हुई, क्योंकि उन्होंने लाइन को साफ नहीं रक्खा और न फाटक को उचित समय पर बन्द किया और वादी को टमटम हॉके हुये बिना रोक लाइन पर चला आने दिया।

७—वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ।

शारीरिक कष्ट व इलाज इत्यादि.....	२०।
टमटम को नुकसान.....	२०।
घोड़े का मूल्य.....	२०।
कुल जोड़.....	२०।

(१०) लापरवाही से छोड़े का तार और लाइन का ढोरा ठीक न रखने पर रेलवे कम्पनी पर दावा

१—मुहाल.....ग्राम.....ज़िला.....में भूमि नम्बरी.....का वादी बहुत दिनों से दखीलकार काश्तकार है।

२—उस ज़मीन के एक हिस्से में छप्पर और फूस के बने हुए कई मकान हैं जिसमें वादी के चौपाये रहते हैं।

३—उस भूमि के उत्तर की ओर, कुल लम्बाई में प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे लाइन है।

४—उस जमीन और लाइन के बीच में प्रतिवादी कम्पनी के लोहे के तार की रोक लगी हुई थी और उस तार के बाद कच्चा ढोरा था जिस पर केतकी की भाड़ी लगी हुई थी जिससे कि वादी के मवेशी लाइन पर जाने और कटने से बच जावे।

५—लगभग तीन महीने हुये कि लाइन का तार बिल्कुल टूट गया। कच्चा ढोरा पहिले ही से जगह २ पर टूटा हुआ था और केतकी के रख जाने से चौपाये आसानी से रेलवे लाइन पर जा सकते थे। रेलवे कम्पनी ने इसके ठीक करने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया।

६—ता०.....को वादी के दो बैल और एक भैंस जो कि उस भूमि में चर रहे थे प्रतिवादी की रेलवे लाइन पर चले गये और एक सवारी गाड़ी के हॉकने वाले की लापरवाही से कट कर मर गये।

७—दोनों बैल और भैंस की बाजारू कीमत.....२० थी।

८—बिनायर्दावा (बैलों के कटने के दिन से)।

९—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(११) रोशनी न होने से शारीरिक चोट पहुँचने पर यात्री का रेलवे परं दावा

१—प्रतिवादी कम्पनी के चेला रेलवे स्टेशन पर टिकट घर से प्लेटफार्म जाने के लिये कुछ सीढ़ियों पर होकर जाना पड़ता है।

२—ता०.....वादी ने रात के दो बजे देहली जाने वाली गाड़ी के लिये टिकट घर से टिकट लिया और प्लेटफार्म की ओर गाड़ी पर चढ़ने के लिये चला।

३—वादी रास्ते से अपरिचित था और काफी रोशनी न होने से सीढ़ियों को न देख सका और न रोशनी इतनी थी कि सीढ़ियाँ दिखाई देतीं।

४—वादी गिर गया और उसके कई जगह चोट आई, चोट की वजह से वादी अपना काम एक हफ्ते तक नहीं कर सका और उसका, इलाज मे.....रु० खर्च हुआ जिसका विवरण यह है—

(यहाँ पर विवरण देना)

४२—स्वत्व आविष्कार (Patent)

पेटेन्ट एक ऐसा स्वत्व है जो किसी कल, मशीन या अन्य वस्तु के आविष्कार को एक विशेष अवधि तक, उस आविष्कार को सुरक्षित रखने और उससे लाभ उठाने का विधान से प्राप्त होता है। इससे ईजाद करने वाला अपनी मेहनत का फल भोग सकता है और अन्य पुरुष उसकी नकल करने या उससे अनुचित लाभ उठाने से रोके जा सकते हैं।

इस प्रकार का अधिकार किन दशाओं में और कहाँ तक आविष्कारक को प्राप्त है उसके सम्बन्ध में एक्ट २ सन् १९११^१ देखना चाहिये। अर्थात् दावे में वादी का पेटेन्ट का अधिकारी होना और प्रतिवादी का उसमें विघ्न डालना, कुल घटनाओं के साथ लिखना चाहिये। वादी हर्जा माँग सकता है या प्रतिवादी के मुनाफे का हिसाब तलब कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी को रोकने के लिये निषेधाज्ञा (इन्क्वैन्टिनाई) भी निकलवा सकता है।^२

^१ 1 Patent and Designs Act, II of 1911.

^२ 2 A I. R. 1936 Bom. 99 ; 1938 Bom. 347 , I L R 60 Bom 261.

(१) पेटेन्ट ताले की नक़्क़ करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी “जेबलाक” के नाम से प्रसिद्ध ताले की कारीगरी व बनावट का प्रथम और असली आविष्कारक है। इस ताले की कारीगरी और बनावट का विवरण सूची नं० १ में लिखा हुआ है जो साथ २ पेश की जाती है।

२—ता०.....को वादी ने इस ताले को पेटेन्ट नं०.....करा लिया जो..... साल के वास्ते था और उसकी श्रमी तक अवधि समाप्त नहीं हुई।

३—प्रतिवादी ने पेटेन्ट के विरुद्ध कार्रवाई की और वादी के ‘जेब-लाक’ की तरह का और उससे शकल में मिलता हुआ ताला बनवा कर उसको ‘जेबलाक’ के नाम से प्रसिद्ध किया और बाज़ार में बेचता है।

४—ताले के उसी प्रकार के होने, शकल में मिलने और प्रायः नम्बर के अन्तर एक से होने से ग्राहकों को धोका हो जाता है।

५—वादी के ताले का मूल्य फी नग ५)६० है और प्रतिवादी अपने तालों को ३)६० के हिसाब से बेचता है। इस अनुचित कार्य से वादी को बहुत हानि हुई है।

६—अभियोग कारण—

७—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी के नाम एक सर्वकालिक आशा निकाली जावे कि वह अपने ‘जेबलाक’ नामक ताले को बनाने और बेचने से रोकदिया जावे और कभी कोई ऐसा कार्य न करे कि जिससे वादी के पेटेन्ट के अधिकार में विघ्न पड़े।

(ब) हर्जा व नालिश का खर्चा दिलाया जावे।

(२) मशीन के पेटेन्ट में विघ्न ढाकने पर

१—आसाम देश में वर्षों से बंसलोचन तैयार किया जाता है और उसके बनाने की कई रीतियाँ हैं।

२—वादी ने सन् १९२५ इ० में बंसलोचन बनाने और उसको शुद्ध करने का आविष्कार किया और एक मशीन बनाई और उसकी पेटेन्ट व डिजाइन्स एक्ट (Patent and Designs Act) के नियमानुसार रजिस्ट्री करा ली और सर्टिफिकेट नं०.....प्राप्त किया।

३—इस रीति से बंसलोचन साफ करने में बहुत कम लागत लगती है और स्वच्छ और उत्तम माल तैयार होता है ।

४—प्रतिवादी बहुत दिनों से बसलोचन के बनाने और सफाई का काम एक पुराने ढंग से किया करता था । उसने वादी की रीति को उत्तम व लाभदायक देख कर उसकी नकल की और वादी की बसलोचन साफ करने वाली मशीन के प्रकार की एक दूसरी मशीन बनवा कर उससे काम करने लगा ।

५—प्रतिवादी की इस अनुचित कार्रवाई से वादी के व्यापार को बहुत हानि हुई और माल की बिक्री कम हो गई ।

६—वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ—

(यहाँ पर हर्जे का विवरण देना चाहिये)

७—वाद-कारण—(प्रतिवादी के मशीन बनाने और काम में लाने के दिन से) ।

४३—कापीराइट (Copyright)

(पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार)

कापीराइट वह स्वत्व है जो किसी ग्रन्थकार, अर्जुवादक या उपदेशक को किसी पुस्तक, या निबन्ध या लेखक के प्रकाशित करने का एक नियत समय तक प्राप्त होता है । यह अधिकार भारत संघ में सुरक्षित है और ये दावे एक्ट ३ सन् १९१४ ई०^१ जिससे विलायत के कानून^२ की विशेष धारारयें भारत संघ में प्रचलित कर दी गयी हैं; के अनुसार दायर किये जाते हैं । इन दावों में वादी हर्जा हिसाब और निषेधाज्ञा की प्रार्थना कर सकता है और जो किताब प्रतिवादी के पास हों उनके दिलाये जाने की प्रार्थना कर सकता है (इस बिलखिले में पद ४२ Patent का नोट भी देख लेना चाहिये) ।

ग्रन्थकार या प्रकाशक के अधिकार की रक्षा का अभिप्राय यही होता है कि प्रतिवादी, वादी के परिश्रम का अनुचित लाभ न उठा सके । कापी राइट में विघ्न डालने पर वादपत्र (अर्जीदावे) में यह लिखना आवश्यक होता है कि प्रतिवादी ने, वादी के लिखे हुए ग्रन्थ, निबन्ध इत्यादि को, पूर्ण रूप से या अंशित रूप से स्वयं अपना लिखा हुआ प्रगट करके प्रकाशित किया अथवा उसकी ऐसी नकल की जिससे वादी के परिश्रम के फल को अपने परिश्रम का फल प्रगट किया ।^३ यदि कोई

1 Indian Copyright Act

2 Imperial Copyright Act of 1911, 1 and 2 George 5 Ch. 46.

3. A. I. R. 1924 P. C. 75 ; 22 A. L. J. 473.

पुस्तक दूसरी पुस्तक या पुस्तकों की सहायता से तैयार की गई हो, जैसे कोई अनुवाद इत्यादि तो अन्य मनुष्य को भी वैसी ही पुस्तक तैयार करने का अधिकार होता है यदि वह स्वयं अपने परिश्रम और मिहनत से उसे तैयार करे और पहली प्रकाशित पुस्तक की नकल न करे या उसके विचारों का अनुचित लाभ न उठावे ।¹

वादपत्र में (१) वादी का कापीराइट का मालिक होना (२) और यह कि प्रतिवादी ने उसमें विघ्न डाला, लिखना जरूरी होता है । जिस प्रकार से विघ्न डाला हो उसका विवरण देना चाहिये । ऐसे दावे जिला जज की अदालत में दायर किये जाते हैं ।² और दावा उस अदालत में दायर होना चाहिये जिसकी अधिकार सीमा में दावा करने का अधिकार पैदा हुआ या जहाँ पर विघ्न डाला गया ।³

मियाद—विघ्न डालने की तारीख से मियाद ३ सालकी होती है ।⁴

नोटः—कापीराइट के मुकदमें मुकसिल की अदालतों में बहुत कम होते हैं । यदि ऐसा मुकदमा दायर करना पड़े तो इंडियन कापीराइट एक्ट नं० ३ सन् १९१४ और इंग्लिश कापीराइट एक्ट सन् १९११ की वे धाराये जो इस देश में प्रचलित हैं, देख लेनी चाहिये ।

(१) दूसरी पुस्तक प्रकाशित करके कापी राइट में विघ्न डालने पर ।

सिरनामा

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी.....नामक पुस्तक का रचयिता और उसके कापीराइट का अधिकारी है ।

२—प्रतिवादी ने उक्त पुस्तक से बहुत से निबन्ध लेकर.....नामक एक नई पुस्तक बनाई और उसको छपवा कर स्वयं बेचता है ।

३—इन निबन्धों का विवरण जहाँ तक वादी को मालूम हो सका है यह है—

(यहाँ पर नकल किये हुए विषय का, दोनों पुस्तकों के पृष्ठ इत्यादि सहित विवरण देना चाहिये) ।

४—वादी की पुस्तक का मूल्य २) ६० प्रति है और प्रतिवादी अपनी पुस्तक १) ६० प्रति बेचता है ।

1 1938 A L J. 390 , I L R 17 Cal 951

2 Sec. 13, Ind. Copyright Act

3 I. L R 33 All 24.

4. Art. 40, Limitation Act.

५—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी की पुस्तक की बिक्री बहुत कम हो गई है और प्रतिवादी की छपवाई हुई ५०० पुस्तकों में से लगभग दो सौ बिक चुकी हैं और ३०० पुस्तक अब भी उसके पास मौजूद है ।

६—प्रतिवादी से बिकी हुई किताबों का मूल्य अदा करने और शेष पुस्तकों को वादी के हवाले करने के लिये कहा गया और रजिस्ट्री किया हुआ नोटिस भी दिया गया लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अब भी वादी के कापीराइट का उल्लंघन करके अपनी पुस्तक की बिक्री कर रहा है ।

७—बाद-कारण—

८—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी को आज्ञा हो कि वह.....नामक पुस्तक की बिक्री का हिसाब पेश करे और जितनी किताब उसने बेची हों, उनकी कीमत हानि के बदले में वादी को दिलाई जावे ।

(ब) प्रतिवादी को हुकम दिया जावे कि.....नामक पुस्तक, जितनी उसके कब्जे में हों वादी के हवाले कर दे ।

(क) प्रतिवादी के नाम एक सर्वकालिक निषेधात्मक आज्ञा (हुकम इस्तनाई) जारी की जावे कि वह भविष्य में कभी.....नामक पुस्तक की बिक्री न करे और न कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादी के कापीराइट का उल्लंघन हो ।

* (२) नाटक के कापीराइट के सम्बन्ध में

१—वादी “ मकतूल ” नामक एक नाटक का ग्रंथकर्ता और उसके कापीराइट का मालिक है । केवल उसी को थियेटरों में उस नाटक के खेलने का अधिकार है ।

२—प्रतिवादी देहली के रामा थियेटर का मालिक है । उसने ता०.....को और लगातार उसके तीन दिन बाद तक वादी की बिना आज्ञा के और यह जानते हुए कि उसको बिना आज्ञा ऐसा खेल करने का अधिकार नहीं है, वह नाटक अपने थियेटर में खेला ।

३—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी का.....रु० का हर्जा हुआ ।

*नोट—यदि दावा कला इत्यादि की किताब के बारे में हो तो इसी प्रकार का वादपत्र (अर्जादावा) जरूरी काट छॉट करके लिखना चाहिये ।

(३) संगीत के कापीराइट का उल्लंघन करने पर

(वाद शीर्षक)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी “रामगीतावली” नामक एक पुस्तक का ग्रन्थकर्ता है ।

२—वादी उसके कापीराइट का भी मालिक है और अकेले उसी को यह स्वर्ग गाने के साथ सर्वसाधारण के सामने खेलने का अधिकार है ।

३—प्रतिवादी ने उक्त संगीत का खेल गाने बजाने के साथ.....में ता०.....को और उसके दो रोज बाद तक, वादी से बिना आज्ञा लिये हुये किया और उसके कापीराइट के अधिकार का उल्लंघन किया ।

४—प्रतिवादी अब भी यह अनुचित कार्य करता है और उसका विचार इसको जारी रखने का है और मना करने पर नहीं मानता ।

५—वाद-कारण —

६—दावे की मालियत —

वादी की प्रार्थना—

(हर्जा व निषेधात्मक आज्ञा के लिये)

४४-ट्रेड-मार्क (Trade-Mark)

(व्यापारी छाप या तिज़ारती निशान)

जब कोई मिल मालिक, व्यापारी या दूकानदार अपने कारखाने, कीठी या दूकान की बनी हुई या वहाँ से बिकने वाली वस्तु पर कोई विशेष चिन्ह या निशान अपना नियत करके लगाता है तो उसको ट्रेडमार्क, व्यापारी छाप या तिज़ारती निशान कहते हैं। ऐसे चिन्ह या निशान से सामान खरीदने वाला जान लेता है कि वह अमुक कारखाने का बना हुआ माल है और इससे कारखाने वाला या दूकानदार अपने व्यापार को सफल और लाभदायक बना सकता है और दूसरे व्यापारियों को उनकी बनाई हुई वस्तु पर वैसा चिन्ह या निशान लगाने से रोक सकता है।^१

भारत में ट्रेड मार्क की रजिस्ट्री कराने के लिये विलायत की तरह कोई क़ानून नहीं है।^२ इस लिये वादपत्र में यह दिखाना होता है (१) कि

1 I L R 37 Cal 204, A I R 1930 Lab 999, 1930 Cal 678

2 I L R 57, All 510, A I R. 1928 Cal 216

वह माल किसी विशेष छाप या नाम से बाजार में प्रसिद्ध हो गया है और जनता उसको उस बनाने वाले ही का माल समझ कर खरीदती है ¹ (२) और यदि प्रतिवादी ने उसकी नकल की हो तो यह कि प्रतिवादी ने ऐसा ट्रेडमार्क ग्रहण किया है जो वादी की छाप के रूप का और उससे मिलता हुआ है जिससे जनसाधारण को धोखा हो जाता है और वह उसको वादी का माल समझ कर खरीद लेते हैं ² (३) यह कि वादी को इससे क्षति हुई और उसको भविष्य में हानि होने की सम्भावना है। कापी राइट और पेटेन्ट के मुकदमों की तरह इन दावों में भी हर्जाने, हिसाब और निषेधात्मक आज्ञा के लिये वादी प्रार्थना कर सकता है।

चादपत्र में यह दिखाना आवश्यक नहीं होता कि प्रतिवादी का अभिप्राय धोखे से अपना माल वादी का माल प्रगट करके बेचने का था, केवल यह दिखाना यथेष्ट होता है कि प्रतिवादी का माल वादी के माल से रूप में इतना मिलता जुलता था कि असचेत खरीदार उसको वादी का मान समझते थे ³ जहाँ वादी और प्रतिवादी दोनों का बनाया हुआ माल एक शकल का हो वहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि एक साधारण खरीदार दोनों पक्षों के तैयार किये हुए माल में अन्तर तुरन्त ही समझ सकता है या नहीं ⁴

मियाद—इन दावों के लिये भी कानून मियाद के आर्टिकल ४० के अनुसार विन्न डालने की तारीख से ३ साल की मियाद होती है ⁵ यदि प्रतिवादी विन्न डालना जारी रखे तो ऐसी हर तारीख से तीन साल की मियाद बढ़ती रहती है ⁶

(१) ट्रेडमार्क उल्लंघन करने पर दावा

(वादशीर्षक)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी नीचे लिखी हुई व्योपारिक छाप (Trade Mark) नम्बर १ का मालिक व कानिज है।

२—वादी ने इस ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री (कानून) के अनुसार कराई थी और उसको मिला हुआ रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट (प्रमाण-पत्र) साथ साथ पेश किया जाता है।

1. I. L R 59 Bom 373, A I R 1936 Mad 9

2 A I R 1939 P C 272, I L R 12 Rang 534

3. I L R. 49 All 92, 57 Mad 600, 52 Bom. 228

4 I. L R. 51 All 182, A I R 1935 Bom 101, I L. R 1937 Bom 183 F B

5 A I R 1919 P C 45

6 1913 P R 97

३—प्रतिवादी ने वादी के हानि पहुँचाने और स्वयं लाभ उठाने की नीयत से वादी के ट्रेडमार्क की तरह का एक दूसरा ट्रेडमार्क जो कि नीचे नं० २ दिया गया है, लगा कर जनवरी सन्.....से बेचना शुरू किया ।

४—दोनों ट्रेडमार्क एक ही प्रकार के होने के कारण, ग्राहकों को धोखा हो जाता है और प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी के व्यापार को बहुत हानि पहुँची है ।

५—प्रतिवादी के इस प्रकार का ट्रेडमार्क लगाने का कोई अधिकार नहीं है ।

६—व्यवहार कारण—

७—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—

(अ) प्रतिवादी के नाम एक सर्वकालिक आज्ञा जारी की जावे कि वह नीचे लिखे ट्रेडमार्क नम्बरी २ को या वादी के ट्रेडमार्क नं० १ से मिलते जुलते और किसी ट्रेडमार्क के काम में न लावे ।

(ब) प्रतिवादी से, जनवरी सन्.....से लेकर माल की बिक्री का हिसाब लिया जावे और जितना प्रतिवादी ने लाभ उठाया हो वह वादी को हर्जा के रूप में दिलाया जावे ।

(क) खर्चा नालिश इत्यादि दिलाया जावे ।

(विवरण ट्रेडमार्क नं० १)

(विवरण ट्रेडमार्क नं० २)

(२) इसी प्रकार का दूसरा वाद-पत्र

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी मक्खन की तैयारी और विक्रय का कारोबार करता है ।

२—जो मक्खन के डिब्बे वादी के कारखाने में तैयार होकर निकलते हैं उन पर वादी की नीचे लिखी हुई व्यापारी छाप (ट्रेडमार्क) लगती है ।

(यहाँ पर उस छाप का पूरा विवरण लिखना चाहिये)

३—यह छाप लगभग २५ वर्ष से वादी के यहाँ काम में लाई जा रही है और ग्राहक उससे वादी के माल की पहचान आसानी से कर लेते हैं और माल को शुद्ध और अच्छा समझ कर खरीदते हैं ।

४—प्रतिवादी ने कुछ दिनों से मक्खन की तैयारी व बिक्री का काम शुरू किया है और वादी के व्यापार के हानि पहुँचाने के अभिप्राय से वादी के ट्रेडमार्क की तरह का एक ट्रेडमार्क अपने डिब्बों पर लगाता है जिसका विवरण यह है—

(यहाँ पर नकली छाप का विवरण लिखना चाहिये)

५—इस ट्रेड मार्क का वादी के ट्रेडमार्क से हमशकल होने और मिलने की वजह से ग्राहकों को धोका हो जाता है और वह प्रतिवादी के माल के वादी के कारखाने का माल समझ कर खरीद लेते हैं ।

६—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी के हानि हुई और उसकी बिक्री बहुत कम हो गई है ।

७—हर्जे का विवरण यह है—

८—प्रतिवादी इस काम के करने में अभी बाज नहीं आता है और उसका इरादा इसके जारी रखने का है ।

९—विनाय दावा—

१०—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना (हर्जा व हुक्म इम्तनार्द के लिये) ।

४५—गुडविल (Good-will)

(व्यापार की नेक नामी)

जब कोई व्यापारी, दूकानदार या कारखाना एक समय तक स्थित रहे या किसी विशेष वस्तु को उत्तम प्रकार से बनाने के लिये प्रसिद्ध हो जावे तो ऐसी नेकनामी से उसको आमदनी होती है जैसे बहुत से प्रेस छपाई के काम के लिये प्रसिद्ध होते हैं, बहुत से दूकानदार अपनी ईमानदारी के लिये और बहुत से कारखाने अपने प्रशुत्पादित वस्तुओं के लिये । ऐसी नेकनामी पर प्रतिवादी के अनुचित कार्य से बच्चा लगता है अथवा वादी के कार्य में विघ्न होता है और वह हर्जे का दावा दायर कर सकता है । एक व्यापारी या फर्म अपने नाम की गुड-विल या नेकनामी को दूसरे के हित में बेच सकते हैं अथवा परिवर्तन कर सकते हैं और परिवर्तन प्राप्त फर्म या व्यक्ति भी ऐसा दावा कर सकता है ।

(१) व्यापार की नेकनामी का रद्दकृत करने पर

(सिरनामा)

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है—

१—वादी जानार अलीगढ में मगनीराम साधोराम के नाम से पसरहट्टे की दूकान करता है ।

*नोट :- इन दावों के लिये भी खण्ड ४४ ट्रेड-मार्क का नोट देखना चाहिये । इस प्रकार की नालिशे बहुत कम होती हैं, यहाँ पर एक नमूना जानकारी के लिये दे दिया गया है ।

२—प्रतिवादी पहिले इसी नाम से उसी बाजार में पसरहट्टे की दूकान करता था ।

३—ता०.....को रजिस्ट्री किये हुये ब्रैनामे से प्रतिवादी ने मियॉगञ्ज वाली पसरहट्टे की दूकान (जिस पर अब वादी बैठ कर दूकान करता है) का माल व असबाब और उधार व व्यापारी नेकनामी ७५००) रु० में वादी के हाथ विक्रय कर दी थी और उसके बाद से वादी उस पर काबिज है ।

४—जून सन् १९.....ई० में प्रतिवादी ने इसी दूकान के पास लगभग १०० गज की दूरी पर एक दूकान किराये पर ले ली और उसमें पसरहट्टे का काम शुरू कर दिया ।

५—इसी ता०.....से प्रतिवादी अनुचित रीति से और १६ मई सन् १९..... ई० के ब्रैनामे के दिये हुए वादी के अधिकार विरुद्ध अपनी दूसरी दूकान पर मगनीराम साधोराम के नाम से दूकान करता है जिससे ग्राहकों को यह धोखा हो जाता है, और होने का डर है, कि प्रतिवादी की दूकान वादी की दूकान की एक शाखा है ।

६—इसके अतिरिक्त प्रतिवादी अपने वर्तमान कारोबार को उस पहिले कारोबार की, जिस पर अब वादी बैठता है एक शाखा बतलाता है और इस तरह से खरीदारों को अपने साथ कारोबार करने की प्रवृत्ति करता है ।

७—जहाँ तक वादी को इस तरह की बातें मालूम हो सकी हैं वह ये हैं—

(यहाँ पर धोखा दिलाये गये हुए ग्राहकों की या जिनको धोखा हो गया हो, उनका विवरण लिखना चाहिये) ।

८—प्रतिवादी अब भी अपना कारोबार कर रहा है और उसकी, कारोबार को जारी रखने की इरादा है ।

९—व्यवहार कारण—

१०—दावे की मालियत—

वादी का प्रार्थना (सार्वकालिक आज्ञा व हर्जे के लिये) ।

४६—शारीरिक व सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य अधिकार

इस भाग में आघात करने और चोट पहुँचाने (Assault and battery), अनुचित रुकाव डालने (False imprisonment), अपमान करने (Defamation) और अदालत में फौजदारी का मुकदमा चलाने (Malicious prosecution) इत्यादि के दावे दिये गये हैं ।

हमला व चोट पहुँचाने के दावों में प्रतिवादी का आघात करना, वादी को चोट पहुँचना और उसके कारण जो कुछ नुकसान हुआ हो वाद-पत्र में लिखना चाहिये । अदालत फौजदारी से प्रतिवादी को उसी जुर्म के लिये दंड मिल जाने पर भी यह दावे किये जा सकते हैं लेकिन वहाँ से वादी को यदि कोई प्रतिकार या मुआवजा दिलाया गया हो तो वह हरजाना दिलाते समय अदालत ख्याल करेगी ।¹

ध्यान रहे कि जहाँ पर एक ही घटना या वारदात की बाबत अदालत फौजदारी में मुकदमा चल चुका हो और वाद को अदालत दीवानी में मुकदमा चले तो अदालत फौजदारी की तजबोध का कोई प्रभाव अदालत दीवानी की तजबीज पर नहीं होना चाहिये और अदालत दीवानी उस प्रमाण पर जो उसके सामने पेश किया जावे स्वयं निर्णय करेगी ।² अदालत फौजदारी के फैसले का प्रायः इतना ही ख्याल किया जाता है कि वहाँ से किसी पक्ष पर कोई जुर्म साबित हुआ या वह बरी हुआ ।

अनुचित रुकाव या हिरासत या बेजा हिरासत के दावों में वादी को बलपूर्वक या भय दिखाकर बिना विधानाधिकार रोकना, अथवा उसकी स्वतंत्रता में बाधा डालना दिखाना चाहिये । अदावत में फौजदारी का मुकदमा चलाने पर नीचे लिखी यह सब बातें दिखाना चाहिये । (१) यह कि प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध फौजदारी में दावा दायर किया । (२) यह कि वह दावा वादी के अनुकूल निर्णीत हुआ । (३) यह कि वह अदालत में बिना किसी उचित कारण के किया गया था और (४) वादी को जो हानि पहुँची हो उसका विवरण ।

किसी विशेष हानि के अतिरिक्त वादी अपमान, मानहानि और शारीरिक व मानसिक कष्ट का हरजाना भी माँग सकता है ।³ वह खर्चा जो वादी ने फौजदारी के मुकदमों में अपनी रक्षा के लिये किया हो वह विशेष हानि में दिखाया

1 Sec 546, Cr P Code

2 A. I. R. 1935 Mad 563

3 I L. R. 57 Cal. 25.

जा सकता है।¹ प्रतिवादी के किसी जानवर के नुकसान करने पर, प्रतिवादी का जानवर का मालिक होना और उसका खतरनाक होना जानना, अर्थाँ दावे में लिखना चाहिये।

मियाद—इन चारों प्रकार के दावों में मियाद एक साल की होती है।²

(१) हमला किये जाने व चोट लगने पर हर्जे का दावा

(वाद-शीर्षक)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—पक्षकारों में एक ज्ञायदाद की बाबत मुकदमा चल रहा है और प्रतिवादी बहुत दिनों से वादी से दुश्मनी मानता है।

२—ता०.....के वादी बाज़ार.....में प्रतिवादी की दूकान के सामने से निकल रहा था कि प्रतिवादी ने वादी पर हमला किया और लाठी से उसके मारा। लाठी की चोट से वादी का सर फट गया, दाहिने हाथ की एक अंगुली टूट गई और बाँई जाँघ में घाव हो गया।

३—इन चोटों के कारण वादी को एक महीने तक अस्पताल में इलाज कराना पड़ा और शारीरिक और मानसिक कष्ट के अतिरिक्त उसके क़रोबार में हानि हुई और उसका इलाज में खर्चा हुआ।

४—वादी के हर्जों का विवरण यह है—

(यहाँ पर हर्जों का विवरण देना चाहिये)।

५—वाद-कारण—

६—वाद-मूल्य—

वादी की प्रार्थना—

(२) अनुचित रुक़ाव और मानहानि होने पर हर्जे के लिये दावा

(वाद-शीर्षक)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी फर्ख़ावाद में एक सम्मानित पुरुष है और वह व्यापार का काम करता है। इसके अतिरिक्त वह फर्ख़ावाद और मैनपुरी के ज़िलों में ज़मींदार और १६००) २० सालाना का मालगुजार आयंकर है और ५००) २० सालाना इनकमटैक्स देता है।

1. A. I. B. 1935 Bom. 365, 1933 Nag. 299

2. See Arts. 19, 22 and 23, Limitation Act

२—प्रतिवादी फर्खाबाद में पुलिस इन्स्पेक्टर है और शहर के पुलिस स्टेशन पर नियुक्त है ।

३—प्रतिवादी ने ता०.....को वादी को एक कास्टेबिल की मारफत बुलाया परन्तु वादी उस समय पूजा में लगा हुआ था इसलिये उसने कहला दिया कि वह पूजा समाप्त होने के बाद आवेगा ।

४—प्रतिवादी ने बिना सोच विचार किये वादी के नाम सफीना काट दिया और वादी को कास्टेबिल से तुरन्त पुलिस स्टेशन में पकड़वा बुलाया ।

५—वादी के पुलिस स्टेशन पर पहुँचते ही प्रतिवादी ने बिना किसी कारण के अत्यन्त अनुचित शब्द वादी से कहे और यह भी कहा कि उसको सरकार वहादुर बनाम रामभजन के मुकदमे में धारा ४०८ के अनुसार गवाही सरकार की ओर से देनी होगी ।

६—वादी ने उस मुकदमे के हाल से अपरिचित होने के कारण भूँठी गवाही देना अस्वीकार किया इस पर वादी ने एक कास्टेबिल को आज्ञा दी कि वह वादी को एक घंटे तक हिरासत में रखे ।

७—वादी को एक घंटे हिरासत में रखने के बाद प्रतिवादी ने एक मुहर्रिर से कुछ लिखाकर, जिसकी वादी को सूचना नहीं है, वादी के हस्ताक्षर लिये और मुचलका लेकर उसके जाने दिना ।

८—इस अनुचित व बेजा हिरासत से वादी को शारीरिक व मानसिक कष्ट हुआ और उसकी मानहानि हुई और वह अपने बराबर वालों और सर्वसाधारण की दृष्टि में अपमानित हुआ ।

९—वादी मानहानि व हर्जे का.....रु० प्रतिवादी से पाने का अधिकारी है जिसका विवरण यह है—

(यहाँ पर विवरण देना चाहिये)

१०—वाद-कारण—

११—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना

(३) इसी प्रकार का दूसरा वाद-पत्र

१—ता०.....को वादी किराया देकर ईस्ट इंडियन रेलवे की डाक गाड़ी पर, सेकिंड क्लास में इलाहाबाद से कानपुर को जा रहा था ।

२—प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों ने फतहपुर के स्टेशन पर वादी के ऊपर हमला किया और बलपूर्वक उसको सिकन्द क्लास की गाड़ी से उतार लिया । और वहाँ पर तीन घंटे तक अनुचित रीति से रोक रक्खा ।

३—वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ—

(यहाँ पर हर्जे का विवरण देना चाहिये) ।

(४) झूठा दोष लगाने और अपमान करने पर हजे^१ के लिये दावा

१—वादी डाक्टर है और फतेहपुर सरकारी अस्पताल का असिस्टेंट सर्जन है ।

२—ता० १७ मई सन् १९ई० को प्रतिवादी ने वादी के सम्बन्ध में (अ—ब), (क—ख) इत्यादि मनुष्यों से यह शब्द कहे (जैसे, वादी शराबी और बदचलन है और सज्जन आदमियों के घर में जाने के योग्य नहीं है) इत्यादि ।

३—यह शब्द झूठे थे और दुश्मनी की वजह से कहे गये थे । इनके कहने से प्रतिवादी का उद्देश्य यह था कि सभ्य और सम्मानित पुरुष अपने यहाँ वादी को इलाज के लिये न बुलाये और वादी की जीविका को हानि पहुँचे और इन शब्दों का यही अभिप्राय (अ—ब) और (क—ख) ने समझा ।

४—इन शब्दों के प्रकाशित होने से वादी की प्रतिष्ठा, नेकनामी और ख्याति को बहुत हानि पहुँची और इसी कारण से शहर के कई मनुष्यों ने इलाज व औषधि के लिये उसे नहीं बुलाया और इससे वादी की हानि हुई ।

(५) अदावत से फौजदारी का मुकदमा चलाने पर हजे^१ के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—ता०को प्रतिवादी ने वादी की गिरफ्तारी के लिये मजिस्ट्रेट स्थान सेजुर्म के अपराध में वारन्ट निकलवाया, जिस पर वादी गिरफ्तार किया गया औरदिन या घंटे तक कैद रहा और उसको अपनी हाजिरी के लियेरु० की जमानत देनी पड़ी ।

२—प्रतिवादी ने यह काम दुश्मनी से, बिना किसी कारण या उचित शंका के किया ।

३—ता०को उक्त मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी की नालिश खारिज करके वादी को छोड़ दिया ।

४—बहुत से मनुष्यों ने, जिनके नाम वादी को मालूम नहीं है गिरफ्तारी का हाल सुन कर और वादी को मुजरिम ख्याल करके उससे कारोबार करना छोड़ दिया है (या इन्हें गिरफ्तारी की वजह से वादी दफ्तर से क्लर्क की पदवी से निकाल दिया गया) और उसके कारण वादी को मानसिक व शारीरिक कष्ट और उसका अपमान हुआ और कैद से छूटने और मुकदमे की जवाबदेही में उसको खर्चा भी करना पड़ा ।

५—वाद-कारण—

६—दावे की मालियत—

* वादी की प्रार्थना—

(६) इसी प्रकार का अन्य वाद-पत्र

१—वादी प्रतिवादी की दूकान पर नौकर था। प्रतिवादी ने ता०.....को दुरमनी से एक भूँटा और बिना किसी कारण के, वादी के ऊपर मजिस्ट्रेट स्थान.....के यहाँ यह अभियोग किया कि वादी ने उसके तीन सेने के जेवर चुरी कर लिये हैं।

२—इसी अभियोग के साथ २ प्रतिवादी ने वादी का वारन्ट जारी कराकर उसको ता०.....को गिरफ्तार कराया।

३—वादी गिरफ्तार हो कर ता०.....को मजिस्ट्रेट स्थान.....के सामने पेश हुआ और प्रतिवादी ने आइन्दा तहकीकात के ब्रहाने से उसको हिरासत में रखने की प्रार्थना की और वादी ता०.....तक हिरासत में रहा।

४—अन्त में ता०.....को मुफदमा निर्णित हुआ और अदालत से वादी मुक्त किया गया।

५—प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी का यह हर्जा हुआ—

(यहाँ पर मानहानि व हर्जे का विवरण लिखना चाहिये)।

(७) इसी प्रकार का तीसरा वाद-पत्र

१—मुद्दई स्थान.....में व्यापार का कागेवार करता है और वह एक सम्मानित और शरीफ आदमी है और २५००) रुपया सालाना आयकर (इनकमटैक्स) अदा करता है।

२—मुद्दायलह विरादगी के भगडों की वजह से, मुद्दई से, बहुत दिनों से दुश्मनी रखता था और उसकी निन्दा और अपमान की फिकर में रहता था।

३—मुद्दायलह ने १० मई सन् १९.....ई० को मुद्दई के विरुद्ध सिटी मजिस्ट्रेट अलीगढ की अदालत में दफे ३२३ व ३५२ भारतीय-डंड-संग्रह (Indian Penal Code) के अनुसार हमला करने व चोट पहुँचाने का अभियोग किया।

४—यह अभियोग लगभग तीन महीने तक चँलता रहा और उसकी कई पेशियाँ भिन्न २ स्थानों पर दौरे में हुईं और मुद्दई को अपने वकील व गवाहों के साथ वहाँ जाना पड़ा।

५—अन्त में ६ अगस्त सन् १९.....ई० को उस अदालत से, अभियोग खारिज किया गया और मुद्दई बरी हुआ।

* नाट—देखो व्यवहार विधि संग्रह परिशिष्ट I, अपेन्डिक्स (अ) नमूना नं० ३१

६—यह अभियोग झूठा था और मुदायलह उसका झूठा होना जानता था । उसके चलाने का कोई उचित कारण न था और मुदायलह ने मुद्दई को कष्ट देने और हानि पहुँचाने के लिये वह दायर किया था ।

७—मुदायलह के इस बेजा काम से तीन महीने तक मुद्दई हैरान व परेशान रहा और उसको शारीरिक व मानसिक कष्ट हुआ और उसके कारोबार का हर्जा और मुकदमे की जवाबदेही करने में खर्चा हुआ । मुदायलह इस कुल खर्चों का देनदार है ।

८—मुद्दई के हर्जे की तफसील यह है—

(अ) कारोबार में हर्जा.....रु० ।

(ब) वकीलों की फीस.....रु० ।

(क) गवाहों इत्यादि का खर्चा.....रु० ।

(ख) शारीरिक व मानसिक कष्ट.....रु० ।

९—वाद-कारण—(अभियोग करने के दिन से) ।

(८) नौकर भगा ले जाने पर

१—वादी की सुलतानपुर में आम सौदागरी (general merchandise) की दूकान है ।

२—इस दूकान पर प्यारे लाल नाम का एक पुरुष वादी का नौकर था और हिसाब किताब लिखा करता था ।

३—प्रतिवादी ने ता०.....को प्यारे लाल को अनुचित रीति से बहकाया और उससे, वादी को बिना सूचना दिये या उसकी सहमति लिये, प्यारेलाल से नौकरी छुड़वा दी ।

४—प्रतिवादी के इस अनुचित काम से वादी प्यारेलाल की नौकरी से लाभ नहीं उठा सका और उसको कष्ट होने के अतिरिक्त व्योपार में हर्जा हुआ ।

५—हर्जे की तफसील—(यहाँ पर लिखना चाहिये) ।

(९) हानिकारक जानवर रखने पर हर्जे का दावा।

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी गड़रिये का काम करता है और उसके यहाँ, एक अहाते में जो कि स्थान.....में है भेड़ और बकरी रहती हैं ।

२—उस अहाते से मिला हुआ प्रतिवादी का खलिहान है जहाँ पर उसने एक भयङ्कर व खतरनाक कुत्ता रख छोड़ा है ।

३—ता०.....को प्रतिवादी का कुत्ता रात के समय वादी के अहाते में घुस गया। उसने वादी की भेड़ बकरियों पर आघात किया और उनमें से कई को काट खाया।

४—भेड़ के तीन बच्चे बिल्कुल मर गये और दो भेड़ और ५ बकरी के बच्चे उसके काटने से घायल हुये जिनमें से दो बच्चे बाद को मर गये।

५—वादी का हर्जा.....रु० का हुआ।

(१०) इसी प्रकार का दूसरा दावा

१—स्थान विसौली में प्रतिवादी का, सड़क के किनारे मकान है।

२—उस मकान पर प्रतिवादी ने एक लंगूर पाल रक्खा है जिसने ता०..... को वादी के ऊपर, जन्न कि वह उस रास्ते से निकल रहा था हमला किया और उसके दो जगह काट लिया और घायल किया।

३—वह लंगूर एक डरावना और खतरनाक जानवर है और आदिमियों पर हमला करने व काटने का आदी है।

४—प्रतिवादी उसकी इस आदत को खूब जानता था और यह जानते हुये भी उसने उसको ऐसी हालत में रख छोड़ा है।

५—वादी के हर्जे की तफसील—

(११) सड़क की खराबी से हानि पहुँचने पर

(वाद-शीर्षक)

१—प्रतिवादी-गण जिला बुलन्दशहर के डिस्ट्रिक्टबोर्ड के सदस्य हैं और उस जिले की सड़कें इस बोर्ड के प्रबन्ध और निगरानी में हैं।

२—बुलन्दशहर से अनूपशहर को जाने वाली पक्की सड़क का प्रबन्ध और निगरानी भी यही बोर्ड करता है और ता०.....को उस सड़क की मरम्मत हो रही थी।

३—उस दिन शाम को प्रतिवादी के नौकर.....ठेकेदार ने ग्राम.....के पास सड़क पर कंकड़ों का ढेर लगा दिया और उस स्थान पर कोई रोशनी या ऐसा कोई यंत्र स्थापित नहीं किया जिससे सड़क खतरनाक और उपयोग के अयोग्य समझी जावे।

४—वादी उस रात को अपनी टमटम में उस सड़क पर जा रहा था। कोई सूचना न होने और उस स्थान पर रोशनी न होने के कारण से उसकी टमटम कंकड़ों के ढेर से टकरा कर उलट गई और वादी को बहुत चोट आई। इसके अतिरिक्त घोड़े और गाड़ी को हानि हुई।

५—वादी के हर्जे का विवरण यह है—

(यहाँ पर चोट और हानि का पृथक २ विवरण देना चाहिये)।

६—वादी की प्रार्थना—

४७—अदालत माल की नालिशें

(१) बिना आज्ञा ज़मीन पर काबिज रहने पर, उचित

लगान का दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ग्राम मुहाल.....पट्टी, थोक, या खेवट इत्यादि नम्बरी ...मे हिस्सेदार, (ठेकेदार या अधिकार सहित रहनदार) है और इसी हैसियत से, या नम्बरदार होने की वजह से लगान वसूल करता है ।

२—मुहाल . . . में नीचे लिखी हुई ७ बीघा १५ बिस्वा भूमि, खाली पड़ी हुई थी । प्रतिवादी ने वादी की बिना आज्ञा के साल १३.....फसली में इस भूमि पर कब्जा करके उसको अपनी काश्त में रक्खा ।

३—इस जमीन का उचित लगान १५५) ६० साल है (या कि पिछली १३ फसली में.....मनुष्य के हाथ यह भूमि ६० लगान पर दी गई थी) ।

४—वादी यह लगान और १) रुपया सैकड़ा माहवारो सूद का, दखल लेने के दिन से देनदार है जो उसने अभी नहीं दिया ।

५—बिनायदावा खरीफ़ फसली १३.....के लगान की बाबत ता०..... अक्टूबर सन्.....को, और रबी १३.....फ० की बाबत ता० ... अप्रैल सन्.....को वाजिब होने के दिन से, पैदा हुई) ।

६—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है कि—

उसको.....६० मय खर्चा नालिश और सूद रुपया वसूल होने के दिन तक प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

नाम फसल	भूमि का क्षेत्रफल	लगान	वसूल	बाकी	सूद	जोड़
खरीफ़	१३...७ बी०	१५ बि०	७७॥)	—	७७॥)	१०१) ८७॥॥)
रबी	१३... ..	,,	७७॥)	—	७७॥)	७) ८५)

(२) नियत बकाया लगान के सम्बन्ध में

१—वादी ग्राम.....मु०.....मु० पट्टी इत्यादि नम्बरी.....में हि०सेदार है और इसी हैसियत से (या नम्बरदार होने के कारण), नीचे लिखे हुये सालों में लगान वसूल करता रहा ।

२—प्रतिवादी मुहाल.....में, १८० बीघा १७ बिस्वा पक्की आराज़ी की जिसका विवरण नीचे दिया हुआ है, गैरदखीलकार काश्तकार साल बसाल (या पट्टे के अनुसार..... साल के लिये, या दखीलकार काश्तकार ६०) ६० सालाना लगान पर) इन सालों में था ।

३—प्रतिवादी के ऊपर नीचे लिखे हिसाब के अनुसार.....६० बकाया लगान और १) ६० सैकड़े माहवारी सूद का.....६० निकलता है जो उसने अभी तक अदा नहीं किया ।

४—वाद-कारण (नम्बर १ के अनुसार) ।

(३) कृषक की ओर से खेती करने के अधिकार के इस्तफ़ार के लिये

(वाद-शीर्षक)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी ग्राम.....मुहाल.....में.....बीघे... ..बिस्वे पक्की भूमि नम्बरी... ..का साल बसाल कृषक.....६० वार्षिक लगान पर था ।

२—प्रतिवादी इस मुहाल का नम्बरदार व ज़मीदार है । उसने वादी के विरुद्ध अदालत माल में इस भूमि की बेदखली की डिगरी ता०.....के प्राप्त कर ली ।

३—परन्तु वादी के इस भूमि से बेदखल होने के पहिले, प्रतिवादी ने ता०.....को, वादी को उस पर काबिज रहने की आज्ञा दे दी और सालाना लगान बजाय ६० के.....६० आपस में निश्चित पाया ।

४ वादी इस पिछली प्रतिज्ञा के अनुसार उस भूमि पर काबिज है और उसका कृषक, साल बसाल,६० लगान पर है ।

५—प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध पूरा दखल लेने के लिये अदालत दीवानी में

नालिश दायर की और वहाँ से वादी के विरोध करने पर ३ महीने के अन्दर अदालत माल से उसको काशत करने का इस्तकार कराने के लिये आश हुई ।

६—विनायदावा (वेदखली की नालिश दायर करने और आश होने के दिन से) ।

(४) वेदखली के लिये ज़मींदार का अस्थाई कृषक के ऊपर

१—वादी ग्राम..... मुहाल.....में हिस्तेदार है और लगान वसूल करता है ।

२—प्रतिवादी इस मुहाल में... ..बीघा पुख्ता भूमि का ७ साल के लिये (खरीफ १३— फसली से रबी १३— फ० तक) गैरदखीलकार काशतकार था ।

३—इस पट्टे की अवधि ता०... ..को समाप्त हो गई (या इस साल के अन्त में समाप्त हो जायगी) । वादी, प्रतिवादी का अव काशतकार रखना नहीं चाहता ।

४—विनायदावा (पट्टे की अवधि समाप्त होने के दिन से) ।

* (५) पूरा दखल पाने के लिये नालिश (सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—प्रतिवादी, वादी की ओर से नीचे लिखी हुई आराज़ी का (यहाँ पर खेतों के नम्बर लिखने चाहिये) जिसका क्षेत्रफल ... बीघा है और जो कि मुहाल मुहम्मद ईसाखों गाँव दतावली में है उसका अन्स्थाई कृषक (गैरमौरूसी काशतकार) था ।

२—वादी ने इस भूमि से, प्रतिवादी को अदालत माल से वेदखल कराया और वह वेदखल हो गया और वेदखली की डिग्री वादी के नाम सादिर हो गई और २६ जुलाई सन् १६..... ई० को वादी ने भूमि पर दखल ले लिया ।

३—दखल दिलाये जाने के समय उस भूमि पर फसल खड़ी हुई थी इससे प्रतिवादी को अधिकार था कि वह फसल काट कर भूमि को खाली करे ।

४—फसल काटने के बाद उस भूमि से प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध नहीं रहा ।

* नोट—यह नालिश अधिकतर दीवानी अदालत में होती है । इसी प्रकार की और नालिशों के सिलसिले में यहाँ लिख दी गई है ।

वादी ने खेत कट जाने के बाद उस भूमि में खेती करानी चाही-तो प्रतिवादी भगड़ा करने को तैयार हुआ और उसने अनुचित रूप से नवम्बर सन् १९४० ई० में भूमि पर अधिकार कर लिया ।

५—प्रतिवादी का, वेदखली के बाद कब्जा चलपूर्वक और बिना किसी अधिकार के है ।

६—वादी भूमि पर दखल और नवम्बर सन् १९४० ई० में वासलात पाने का अधिकारी है ।

७—वाद-कारण (अनुचित अधिकार कर लेने के दिन से) ।

८—दावे की मालियत—

वादी की प्रार्थना—(दखल, पूर्वलाभ व खर्चों के लिये) ।

* (६) हिस्सेदार का नम्बरदार के ऊपर लाभ के लिये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—वादी ग्राम.....मुहाल... में एक तिहाई का हिस्सेदार है और प्रतिवादी इसी मुहाल का नीचे लिखी हुई सालों में नम्बरदार था और लगान वसूल करता था ।

२—वादी के हिस्से का १३४६ व १३४७ फसली का लाभ प्रतिवादी के ऊपर बाकी है जो उसने अभी तक अदा नहीं किया ।

३—इस मुहाल में कुछ हिस्सेदारों और प्रतिवादी की खुदकाश्त भी है । उसका लगान भी अनस्थायी कृषकों की दर से पट्टेबन्दी में दर्ज होना चाहिये ।

४—प्रतिवादी ने लगान वसूल करने में उचित प्रयत्न नहीं किया, न नालियों की और न कोई पञ्जरोजा लगाया जिससे कुछ पट्टेबन्दी के लगामग दो तिहाई हिस्से बटवारे के कागजों में बेजोते हुए दिखाये गये हैं और प्रतिवादी की भूल व उपेक्षा

* नोट नं० १—यदि प्रतिवादी नम्बरदार वसूल किया हुआ लगान दर्ज न करावे या किसी और ऐसी बेईमानी की बात भगड़ा हो तो वह धारा नं० ४ में दर्ज किया जा सकता है । परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यदि वादी बटवारे के कागजों के अनुसार मुनाफा लेना स्वीकार नहीं करता और अधिक मुनाफा माँगता है तो उसको वह सब कारण और बातें लिखनी आवश्यक हैं जिनसे कि वह अधिक मुनाफे का अधिकारी हो सके ।

नोट नं० २—जो आमदनी नम्बरदार के पोला-गॉडर, चरागाह, बाग, तालाब इत्यादि से हुई हो वह अतिरिक्त आमदनी में दिखानी चाहिये और उसका विवरण नीचे लिखना चाहिये ।

से बहुत सा लगान वसूल नहीं हो सकता। वादी पट्टेबन्दी के हिसाब से मुनाफे का अधिकारी है।

५—उस हिसाब से जो कि नीचे दर्ज है वादी के.. रु० प्रतिवादी के ऊपर निकलते हैं।

६—वाद-कारण—

७ - वाद-मूल्य —

वादी प्रार्थी है कि रु० मय खर्चा व सूद दौरान व आइन्दा वादी को प्रतिवादी से दिलाये जाय।

हिसाब का विवरण

साल।	हकनम्बरदारी।
पट्टाबन्दी।	खुदकाश्त।
मालगुजारीरु०।	अतिरिक्त आमदनी।
कुल खर्चारु०।	वसूल	... रु०।
लाभरु०।	चाक्री	... रु०।
वादी का भाग मु०।	सूद	... रु०।
		कुल५०।

(७) हिस्सेदारों में हिसाब सभझने के किये दावा

(सिरनामा)

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :—

१—ग्राम.....सुहाल.....में दोनों पक्ष हिस्सेदार हैं और उनके हिस्से इस प्रकार हैं :—

हिस्सा वादी	प्रतिवादी न० १	प्रतिवादी न० २ व ३	प्रति० न० ४
३	३	३	३

२—उस सुहाल में दोनो पक्ष अलग २ कृषको से लगान प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नम्बर २ व ३ के अधिकार में.....बीघा भूमि और प्रतिवादी नम्बर ४ के अधिकार मेंबीघा भूमि खुदकाश्त की तरह पर है जिसके लिये यह प्रतिवादी अनस्थाई कृषकों के हिसाब से लगान के देनदार हैं।

३—निम्नलिखित वर्षों में, दोनों पक्षों के हिस्से धारा नम्बर १ के अनुसार और खेती धारा नम्बर २ के अनुसार रही है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नम्बर दो व तीन ने अधिभक्त चरागाह और दो बागों की आमदनी वसूल की और प्रतिवादी नम्बर १ ने पोला व गॉडर व वज्जनकर्षा वसूल की है और वादी को तालाब की आय प्राप्त हुई है, और दोनों पक्षों ने अपने अपने भाग की सरकारी मालगुजारी अदा की है।

४—दोनों पक्षों में आपस में साल १३—फ० और १३—फ० के सम्बन्ध में कोई हिसाब का निर्णय नहीं हुआ ।

५—ऊपर लिखी रीति के अनुसार दोनों पक्ष हर साल की पहिली अगस्त को एक दूसरे से हिसाब समझने के अधिकारी होते हैं ।

६—वादी अपने पास आई हुई आय को देने के लिये प्रस्तुत है ।

७—वाद-कारण—

८—दावे की मालियत—

वादी प्रार्थी है—

कि दोनों पक्षों के आपस का हिसाब समझाया जावे और हिसाब से जो कुछ मता-लवा वादी का प्रतिवादी के ऊपर निकले उसकी डिग्री पृथक २ फरीक प्रतिवादी पर खर्च नालिश इत्यादि के साथ की जावे ।

(हिसाब का विवरण जो वादी को मालूम हो लिखा जावे) ।

(८) नम्बरदार की हिस्सेदारों पर खर्चा, मालगुजारा और हक नम्बरदारी की वास्त नालिश

१—वादी ग्राम.....मुहाल.....में हिस्सेदार है और कुल मुहाल का नम्बर-दार है ।

२—मुहाल... में प्रतिवादीगण हिस्सेदार हैं और १३—व १३—फ० में हिस्से-दार रहे । उनके हिस्सों का विवरण यह है

प्रतिवादी न० १

प्रतिवादी न० २

प्रतिवादी नं ३ ।

३—वादी ने इन सालों की कुल मुहाल की मालगुजारी और सिंचाई कर सरकार में अदा की और वह प्रतिवादियों से उनके हिस्से के अनुसार रुपया पाने का अधिकारी है ।

४—इसके अतिरिक्त मालगुजारी पर वादी का ५) ६० सैकड़ा हक नम्बरदारी है और वह २५) ६० वार्षिक खर्चा, प्रतिवादियों से, उनके हिस्सों के अनुसार विभाजित करके पाने का अधिकारी है ।

५—नीचे लिखे हुये हिसाब से वादी को प्रतिवादियों से.....६० मिलना चाहिये ।

(हिसाब का विवरण)

द्वितीय भाग

द्वितीय अध्याय

प्रतिवाद-पत्रों (बयान तहरीर) के नमूने

साधारण प्रतिवाद

अस्वीकृत या इनकार (Denial or non-admission)—प्रतिवादी को इनकार है कि (घटनायें लिखो) ।

प्रतिवादी स्वीकार नहीं करता कि (घटनाएँ लिखो) ।

प्रतिवादी स्वीकार करता है कि.....परन्तु कहता है कि.....।

धरोष (Protest) या तरदीद—प्रतिवादी इससे इनकार करता है कि वह फर्म (नाम लिखो) में हिस्सेदार है ।

प्रतिवादी इससे इनकार करता है कि उसने वादी से वादी की बयान की हुई प्रतिज्ञा या अन्य कोई प्रतिज्ञा की ।

प्रतिवादी को (सम्पत्ति) का होना स्वीकार है परन्तु वह वादी का स्वत्व स्वीकार नहीं करता ।

प्रतिवादी इनकार करता है कि वादी ने उसको अर्जीदावा में लिखा हुआ माल'या उसका कोई हिस्सा, वेचा ।

अवधि या तमादी (Limitation) दावे में धारा.....का या आर्टिकिल..... परिशिष्ट २ अवधि विधान सन् १९०८ (Limitation Act, Art...) के अनुसार अवधि समाप्त हो गई है ।

दर्शनाधिकार (अख्तियार समाञ्जत Jurisdiction)—अदालत को मुकदमें सुनने का अधिकार इस कारण से नहीं है कि । (कारण लिखो) ।

देवकी (Payment) तारीख.....महीना.....सन्.....को प्रतिवादी ने एक हीरे की अँगूठी वादी को दी और वादी ने उसको अपने बयान किये हुये वादस्वत्व के निपटारे में मंजूर कर लिया ।

देवालियापन (Insolvency)—प्रतिवादी देवालिया निर्णय किया जा चुका है ।
या वादी दावा दायर होने से पहिले देवालिया करार दिया जा चुका
; है और नालिश करने का अधिकार उसकी सम्पत्ति के रिसीवर
को है ।

अप्राम वयस्कता (नाबालिगी Minority)—प्रतिवादी उस समय जब कि प्रतिज्ञा
होना वयान किया जाता है नाबालिग था ।

अदालत में अदायगी (Payment into Court) प्रतिवादी ने कुल दावे की
वाचत (या दावे के रुपये का एक भाग, जैसी दशा हो) अदालत
में.....रु० दाखिल कर दिये हैं और वह वयान करता है कि यह
रुपया वादी के दावे या ऊपर लिखे भाग) की बेवाकी के लिये
पर्याप्त है ।

पूरा कराने से दस्तबरदारी (Performance Remitted)—वादी ने वयान की हुई
प्रतिज्ञा के पूरा कराने से ता.....को दस्तबरदारी कर दी ।

मसूखी (Recission)—वादी और प्रतिवादी ने आपस की रजामन्दी से प्रतिज्ञा
मसूख (रद्द) कर दी ।

पुरन्याय (Res Judicata)—वादी का दावा, डिगरी मुकदमा (उसका पता दो)
से वर्जित है ।

रोक वाद (Estoppel)—वादी इस बात की सच्चाई इन्कार करने से वर्जित है
कि (यहाँ वह वयान लिखो जिसके विषय में रोक वाद का विरोध
किया जाता है) क्योंकि (यहाँ वे घटनाएँ लिखो जिनसे रोक वाद
उत्पन्न हुआ हो) ।

**प्रतिवादी के कारण जो नालिश दायर होने के बाद पैदा हुए हो (Grounds
of defence subsequent to institution of suit)**—
दावा दायर होने के बाद, तारीख.....महीना.....सन्.....को
(घटनाएँ लिखो) ।

१-ऋण या कर्जा

* (१) ऋण के दावे का साधारण प्रतिवाद-पत्र

(सिरनामा)

१ प्रतिवादी दावे के रुपये में से २००) रु० मुजरा पाने का अधिकारी है क्योंकि उसने २००) रु० का माल वादी को बेचा और हथाले किया ।

उसका विवरण यह है—

ता० २५ जनवरी १९३८ ई०	१५०) रु० ।
,, १ फरवरी १९३८ ई०	५०) रु० ।
कुल जोड़	२००) रु० ।

२ दावे का कुल रुपया (यारु०) प्रतिवादी ने नालिश दायर होने के पहिले ही वादी को देना चाहा और उसके लेने से इनकार करने पर ता०.....के अदालत में जमा कर दिया ।

(२) वाद पत्र पद १ नमूना नं० २ का प्रतिउत्तर,
जब कि अदायगी और तमादी की आपत्ति हो

(वाद-शीर्षक)

१—वाद-पत्र की धारा न० १ में प्रतिवादी के पिता रमजानी का केवल १०००) रु० १६ जून सन् १९३५ को इस इक्करार से लेना कि वह १) रु० सै० माहवारी के साथ १६ जून सन् १९३६ को अदा कर दिया जावेगा स्वीकार है इसके अतिरिक्त और कोई रुपया लेने और उसके अदा करने के इक्करार से इनकार है ।

२—धारा नं० २ में रमजानी का १०००) रु० मय सूद १) रु० सै० मासिक देना स्वीकार है । और बाकी मतालवे का देनदार होने या कोई बकाया रहने से इनकार है इस अदायगी से कुल रुपया बेबाक हो गया ।

३—धारा नं० ३ स्वीकार है ।

४—धारा नं० ४ से बिलकुल इनकार है । प्रतिवादी ने कोई रुपया सूद में नहीं दिया ।

५—धारा नं० ५ में ता० १७ जून १९३७ को रुपया अदा होना और वादी का उस तारीख से २० अगस्त १९४१ तक पागल होने से इनकार है । वादी प्रतिज्ञा करते समय बुद्धिहीन नहीं था और दावे में अवधि समाप्त हो गई है ।

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १, अपेन्डिक्स (अ), भाग ४ का नमूना नं० ४ है ।

६—धारा नं० ६ से ६ तक और हिसाब के विवरण इत्यादि से प्रतिवादी को इनकार है और प्रतिवादी के ऊपर वादी का कोई रुपया बाकी नहीं है।

(३) दावा नं० ५ का प्रतिवाद पत्र जब कि ऋण व सूद के अदा करने से इनकार हो

१—वाद-पत्र की धारा नं० १ व २ से प्रतिवादियों को इनकार है। राधेसिंह व गंगाबक्स ने ऋण, जिस की नालिश की गई है या और कोई ऋण ता० २४ जून १९३७ ई० को या और किसी तारीख को वादी से नहीं लिया और न वादी के हक में यह प्रामेसरी नोट लिखा जिस पर नालिश की गई है।

२—धारा नं० ३ में गंगाबक्स का देहान्त होना और प्रतिवादी नं० २ व ३ का उसका उत्तराधिकारी होना स्वीकार है लेकिन किसी रुपये के देनदार होने की जिम्मेदारी से इनकार है।

३—धारा नं० ४ से इनकार है। सूद का कोई रुपया गंगाबक्स या राधेसिंह ने अदा नहीं किया।

४—धारा नं० ५ से, तक स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी कोई रुपया देने के वादी को जिम्मेदार नहीं हैं।

*** (४) तमस्सुक की नालिशों का साधारण प्रतिवाद-पत्र**

(वाद-शीर्षक)

१—यह तमस्सुक प्रतिवादी का लिखा हुआ नहीं है।

२—यह कि प्रतिवादी ने ता०..... को तमस्सुक के अनुसार कुल रुपया अदा कर दिया है।

३—यह कि प्रतिवादी, उस तारीख के बाद, परन्तु नालिश दायर होने से पहिले तमस्सुक का कुल रुपया, असल व सूद, वादी को अदा कर चुका है।

(५) वाद पत्र नं० ८ का प्रतिवाद पत्र जब कि कुछ रुपये की बेबाकी की आपत्ति हो

१—धारा न० १ से ३ तक स्वीकार हैं।

२—धारा नं० ४ से इनकार है। प्रतिवादी ने नालिश के दस्तावेज का कुल रुपया जो पहिली किस्त अदा करने के बाद बाकी रहा इस तरह बेबाक कर दिया कि मृतक अहमद

*यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ भाग ४ का नमूना नं० २ है।

अली की सम्पत्ति में से एक मकान एक मंजिला जो मुहल्ला शाहमाड़ा में था, वादी के नाम ८००) ४० में विक्रय कर दिया और वादी ने उसका विक्रयपत्र फर्जी तौर पर अपनी की के नाम लिखा लिया। और १२००) ४० नकद विक्रय पत्र लिखे जाने की तारीख को अदा कर दिये और वादी से उसकी हस्ताक्षरयुक्त रसीद लिखा ली जो इसके साथ दाखिल की जाती है।

३—धारा न० ५ में रफीउद्दीन का मरना स्वीकार है, तारीख की खबर नहीं है। कर्ज़ा वसूलग्राही के सर्टीफिकेट का कोई ज्ञान नहीं है। प्रतिवादियों को उसकी कोई सूचना नहीं हुई।

४—धारा न० ६ व ७ स्वीकार नहीं है।

५—धारा न० ८ में विक्रयपत्र का लिखा जाता स्वीकार है, लेकिन उसका रुपया नालिश के दस्तावेज की अदायगी में दिया गया था। प्रतिवादियों ने इसमें से कोई रुपया नहीं लिया और उनकी जात और जायदाद किसी रुपये को देनदार नहीं है।

६—धारा न० ९ से ११ तक और वादी की प्रार्थना और हिसाब का विवरण स्वीकार नहीं है।

(६) कुछ रुपया अदा करने की आपत्ति होने पर

(वाद-पत्र के न० १३ का प्रतिवादपत्र)

(वाद-शीर्षक)

१—धारा न० १ स्वीकार है।

२—धारा न० २ स्वीकार है।

३—धारा न० ३ से इनकार है। प्रतिवादी ने नीचे लिखी रकम में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को अदा की—

ता० १६ जून सन् १९४८ ई० को

ता० ११ नवम्बर सन् १९४८ ई० को १५४॥ ४०) ४०।

४—धारा न० ४ स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी को वादी के नाम के बँचाने का कोई ज्ञान नहीं है।

५—धारा न० ५ स्वीकार है।

६—धारा न० ६ स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी धारा न० ३ में लिखे हुए रुपये को काट कर दस्तावेज का बाकी रुपया वादी को देता था लेकिन उसने नहीं लिया।

७—धारा न० ७ व ८ और वादी की प्रार्थना स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी ने जो कुछ रुपया हिसाब से निकलता था ता०.....के वादी को दिये जाने के लिये अदालत में जमा कर दिया और वह अब भी जमा है।

८—प्रतिवादी वादी से अपना खर्चा पाने का अधिकारी है।

२—अधिक अदायगी

(१) बाद पत्र न० १, का प्रतिवाद पत्र जब दोनों पक्षों में

प्रतिज्ञा की बातों पर मन-भेद हो

१—वादी ने (अ—ब—) से जंचवाने और अपना इतमीनान करने के बाद चॉदी की.....सलाखें.....रु० प्रति सलाख की दर से प्रतिवादी से खरीदी और क्रीमत अदा की। भाव फी तोले के हिसाब से करार नहीं पाया था और न प्रतिवादी को फी तोले के हिसाब से क्रीमत दी गई।

२—प्रतिवादी को नहीं मालूम कि (अ—ब) ने वादी को हर सलाख में खालिस चॉदी कितनी बतलाई थी और उनमें कितनी निकली। प्रतिवादी, वादी की दोनों बातों को स्वीकार नहीं करता।

३—प्रतिवादी को कोई रुपया अधिक नहीं दिया गया जिसको वह वापिस करता।

४—वादी के इस अस्वीकार बयान को सही मान कर भी, कि खालिस चॉदी अंदाज से कम निकली और रुपया देते समय वह यह बात नहीं जानता था, वादी को नालिश का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता।

३—माल की क्रीमत

* (१) माल के बेचने व हवाले किये जाने के मुकदमे का

साधारण प्रतिवाद पत्र

१—यह कि प्रतिवादी ने माल नहीं मँगवाया।

२—यह कि प्रतिवादी को माल हवाला नहीं किया गया।

३—यह कि माल की क्रीमत.....रु० नहीं है।

या

४—यह कि प्रतिवादी ने केवल ...रु० का माल मँगवाया था।

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १, अपेन्डिक्स (अ) भाग ४ का नमूना नं० १ है।

५—यह कि प्रतिवादी को माल केवल.....२० का हवाला किया गया ।

६—यह कि माल की कीमत.....२० नहीं परन्तु.....२० है ।

७—यह कि प्रतिवादी (या उसके ऐजेन्ट (अ—ब) ने) दावे की वेवाकी में कुल रुपया वादी या उसके ऐजेन्ट (क—ख) को नालिश दायर होने से पहिले ता० को अदा कर दिया ।

८—प्रतिवादी ने दावे की वेवाकी में कुल रुपया नालिश दायर हो जाने पर ता० को अदा कर दिया ।

* (२) माऊ रोक लेने के सम्बन्ध की नालिश का प्रतिवाद पत्र

१—यह कि माल वादी का नहीं था ।

२—यह कि माल इस कारण से रोका गया था कि प्रतिवादी उस पर अधिकारी है जिसका विवरण यह है -

भावत किराया इत्यादि देहली से कलकत्ता तक, ४५ मन का दर २) २०-फी मन . . . ६०) इत्यादि—

(३) वाद-पत्र पद ३ न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब कि वेवाकी या हिसाब इत्यादि की आपत्ति हो

१—धारा न० १ वाद पत्र स्वीकार है ।

२—धारा न० २ इस अन्तर से स्वीकार है कि प्रतिवादी, वादी की दूकान से केवल लोहे पीतल का सामान अपने कारखाने के लिये खरीदते थे और उसकी कीमत बिना व्याज अदा करते रहते थे । नकद रुपया वादियों से प्रतिवादियों ने कभी नहीं लिया और न व्याज देने की प्रतिज्ञा की और न कभी व्याज दिया ।

३—वाद पत्र की धारा न० ३ में जमा व खर्च की रकमों का जोड़ स्वीकार नहीं है । २५ अक्टूबर सन् १९३१ ई० के बाद कोई सामान वादियों की दूकान से प्रतिवादियों के यहाँ नहीं आया और हिसाब में जो रकमें इस तारीख के बाद लिखी हुई हैं वह गलत हैं और इसी तारीख के बाद प्रतिवादियों ने जो १३५०) २० वादियों को अदा किये, हिसाब में जमा नहीं दिखाये ।

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १, अपेन्डिक्स (अ), भाग ४ का नमूना न० ७ है ।

४—वादियों की कोई रकम प्रतिवादियों पर बाकी होने से प्रतिवादियों के बिलकुल इनकार है ।

५—धारा न० ४ स्वीकार है परन्तु प्रतिवादियों ने १३५०) रु० का माल (जिसका विवरण नीचे दिया हुआ है) वादी को अदा करके हिसाब वेवाक कर दिया ।
(हिसाब का विवरण)

६—धारा न० ५ से ८ तक, अदालत के अधिकार के सिवाय स्वीकार नहीं हैं ।
वादियों के प्रतिवादियों के विरुद्ध किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

(४) वाद पत्र पद ४ न० १० का प्रतिवाद पत्र बिलकुल इन्कार करने पर, या अन्य दशा में

प्रतिवादी ने ता० १६ मई १९४१ ई० या किसी अन्य तारीख को कोई प्रतिज्ञा वादी से ६ तसवीर बनवाने की, जैसा कि वादपत्र में लिखा है या कोई और तसवीरें १५०) रु० में या और किसी रकम में एक सप्ताह या किसी और मियाद के अन्दर लेने का नहीं की न उसको कोई नमूना दिया और न १०) रु० या और कोई रुपया बयाने के रूप में उसको दिया ।

या

१—वादपत्र की धारा न० १, २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा न० ४ में वादी का यह बयान असत्य है कि उसने १ सप्ताह में तसवीरें तैयार की और वे नमूने के अनुसार थी ।

३—प्रतिवादी शरीफनगर के राजा साहब का नौकर है । प्रतिवादी ने ये तसवीरें वादी से उक्त राजा साहब के राज्याभिषेक पर जो कि २५ मई १९४१ ई० को होने वाली थी भेंट करने के लिये तैयार कराई थी और यह बात वादी को अच्छी तरह से शत थी ।

४—वादी ने तसवीरें बिलकुल खराब और नमूने के विरुद्ध तैयार की और मियाद के अन्दर ही नहीं बल्कि २५ मई सन् १९४१ ई० राजगद्दी के दिन तक उनको तैयार करके प्रतिवादी को नहीं दे सका और प्रतिवादी उनको राज्याभिषेक पर भेंट नहीं कर सका ।

५—धारा न० ५ से ८ तक स्वीकार नहीं हैं ।

६—तसवीरें अब भी नमूने के अनुसार नहीं हैं और वह अब प्रतिवादी के किसी काम की नहीं हैं ।

७—प्रतिवादी बयाने के १०) रु० और नमूने की वापिसी का और ५०) रु० हर्जे का दावेदार है ।

४—मजदूरी व नौकरी

(१) वादपत्र पद ४ न० २ का प्रतिवादपत्र जब कि आपत्ति गलत मतालंबा और अदायगी की हो

१—वादी ने सिलाई की मजदूरी बहुत अधिक लगाई है ।

२—नीचे दिये हुए हिसाब से उचित मजदूरी रु० होती है ।

३—अदा किये हुए २५) रु० को काट कर वादी के..... रु० निकलते हैं ।

४—यह रुपया प्रतिवादी ने नालिश दायर करने के पहिले वादी को देना चाहा और उसके सामने पेश किया लेकिन उसने लेने से इनकार किया ।

५—प्रतिवादी ने दावे की बेजाकी में यह कुल रुपया नालिश दायर होने के बाद अदालत में ता०....., को जमा कर दिया है ।

५—हुन्डी व चैक

(१) साधारण प्रतिवाद-पत्र

१—प्रतिवादी ने हुन्डी, जिसके ऊपर नालिश की गई है, नहीं लिखी थी ।

२—प्रतिवादी ने उस हुन्डी, को, जिसके ऊपर नालिश की गई है, कभी सही नहीं किया ।

३—हुन्डी, जिसके ऊपर नालिश की गई है, सही करने के लिये पेश नहीं की गई ।

४—हुन्डी जिसका कि दावा है, अदायगी के लिये पेश नहीं की गई या नियमानुसार पेश नहीं की गई ।

५—प्रतिवादी ने हुन्डी का, जिसकी नालिश है बेचान नहीं किया ।

या

(अ-ब) के नाम, जिसके द्वारा वादी दावेदार है, बेचान नहीं किया ।

६—वादी के नाम (अ-ब) ने, जिसके द्वारा वादी दावेदार बनता है, कोई बेचान नहीं किया ।

७—प्रतिवादी को हुन्डी न स्क्रिने की कोई सूचना नहीं दी गई । या नियमानुसार सूचना नहीं दी गई ।

८—वादी नालिश करने के समय उस हुन्डी का मालिक नहीं था ।

६—प्रतिवादी ने हुन्डी को इस शर्त के साथ सही किया था कि . . . (यहाँ पर यह शर्त लिखनी चाहिये) और यह शर्त पूरी नहीं हुई ।

१०—प्रतिवादी ने वादी की सुविधा के लिये हुन्डी सही कर दी थी उसका रुपया या सही करने का कोई धन प्रतिवादी को नहीं दिया गया ।

(२) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद-पत्र जब कि हुन्डी माल के ऊपर की गई हो

१—धारा न० १ व २ स्वीकार हैं ।

२—धारा न० ३ से ४ तक और उपगमन के इनकार है ।

३—प्रतिवादी ने हुन्डी, २०० गोरी गेहूँ कीमत के बदले में, जो कि वादी प्रतिवादी के यहाँ ता० तक भेजने को था, सही कर दी थी ।

४—वादी ने गेहूँ नहीं भेजे और इसलिये प्रतिवादी ने हुन्डी का रुपया श्रदा नहीं किया ।

५—प्रतिवादी पर वादी का कोई रुपया नहीं निकलता है ।

(३) वादपत्र पद ५ नमूना न० २ का प्रतिवादपत्र जब कि वादी की मिकफियत से इनकार हो और हुन्डी माल के ऊपर की गई हो

१—वादपत्र की धारा न० १ स्वीकार है ।

२—धारा न० २ में इस बयान से इनकार है कि वादियों के नाम बेचान मतालवे के बदले में हुआ और वादी हुन्डी के स्वामी हैं ।

३—धारा न० ३ स्वीकार है लेकिन प्रतिवादी यह बयान करते हैं कि उन्होंने हुन्डी को ४ गाँठ रुई की कीमत की बदल में, जो कि फर्म रामचन्द्र हरप्रसाद, प्रतिवादी की दूकान पर अवधि पूर्ण होने से पहले ही भेजने को थे, सही कर दिया था ।

४—उक्त फर्म ने यह माल प्रतिवादियों की दूकान पर नहीं भेजा इसलिये प्रतिवादियों ने हुन्डी का रुपया श्रदा नहीं किया ।

५—वादी ने इस बात को अच्छी तरह जानते हुये (या भिला मुआवजा होना ज्ञात होते हुये) हुन्डी का बेचान अपने नाम कराया है ।

६—धारा न० ४ से इनकार है । प्रतिवादी दावे के रुपये के देनदार नहीं है ।

(४) वादपत्र पद ५ नमूना न० ४ के प्रतिवाद पत्र
जब हुन्डी न पेश करने की आपत्ति हो

१—हुन्डी की अवधि पूर्ण हो जाने के.....महीने बाद तक फर्म रामसहाय गूदरमल, कानपुर जिसके ऊपर प्रतिवादी ने हुन्डी की थी, साल्वेन्ट हालत में थी और प्रतिवादी का हुन्डी के रुपये से अधिक रुपया उन पर चाहिये था ।

२—वादी ने अवधि पूरी हो जाने के बाद ठीक समय पर अदायगी के लिये हुन्डी को फर्म रामसहाय गूदरमल पर उपस्थित नहीं किया । इसके बाद उक्त फर्म देवालिया (इनसालवेन्ट) हो गया ।

३—प्रतिवादी हुन्डी के रुपये की अदायगी के उत्तरदायित्व से धारा.....कानून हुन्डी (Negotiable Instruments Act) के अनुसार बरी हो गया ।

४—प्रतिवादी हुन्डी के रुपये या निखरई, सिखरई व सूद देने का उत्तरदायी नहीं है और अपना खर्चा वादी से पाने का अधिकारी है ।

(५) वादपत्र पद ५ न० ८ का प्रतिवादपत्र जब कि
जिम्मेदारी से इनकार हो

दुर्गादत्त द्वारकादास प्रतिवादियों की ओर से ।

१—प्रतिवादी उक्त दूकान बालमुकन्द दुर्गादत्त भभर के स्वामी हैं । प्रतिवादी कुन्दन लाल व नरायदास इस दूकान में सम्मिलित नहीं हैं और न उनका और प्रतिवादियों का कोई अविभक्त परिवार है ।

२—उक्त प्रतिवादियों ने दूकान बालमुकन्द दुर्गाप्रसाद की ओर से वादियों के नाम कोई हुन्डी नहीं लिखी । कुन्दनलाल व नरायनदास को उक्त दूकान की ओर से ऐसी कोई हुन्डी लिखने का अधिकार नहीं था । यदि कोई ऐसी हुन्डी लिखी गई तो दूकान बालमुकन्द दुर्गादत्त से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

३—उक्त हुन्डी का कोई रुपया दूकान बालमुकन्द दुर्गादत्त को वसूल नहीं हुआ और न वह दूकान के कारबार के लिये लिखी गई ।

४—प्रतिवादी किसी रुपये के, मूल या सूद इत्यादि वादी को देने के उत्तरदायी नहीं हैं ।

(६) वादपत्र पद ५ न० ९ का प्रतिवाद-पत्र जब
कि चैक में परिवर्तन करने की आपत्ति हो

१—धारा नं० १ मे चैक लिखे जाने की तारीख हालत है । प्रतिवादी ने चैक ता०... के लिखा था और उसी रोज वादी को दे दिया ।

२—धारा न० २ में रुपये का अदा होना स्वीकार है लेकिन चैक का अपनी वास्तविक दशा में पेश होना स्वीकार नहीं है ।

३—वादी ने, प्रतिवादी की सहमति बिना चैक में ता०... . के बजाय ता० लिख दी और उसमें परिवर्तन कर दिया और कानून हुन्डी की धारा ८७ से (एक्ट २६ सन् १८८१) उक्त चैक वेकार हो गया और प्रतिवादा का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहा ।

४—धारा न० ३ स्वीकार है ।

५—धारा न० ४ से ७ तक स्वीकार नहीं है । वादी, प्रतिवादी से किसी उपशमन का अधिकारी नहीं है ।

६—आपसी हिसाब

(१) वादपत्र पद ६ न० १ का प्रतिवाद-पत्र जब आपसी हिसाब होने से इन्कार हो और गृह्यती इत्यादि की आपत्ति हो

१—वादपत्र की धारा न० १ स्वीकार है ।

२—धारा न० २ इस अन्तर से स्वीकार है कि दोनों पक्षों में आपसी हिसाब नहीं था । प्रतिवादी फर्म, वादी के फर्म से ऋण लेती थी और सदा वादी के फर्म की बकाया प्रतिवादी फर्म पर रहती थी ।

३—धारा न० ३ में कातिक वदी १५ सन् १९६६ वि० को हिसाब का मिलान होना और बकाया निकलना स्वीकार है लेकिन वादी के फर्म की बकाया केवल.....२० थी । उसके बाद फर्म वादी के यहाँ से कोई रकम नहीं गई वरन प्रतिवादी ने रकम अदा की । कोई हिसाब खुला और जारी नहीं था ।

४—धारा न० ४ स्वीकार है ।

५—धारा न० ५ में वादपत्र के साथ दिया हुआ हिसाब गलत है । उसमें नीचे लिखी गलतियों हैं ।

(यहाँ पर गलतियों का विवरण क्रमानुसार देना चाहिये)

६—हिसाब से वादी फर्म का प्रतिवादी फर्म पर कोई रुपया बाकी नहीं निकलता (या केवल.....२० निकलता है) ।

७—धारा न० ६ स्वीकार नहीं है । वादी को कोई बिनाय दावी पैदा नहीं हुई और प्रत्येक दशा में वादी की दो हुई तारीख गलत है ।

८—हिसाब में दी हुई सब रकमों ३ साल से पहिले की हैं और इस लिये पद..... अवधि विधान से अवधि समाप्त हो चुका है ।

७—अमानत का रुपया

साधारण प्रतिवाद

[जो विरोध चैक या अमानती रुपये के जवाब दावे में हो सकते हैं वह वही हैं जो हुन्डी की नालिशों में हो सकते हैं और पद ५ में दिये हुए हैं । प्रतिवाद-पत्र लिखने में उनसे सहायता लेनी चाहिये ।]

(१) वादपत्र पद ७ न० १ का प्रतिवाद पत्र जब अमानत से इनकार हो और तमाद की आत्ति हो

१—वाद पत्र की धारा नम्बर १ स्वीकार है ।

२—धारा नम्बर २ में वादी का रुपया अमानत में जमा रहने से इनकार है । प्रतिवादी की फर्म, वादी से रुपया उधार लेती थी और उसको सूद के साथ अदा कर देती थी सूद की दर आठ आना सैकड़ा थी और माग पर अदा करने का कोई इत्कार नहीं था ।

३—धारा नम्बर ३ इस अन्तर् के साथ स्वीकार है कि प्रतिवादी ऋण लेते और असल और सूद में रुपया अदा करते रहे ।

४—धारा नम्बर ४ स्वीकार है ।

५—धारा नम्बर ५ में वादी ने शेष रुपये की संख्या सही नहीं लिखी वादी का केवलरुपया निकलता है ।

६—दावे में धारा ५७ अवधि विधान (Art 57 Limitation Act) के अनुसार अवधि समाप्त हो गई है । वादपत्र की धारा न० ६ में तारीख विनाय दावी गलत है और यह बयान भी सही नहीं है कि वह रुपया माँगने पर पैदा हुई ।

७—वादी ने कोई रुपया प्रतिवादी फर्म से नहीं माँगा ।

८—वादी के लिये वसूल किया हुआ रुपया

(१) वादपत्र पद ८ न० १ का प्रतिवाद पत्र जब उचित वसूलयावी की आपत्ति हो

१—वादपत्र की धारा न० १ व २ स्वीकार हैं ।

२—धारा न० ३ में लगान वसूल करना व रसीद देना स्वीकार है वाकी से इनकार है ।

३—धारा न० ४ स्वीकार नहीं है । प्रतिवादी मुकदमे का कोई फरीक़ नहीं था ।

४—धारा न० ५ से ७ तक और उपशमन स्वीकार नहीं है ।

५—प्रतिवादी ता०... से जमींदार का कारिन्दा या और उसने वादी से उचित तौर पर लगान वसूल किया ।

६—प्रतिवादी ने ता०... के जमांदार की नौकरा छोड़ी और लगान का वसूल किया हुआ रुपया और रकमों के साथ हिसाब में उसको मुजरा दे दिया और दाखिला वही जिससे वादी को रसीद दी गई थी जमींदार के हवाले कर दी ।

७—प्रतिवादी से जमींदार की शत्रुता है । वादी और जमींदार ने आपस में मिल कर वक़ाय़ा लगान की डिगरी करवा ली है और यह डिगरी प्रतिवादी के विरुद्ध शहादत में पेश नहीं की जा सकती ।

८—वादी केर्टे रुपया या रूद पाने का अधिकारी नहीं है और मुकदमे का खर्चा वह किसी दशा में नहीं पा सकता ।

(२) वाद पत्र पद ८ न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब प्रतिवादी अपने आपको मालिक बयान करता हो

प्रतिवादी का निवेदन है कि—

१—ता०... के लिखे हुए तमस्सुक का मालिक प्रतिवादी था और उसी ने तमस्सुक के द्वारा (अ—ब) को कर्जा दिया था ।

२—प्रतिवादी ने अपने खर्चों से डिगरी प्राप्त की और उसका रुपया ता०..... मदयून डिगरी ने अदालत के बाहर प्रतिवादी को बेनाक कर दिया और प्रतिवादी ने ता०... को डिगरी कुल वसूल में खारिज करा दी ।

३—वादी का बयान कि वह तमस्सुक का स्वामी था, और उसके खर्च से नालिश हुईं झूठ है ।

४—वसूल यावी की तारीख से तीन साल बाद यह दावा किया गया है और (Limitation Act) अवधि विधान, धारा ६२ के अनुसार अवधि के बाहर है ।

६—इस्तेमाल और दखल

(१) वादपत्र पद ९ न० २ का प्रतिवाद पत्र

जब कि हिसाब की गलती और रुपया अदा

कर देने की आपत्ति हो

प्रतिवादी का बयान यह है कि—

१—प्रतिवादी के इस्तेमाल में मोटर केवल.....दिन रही जिसका विवरण यह है (विवरण दो) ।

२—जब कि मोटर प्रतिवादी के काम में थी तो वादी के मोटर ड्राइवर ने..... रु० तेल इत्यादि के वास्ते लिये । उसकी रसीदे पेश की जाती हैं ।

३—इसी समय में मोटर २ दफे बिगड गई और उसकी मरम्मत के बिल का रुपया प्रतिवादी ने अदा किया । दोनों बिल और अदायगी की रसीद पेश की जाती हैं ।

४—मोटर का रोजाना के हिसाब से किरायारु० से अधिक नहीं होता और मोटर की खराब हालत और उसमें बैठने में कष्ट होने के ख्याल से यह किराया उचित है ।

५.—हिसाब से.....रु० वादी का निकलता है । वह वादी को मनीआर्डर से भेजा गया लेकिन उसने वापिस कर दिया इस लिये अदालत में जमा कर दिया गया है ।

१०—पंचायत व पंचायती फैसला

(१) वादपत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र

जब कि अनीति व्यवहार (Misconduct)

की आपत्ति हो

१—पंच ने कोई पंचायत नहीं की और न कोई शहादत लिखी ।

२—पंच वादी की सभी बहिन का दामाद है । प्रतिवादी को पंचायत के लिये इकरारनामा लिखते समय इसका ज्ञान नहीं था । वादी ने इस बात को जान बूझ कर छिपाया और प्रतिवादी ने पंच को बिलकुल सम्बन्ध रहित समझ कर पंचायती इकरारनामा उसके नाम लिख दिया ।

३—पच ने वादी की तरफदारी और रियायत की और सम्पत्ति में ने अधिक भाग वादी के कुरे में लगा दिया और वादी का कुग बजाय एक तिहाई ($\frac{1}{3}$) कीमत के लगभग आधी कीमत का कर दिया और प्रतिवादी का कुरा जो दो तिहाई ($\frac{2}{3}$) कीमत का होना चाहिये था आधी कीमत से भी कम कर दिया ।

४—प्रतिवादी ने पच ने प्रार्थना की कि वह प्रतिवादी की श्राद्धत कलमबन्द करले और इसी लिये गवाह तलब कराये और उनके पच के मामले लाया लेकिन पच ने श्राद्धत लेने से इनकार कर दिया ।

५—पच ने मामले के तजवीज करने में क्लिर्पा हुई तहकीकान और निजी दस्ता ने काम लिया है और अनीति व्यवहार (उदणमाली) किया है ।

६ - पच का फैसला मनसूबी के योग्य है और उसके आधार पर वादी अदालत में डिगरी नहीं करा सकता ।

??—विदेशी तजवीज़

(१) वादपत्र पद ११ न० २ का प्रतिवाद-पत्र जब
विरोध दर्शनाधिकार न होने का हो

प्रतिवादी का निवेदन है कि -

१—वादी ने जो दावा हाईकोर्ट रियायत जैपुर में किया था वह मनसूबी शर्तों का था । उसके मुनने का उक्त न्यायालय का अधिकार नहीं था और उस मुद्दने में जो डिगरी हुई वह अधिकार विरुद्ध हुई ।

२—प्रतिवादी ने डिगरी का रुपया वादी को उसके मुखतार ग्राम की मासत अदा कर दिया । रसीद इस प्रतिवाद पत्र के साथ नसीब है ।

३—वादी का दावा अधिकार विरुद्ध और अनुचित है ।

१२—जमानत

साधारण प्रतिवाद

१—प्रतिवादी ने वादी की बयान की हुई जमानत नहीं की या कोई जमानत नहीं की ।

२—वह लेख जिस पर वादी जमानत होने का भरोसा करता है, प्रतिवादी ने नहीं लिखा या कि वादी की बयान की हुई या कोई जमानत नहीं की ।

३—वादी ने असल देनदार को मुआहिदा करके जिम्मेदारी से बरी कर दिया (धारा १३४ अनुबन्ध विधान—कानून मुआहिदा) ।

४—वादी ने यह.....काम किया या यह.....काम नहीं किया जिसके करने या न करने से (जैसी दशा हो) असल देनदार (भदयून) अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया । (धारा १३४ कानून मुआहिदा)

५—वादी ने प्रतिवादी की बिना अनुमति लिये असली देनदार से फैसला कर लिया—

या उसको मुहलत देने या उस पर दावा न करने का उससे इकरार कर लिया (दफा १३५ कानून मुआहिदा) ।

६—वादी ने ऐसा कार्य किया (यहाँ पर वह लिखना चाहिये जिसको वादी ने जामिन प्रतिवादी के हक के खिलाफ किया या ऐसा काम नहीं किया जो जामिन प्रतिवादी के हक की रक्षा के लिये उसको करना चाहिये था) और उसके कारण जामिन प्रतिवादी का असल देनदार के खिलाफ चाराकार जाता रहा । (धारा १३६ कानून मुआहिदा)

७—प्रतिवादी ने ता० .. .के नोटिस से आगे के मामलों की बात अपनी जमानत वापिस लेली (धारा १३० कानून मुआहिदा) ।

८—यदि जमानत की प्रतिजा वापिस हो सकती हो तो प्रतिवादी कह सकता है कि उसने वादी के कर्जदार के साथ मुआमला करने से पहिले जमानत ता०.....को नोटिस के द्वारा या अन्य प्रकार से वापिस ले ली ।

* (१) जामिन के ऊपर मुकदमे में प्रतिवाद जब

कि अदायगी का विरोध हो

१—यह कि कुल रुपया . . .जिसकी जमानत प्रतिवादी ने की थी वाद स्थापित होने से पहिले अदा कर दिया गया ।

नो —यह नमूना परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (अ) भाग ४ व्यवहार विधि सग्रह का नमूना न० ३ है ।

२—यह कि प्रतिवादी को वादी ने जिम्मेदारी से छोड़ दिया और असल देनदार को ता० की तहरीर से मुहलत दे दी ।

(२) जमानत से इनकार करने पर

(वाद-पत्र पद १२ न० ३ का प्रतिवाद पत्र)

प्रतिवादी का निवेदन है—

१—धारा न० १ अर्जीदावा में लिखी हुई था और कोई जमानत प्रतिवादी ने, रामलाल की नहीं की ।

२—प्रतिवादी ने वादी को रामलाल के सभ्य और माननीय पुरुष होने के बारे में एक शिफारसी पत्र लिख दिया था परन्तु उसमें प्रतिवादी ने अपने ऊपर जमानत की तरह पर कोई उत्तरदायित्व नहीं लिया था ।

३—वादी ने उस चिट्ठी के ऊपर रामलाल को उत समय या उसके कई महीने बाद तक कोई माल नहीं दिया और वह चिट्ठी बेकार रही ।

४—वादी ने उस चिट्ठी के बहुत दिनों बाद वह माल जिसका कि बर्खान धारा न० १ अर्जीदावे में किया गया है अपने स्वयं उत्तरदायित्व पर रामलाल को दिया । उसके बारे में प्रतिवादी ने कोई जमानत नहीं की ।

५—प्रतिवादी दावे के रुपये का देनदार वादी को नहीं है ।

(३) बेवाक़ी और जुम्मेदार न होने का विरोध होने पर

(वाद-पत्र पद १२ न० ४ का प्रतिउत्तर)

मुद्दायलह का बयान इस प्रकार है—

१—मुद्दई के यहाँ अहमदउल्ला ६ मास तक नौकर रहा और उसने नौकरी छोड़ते वक्त कुल हिसाब वादी को समझा दिया और जो कुछ रुपया मुद्दई का उसके पास क्लर्क की हैसियत से था, मुद्दई को सुर्पुद कर दिया ।

२—यदि अहमदउल्ला ने जमानत नामे के शर्तों की बमूजिब कुल रकमों जो क्लर्क की हैसियत से उसके पास थी वादी को हवाला नहीं की या माहवारी हिसाब मुद्दई को नहीं समझाया तो प्रतिवादी निवेदन करता है कि अहमद उल्ला ने वेईमानी और गवन किया और यह वेईमानी और गवन एक महीने के बाद वादी के इल्म और इत्तला में हुआ । अर्जीदावे के फिकरा न० ३ में लिखी हुई सब रकमों इसी तरह की हैं ।

३—वादी ने अहमदउल्ला की वेईमानी और गवन का इल्म और इत्तला होने पर भी उसको मौकूफ नहीं किया ।

४—वादी ने अहमदउल्ला की वेईमानी और गंवन की कोई सूचना प्रतिवादी को नहीं दी और प्रतिवादी की बिना रजामन्दी उसको ६ महीना तक नौकर रखवा ।

५—मुद्दई ने ऊपर लिखे काम जो उसको प्रतिवादी जाभिन के हक की हिफाजत के लिये करता था (या न करना चाहिये थे , नहीं किये ' या किये) । प्रतिवादी अपनी जिम्मेदारी से इस लिये छुटकारा पा गया ।

१३—प्रतिज्ञा भंग होने पर

साधारण प्रतिवाद

१—प्रतिवादी ने वादी से उसकी बयान की हुई या अन्य कोई प्रतिज्ञा नहीं की या कि प्रतिवादी को वादी के बयान किये हुए या किसी और अनुबन्ध से इनकार है ।

२—प्रतिवादी को प्रतिज्ञा होना स्वीकार है परन्तु वादी की बयान की हुई शर्तें स्वीकार नहीं हैं दोनों पक्षों की प्रतिज्ञाएँ यह थीं —

(यहाँ पर असली शर्तें लिखनी चाहिये और उनकी वास्तव यदि कोई लेख लिखा गया हो तो उसका संदर्भ (हवाला) दिया जावे) ।

३—पक्षों के मध्य में कोई पक्की प्रतिज्ञा नहीं हुई या वादी का टिखाना हुआ मुआहिदा इस कारण से पूरा नहीं हुआ ।

(यहाँ पर वह कारण जिससे प्रतिज्ञा अधूरी रही हो, विवरण से लिखी जावे, जैसे किसी व्यक्ति की मंजूरी या सम्मति आवश्यक थी वह नहीं हुई, या कि उसका स्टाम्प पर लिखना ठहरा था या उसके सम्बन्ध में कोई रुपया देना या अन्य कोई काम करना किसी मियाद के अन्दर ठहरा था और वह नहीं हुआ) ।

४—वादी का बयान किया हुआ मुआहिदा न्यायानुसार अवैध और बेकार या कानून से पूरा होने के लायक नहीं है (ऐसी घटनाएँ जिनसे यह प्रकट हो सके कि क्या कानून से ऐसा मुआहिदा वर्जित है लिखी जावे और अनुबन्ध विधान के हवाले से आपत्ति की जावे) ।

५—प्रतिवादी ने मुआहिदे को जैसा ठहरा था पूरा कर दिया, या कि ठहरा हुआ काम प्रतिवादी ने आप कर दिया, या कि दूसरे आदमी से करा दिया और वादी ने उसको मुआहिदे के पूरा और बेबाक होने में मंजूर कर लिया ।

६—वादी ने प्रधान या मुख्य शर्तें (जो कुछ शर्तें हो तफ़्सील के साथ साफ लिखी जावे) पूरी नहीं की जो प्रतिज्ञाओं को बन्धन युक्त और प्रचलित करने के लिये आवश्यक थी ।

७—वादी ने स्वयं प्रतिज्ञा भंग की (वादी ने जो कुछ किया हो वह लिखा जावे) ।

८—प्रतिवादी टैनीकारण या शाही लड़ाई (या जो कुछ कारण हो जिससे वह कानूनी जुम्मेदारी से छूट सकता हो) से प्रतिज्ञा को पूर्ण या उसकी शर्त को पूरा नहीं कर सका ।

९—हर्जा जो माँगा गया है गलत है या वादी उसके पाने का स्वत्व नहीं रखता, (जो कुछ वजह हो वह लिखी जावे जैसे कि वायदे की मित्ती का भाव नहीं लगाया गया या कि वादी ने हानि दूर या कम करने की कोशिश नहीं की जो विधानानुसार उसको करना चाहिये थी या कि हर्जा प्रतिवादी के काम का फल नहीं है इत्यादि) ।

(१) वादपत्र पद १३ न० ३ का प्रतिवाद-पत्र

जब आपत्ति इनकारी अन्याया

वेवाकी की हो

प्रतिवादी का बयान निम्नलिखित है—

१—प्रतिवादी इनकार करता है कि उसने वादपत्र में लिखी हुई तिथि या किसी दूसरी तिथि को वादी को १०० बोरे आटे या किसी बोरी आटे का वादपत्र में दी हुई तारीख या किसी और तारीख पर हवाले करने और उनकी वाजत.....रुपये या कोई और रकम लेने की प्रतिज्ञा की ।

२—अन्यथा प्रतिवादी निवेदन करता है कि ता.....को दोनों पक्षों में सुलह होकर यह करार पाया कि प्रतिवादी दावे व खर्चों की वेवाकी में वादी को.....६० अदा करे और प्रतिवादी ने यह रुपये वादी को अदा कर दिया और उसने उस रुपये को दावे और खर्चों की वेवाकी में स्वीकार कर लिया ।

(२) पूर्ण प्रतिज्ञा न होने की आपत्ति होने पर

(पद १३ वादपत्र न० ४ का प्रतिवाद-पत्र)

१—दोनों पक्षों के बीच में कोई पूर्ण अनुबन्ध नहीं हुआ—वादी की ओर से दलाल के मारफत अकुआ रुई की खरीद के लिए सदेशा इस शर्त पर मिला था कि वादी प्रतिवादी से १५१ मन रुई २३) ६० प्रति मन के हिसाब से त्रैसाख सुदी १ संवत १९६६ से लेकर जेठ सुदी १५ संवत १९६६ तक तुलवा लेगा और जितना भी माल तुलता जावेगा उसकी कीमत वादी उसी वक्त अदा करता जावेगा और दोनों पक्ष ढाई २ सौ रुपया मदन-मोहन या.....के पास जमा कर दें जो किसी फरीक के वायदा तोडने पर दूसरे फरीक को हर्जा के रूप में दे दिया जावे ।

२—वादी ने यह २५०) ६० मदन मोहन के पास जमा नहीं किया और इसलिये पूरा मुआहिदा नहीं होने पाया ।

३—यदि यह व्यवहार पूर्णतया मान भी लिया जाय तो प्रतिवादी निवेदन करता कि वह वादी की ओर से पहिली शर्त पूरी न होने से रद्द हो गया ।

४—यह व्यवहार जुआ की तरह था और अनुबंध विधान (Contract Act) की धारा ३० के अनुसार प्रभावहीन और प्रचार के अयोग्य है ।

५—रुई का भाव वैशाख सुदी १ और जेष्ठ सुदी १५ सवत १९९९ के बीच में २३) ६० प्रति मन से कम रहा और वादी की कोई हानि नहीं हुई ।

६—बयाने का १००) ६० वादी अपने आप मुआहिदा तोड़ने की वजह से पाने का अधिकारी नहीं है ।

१४—प्रिन्सिपेल और एजेन्ट

साधारण प्रतिउत्तर

१—दोनों पक्षों में प्रिन्सिपेल और एजेन्ट का सम्बन्ध नहीं था ।

या कि वादी, प्रतिवादी का या प्रतिवादी, वादी का (जैसी परिस्थिति हो) एजेन्ट नहीं था ।

या कि प्रतिवादी ने वादी को या वादी ने प्रतिवादी को एजेन्ट नहीं रक्खा ।

२—प्रतिवादी को वादी का या वादी को प्रतिवादी का (जैसी रिस्थिति हो) वादी की बयान की हुई शर्तों पर एजेन्ट होना स्वीकार नहीं है । दोनों पक्षों की नियत की हुई असली शर्तें यह थी :—

(यहाँ पर एजेन्सी की शर्तें, स्पष्ट रूप से और विवरण सहित लिखी जावे, और यदि उनकी बाबत कोई लिखा पढ़ी या पत्र व्यवहार हुआ हो तो उसका उल्लेख किया जावे और यदि किसी विशेष शब्द या वाक्यों का लिखना आवश्यक हो तो वह भी लिखा जावे) ।

३—प्रतिवादी ने एजेन्सी की शर्तों के अनुसार काम किया- वादी जो शर्तों के विरुद्ध काम करना बयान करता है उससे इनकार है ; (जैसे माल आदेश के अनुसार खरीदा व बेचा था हिसाब जैसे ठहरा था वैसे समझा दिया और रोकड़ व दस्तावेज या दूसरा माल सँवार दिया या तनख्वाह या कमीशन ठहरा हुआ दे दिया) ।

४—वादी ने एजेन्सी की शर्तों को पूरा नहीं किया और इससे प्रतिवादी का इतने रुपये (संख्या लिखो) का हर्जा और नुकसान हुआ ।

(यहाँ पर वादी के शर्तों के तोड़ने और हर्जे इत्यादि की बटनाएँ विवरण सहित लिखी जानी चाहिये) ।

५—दोनों पक्षों का ठीक २ हिसाब कर दिया जावे और जो एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के ऊपर निकले उसकी डिग्री उत्तरदायी पक्षकार के ऊपर कर दी जावे ।

(१) प्रतिवाद-पत्र पद १४ नमूना न० १ का, जब
कि हिसाब समझा देने व वेवाकी की आपत्ति हो

१—वाद पत्र की धारा न० १ स्वीकार है ।

२—धारा न० २ में एजेन्सी का काल स्वीकार है लेकिन यह स्वीकार नहीं है कि वादी को माल की विक्री और वसूलयानी ठीक २ मालूम नहीं है । प्रतिवादी वादी के पास विक्री और वसूलयानी का हिसाब हर महीने भेजता रहा और वादी उन हिसाबों को देख कर तरह २ के आदेश प्रतिवादी को देता रहा ।

३—धारा न० ३ से प्रतिवादी को इनकार है । प्रतिवादी ने एजेन्सी समाप्त होने के समय वादी को कुल हिसाब समझा दिया और जो कुछ ताले व रोकड़ प्रतिवादी के पास थी वह वादी के हवाले कर दी । वादी के लड़के रामप्रसाद के हाथ की लिखी हुई और उसके स्वयं हस्ताक्षर की हुई रसीद पेश की जाती है ।

४—धारा न० ४ से ६ तक सबसे और प्रत्येक से प्रतिवादी को इनकार है और वादी की प्रार्थना प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है । प्रतिवादी यत्र वादी को किसी प्रकार का हिसाब समझाने का जुम्मेवार नहीं है और न उसके ऊपर वादी का कोई रुपया चाहिये ।

(२) वाद-पत्र पद १४ नमूना न० ७ का प्रतिवाद-पत्र
जब आपत्ति सहमति व वेवाकी की हो

१—वादपत्र की १ से ५ तक धारा स्वीकार हैं ।

२—धारा न० ६ व ७ से प्रतिवादी को बिल्कुल इनकार है । वादियों की सहमति से खर्चियाँ बाजार भाव से १७ जनवरी सन् १९२१ ई० को वेच दी गई थीं ।

३—खर्चियाँ हानि से बिक्री, हिसाब से जो प्रतिवाद-पत्र के साथ दाखिल किया जाता है वादियों का प्रतिवादी के ऊपर कोई रुपया बाकी नहीं निकलता । वादी कोई रुपया या सूद पाने के अधिकारी नहीं हैं । आपस में सूद की दर ॥) आने मासिक ठहरी थी ।

४—धारा न० ८ व ९ प्रतिवादी को स्वीकार नहीं हैं ।

५—यह दावा अनुचित है और वादी के सम्बन्धी सुन्दर लाल के मेल से दायर हुआ है । यह सुन्दर लाल अदालत से दूकान का बही खाता और रुपया शायब करने के अपराध में दण्ड भागी हो चुका है ।

१५—अपना स्वत्व बचाने के लिये दूसरे के जुम्मेदारी की अदायगी

साधारण प्रतिउत्तर

१—यह कि वादी ने भगड़े वाली अदायगी नहीं की ।

२—प्रतिवादी भगड़े की रकम का देनदार नहीं था, या कि ।

प्रतिवादी अपने जुम्मे का मतालवा वादी की बयान की हुई तारीख अदायगी से पहिले दे चुका था ।

३—यह कि वह अदायगी, वादी ने अपने आप अपना हिस्सा या स्वत्व प्रमाणित या कायम करने के लिये की ।

४—प्रतिवादी को इस अदायगी से कोई लाभ नहीं पहुँचा ।

५—मौजे हुए रुपये की सख्या या उसका हिसाब गलत है ।

६—सूद अनुचित या अधिक लगाया गया है ।

७—प्रतिवादी वादी के दावे का कुल रुपया या कुछ मतालवा अदा कर चुका है ।

(१) वाद-पत्र पद १५ नमूना न० १ का प्रतिवाद पत्र जब अदायगी और बेवाकी की आपत्ति हो

१—वाद पत्र की धारा न० १ स्वीकार है ।

२—वाद पत्र की धारा न० २ से इनकार है । वादी ने इकरारनामे की शर्तों के विरुद्ध ३४ मन धनियॉ १३६) रु० का और ४१ मन सौफ २०५) रु० की, जो सामे की वादी के अधिकार में थी, प्रतिवादी को नहीं दी और सामे के कारखाने का सामान, जिसका विवरण इस प्रतिवाद पत्र के साथ दिया गया है, १६८) रु० का वादी ले गया ।

३—धारा न० ३ स्वीकार है ।

४—धारा न० ४ स्वीकार नहीं है । वादी के पास ऊपर लिखी धारा न० २ के अनुसार ५३०) रु० का माल और सामान रहा और केवल ४८६) रु० सामे की डिग्री का उसने अदा किया । इकरारनामे की शर्त के अनुसार सामे के सामान का मूल्य तक के लिये, जो वादी के पास रहा, उसको दावा करने का अधिकार नहीं है । जो मतालवा वादी चाहता है वह बेवाक हो चुका है ।

(२) प्रतिवादपत्र पद १५ नमूना न० ३ का

जब जुम्मेदारी का भगड़ा हो

१—ठेकेनामे ता०.....महीना... सन्.....के द्वारा वादी और प्रतिवादी बराबर भाग के ठेकेदार थे । वादी का यह बयान कि अकेला प्रतिवादी ठेकेदार था और वादी ठेका लिखने में केवल इस लिये सम्मिलित हुआ कि ठेके के रुपये की अदायगी का विश्वास हो जावे सही नहीं है ।

२—ठेके के वर्षों में वादी और प्रतिवादी दोनों ने ठेके वाली सम्पत्ति का लगान प्राप्त किया । प्रतिवादी ने अपने हिस्से के लाभ की सख्या तक लगान प्राप्त किया बाकी लगान वादी ने वसूल किया और जमींदार को ठेके का रुपया अदा नहीं किया ।

३—जमींदार के ठेके के रुपये का देनदार जिसका डिग्री सादिर हुई वादी था । उसके विषय में कोई मतलब प्रतिवादी पर बाजिब नहीं है ।

४—प्रतिवादी इस बात पर भी सहमत है कि दोनों पक्षों के बीच लगान की वसूल्यात्री और ठेके के रुपये की अदायगी का हिसाब करा दिया जावे और हिसाब से जो रुपया एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के जुम्मे निकले उसकी डिग्री पाने वाले के अधिकार में कर दी जावे ।

१६—रसदी

(Contribution)

साधारण प्रतिवत्तर

१—नालिश के रुपये की अदा करने की कोई सयुक्त जुम्मेदारी वादी और प्रतिवादी की नहीं थी ।

२—प्रतिवादी दावे के रुपये का देनदार नहीं था ।

या कि अकेला वादी ही उस रुपये के अदा करने का उत्तरदायी था ।

३—वादी ने वह रुपया अदा नहीं किया ।

४—वादी को रुपया अदा करने की कोई मजबूरी नहीं थी । उसने रुपया अपनी खुशी से अदा किया ।

या उसने अपने आप अपना कब्जा या अधिकार प्रमाणित करने के लिये रुपया अदा किया ।

५—वादी ने किराया या लगान या लाम (या कोई अन्य मतालवा जिसके कारण दावे का रुपया अदा करने की जिम्मेदारी पैदा होती है,) वसूल किया और उससे दावे का कुल रुपया या उसका भाग बेचाक हो गया या प्रतिवादी का वादी के ऊपर और अधिक रुपया निकलता है ।

६—प्रतिवादी ने अपने हिस्से का रुपया वादी के (या और किसी तरह पर) अदा और बेचाक कर दिया ।

७ - दावे के रुपये का हिसाब इस भाँति है

(यहाँ पर ठीक हिसाब और मतालवा लिखा जावे) ।

८—प्रतिवादी सूद का देनदार नहीं है क्योंकि:—

(यहाँ पर सूद की जिम्मेदारी से बचने का कारण लिखना चाहिये) ।

(१) प्रति उत्तर; वादपत्र पद १६ न० २ का, जब कि उत्तरदायित्व की संख्या और अदायगी की आपत्ति हो

१—वादपत्र की धारा १ स्वीकार है ।

२ - वादपत्र की धारा २ स्वीकार नहीं है । दोनों पक्ष ने ऋण का रुपया आधा २ लिया था और आधे २ ऋण व व्याज के देनदार दोनों पक्ष थे ।

३ - वादपत्र की धारा न० ३ सही नहीं है । दोनों पक्षों ने २००) ६० सफे के कारोबार की आय से अदा किये थे और उसकी रसीद दोनों के नाम से दी गई थी जो इस प्रतिवाद पत्र के साथ पेश की जाती है ।

४—वादपत्र की धारा ४ स्वीकार है ।

५—वादपत्र की धारा ५ में रुपये की संख्या ठीक नहीं है और सूद देने के उत्तरदायित्व से इनकार है । प्रतिवादी के ऊपर केवल... .. रुपये चाहिये जो उसने वादी के देना चाहा और नोटिस भी दिया लेकिन वादी ने नहीं लिया । यह रुपया अदालत में दाखिल किया जाता है ।

६—जितना रुपया प्रतिवादी स्वीकार करता है उससे अधिक के सम्बन्ध में उपशमन से इनकार है ।

७—वादी, प्रतिवादी के खर्चा का देनदार है ।

(२) प्रतिवाद-पत्र, वादपत्र पद १६ न० ४ का, जब कुर्की मौजूद न होने की आपत्ति हो

१—वादी की डिग्री में नीलाम के समय कोई कुर्की कायम नहीं थी । डिग्री की इशाराय खारिज हो कर कुर्की छूट चुकी थी ।

२—प्रतिवादी ने नीलाम का कुल रूपया उचित रूप से बसूल किया। उसमें से वादी किसी हिस्से के पाने का अधिकारी नहीं है।

३—वादपत्र में लिखा हुआ हिसाब प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है और व्याज की देनदारी से बिल्कुल इनकार है।

१७—फरेब (प्रपन्च) और धोखा

(१) वाद-पत्र पद १७ न० ३ का प्रतिवादपत्र, इन्तकाळ लेने वाले की ओर से जब कि नेकनीयती और धोखे की खबर न होने की आपत्ति हो

[नोट— धोखा या फरेब के रूप रङ्ग प्रत्येक मुकदमे में भिन्न भिन्न होते हैं इसलिये अन्य घटनाओं की इन्कारी या स्वीकारी पर भी धोखे का ज्ञान न होना लिखना चाहिये।]

१—वाद-पत्र की धारा न० १ से ३ तक का केर्ड सम्बन्ध उत्तरदाता प्रतिवादी से नहीं है। वह उनको स्वीकार नहीं करता।

२—धारा न० ४ उत्तरदाता प्रतिवादी को एक सन्दूक चाय प्रतिवादी रामलाल से मोल लेना स्वीकार है। परन्तु इससे बिलकुल इनकार है कि प्रतिवादी को वादपत्र की धारा न० १ में लिखे हुए बयान या रामलाल के दूसरे किसी बयान के भूँठ होने का ज्ञान था।

३—उत्तरदाता प्रतिवादी ने चाय नेकनीयती से मामूली ब्यौपार में बाजार भाव से... रुपये में राम लाल से खरीद की और कीमत अटा की। उस समय उसके रामलाल के वादी से या किसी और आदमी से उस माल की वास्तु भूँठ बयान करना बिलकुल ज्ञात नहीं था।

४—उत्तर दाता के कब्जे से माल दिलाये जाने की प्रार्थना विधान विरुद्ध है। वादी को इस प्रकार का केर्ड स्वत्व नहीं है और वादी की कोई हानि उत्तरदाता प्रतिवादी के किसी काम करने से नहीं हुई।

१८—चल सम्पत्ति

(१) वादपत्र पद १८ न० ३ का प्रतिवाद-पत्र जब
कि वादी के प्राक्तिक हेने और माऊ
हवाळा करने से इनकार हो

१—ता०.....को जो चित्र (तस्वीर) प्रतिवादी को सावधानी से रखने का दिया गया था, वह शिवकुमार ने दिया था और उसने अपने आपको उसका स्वामी बतलाया था ।

२—प्रतिवादी को, वादी का उस चित्र का मालिक होना स्वीकार नहीं है ।

३—प्रतिवादी को इस बात से इनकार है कि चित्र सावधानी से रखने के लिये वादी ने प्रतिवादी के सुपुर्द कराया ।

४—शिवकुमार और वादी दोनों उक्त चित्र को प्रतिवादी से माँगते हैं । प्रतिवादी चित्र को उस पुरुष को दिये जाने के लिये अदालत में दाखिल करता है जो उसका अधिकारी हो ।

५—प्रतिवादी को... ..६० चित्र को सावधानी से रखने और प्रतिउत्तर का खर्चा, उस मनुष्य से दिलाया जावे जो चित्र का अधिकारी निर्णय किया जावे ।

६—वादपत्र की धारा न० ४ के बयान सही नहीं हैं और प्रतिवादी उनसे इनकार करता है ।

१६—साक्षा या शराकत

साधारण प्रतिउत्तर

१—वादी और प्रतिवादी के मध्य में वादी की बयान की हुई शराकत या और कोई साक्षा नहीं था ।

२—प्रतिवादी को वादी की बयान की हुई शराकत से त्रिकुल इनकार है । जो साक्षा दोनों पक्षों में हुआ था वह ता०क कायम हुआ या इतनी अवधि या साल तक कायम रहा और उसकी शर्तें यह थीं :—

(कुल शर्तें घटनाओं के साथ लिखी जावें और यदि कोई लिखा पढ़ी या पत्र व्यवहार उसके सम्बन्ध में हुआ हो तो उसका भी उल्लेख किया जावे)

३—साम्ने में (अ—ब) व (क—ख) इत्यादि साक्षी वे जिनको वादी ने हिस्सेदार प्रगट नहीं किया ।

या कि (स—र) व (ल—य) इत्यादि साक्षी नहीं वे जिनको वादी साक्षी बयान करता है ।

४—हिस्सेदारों के हिस्से की संख्या वादी ने सही बयान नहीं की । हिस्से की ठीक संख्या यह थी —

(यहाँ पर हिस्से का विवरण लिखा जावे) ।

५—ता०को साक्षा टूट चुका था ।

या ता०को टूट गया (किसी हिस्सेदार के मरने या दिवालिया (इनसाल्वेंट) हो जाने की वजह से या हिस्सेदारों की सहमति से या जो कुछ कारण हो लिखा जावे) ।

६—साम्ने का हिसाब हिस्सेदारों में समझ कर तय हो गया । अब कोई हिसाब बाकी नहीं है ।

७—प्रतिवादी को साक्षा तोड़ने में या हिसाब समझने में कोई इनकार नहीं है ।

८—वादी ने साम्ने की शर्तों के विरुद्ध काम किया जिससे साम्ने के कारोबार का हानि पहुँची, वादी उसका ज़म्मेदार है ।

९—वादी हिसाब समझने का ज़म्मेदार है और उसके कब्जे में साम्ने का बहीखाता था रोकड़ या देना रहते थे, या हैं ।

१०—प्रतिवादी कुल साक्षियों की सहमति से ता०के इकरारनामे के द्वारा (या अन्य प्रकार से जैसी हालत हो) हिसाब समझने के बाद अपना हिस्सा लेकर (या अपने हिस्से की ज़म्मेदारी के रुपये देकर) पृथक हो गया । इकरार नामे की तारीख से प्रतिवादी का साम्ने से कोई सम्बन्ध नहीं रहा ।

(१) वाद-पत्र पद १९ न० ४ का प्रतिवाद-पत्र, जब कि साभे
की शर्तों के सम्बन्ध में झगडा हो

१—वाद पत्र की धारा १ स्वीकार है ।

२—वाद पत्र की धारा २ स्वीकार है ।

३—वाद पत्र की धारा ३ में यह शब्द “हिस्सेदारों के मजूर किये हुये” स्वीकार नहीं है बाकी स्वीकार है ।

४—वाद पत्र की धारा ४ स्वीकार है ।

५—वाद पत्र की धारा ५ में लाला महावीर प्रसाद मैनेजर का देवालिया करार दिया जाना स्वीकार है ।

६—वाद पत्र की धारा ६ में मैनेजर के भाग का नीलाम और प्रतिवादी नम्बर १ का खरीदना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है ।

७—वाद पत्र की धारा ७ से ११ तक प्रत्येक से और सबसे, उपशमन सहित स्वीकार नहीं है ।

अतिरिक्त आपत्तियाँ

८—ता० ६ जुलाई सन् १९३५ ई० के इकरारनामे में यह शर्त है कि जिस समय तक साभे का कारखाना स्थापित रहे किसी साभेदार को साभे से पृथक् होने का अधिकार न होगा । और यह भी शर्त है कि किसी समय किसी साभेदार या उसके स्थानापन्न को अपना हिस्सा अलग या बटवारा कराने का अधिकार न होगा और जब कोई हिस्सेदार दिवालिया करार दिया जावे तो उसके हिस्से का खरीदार हिस्सेदार मान लिया जावेगा और साभे स्थापित रहेगा । ऊपर लिखी शर्तों के विरुद्ध यह दावा नहीं चल सकता ।

९—वादी का यह बयान कि महावीर प्रसाद के दिवालिया हो जाने से साभे दूट गया सही नहीं है ।

१०—उत्तर दाता प्रतिवादी महावीर प्रसाद, जयशंकर और सागरमल के हिस्से का खरीदार है और उसने उचित रूप से कारखाने पर अधिकार प्राप्त किया है ।

११—उत्तरदाता प्रतिवादी महावीर प्रसाद मैनेजर का स्थानापन्न है और इकरारनामे की शर्तों के अनुसार साभे के कारखाने का मैनेजर है ।

१२—दखल लेते समय उत्तरदाता प्रतिवादी के अधिकार में कोई पहिला बर्हिखाता नहीं आया और उस समय कारखाने की बहुत रद्दी हालत थी और बहुत सा सामान व कल इत्यादि पुरानी और खरब थी और कुछ सामान व कल, इत्यादि उपस्थित नहीं था । प्रतिवादी ने लगभग ८०००) ६० लगा कर जिसका हिस्सा बंश किया जाता है कारखाने को चालू किया है ।

१३—वादी का बयान कि कारखाने के सामानों को विक्रय कर उसका रुपया प्रतिवादी ने अपने काम में लगा लिया है, झूठ है।

१४—वादी कोई उपशमन पाने का अधिकारी नहीं है।

१५—हर दशा में उत्तरदाता प्रतिवादी अपनी लागत का रुपया पाने का अधिकारी है।

१६—वादी का भाग केवल दो आने का है। साभा तोड़ने से कारखाना बिल्कुल बेकार हो जायगा और उसका बटवारा किसी तरह नहीं हो सकता। साभा तोड़ने की दशा में कारखाने का नीलाम होना चाहिये।

(२) वाद-पत्र पद १९ न० ५ का प्रतिवादपत्र, जब दूसरे साभा होने और बसीयत हो जाने की आपत्ति हो

प्रतिवादी का प्रतिउत्तर इस प्रकार है—

१—भगड़े वाली दूकान जीवाराम कड़ेरमल में जीवाराम, कड़ेरमल, गुलाबराय और रघुबर दयाल एक २ चौथाई के साभा थे। वादी का यह बयान कि जीवाराम और कड़ेरमल आधे २ के साभा थे झूठ है।

२—कड़ेरमल ने मरने समय यह बसीयत की कि उसके भाग की जो कुछ पूंजी हिसाब से निकले उससे एक धर्मशाला और कुँआ, बगीचा और प्याऊ बना दी जावे और उसके पूरा करने के लिये अपने भाँजे ख्याली राम और श्यामलाल वल्द मोहन लाल ब्राह्मण को कार्यकर्ता (मुहत्तमिम) नियत किया।

३—उक्त बसीयत के अनुसार कड़ेरमल के भाग की, साभे की रकम जो हिसाब से निकली कार्यकर्ताओं के सुपुर्द कर दी गई। वह लोग कुँआ बना रहे हैं और दूसरे काम बसीयत के अनुसार करने को हैं।

४—प्रतिवादियों को वादी का कड़ेरमल का तयेरा (तायजाद) भाई और उसका उचराधिकारी होना स्वीकार नहीं है।

५—वादी साभा तुड़वाने और हिसाब समझने का अधिकार नहीं रखता और न उसको कोई पूंजी पाने का अधिकार है।

६—वादी साभे की दूकान पर १५) ६० महीने का नौकर था और कड़ेरमल वी मृत्यु के पीछे तक नौकर रहा। उसने कभी प्रगट नहीं किया कि वह कड़ेरमल का उचराधिकारी और मालिक है और अपने अकार्यता (तर्क फैल) से प्रतिवादी को बसीयत के अनुसार काम करने पर रुझान दिलाया। वादी का दावा रोक बाद (Estoppel) से वर्जित है।

२०—मालिक व किरायेदार

साधारण प्रति उत्तर

(अ) किरायेदार की ओर से

१—पट्टे की अवधि समाप्त नहीं हुई या कि वह घटना जो किरायेदारी समाप्त होने के लिये आवश्यक थी, नहीं हुई ।

२— प्रतिवादी ता०.....महीना.....सन्.....से सम्पत्ति का स्वामी हो गया । या कि वादी सम्पत्ति का स्वामी नहीं रहा (कुल घटनाएँ विवरण सहित क्रमानुसार लिखी जावे) ।

३—प्रतिवादी ने ता०... . के गृह को वादी की सहमति से खाली कर दिया और वादी ने उस पर अधिकार कर लिया ।

४—प्रतिवादी ने पट्टे की शर्तों के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कोई वेदखली आवश्यक होती हो ।

५—प्रतिवादी ने वादी की मिलकियत से इनकार नहीं किया और न किसी तीसरे आदमी को मालिक प्रगट किया और न वादी ने नालिश दायर करने से पहिले कोई ऐसा कार्य किया जिससे उसका अभिप्राय किरायेदारी समाप्त करने का प्रगट होता हो ।

६—वादी ने जायदाद खाली करने का कोई नोटिस प्रतिवादी को नहीं दिया ।

७—खाली करने का नोटिस कानून के विरुद्ध था (नोटिस की त्रुटि स्पष्ट रूप से लिखी जावे जैसे नोटिस की अवधि तारीख खतम किरायेदारी पर समाप्त न होती हो या नोटिस अवधि विधान से कम दिन की अवधि का हो, इत्यादि) ।

८—किरायेदारी के बीच में या उसके समाप्त होने पर, या नोटिस की अवधि के बीच में या उसके खतम होने पर वादी ने अपने वेदखली के हक से दस्तबरदारी करदी ।

या नया मुआहिदा दोनों पक्षों में हो गया और पुरानी किरायेदारी कायम रही या नई किरायेदारी पैदा (जैसी परिस्थित हो) ता०.....से हो गई और अब तक चल रही है । (इस सम्बन्ध में सम्पत्ति परिवर्तन विधान—एक्ट ४ स० १८८२—की धारा १०६, १११, ११२, ११३ वा ध्यान रखना चाहिये) ।

९—प्रतिवादी वह किराया जिसका दावा है या उसका कोई भाग वादी को (या वादी के कारिन्दे या एजेन्ट को) जो वसूल करने का अधिकार रखता था, अदा कर चुका है ।

१०—किराये की दर गलत है असली किराये की दर.....रुपये मासिक थी ।

११—प्रतिवादी को पट्टे वाली जायदाद पर कब्ज़ा नहीं मिला ।

या ता०.....को वादी ने या (क—ख) असली मालिक ने प्रतिवादी को वेदखल कर दिया । वेदखली के दिनों के किराये का देनदार प्रतिवादी नहीं है

१२—किरायेदारी के दिनों में प्रतिवादी वह सब काम करता रहा जो किरायेदार की हैसियत से उसको करना चाहिये थे—

(जैसे किरायेदारी के दिनों में मरम्मत कराता रहा और जायदाद को रहने के योग्य बनाये रक्खा और उसका उपयोग ठीक और उचित रूप से किया) ।

१३—प्रतिवादी ने वह कार्य नहीं किये जिनकी वादी शिकायत करता है

याकि पट्टे की शर्तों के अनुसार प्रतिवादी को उनके करने का अधिकार था ।

१४—प्रतिवादी देनदार किराये या उसके भाग का जो वादी माँगता है, या देनदार हर्जा या उसके भाग का जो वादी चाहता है, नहीं है या उसकी सख्या गलत या अधिक है ।

१५—यदि कोई विशेष कानून लागू होता हो जैसे सयुक्त प्रान्त में (U. P. Rent control and Eviction Act तो उसके अनुसार आपत्तियाँ की जावे ।

(३) माळिक की ओर से

१—पट्टा देने के समय प्रतिवादी पट्टे देने का अधिकारी नहीं था ।

२—प्रतिवादी ने वादी को वेदखल नहीं किया ।

३—वेदखल करने के समय किरायेदारी समाप्त हो चुकी थी—

या इस कारण से कि (कारण लिखा जावे) वादी को कब्ज़ा रखने का अधिकार नहीं रहा था ।

४—प्रतिवादी ने पट्टे की शर्तों का भंग नहीं किया या उनके विरुद्ध कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया ।

(२) प्रतिवाद पत्र पद २० न० ५ का, जब वादी की मिल्कीयत से इनकार हो और वास्तविक स्वामी को किराया अदा करने की आपत्ति हो

प्रतिवादी का ध्यान इस प्रकार है—

१—वाद पत्र की धारा न० १ में दूकान वादी की होने से इनकार है । वह दूकान के मालिक नहीं है । वाकी स्वीकार है ।

२—उक्त दूकान रामलाल की मिल्कियत उसके पुरखों के समय से चली आती है और प्रतिवादी रामलाल और उसके पुरखों की ओर से उसमें किरायेदारी पर १५ वर्ष से रहता चला आता है ।

३—धारा न० २ में किराये नामे का लिखना स्वीकार है लेकिन वह वादी के नाम रामलाल के संरक्षक होने की हैसियत से लिखा गया जो उस समय अवयस्क था और वादी उसके सर्टीफिकेट प्राप्त संरक्षक थे ।

४—धारा न० ३ वादपत्र में किसी किराये के बाकी होने से इनकार है प्रतिवादी हर महीने किराया रामलाल को, जो बहुत दिनों से वयस्क है अदा करता है । रसीद किराया साथ नत्थी हैं ।

(३) प्रतिवाद पत्र पद २० न० ७ का, जब अदायगा और नोटिस अनुचित होने की आपत्ति हो

१—वाद पत्र की धारा १ और २ स्वीकार हैं ।

२—वाद पत्र की धारा ३ में प्रतिवादी का अभी तक किरायेदार की हैसियत से आर्वाइड होना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है—प्रतिवादी ने फरवरी सन् १९३५ ई० का किराया मनीआर्डर के द्वारा २५ मार्च सन् १९३५ को वादी के पास भेजा । वादी ने उसकी २ अप्रैल सन् १९३५ ई० को वापिस कर दिया जो प्रतिवादी को ७ अप्रैल सन् १९३५ ई० को मिला ।

३—प्रतिवादी ने मार्च सन् १९३५ का किराया भी वादी के पास मनीआर्डर से भेजा वादी ने वह भी वापिस कर दिया । वादी का यह बयान कि फरवरी से मार्च सन् १९३५ तक का किराया बाकी है सही नहीं है—प्रतिवादी ने नालिश की सूचना होते ही वह किराया वादी को दिये जाने के लिये अदालत में दाखिल कर दिया है ।

४—प्रतिवादी ने किराया अदा करने में किरायेनामों की शर्तों को नहीं तोड़ा । वह किरायेनामों की शर्तों के अनुसार वेदखल नहीं होना चाहिये ।

५—वादपत्र की धारा ४ में केवल नोटिस का आना स्वीकार है परन्तु नोटिस विधानानुसार नहीं थी और उसके द्वारा वादी को नालिश का स्वत्व उत्पन्न नहीं होता ।

२१—दस्तावेजों की तरमीम (संशोधन) या मसूखी

(१) साधारण प्रति उच्चर

१—उन कार्यों की अस्वीकारी जिनके आधार पर मसूखी या तरमीम की प्रार्थना की गई हो जैसे वादी-अवयस्कता—पागलपन—बेहोशी इत्यादि या प्रतिवादी का अनुचित दवाव—वेजा असर—गलत बयानी—प्रपच या धोखा—या फरीकैन की गलती इत्यादि (इनकार घटनाओं के विवरण के साथ लिखा जावे) ।

२—भगड़े वाला मुआहिदा बिना बदल नहीं था ।

या मुआहिदे का अभिप्राय विधानानुसार उचित था और सदाचार (Morality) या जननीति (Public policy) के विरुद्ध नहीं था ।

या किसी कानून से वर्जित या किसी कानून की खिलाफ वर्जों पर निर्भर नहीं था

या धोखा और फरेव से मरी हुई या दूसरे आदमों की जूत या जायदाद को हानि पहुँचाने का नहीं था (कुल घटनाएँ तफसील से लिखी जावें यदि इन कार्यों से मुआहिदा मसूख या संशोधन कराने का दावा हो) ।

३—भगड़े वाले मुआहिदे से कभी आदमी की शादी—पेशा—तिजारत कारबार या कोई कानूनी काररवाई रोकने की गरज नहीं थी (वह घटनाएँ जिनसे असली अभिप्राय प्रकट होता हो लिखी जावे) ।

४—भगड़े वाला मुआहिदा जुए का नहीं था (यदि इस विनाय पर मसूखी चाही गई हो) इस सम्बन्ध में अनुबन्ध विधान (एक्ट ६ सन् १८७२) की धाराओं का ध्यान रखा जावे—

५—यदि परदानशीन—नासभक या परामर्श न मिलने की शिकायत हो तो यह कि वादिनी परदानशीन नहीं है या पढी हुई है और व्यवहार को समझने की योग्यता रखती है और उसने (अ - ब) और (क-ख) अपने सम्बन्धी या कारकुन इत्यादि से (जैसी सूरत हो) परामर्श लेकर सोच विचार के बाद भगड़े वाला व्यवहार किया और उसके प्रभाव को अपने हक पर अच्छी तरह समझकर उसकी लिखा पढ़ी की ।

६—मुआहिदा या दस्तावेज जैसा कि मौजूद है दोनों पक्षों की मनशा और गरज को ठीक तरह से प्रकट करता है और कुल शर्तें—सम्पत्ति का विवरण या और बातें उसमें वही और उसी तरह लिखी हैं जैसी दोनों पक्षों में ठहरी थीं ।

(२) वादपत्र पद २१ न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब कि वयस्क होने की आपत्ति हो

१—वादपत्र की धारा १ में वादी के अवयस्क (नाबालिग) होने से इनकार है उसकी माँ का सर्टीफिकेट-प्राप्त संरक्षक होना प्रतिवादी को शक्त नहीं है ।

२—वाद पत्र की धा० २ स्वीकार नहीं है।

३—धा० ३ और उसके सब बयानात और हर एक बयान से प्रतिवादी को इनकार है।

४ धारा ४ में चद रुकों और दस्तावेजों का अपने नाम वादी से लिखाना प्रतिवादी को स्वीकार है, और घटनाओं से इनकार है, प्रतिवादी ने अपने किसी मित्र के नाम कोई रुका या दस्तावेज भूँठे नहीं लिखाये—प्रतिवादी के नाम जो रुके वादी ने लिखे वह पूरा बदल लेकर लिखे केवल ४००) रु० दिये जाने का बयान भूँठ है।

५—धा० न० ५ में विक्रय पत्र का लिखा जाना स्वीकार है और घटनाएँ स्वीकार नहीं है असल घटनाएँ अतिरिक्त बयान में लिखी हैं।

६ - धा० ६ व ७ से पूर्णतया इनकार है।

७—धा० ८ से लेकर १० तक उपशमन सहित स्वीकार नहीं है।

अतिरिक्त बयान

८—वादी अवयस्क नहीं हैं उसकी अवस्था २५ साल की है और वह बहुत दिन से अपना कार्य वयस्क की हैसियत से करता है।

९—वादी को और से शौर आदमी की सरक्षता से, जब कि सर्टीफिकेट-प्राप्त उसकी सरत्क माँ मौजूद है दावा दायर होना व्यवहार-विधि-सग्रह के आर्डर ३२ नियम ४ के विरुद्ध अनुचित है।

१०—वादी और प्रतिवादी की कोई मित्रता नहीं है और न एक साथ बैठना उठना था। वादी पर प्रतिवादी का कोई प्रभाव नहीं था।

११—कई साल से वादी वयस्क की तरह अपना कारोबार करता था और अपनी जमींदारी का नम्बरदार था और लगान को तहसील वसूल स्वयं करता था।

१२—वादी के ऊपर कई आदमियों का ऋण रुके और दस्तावेजों का था और एक रुके और एक दस्तावेज का ऋण प्रतिवादी का भी था।

१३—वादी को ऋण अदा करने इत्यादि के लिये रुपयो की आवश्यकता थी और भगड़े वाली सम्पत्ति को विक्रय करना चाहता था उसने सम्पत्ति के कुल कागज उसके अधिकार में थे और एक वयस्क होने का सर्टीफिकेट जो उसने सिविलसर्जन से कई वर्ष पहिले से ले रक्खा था, प्रतिवादी को दिखलाया। प्रतिवादी ने नेक नीयती से विक्रयपत्र का मामला उचित मूल्य पर तय किया। वादी ने उसकी लिखा पढ़ी पूरी कर दी और प्रतिवादी ने उसका पूरा मुआवजा अदा कर दिया। रसीद और दूसरे अदायगी के कागज नत्थी किये जाते हैं।

१४—वादी का बयान फर्जी रुपया मुबरा करने और केवल २००) रुपया देने के विषय में भूँठ है।

१५—जायदाद पर वादी काबिज़ नहीं है। प्रतिवादी काबिज़ है और उसका नाम अदालत माल से दाखिल हो चुका है।

१६—वादी की ओर से, केवल मसूखी और इस्तकरार का दावा धारा ४२ निर्दिष्ट उपशमन विधान (Specific Relief Act) के अनुसार नहीं चल सकता।

१७—प्रतिवादी को यह स्वीकार नहीं है कि वादी के संरक्षक बनने का कोई सर्टीफिकेट उचित रूप से लिया गया। अगर कोई फ़रेबी और साजशी कार्यवाही उसके सम्बन्धियों ने की हो तो वह वादी पर पाबन्दी के योग्य नहीं हैं।

१८—बदल की तरह पर प्रतिवादी प्रार्थना करता है कि त्रैनामे के रुपये से वादी ने लाभ उठाया है यदि किसी वज़ह से त्रैनामा मसूल किया जावे तो ऐसी हालत में प्रतिवादी को त्रैनामे का कुल रुपया और उसका सूद वादी और वही की हुई जायदाद से मिलना चाहिये।

२२—प्रतिज्ञा की विशेषपूर्ति

(Specific Performance)

(१) साधारण प्रतिउत्तर

१—प्रतिवादी ने वादी के साथ कोई आपसी प्रतिज्ञा नहीं की।

२—(अ—ब) प्रतिवादी का ऐजेन्ट नहीं था (यदि वादी ने ऐसा बयान किया हो)।

३—वादी ने नीचे लिखी शर्तें पूरी नहीं की (शर्तें लिखो)।

४—प्रतिवादी ने अंश पूर्ति (Part Satisfaction) के बयान किये हुये काम नहीं किये।

५—वादी का हक मिलिकियत जायदाद में जो विक्री होना ठहरी थी ऐसा नहीं है जिसको प्रतिवादी नीचे लिखी बातों के कारण से मजूर करने पर मजबूर हो (लिखो क्यों)।

६—आपसी प्रतिज्ञा नीचे लिखी बातों के विषय में अनिश्चित (Uncertain) है (वह बातें लिखो)।

७—वादी ढील करने का दोषी (Guilty of Laches) है।

८—वादी धोखा (या मिथ्या बाद—गलत बयानी) करने का दोषी है।

९—या प्रतिज्ञा न्याय विरुद्ध (Illegal and Unfair) है।

१०—या इकरार दोनों पक्षों की मालती से हुआ।

११—धारा (७), (८), (९), (१०) की जैसी सूत्रत हो, घटनाएँ यह हैं :—
(यहाँ पर आवश्यक घटनाएँ लिखो)।

(उन मुकदमों में जहाँ हर्जें का दावा हो और प्रतिवादी अपनी हर्जें की देनदारी न मानता हो तो उसको आपसी प्रतिज्ञा करने से इनकार करना चाहिये या प्रकट करना चाहिये कि कौन ऐसे कारण हैं जिन पर वह भरोसा करना चाहता है जैसे अवधि विधान—बेबाकी और अदायगी—दस्तवरदारी—घोखा इत्यादि) ।

(२) वादपत्र पद २२ न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब वादी के प्रतिज्ञा भंग करने की आपत्ति हो

१—वाद पत्र की धारा न० १, २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—वाद पत्र की धारा ४, ५ व ६ उपशमन सहित स्वीकार नहीं हैं ।

३—जो भगड़े का निपटारा इस मुकदमे के दोनों पक्षों में अदालत अपील से भगड़े वाली जमीन को एक हफ्ते के अन्दर बेचने का ठहरा था उसको पूरा करने के लिये उत्तरदाता प्रतिवादी सदा प्रस्तुत रहा और वादी से मुआहिदा पूरा करने के लिये तकाजा करता रहा लेकिन उसने स्वयं मुआहिदे को पूरा नहीं किया ।

४—वादी उत्तरदाता प्रतिवादी के तकाजा करने पर भी एक दिखावटी नोटिस चालाकी से प्रतिवादी को ठहरी हुई अवधि समाप्त हो जाने के बाद ३१ मई सन् १९—को दिया जिसका जवाब प्रतिवादी ने ७ जून सन् १९—के नोटिस से भेजा कि उत्तरदाता प्रतिवादी बैनामा करने को तैयार है । रुपया देकर वादी उसकी रजिस्ट्री करा ले ।

५—उत्तरदाता प्रतिवादी ने तारीख २१ जून सन् १९— को वादी को दूसरा नोटिस दिया लेकिन वादी ने दोनों नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और अब तक चुप रहा और बैनामे के बाकी ८०) रुपया अदा करके रजिस्ट्री नहीं कराई और स्वयं मुआहिदे को तोड़ा ।

६—वादी के बैनामा न कराने से प्रतिवादी की बहुत बड़ी हानि यह हुई कि प्रतिवादी अपनी बाकी जमीन पर जो मकान बनाना चाहता था वह नहीं बना सका और जो मलबा इत्यादि उसने तामीर के लिये इकट्ठा किया था वह खराब और नष्ट हो गया ।

(३) वादपत्र पद २२ न० ७ का प्रतिवाद पत्र पिछले खरीदार की ओर से जब सूचना न होने की आपत्ति हो

श्यामलाल प्रतिवादी का प्रतिउत्तर निम्नलिखित है—

१—उत्तरदाता प्रतिवादी के वादी के नाम क्रय प्रतिज्ञा होना और विक्रय पत्र लिखा जाना स्वीकार नहीं हैं ।

२—उत्तरदाता प्रतिवादी के कोई सूचना वादी के बयान किये हुए मुआहिदों की विक्रयपत्र ता० ४ अगस्त सन् १९.....के अपने नाम लिखाते समय नहीं थी ।

३—उत्तरदाता प्रतिवादी खरीदार नेकनीयत वाद अदा करने बदल के वादी के बयान किये हुये मुआहिदे की बिना सूचना और खबर के है और उसके विरुद्ध वादी प्रतिज्ञा की पूर्ती कराने या दरखल पाने का अधिकारी नहीं है ।

४—उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम जो विक्रयपत्र लिखा गया है उसके रुपये का कोई भाग फर्जी नहीं है ।

५—उत्तरदाता प्रतिवादी ने केवल १०) एक कार्तकार से भगडेवाली जायदाद के बसूल किये हैं । वादी ने जो मुनाफे की संख्या नियत की है वह शलत है ।

२३—२६ रहन की नालिशें

२३—नीलाम

(१) साधारण प्रतिउत्तर

१—वह सब आपत्तियाँ जो साधारण प्रतिउत्तरों पद १३ (प्रतिज्ञा भंग करना), २१ (तरमीम और मन्सूखी) और २२ (प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ती) में दिये जा चुकी हैं जहाँ तक वह भगडे वाले व्यवहार से लागू होती हैं, नीलाम की नालिश में भी की जा सकती है ।

२—यदि नालिश ज़मानत के आधार पर हो तो वह सारी आपत्तियाँ जो साधारण प्रतिउत्तर पद १२ (ज़मानत) में लिखी जा चुकी हैं ।

३—यदि नालिश रसदी की दिनाय पर हो तो वह सब आपत्तियाँ जो साधारण प्रतिउत्तर पद १६ (रसदी) में दी हैं ।

४—यदि नालिश हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्यों के विरुद्ध हो तो यह कि जायदाद रहन की हुई मौरूखी अविभक्त कुल की जायदाद है और उसका रहन (या आइ) कुल के एक सदस्य की ओर से अनुचित है ।

या कि वह बिना ज़रूरत खानदानी हुई है या कि कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों की स्वीकृति बिना की गई है या किसी अन्य कारण से प्रचलित होने योग्य माननीय नहीं है ।

५—यदि नालिश उत्तराधिकारियों के विरोध में हो तो यह कि आइ की हुई जायदाद मृत पुरुष की छोड़ी हुई नहीं है या कि प्रतिवादी उसके उत्तराधिकारी नहीं है ।

६—यदि नालिश परिवर्तन ग्रहीता या उत्तराधिकारी की ओर से दायर हुई हो तो उनको नालिश का स्वत्व न होने या सार्टिफिकेट न लेने इत्यादि के सम्बन्ध में जो विरोध हों वह किये जावें ।

७—यदि रहननामे की तहरीर और तसदीक के सम्बन्ध में कोई आपत्तिसम्पत्ति परिवर्तन विधान, की धारा ५१ के अनुसार हों तो वह किये जावें ।

८—अदायगी की आपत्ति—नीचे लिखी रकमें अदा की गईं ।

(रकमों का विवरण तारीखवार दिया जावे)

९—वादी ने कुल ऋण या उसका कोई भाग तारीख.....को छोड़ दिया या मुआफ़ कर दिया ।

१०—वादी ने आड़ी जायदाद स्वयं खरीद ली और ऋण बेबाक़ हो गया ।

११—सूद की दर तावानी है या सूद का हिसाब गलत है ।

१२—मुआमला अनिति व्यवहार (Unconscionable bargain) है ।

१३—प्रतिवादी ने अपना हक़ आड़ी जायदाद में अ—ब के नाम हस्तान्तर (इन्तकाल) कर दिया ।

(२) वाद पत्र पद २३ न० २ का प्रति उत्तर जब रहन स्वीकार न हो और पश्चात दाय भागी होने की आपत्ति हो

प्रतिवादी का उत्तर इस प्रकार है—

१—धारा न० १ व २ स्वीकार नहीं हैं ।

२—धारा न० ३ से इन्कार नहीं है ।

३—धारा न० ४ में केसरीराम का देहान्त होना स्वीकार है परन्तु उसने कुछ सम्पत्ति नहीं छोड़ी । उत्तरदाता प्रतिवादी कुटुम्ब के पश्चात दायभागी की हैसियत से जायदाद के स्वामी हुये ।

४—धारा न० ५ से लेकर ७ तक सबसे और प्रत्येक से इन्कार है ।

विशेष बयान

५—दस्तावेज़ का जिसकी नालिश है बदल देकर लिखा जाना उत्तरदाता प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है ।

६—बलदेवसिंह, के तीन लड़के जलसिंह, मानसिंह और दूधराम थे और उनकी ४७ बीघा १७ बिस्वा पक्की भूमि हक़ीकत जमींदारी की थी जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मौसूवी चली आती थी ।

७—केसरीराम बलदेवसिंह का लड़का था । वह अविवाहित था और अपने भाई भतीजों के साथ हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य की हैसियत से रहता था और सब कारबार खेती और जमींदारी तीनों भाइयों और उनकी सन्तान की सम्मिलित थी ।

८—केसरीराम का कुटुम्ब के अविभक्त होने की दशा में देहान्त हुआ और कुटुम्ब के दूसरे सदस्य पश्चात दाय भागी की हैसियत से कुल कुटुम्ब की जायदाद के स्वामी हुये ।

९—केसरीराम को कोई आवश्यकता ऋण लेने की नहीं थी और न उसने कोई ऋण लिया ।

१०—हर दशा में मौरूसी जायदाद की आड केसरीराम की ओर से बिना कुटुम्ब के अन्य सदस्यों की सहमति के, उचित और प्रचलित होने योग्य नहीं है।

(३) वाद पत्र पद २३ न० १४ का प्रतिवाद-पत्र जब रसदी के रुपये की संख्या के सम्बन्ध में आपत्ति हो

१—वाद पत्र की धारा नम्बर १ से लेकर ८ तक स्वीकार हैं।

२—धारा न० ६ स्वीकार नहीं है। वादी ने जायदादों का मूल्य अनुचित स्थिर किया है और हिसाब रसदी का शलत बनाया है। सही हिसाब नीचे लिखा है।

(यहाँ पर हिसाब विवरण सहित क्रमानुसार लिखा जावे)।

३—धारा न० १० से बिलकुल इनकार है। प्रतिवादी ने जो रुपया सही हिसाब से उसके जुर्मे निकलता था वादी को देना चाहा और मुजलिग रु० का मनीआर्डर वादी के पास भेजा परन्तु वादी ने उसको वापिस कर दिया। अन्य बयान प्रतिवादी ने वह मतालबा वादी के दिये जाने के लिये अदालत में जमा कर दिया है।

४—वाद पत्र के अन्य बयान और उपशमन से जहाँ तक कि उनका सम्बन्ध प्रतिवादी से है, स्वीकार नहीं है।

२४—प्रतिषेध (बन्धक मोचन या बैबात) (Foreclosure)

* (१) साधारण प्रतिषेध

१—यह कि प्रतिवादी ने आड पत्र (रहननामा) नहीं लिखा।

२—यह कि रहननामा वादी के नाम हस्तान्तर (मुन्तकिला) नहीं हुआ (यदि कई इन्तकाल बयान किये जावें तो लिखना चाहिये कि किस इन्तकाल से इन्कार है)।

३—नालिश धारा.....परिशिष्ट १ अधि विधान सन् १६०८ ई० के अनु-सार दायर नहीं हो सकती।

४—निम्नलिखित रकमों अदा की गईं—

(तारीख लिखो).....१०००) रु०।

(तारीख लिखो).....५००) रु०।

५—वादी ने ता०.....महीना.....सन्.....को अधिकार प्राप्त किया और उस तारीख से किराया वसूल करता है।

⊗ यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ अपेनडिक्स (अ) पद ४ का नमूना न० ११ है।

६—वादी ने अधिकार ता०.....को छोड़ दिया ।

७—प्रतिवादी ने अपना सारा अधिकार (अ-ब) के नाम ता०.....म०...सन्.....की दस्तावेज़ के द्वारा हस्तान्तर मुन्तकिल) कर दिया ।

नोट—बैबात की नालिश में दूसरी आपत्तियाँ जो हो सकती हैं पद २३ (नालिश नीलाम) के साधारण प्रति उत्तर में और उन पदों में बिनका हवाला उसमें दिया हुआ है मिलेंगी ।

(२) वाद पत्र पद २४ न० ३ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों से

१—धारा न० १ स्वीकार है ।

२—धारा न० २ (व) स्वीकार नहीं है । प्रतिवादी ने मुबलिग.....रु० नीचे लिखे हिसाब के अनुसार अदा किये हैं । वह मुजरा नहीं किये गये । (अदायगी का विवरण तारीखवार दिया जावे ।) ।

३—रहननामा (आड़ पत्र) ता० १३ जून सन् १९—की बाबत केवल मुबलिग.....रु० वाजिब हैं ।

४—धारा न० ३ की उपधारा (द) में बैबात होने की शर्त स्वीकार नहीं है और धारा (ह) स्वीकार नहीं है ।

५—रहननामा ता० ११ सितम्बर सन् १९—के द्वारा मुर्तहिन को कोई अधिकार बैबात का नहीं दिया गया । उसकी बिना पर नालिश बैबात नहीं हो सकती ।

६—उक्त रहननामा के विषय में प्रतिवादी ने मुबलिग.....रुपये तारीख..... महीना.....सन्.....के और मुबलिग.....रुपये:तारीख...महीना.....सन्.....के श्रीमती नूरफातमा के अदा किये जिसकी रसीदें इस प्रतिवाद पत्र के साथ नत्थी की जाती हैं । वह वादी ने मुजरा नहीं दिया । हिसाब से केवल मुबलिग.....रुपये शेष हैं ।

७—धारा न० ४ में दिलदार बखश का देहान्त होना स्वीकार है परन्तु हिबा होना स्वीकार नहीं है और अकेले वादी को अधिकार नालिश दायर करने का नहीं है ।

८—उत्तराधिकार-प्रमाण-पत्र (सर्टीफिकेट) प्राप्त किये बिना नालिश किसी तरह क़ायम नहीं रह सकती ।

२५—रहन से मुक्त कराना

(इनफिकाक—Redemption)

(१) साधारण प्रतिवाद पत्र

१—वादी के वर्णन किये हुए रहन या किसी रहन के होने से प्रतिवादी को इनकार है ।

२—यह कि वादी की बयान की हुई रहन या कोई दूसरी रहन अब स्थित नहीं हैं ।

३—यह कि प्रतिवादी का सम्पत्ति पर अधिकार मालिकाना और मुग्वालिफाना १२ साल से ऊपर से है और वादी का रहन छुड़ाने का अधिकार यदि हो भी तो उसमें अबधि समाप्त हो गई है ।

४—वादी, रहन कर्ता या उसका प्रतिनिधि नहीं है और उसको रहन छुड़ाने का स्वत्व नहीं है ।

(यदि वादी किसी इन्तकाल पर भरोसा करता हो तो उसके विषय में जो कुछ एत-राज हों वह लिखा जावे) ।

५—प्रतिवादी ने हकराहिनी वनामे तारीख.....महीना.....सन्.....के द्वारा से (या अन्य रूप से) प्राप्त कर लिया है और वह अब सम्पत्ति का स्वामी है ।

६—यदि दावा अबधि के बाहर किसी देनदारी की स्वीकारी (Acknowledgement) या अदायगी के द्वारा अबधि बढ़ने की विनाय पर दायर किया हो तो कहा जा सकता है कि देनदारी को स्वीकारी या अदायगी नहीं हुई वह अबधि बढ़ाने के लिये पर्याप्त नहीं है । (वह कारण जिससे वह काफी नहीं लिखी जावे) ।

७—वह कार्य जिनकी वादी शिकायत करता है प्रतिवादी ने नहीं किये (जैसे रहन की जायदाद को हानि पहुँचाना, वृत्त काटना, मरम्मत न कराना इत्यादि) ।

८—प्रतिवादी ने जायदाद छुड़ाने के लिये हिसाब से... ..रुपये देने हैं ।

९—रहन छुड़ाने का दावा अन्तिम महीने जेठ पर या रहननामे (आड़ पत्र) में ठहरे हुये समय पर दायर नहीं हुआ ।

१०—प्रतिवादी को रहन छुड़ाने का नोटिस नहीं दिया गया या रहन का रुपया पेश (tender) नहीं किया गया (यदि ऐसी शर्त रहननामे में हो) ।

११—हिसाब लाभ या सूद या हर्जा या वासलात का गलत है और प्रतिवादी उसका देनदार नहीं है और उसकी सख्या गलत और अधिक है ।

(अन्य आपत्तियाँ अगले नमूने में दी गई हैं)

*** (२) रहन छुड़ाने के मुकदमे में प्रतिवत्तर पत्र**

१—वादी का रहन छुड़ाने का अधिकार आर्टिकल.....परिशिष्ट १ अवधि विधान सन् १९०८ के अनुसार जाता रहा ।

२—वादी ने अपना कुल अधिकार जायदाद में (अ—ब) के नाम मुन्तकिल कर दिया ।

३—प्रतिवादी ने दस्तावेज तारीख.....महीना.....सन्.....के द्वारा अपना कुल अधिकार रहन के रुपये और रहन की जायदाद का (अ—ब) के नाम मुन्तकिल कर दिया ।

४—प्रतिवादी रहन की जायदाद पर किसी समय क्राबिज न था और न उसका किराया उसने कमी वसूल किया । (यदि प्रतिवादी चद रोज के अधिकार का इक्करार करे तो उसको चाहिये कि अवधि लिखे और बाद के अधिकार से इनकार करे) ।

(३) वाद पत्र पद २५ न० ६ का प्रतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों में पूरे सिरनामे के साथ

अदालत सिविलजज बहादुर.....

अलीगढ़ न० मुकदमा.....सन् १९.....

गगा प्रसाद.....वादी

बनाम

ग गान्धर्वस वगैरह.....प्रतिवादी ।

गगात्रखस उचरदाता प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र ।

१—वाद पत्र की धारा न० १, २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा न० ४ में रहननामा मियादी ७ साल सन् १३४३ फसली तक होने और मुर्तहनों का अधिकार रहन की तारीख से जायदाद पर रखना और मालगुजारी की कमी बेशी राहनो के जुम्मे होना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है ।

३—धारा न० ५ सूद सादा होना स्वीकार नहीं है बाकी स्वीकार है ।

४—धारा न० ६ में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का वादी के हक में बैनामा ता० २१ अप्रैल १९३९ को करना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है ।

५—धारा न० ७ में मुर्तहनान का वक्त रहन से तहसील वसूल करना स्वीकार है शेष स्वीकार नहीं हैं ।

६—धारा न० ८, ९, १० व ११ स्वीकार नहीं हैं ।

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ अपेनडिक्स (अ) पद ४ का नमूना न० १२ है ।

७ - धारा न० १२ में वादी का ता० २५ मई सन् १९३९ को ५६७१) रु० दफा ८३ कानून इन्तिकाल जायदाद के अनुसार दाखिल करना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है ।

८ - धारा न० ९, १३, १४, १५, और दादरसी स्वीकार नहीं हैं ।

विशेष आपत्तियाँ—

६—उत्तरदाता प्रतिवादी का रुपया इस प्रकार निकलता है ।

(अ) बाबत असल व सूद रहननामा व कमी सूद व वेशी मालगुजारी व खर्च गाँव रहननामे की शर्तों के अनुसार जिसका हिसाब इसके साथ नत्थी है । } ११२४२।-५

(ब) बाबत असल व सूद रहननामा मशरू-तुलरहन । } २३४२।।।

(ज) बाबत लागत पक्का कुआँ । } ४७५)

(द) खर्च बटवारा व वेदखली । } ७५)

जोड़ १४०३५।।७५

इस रकम के अदा करने के बाद रहन छूट सकता है ।

१०—वादी का यह कथन कि प्रतिवादी ने आड़ पत्र (रहननामा) तारीख १९ अक्टूबर सन् १९—का कुल रुपया अदा नहीं किया गलत है । प्रतिवादी ने उक्त रहन का कुल रुपया अदा कर दिया है ।

११—वादी का यह बयान कि आमदनी जायदाद से रहन का कुल रुपया बेचाक हो चुका है सही नहीं है ।

१२—वादी का यह बयान कि उत्तरदाता प्रतिवादी ने आसामियों पर कोई लगान नहीं बढ़ाया और उससे अनुचित लाभ उठाया असत्य है, रहन वाली जायदाद की जमाबन्दी शरह बन्दोबस्त के हिसाब से अधिक है ।

१३—उत्तरदाता प्रतिवादी ने कोई पेड़ रहन की जायदाद से नहीं काटे, वादी का बयान इस विषय में झूठ है और वह पेड़ों के मूल्य के विषय में कोई रकम पाने का अधिकारी नहीं है ।

१४—उत्तरदाता प्रतिवादी ने केवल लगान वसूल किया, कोई रकम सिवाय की वसूल नहीं की । बयान वादी इसके विरुद्ध सही नहीं है ।

१५—वादी का यह बयान कि प्रतिवादी का अधिकार अनुचित है गलत है । वादी किसी पूर्व-लाभ के पाने का अधिकारी नहीं है और लाभ की संख्या वादी ने गलत और अधिक स्थित की है ।

१६—असल रकम जो प्रतिवादी की वादी के जिम्मे निकलती है वादी ने जेठ से पहिले अधिकार पूर्ण (जिसको अधिकार है) अदालत में दाखिल नहीं की । वादी का दावा वर्तमान परिस्थिति में चलने के अयोग्य है ।

२६—राहिन व मुर्तहिन

(१) नालिश पद २६ न० १ का प्रतिवादपत्र

बहुत से उज्रों से

- १—धारा न० १ व २ स्वीकार नहीं हैं ।
- २—धारा न० ३, ४, व ५ स्वीकार हैं ।
- ३—धारा न० ६ में वादी को दखल न मिलना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है ।
- ४—धारा न० ७ स्वीकार है ।
- ५—धारा न० ८, ९, व १० और दादरसी स्वीकार नहीं हैं, सब से और प्रत्येक से इनकार है ।

विशेष आपत्तियाँ ।

६—डिगरी न० २३ सन् १९—फर्जी और साज़िशि थी जो राधाकिशन मदनू ने अन्य पुरुषों का ऋण मारने के लिये अपने वहनोई मोहनराय के हक में एक वेवाक और अवधि प्राप्त दस्तावेज़ के आधार पर उत्तर दाता प्रतिवादी को बिना फरीक बनाये सादिर कर ली थी और उस डिगरी के इजरा में वादी के नाम जो राधाकिशन का दामाद है खरीद करा ली ।

७—डिगरी न० २३ सन् १९—और इजराय की कार्रवाई जो उसके आधार पर हुई और वादी की उसमें खरीदारी, सब प्रतिवादी के विरुद्ध में वेअसर और वेकार हैं । वादी उस खरीदारी के जरिये से नालिश करने का अधिकारी नहीं है और न उसका हक प्रतिवादी के हक से बढ़ कर है ।

८—प्रतिवादी किसी मतालवे का देनदार वादी को रहननामे ११ मई सन् १९२९ या डिगरी नम्बरी २३ सन् १९३९ की बाबत जो उस रहननामे के आधार पर सादिर हुई है, नहीं है ।

९—वादी जब रहननामा ता० ११ मई सन् १९—की विनाय पर प्रतिवादी के मुक़ाबले में डिगरी प्राप्त न करे कोई दादरसी नहीं पा सकता । नालिश वर्तमान परिस्थिति में चलने के लायक नहीं है ।

(२) नालिश पद २६ न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब

आपत्ति रहन के फर्जी होने की हो

१—प्रतिवादी के ऊपर बहुत सा ऋण कई आदमियों का चाहिये था और वह लोग मकान को कुक और नीलाम कराना चाहते थे ।

२—वादी, प्रतिवादी का साला है। प्रतिवादी ने अपना मकान अपने से बचाने के लिये उसका फर्जी रहननामा वादी के नाम लिख दिया था। कोई प्रत्युपकार उसका प्रतिवादी ने वादी से नहीं लिया।

३—वाद को प्रतिवादी ने महाजनों से फैसला करके उनके श्रृणु बेशक कर दिये और रहननामा (आड़पत्र) वेकार रहा और कार्यान्वित नहीं हुआ।

४—वादी देखल या किसी लाम (मुनाफा) पाने का अधिकारी नहीं है।

२७—भार की पूर्ति (निफाज़वार)

(१) साधारण जवाब दावा

नोट—(वह सब विरोध जो पद २३ के साधारण जवाबदावे में दिये जा चुके हैं आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसी नालिशों में भी किये जा सकते हैं)।

(१) नालिश पद २७ न० २ का प्रतिवाद-पत्र

खरीदार से परिवर्तन-ग्रहीता की ओर से

१—वाद-पत्र की धारा न० १ से लेकर ६ तक कुल और प्रत्येक उत्तरदाता प्रतिवादी को स्वीकार नहीं हैं।

२—धारा नम्बर ७ स्वीकार है।

३—धारा नम्बर ८ से लेकर ११ तक कुल और प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं।

विशेष आपत्तियाँ

४—उत्तरदाता प्रतिवादी को यह स्वीकार नहीं है कि पूरनमल और पीतम्बर का कोई श्रृणु था और वह उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम लिखते समय ब्राह्मी था।

५—पूरनमल व पीतम्बर की नालिश में उत्तरदाता प्रतिवादी कोई फरीक नहीं था, डिग्री जिसको वादी प्रगट करता है वह उत्तरदाता प्रतिवादी के विरुद्ध प्रभाव हीन है।

६—यदि वादी के बयान के अनुसार प्रतिवादी प्रथम पत्र (खरीदार जायदाद) ने कोई प्रतिज्ञा भङ्ग की तो उसके आधार पर वादी को कोई अधिकार नालिश करने का उत्तरदाता प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं हो सकता।

७—१४ दिसम्बर/सन् १९—ई० के विक्रय पत्र को और ११ दिसम्बर सन् १९—की डिग्री को जिनके आधार पर वादी का दावा है, १२ साल से अधिक हो गये और दावा श्रवधि के अन्दर नहीं है।

८—जायदाद परिशिष्ट (अ) डिग्री ११ दिसम्बर सन् १९—ई० में आइ. नहीं थी जो उत्तरदाता प्रतिवादी के यहाँ रहन दखली है उसके मुकाबले में भार की पूर्ती का दावा अनुचित है ।

९—वादी जीवाराम का उत्तराधिकारी नहीं है प्रमाणपत्र (सार्टिफिकेट) : उत्तराधिकारत्व प्राप्त किये बिना वह दावा नहीं कर सकता ।

२८—ट्रस्ट (अमानत)

(१) नालिश पद २८ न० २ का प्रतिवाद्-१त्र, एक दावेदार की ओर से दूसरे दावेदार से विरुद्ध

प्रथम प्रतिवादी का बयान इस प्रकार है—

१—उत्तर दाता प्रतिवादी मृतक रामदास का कुटुम्बी भतीजा नीचे लिखी वंशावली के अनुसार है और धर्मशास्त्र के अनुसार उसका उत्तराधिकारी है ।

मोहनलाल



शिवकुमार (प्रथम प्रतिवादी)

२—द्वितीय प्रतिवादी नामालूम किसका लड़का है जो अकाल के दिनों में मृतक रामदास ने पालने के लिये रख लिया था, वह उक्त रामदास का गोद लिया हुआ लड़का नहीं है ।

३—उक्त रामदास ने द्वितीय प्रतिवादी को कभी गोद नहीं लिया और न कोई गोद लेने की रसम की और न गोद लिये हुए लड़के की तरह उसको रक्खा वह बिरादरी में रामदास का गोद लिया हुआ लड़का नहीं माना जाता ।

४—द्वितीय प्रतिवादी की जाति न मालूम होने के कारण वह विधानानुसार गोद नहीं लिया जा सकता था और यदि उसकी गोद होती भै तो वह अनुचित थी और वह उत्तराधिकारी रामदास मृतक का नहीं हो सकता ।

* (२) जवाब दावा मुकदमा पबन्ग ११-१त्र जो वसीयत के आधार पर माऊ पाने वाले की ओर से दायर हुई हो

१—(अ—ब) की वसीयत में उसकी जायदाद पर ऋण था और वह देवालिया होने की

* यह नमूना ज्ञान्ता दीवानी के अपेन्डिक्स अ का नमूना नम्बर १४ है ।

दशा में मरा। मरते समय उसकी कुछ अचल सम्पत्ति थी जिसको प्रतिवादी ने वेचा और उसकी विक्री से.....रु० प्राप्त हुए। उसके पास कुछ चलसम्पत्ति भी थी जिसको प्रतिवादी ने वेचा और जिसकी विक्री से.....रु० प्राप्त हुये।

२—प्रतिवादी ने वह रुपये और मुद्रालिग.....रु० जो प्रतिवादी को अचल सम्पत्ति के किराये से प्राप्त हुए, वह वसीयत करने वाले की मृत्यु के खर्च और वसीयतनामे के खर्च में लगाये और उसके कुछ ऋण अदा किये।

३—प्रतिवादी ने ग्रामदानी और खर्च का हिसाब बना कर एक नकल उसकी वादी के पास तारीख.....महीना.....सन्.....को भेज दी और वादी को रसीदों से हिसाब की सच्चाई जाँचने का अवसर दिया परन्तु उसने प्रतिवादी की इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया।

४—प्रतिवादी निवेदन करता है कि वादी को इस मुकदमे का खर्चा अदा करना चाहिये।

* (३) वसीयतनामे के प्रोवेट में जवाब दावा

१—यह कि मृतक का उक्त वसीयत नामा और उसका परिशिष्ट कानून एक्ट विरासत हिन्द (३६ सन् १६२५) (या एक्ट विसीयत हिन्दू सन् १८७०) के अनुसार उचित रीति से नहीं लिखा गया।

२—जिस समय कि वसीयत नामा और उसका परिशिष्ट लिखे जाना प्रकट किये जाते हैं उस समय मृतक का मस्तिष्क, स्मरण-शक्ति और समझ ठीक नहीं थे।

३—वसीयतनामा और परिशिष्ट वादी ने (और दूसरे आदमियों ने जिनके नाम इस समय प्रतिवादी को मालूम नहीं हैं) मिल कर अनुचित दबाव से लिखवाये।

४—उक्त वसीयतनामा और परिशिष्ट वादी ने धोखे से लिखवाया और वह धोका जहाँ तक कि प्रतिवादी को अब तक मालूम हुआ है यह था (धोखे का वर्णन)।

५—मृतक उक्त वसीयतनामा और उसकी परिशिष्ट लिखते समय उनके मज़मून को (या उक्त वसीयतनामे से वितरण की हुई जायदाद सम्बन्धी धाराओं को, जैसी परिस्थित हो नहीं जानता था और न उसको स्वीकार करता था।

६—मृतक ने अपनी सच्ची अन्तिम वसीयत पहिली जनवरी सन् १६—को की और उसके द्वारा अकेले प्रतिवादी को उसका कार्यकर्ता नियत किया।

* यह नमूना जान्ता दीवानी के परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स अ मद् ४ का नमूना नम्बर १५ है।

प्रतिवादी प्रार्थी है :—

(अ) यह कि अदालत वादी के प्रकट किये हुए उक्त वसीयतनामे और परिशिष्ट के विरुद्ध निर्णय करे ।

(ब) यह कि अदालत मृतक के वसीयतनामे तारीख १ जनवरी सन् १९—का प्रोवेट विधानानुसार दिये जाने की डिग्री सादिर करे ।

(४) नालिश पद २८ न० ११ का बयान तहरीरी
जब कि उचित पबन्ध की आपत्ति हो

१—विवाद-पत्र की धारा नम्बर-१, २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा न० ४ से इनकार है जो खर्च दरगाह के सदा से होते चले आये हैं वही खर्च प्रतिवादी प्रथा के अनुसार करता है, कोई कमी उनमें नहीं की गई । वादी का यह बयान कि वकफ (धार्मिक दान) की सम्पत्ति की आय प्रतिवादी के निजी खर्च में आती है बिल्कुल भ्रूँठ है ।

३—धारा न० ५ से इनकार है, वकफ की सम्पत्ति की आय लगभग ३०००) रु० हुई है और उतना ही व्यय हुआ ।

४—धारा न० ६ से पूर्णतया इनकार है प्रतिवादी का सदा यह बर्ताव रहा है कि वकफ की सम्पत्ति की आमदनी वकफ के कामों में व्यय होती है ।

५—वादपत्र की धा० न० ७ स्वीकार नहीं है वादी दरगाह के मुजाविर नहीं है वल्कि साधारण फकीर है जो अकसर दरगाह के समीप में रह कर भीख माँगते हैं और खैरात (दान) पर गुज़र करते हैं उनका कोई सम्बन्ध दरगाह से नहीं है और न उसकी बाबत उनको नालिश करने का अधिकार है ।

६—वादी और उनके साथ दूसरे फकीरों का एक गिरोह (दल) बन गया है यह लोग दरगाह की ज़ियारत करने वालों को बहुत तंग करते हैं प्रतिवादी ने कुछ दिनों से दरगाह का इन्तज़ाम करने में इन लोगों के साथ कड़ा बर्ताव किया है और यह नालिश उन्होंने दुश्मनी से दायर की है ।

(५) नालिश पद २८ न० १५ का प्रतिवाद-पत्र जब
कि प्रतिवादी भगड़े वाले मन्दिर को अपनी
निजी सम्पत्ति बयान करता हो

१—भगड़े वाला मन्दिर उत्तरदाता प्रतिवादी के बाप दादों का है और उसके पूर्वजों का बनवाया हुआ है ।

२—उक्त मन्दिर प्रतिवादी और उसके पूर्वजों के मालकाना अधिकार में ५० वर्ष के ऊपर से चला आता है । उसके एक भाग में मूर्ति श्रीविहारी जी महाराज की है जिसकी पूजा सेवा प्रतिवादी और उसके पूर्वज करते रहे हैं और उसके चढ़ावे से अपना निर्वाह करते हैं और दूसरा भाग उनके रहने और मवेशी इत्यादि के कार्य में आता रहा है ।

३—वादी का वह बयान कि उक्त मन्दिर उसके दादा ने बनवाया और वह उनकी पारिवारिक (कौटुम्बिक) पूजा का स्थान है और वह उसके प्रबन्धक हैं और प्रतिवादी और उसके पिता को उन्होंने पुजारी नियत किया, असत्य है ।

४—वादी या उसके पुरखों का भगड़े वाली सम्पत्ति पर १२ साल के अन्दर अधिकार नहीं रहा प्रतिवादी और उसके पूर्वज उस पर ५० साल के ऊपर से मालिकाना और मुखालिफाना अधिकृत चले आते हैं, वादों के दावे में तमादी लगचुकी है ।

५—वादी को न्यायालय से किसी सहायता पाने का अधिकार नहीं है ।

२६—संयुक्त संपत्ति (जायदाद मुश्तर्का)

(१) साधारण जवाब दावा

१—जायदाद अविभक्त (संयुक्त या मुश्तर्का) नहीं है ।

२—वादी का जायदाद में कोई भाग नहीं है ।

३—वादी के भाग की संख्या कम है ।

४—सम्पत्ति पहिले से बटी हुई है और हिस्सेदार अपने २ हिस्सों पर पृथक पृथक अधिकृत हैं और अब जायदाद का कोई हिस्सा सामे में नहीं है (या सिर्फ सहन या अन्य कोई भाग सामे का है और बटवारे के योग्य है) ।

५—वादी १२ वर्ष से अधिक से काबिज़ नहीं है और प्रतिवादी उसके हिस्से पर उसके अधिकार से इनकार करता हुआ मालकाना और मुखालिफाना काबिज़ है वादी के दावे में तमादी है (पद १४४ परिशिष्ट १ अवधि विधान सन् १९०८) ।

६—वादी किसी विशेष भाग पर अधिकार नहीं रखता था और वह अविभक्त (मुश्तर्का) दखल का अधिकारी नहीं है ।

७—भगड़े वाली जायदाद बटवारा होने योग्य नहीं है (बहुत न्यून क्षेत्र होने या बहुत से हिस्सेदार होने इत्यादि के कारण से, जो कुछ हो लिखा जावे) ।

८—भगड़े वाली जायदाद, प्रतिवादी के अविभक्त कुल का निवासग्रह है और

धारा ४ एक्ट ४, सन् १८६३ ई० (विभाजन विधान) के अनुसार प्रतिवादी वादी के हिस्से को उचित मूल्य पर खरीदने का अधिकार रखता है।

६—प्रतिवादी ने कोई अनुचित उपयोग साभे की जायदाद का नहीं किया, या कि प्रतिवादी के किसी काम से वादी का कोई हर्जा नहीं हुआ या, कि यह काम वादी और दूसरे हिस्सेदारों की सम्मति से किया गया।

१०—प्रतिवादी ने वह काम जिसकी शिकायत की जाती है मैनेजर, प्रबन्धक या नम्बरदार की हैसियत से नेकनीयती से कुल हिस्सेदारों की ओर से उनके लाभ के लिये किया है और उससे कुल हिस्सेदारों का लाभ है।

(यहाँ पर वह घटनाएँ विवरण सहित लिखी जानी चाहिये जिनसे प्रतिवादी की हैसियत और अधिकार और हिस्सेदारों का लाभ प्रकट होता हो, ।

(२) पद २९ न० १ का प्रतिवाद-पत्र जब कि उज्र बटे हुये होने का है।

१—विवाद-पत्र की धारा १ में हवेली का मुस्तर्का होना स्वीकार नहीं है बाकी स्वीकार है।

२—धारा २ व ३ का सम्बन्ध प्रतिवादी से नहीं है।

३—धारा ४ से ६ तक स्वीकार नहीं हैं।

विशेष बयानात

४—भगड़े वाली हवेली भूपालदास और नौवतराय और उनके उत्तराधिकारियों के बीच ५० साल से बटी हुई चली आती है। पच्छिम का हिस्सा भूपालदास और उनकी सन्तान का है जो उत्तरदाता प्रतिवादी हैं और पूरब का हिस्सा नौवतराय और उनकी सन्तान का है।

५—इस तरह पर दोनों हिस्सों के स्वामी अपने २ हिस्सों पर काबिज चले आते हैं और अपने हिस्सों को बनाते और उनकी मरम्मत कराते रहे हैं। एक को दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं रहा।

६—दस वर्ष के लगभग हुये कि उत्तरदाता प्रतिवादी ने अपने हिस्से मकबूजा पर बालाखाना तामीर किया और उस पर टीन का सायबान डाला और उसमें लगभग ५०००) - ६० खर्च किये।

७—वादी का बयान कुल हवेली के अविभक्त होने के सम्बन्ध में सही नहीं है केवल सहन और दुबारी शामिल हैं और दूसरी मजिल का एक ज़ीना मुस्तर्का (अविभक्त) है उनके बाँटने में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। वादी ने उनके बाँटने के लिये प्रतिवादी से कभी नहीं कहा।

(३) नाक़िश पद २९ नम्बर ७ का प्रतिवाद-पत्र

जब कि नेकनीयती की आपत्ति हो

१ धारा न० १ जात न होने के कारण स्वीकार नहीं है ।

२—धारा न० २, ३ स्वीकार हैं ।

३—धारा न० ४, ५ व ७ कुच और प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं और दादरसी से इनकार है ।

विशेष प्रयानात

४—भगड़े वाली जमीन, ऊसर और गाँव से बहुत दूर थी और उसकी भराई का कोई साधन नहीं था उसमें कास्त (कृषि) नहीं होती थी और न उससे किसी तरह की कोई आय थी ।

५—प्रतिवादी ने नेकनीयती से उक्त ज़मीन को मुबलिगा.....र० लगान पर २० साल की अवधि के लिये नम्बरदार से इस भरोसे पर लिया कि प्रतिवादी ऊसर जमीन को तोड़ कर जोतने लायक करेगा और कच्चे कुएँ बनाना कर उसकी आवपाशी करेगा और खाद बगैरह डाल कर कुछ दिनों बाद उससे लाभ प्राप्त करेगा ।

६—प्रतिवादी का कोई रिश्ता प्रतिवादी नम्बर २ (नम्बरदार) से नहीं है । नम्बरदार ने भगड़े वाला पट्टा प्रतिवादी को नेकनीयती से सब हिस्सेदारों के लाभ के लिये उचित लगान पर दिया उसको ऐसा पट्टा देने का अधिकार था और वह वादी पर हिस्सेदार की हैसियत से काबिल पावन्दी है । -

७—प्रतिवादी ने बहुत सी लागत लगा कर जमीन को तोड़ कर जोतने लायक किया है और उसमें दो कच्चे कुएँ बनाये हैं और बहुत लागत का खाद डाला है । वादी ने यह दावा अनुचित लाभ उठाने के लिये दायर किया है ।

८—वादी २ साल तक जायदाद का लाभ भगड़े वाली जमीन का लगान शामिल करके वसूल करता और पट्टे को स्वीकार करता रहा है । अब वह दावा करने का अधिकारी नहीं है ।

३०—हिन्दू अविभक्त कुल (खानदान मुश्तर्का)

(१) पद ३० न० २ का अभियोग उत्तर जब कि
अविभक्त कुल होने से इनकार हो

१—धारा १ स्वीकार है ।

२—धारा २ में द्वारकादास व भिखारीदास का अविभक्त कुल का सदस्य होना स्वीकार नहीं है और न किसी लेन देन का सामे में होना स्वीकार है । किराने की दूकान कसामल द्वारकादास के नाम से होना स्वीकार है । वास्तविक हाल विशेष बयान में लिखा है ।

३—धारा ३ में सम्पत्ति नम्बर १ व बालाखान नम्बर २ का पैतृक होना स्वीकार है ।

४—धारा ४ में सम्पत्ति न० ३ का पैतृक होना स्वीकार है । बाकी स्वीकार नहीं है ।

५—धारा ५ में द्वारकादास और कसामल का देहान्त होना स्वीकार है । शेष बातें सत्य नहीं है ।

६—धारा ६ में सम्पत्ति न० ४ का विक्रय करना और दो मंजिल दूकानों का रहन कराना स्वीकार है, परन्तु यह स्वीकार नहीं है कि अविभक्त सम्पत्ति की श्राय से नीलाम खरीदा गया या दूकानों रहन कराई गईं और यह भी स्वीकार नहीं है कि फरीकैन उस पर अविभक्त रूप से काबिज हैं ।

७—अभियोग-पत्र की शेष सब धाराओं से कुल और प्रत्येक से इनकार है ।

विशेष बयान ।

८—दोनों पक्ष अविभक्त हिन्दूकुल के सदस्य नहीं हैं । लगभग ३० वर्ष हुए द्वारकादास व भिखारीदास के परिवार का बटवारा होकर केवल किराने की दूकान सामे में रही ।

९—पैतृक सम्पत्ति में से मकान न० ३ प्रतिवादियों के अधिकार में है और बालाखाना न० २ वादियों के अधिकार में है और वह बटे हुये हैं ।

१०—केवल दूकान किराना नम्बरी १ सम्मिलित और अविभक्त है परन्तु उसमें से बहुत सा माल व असन्नाज व बहीखाते, दस्तावेज, जेवर इत्यादि जो विशेष कर प्रतिवादियों का था वादियों ने उनकी अननुपस्थित में पृथक कर लिये हैं ।

११—दूकान न० ४ और रहन की हुई दो मंजिल दूकानों से वादियों का कोई सम्बन्ध नहीं है । वह प्रतिवादियों की सम्पत्ति हैं और उनके बटवारा कराने का वादियों का कोई अधिकार नहीं है ।

१२—गिरवी रखे आभूषण, उनाई और डिग्रियों के बटवारा कराने का वादियों को कोई अधिकार नहीं है। उनमें से कोई वस्तु सामे की नहीं है।

१३—सामे की कोई रोकड़ प्रतिवादियों के अधिकार में नहीं है।

१४ बटवारे की सम्पत्ति का विवरण वादियों ने असत्य और उसका मूल्य मनमाना नियत किया है।

१५—नालिश का वाद कारण जो वादियों ने स्थिर किया है गलत है।

१६—किराने की दूकान और बालाखाने के अतिरिक्त वादियों का अधिकार किसी अन्य सम्पत्ति पर नहीं है और अन्य सम्पत्ति पर कब्जा अविभक्त होने का बयान असत्य है।

१७ - प्रतिवादियों को किराने की दूकान बटवारे में कोई आपत्ति नहीं है और न कभी थी।

१८ - प्रतिवादी निवेदन करते हैं कि किराने की दूकान का बटवारा दोनों पक्षों में करा दिया जावे और प्रतिवादियों का खर्चा वादियों से दिलाया जावे।

(२) पद ३० न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब गोद न लिये जाने और वादी के उत्पन्न न होने की आपत्ति हो

प्रथम प्रतिवादी (डिग्रीदार) का प्रतिवाद पर निम्नलिखित है—

१—वादी, द्वितीय प्रतिवादी का गोद लिया हुआ पुत्र नहीं है और न वह दोनों एक अविभक्त कुल के सदस्य हैं।

२—घ रा २ में लिखी हुई सम्पत्ति द्वितीय प्रतिवादी की पैतृक है परन्तु उस पर वादी का कोई कब्जा किसी हेसियत से नहीं है और न वादी का उसमें अधिकार है। द्वितीय प्रतिवादी के जुमे ऋण उसके पिता के समय से चला आता था। उस ऋण के अदा करने और लड़की की शादी के खर्च की आवश्यकता से उसने आड़ी दस्तावेज तारीख २२ अगस्त सन् १९२८ को, उचित रीति से प्रतिवादी के नाम लिखा।

३—प्रतिवादी ने उसी दस्तावेज के आधार पर नीलाम की डिग्री प्राप्त की है और उसकी इजराय में भंगड़े वाली सम्पत्ति नीलाम के योग्य है।

४—उक्त दस्तावेज लिखने के समय तक वादी उत्पन्न नहीं हुआ था और न उसकी गोद हुई थी। यदि वादी का गोद लिया जाना मान भी लिया जावे तो भी उसको कोई अधिकार आपत्ति करने का दस्तावेज २२ अगस्त सन् १९२८ और डिग्री नम्बरी ३४६ सन् १९.....पर, जो उसके आधार पर निर्माण हुई, नहीं है।

५ वादपत्र में जो बयान द्वितीय प्रतिवादी के विषय में अष्ट और अव्ययी होने और प्रतिवादी के नाम वेजूरत और बिना कुल मुआवजा लिये प्रमाण पत्र लिखने, के किये गये हैं, वह सही नहीं हैं।

६—प्रतिवादी विश्वास करता है कि यह नालिश इस अभिप्राय से दायर की गई है कि प्रतिवादी की डिग्री की इजराय इस भूगड़े में रुकी रहे और द्वितीय प्रतिवादी ने यह नालिश कराई है।

(३) नाक़िश पद ३० न० ८ का उत्तर जब

कि अविभक्त कुल होने से इनकार हो

१—वाद-पत्र की धारा १ इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि वादी और रामसहाय हिन्दू अविभक्त-कुल के सदस्य नहीं थे।

२—धारा २ में रामसहाय का जून सन् १६३६ में देहान्त होना स्वीकार है। बाकी स्वीकार नहीं है।

३—धारा ३ में प्रतिवादिनी का नाम रामसहाय वाली आधी सम्पत्ति पर माल के कागज़ों में दर्ज होना स्वीकार है। बाकी स्वीकार नहीं है।

४—धारा ४ से इनकार है।

५—धारा ५, ६, व ७ स्वीकार हैं।

६—धारा ८, ९, व १० और वादी की प्रेरणा स्वीकार नहीं हैं।

विशेष प्रत्युत्तर

७ रामसहाय और वादी अविभक्त-कुल के सदस्य नहीं थे। उनकी कुल सम्पत्ति बटी हुई थी और सारा कारोबार, खेती इत्यादि का, पृथक पृथक था। केवल ज़मींदारी सामे में थी।

८—रामसहाय ने मुनाफे की कई नालिशें वादी के ऊपर उन ग्रामों के विषय में दायर की जिनमें वादी नम्बरदार था और वह वादी के मुकाबले में डिगरी हुई और वादी ने अपनी सम्पत्ति का एक अंश रामसहाय के हाथ बेचा।

९—रामसहाय का बटे हुये सदस्य की दशा में देहान्त हुआ और प्रतिवादिनी उसकी छोड़ी हुई कुल सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी व काबिज हुई और है। उसका नाम जायदाद ज़मींदारी पर माल के कागज़ात में दर्ज है।

१०—वादी का रामसहाय की छोड़ी हुई सम्पत्ति में कोई स्वत्व नहीं है और न उसका सम्पत्ति के किसी भाग पर अधिकार है।

११—वादी का व्यवहार प्रतिवादिनी के साथ अच्छा नहीं है। वह अपने भाग को अलग कराना चाहती है और इसीलिये उसने बटवारे के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है।

१२—वादी, अपने आपका कुल सम्पत्ति का स्वामी घोषित नहीं करा सकता।

(४) वाद-पत्र न० ११ पद ३० का उत्तर
अनेक आपत्तियों से

प्रतिवादी न० १ का प्रतिउत्तर निम्नलिखित है ।

१—धारा १ व २ स्वीकार है ।

२—धारा ३ में जुगल किशोर का देहान्त होना स्वीकार है परन्तु जुगल किशोर का मरे हुए बीस वर्ष से अधिक हुये । श्रीमती यमुना का जीवन-पर्यन्त दायभागी और मकान पर अधिकृत (काबिज) होना स्वीकार है, परन्तु श्रीमती पार्वती का मकान में अन्य कोई स्वत्व होने से इनकार है । उसका मकान में रहना स्वीकार है ।

३—धारा ४ असत्य है । श्रीमती यमुना स० १६२६ में टापरस में मरी ।

४—धारा ५ में वशावली अधूरी है । जुगलकिशोर का एक दूसरा सगा भाई नन्मूल और था । नन्मूल का लड़का बलदेवदास है जो अब भी जीवित है ।

५—धारा ६ में वादी के, जुगलकिशोर का पश्चात् दायभागी (Reversioner) होने से इनकार है । बलदेवदास के जीवित होते हुए वादी पश्चात् दायभागी नहीं हो सकता और न उसके नालिश करने का अधिकार है ।

६—धारा ७ में ता० २२ अगस्त सन् १६३८ व ता० १० दिसम्बर सन् १६३८ के विक्रय पत्रों का लिखा जाना स्वीकार है परन्तु वह उचित रूप से लिखे गये । श्रीमती यमुना की मृत्यु के पश्चात् श्रीमती पार्वती १२ साल से अधिक अवधि तक मालिकान और मुखालफाना मकान पर काबिज रही और मकान की पूरी मालिक हो गई और उसने उचित रूप से मकान को विक्रय किया ।

७—धारा ८ इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि उत्तरदाता प्रतिवादी का अधिकार १० दिसम्बर सन् १६३८ के विक्रयपत्र की तारीख से है । उससे पहिले प्रतिवादी न० २ का ता० २२ अगस्त सन् १६३८ के विक्रयपत्र द्वारा अधिकार था ।

८—धारा ९ से पूर्णतया इनकार है । प्रतिवादी का कृञ्जा स्वामी के रूप से उक्त मकान पर है ।

९—धारा १० स्वीकार नहीं है । वादी को कोई प्रतिकार अदालत से नहीं मिल सकता ।

१०—श्रीमती यमुना की मृत्यु के १२ साल से अधिक दिनों के बाद दावा दायर हुआ है और पद १२५ परिशिष्ट १ अवधि विधान के अनुसार उसमें अवधि समाप्त हो जाने के कारण अधिकार नष्ट हो गया है ।

११—वादी ने श्रीमती पार्वती के १२ साल से अधिक तक भगड़े वाले मकान पर काबिज रहने दिया और वह उस पर मालिकाना कार्य करती रही । वादी ने नेकनीयत से पर्याप्त जाँच के बाद बदल देकर उसको खरीद किया ।

३१--हिन्दू विधवा और पश्चात्तदायभागी या अन्य जीवन दायभागी

(१) वाद-पत्र पद ३१ न० २ का प्रतिउत्तर
जब उत्तरजीवित्व का विरोध हो

प्रतिवादी न० १ व २ का उत्तर इस प्रकार है—

१—धारा १ व २ स्वीकार हैं ।

२—धारा ३ इस अन्तर से स्वीकार है कि ठाकुरदास अपने लड़कों के साथ हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्यों की हैसियत से सम्पत्ति के मालिक थे ।

३—धारा ४ व ५ स्वीकार हैं ।

४—धारा ६ व ७ स्वीकार नहीं है ।

विशेष कथन

५—कुल जायदाद ठाकुरदास के पिता राजकरन के समय की थी जिसमें ठाकुरदास के लड़के हीरालाल व मूल चन्द को जन्म लेने के समय से ही स्वत्व प्राप्त था ।

६—ठाकुरदास को कोई अधिकार पैतृक सम्पत्ति को दान (हिवा) करने का नहीं था और न वास्तव में कोई दान हुआ ।

७—ता० १२ मार्च सन् १९—का दान-पत्र कभी कार्यरूप में परिणत नहीं हुआ और न श्रीमती विलासी को उसके द्वारा कोई सम्पत्ति मिली । दान-पत्र नाजायब था और १२ साल से अधिक अवधि तक बिना कार्य रूप में परिणत हुये पड़े रहने से बेकार हो गया ।

८—ठाकुरदास सन् १९२७ में मरे और हीरालाल और मूलचन्द हिन्दू अविभक्त कुल के बच्चे हुये सदस्यों की हैसियत से कुल जायदाद खानदानो के मालिक व काबिज हुये ।

९—मूलचन्द की मृत्यु पर जो मई सन् १९३३ में हुई, हीरालाल उत्तर जीवी होने के कारण उसका मालिक हुआ और काबिज रहा ।

१०—परिवार की स्त्रियों का नाम परिवार के सदस्यों के साथ केवल उनके विरवाह और संतोष के लिये माल के कागजों में दर्ज होता रहा, उनका कभी सम्पत्ति पर अधिकार नहीं हुआ और न उनका उसमें कोई स्वत्व था ।

११—हीरालाल ने उचित रूप से भगड़े वाली जायदाद का दानपत्र उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम किया और उसको दानपत्र लिखने का पूर्ण अधिकार था । श्रीमती विलासी का नाम दानपत्र में इसलिये सम्मिलित करा लिया गया कि उसका नाम माल के कागजों में लिखा हुआ था ।

१२—प्रायः २० वर्ष से हीरालाल हकीमत का नम्बरदार था । और उसका भाई मूलचन्द प्रतिवादी और उसका पिता मोहनलाल उसके हकीमत का मालिक स्वीकार करते और उससे मुनाफा वसूल इसी हैसियत से करते रहे और उसके विरुद्ध उन्होंने चल व अचल सम्पत्ति का बटवारा कराया । अब वादी को इसके विपरीत कहने का अधिकार नहीं है ।

१३—वादी हीरालाल का उत्तराधिकारी नहीं है और उसके दानपत्र ता० १४ जनवरी सन् १९३५ को खंडित करने का अधिकार नहीं है ।

(२) वादपत्र पद ३१ न० ७ का प्रतिवाद-पत्र जब नियमानुसार गोद होने से इनकार हो

१—धारा १ स्वीकार है ।

२—धारा २ में वंशावली स्वीकार नहीं है और वादी के पश्चात् दायभागी होने से इनकार है ।

३ धारा ३ स्वीकार नहीं है । मृत रामलाल ने प्रतिवादी न० १ को मौखिक अनुमति गोद लेने की दी और मरने से एक सप्ताह पहिले एक वसीयतनामा भी लिखा और उसमें प्रतिवादी न० १ को पुत्र गोद रखने की आज्ञा दी । प्रतिवादी न० १ ने अपने पति की आज्ञानुसार प्रतिवादी न० २ को गोद लिया है और गोद लेने का संस्कार किया । गोद लेने की तारीख से वह प्रतिवादी के पास रहता है और वह रामलाल का दत्तक (गोद लिया हुआ) पुत्र है ।

४—धारा ४ स्वीकार है ।

५—धारा ५ में कुछ घटनाये असत्य रूप से वर्णित की गई हैं । रामलाल रेल लड़ जाने से घायल होकर दो महीने के लगभग बीमार रहे और इलाज कराते रहे । उन्होंने मृत्यु-लेख (वसीयत नामा) लिखा और गोद लेने की आज्ञा प्रतिवादिनी न० १ को दी । दूसरी घटनाये जो इस धारा में लिखी हैं उनसे इनकार है ।

६—धारा ६ स्वीकार नहीं है, वादी को दावे का अधिकार नहीं है और न वह कोई प्रतिकार पा सकता है ।

(३) वादपत्र पद ३१ न० ९ का अनेक विरोध पर निर्भर प्रतिवाद-पत्र सम्पत्ति विक्रेता प्रतिवादी का प्रतिउत्तर निम्नलिखित है—

१—धारा १ वादपत्र में दी हुई वंशावली स्वीकार नहीं है । विशेष करके इस बात से इनकार है कि वादी नम्बर १ रामचन्द्र का लड़का है ।

२—वादपत्र की धारा २ के सम्बन्ध में सूची (अ) में जो सम्पत्ति का विवरण दिया है वह शलत है । ठीक विवरण विशेष बयान में दिया हुआ है ।

३—धारा ३ स्वीकार है ।

४—धारा ४ में इस बात से इनकार है कि लाला शिवमुखराय ने कोई चाल की ।

शेष स्वीकार है। विक्रय पत्र तारीख ५ नवम्बर सन् १९२६ उचित रूप से लिखा गया।

५—धारा १ में श्रीमती जय देवी की मृत्यु होना स्वीकार है परन्तु उसके मरने की ठीक तारीख ज्ञात नहीं है। बाकी से इनकार है।

६—धारा ६ से लेकर ९ तक स्वीकार नहीं हैं।

विशेष बयान

७—बालकिशुन एक अहाते के केवल अमले के मालिक थे जिसमें कुछ दूकानें और कच्चे मकान बने हुये थे। अहाते की भूमि उनके पास सर्वकालिक पट्टे पर थी जिसका वह वार्षिक लगान भूमि के स्वामी को दिया करते थे।

८—बालकिशुन की आर्थिक दशा बहुत दिनों से खराब थी वह सदा अन्य लोगों के ऋणी रहते थे।

९—बालकिशुन का लिखा हुआ अन्तिम प्रमाण पत्र १७ फरवरी सन् १९२३ ई० का पाँच सौ रुपये का था जिसमें इस अहाते का अमला आदि था।

१०—बालकिशुन का ऋणी होने की दशा में सन् १९२४ ई० में देहान्त हुआ। उसके बाद से ही कुछ आदमियों ने जो अपने आपका असत्य रूप से बालकिशुन का कुटुम्बी प्रगट करते थे और एक पुरुष बुद्धू ने जो अपने आप का बालकिशुन का गोद लिया हुआ लड़का बतलाता था सम्पत्ति के अधिकार व दखल में अनुचित हस्तक्षेप करना आरम्भ किया।

११—इन पुरुषों से सन् १९२६ में मुकदमाबाजी चल निकली जिसमें श्रीमती जयदेवी का, जो बालकिशुन की उत्तराधिकारिणी थी बहुत खर्चा पड़ा और श्रीमती जयदेवी को बालकिशुन का ऋण अदा करने और मुकदमेंबाजी के व्यय और सम्पत्ति की मरम्मत के लिये, जिसकी दशा खराब और गिरी हुई हो गई थी, कई ऋण लेने पड़े।

१२—पहिला परिवर्तन श्रीमती जयदेवी ने ता० ३ नवम्बर सन् १९२८ को १५००) रुपये में गणेशीलाल बैजनाथ के पास किया और फिर उस ऋण को अदा करने और अपने निर्वाह के लिये उस सम्पत्ति को, विक्रय पत्र ता० ५ नवम्बर सन् १९२९ ई० के द्वारा प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी लाल शिवमुखराय के हाथ विक्रय कर दिया।

१३—विक्रय पत्र ता० ५ नवम्बर सन् १९२९ उचित आवश्यकता से लिखा गया और वह बालकिशुन के दायभागियों पर जो कोई हों, पाबन्दी के योग्य है।

१४—वादी नम्बर १ मृत बालकिशुन का दायभागी नहीं है और भगड़े वाली सम्पत्ति में उसका कोई हक नहीं है।

१५—वादी नम्बर २ उत्तरदाता प्रतिवादी के यहाँ विक्रयपत्र लिख जाने के बाद तक नौकर रहा और वेईमानी के कारण बरखास्त कर दिया गया। उसने वादी नम्बर १ को फरजी उत्तराधिकारी कायम करके साक्षिणी विक्रयपत्र बिना बदल दिये, आधी सम्पत्ति का अपने

नाम लिखा लिया है। उसका भी कोई अधिकार सम्पत्ति में नहीं है और दोनों वादी सम्पत्ति का दलाल और पूर्वलाभ पाने के अधिकार नहीं हैं।

१६—पूर्वलाभ की सख्यां वादियों ने अनुचित और गलत काम की है।

१७.—प्रतिवादी ने ४०००) ४० मकान बनाने में व्यय किया है। विक्रयपत्र का रुपया और तामीर को लागत दिये बिना वादी किसी दशा में उपशमन नहीं पा सकते।

३२—पति और पत्नी

(१) नालिश पद ३२ नम्बर २ का प्रतिउत्तर जब
कि कठोरता और निर्दयता की आपत्ति हो

१—धारा १ स्वीकार है।

२—धारा २ इस अन्तर से स्वीकार है कि वादी एक बार दो साल तक अन्य देशों में नौकरी पर रहा और बहुधा बाहर रहता रहा और प्रतिवादी अधिकांश अपने पिता के मकान पर रहती रही सन् १९२६ से पहिले कमी एक दफे में दो महीना से अधिक वादी और प्रतिवादी एक साथ नहीं रहे।

३ धारा ३ में घटनाये असत्य रूप से वर्णन की गई हैं। अप्रैल सन् १९२६ से लगातार प्रतिवादी को वादी के साथ रहने का अवकाश मार्च सन् १९२७ तक हुआ। इस समय में वादी ने प्रतिवादी के साथ बड़ी निर्दयता और कठोरता का व्यवहार किया। उसको कई बार मारा पीटा और खाने पीने की कुछ खबर नहीं ली। प्रतिवादी इस कठोरता के व्यवहार और खाने पीने के दुख से फरवरी सन् १९२७ में बीमार हो गई और बहुत दिनों तक बीमार पड़ी रही। वादी ने उसका कोई इलाज नहीं कराया।

४—मार्च सन् १९२७ ई० में प्रतिवादी का पिता उसकी यह दशा देख कर उसको अपने घर लिवा ले गया और वहाँ उसका इलाज कराया और अभी इलाज करा रहा है। प्रतिवादी अब भी बहुत दुर्बल है।

५—धारा ४ स्वीकार नहीं है।

६—धारा ५ व ६ स्वीकार हैं। प्रतिवादी को वादी के साथ रहने में अपने जीवन का भय है। वह किसी प्रकार वादी का कठोर व्यवहार सहन नहीं कर सकती और उसके साथ रहना नहीं चाहती।

७—ऊपर लिखी हुई दशा में वादी को नालिश करने का अधिकार नहीं है और न उसको कोई प्रतिकार माँगने का अधिकार है।

३३—मुसलिम शास्त्र

(१) नाळिश पद ३३ न० १ का प्रतिवाद पत्र जब कि
निकाह जायज़ होने का उज्र हो

१—दफा १ अर्जीदावा तसलीम है ।

२—दफा २ में निकाह का होना तसलीम है । दूसरे वाकअत तसलीम नहीं हैं । वादी का निकाह प्रतिवादी के साथ वादी की माँ ने वादी के मामा की सलाह और राय से किया ।

३—दफा ३ से बिल्कुल इनकार है । वादी सन् १९४६ ई० में बालिग हुई उसने उस समय निकाह को नामन्जूर नहीं किया । उसके पहिले से वादी और प्रतिवादी पति पत्नी की तरह रहते थे और बालिग हो जाने के बाद भी वादी बराबर नवम्बर सन् १९४७ तक प्रतिवादी के साथ रही और फरीकैन मर्द औरत की तरह रहते रहे ।

४—अर्जीदावे में वादी का यह बयान कि फरीकैन पति पत्नी की तरह एक साथ नहीं रहे और निकाह की पूर्ति नहीं हुई सही नहीं है ।

५—वादी को मुसलिम शास्त्र (शरअ सुहम्मदी) के अनुसार निकाह तोड़ने और उसको खंडित कराने का कोई अधिकार नहीं है और न था । अर्जीदावे की दफा ४ तसलीम नहीं है ।

६—यदि वादी का कोई ऐसा स्वत्व बिना स्वीकार किये अनुमान भी कर लिया जावे तो वह स्वत्व वादी के बालिग होने के बाद प्रायः २ साल तक प्रतिवादी के साथ पत्नी की तरह रहने से जाता रहा ।

(२) नाळिश पद ३३ न० ९ का बयान तर्हीरी जब ' महर '

की संख्या और उसके अदा न होने का उज्र हो

१—प्रतिवादी का देन महर मुबल्लिग १७०००) रुपया था । वादी का यह बयान कि वह २५००) रुपया था सही नहीं है ।

२—आमदनी जायदाद मतरुका जो देन महर के बदले में प्रतिवादी के अधिकार में है मुबल्लिग २००) रुपया माहवार है, जो महर के रुपये का सूद अदा करने के लिये भी काफ़ी नहीं होती ।

३—हिसाब से, देन मेहर और उसका सूद ६) रुपया सैकड़ा सालाना की दर से मुबल्लिग.....रुपया होता है जो अभी तक बाकी है ।

४—वादी को देन महर और उसका सूद अदा किये बिना कब्जा माँगने का कोई अधिकार नहीं है ।

(३) नालिश पद ३३ न० १३ का उत्तर जब रिशेदारी से इनकार हो और कब्जा मुखाळिफाना होने का उज्र हो

बयान तहरीरी मुहायलहम फरीक अचवल (खरीदार जायदाद) नीचे लिखे प्रकार है—

१—धारा १ अर्जीदावे में काजी लताफत हुसेन का वादी का पिता होना स्वीकार नहीं है बाकी स्वीकार है ।

२—धारा २ स्वीकार है ।

३—धारा ३ में काजी लताफत हुसेन की मृत्यु की तारीख ठीक नहीं मालूम और वादी का उनकी लड़की और वारिस होना स्वीकार नहीं है बाकी स्वीकार है ।

४—धारा ४ स्वीकार नहीं है ।

५—धारा ५ में त्रैनामा लेना और काबिज होना स्वीकार है बाकी से इनकार है ।

६—धारा ६ से लेकर ९ तक मय दादरसी कुल से और हर एक से इनकार है ।

विशेष प्रतिवाद

७—वादी लड़की काजी लताफत हुसेन की नहीं है और न उसका उनकी मतरूका जायदाद में कोई स्वत्व है ।

८—काजी लताफत हुसेन को मरे २५ साल हुये । तारीख दायर होने नालिश से पहिले १२ साल के अन्दर वादी का कब्जा भगड़े वाली जायदाद पर या किसी दूसरी जायदाद मतरूका काजी लताफत हुसेन पर नहीं रहा । पद १४४ परिशिष्ट १ अवधिविधान सन् १९०८ के अनुसार दावे में अवधि समाप्त हो गई है ।

९—काजी लताफतहुसेन की मृत्यु पर उनकी मृत संपत्ति के मालिक और काबिज मुसम्मात शरीफन विधवा; मुसम्मात अलीमन उनकी लड़की, और अब्दुलमजीद उनका लड़का, हुये और इन्हीं का नाम जमीदारी संपत्ति पर माल के कागजों में दर्ज हुआ ।

१०—मुसम्मात शरीफन व मुसम्मात अलीमन ने दस्तावेज सन् १९३३ के जरिये से अपने हक विरासत से अब्दुलमजीद के हक में दस्तवरदारी कर दी । उस समय से अब्दुल मजीद कुल जायदाद मतरूका काजी लताफत हुसेन पर मय भगड़े वाली जायदाद के काबिज रहा ।

११—उत्तरदाता प्रतिवादी ने उचित अन्वेषण और सरकारी कागजों का निरीक्षण करने के बाद नेक नीयती से भगड़े वाली जायदाद को अब्दुलमजीद से उचित मूल्य देकर खरीद किया और अदालत में ३०००) रुपया दाखिल करके जायदाद को रहन से छुटाकर कब्जा हासिल किया । वादी का दावा धारा ४१ सम्पत्ति हस्तान्तर विधान से वर्धित है ।

१२—उत्तरदाता प्रतिवादी जायदाद पर सन् १६२२ ई० से काबिज हैं । उसने अपने आपको जायदाद का पूरा मालिक विश्वास करके करीब ४००००) रुपया जायदाद की मरम्मत और दुरुस्ती में खर्च किये और वादी और उसका पति जो उसी जायदाद के समीप रहते हैं प्रतिवादी के इस कार्य को देखते रहे और इस समय तक चुप रहे और अपनी अकार्यता (तर्कफेल) से प्रतिवादियो को यह विश्वास दिलाया कि वादी का उसमें कोई हक नहीं है । धारा ११५ साक्ष्य विधान (Evidence Act) के अनुसार वादी का दावा रोकबाद (Estoppel) के नियम से वर्जित है ।

३४—अग्रक्रयाधिकार (हक शफा)

(१) वादपत्र पद ३४ न० २ का प्रतिउत्तर जब
रिवाज से इनकार हो

प्रतिउत्तर खरीदार सम्पत्ति की ओर से ।

१—धारा १ स्वीकार है ।

२ धारा २ में रिवाज से इनकार है वाजिबुलअर्ज में इन्दराज होना स्वीकार है ।

३—धारा ३ में विक्रय पत्र कराना स्वीकार है परन्तु उसके सम्बन्ध में जो बयान किये गये हैं वह स्वीकार नहीं है !

४ धारा ४ से लेकर ६ तक प्रत्येक और कुल स्वीकार नहीं हैं ।

विशेष कथन

५—मौजा नूरपुर में कोई प्रथा शफा की नहीं है

६—पहिले की वाजिबुलअर्ज में इन्दराज प्रतिज्ञा के रूप में था जो बन्दोबस्त की अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो गया । हाल के बन्दोबस्त की वाजिबुलअर्ज में कोई शर्त शफे का नहीं है वादी को पुरानी वाजिबुलअर्ज के आधार पर दावा करने का अधिकार नहीं है ।

७—उत्तरदाता प्रतिवादी और वादी एक थोक में हिस्सेदार हैं । प्रतिवादी अजनबी नहीं है और उसके विरुद्ध वादी को अग्रमान स्वत्व शफा की प्रथा होने की दशा में भी नहीं है ।

८—वादी ऋणी है और उसको जायदाद खरीदने की सत्ता नहीं है । क्रय का मामला स्वयं वादी ने कराया और यह ब्रैनामा उसकी अनुमति और सूचना से हुआ ।

९—ब्रैनामे में बदल का रुपया जो लिखा है वह सही है उसका कोई भाग कल्पित नहीं है ।

(२) वादपत्र-गद ३४ न० ४ का प्रतिउत्तर जब रिवाज
और तलब से इनकार हो

क़ता का प्रतिवाद पत्र

१—धारा १ अर्जीदावे में वादी का प्रतिवादी द्वितीयपक्ष के साथ मिला हुआ हिस्सेदार होना स्वीकार नहीं है ।

२—धारा २ से इनकार है । भगड़े वाले मौजों में कोई रिवाज शफा नहीं है । पहिली वाजिबुलअर्ज़ प्रतिज्ञा के रूप में थी जो बन्दोबस्त के बाद मसूख और बेकार हो गई ।

३—धारा ३ स्वीकार नहीं है । पहिली वाजिबुलअर्ज़ प्रचलित नहीं है और उसके आधार पर दावा अनुचित है । हाल की वाजिबुलअर्ज़ में शफा की कोई प्रथा दर्ज नहीं है ।

४—धारा ४ में बैनामा (विक्रय-पत्र) होना स्वीकार है परन्तु यह बयान गलत है कि वह बैनामा वादी की बिना सूचना और ज्ञान के हुआ । वह वादी की अनुमति और ज्ञान से हुआ । वादी पर बहुत श्रृण है और उसके जायदाद खरीद करने की क़ाबलियत नहीं है वह खरीदारी पर तत्पर नहीं हुआ अब उसके शफा का दावा करने का स्वत्व नहीं है ।

५—वादी का यह बयान कि बैनामे के रुपये का कुछ भाग कल्पित था असत्य है । ७१४६ ≡) ६० ८ पाई नकद रजिस्ट्री के समय दिया गया और २३५३॥) ४ पाई, अमानत में छोड़ा गया ।

६—धारा ५ से इनकार है । मुसलिम शास्त्रानुसार वादी को शफा का अधिकार नहीं है और वादी ने ' तलब मुवास्वत ' और ' तलब इस्तशहाद ' अदा नहीं कीं ।

७—धारा नम्बर ६ व ७ व ८ कुल और प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं ।

८—धारा ९ में यह स्वीकार है कि अमानत का रुपया अभी अदा नहीं हुआ । वादी कोई प्रतिकार पाने का अधिकारी नहीं है ।

३५—ज़मींदार और प्रजा

(१) वाद-पत्र पद ३५ न० १ का प्रतिउत्तर

जब कि क्रय करने की प्रथा

होने की आपत्ति हो

क्रेता प्रतिवादी निम्नलिखित निवेदन करता है ।

१—वाद-पत्र की धारा १, २, व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा ४ से इनकार है । ग्राम संखनी में सदा से मकानों के हस्तान्तर करने की प्रथा चली आती है और ग्राम के निवासी अपने मकानों को क्रय व रहन और अन्य रूप से हस्तारिन्त करते हैं और इन्तिकाल लेने वाले जमींदार की किसी रोक टोक के बिना उन पर काबिज रहने हैं और इसी तरह उनके दूसरों के हाथ मुन्तकिल कर सकते हैं ।

३—धारा ५ स्वीकार नहीं है । बैनामा वादी पर पाबन्दी के योग्य है । उसके द्वारा प्रतिवादी का चिके हुये मकान पर अधिकार उचित रूप से है ।

४—धारा ६, ७ व ८ और वादी की प्रार्थना कुल से और प्रत्येक से इनकार है ।

(२) वादपत्र पद ३५ न० ३ का बयान

तहरीरी जब लावारिसी से इनकार हो

१—धारा १, २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा ४ में श्रीमती जमना का सन् १९३८ में मरना स्वीकार है लेकिन इससे इनकार है कि वादी जमींदार की हैसियत से मकान का मालिक हुआ । हीरा प्रतिवादी का चचेरा भाई था, श्रीमती जमना के मरने पर प्रतिवादी उसका उत्तराधिकारी हुआ और उचित रूप से मकान पर काबिज है ।

३—धारा ५ में भगड़े वाले मकान के निकट प्रतिवादी का निवास स्थान होना स्वीकार है और मकान पर उसका अधिकार करना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है । प्रतिवादी ने मई सन् १९३८ में श्रीमती जसुना के मरने पर जायज़ तरह से मकान का अधिकार प्राप्त किया ।

४—धारा ६ और उपशमन स्वीकार नहीं है ।

३६—दखल और पूर्वलाभ (वासलात)

(१) वादपत्र पद ३६ न० ६ का प्रतिवाद पत्र
जब आपत्ति विमुखाधिकार
हाने की हो

१—धारा १ व २ इस परिवर्तन के साथ स्वीकार है कि प्रतिवादी का अधिकार २५ साल से अधिक से स्वामी के रूप में वादी के विमुख रहा है

२ - धारा ३ स्वीकार नहीं है . नन्हें को लापता हुये ५० साल से अधिक हो गये । इस समय में वह कभी ग्राम में नहीं आया और न उसकी किसी आदमी को खबर मिली ।

३—नन्हे की मृत्यु के कानून के विचार से १२ साल से अधिक बीत गये । अब उसकी सम्पत्ति किसी उत्तराधिकारी को नहीं मिल सकती दावे में अबधि समाप्त हो चुकी है ।

४—धारा ४ में वंशावली अशुद्ध है नन्हें के पुरखा गुलाब का कोई लड़का सीताराम वादी का दादा नहीं था ।

५—धारा ५ से इनकार है वादी नन्हें का उत्तराधिकारी नहीं है ।

६—धारा ६ स्वीकार नहीं है । वादी की दी हुई वंशावली से प्रतिवादी नन्हे का उत्तराधिकारी है ।

७—धारा ७ स्वीकार है ।

८—धारा ८ से इनकार है और वादी का दखल व पूर्व लाभ पाने का अधिकारी होना स्वीकार नहीं है ।

(२) वादपत्र ३६ न० ९ का प्रतिवाद पत्र जब
अनुचित दखल करने से इनकार हो

१—प्रतिवादी ने अपना मकान नये सिरे से बनाने में वादी की कोई खाली भूमि अपने मकान में नहीं सम्मिलित की ।

२—प्रतिवादी का मकान पुरानी नीव पर बना है और उसकी पैमाइश अब भी मौके पर उतनी ही मौजूद है जो विक्रयपत्र ता०.....महीना.....सन् में दी हुई है, जिसके द्वारा प्रतिवादी ने मकान क्रय किया ।

३—प्रतिवादी अपने मकान को साधारण रूप से तामीर कर रहा है । वादी सब शिकायते, उसकी जमीन दवाने और जल्दी से तामीर करने की बावत अनुचित और असत्य हैं ।

(३) वादपत्र पद ३६ न० १० का प्रतिवादपत्र
बहुत सी आपत्तियों से

प्रतिवाद पत्र ठाकुर कल्यानसिंह प्रतिवादी न० २—

१—धारा १ वादपत्र स्वीकार है ।

२—धारा २ में ठाकुर रामप्रसादसिंह का २ अप्रैल सन् १९१३ को देहान्त होना स्वीकार है और यह भी स्वीकार है कि उन्होंने वादिनी को गोद लेने की अनुमति दी थी लेकिन किसी इकरारनामे के होने से इनकार है ।

३—धारा ३ में ता० २१ मार्च सन् १९१७ को गोविन्दपाल सिंह का गोद लिया जाना स्वीकार है शेष स्वीकार नहीं है । गोविन्दपाल सिंह किसी शर्त के साथ गोद नहीं लिये गये, वह रियासत हसनगढ़ के स्थायी मालिक थे और इन्तिकाल करने का अधिकार रखते थे । किसी इकरारनामे के भिखे जाने और उसकी पाबन्दी से इनकार है ।

४—धारा ४ से बिल्कुल इनकार है । गोविन्दपाल सिंह एक बुद्धिमान, समझदार, चतुर और दूरदर्शी व्यक्ति थे और उनको पूरी होशियारी और योग्यता जायदाद के प्रबन्ध की थी, वह उर्दू, हिन्दी और कुछ अंग्रेजी पढ़े हुए थे । वह न शराब पीते थे और न कोई दूसरा नशा करते थे और न उनका स्वास्थ्य ही खराब था ।

५—धारा ५ में प्रतिवादी की धेवती का विवाह गोविन्दपाल सिंह से होना और गोविन्दपाल सिंह का ठेका ७ साल की अवधि का लिखाना स्वीकार है शेष बातें असत्य हैं और दुश्मनी और द्वेष से वर्णन की गई हैं ।

६—धारा ६ में लिखी सब बातें झूठ है, उन सब से और प्रत्येक से इनकार है ।

७—धारा ७ में गोविन्दपाल सिंह की स्त्री का उनसे पहिले मरना स्वीकार है बाकी से इनकार है । उनकी स्त्री कुछ दिनों साधारण रूप से बीमार रह कर मरी ।

८—धारा ८ में मृत्यु लेख का लिखा जाना स्वीकार है । उसके सम्बन्ध में जो बातें बयान की गई हैं वह झूठ है, उनसे प्रतिवादी इनकार करता है ।

९—धारा ९ के कुल और प्रत्येक बयान से प्रतिवादी को इनकार है ।

१०—गोविन्दपाल सिंह ने ता० १७ अगस्त सन् १९३९ को तन्दुहस्ती की दशा में जब उनके होश हवास ठीक थे अपनी राजी और इच्छा से मृत्युलेख को उसके समाविष्ट विषय और कानूनी प्रभाव को अपने स्वत्वों पर सोच समझ कर इस विचार से हसनगढ़ सिंह के नाम लिखवाया कि रियासत हसनगढ़ कायम रहे और ता० १९ अगस्त सन् १९३९ को उसकी रजिस्ट्री करा दी ।

११—निष्ठा-पत्र (मृत्युलेख) सच्चा और वास्तविक है और उस पर वादी सम्मानित और बिनामेल वाले लोगों की हैं । उस मृत्युलेख से गोविन्दपालसिंह की अन्तिम इच्छा और चाहना प्रकट होती है । वादिनी ने जो बयान इसके विरुद्ध किये हैं वह सत्य नहीं हैं ।

१२—गोविन्दपाल सिंह बिना किसी बन्धन या शर्त के गोद लिये गये थे और वह सम्पत्ति के पूर्ण स्वामी और मालिक थे और उनको हर तरह से रियासत के हस्तान्तर करने का अधिकार था ।

१३—मुकद्दमा नम्बरी २५४ सन् १६२३ गोविन्दपाल सिंह को रियासत हसनगढ़ का दखल प्राप्त करने के लिये वादिनी के मुकामले में सत्रजबी अलीगढ़ में दायर करना पड़ा और वह हार्डेकर्ट तक लडा और गोविन्दपाल सिंह रियासत के पूरे और स्थायी मालिक निर्णित हुये और वादिनी को केवल (१८००) ६० साल निर्वाह और हसनगढ़ की गद्दी में रहने का अधिकार दिया गया । उस मुकदमें के निर्णय के अनुसार अब वादिनी गोविन्दपाल सिंह का अधिकार पूर्ण और स्थिर होने से इनकार नहीं कर सकती और न वह मृत्युलेख को इस आधार पर अवैध कह सकती है । पूर्व न्याय (Res Judicata) का नियम उसमें वर्जित करता है ।

१४—धारा १० स्वीकार नहीं है । गोविन्दपाल सिंह का दखल का दावा दायर करने और उसके हार्डेकर्ट तक लड़ने में बहुत खर्च पड़ा और वादिनी उन दिनों सम्पत्ति पर काबिज रह उसकी आय अपने खर्च में लाती रही । इसके अतिरिक्त गोविन्दपाल सिंह कुछ दिनों तक बीमार रहे और उनके इलाज में खर्च पड़ा और गोविन्दपाल सिंह के लड़की पैदा हुई थी उसकी खुशी में खर्च हुआ, इन सब कारणों से उन पर लगभग २००००) ६० कर्ज हो गया था । उसके चुकाने के लिये उन्होंने रियासत के एक भाग का ठेका दे दिया था ।

१५—मृत्युलेख लिखते समय ठेके की अवधि समाप्त नहीं हुई थी और लगभग (११०००) ६० ऋण का शेष था । उन्होंने प्रतिवादी की अनुमति से ठेका मसूख करके एक लेख लिख दिया और ऋण वेनाक करने का प्रवन्ध मृत्युलेख के कार्यकर्ता के उत्तरदायित्व पर रक्खा ।

१६—धारा ११ में गोविन्दपाल सिंह के मरने पर वादिनी का नाम चढ़ाने का प्रार्थना पत्र देना स्वीकार है, शेष से इनकार है ।

१७—धारा १२, १३, १४ व १५ और उपशमन कुल और प्रत्येक स्वीकार नहीं है ।

१८—मृत्युलेख की मंजूरी के दावे में पद-परिशिष्ट १ अवधि विधान १६०८ के अनुसार अवधि समाप्त हो गई है ।

१९—मृत्युलेख के बाद, वादिनी का कोई अधिकार रियासत हसनगढ़ में शेष नहीं रहा है ।

३७—स्वत्व घोषणा (इस्तकरार)

(१) वाद-पत्र पद ३७ न० का प्रतिवाद पत्र, जब
कि ऋणी के मालिक होने से
इनकार हो

१—वादपत्र की धारा १ व २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा ४ व ५ व ६ और दादरसी प्रत्येक से और सब से इनकार है ।

विशेष बयान

३—भगड़े वाली सम्पत्ति का मालिक व कानिज़ प्रतिवादी है ; वादी का उसमें कोई स्वत्व या अधिकार नहीं है ।

४—उक्त सम्पत्ति का आधा हिस्सा प्रतिवादी का पैटुक है और शेष आधा हिस्सा उसने (अ—व) से ता०.....को विक्रय से खरीद किया और खरीदने के दिन से जिसको कि १२ साल से अधिक हो गये, वह मालकाना और मुखालिफाना कुल सम्पत्ति पर कानिज़ है ।

५—डिग्री ऋणी का इस सम्पत्ति पर १२ साल के अन्दर कभी कब्जा नहीं रहा और उसका कोई अधिकार माना भी जावे तो उसमें अवधि समाप्त हो चुकी है ।

(२) वादपत्र पद ३७ न० ६ का प्रतिवाद-पत्र जब कि
इन्तिकाल जायज़ होने की आपत्ति हो

१—वादपत्र की धारा १ व २ स्वीकार नहीं हैं ।

२—धारा ३ में विक्रयपत्र का लिखा जाना स्वीकार है अन्य बातों से इनकार है ।

३—धारा ४ वादी ने जैसे बयान की है स्वीकार नहीं है वास्तविक घटनाएँ विशेष बयान में लिखी हैं ।

४—धारा ५, ६, ७, ८ व ९ सब से और प्रत्येक से इनकार है ।

विशेष बयान

५—प्रतिवादिनी का निकाह प्रतिवादी न० २ से सन् १९.....में हुआ और देन मेहर (२५०००) रु० का करार पाया और उसके विषय में प्रतिवादी न० २ ने प्रतिवादिनी के नाम ता०.....को काबनी नामा (Dower deed) लिख दिया ।

६—देन मेहर के (२५०००) रु० में से (१५०००) रु० के बदले प्रतिवादी न० २ ने लगभग ६ साल हुये अपनी सम्पत्ति जमींदारी प्रतिवादिनी को बँट कर दी जिस पर प्रतिवादिनी कानिज़ है और उसका नाम माल के क़ागज़ों में दर्ज है ।

७—देनमेहर के शेष १००००) रु० में प्रतिवादी न० २ ने अपनी दूसरी सम्पत्ति प्रतिवादिनी के हाथ बँच दी और उसी रोज से प्रतिवादिनी उस पर काबिज़ है और उसका नाम माल के कागज़ों में दर्ज है ।

८—इस जायदाद की लगान की तहसील वसूल प्रतिवादिनी के कारिन्दे करते हैं और मुसब्रा बही से रसीद देते हैं और सरकारी मालगुजारी अदा करते हैं और कुल सम्पत्ति की प्रतिवादिनी नम्बरदार है ।

९—प्रतिवादी न० २ का सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है और न कोई उसका हक है ।

१०—वाद पत्र के यह बयान कि दिखावटी देन मेहर के बदले में विक्रयपत्र लिखा गया और प्रतिवादी न० २ सम्पत्ति पर काबिज़ है और लगान वसूल करता है शलत और भूँठ है ।

(३) वादपत्र पद ३७ - ० ११ का प्रतिवाद जब कि विक्रय पत्र के जायज़ होने का उज्र हो।

प्रतिवादी न० १ (सम्पत्ति के क्रेता) का प्रतिवाद पत्र—

१—वादपत्र की धारा १ व २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा ४ में वादी का अवयस्क होना और प्रतिवादी न० २ का उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम विक्रय पत्र लिखना स्वीकार है, अन्य बातों से इनकार है ।

३—भगड़े वाली सम्पत्ति और दूसरी सम्पत्ति के साथ ता०.....के लिखे हुए प्रमाण पत्र (दस्तावेज) के द्वारा २०००) रु० में एक आदमी हरगूलाल के पास हरलाल की आंर से आड़ थी । दस्तावेज में १) रु० सैकड़े मासिक सूद की दर थी और सूद दर सूद छः माही था और कुल सम्पत्ति के डूब जाने का भय था ।

४—प्रतिवादिनी न० २ वादी की प्राकृतिक संरक्षक (अभिभावक) है उसने वादी के अन्य सम्बन्धियों से विचार परामर्श करके सम्पत्ति पर १२) सै० मासिक सूद का हिसाब लगा कर ३०००) रु० में प्रतिवादी के हाथ विक्रय किया और हरगूलाल का आड़ का रुपया वेवाक करके दूसरी जायदाद आड़ से श्रृण-रहित करा ली ।

५—प्रतिवादिनी न० २ एक समझदार और चतुर स्त्री है और उसने जायदाद को वादी के प्राकृतिक संरक्षक की हैसियत से उचित मूल्य पर उसके लाभ के लिये बेची । प्रतिवादी ने न उसको बहकाया और न कोई धोखा दिया और विक्रय पत्र में लिखी हुई सब बातें सच हैं ।

६—धारा ५ से इनकार है । भगड़े वाली सम्पत्ति का बाज़ारी मूल्य ३०००) रु० से किसी प्रकार अधिक नहीं है और मूल्य का कुल रुपया श्रृण की अदायगी में, जिसका देनदार वादी था, व्यय हुआ और उससे वादी का लाभ हुआ ।

७—धारा ७ से बिल्कुल इनकार है ।

८—धारा ८ स्वीकार नहीं है । प्रतिवादी का नाम अदालत माल में दाखिल हुए एक साल हो गया और वह सन्.....फसली का लगान भी ठेकेदार से वसूल कर चुका है । अब ठेकेदार का अधिकार प्रतिवादी की ओर से है ।

९—शेवल इस्तकारर का दावा धारा ४२ विशेष उपशमन विधान (Sec. 42 Specific Relief Act.) के अनुसार कायम रहने योग्य नहीं है ।

१०—धारा ९ व १० से, सब से व प्रत्येक से इनकार है ।

३८—लिमिटेड कम्पनी

(१) वादपत्र पद ३८ नम्बर १ का प्रतिवाद पत्र

बहुत सी आपत्तियों से

१—वाद पत्र की धारा १, २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा ४ स्वीकार नहीं है प्रतिवादी को कोई हिस्सा एलाट (Allot दिया) नहीं किया गया और न कोई सूचना एलाटमेंट की प्रतिवादी को दी गई ।

३—धारा ५ स्वीकार नहीं है । जो माँगें वादी प्रकट करता है वह नहीं की गईं और न उनका कोई उचित नोटिस प्रतिवादी को दिया गया ।

४—धारा ६ व ७ और दादरसी कुल और प्रत्येक, प्रतिवादी को स्वीकार नहीं हैं ।

५—वादी कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्रतिवादी को धोखा देकर और झूठा प्रासपेक्टस दिखला कर हिस्से खरीदने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रतिवादी से ले लिया था इसके बाद जब वास्तविक बात प्रतिवादी को मालूम हुई और उसने धोखा देने का अभियोग (फौजदारी दावे की अर्जों) मिनेजिंग डायरेक्टर और कम्पनी के दूसरे डायरेक्टरों पर करना चाहा तो उन लोगों ने यह कह दिया कि प्रतिवादी को कोई हिस्से एलाट नहीं किये जावेगे और दख्वास्त का रुपया (Application Money) वापिस कर दिया जावेगा और उसकी वाबत एक लेख प्रतिवादी के हवाले कर दिया जो नतीजा किया जाता है ।

६—प्रतिवादी कम्पनी का हिस्सेदार नहीं है ।

७—प्रतिवादी के जुम्मे किसी एलाटमेंट या माँग के रुपये नहीं निकलते हैं ।

(२) प्रतिवाद पत्र, वाद पद ३८ न० ५ का

जब उत्तरदायित्व से इनकार हो

१—धारा १, २ व ३ स्वीकार हैं ।

२—धारा ४ स्वीकार नहीं है । वादी ने कोई साधारण अधिवेशन हिस्सेदारों का ता०.....मा०.....सन्.....को या किसी अन्य तारीख पर नहीं किया । और न उक्त अधिवेशन या किसी दूसरे अधिवेशन की सूचना प्रतिवादी को दी ।

३—कोई ऋण अदा करने की कार्य प्रणाली और वाकीदार हिस्सेदारों की सूची प्रतिवादी के ज्ञान और सूचना में प्रस्तुत नहीं हुई और किसी स्कीम (कार्य प्रणाली) और सूची का नियम के अनुसार तैयार होना प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है ।

४—धारा ५ से लेकर ८ तक प्रत्येक से और कुल से प्रतिवादी को इनकार है ।

५—प्रतिवादी के जुम्मे किसी मॉग का रूपका वाजिब नहीं है ।

६—कम्पनी का बहुत अधिक रुपया डायरेक्टरों और मैनेजिंग डायरेक्टर के जुम्मे वाकी हैं जब तक वह रुपये अदा न करे दूसरे हिस्सेदारों से मॉग करना अनुचित है ।

३६-बीमा

(१) वाद-पत्र पद ३९ न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब

असत्य वर्णन और आत्म हत्या का उज्ज हो

१—वादी ने बीमा कराने के समय प्रतिवादी से यह प्रकट नहीं किया था कि ज—द को साल भर में या उसके कुछ दिन आगे पीछे एक विशेष पीड़ा का दौरा होता है जिससे वह बहुत कमजोर और मृतसुल्य हो जाता है और जीवन की आशा कम रह जाती है ।

२—यह बात बड़ी आवश्यक थी जिसको वादी जानता था परन्तु उसने प्रपंच से प्रतिवादी को प्रकट नहीं किया और प्रतिवादी को इसका ज्ञान नहीं था ।

३—प्रतिवादी को ज्ञात हुआ है कि (ज - द) ने ऐसी पीड़ा की दशा में जीवन से तंग आकर आत्म हत्या की और ऐसी दशा में पालसी की धारा ६ के अनुसार बीमा मंसू और वेकॉर हो गया और प्रतिवादी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया ।

४०—प्राकृतिक स्वत्व व सुखाधिकार

* (१) कष्ट दायक कार्य को हटाने के वाद का प्रतिउत्तर

१—यह कि वादी की रोशनी प्राचीन काल से नहीं हैं (या उसके दूसरे बयान किये हुये अधिकार प्राप्त होने से इनकार किया जावे) ।

२—वादी की रोशनी में प्रतिवादी के भवन से कोई हरजा नहीं होगा ।

३—प्रतिवादी इनकार करता है कि वह या उसके नौकर पानी को अपवित्र करते हैं ।

(या वह कार्य करते हैं जिनकी शिकायत है) ।

(यदि प्रतिवादी दावा करता हो कि उसको वह काम करने का अधिकार, जिसकी शिकायत की जाती है बहुत दिनों के उपयोग से या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त हो गया है तो उसको ऐसा कहना चाहिये और अपने दावे की प्रतिवाद के कारण भी लिखने चाहिये) ।

४—वादी ढील का दोषी है जिसका विवरण निम्नलिखित है—

सन् १९१० ई० का कारखाना आरम्भ हुआ ।

सन् १९११ ई० में वादी ने अधिकार किया ।

सन् १९१३ ई० में पहिली शिकायत हुई परन्तु दावा सन् १९३८ में प्रारम्भ किया गया ।

५—वादी के हरजे के दावे के जवाब में प्रतिवादी ऊपर लिखे कारणों पर भरोसा करता है और निवेदन करता है कि उन कार्यों से जिनकी शिकायत की जाती है वादी की कोई हानि नहीं हुई (यदि अन्य कारणों पर भरोसा हो तो वह भी लिखे जावे जैसे गुजरे हुये हरजे की वाबत तमादी) ।

(२) वादपत्र पद ४० न० २ वा प्रतिवादपत्र जब सुखाधिकार प्राप्त हो जाने की आपत्ति हो

१—रंग सानी का कारखाना जिसका प्रतिवादी मालिक है २५ साल से पहिले से चला आता है ।

२—कारखाने के मालिक २५ साल से बराबर बिना किसी रोक टोक के कारखाने में आया हुआ पानी यमुना नदी में अधिकार युक्त होने से बहाते रहे हैं उनके ऐसा करने का 'सुखाधिकार विधान' एक्ट ५ सन् १८८२ की धारा १५ के अनुसार अधिकार प्राप्त हो चुका है ।

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह की परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (अ) पद ४ का नमूना नम्बर १० है ।

३—प्रतिवादी को इनकार है कि कारखाने के पानी से नदी का पानी बढ़बूदार और काम में लाने के योग्य नहीं रहता और जानवर और आबपाशी और घर के कामों में नहीं आ सकता ।

४—प्रतिवादी को इनकार है कि वादी का बयान किया हुआ हरजा या कोई हानि हुई ।

(३) वादपत्र पद ४० न० ११ का प्रतिवाद-पत्र जब रास्ते के हक से इनकार हो

१—धारा १ स्वीकार है ।

२—धारा २ से इनकार है भगड़े वाले खेत का मालिक प्रतिवादी है । वादी उस खेत का अधिकार पूर्ण खुले तौर पर बिना रोक टोक के २० साल तक लगातार रास्ते की तरह इस्तेमाल नहीं करता रहा । उसके धारा १५ एक्ट ५ सन् १८८२ ई० के अनुसार रास्ते का सुखाधिकार खेत में प्राप्त नहीं हुआ ।

३—वादी का वास्तविक रास्ता, आम सड़क को, एक दूसरी गली में होकर कुछ फेर से है । उक्त खेत कुछ दिनों से बिना जुता हुआ बजर पड़ा था और वादी और उसके नौकर उसमें होकर प्रतिवादियों की मौखिक अनुमति से निकल जाते थे । इस प्रकार का उपयोग भी सन् १९३७ और सन् १९४१ ई० में जब उक्त खेत जोता गया बन्द हो गया था ।

४—धारा ३ और उपशमन स्वीकार नहीं है ।

(४) वादपत्र पद ४० न० २२ का प्रतिवादपत्र बहुत सी आपत्तियों पर निर्भर

१—धारा १ स्वीकार है ।

२—धारा २ में जंगलों का होना स्वीकार है परन्तु पहिली मजिल के जंगले तीन चार साल के निकाले हुये हैं । उनके विषय में धारा १५ एक्ट ५ सन् १८८२ के अनुसार वादी को कोई सुखाधिकार प्राप्त नहीं हुआ । उनके कायम रखने का वादी को अधिकार नहीं है ।

३—धारा ३ में प्रतिवादी का मकान बनवाना आरम्भ करना स्वीकार है परन्तु प्रतिवादी की तामीर से दूसरी मजिल के जंगले बिल्कुल बन्द नहीं होंगे । केवल पहिली मजिल के रसेई घर के १ जंगले कुछ बन्द होंगे । बन्द करने का अधिकार प्रतिवादी को प्राप्त है ।

४—रसेई घर में दो अन्य जंगले पूरब को सड़क की ओर, हवा और प्रकाश आने और धुआँ निकलने के लिये बने हुये हैं भगड़े वाले जंगलों का कुछ भाग बन्द हो जाने से कोई विशेष और आवश्यक हानि वादी की नहीं होगी ।

५—धारा ४, ५, व ६ व उपशमन कुल से और प्रत्येक से इनकार है ।

४१—उपेक्षा (गफलत) व असावधानी (लापरवश)

* (१) प्रतिवाद पत्र, वाद-पत्र पद ४१ न० १ का, ऐसी हानि के विषय में जो असावधानी से गाड़ी हाँकने से हुआ है।

१—प्रतिवादी को वादी के इस बयान से इनकार है कि वह गाड़ी जिसका वादपत्र में वर्णन है प्रतिवादी की गाड़ी थी और वह प्रतिवादी की सुपुर्दगी या अधिकार में थी। वह गाड़ी... (नाम)...घोड़ेखाने वालों की जो.....स्ट्रीट कलकत्ता के हैं, थी जिनसे प्रतिवादी घोड़े-गाड़ी किराये पर मगता है और वह आदमी जिसकी सुपुर्दगी और अधिकार में उक्त गाड़ी थी उस घोड़ेखाने वाले का नौकर था।

२—प्रतिवादी यह स्वीकार नहीं करता कि उक्त गाड़ी मिडिलटन स्ट्रीट से गफलत से या एकाएक या बिना आवाज होशियारी दिये हुए या तेज़ी या अपायकारक गति (खतरनाक रफतार) से निकली।

३—प्रतिवादी का कथन है कि यदि वादी उचित सावधानी और उद्योग काम में लाता तो संभव था कि गाड़ी को अपनी ओर आता हुआ देख लेता और उसके धक्के से बच जाता।

४—प्रतिवादी उन बयानों को जो वादपत्र की धारा ३ में किये गये हैं स्वीकार नहीं करता।

† (२) नुकसान पहुँचाने के कुछ मुकदमों में प्रतिवाद
१—इनकार उन भिन्न २ काय्यों (या मामलों) से जिनकी शिकायत हो।

(३) वादपत्र पद ४१ न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब कि
चारी हो जाने और उत्तरदायित्व न
होने की आपत्ति हो

१—धारा १ स्वीकार है।

२—धारा २ में १५० बोरी हवाला करना स्वीकार है बाकी ५० बोरी खागा और

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह की परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (अ) पद ४ का न० ४ है और उस वादपत्र का प्रतिवाद पत्र है जो उक्त अपेन्डिक्स का नमूना न० ३० है।

† यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के अपेन्डिक्स (अ) पद ४ का नमूना न० ६ है।

सरसाल स्टेशनों के बीच रात में चलती हुई मालगाड़ी से चोरी चली गई। रेलवे के नौकरों की कोई उपेक्षा या लापरवाही नहीं थी।

३—वादी कम किराये पर भेजने वाले की जुम्मेवारी पर, (Risknote Form B.) के द्वारा खाना हुई थी और उसकी शर्तों के अनुसार रेलवे कम्पनी हानि की उत्तरदायी नहीं है।

४—हर्जे की संख्या और उसकी जुम्मेवारी से प्रतिवादी को इनकार है।

५—धारा ३, ४ व ५ कुल और प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं।

(४) वादपत्र पद ४१ न० ९ का प्रतिवाद-पत्र जब कि
भूल (गफलत) से इनकार हो

१—प्रतिवादी को इनकार है कि उसके नौकरों ने वादी की बयान की हुई भूल या कोई और दूसरी भूल की।

२ रेलवे फाटक रामघाट पर मशीन से ऐसा प्रवन्ध है कि जिस समय रेलगाड़ी फाटक की ओर आती है फाटक अपने आप बंद हो जाता है और लैम्प की लाल रोशनी सड़क की तरफ हो जाती है।

३—वादी उस समय जब कि फाटक बंद होना और लाल रोशनी सड़क की तरफ घूमना शुरू हुई, बेतहाशा दौड़ते हुये टमटम अदर ले गया जो फाटक की तरफ आती हुई मालगाड़ी से टकरा गई।

४ - टमटम के केवल पिछले भाग में मालगाड़ी का धक्का लगा। उससे कोई नुकसान टमटम का नहीं हुआ और न वादी को कोई चोट या धक्का लगा।

५—प्रतिवादी को इनकार है कि वादी की बयान की हुई चोट या कोई और चोट वादी ने सहन की या वादी की बयान की हुई या और कोई हानि हुई।

६—प्रतिवादी बयान करता है कि यदि कोई चोट वादी ने सहन की या कोई हानि उसकी हुई तो यह उसकी ही भूल और असावधानी का फल था।

४२—पेटेन्ट (Patent)

(१) साधारण घटनाग्रस्त प्रतिवाद पत्र

१—प्रतिवादी ने वादी के पेटेन्ट में कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया न वह काम किये जिनकी वादी शिकायत करता है (हर एक शिकायती काम से क्रमानुसार इनकार किया जावे)।

२—वादी ने कोई पेटेन्ट जायज तरह से प्राप्त नहीं किया ।

या कि वह पेटेन्ट मंसूख हो गया ।

या कि वह विधानानुसार अवैध है (जिस कारण से आपत्ति की जाती हो वह कारण लिखा जावे) ।

३—वादी का पेटेन्ट कोई नया आविष्कार नहीं है या वादी उसका प्रथम और वास्तविक आविष्कार करने वाला नहीं है ।

४—वादी का बयान किया हुआ आविष्कार ऐसा आविष्कार नहीं है जिसकी वास्तविक पेटेन्ट विधानानुसार मिल सकता हो ।

(२) वादपत्र पद ४२ न०-१ का प्रतिवाद पत्र जब पेटेन्ट और उस पर अनुचित हस्तक्षेप करने से इनकार हो

१—धारा १ से इनकार है । वादी असली और प्रथम आविष्कारक “जेबलाक” ताले की बनावट और कारीगरी का नहीं है । उस कारीगरी और बनावट के ताले बहुत दिनों से “शर्मा ब्रादर्स,” “हाफिज़ एन्ड को” और कई दूसरे कारखानों में बनते थे और अब भी बनते हैं और प्रतिवादी भी उनको वादी के प्रकट किये हुये पेटेन्ट के कई साल पहिले से बनाता और बेचता है ।

२—धारा २ स्वीकार नहीं है । किसी पेटेन्ट का जो कानूनन जायज हो और जायज रूप से प्राप्त किया हो, होना प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है । जो पेटेन्ट वादी प्रकट करता है विधानानुसार नहीं है और न वादी का बयान किया हुआ आविष्कार ऐसा है जिसका पेटेन्ट मिल सकता हो ।

३—धारा ३ से बिल्कुल इनकार है । प्रतिवादी लगभग १५ साल से इस तरह के ताले बनाता और बाज़ार में विक्रय करता है । वह ताले “जेबलाक” ताले के साथ एक सी और मिलती हुई शकल के नहीं हैं और दोनों के चिन्ह अलग २ हैं ।

४—धारा ४ से इनकार है । कोई घोषणा किसी क्रेता को होना सम्भव नहीं है और न वास्तव में किसी क्रेता को घोषणा हुआ ।

५—धारा ५ में प्रतिवादी के ताले ३ रुपये प्रति ताले के हिसाब से बिकना स्वीकार है । वादी की कोई हानि ऐसी विध्री से होना स्वीकार नहीं है ।

६—धारा ६ व ७ स्वीकार नहीं हैं । अभियोग कारण वादी ने अनुचित स्थित किया है ।

४३—कापीराइट (Copyright)

* (१) साधारण प्रतिवादपत्र

१—वादी रचयिता (Author) अथवा अन्य अधिकार युक्त पुरुष नहीं है।

२—पुस्तक की रजिस्ट्री नहीं हुई।

३—प्रतिवादी ने कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया।

(२) वादपत्र पद ४३ न० १ का प्रतिवाद पत्र

जब कापीराइट से इनकार हो

१—धारा १ वादपत्र से इनकार है। वादी पुस्तक का लेखक नहीं है और न कापीराइट का मालिक है।

२—उक्त पुस्तक कई मुद्रालयों से बहुत बार छप चुकी है और जहाँ तक प्रतिवादी के मालूम हुआ है उसका लेखक एक पुरुष मोतीलाल या और उसके मोतीलाल ने पहिली बार नवलकिशोर प्रेस लखनऊ में सन् १९३१ में छपवाया था।

३—धारा २ में पुस्तक का छपवाना और बेचना स्वीकार है, परन्तु वादी की किसी पुस्तक से निबन्ध लेने से इनकार है। प्रतिवादी ने कुछ निबन्ध अपनी किताब में मोतीलाल की पुस्तक से लिये हैं जिनमें अब किसी का कापीराइट नहीं है। प्रतिवादी ने वादी के किसी कापीराइट में विघ्न नहीं डाला।

४—धारा ४ में निबन्धों का विवरण स्वीकार है परन्तु वह सब मोतीलाल की पुस्तक से लिये गये हैं। उनसे कोई अनुचित हस्तक्षेप कापीराइट में, यदि कोई हो, नहीं होता।

५—धारा ४ में प्रतिवादी की पुस्तक का मूल्य एक रुपया होना स्वीकार है बाकी बात नहीं है।

६—धारा १ से लेकर ८ तक कुल और प्रत्येक से इनकार है।

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ अपैन्डिक्स (अ) पद ४ का नमूना न० ८ है।

४४—ट्रेडमार्क (Trademark)

* (१) साधारण प्रतिवाद पत्र

- १—यह कि व्यापार चिन्ह (ट्रेडमार्क) वादी का नहीं है।
- २—यह कि वादी का बयान किया हुआ व्यापार चिन्ह कोई व्यापार चिन्ह नहीं है।
- ३—प्रतिवादी ने ट्रेडमार्क में कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया।

(२) वादपत्र पद ४४ न० २ का प्रतिवाद पत्र जब कि छाप में अन्तर और वादी को अधिकार न होने की आपत्ति हो

१—धारा १ से ३ तक कुल और हर एक प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है। वादी का बयान किया हुआ व्यापार चिन्ह कोई व्यापार चिन्ह नहीं है और न वह वादी का व्यापार चिन्ह है।

२—धारा ४ में प्रतिवादी का मसखन की तैयारी का काम करना और छाप लगाना स्वीकार है। इससे इनकार है कि प्रतिवादी का चिन्ह वादी के किसी चिन्ह के साथ एक प्रकार का है या कि प्रतिवादी ने अपना चिन्ह वादी को हानि पहुँचाने के लिये लगाया है। प्रतिवादी ने वादी के किसी व्यापार चिन्ह में अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया।

३—धारा ५ से बिल्कुल इनकार है। दोनों चिन्ह एक दूसरे से पृथक हैं और कोई धोखा किसी खरीदार को नहीं हो सकता और न वादी के किसी ट्रेडमार्क में अनुचित हस्तक्षेप होता है।

४—धारा ६ से लेकर ६ तक और उपशमन कुल से और प्रत्येक से इनकार है। वादी को कोई हानि प्रतिवादी के किसी कार्य से नहीं हुई और हानि की संख्या मनमानी और शलत है।

* यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (अ) पद ४ का नमूना न० ६ है।

४५—गुडविल (Goodwill)

(१) वादपत्र पद ४५ न० १ का प्रतिवादपत्र बहुत सी आपत्तियों का

१—धारा १ व २ स्वीकार हैं ।

२—धारा ३ इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि जो कारोबार वादी को बेचा गया उसकी कोई व्यापारिक नेकनामी नहीं थी और न वह वादी के हाथ बिकी ।

३—धारा ४ स्वीकार है ।

४—धारा ५ में कारोबार पसरहट्टे का मंगनीराम साधूराम के नाम से करना स्वीकार है शेष से इनकार है । मंगनीराम साधूराम प्रतिवादी के पूर्वजों के नाम हैं । इस नाम से प्रतिवादी पिदरुन गंज में काम करता है और इसी नाम से मियाँ गंज में काम करना शुरू किया है । वादी की दुकान प्रतिवादी की दुकान से बहुत दूर है और कोई धोखा किसी खरीदार को किसी तरह का नहीं होता । प्रतिवादी को अपने पुरखों के नाम से व्यापार करने का अधिकार है ।

५—धारा ६ व ७ से, कुलु से और प्रत्येक से इनकार है । प्रतिवादी ने कभी अपनी मियाँगंज की दुकान को वादी की दुकान की शाखा नहीं बतलाया और न किसी खरीदार को ऐसा कह कर प्रेरित किया ।

६—धारा ८ में कारोबार करना और जारी रखना स्वीकार है, बाकी से इनकार है ।

७—शेष धारार्यें तथा उपशमन स्वीकार नहीं हैं ।

४६—शारीरिक और सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य अधिकार

(१) मानहानि के हर्जों के दावों में साधारण प्रतिवादपत्र

१—प्रतिवादी ने वह शब्द जिनकी वादी शिकायत करता है नहीं कहे, या नहीं लिखे और न छापे ।

२—शब्दों का अर्थ जो वादी लगाता है वह प्रतिवादी का अभिप्राय नहीं था और न वह अर्थ उनका समझा जा सकता है ।

३—वह शब्द साधारण बोलचाल में अपमान या मान हानि के नहीं हैं और न किसी अपमान या मान हानि का अर्थ उनका लगाया जा सकता है ।

४—जो शब्द प्रतिवादी ने कहे हैं वह वास्तव में सच हैं और प्रतिवादी ने उनको उचित अधिकार से लिखा या छापे (जिन घटनाओं से अधिकार प्रकट होता हो, उनका क्रमानुसार विवरण लिखा जावे) ।

५—प्रतिवादी ने उक्त शब्दों के नेक नीयती से वादी के सार्वजनिक कार्यों की आलोचना करते हुये लिखा और वह आलोचना उचित और ठीक थी और बिना किसी दुश्मनी या द्वेष के, जनता के उपकारार्थ थी ।

६—वादी की कोई विशेष हानि उन शब्दों से नहीं हुई ।

७—प्रतिवादी ने क्षमा माँग ली या माफ़ी छाप दी या वास्तविक घटनाएँ छाप दी ।

८—वादी ने प्रतिवादी को क्षमा कर दिया था.....रूपये हर्जा लेकर क्षमा कर दिया ।

९—हर्जों की संख्या गलत और अधिक है ।

१०—प्रतिवादी.....रूपये हर्जा देने और क्षमा माँगने को तैयार है और हर्जों का रूपया अक्षय में दाखिल कर दिया है ।

(२) वादपत्र पद ४६ न० ४ का प्रतिवाद पत्र

जब आपत्ति अयान सच होने की हो

१—धारा १ और २ स्वीकार हैं ।

२—धारा ३ स्वीकार नहीं है । (अ-ब) और (क-ख) बाप बेटे हैं और प्रतिवादी के सम्बन्धी हैं । (क-ख -) की युवती स्त्री जापे के रोग से बीमार थी । उन्होंने प्रतिवादी से उसका इलाज वादी से कराने के विषय में पूछा । प्रतिवादी ने बिना किसी द्वेष या ईर्ष्या से जो कुछ सूचना प्रतिवादी को वादी के विषय में थी, उसको सच विरुद्ध करते हुये नेक नीयती से (अ-ब) और (क-ख) से कह दिया ।

३—वादी के सम्बन्ध में सर्व साधारण में यह चर्चा है कि उसका अनुचित सम्बन्ध श्रीमती (ग—घ) वेश्या से है और वह शराब पीता है और अस्पताल (चिकित्सालय) में बीमारों के देखने के समय नशे की दशा में बहुधा निकलता है ।

४—वादी के शराब पीने के विषय में प्रतिवादी को मुख्य करके सूचना रामलाल और सोनी राम से मिली जिनके यहाँ वादी इलाज करने गया और नशे की दशा में रोगों के विपरीत नुसखे लिख दिये जिनके सेवन करने से रोगियों को बहुत दुःख पहुँचा और वाद को दूसरे डाक्टरों के इलाज से अच्छे हुये ।

५—धारा ४ से बिल्कुल इनकार है । वादी की कोई नेवनामी और नामवरी नहीं थी जिसको प्रतिवादी के शब्दों से हानि पहुँची हो । वादी की कोई हानि उन शब्दों से नहीं हुई ।

(३) साधारण प्रतिवाद हरजे की नाजिशों में जो शत्रुता से फौजदारी का झूठा मुकदमा चळाने के विषय में हों

१—प्रतिवादी ने कोई दंडाभियोग (इस्तगासा) नहीं किया या वारन्ट जारी नहीं कराया या कोई दूसरी कार्यवाही अदालत की नहीं की ।

२—प्रतिवादी को दंडाभियोग (Complaint) झूठा होने से इनकार है ।

३—दंडाभियोग सच्चा था ।

४—प्रतिवादी को दंडाभियोग के द्रोप के या बिना उचित कारण और विश्वास विरुद्ध होने से इनकार है या अभियोग बिना किसी द्रोप के नेक नीयती से उचित कारण और विश्वास से दायर किया गया था ।

५—प्रतिवादी को फौजदारी की काररवाई वादी के अनुकूल निर्णित होने से इनकार है या वादी अदालत फौजदारी से मुक्त नहीं हुआ या सन्देह में (Benefit of doubt) मुक्त हुआ ।

६—वादी की हानि नहीं हुई या हानि की सख्या असत्य है ।

(४) वादपत्र पद ४६ न० ७ का प्रतिवाद पत्र जब अभियोग सच्चा होने की आपत्ति हो

१—धारा १ में वादी का व्योपार का कारोबार करना स्वीकार है । शेष ज्ञात नहीं है ।

२—धारा २ से इनकार है प्रतिवादी की कोई शत्रुता वादी से नहीं थी और न वह उनकी निन्दा और अपमान करना चाहता था ।

३—धारा ३ स्वीकार है ।

४—धारा ४ में बयानात बढ़ा कर किये गये हैं । मुकदमे की केवल दो पेशी दौरे में और एक स्थान अलीगढ़ में हुई और वादी के दो गवाह केवल एक तारीख पर स्थान अलीगढ़ में उपस्थित हुये ।

५ धारा ५ में अभियोग ता० ६ अगस्त १९४१ ई० को 'डिसमिस और वादी का वारी होना स्वीकार है परन्तु वादी के सन्देह का लाभ (Benefit of doubt) दिया गया ।

६—धारा ६ से बिल्कुल इनकार है । प्रतिवादी को इनकार है कि अभियोग भूँटा था और प्रतिवादी उसके भूँटा जानता था और कोई उचित कारण उसके दायर करने का न था और प्रतिवादी ने द्वेष से वादी को कष्ट और हानि पहुँचाने के लिये दायर किया था ।

७—धारा ७ स्वीकार नहीं है प्रतिवादी को इनकार है कि वह किसी हानि का वादी को देनदार है ।

८—धारा ८ स्वीकार नहीं है । हानि की सख्या मनमानी और शलत है ।

४७—अदालत माल की नालिशें

(१) वादपत्र पद ४७ न० ३ का प्रतिवाद पत्र

जब कि दत्तक पुत्र (गोद) से इनकार हो

१—वादी दत्तक पुत्र (अ—ब) का जो चिरस्थायी कृषक (दखीलकार काश्तकार) भगड़े वाले खाते का था, नहीं है और न उसका उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि है ।

२—वादी शिकमी (जैली) काश्तकार भगड़े वाले खाते का मृतक (अ—ब) के जीवन मे था । उसके मरने की तारीख से वह काश्तकार साल बसाल (औरदखीलकार) हो गया और वेदखल होना चाहिये ।

३—वादी को किसी इस्तकारर कराने का स्वत्व नहीं है ।

(२) वादपत्र पद ४७ न० ५ का प्रतिवाद पत्र

जब ज़मींदार और कृषक का सम्बन्ध

होने से इनकार हो

१—वादी प्रतिवादी से लगान वसूल नहीं करता और न उसको नम्बरदार की हैसियत से प्रतिवादी को वेदखल करने का अधिकार है ।

२ - प्रतिवादी सदा से लगान (क—ख) हिस्सेदार को अदा करता है और प्रतिवादी उसी का कृषक है ।

३—प्रतिवादी की खेत जोतने की अवधि १४ साल की हो गई और उसको चिरस्थायी स्वत्व हो गया । वह कृषक साल बसाल नहीं है और न वेदखली के योग्य है ।

(३) वादपत्र पद ४७ न० ८ का प्रतिवाद पत्र

वहुत सी आपत्तियों का

१—धारा १ वादपत्र इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि सन् १३४६ फसली में वादी का भाग केवल $\frac{1}{2}$ था बाकी $\frac{1}{2}$ (क ख) का था जिसका मालिक वादी विक्रय के द्वारा सन् १३४६ फसली का मुनाफा वाजिब हो जाने के बाद हुआ ।

२—धारा २ वादी के कहने के अनुसार स्वीकार नहीं है वादी का लाभ हिस्सा से मुबल्लिग.....२० होता था वह प्रतिवादी ने वादी को देना चाहा और वादी के न लेने पर मनीआर्डर से उसके पास भेजा । वादी ने मनीआर्डर भी वापस कर दिया अब प्रतिवादी ने उस धन को वादी के दिये जाने के लिये अदालत में दाखिल कर दिया है ।

३—धारा ३ में कुछ हिस्सेदारों और प्रतिवादी की खुदकाश्त होना स्वीकार है परन्तु उसका लगान वादी ने गलत और अधिक नियत किया है ।

४— धारा ४ से प्रतिवादी को इनकार है । प्रतिवादी ने, जिन आशामियों से लगान वसूल होने की आशा थी उन पर पचराजा लगाया और नालिशे की और वेदखली कराई और उचित प्रयत्न लगान वसूल करने का किया । ज़मीन पट्टवा और आसामी असमर्थ होने के कारण कुल लगान कभी वसूल नहीं होता था और न इन वर्षों में हुआ । कुछ आसामी भाग गये और कुछ ज़मीन जोतने वाले न मिलने के कारण खाली पड़ी रही । लाभ का हिस्सा रकम वसूल पर होना चाहिये ।

५— धारा ५ में जो हिस्सा वादी ने कायम किया है वह गलत है । पट्टे बंदी गलत और बढ़ा कर लिखी है । आय इसके अतिरिक्त कोई नहीं है । खुदकाश्त और आसामियों का लगान ज्यादा लगाया है और गाँव व्यय कम स्थित किया है और मुकदमों का व्यय नहीं लगाया ।

६—गाँव व्यय वार्षिक मुबल्लिग.....२० होता है और मुबल्लिग.....२० वेदखली और शेष लगान के मुकदमों और पंचरोजे में व्यय हुए हैं जिनका विवरण यह है ।

(कुल व्यय का विवरण यहाँ पर या प्रतिवाद-पत्र के साथ दाखिल किया जावे) -

७—लाभ का सही हिस्सा बयान तहरीरी के साथ नत्थी किया जाता है । उसके अनुसार मुबल्लिग... २० लाभ के वादी के निकलते हैं जो उसके पास भेजे गये और अब दाखिल अदालत कर दिये गये हैं ।

द्वितीय भाग

द्वितीय अध्याय

शपथ-पत्र, प्रार्थना-पत्र इत्यादि

१—शपथ-पत्र

(१) प्रमाण-पत्र सम्बन्धी शपथ-पत्र

(आर्डर ११ नियम १३ व्यवहार-विधि संग्रह)

(सिरनामा)

मैं (क—ख) उपरोक्त प्रतिवादी शपथ लेता हूँ (या इकरार सालह करता हूँ)
और निम्नलिखित निवेदन करता हूँ—

१—मेरे कब्जे या अधिकार में इस मुकदमे के झगड़े वाले व्यवहारों के सम्बन्धी कागज-पत्र हैं जो इस शपथ-पत्र की परिशिष्ट १ के पहिले व दूसरे भाग में दिये हुए हैं ।

२—मैं उन कागजों को जो परिशिष्ट १ के दूसरे भाग में दिये हुए हैं पेश करने पर आपत्ति करता हूँ (आपत्ति के कारण लिखे जावे) ।

३—मेरे कब्जे या अधिकार में इस मुकदमे के झगड़े के मामलों के सम्बन्धी कागज जो परिशिष्ट २ में दिये हुए हैं, ये परन्तु अब नहीं है ।

४—यह कागज मेरे कब्जे या अधिकार में अन्तिम बार (लिखो कब और उनका क्या हुआ और अब वह किसके अधिकार में हैं) ।

५—जहाँ तक मेरा ज्ञान, सूचना और विश्वास है मेरे कब्जे, रक्षा या अधिकार या मेरे वकील या एजेन्ट के कब्जे, रक्षा या अधिकार में या मेरी आर से किसी अन्य पुरुष के कब्जे रक्षा या अधिकार में कोई हिसाब, हिसाब नहीं, वौचर, रसीद, चिट्ठी, याददाश्त, कागज या तहरीर या और कोई नकल या हन्तिखान किसी ऐसे कागज का या किसी दूसरे कागज का जिसका सम्बन्ध इस मुकदमे के झगड़े वाले मामलों, या उनमें से किसी से हो, न अब है और न कभी था, सिवाय उन कागजों से जो परिशिष्ट १ और २ में दिये हुए हैं ।

* (२) किसी पक्षकार के परजाने पर उसके उत्तराधिकारियों

के नाम स्थित कराने के लिये शपथ-पत्र

(आर्डर २२ नियम ३ व्यवहार विधि समझ)

(वाद-शीर्षक)

शपथ-पत्र.....पुत्र.....जाति.....व्यवसाय.....निवासस्थान..... ।

मैं शपथ लेता हूँ (या हलफ उठाता हूँ या सत्य कहने की प्रतिज्ञा करता हूँ) और बयान करता हूँ—

१—यह कि मैं वादी का मुखतारआम (या मुखतार खास या पैरोवार मुकद्दमा) हूँ और पैरवी मुकद्दमा करता हूँ और उसके सम्बन्धी व्यवहारों (या हालात मुन्दर्जा इस बयान हलफ़ी) को जानता हूँ ।

२—यह कि... ..प्रतिवादी की ता०.....महीना.....सन्... . को मृत्यु हुई ।

३—यह कि (अ—ब) और (क—ख) (मृतक के कुल उत्तराधिकारियों के नाम उनकी रिश्तेदारी और पते सहित लिखे जावें) उसके उत्तराधिकारी हैं ।

(यदि एक या एक से अधिक उत्तराधिकारी अवयस्क हों और अवयस्कों का नाम उनके प्राप्त सार्टीफिकट संरक्षक सहित स्थित कराना हो तो :—

४—यह कि (अ—ब) अवयस्क है और उसका संरक्षक सार्टीफिकट प्राप्त (च—छ) है ।

(यदि कोई सार्टीफिकट प्राप्त संरक्षक न हो और किसी अन्य पुरुष को संरक्षक नियत कराना हो तो न० ४ की जगह निम्नलिखित दो धाराएँ लिखनी चाहिये ।

५—यह कि (अ—ब) अवयस्क है और उसका कोई संरक्षक सार्टीफिकट प्राप्त नहीं है वह (ज—झ) अपने भाई (चचा या दूसरे सम्बन्धी) के साथ या उसकी रक्षा में रहता है ।

६—यह कि (ज—झ) संरक्षक की योग्यता रखता है और उक्त अवयस्क के विरुद्ध उसका कोई स्वत्व नहीं है ।

* यह नमूना व्यवहार विधि-संग्रह के परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (क) का नमूना न० ५ है ।

(३) अदाकत अपील में इजराय डिगरी स्थगित कराने
की दख्खास्त की पुछी के लिये शपथ-पत्र

(सिस्नामा)

नाम, व पूरा पता बयान हलफ़ी दाखिल करने वाले का ।

में शपथ लेता हूँ और बयान करता हूँ कि :—

१—(फारम न० २ के अनुसार) ।

२—वादी ने दावा न० ...सन्... अदालत.....में प्रतिवादी के मुक़ाबले में इस बयान से दायर किया कि प्रतिवादी ने अपना नया मकान बनाने में वादी की.....गज ज़मीन अपने मकान में शामिल कर ली, उसका दखल प्रतिवादी का मकान तुड़वा कर दिलाया जावे ।

३—प्रतिवादी का जवाब यह था कि उसने मकान पुरानी बुनियाद पर बनाया है और कोई ज़मीन उसमें वादी की शामिल नहीं की ।

४—प्रारम्भिक अदालत ने ता०.....महीना.....सन्.....को वादी के दावे को डिगरी किया । उस निर्णय के विरुद्ध ऊपर लिखा अपील इस अदालत में प्रतिवादी ने दायर किया है जो विचाराधीन है ।

५—वादी ने इस विचाराधीन अवस्था में दख्खास्त डिगरी जारी कराने की प्रारम्भिक अदालत में वादते तुड़वाने मकान प्रतिवादी और दिलाये जाने दखल जमीन के पेश कर दी है और अमीन के नाम परवाना जारी हो गया है परन्तु उसका निर्वहण नहीं हुआ । (या प्रतिवादी की दख्खास्त पर अदालत ने उसको मुहलत.....दिन की अदालत अपील से हुकम हलतवा लाने के लिये दे दी है, जैसी परिस्थिति हो बयान की जावे) ।

फारम न० २ - *नोट—यह शपथ-पत्र का नमूना प्रारम्भिक मुकदमें के सम्बन्ध में है । यदि दख्खास्त अपील में देना हो तो बयान हलफ़ी इसी नमूने से बन सकता है “वादी” की जगह “वादी अपीलॉट” या “प्रतिवादी-अपीलॉट” और प्रतिवादी की जगह “प्रतिवादी रैस्पानडंट” या “वादी रैस्पानडंट” जैसी परिस्थिति हो लिखा जावे । यदि वादी या अपीलॉट मर जावे और उसके उत्तराधिकारी अपना नाम मृतक की जगह कायम कराना चाहें तो बयान हलफ़ी इसी प्रकार का होगा लेकिन उन उत्तराधिकारियों में यदि कोई अवयस्क (नाबालिग) हो तो उसके विषय में धारा ४ में केवल यह लिखने की आवश्यकता होती है कि (अ—ब) अवयस्क है और (च—छ) उसका व्यवहार प्रतिनिधि (-Next Friend) है । धारा ५ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती और न अदालत कोई हुकम व्यवहार प्रतिनिधि बनाने का देती है । इस पर भी यदि धारा न० ४ व ५ लिख दिये जावें तो कोई हर्ज नहीं है ।

६—प्रतिवादी का मकान टूट जाने से अपील निरर्थक हो जावेगी और प्रतिवादी को बड़ी हानि पहुँचेगी जो अपील सफल होने पर किसी तरह पूरी न हो सकेगी या पूरा करना बड़ा कठिन होगा ।

७—भगड़े वाली तामीर को बने हुये ६ महीने (जो कुछ समय हो लिखा जावे) हो गये और वादी की कोई हानि या हर्जा-डिगरी की इजरा स्थगित होने से नहीं है ।

८—प्रतिवादी डिगरी के निर्वाहण के लिये जो अन्त में मुकदमे में सादिर हो, जमानत देने को तत्पर है ।

९—प्रतिवादी ने मुबल्लिग.....२० खर्च का जो अदालत की डिगरी के अनुसार वादी का चाहिये, अधीनस्थ अदालत में दाखिल कर दिया है (या उसकी भी जमानत दाखिल करता है) ।

(४) इसी प्रकार का दूसरा शपथ-पत्र

(सिरनामा)

१—(धारा १ नमूना न० २ के अनुसार) ।

२—यह कि वादी रस्पान्डन्ट मुफलिस (निर्धन) हैं और उसने मुफलिसी में दावा न० ...सन् ...अदालतमें प्रतिवादी के मुकानले में जायदाद जमींदारी के दखल के वास्ते (जो कुछ हो इस बयान से दायर किया कि सम्पत्ति (अ—ब) की है और वादी उसका गोद लिया हुआ लड़का है और प्रतिवादी (अ—ब) का भानजा है, और वादी का स्वत्व उसके मुकानले में बढ कर है ।

३—यह कि प्रतिवादी ने उस दावे में इस बयान से जवाबदही की कि वादी (अ—ब) का गोद लिया हुआ लड़का नहीं है और, वह स्वयं भानजा होने के कारण उसका उत्तराधिकारी और सम्पत्ति पर उचित रूप से अधिकृत है ।

४—यह कि अधीनस्थ अदालत ने दावे को डिगरी किया और उपरोक्त अपील, उस पैसले के विरुद्ध से इस अदालत में दायर किया है जो विचाराधीन है ।

५—यह कि वादी ने इस विचाराधीन अवस्था में डिगरी को दखल प्राप्त करने व खर्चा बसूल करने के वास्ते जारी करा दिया है और काररवाई इजराय प्रतिवादी की दखवास्त पर अदालत इन्तदाई ने एक महीने के लिये मुलतवी कर दी है और प्रतिवादी का अवसर दिया है कि वह अदालत अपील से स्थगित कराने की आज्ञा ला सके ।

६—यह कि (अ—ब) को मरे ६ वर्ष हो गये । उस समय से प्रतिवादी सम्पत्ति पर काबिज है । (यदि उसने कोई और कार्य उसके सम्बन्ध में किये हैं जिन पर दखल बदलने का प्रभाव पड़ता-हो तो वह भी लिखे जा सकते हैं) ।

७—यह कि वादी अति-निर्धन है और अपील सफल होने की दशा में उससे उस लाभ के वापिस होने की जो वह कब्जा प्राप्त कर लेने पर वसूल करेगा और खर्च के मतालवे की वापसी की, कोई आशा नहीं है और जायदाद को उससे हानि पहुँचने का मय है ।

८— यह कि प्रतिवादी मुबलिंग रु०.....की जमानत बाबत लाभ जायदाद दौरान अपील की व खर्च की दाखिल करता है । रजिस्ट्री किया हुआ जमानतनामा इस दख्खीस्त के साथ नत्थी है ।

(५) शपथ-पत्र खर्चा या जमानत अपीलांट से लिये जाने के लिये

(सिरनामा)

१—(धारा १ नमूना न० २ के अनुसार) ।

२ यह कि वादी अपीलांट ने दावा नम्बरी.....सन्.....अदालत ...में प्रतिवादी के विरुद्ध में इस बयान से दायर किया कि वह (अ—ब) मृतक का पश्चात् उत्तराधिकारी (वारिस मानाद) उस वंशावली के अनुसार है जो अर्जादावे में लिखी है और प्रतिवादी के मुक़ाबले में, जिसका कोई हक नहीं है, उसको दखल दिखाया जावे ।

३—यह कि प्रतिवादी ने उस मुक़दमे में इस बयान से जवाबदही की कि वादी की बयान की हुई वंशावली बनावटी और झूठी है, वादी (अ—ब) का पश्चात् उत्तराधिकारी नहीं है और प्रतिवादी उसका उत्तराधिकारी प्रतिवाद-पत्र में दी हुई वंशावली के अनुसार है ।

४—यह कि प्रथम अदालत में मुक़दमा डेढ़ साल तक चलता रहा और दोनों पक्षों ने अपनी २ बयान की हुई वंशावली के समर्थन में बहुत से साक्षी उपस्थित किये और लिखित प्रमाण दिये ।

५—यह कि प्रथम अदालत ने कुल प्रमाणों की जाँच करके दावा तारीखको डिसमिस किया और सिरनामे में लिखा हुआ अपील उस निर्णय के विरुद्ध है, जो विचाराधीन है ।

६— वादी अपीलांट के पास कोई जायदाद भारतसंघ (इंडियन यूनियन) में नहीं है जिससे खर्चा प्रतिवादी प्रारम्भिक अदालत और अदालत अपील का वसूल हो सके (या कि इतने मालियत की सम्पत्ति है और उन पर इतना भार है और केवल प्रतिवादी के दोनों अदालतों के खर्चों के लिये भी यथेष्ट नहीं है ।

७—अधीनस्थ अदालत के खर्चों की संख्या मुबलिंग.....रु० है और लगभगरु० प्रतिवादी का अपील की जवाबदही के खर्चों का है (मुक़दमे की मालियत

और प्रमाण की संख्या के विचार से खर्च का अनुमान जहाँ तक हो सके ठीक किया जावे) ।

८—वादी ने दावा . . .की मदद से टायर किया है और वही उसकी तरफ से मुकदमे में खर्चा लगाता है ।

या कि वादी ने (क—ख) के हक में इकरारनामा लिख दिया है कि मुकदमा सफल हो जाने पर उसको जायदाद का चौथाई हिस्सा दे देगा और (क—ख) वादी की ओर से मुकदमे में खर्चा करता है (जैसी कुछ परिस्थित हो लिखी जावे यदि अपीलाट अवयस्क हो या बोर्ड परदा नशीन औरत हो और लडाने वाले कोई दूसरे आदमी हों तो वह भी लिखा जा सकता है) ।

९—प्रतिवादी ने अपनी खर्चों की डिगरी को प्रारम्भिक अदालत से जारी कराया और वादी को गिरफ्तार कराया या उसकी कुरकी कराई परन्तु कुछ वसूल नहीं हुआ ।

२—प्रार्थना-पत्र

(१) कार्यवाही स्थगित कराने के लिये

(धारा १० व्यवहार विधि संग्रह सम् १९०८)

(मुकदमे का सिरनामा)

प्रतिवादी प्रार्थी है—

प्रार्थना पत्र धारा १० व्यवहार विधिसंग्रह के अनुसार दाखिल करता है और इस प्रकार निवेदन करता है :—

१—प्रार्थी बाजार चौहट्टी शहर कलकत्ता में दूकान कच्ची आदत की, रामसहाय गोकलचन्द के नाम से करता है ।

२—विरुद्ध पक्ष की गल्ले की दूकान रामस्वरूप जोतीप्रसाद के नाम से स्थान बरेली में है ।

३—विरुद्ध पक्ष अपनी दूकान बरेली से शल्ला और दूसरा सामान बेचने के लिये प्रार्थी की कलकत्ते की दूकान पर भेजा करता था और माल के मुकाबले में हुन्डियाँ उसकी फीमत से १०) २० सैकड़ा कम की प्रार्थी की दूकान के ऊपर कर लेता था जिनको, प्रार्थी की दूकान माल पहुँच जाने पर सिकार देती थी ।

४—इस प्रकार व्यवहार दोनों पक्षों के बीच कुछ समय तक चलता रहा । उसकी बाबत मुत्रलिंग २०००) २० वहीखाता दूकान प्रार्थी के अनुसार विरुद्ध पक्ष के लुम्मे चाहिये थे ।

५—प्रार्थी ने अदालत खफ़ीफ़ा कलकत्ते में ता० १५ जून सन् १९.....को नालिश नम्बरी १३११ सन १९.....विरुद्ध पत्र के नाम उक्त रुपया और उसका सूद दिलाये जाने की दायर की ।

६—नालिश में ता० ६ सितम्बर सन् १९.....को प्रतिवाद-पत्र दाखिल हो कर तनकीहात कायम हो गई और ता० ९ दिसम्बर १९मुकदमा सुने जाने के वास्ते नियत हुई ।

७—उक्त नालिश दायर होने के बाद विरुद्ध पत्र ने ता० ११ अगस्त सन् १९... को यह नालिश ऊपर के सिरनामे की प्रार्थी के विरुद्ध में इस अदालत में दायर की और ता० २५ नवम्बर सन् १९.....को तनकीहात कायम होकर ता० १६ जनवरी सन् १९.....अन्तिम सुनवाई के वास्ते नियत हुई है ।

८—दोनों नालिशो एक ही व्यवहार के बारे में हैं और दोनों में मगड़े वाली बातें एक हैं और कुल हिसाब दोनों पक्षों के बीच खफ़ीफ़े की अदालत कलकत्ते में तय होगा ।

९—दावा नम्बरी १३११ सन् १९.....इस नालिश से पहिले अदालत खफ़ीफ़ा कलकत्ते में दायर हुआ और उसकी सुनवाई की तारीख भी पहिले की है ।

इस लिये प्रार्थना है कि ऊपर सिरनामे में लिखे मुकदमों की कार्रवाई स्थगित की जावे ।*

* नोट १—दख्वास्त हलतवा मुकदमों की पुष्टि (ताईद) में बयान हलफ़ी देने की आवश्यकता होती है जो घटनाएँ दख्वास्त में लिखी जाती हैं वह बयान हलफ़ी में लिखनी होती हैं । इस तरह करने से एक ही घटनाएँ दो बार लिखनी पड़ती हैं । इस लिये बहुधा यह किया जाता है कि कुल घटनाएँ शपथ पत्र में लिख-देते हैं और प्रार्थना पत्र में केवल यह कह देते हैं :—

“ उन घटनाओं के विचार से या उन हालात को निगाह में रखते हुए जो नत्थी किये हुए शपथ-पत्र में दर्ज हैं प्रार्थी निवेदन करता है कि.....” दोनों रूप-इच्छानुसार काम में लाये जा सकते हैं । ”

नोट २—शपथ-पत्र बनाने के नियम और कुछ नमूने पहिले ही दिये जा चुके हैं ।

३-निवेदन-पत्र हस्तान्तर वाद(इन्तिकाल मुकदमा)

(धारा २४ व्यवहार-विधि संग्रह—सन् १९०८)

(१) दख्खिस्त इन्तिकाल मुकदमा जब पक्षों के बीच

दो मुकदमों में भगड़े वाकी बातें एक हों

(वाद शीर्षक)

(अ—ब) उक्त प्रार्थी ।

दख्खिस्त धारा २४ व्यवहार विधि संग्रह सन् १९०८ के अनुसार दाखिल करता है और निवेदन करता है कि :—

१—प्रार्थी (सायल , ने एक दावा हिसाब समझाने का विरुद्ध पक्ष के मुकदमाले में मुन्सफ़ी हाथरस में ता० ५ मार्च सन् १९को दायर किया जिसका नम्बर २५६ सन् १९..... है ।

२—उक्त दावा उस लेन देन की बात है जो दोनों पक्षों के बीच प्रिन्सिपेल और ऐजेन्ट की हैसियत से हुआ ।

३—उक्त दावे में ता० ११ अप्रैल सन् १९.....को तनकीहात कायम हुई और ता० १७ मई सन् १९.....अन्तिम सुनवाई के वास्ते नियत है ।

४—विरुद्ध पक्ष ने उक्त नालिश दायर होने के पश्चात एक दूसरा दावा नम्बरी २११ सन् १९.....अदालत मुनसफ़ी जलेसर में, प्रार्थी के विरुद्ध कुछ रकमें दिलाये जाने का दायर किया ।

५—मुकदमा नम्बरी २११ सन् १९.....में अदालत मुन्सफ़ी जलेसर ने वाद-प्रस्त विषय स्थित करके ता० १७ जून सन् १९.....अन्तिम सुनवाई के वास्ते नियत की है ।

६—वह सब रकमें जिनका मुकदमा नम्बरी २११ सन् १९.....में भगड़ा है उस हिसाब के भाग है जिनकी मुकदमा नम्बरी २५६ सन् १९...में मुन्सफ़ी हाथरस में बहस

* नोट—जो घटनाये दख्खिस्त इन्तिकाल मुकदमें में लिखी जाती हैं उनकी पुष्टि में भी शपथ-पत्र देना होता है । इसलिये शपथ-पत्र में कुल घटनायें लिख कर प्रार्थना-पत्र में केवल यह लिखा जा सकता है—

“ उन घटनाओं के लिहाज से जो नत्थी किये हुए शपथ-पत्र में प्रकट या बयान की गई हैं यह प्रार्थना की जाती है कि मुकदमा अदालतसे अदालत.....के वास्ते फ़ैसले के मुन्तिकिल फ़रमाया जावे ” ।

ऐसा करने से घटनायें दां त्रार नहीं लिखनी पड़ती और बहुधा यही रीति उत्तम समझी जाती है ।

है और दोनों मुकदमों के विषय में एक ही तनकीह क्रायम हुई हैं। (या कि मुकदमा नम्बरी २११ में तनकीह न० १, २, ३ व ४ उन्हीं रकमों के विषय में हैं जिनके सम्बन्ध में मुकदमा न० २५६ में तनकीह न० ३, ५, ६ व ७ हैं)।

७— इन बातों के विचार से दोनों मुकदमों का एक ही अदालत से निर्णय होना न्याय और दोनों पक्षों की सुविधा के लिये आवश्यक है।

८— वह मामले जिनका भगड़ा दोनों मुकदमों में है स्थान हाथरस में हुए और उनके विषय में मौखिक और लिखित प्रमाण हाथरस के दूकानदारों के बहीखाते साक्षी में तलब और पेश होंगे।

९— दोनों मुकदमों में हाथरस में सुने जाने से दोनों पक्षों की सुविधा रहेगी और शहादत तलब कराने में व्यय कम होगा।

इस लिये प्रार्थना है कि मुकदमा नम्बरी २११ सन् १६ . . अदालत मुन्सफ़ी जलेसर से अदालत मुन्सफ़ी हाथरस को प्रेषण किया जावे।

(२) अन्य न्यायालय में वाद प्रेषणार्थ निवेदन-पत्र

जब न्यायाधीश प्रार्थी के विरुद्ध अपनी

सम्पत्ति प्रकट कर चुके हों

(सिरनामा)

१— एक पुरुष बुद्धसेन ने एक दावा एक दूकान स्थित बाजार चौहट्टी कसबा रसरा की बाबत, प्रार्थी के विरुद्ध इस बयान से दायर किया था कि वह उस दूकान का मालिक है और प्रार्थी का कब्जा उस पर बिना किसी अधिकार के और अनुचित है।

२— दावे का नम्बर २०३ सन् १६..... था जिसको श्री-गोकुल प्रसाद साहिब ने जो उस समय मुन्सिफ़ बलिया थे इस तजवीज़ से डिसमिस किया कि बुद्धसेन उसका मालिक नहीं है और प्रार्थी भी उसका मालिक नहीं है। वास्तव में एक आदमी रामविलास उसका मालिक है और प्रार्थी उस पर बिना अधिकार के काबिज़ है।

३— ता० १७ अगस्त सन् १६.....को रामविलास ने दावा नम्बरी ३११ सन् १६... अदालत सिविलजजी गाज़ीपुर में उक्त दूकान के विषय में प्रार्थी के विरुद्ध इस बयान से दायर किया है कि वह उसका मालिक है और प्रार्थी उस पर अनुचित अधिकार किये हुए है।

४— संयोग से बा० गोकुल प्रसाद जो मुकदमा नम्बरी २०० सन् १६.....के निर्णय के समय मुन्सिफ़ बलिया थे अब वह सिविलजजी गाज़ीपुर हैं और मुकदमा न० ३११ सन् १६.....उन्हीं के इजलास में पेशी के लिये है।

५—जो राय बा० गोकुल प्रसाद साहिब की प्रार्थी के कब्जे और अधिकार के बारे में मुकदमा नम्बरी २०३ सन् १६.... में प्रकट हो चुकी है उससे प्रार्थी को पूरा डर है कि वह मुकदमा नम्बरी ३११ सन् १६ . की सुनवाई और उसका फैसला स्वतंत्र राय और निश्चय विचार के साथ नहीं कर सकेंगे और उनके दिल पर अनजाने प्रभाव उन की पहिली तजवीज का पड़ेगा ।

६—प्रार्थी को ऊपर लिखे हालात के विचार से बा० गोकुल प्रसाद साहिब के इजलास से पूर्ण न्याय की आशा नहीं है ।

इसलिये निवेदन है कि मुकदमा नम्बरी ३११ सन् १६ फैसले के वास्ते अदालत सिविलजजजी गानीपुर से किसी अन्य अदालत में भेज दिया जावे ।

(३) वाद प्रेषणार्थ निवेदन पत्र प्रमाण की सुविधा के आधार पर

१—फर्म (अ-ब) पर, जो मंडी नजवाई शहर हाथरस में हैं, कमीशन एजेन्सी का काम होता है ।

२—उक्त फर्म पर एक समय तक विरुद्ध पक्ष का माल आता रहा और वह उसको कमीशन एजेन्ट की हैसियत से बेचती और उसका हिसाब विरुद्ध पक्ष के पास समय २ पर भेजती रही । जो कुछ रुपया मूल्य का हुआ वह हुन्डियों के द्वारा से जाता रहा ।

३—विरुद्ध पक्ष ने दावा नम्बरी ३११ सन् १६ . अदालत मुन्सफी एटा उक्त माल की बिक्री के विषय में प्रार्थी फर्म के मुकामले में इस बयान से दायर किया है कि माल वास्तव में अधिक मूल्य पर बेचा गया और उसका कम मूल्य हिसाब में लिखा गया और न्यय अधिक लिखा गया और तोल में कमी है ।

४—प्रतिवादी को, प्रार्थी के माल का आना स्वीकार है और वह एजेन्ट की हैसियत से हिसाब समझाने का उत्तरदाता (जुम्मेवार) है और शहादत उसी की ओर से तलब और पेश होगी ।

५—कुल माल प्रार्थी फर्म ने हाथरस में वहाँ के दुकानदारों के हाथ बेचा । और उनके बहीखातों में बिक्री का इन्द्राज है और उनके हस्ताक्षर युक्त बिक्री के पर्चे मिसल में दाखिल हैं ।

६—एजेन्सी का काम जिसका भूगड़ा है तीन साल का है । इस समय में बहुत सा माल आया और बिका जिसकी वजह से प्रतिवादी की ओर से बहुत शहादत पेश होगी ।

७—यह सब शहादत हाथरस की होगी ।

८—मुकदमे की मालियत केवल ५००) २० है । बहुत सी शहादत हाथरस से ऐटा ले जाने में बड़ा खर्चा पड़ेगा जो मुकदमे की मालियत के विचार से उचित न होगा ।

साक्षियों को बहुत कष्ट एटा जाने और अपने बहीखाते वहाँ ले जाने और वहाँ से वापिस लाने में होगा ।

६— मुकदमे में स्थान एटा में अभी केवल तनक्रीह कायम हुई है और ता० २३ नवम्बर सन् १९.....अन्तिम सुनवाई के वास्ते नियत है । दोनों पक्षों की जानिब से कोई शहादत तलब नहीं हुई ।

इस लिये प्रार्थना है कि मुकदमा नम्बरी ३११ सन् १९.....अदालत मुन्सफ़ी एटा से अदालत मुन्सफ़ी हाथरस को प्रेषण कर दिया जावे ।

४—वाद पक्षकार (फ़रीक़ मुकदमा)

(१) ज़रूरी फ़रीक़ का नाम बढ़ाये जाने के लिये दरखास्त

(आर्डर १ नियम १० व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा मुकदमा)

(अ—ब) उक्त प्रार्थी—

दरखास्त आर्डर १ नियम १० व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार दाखिल करता है और निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—वादी ने दावा वसूलयात्री किराये का एक दूकान के विषय में प्रतिवादी के विरुद्ध में इस बयान से दाखर किया है कि वादी उक्त दूकान का स्वामी है और प्रतिवादी उसका किरायेदार है ।

२—प्रतिवादी ने उक्त दावे में जवाबदही की है और उसकी आपत्ति यह है कि उक्त दूकान एक पुरुष नाथूराम वरद चन्द्र सेन जात वैश्य अग्रवाल अनूपशहर की मिलकियत है और प्रतिवादी उक्त नाथूराम की ओर से किरायेदार है और नेकनीयती से उसको किराया अदा करता है ।

३—मुकदमे की कुल भगड़े की बातों का पूर्ण और अन्तिम निर्णय होने के लिये यह आवश्यक है कि उक्त नाथूराम फ़रीक़ मुकदमा हो ।

इसलिये दरखास्त है कि उक्त नाथूराम प्रतिवादी की हैसियत से फ़रीक़ मुकदमा किया जावे ।

(२) अनावश्यक फ़रीक़ का नाम पृथक़ किये जाने के लिये प्रार्थना

(आर्डर १ नियम १० व्यवहार विधि संग्रह)

(वाद शीर्षक)

१—ऊपर के सिरनामे के मुकदमे में वादी नम्बर १, अपने आप को मृतक रामसिंह का उत्तराधिकारी प्रकट करता है और उसी अधिकार से उसने दावा दायर किया है।

२—वादिनी नम्बर २, मृतक रामसिंह की विधवा है वह भी अपने आपको मृतक रामसिंह की उत्तराधिकारिणी बयान करके दावा करती है।

३—वादी न० १ और वादिनी न० २ के स्वत्व एक दूसरे के विरुद्ध हैं और वह दोनों एक दावे में सम्मिलित नहीं हो सकते।

४—प्रतिवादी को वादियों का स्वत्व अनिश्चित होने के कारण प्रतिवाद और शहादत में बड़ी कठिनाई का सामना करना होगा और बहुत परेशानी होगी।

५—वादी नम्बर ३ का वादपत्र के बयानों से कोई हक भगड़े वाली जायदाद में प्रकट नहीं होता। वह बिल्कुल अनावश्यक फ़रीक़ है।

इसलिये प्रार्थना है कि वादियों न० १ व २ में से एक का नाम और वादी न० ३ का नाम वादियों की सूची से निष्कासित (खारिज) कर दिया जावे।

❁ ५—स्थानी तामील (Substituted Service)

(१) स्थानी तामील के लिये प्रार्थना-पत्र

(व्यवहार विधि संग्रह आर्डर ५ नियम २०)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखे मुकदमे में प्रतिवादी का सम्मन तीन बार बिना तामील वापिस हो चुका है।

* नोट १—यदि प्रतिवादी कोई पदांशहीन स्त्री हो या कोई ऐसा पुरुष हो जिसकी तामील साधारण रूप से हाथों हाथ न हो सकती हो उसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र इसी नमूने से आसानी से तैयार हो सकता है।

नोट २—ऐसी दरखास्त की पुष्टि के लिये शपथ-पत्र देना आवश्यक होता है और शपथ-पत्र में दरखास्त की घटनायें दर्ज होनी चाहिये या वह रूप स्वीकार किया जावे जो दरखास्त इन्तकाल मुकदमे में प्रकट किया जा चुका है यानी, घटनायें शपथ-पत्र में लिख दी जावें और उसके हवाले से दरखास्त स्थानी तामील के लिये दी जावे।

२—प्रतिवादी का साधारण निवासस्थान मौज़ा रामपुर परगना अहार ज़िला बुलन्दशहर में है ।

३—पहिली बार सम्मन इसी पते से जारी हुआ और इस रिपोर्ट से वापिस आया कि प्रतिवादी अपनी ससुराल में स्थान दानपुर ज़िला मेरठ गया हुआ है, नहीं मालूम कब तक वापिस आवेगा और मकान में ताला पड़ा हुआ है ।

४—वादी ने दूसरी बार सम्मन दानपुर के पते से जारी कराये और वहाँ से बिना तामील इस रिपोर्ट से वापिस हुए कि प्रतिवादी वहाँ नहीं रहता और न वहाँ मौजूद है ।

५—वादी ने फिर तीसरी बार सम्मन रामपुर के पते से जारी कराये और साधारण रूप से और डाक के द्वारा दोनों से प्रतिवादी के पास भेजे गये ।

६—लिफ़ाफ़ा रजिस्ट्री इन्कारी होकर वापिस आया और चपरासी ने यह रिपोर्ट की कि प्रतिवादी मकान पर नहीं है और मकान बन्द है ।

७—प्रतिवादी जान बूझ कर तामील सम्मन नहीं करता और उससे जान बूझ कर बचता है । मामूली तरह से उस पर तामील होना सम्भव नहीं है ।

इसलिये प्रार्थना है कि आर्डर ५ नियम २० व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार प्रतिवादी पर स्थानी तामील किये जाने की आज्ञा दी जावे ।

६—वाद पत्र का संशोधन (Amendment)

(निवेदन-पत्र आर्डर ६ नियम १ व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार)

(वाद शीर्षक)

१—वादी ने दावा दखल जायदाद का इस बयान से दायर किया है कि उक्त जायदाद सोहन लाल की थी और वादी अब उसके गोद लिये हुए पुत्र की हैसियत से उसका मालिक है ।

२—प्रतिवादी जायदाद को सोहन लाल की होना स्वीकार करता है परन्तु वादी के सुतबन्ना होने से इनकार करता है और एक बंशावली के आधार पर अपने को सोहन लाल का उत्तराधिकारी बयान करता है ।

३—वादी सोहन लाल के सगे चाचा नाथूराम का नाती है और दत्तक पुत्र न होने की दशा में भी वह सोहन लाल का निकट उत्तराधिकारी प्रतिवादी के विरुद्ध मे है ।

४—कुल भगड़ा दोनों के मध्य में निर्णय होने के लिये यह आवश्यक है कि उत्तराधिकार स्वत्व की तनकौह भी स्थित कर के दोनों के बीच इसी मुकदमे में फैसला हो जावे ।

इस लिये प्रार्थना है कि वाद पत्र में निम्नलिखित वाक्य धारा न० ४ के अन्त में बढ़ाने की अनुमति वादी को दी जावे और वाद-पत्र का संशोधन (तरमीम) किया जावे—

“ वादी मृतक सोहन लाल के सगे चचा नाथू राम का नाती है और प्रतिवादी के मुकाबले में नजदीकी उत्तराधिकारी मृतक सोहन लाल का है और बिना गोद (तन्नियत) के भी वह जायदाद का उत्तराधिकारी और मालिक, प्रतिवादी के मुकाबले में है ” ।

७—नम्बर पर मुकदमा कायम कराने के लिये (Restoration)

(१) वादी के अनुपस्थित होने पर

(आर्डर ६ नियम ४ व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखे मुकदमे में ता०.....सुनवाई के वास्ते नियत थी ।

२—वादी ने उस तारीख के लिये गवाह तलब कराये थे ।

३—वादी का गाँव स्थान अदालत से १० मील के दूरी पर है ।

४—उक्त तारीख पर वादी अपने गवाहों के साथ गाड़ी में सवरे रवाना हुआ और साधारणतया नौ बजे के लगभग कचहरी पर पहुँच जाता ।

५—गाँव से ४ मील चल कर चक जैची चढाई पर गाड़ी का पहिया टूट गया और बहुत प्रयत्न करने पर भी चलने के योग्य नहीं हुआ ।

६—विषय होकर वादी अपने गाँव को वापिस गया और वहाँ से दूसरे पहिये का प्रबन्ध करके लाया और इस अड़चन के हो जाने के कारण वादी और उसके गवाह कचहरी पर १२ बजे पहुँचे ।

७—पहुँचने पर मालूम हुआ कि मुकदमा वादी की अनुपस्थिति में डिसमिस हो गया ।

८—गाँव से चलते समय गाड़ी के पहियो की दशा बहुत अच्छी मालूम होती थी । वादी की अनुपस्थिति एक अचानक घटना के कारण हुई ।

इस लिये प्रार्थना है कि मुकदमा फिर से नम्बर पर कायम किया जावे ।

(२) दूसरा नमूना रेल दुर्घटना के आधार पर

(सिरनामा)

१—उपरोक्त मुकदमे में ता०.....महीना.....सन्.....पेशी के वास्ते नियत थी ।

२—मुकदमा लगभग ११ बजे पेश हुआ और वादी की अनुपस्थिति में डिसमिस हो गया ।

३—वादी स्थान.....का रहने वाला है जो.....कचहरी अदालत से रेल के रास्ते से १५ मील की दूरी पर है ।

४—वादी के रहने के स्थान से रेल गाड़ी सवेरे ७ बजे चलती है जो कचहरी पर ८ बजे पहुँचा देती है ।

५—वादी और उनके गवाह पेशी की तारीख के रोज़ सवेरे ७ बजे की गाड़ी से रवाना हुये ।

६—सयोग से उक्त गाड़ी लाइन पर एक दुर्घटना हो जाने के कारण दूसरे स्टेशन, स्थान.....पर लगभग ३ घंटे खड़ी रही और लाइन साफ हो जाने के बाद लगभग १०½ बजे रवाना हो कर ११½ बजे यहाँ पहुँची ।

७—वादी और उसके गवाह ११½ बजे कचहरी पहुँचे और आने पर मालूम हुआ कि मुकदमा अनुपस्थिति में खारिज हो गया ।

८—वादी की अनुपस्थिति दुर्घटना के कारण बिना उसके किसी दोष के हुई । इस लिये प्रार्थना है कि मुकदमा फिर से नम्बर पर कायम किया जावे ।

८—एकतरफा डिगरी की मंजूरी के लिये

(आर्डर ६ नियम १३ व्यवहार-विधि-संग्रह)

(१) समन की तामील और नालिश की सूचना न होने के कारण

(सिरनामा)

१—प्रतिवादी प्रार्थी लगभग ३ साल से ब्रम्बई रहता है और वहाँ पर मेवा बेचने का काम करता है ।

२—प्रार्थी प्रतिवादी पर तामील समन की नहीं हुई और न उसको नालिश दायर होना शक हुआ ।

३—वादी ने नालिश का समन प्रार्थी प्रतिवादी के पहिले निवासस्थान फैजाबाद के पते से जारी कराकर न मालूम किस तरह तामील ऊपरी करा ली ।

४—मुकदमा ता०.....के प्रतिवादी की अनुपस्थिति में पेश हो कर एकतरफा डिगरी हो गया ।

५—प्रतिवादी ता०.....के फैजाबाद वापिस आया उस समय उसको.....गाँव वालों से एकतरफा डिगरी सादिर होने का हाल मालूम हुआ ।

६—डिगरी एकतरफा कायम रहने से प्रतिवादी की हानि है ।

७—प्रार्थना-त्र देने का अधिकार ता०.....को एकतरफा डिगरी का ज्ञान होने से हुआ ।

इस लिये प्रार्थी दरखास्त करता है कि डिगरी एकतरफा मंख हो कर मुकदमा नम्बर सात्रिक पर कायम किया जावे ।

(२) संरक्षिका के परदानशीन होने और उसके कारिन्दा के बीमार हो जाने के आधार पर

(सिंरनामा)

१—(नाम-प्रार्थी) सायल पागल है और उसकी सरक्षिका मुसम्मात शफुर्निसा एक परदानशीन औरत है ।

२—उक्त मुसम्मात की और से एक आदमी माशूक अली मुकदमे का पैरोकार था ।

३—ता०.....माह.....सन्.....मुकदमे मे पेशी के लिये नियत थी और उक्त पैरोकार ने पेशी की तारीख के लिये साक्षी तलब कराये थे ।

४—सयोग से उस तारीख पर उक्त पैरोकार.....बीमारी (जो कुछ हुई हो, लिखी जावे) में धिर गया और अदालत में नहीं उपस्थित हो सका ।

५— उक्त कारिन्दा दूसरे गाँव में रहता है सायल की संरक्षिका को उसका हाल मालूम नहीं हुआ ।

६—साक्षी जो तलब कराये थे वह भी समन तामील न होने के कारण से उपस्थित नहीं हुये ।

७—अदालत ने मुकदमे की एकतरफा सुन कर डिगरी कर दिया ।

८—प्रतिवादी की और से अनुपस्थिति ऊपर लिखे कारणों से हुई इस लिये प्रार्थना है कि डिगरी एकतरफा मंख हो कर मुकदमा फिर से नम्बर सात्रिक कायम किया जावे ।

६—दख्खवास्त, बहियों के मुआइने के लिये

(आर्डर ११ नियम १८ व्यवहार-विधि-संग्रह)

(वाद शीर्षक)

१—उपर्युक्त दावा वादी ने इस बयान से टायर किया है कि उसने सम्बत्से संवत्.....तक कमीशन एजेन्ट की हैसियत से प्रतिवादी की ओर से बहुत से सौदे खरीदे और बेचे और उनके विषय में घाटे के रुपये बहुत से दूकानदारों को दिये जिनका उसने दावा किया है ।

२—प्रतिवादी ने ऊपर लिखे सम्बत्तों की वादी की बही, जिनकी तफसील नीचे दर्ज है मुआइना करना चाही और नोटिस आर्डर ११ नियम १५ व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार वादी को दिया ।

(बही या बहियों की तफसील यहाँ दी जावे-)

३—वादी ने तामील नोटिस हो जाने पर भी उक्त बहीखातों का मुआइना प्रतिवादी को नहीं कराया और न अवधि के अन्दर कोई स्थान मुआइने के लिये नियत किया ।

(यदि वादी ने कुछ बही दिखलाई हो और कुछ न दिखलाई हो तो लिखा जा सकता है कि “वादी ने बही १, २, व ३ प्रतिवादी को मुआइना कराई और ४, ५, ६ मुआइना नहीं कराई जिनमें सौदे सब से पहिले लिखे जाते हैं या और जो कुछ कारण हो”)

४—जब तक प्रतिवादी को पूर्ण ज्ञान उन सौदों के विषय में न हो जिनके घाटे क । वादी दावा करता है प्रतिवादी दावे की जवाबदही नहीं कर सकता और न उचित रीति से वादी के बयानों की काट कर सकता है ।

इसलिये दख्खवास्त है कि वादी को हुकुम दिया जावे कि वह उक्त बही (या बहियों न० ४, ५, और ६) का मुआइना प्रतिवादी को करा देवे ।

१०—दख्खास्त, मिसिल तलब करने के लिये

(आर्ट १३ रूच ४० व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखा मुकदमा प्रामेसरी नोट के आधार पर प्रचलित हुआ है जो कुल प्रतिवादी के हाथ का लिखा हुआ और उसका हस्ताक्षरित है ।

२—प्रतिवादी को प्रामेसरी नोट के लिखने और हस्ताक्षर से इन्कार है ।

३—नीचे निम्न लिखित मिसलों में से न० १ और २ में प्रतिवादी के लिखे हुये पत्र (खत) मौजूद हैं जिनका अदालत के सामने प्रतिवादी के लेख और उसका टंग मिलाने के लिये होना आवश्यक है ।

४—निम्नलिखित मिसिल न० ३ में प्रतिवादी का दाखिल किया हुआ प्रतिवाद पत्र है जिसमें उसने उक्त प्रामेसरी नोट के लिखे जाने और उसका रुपया निकलना स्वीकार किया है ।

५—मिसिल नम्बरी १ और २ में अन्य पक्षों के पत्र दाखिल किये हुये हैं जो वादी को वापिस नहीं मिल सकते ।

६—मिसिल नम्बरी ३ के बयान तहरीरी की प्रमाणित प्रतिलिपि वादी ने सबूत में दाखिल कर दी है परन्तु प्रतिवादी ने उसको स्वीकार नहीं किया और असल का समर्थन कराने के लिये मिसिल का आना आवश्यक है ।

इस लिये निवेदन है कि मिसिल नम्बरी १ व २ व ३ तलब की जावें ।*

(यहाँ पर मिसलों का विवरण और उनका पूरा पता, नाम अदालत, नाम पक्षाकार व तारीख दाखिल और फैसिल होने की लिखी जावें) ।

* नोट १—ऐसे निवेदन पत्र की पुष्टि में शपथ-पत्र देना आवश्यक होता है और शपथ-पत्र में वह घटनाएँ लिखी होनी चाहिये जो धारा १ से लेकर ६ में दर्ज हैं और मिसलों का पता लिखा जावे ।

११—दरख्वास्त, निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी के लिये

(आर्डर ३८ रूज १ व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा)

१—प्रतिवादी किनारी बाजार शहर आगरे में दूकान पसरट्टे की करता था और फर्म वादी से श्रृणु लेकर कारोबार में लगाता था ।

२—उक्त प्रतिवादी असली रहने वाला एक मौजों का है जो रियासत भावलपुर मे भारत संघ (Indian union) के बाहर है ।

३—वादी ने तारीख १० मार्च सन् १९..... ई० को अपने नौकर रहीमदाद कृताकफ़ के लिये प्रतिवादी की दूकान पर मेजा, उसने दूकान बन्द पाई और प्रतिवादी का, तपशु करने पर भी कोई पता नहीं मिला ।

४—प्रतिवादी के जुम्मे फर्म वादी का मुबलिया.....६० असल और सूद का वाकी है-।

५—रतनलाल व प्यारेलाल जो प्रतिवादी की दूकान के समीप के दूकानदार हैं उनसे पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि प्रतिवादी ने दूकान का माल पृथक करके दो तीन रोज़ से कारोबार बन्द कर दिया है और बहुत जल्द उसका इरादा अपने गाँव के चले जाने का है ।

६—प्रतिवादी अपने रहायशी मकान स्थित मुहल्ला नवाबगंज में छिपा हुआ है ।

७—वादी ने आज ऊपर लिखी नालिश वास्ते दिलाये जाने अपने मतालवे के इस अदालत मे दाखर कर दी है ।

८—प्रतिवादी के पास कोई अचल सम्पत्ति भारतसंघ मे नहीं है ।

९—वादी को विश्वास है कि प्रतिवादी नालिश की खबर पाकर भारत-संघ से बाहर चला जायगा और वादी के नालिश का रुपया वसूल करने में बड़ी कठिनाई होगी ।

इसलिये दरख्वास्त है कि प्रतिवादी फैसले से पहिले गिरफ्तार कर लिया जावे और उससे वादी के मतालवे की ज़मानत लेली जावे ।

१२—निर्णय से पूर्व कुर्की के लिये निवेदन-पत्र

(आर्डर ३८ रूल ५ जाबता दीवानी संग्रह)

(सिरनामा)

१—प्रतिवादी के जुम्मे वादी का श्रुण ४०००) २०, प्रामेसरी नोट के द्वारा है।

२—वादी ने कई बार प्रतिवादी से तकाना किया और अन्तिम बार तारीख २१ मई सन् १९४६ ई० को दावा करने की इच्छा प्रकट की।

३—प्रतिवादी टालटूल करता रहा और उसने इसी बीच तारीख २ जून सन् १९४६ ई० को एक सम्पत्ति ६०००) २० नकद में विक्रय कर दी और वादी का रुपया अदा नहीं किया।

४—वादी ने विवशतः ५ जून सन् १९४६ को इस अदालत में दावा दायर किया और तामील समन की ११ जून सन् १९४६ को प्रतिवादी पर हो गई।

५—प्रतिवादी के पास केवल एक मकान और है जिसकी मालियत ६०००) या ७०००) रुपये से अधिक नहीं है।

६—वादी को नस्थीमल दलाल से मालूम हुआ है कि प्रतिवादी उस मकान के विक्रय करने की भी बात चीत और लोगों से कर रहा है।

७—उक्त मकान विक्र जाने से वादी का रुपया वसूल होना असम्भव हो जायगा।

८—प्रतिवादी उक्त मकान को इस विचार से बँच रहा है कि वादी का रुपया वसूल न हो और वह इस विचार को उक्त नस्थीमल से प्रकट कर चुका है।

अतएव प्रार्थना है प्रतिवादी को आशा हो कि वह वादी के रुपये के लिये जमानत दाखिल करे और जमानत दाखिल होने तक निम्नलिखित सम्पत्ति फैसले के पहिले कुर्क वरली जावे।

१३—निषेधाज्ञा के लिये निवेदन-पत्र

(आर्डर ४० रूल १ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—वादी ने ऊपर लिखा दावा एक मकान के दखल दिलाये जाने के वास्ते प्रतिवादी के विरुद्ध दायर किया है ।

२—उक्त मकान में प्रतिवादी की रहायश है ।

३—उक्त प्रतिवादी मकान की चौखट और किवाड़ निकाल कर उसको नष्ट करता है और कई दीवारों की ईंटें निकाल कर बेचता है ।

४—प्रतिवादी ने मकान में पूरब की कोठी के चौखट और किवाड़ निकाल ली हैं और द्वार की दीवार की ईंटें नाथूराम माली के हाथ बेंच दी हैं ।

इसलिये प्रार्थना है कि निषेधात्मक आज्ञा (हुक्म इमतनाई) प्रतिवादी के नाम जारी की जावे कि वह उक्त मकान की चौखट और किवाड़ या और कोई सामान पृथक न करे और न कोई ईंट इत्यादि को बेंचे और न मकान के किसी प्रकार की हानि पहुँचावे ।

१४—दख्वास्त, रिसीवर नियत किये जाने के लिये

(आर्डर ३६ रूल १ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखा दावा साफ़ा तोड़ने और हिसाब समझाने का है ।

२—साफ़े के कारोवार में रुपया वादी का लगता था और उसका मैनेजर प्रतिवादी था ।

३—साफ़े का कुल सामान और सारे कागज़ और वही खाता प्रतिवादी के अधिकार में है और उसी के अधिकार में साफ़े की नक़दी है ।

४—वादी का अब तक लगभग २५०००) रुपया साफ़े के कारोवार में लगा हुआ है जिसका हिसाब २॥ साल से प्रतिवादी ने नहीं दिया ।

५—प्रतिवादी ने नैनसुख और हरमजन दो मनुष्यों की डिग्री शिराकत के ऊपर करा ली है जिनकी इजराय में कोठी, जिसमें शराकत का काम होता है, १० अप्रैल सन् १९.....ई० को कुर्क हो गई है ।

६—प्रतिवादी ने मुकदमें में सामे का कोई हिसाब अब तक पेश नहीं किया। मुकदमें का दायर हुये ६ महीने और प्रतिवाद पत्र दाखिल किये हुये ४ महीने हो गये।

७—वादी को पूरा विश्वास है कि प्रतिवादी ने बहुत सा रुपया सामे का अलग कर लिया है और वादी को ठीक हिसाब देना नहीं चाहता।

८ प्रतिवादी के हाथ में सामे का वही खाता और कारोबार रहने से कोठी नीलाम हो जाने और व दी का हानि पहुँचने का भय है।

इसलिये प्रार्थना है कि कोई रिसीवर शराकत की जायदाद के लिये नियत किया जावे और प्रतिवादी को आज्ञा हो कि वह सामे का कुल माल, रुपया बहो खाता हिसाब और जायदाद रिसीवर के सुपुर्द कर देवे।

❁ १५—प्रार्थना पत्र, उत्तराधिकारी का नाम चढ़ाने के लिये

(आर्डर २२ रूल ४ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—रामसहाय प्रतिवादी का ६ नवम्बर सन् १९ ई० को देहाँत हुआ।

२—जय देव और सुखदेव उसके पुत्र और उत्तराधिकारी हैं।

इसलिये प्रार्थना है कि जय देव और सुखदेव का नाम मृतक रामसहाय के स्थान पर प्रतिवादियों की सूची में चढ़ाया जावे।

* नोट १—इस प्रकार के प्रार्थना पत्र की पुष्टि (ताईद) में जो बयान हलफी दाखिल होता है उसका एक नमूना शपथ पत्र के अन्वय में दिया हुआ है। उससे अन्य प्रकार की दख्वास्त भी बन सकती हैं।

नोट २—उत्तराधिकारी कायम किये जाने की अवधि ६० दिन की है अगर इस अवधि के अन्दर उत्तराधिकारी कायम न कराये जावें तो अभियोग (मुकदमा साकित) हो जाता है और आर्डर २२ रूल ६ के अनुसार साकित होने का हुकम मसूल कराने की दख्वास्त देनी होती है।

उस दख्वास्त की पुष्टि के लिये शपथ-पत्र भी नमूना नम्बर २ बयान हलफी से बन सकता है। उक्त नमूने के अन्त में यह लिखना आवश्यक होता कि अवधि के अन्दर दख्वास्त क्यों नहीं दी गई और देहान्त की तारीख की सूचना प्रार्थी को कब हुई और पहले सूचना न होने के क्या कारण थे।

१६—निवेदन-पत्र, वादी से ज़मानत खर्चा लिये जाने का

(आर्डर २५ नियम १, व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—वादी का असली निवास स्थान पाकिस्तान के एक गाँव में, भारत सघ के बाहर है।

२—वादी देहली में गोटे की फेरी का काम करता था और एक किराये के मकान में बाल बच्चों सहित रहता था।

३—वादी के पास कोई जायदाद भारत सघ में नहीं है।

४—वादी ने कारोबार करना देहली में बन्द कर दिया है और अपने बाल बच्चों को अपने निवास स्थान को भेज दिया है और मालिक मकान को इस महीने की अन्तिम तारीख से मकान छोड़ने का नोटिस दे दिया है।

५—दावा खारिज होने पर प्रतिवादी का खर्चा वादी से वसूल होने का कोई उपाय नहीं है।

इसलिये प्रार्थना है कि वादी से प्रतिवादी के खर्चों की जमानत ले ली जावे।

१७—दख्खास्त, अन्तिम डिगरी को तैयारी के लिये

(१) दख्खास्त, तैयारी डिगरी क़तई नीलाम जायदाद

(आर्डर ३४ रूल ५ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखे मुकदमे में प्रारम्भिक (इन्तदाई) डिगरी, नीलाम जायदाद की ता०.....महीना.....सन्.....को सादिर हुई।

२—छः महीने की मियाद जो मदयून डिगरी को मतालबा अदा करने के लिये दी गई थी, ता०.....महीना.....सन्.....को समाप्त हो गई।

३—मदयून ने मतालबा डिगरी अभी तक अदा नहीं किया।

४—मतालबा डिगरी का, अब तक का हिसाब नीचे दिया हुआ है, इसलिये प्रार्थना है कि डिगरी क़तई नीलाम जायदाद की आर्डर ३४ नियम ५ जान्ता दीवानी के अनुसार मुबलिगा..... रुपये की वसूल्याची के वास्ते मय खर्चा व सूद आयन्दा तारीख वसूल तक, सादिर की जावे।

(हिसाब का विवरण इस जगह दिया जावे)

(२) दख्खीस्त जब कि डिगरीदार को एक अवधि के
अन्दर रुपया दाखिल करने का हुक्म हुआ हो

(सिरनामा)

१—ता०.....महीना.....सन्.....को डिगरी इत्रतदाई नीलाम जायदाद की
प्रार्थी डिगरीदार के हक में सादिर हुई और मदयून को मतालवा के अदा करने के वास्ते
ता०.....महीना.....सन्.....तक की मियाद दी गई ।

२—डिगरी में यह हुक्म है कि यदि मदयून इस उक्त अवधि के अन्दर डिगरी का
रुपया अदा न करे तो डिगरीदार ता०.....महीना... .सन्.....तक मुवलिग
.....रुपये मुख्य रहन के सम्बन्ध में दाखिल करे और जायदाद, मतालवा डिगरी और उक्त
मतालवे दोनों की वसूलयावी के वास्ते नीलाम की जावे ।

३—मदयून ने मतालवा डिगरी उस अवधि के अन्दर जो उसको दी गई थी अदा
नहीं किया और डिगरीदार ने मुवलिग.....रुपये ता०महीना.....सन्.....को
अन्दर मियाद मुख्य रहन के सम्बन्ध में अदालत में दाखिल कर दिये ।

४—डिगरीदार के, नीचे लिखे हिसाब के अनुसार रुपये निकलते
हैं ।

मतालवा डिगरी ता०.....तकर० ।
सूद ता०.....से आज तकर० ।
मुख्य रहन का मतालवार० ।
सूद ता०..... से आज तकर० ।
खर्चार० ।
(पहिले फारम के अनुसार प्रार्थना) ।	

१८—दख्खीस्त, ज्ञातो डिगरी की तैयारी के लिये

(आर्डर ३४ नियम ६ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—उपरोक्त मुकदमे में नीलाम की डिगरी ता०.....महीना.....सन्... ..
को सादिर हुई ।

२—आड़ी जायदाद का आधा भाग एक तीसरे आदमी की नालिश मे जो फरीकैन
के मुकाबले में डिगरी हो गई है, उसकी मिलकियत और इस डिगरी में नीलाम के अयोग्य
करार पाया, शेष आधा भाग नीलाम हो गया ।

३—नीलाम का रुपया अदा हो जाने... पर रुपया मतालवा डिगरी बाकी है ।

४—रहननामा जिसकी विनाय पर डिगरी नीलाम सादिर हुई थी ता०.....महीनासन् ...का था और उसमें... रु० ता०.....माह... ..सन्.....को सूद में वसूल हुये थे और वसूलियाँ सूद की वजह से दावा ६ साल की मियाद के अन्दर था ।

५—बाकी मतालवा डिगरी मदयून की ज्ञात और दूसरी जायदाद से वसूल होने के काबिल है ।

इसलिये प्रार्थना है कि डिगरी वास्ते दिलाये जाने सुबलिंग.....रुपये, मयसूद आयन्दा तारीख नीलाम से तारीख वसूल तक, व खर्चा हाल बमुक़ाबले ज्ञात मदयून विरुद्ध पक्ष सादिर फ़रमाई जावे ।

(२) दूसरा नमूना ऐसी दख्वास्त का, ऋणी की जायदाद के विरुद्ध

(आर्डर ३४ नियम ६ व्यवहार विधि संग्रह)

(सिरनामा)

१—ऊपर लिखे मुकदमे में प्रारम्भिक डिगरी की ता०.....माह..... सन्.....को और अन्तिम डिगरी ता०.....माह... ..सन्.....को सादिर हुई ।

२—कुल आढ़ी जायदाद नीलाम हो गई ।

३—नीलाम के रुपये मुजरा करने के बाद सुबलिंग.....रु० नीचे लिखे हिसाब के अनुसार मतालवा डिगरी अभी बाकी है ।

(यहाँ पर हिसाब दिया जावे)

४—दस्तावेज़ जिसकी विनाय पर प्रारम्भिक डिगरी सादिर हुई ता०.....महीनासन् ...का लिखा था और नालिश ६ साल के अन्दर ता० ...माह..... सन् का दायर हुई थी ।

५—असल मदयून (रामसहाय) मर गया विरुद्ध पक्ष उसके वारिस हैं और उसके मतरूका पर काबिल हैं ।

इसलिये दख्वास्त प्रार्थना है कि डिगरी वास्ते दिलवाने सुबलिंग... ..रु० मयसूद तारीख नीलाम से तारीख वसूल तक और खर्चा के, बमुक़ाबले जायदाद मतरूका मदयून जो कि विरुद्ध पक्ष के कब्जे में है सादिर की जावे ।

१६—दख्खास्त इजराय डिगरी

(आर्ट २१ नियम ११ व्यवहार विधि संग्रह)

प्रत्येक डिगरी जारी कराने की दरखवास्त लिखित होनी चाहिये और उस पर प्रार्थी या किसी ऐसे पुरुष के, जो मुकदमे की सब बातों से अदालत के इतमीनान में से परिचित सिद्ध हो, हस्ताक्षर तथा पुष्टि होगी और उसमें नीचे लिखी हुई बातें नकरो या सूची के रूप में लिखी जावेंगी ।

- (अ) नम्बर मुकदमा—
- (ब) नाम पक्षाकार—
- (क) तारीख डिगरी—
- (ख) डिगरी के विरुद्ध कोई अपील हुआ है या नहीं ।
- (ग) क्या डिगरी होने के बाद कोई अदायगी या भुगड़े का निपटारा दोनों पक्षों में हुआ है, और हुआ है तो क्या ?
- (घ) क्या डिगरी के जारी कराने के लिये पहिले कोई दरखवास्ते दी गईं और दी गईं तो उनकी तारीख और उनका परिणाम ?
- (च) कुल रुपया मय सूद [यदि सूद दिलाया गया हो] जो डिगरी से निकलता हो वा और कोई उपशमन जो डिगरी से दिलाया हो, किसी ऐसी क्रॉस (Cross-Decree) डिगरी के विवरण सहित जो कि जारी की हुई डिगरी के पहिले या बाद को सादिर हुई हो ।
- (छ) खर्चों का रुपया (यदि कुछ हो) जो दिलाया गया हो ।
- (ज) नाम उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध में डिगरी जारी करानी हो ।
- (झ) वह रीति (या दग) जिसमें अदालत की सहायता दरकार हो ।
 - (१) किसी विशेष वस्तु के जिसकी डिगरी हुई हो, दिलाये जाने में ।
 - (२) किसी अन्य नालिश के द्वारा या नीलाम मय या बिना कुर्की किसी जायदाद के ।
 - (३) किसी पुरुष को गिरफ्तारी और जेलखाने में कैद से ।
 - (४) रिसीवर नियत किये जाने से ।
 - (५) या किसी अन्य रीति से जो प्रेरित उपशमन के प्रकार से आवश्यक हो ।

दख्खवास्ति इजराय डिगरी

(आर्ट २१ नियम ११ व्यवहार-विधि-संग्रह)

अदालत का नाम ; नम्बर इजराय सन्

मं डिग्रीदार नीचे लिखी कुल डिग्री के निवाहल के लिये यह प्रार्थना-पत्र

पेश करता हूँ—

<p>नं० ११० सन् १९४४ (अ—ब) वादी बनाम (ब—द) प्रतिवादी ११ अक्टूबर १९४४ नहीं कुल नहीं</p>	<p>नम्बर मुकदमा नाम दोनों पक्ष तारीख डिग्री डिग्री को नाराजी से कोई अपील हुई अथवा नहीं डिग्री के बाद अदायगी या तसकिया इजराय के लिये यदि कोई पहिली दख्खवास्ति दी हो तो उसकी ता० और परिणाम कुल मतालना मय सूद जो डिग्री से दिलाया गया हो या और कोई दादरसी खर्चा यदि दिलाया हो किसके मुकाबले में इजराय किया जावेगा</p>
<p>मु० ७०] ४० ४ मार्च सन् १९४५ ई० की दरखास्त से वसूल हुआ मु० ३१४ ४० ८ आ० १ पा० असल (ब्याज ६ ४० सै० वार्षिक) ४७ ४० १० आ० ४ पा० वसुलवाले (ब—द)</p>	<p>किस प्रकार से अदालत की सहायता की प्रार्थना है</p>
<p>जब चल सम्पत्ति (जायदाद मनकूला) की कुर्की व नीलाम की प्रार्थना हो [मैं दरखास्त देकर आशा करता हूँ कि कुल मतालना, मु० ४० (मय ब्याकज वसूल होने के दिन तक) और खर्चा डिग्री का, कुर्की व नीलाम चल सम्पत्ति के द्वारा प्रतिवादी की सूची के अनुसार वसूल कराया जावे] । जब अचल सम्पत्ति (जायदाद गैर मनकूला) हो तब, " मैं दरखास्त देकर आशा करता हूँ कि कुल मतालना मय ब्याज वसूल होने के दिन तक का, अचल सम्पत्ति की कुर्की व नीलाम के द्वारा, वसूल करा दिया जावे ।</p>	

मं डिग्रीदार नीचे लिखी कुल डिग्री के निवाहल के लिये यह प्रार्थना-पत्र

दिनांक
दिनांक

(जब अचल सम्पत्ति की कुर्की व नीलाम की दख्वास्त हो) ।

(जायदाद का विवरण)

में .. तसदीक करता हूँ कि ऊपर दर्ज किया हुआ विवरण सच है ।*

२०—दख्वास्त, उज्रदारी

(१) ऋणी की ओर से डिगरी जारी कराने पर

(धारा ४७, व्यवहार-विधि-समूह)

(सिरनामा)

१—दख्वास्त इजराय पहिली दख्वास्त से तीन साल के बाद दाखिल की गई है और डिगरी की अवधि समाप्त हो चुकी है ।

२—डिग्रीदार को पहिली इजराय में २५३) ६० मदयून उज्रदार की जायदाद के नीलाम से वसूल हुए थे, वह उसने मुजरा नहीं दिये ।

३—डिग्री से सूद नहीं दिलाया गया था । डिगरीदार ने हिसाब में ६०सूद अनुचित लगाया है ।

(२) इसी प्रकार का अन्य विरोध

१—जायदाद जो डिगरी में ग्रसित है वह जायदाद मदयून उज्रदार की पैतृक संपत्ति है । डिगरीदार ने उसके गैरमौरूसी बेजा बयान किया है । उसका नीलाम कलकटरी से होना चाहिये ।

२—डिगरीदार ने डिगरी के अनुसार.....६० श्रीमती रेनकाकुँअर को दिये जाने के वास्ते दाखिल अदालत नहीं किये । जब तक यह मतालवा डिगरीदार दाखिल न करे डिगरी जारी कराने का अधिकारी नहीं है ।

(३) तीसरा नमूना उज्रदारी उत्तराधिकारी की ओर से

१—वह जायदाद जिसकी कुर्की के लिये प्रार्थना पत्र डिगरीदार ने दिया है वह मदयून डिगरी की नहीं थी ।

२—मदयून डिगरी और उज्रदार सगे भाई और एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य थे और उक्त जायदाद मौरूसी खानदानी है जिसका मालिक मदयून के मर जाने पर शेषाधिकारी की हैसियत से उज्रदार हुआ ।

* नोट—यह ज्ञान्ता दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर न० ६ है ।

३—डिगरीदार ने ऋणी के जीवन में कोई कुर्की नहीं कराई अब वह उसको ऋणी की संपत्ति कह कर कुर्क नहीं करा सकता ।

(४) बेजा कुर्की होने पर अन्य व्यक्ति की ओर से उज़रदारी

(आर्डर २१ नियम ५८ व्यवहार-विधि-संग्रह)

१ डिगरीदार ने नीचे लिखे खेतों की पैदावार खुशीराम मदन्यून की मिलकियत करार देकर कुर्क कराई है ।

२—उक्त खेतों का पट्टेदार एक आदमी इनायत बेग है और उसकी ओर से उज़रदार कारतकार शिकमी ता० १२ नवम्बर सन् १९की कबूलियत के द्वारा है ।

३—उक्त खेतों की पैदावार जाती बोई उज़रदार की है और उसी के कब्जे से कुर्की हुई है ।

४—उक्त पैदावार में खुशीराम मदन्यून का कोई स्वत्व नहीं है इसलिये प्रार्थना है कि कुर्क की हुई पैदावार प्रार्थी के हक में छोड़ दी जावे ।

(५) इसी प्रकार का अन्य नमूना

१ यह कि उज़रदार दूकान आदत गुड़, शक्कर, चावल इत्यादि की बाज़ार गुड़पाई शहर हाथरस में करता है और उसकी दूकान पर नाम हेमराज प्रभूपाल पढ़ता है ।

२—डिगरीदार ने नीचे लिखे माल को मदन्यून का माल करार देकर कुर्क कराया है ।

३—मदन्यून बाज़ार तोपखाना शहर हाथरस में दूकान करता है और उसकी दूकान पर मेवालाल नरायण दास नाम पढ़ता है । उसका कोई सम्बन्ध कुर्क किये हुये माल या उज़रदार की दूकान से नहीं है ।

४—कुर्क किये हुए माल का मालिक उज़रदार है और उसकी कुर्की दूकान हेमराज प्रभूपाल पर उज़रदार के कब्जे से हुई है ।

इसलिये प्रार्थना है कि कुर्क किया हुआ माल उज़रदार के हक में छोड़ दिया जावे ।

(६) इसी प्रकार का तीसरा नमूना

१—डिगरीदार विरुद्ध पत्त (फरीकसानी) ने एक मंज़िल मकान पुष्ता स्थित मुहल्ला नवाबगंज शहर कानपुर नम्बरी ५२३ अहमद बख्श अपने मदन्यून डिगरी की मिलकियत मानकर कुर्क कराया है ।

२—उक्त मकान मुहम्मद बख्श का था। उसके दो लड़के पीरबख्श और अहमद बख्श और लड़की बज़ीरन उत्तराधिकारी हुये और सब उत्तराधिकारी कुर्क किये हुए मकान पर काबिज़ हैं।

३—उक्त मकान में अहमद बख्श मदयून का भाग केवल १/३ है शेष २/३ के मालिक और काबिज़ उज़्ज़दार हैं। १/३ हिस्से की वास्त कुर्की बेजा है।

इस लिये प्रार्थना है कि १/३ हिस्सा मकान का उज़्ज़दारों के हक में कुर्की से बरी किया जावे।

२१—दख्वास्त मंसूखी नीलाम

(आर्डर २१ नियम ६० व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा)

१—उपर्युक्त मुकदमे में प्रार्थी की सम्पत्ति ता०... ..महीना.....सन्... ..के मुखलिग ६० में नीलाम हुई।

२—नीलाम का विज्ञापन नियमानुसार प्रकाशित व मनादी नहीं हुआ और खरीदारों के नीलाम की सूचना नहीं हुई।

३—सूचना नीलाम के विज्ञापन में जायदाद पर किफालत का भार ५०००) ६० का दिखलाया गया। वह भार वास्तव में ३०००) ६० का था। इस गलती से खरीदारों के धोखा हुआ।

४—नीलाम शाम के ५ बजे बहुत अनुचित समय पर हुआ और केवल डिग्रीदार के और उसके दो तीन साथियों के, खरीदार एकत्रित नहीं हुए।

५—नीलाम के विज्ञापन अनुसार जायदाद तीन लाटों में उलग २ नीलाम होने का था। अमीन नीलाम ने उसको एक लाट में नीलाम कर दिया और जायदाद की तफसील खरीदारों को नहीं बतलाया।

६—नीलाम की हुई जायदाद का बाजारी मूल्य.....६० से कम किसी दशा में नहीं है।

७—यह कि ऊपर लिखी अनियमितता और बेकायदगी के कारण जायदाद बहुत कम कीमत में नीलाम हुई और उससे प्रार्थी की हानि हुई।

इस लिये प्रार्थना है कि नीलाम मंसूख फर्माया जावे।

(२) इसी प्रकार का दूसरा नमूना

१—प्रार्थी की सम्पत्ति का नीलाम तारीख २० नवम्बर सन् १९..... ई० के ३५००) ६० में हुआ।

१—नीलाम की हुई जायदाद की पश्य मूल्य (बाज़ारी कीमत) किसी दशा में ६०००) ६० से कम नहीं है ।

२—इतनी बड़ी मालियत की जायदाद इतने कम मूल्य में नीलाम निम्नलिखित कारणों से हुई ।

- (अ) नीलाम के विज्ञापन का प्रकाशन और मनादी गॉव में नहीं कराई गई और न कोई नीलाम का विज्ञापन जायदाद पर लटकाया गया ।
- (ब) नीलाम के विज्ञापन में २५००) ६० का बार एक रहननामे दखली का प्रकट किया गया । वास्तव में वह रहन बहुत दिन हुए बेबाक हो चुका था ।
- (क) नीलाम की तारीख के दो दिन पहिले से डिगरीदार ने यह प्रसिद्ध कर दिया था कि नीलाम स्थगित हो गया और किसी दूसरी तारीख को होगा ।
- (ख) ऊपर लिखे कारणों से बहुत से खरीदार जो जायदाद को खरीदना चाहते थे नीलाम के मौके पर नहीं पहुँचे और जो कुछ पहुँचे वह भार की वजह से पूरी बोली नहीं बोल सके और जायदाद बहुत कम कीमत में नीलाम हो गई ।

इस लिए प्रार्थना है कि तारीख २० नवम्बर सन् १६....६० का नीलाम मंजूर किया जावे ।

२२—विवादाधार अपील

(Grounds or Memorandum of Appeal)

(१) (आर्ट ४१ रूज़ १, व्यवहार-विधि-संग्रह)

नाम अदालत..... ।

नम्बर मुकदमा .. अपील सन्..... ।

.....वादी (या प्रतिवादी) अपीलान्ट (विवादी) ।

बनाम

.....प्रतिवादी (या वादी) रैस्पान्डेन्ट (प्रतिविवादी) ।

उपर्युक्त विवादी (अपीलान्ट)

अदालत.....स्थान.....की डिगरी.....मुकदमा नम्बरी सन्..... ता०
.....के विरुद्ध अपील दाखिल करता है और उस पर नीचे लिखी आपत्ति करता है ।

१—प्रमाण से यह सिद्ध है कि जीवाराम ने वादी के शास्त्रानुसार रसम अदा करके गोद लिया और वह विरादरी में जीवाराम का पुत्र माना जाता है ।

१—साक्ष्य से यह भी सिद्ध है कि माइवारियों में लड़की का लड़का गोद लेने का चन्चन है और जीवाराम के कुल में यह प्रथा सदा से चली आती थी ।

३—अधीनस्थ अदालत ने जीवाराम के वसीयतनामे (मृत्यु लेख) को प्रमाण से अनुचित रूप से पृथक् कर दिया है । वह कानून से शहादत में लेने योग्य है ।

४—रिवाज के सम्बन्ध में वाजिब-उल-अर्क के इन्दरराज बड़े अच्छे प्रमाण होते हैं । उन पर यथेष्ट विचार अदालत ने नहीं किया ।

५—बादी की उम्र दावा दायर करते समय २१ साल से अधिक नहीं थी और दावे में अबबि समाप्त नहीं हुई है ।

*(२) इसी प्रकार का अन्य नमूना

(सिरनामा पहिले फारम के अनुसार)

१—उपस्थित प्रमाण से वाद में सिद्ध है कि रघुनाथ के लड़के अविभक्त थे और भगड़े वाली जायदाद उनकी पैतृक अविभक्त कुल की सम्पत्ति है ।

२—शहादत से प्रमाणित हुआ है कि भगड़े वाली सम्पत्ति अविभक्त कुल के रुपये से खरीदी गई थी और रघुनाथ के सत्र लड़कों की मिलकियत थी ।

३—वादीगण यह सिद्ध नहीं कर सके कि रघुनाथ के लड़कों में कोई बटवारा हुआ ।

४—पंचायती फैसला एक फर्जी कागज़ था उस पर कभी अमल नहीं हुआ ।

५—सम्पत्ति में अपीलान्ट का भाग ३ है ।

६—अधीनस्थ अदालत ने अविभक्त कुल प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर अनुचित डाला है ।

(३) द्वितीय विवाद (अपील दायम)

(सिरनामा)

१—यह कि वास्तविक वाद-विषय यह था कि भगड़े वाली गली आम है या निजी (Private) और इसका अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं किया ।

२—यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस मिथ्यानुमान से मुकदमे को आरम्भ किया कि भगड़े वाली गली उन लोगों की मिलकियत है जिनके मकानों के दरवाजे उसमें खुलते हैं और वाद का निर्णय अनुचित रूप से किया ।

* नोट—जो विपक्ष-विवाद (Cross-objections) प्रति-विवादी (रैस्पान्डेन्ट) की ओर से आर्डर ४१ रूल २२ के अनुसार होते हैं उनकी विवादाधार (मूजवात) वैसी ही बनाई जाती है जैसे अपील की ।

३—घटनाओं के आधार पर जो स्वामित्व के विषय में अदालत ने फल निकाला है वह विधानकुल नहीं है।

४—धारा १५ और धारा १८ उप-धारा (ज) सुखाधिकार विधान (एक्ट ५ सन् १८८१ (Easements Act) के अनुसार प्रतिवादी को खिड़की बन्द करने का अधिकार था।

२३—आवेदन-पत्र, इजराय डिगरी स्थगित कराने के लिये

(आर्डर ४१ रूल ५, ज़ावता दीवानी)

[जो नमूने शपथपत्र (वयान हलफ़ी) के प्रकरण में नम्बर ३ व ४ पर दिये हुए हैं उसके हवाले से निवेदनपत्र बनाया जा सकता है।]

२४—अपीलान्ट से खर्चे की ज़मानत लिये जाने के लिये आवेदन-पत्र

(आर्डर ४१ रूल १०, व्यवहार विधि संग्रह)

[जो नमूना वयान हलफ़ी के प्रकरण में न० ५ पर दिया हुआ है उसके हवाले से दरखास्त बनाई जा सकती है।]

२५—दरखास्त वापसी रुपया

(धारा १४४ व्यवहार विधि संग्रह)

(१) डिगरी मंजूख हो जाने पर अदा किये हुए रुपये की वापसी के लिये

(सिरनामा)

उपयुक्त प्रार्थी के अनुसार दरखास्त धारा १४४ व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार दाखिल करता है और निम्नलिखित निवेदन करता है—

१—ता०.....महीनासन्.....के अदालत मुंसफ़ी गाज़ियाबाद से डिगरी विरुद्ध पक्ष के हक में जो मुकदमे में वादी था ३५४।२) २० खर्चा मुद्दकमा दिलाये जाने के लिये प्रार्थी प्रतिवादी के विरुद्ध सादिर हुई।

२—उक्त डिगरी को विरुद्ध पक्ष ने इजरा कराके उसका मतालवा प्रार्थी से ता०महीना.....सन्.....को वसूल कर लिया ।

३—प्रार्थी प्रतिवादी ने उक्त डिग्री की नाराजी से अपील दायर कर रक्खा था । अदालत अपील ने ता०महीना.....सन्.....को प्रारम्भिक अदालत की डिगरी का संशोधन कर दिया और १७६) रुपया मय खर्चा रसदी दावे से कम होने का हुकम दिया ।

४—नीचे लिखे हिसाब के अनुसार.....रुपये प्रतिवादी प्रार्थी को विपक्षी वादी पक्ष से वापिस मिलना चाहिये ।

(यहाँ पर हिसाब का विवरण लिखा जावे)

इसलिये प्रार्थना है कि गिरफ्तारी के द्वारा विपक्षी से प्रार्थी को यह रुपया और खर्चा इजराय दिलाये जाने का हुकम किया जावे ।

(२) वापसी दखल और पूर्व लाभ व खर्चा के लिये डिगरी मंजूरी पर हो जाने ।

(सिरनामा इत्यादि)

१—ता० १६ फरवरी सन् १६.....ई० को अदालत सिविल जज मेरठ से डिगरी नम्बरी १२३ सन् १६—, विरुद्ध पक्ष के हक में निम्नलिखित सम्पत्ति का दखल और मुकदमा के वासिलात और खर्चा मु० ३२७५) ६० दिलाये जाने के वास्ते, प्रार्थी के ऊपर सादिर हुई ।

२—उक्त डिगरी के विरुद्ध प्रार्थी ने अपील नम्बरी ३२५ सन् १६—, अदालत साहब जज बहादुर मेरठ में की ।

३—अपील विचाराधीन अवस्था में विरुद्ध पक्ष ने डिगरी को अदालत सिविल जज मेरठ से जारी करा कर नीचे लिखी जायदाद पर दखल ४ मार्च सन् १६—को प्राप्त कर लिया और वासिलात व खर्च का मतालवा मय खर्च इजराय, ३३३५) रुपये ता० २३ मार्च सन् १६—, को कुर्की हो जाने की वजह से प्रार्थी ने विरुद्ध पक्ष को अदा कर दिया ।

४—अपील नम्बरी ३२५ सन् १६—अदालत जज साहब बहादुर मेरठ से ता० २७ अप्रैल सन् १६—को प्रार्थी के अनुकूल निर्णयित हुई और अधीनस्थ अदालत की डिगरी मंजूरी होकर कुल दावा वादी मय खर्चा के डिसमिस हुआ और २३५) रुपये खर्चा प्रारम्भिक अदालत और ४२७) रुपये खर्चा अदागत अपील, प्रार्थी को विरुद्ध पक्ष से दिलाये गये ।

५—प्रार्थी जायदाद पर दखल और अपने अदा किये हुए मतालवे को विरुद्ध पक्ष से वापिस चाहता है । इसके अतिरिक्त वह जायदाद का अन्तर्गत लाभ ता० ४ मार्च सन्

१६—से तारीख वापसी दखल तक और अदा किये हुए मतालबे का सूद २३ मार्च सन् १६—ई० से अदा की तारीख तक और दोनों अदालतों का खर्चा विरुद्ध पक्ष से चाहता है ।

६—इस रुपये का हिसाब निम्नलिखित है—

मतालबा जो प्रार्थी ने ता० २३ मार्च सन् १६—को विरुद्ध पक्ष को अदा किया .	}	३३३५/३)
खर्चा प्रारम्भिक अदालत.....		२३५/
खर्चा अदालत अपील		४२१/
सूद ३३३५/३) पर ता० २३ मार्च सन् १६—से अब तक १) ६० सैकड़ा मासिक से	}	५००/
मुनाफा जायदाद ४ मार्च सन् १६— से अब तक २ साल की	}	११३१/६)
उक्त रुपये का सूद १) सैकड़ा मासिक के हिसाब से	}	१८३/३)
वर्तमान इजराय का खर्चा.....		१५/॥)
	कुल जोड़.....	५८२१/॥)

७—जायदाद जिस पर दखल वापिस मिलना चाहिये उसकी तफसील यह है ।

(पूर्ण विवरण दिया जावे)

इसलिये प्रार्थी को प्रार्थना है कि उसको जायदाद पर जिसका विवरण धारा नम्बर ७ में दर्ज है दखल वापिस दिलाया जावे और मतालबा जो धारा ६ में दर्ज है विरुद्ध पक्ष की सम्पत्ति (जिसका विवरण इस निवेदन पत्र के साथ नरथी है) को कुर्क व नीलाम कराकर बसूल कराया जावे ।

(३) प्रार्थना-पत्र, दखल की वापसी और वासक़ात व हर्जा के लिये

(सिरनामा इत्यादि)

१—ता०महीना.....सन्को मुकदमा नम्बरी.. सन् १६—सुं सफ़ी सहसवान से वादी का नीचे लिखी जायदाद पर दखल के लिये दावा, प्रार्थी प्रतिवादी के ऊपर डिगरो हुआ ।

२—डिगरी प्रतिवादी प्रार्थी के अपील करने पर अदालत जज साहब बहादुर शाह जहाँपुर से अपील नम्बरी ..सन् ..में तारीखमहीना .. . सन् .. . को मंखुल हुई और वादी विरुद्ध पक्ष का दावा प्रतिवादी प्रार्थी के मुक़ाबले में डिसमिस हुआ ।

३—अपील के दौरान में वादी विरुद्ध पक्ष ने अदालत के द्वारा भगाड़े वाली जायदाद पर तारीख....महीना.....सन्.....को दखल प्राप्त कर लिया और अपने

कच्चे के दिनों में २०० पेड़ वृक्ष और ५० पेड़ शीशम के एक जंगल से, जो उस हक़ीयत में नम्बर... ..रकबी २० बीघा में है काट लिये और उनकी लकड़ी अनुमानतः २०००) रुपये क़ीमत की अपने काम में ले ली और लगान वृक्ष करने के अतिरिक्त मुचलिंग ३००) रुपये कई असामियों से नजराना लेकर आचादी की खाली ज़मीन पर उनके मकानात बनवा दिये ।

४—बादी विरुद्ध पक्ष ने अपने कच्चे के दिनों में लगान वृक्ष करने का उचित प्रयत्न नहीं किया जिसके कारण से लगभग २००) रुपये के लगान में तमादी आ गड़े और उसकी लापरवाही की वजह से ६ असामी गैर दखीलकार वेदखल न कराने के कारण दखीलकार काश्तकार हो गये ।

इसलिये प्रार्थी निम्नलिखित उपशमन की प्रार्थना करता है—

- (अ) जायदाद पर जिसकी तफ़सील नीचे दी है उसका दखल वापिस दिलाया जावे ।
- (ब) २०००) रुपये क़ीमत लकड़ी वृक्ष और शीशम के प्रार्थी को विरुद्ध पक्ष से दिलाये जावें ।
- (क) मुचलिंग ३००) रु० नजराने के दिलाये जावें ।
- (ख) असामियों का दखीलकार हो जाने का हर्जा जिसकी सख्या प्रार्थी ४००) रु० स्थित करता है विरुद्ध पक्ष से दिलाया जावे ।
- (ग) जायदाद का अन्तर्गत लाभ . रु० वाचत सन् . विरुद्ध पक्ष से मय मुद्द दिलाये जावें ।
- (घ) मुचलिंग .. रु० प्रारम्भिक अदालत और अपील का खर्चा फरीक़सानों से दिलाया जावें ।
- (च) धारा (व) (क) (ख) (घ) का रुपया मय खर्चें कुर्की व नीलाम जायदाद ज़िनीदारी मदयून फरीक़सानों (जिसका विवरण इस दख्खिस्त के साथ नत्थी है) द्वारा वसूल कराया जावे ।
- (यहाँ पर या पृथक् से जायदाद का विवरण दिया जावे)

२६—दरख्वास्त, डिगरी और अर्जीदावा के संशोधन के लिये

(धारा १५२ व्यवहार-विधि-संग्रह)

(सिरनामा)

१—वादी ने उपर्युक्त दावा जायदाद ज़िमीदारी मौज़ा रामनगर मोहाल मोहन लाल पट्टी रामसहाय का दखल दिलाये जाने के वास्ते इस अदालत में दायर किया ।

२—मुहाल मोहन लाल पट्टी रामसहाय का खाता खेवट नम्बर ३ है और उसके सम्बन्धित, शामिलत देह का खाता खेवट नम्बर ११ है जिसमें सब पट्टी वालों का भाग है और शामिलत देह का खाता पट्टी के खातों का भाग है ।

३—शालती से जो सम्पत्ति का विवरण वादपत्र में दिया गया उसमें शामिलत देह की खेवट का नम्बर दर्ज होने से रह गया ।

४—दावा अदालत से ता०.....महीना ...सन्को डिगरी हुआ और जो सम्पत्ति का विवरण वाद-पत्र में दिया हुआ था वही डिगरी में दर्ज हुआ ।

५—वादी ने डिगरी जारी करा कर तारीख . . . को अदालत के द्वारा दखल लिया और तारीखको दरख्वास्त नाम चढ़ाने के लिये अदालत माल में पेश की ।

यह शालती दाखिल खारिज की दरख्वास्त देने के समय मालूम हुई । इसलिये प्रार्थना है कि वादपत्र और डिगरी का संशोधन किया जावे और उनमें सम्पत्ति के विवरण में निम्नलिखित शब्द बढ़ाये जावे “ हिस्सा रसदी शामिलत देह खाता खेवट नम्बर ११ के सहित है ” ।

२७—दरख्वास्त, संरक्षता के सर्टीफिकेट के लिये

(१) साधारण नमूना (एक्ट ८ सन् १८९०)

अवयस्क के सरक्षक (वली) बनने की दरख्वास्त में एक्ट ८ सन् १८९० की धारा १० के अनुसार निम्नलिखित बातें लिखनी होती हैं ।

(अ) अवयस्क का नाम ... पुरुष है या स्त्री..... ।
धर्म (मत).....पैदा होने की तारीख..... ।
साधारण निवास स्थान..... ।

(ब) यदि अवयस्क स्त्री हो तो उसका विवाह हुआ है या नहीं, और यदि विवाह हो गया हो तो उसके पति का नाम और उसकी अवस्था ।

(क) अवयस्क की सम्पत्ति, यदि कुछ हो तो किस प्रकार की है और कहाँ स्थित है और अनुमानतः उसका मूल्य ।

(ख) नाम और रहने का स्थान उस व्यक्ति का जिसकी सुपुर्दगी या रक्षा में अन्वयस्क या उसकी सम्पत्ति हो।

(ग) अन्वयस्क के निकट सम्बन्धी कौन हैं और वह कहाँ रहते हैं।

(१) (नाम व पता)।

(२) (..")।

(३) (... ")।

इत्यादि।

(घ) क्या अन्वयस्क की व्यक्तिगत या सम्पत्ति या दोनों का कोई सरक्षक ऐसे धार्मिकी की ओर से नियत हुआ है या नहीं, जो उस कानून के अनुसार जिसका अन्वयस्क पात्रन्द है, संरक्षक नियत करने का अधिकार रखता हो या अधिकार रखने का दावा करता हो ?

(च) क्या कभी इस अदालत में या किसी दूसरी अदालत में अन्वयस्क की जात या जायदाद या दोनों का सरक्षक नियत करने की दरखास्त गुजरी है या नहीं ? यदि गुजरी है तो किस अदालत में, और कब, और उसका क्या परिणाम हुआ।

(छ) क्या दरखास्त संरक्षक नियत करने या घोषित करने अन्वयस्क की जात, या सम्पत्ति, या दोनों के लिये है।

(ज) जब दरखास्त संरक्षक नियत करने के वास्ते हो तो निर्धारित संरक्षक की योग्यता।

(झ) जब दरखास्त संरक्षक का इस्तक़ार करने की हो तो वह कारण जिन पर वह संरक्षक होने का दावेदार हो।

(ट) वह कारण जिनकी वजह से दरखास्त देने की आवश्यकता पड़ी हो।

(ठ) और अन्य ऐसी बातें यदि कुछ हों जो नियत की गई हैं या आवेदन पत्र के प्रकार के विचार से जिनका लिखना आवश्यक हो।

दरखास्त के साथ निर्धारित संरक्षक की अनुमति पेश करना आवश्यक होता है और उस पर उस संरक्षक के हस्ताक्षर और दो व्यक्तियों की गवाही होना जरूरी है।

दरखास्त की तसदीक और उस पर पेश करने वाले के हस्ताक्षर उसी प्रकार होते हैं जैसे वादपत्र पर।

(२) अन्वयस्क के पिता की ओर से संरक्षक बनने की दरखास्त

(अ) अन्वयस्क का नाम नित्यानन्द है, वह पुरुष है, उसका धर्म हिन्दू है।

जन्म होने की तारीख २८ दिसम्बर सन् १९..... है और उसका साधारण निवास स्थान श.हजहाँपुर है -

(वं) अवयस्क को सम्पत्ति का विवरण नीचे लिखे अनुसार है —

इक मकान स्थान शाहजहाँपुर मूल्य ४०००) ६० सम्पत्ति
जमींदारी नूरपुर तहसीलबदायूँ १००००) ६० (सारी सम्पत्ति क्रमानुसार दी
जावे और उसकी कीमत लिखी जावे ।)

अवयस्क के ऊपर इस प्रकार ऋण है—

(यहाँ पर ऋण और उसका पूर्ण विवरण लिखना चाहिये) ।

(क) प्रार्थी शाहजहाँपुर में रहता है और अवयस्क की ज्ञात और जायदाद
दोनों की रक्षा करता है और उसकी सम्पत्ति पर काबिज़ है ।

(ख) प्रार्थी अवयस्क का पिता है । दूसरे निकट सम्बन्धी यह है—

(१) श्रीमती चम्पा विधवा अचलानन्द जाति ब्राह्मण निवासी शाहजहाँपुर
मुहल्ला गनिया पाड़ा—अवयस्क की मा ।

(२) रामसहाय पुत्र पूरनमल ब्राह्मण साकिन मेरठ मुहल्ला कम्बोह दरवाजा
— मामा अवयस्क ।

(ग) अवयस्क की जात या जायदाद या दोनों का संरक्षक किसी ऐसे आदमी की
ओर से नियत नहीं हुआ जो उस कानून के अनुसार जिसका नावालिग
पाबन्द है संरक्षक नियत करने का अधिकार रखता हो या अधिकार रखने का
दावा करता हो ।

(घ) किसी समय इस अदालत में या किसी और अदालत में उक्त अवयस्क की
जात या जायदाद या दोनों का संरक्षक बनाने की दरखास्त नहीं गुज़री ।

(च) यह दरखास्त अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक नियत कराने के लिये है ।

(छ) प्रार्थी संरक्षक हने की योग्यता रखता है और उसके ऊपर किसी का ऋण
नहीं है ।

(ज) यह दरखास्त इसलिए दी जाती है कि अवयस्क के ऊपर ऋण है जो
उसके नाना पर था और सम्पत्ति भी अवयस्क को उसके नाना से पहुँची है ।
(एक ऋण की डिगरी न० ११६ स्न् १६३१ अदालत जमी शाहजहाँपुर)
में जो उसके नाना के मतरूके पर अवयस्क के मुकाबले में सादिर हुई है
जायदाद जमींदारी नूरपुर की नीलाम पर चढ़ी हुई है । ऋण की अदायगी
का प्रबन्ध, बिना संरक्षक के नहीं हो सकता ।

(झ) अवयस्क किसी के साथ हिन्दू अभिवक्त कुल का सदस्य नहीं है ।

इस लिये प्रार्थना है कि प्रार्थी संरक्षक सम्पत्ति नित्यानन्द अवयस्क का नियत
किया जावे ।

हस्ताक्षर ।

तसदीक का लेख ।

स्थान ।

दिनांक ।

(३) आवेदन पत्र संरक्षक नियत किये जाने के लिये,
अवयस्क की वहीन की ओर से

(सिरनामा)

(अ) अवयस्क का नाम.....गंगाप्रसाद, चाप का नाम.....हीरा लाल, जाति तेली, निवासी अमरोहा उम्र लगभग १० वर्ष। तिथि पैदा होने की, वैसाख वदी १० सम्बत् १९६४ तदनुसार ५ मई सन् १९३७।

(ब) अवयस्क हिन्दू धर्म का अनुयायी है और पुरुष है।

(क) नावालिंग की सम्पत्ति का विवरण यह है—

(यहाँ पर अवयस्क की जायदाद का विवरण लिखा जावे)

(ख) प्रार्थिनी अवयस्क की वहीन है और अमरोहे में रहती है। उसको संरक्षक होने की योग्यता है उस पर किसी का ऋण नहीं है। अवयस्क प्रार्थिनी के साथ रहता है और प्रार्थिनी ही उसका पालन पोषण करती है।

(ग) अवयस्क के अन्य सम्बन्धी प्रार्थिनी के अतिरिक्त यह हैं—

(१) श्रीमती महतात्रो (पूरा पता लिखो) अवयस्क की दूसरी वहीन।

(२) परशादीलाल (पूरा पता लिखो) अवयस्क का ममेरा भाई।

(घ) अवयस्क की जात, जायदाद या दोनों का संरक्षक किसी ऐसे आदमी की ओर से नियत नहीं हुआ जो संरक्षक नियत करने का अधिकार या दावा रखता हो।

(च) इससे पहिले एक दरखास्त संरक्षक नियत कराने की एक पुरुष परशादी लाल ने इस अदालत में दी थी (नम्बर मुतफर्रका ३६ सन् १९४५) जो ता० १६ फरवरी सन् १९४५ को इस हुकम से फैसल हुई कि यदि उक्त परशादी लाल ५०००) रु० की जमानत तीन महीने के अन्दर दाखिल कर दे तो वह अवयस्क का संरक्षक नियत हो। वह जमानत दाखिल नहीं कर सका और उसकी दरखास्त खारिज हो गई।

(छ) यह दरखास्त किसी बली के इस्तकरार के वास्ते नहीं है।

(ज) यह दरखास्त इस लिये पेश की गयी है कि अवयस्क की जायदाद का प्रबन्ध करना है और असाभियों से लगान वसूल करना है। बिना सर्टीफिकेट संरक्षक के सम्पत्ति का उचित प्रबन्ध नहीं हो सकता और न लगान वसूल होता है जिससे अवयस्क का पालन पोषण अच्छी तरह हो सके।

(झ) यह प्रार्थना पत्र जात व जायदाद दोनों का संरक्षक नियत करने के वास्ते है। यदि किसी कारण से साथला का जायदाद का संरक्षक नियत करना उचित न

समझा जावे तो प्रार्थिनी को केवल उसकी जात का संरक्षक नियत कर दिया जावे और जायदाद से नाबालिग के खान पान और उसकी पढ़ाई के वास्ते, उचित खर्चा सम्पत्ति की आय से दिलाने की आज्ञा दी जावे ।*

(ट) अवयस्क के पिता का १५ नूलाई सन् १९४१ को देहात हुआ उसके दो साल के बाद अवयस्क की माँ मर गई । अवयस्क की सम्पत्ति का प्रबन्ध कई आदमियों के हाथ में रहा जो तहसील से सरवराकार नियत होते रहे । चार पाँच साल हुए श्रीमती मेहताबो नाबालिग की दूसरी बहन तहसील से उसकी सरवराकार नियत हुई । उसने इस समय में बहुत कुछ रुपया अवयस्क का खर्च और बर्बाद कर दिया इस लिये दरखास्त है कि प्रार्थिनी को सर्टिफिकेट संरक्षकता जात और जायदाद उक्त नाबालिग का दिया जावे ।

२८—जायदाद हस्तान्तर करने की आज्ञा के लिये आवेदनपत्र

(१) रहन सादा के लिये आज्ञा प्राप्त करने को

(धारा २६ व ३१ एक्ट = सन् १८९०)

(सिरनामा)

१—यह कि प्रार्थी (सायल) ने तारीख ३ सितम्बर सन् १९.....ई० को संरक्षकता का प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) प्राप्त किया है ।

२—अवयस्क के पिता भोजराज की २६ अपरैल सन् १९.....ई० को मृत्यु हो गई ।

३—सम्पत्ति का विवरण जो नाबालिग को अपने पिता से मिली और उसका अनुमानतः मूल्य यह है ।

(यहाँ पर सम्पत्ति का विवरण और अनुमानतः मूल्य लिखा जावे) ।

४—ऋण जो नाबालिग के बाप ने छोड़ा उसका विवरण यह है—

(यहाँ पर ऋण का विवरण मय सूद लिखना चाहिये) ।

५—सम्पत्ति की आय... रु० वार्षिक है ।

* नोट—यदि दरखास्त किसी सरक्षक के हस्तकार के वास्ते हो जो मृत्यु लेख (वसीयतनामे) या किसी दूसरे दस्तावेज के द्वारा नियत किया गया हो तो धारा (भ) इस प्रकार लिखनी चाहिये ।

“ यह दरखास्त वास्ते हस्तकार वली जात व जायदाद उक्त नाबालिग यानी दोनों के है । प्रार्थी को नाबालिग के बाप ने अपनी अन्तिम वसीयत के द्वारा उसका वली करार दिया है और उसकी कुल सम्पत्ति का प्रबन्ध प्रार्थी के सिपुर्द किया है । तहसील बसूल, किराया और सम्पत्ति का अन्य प्रबन्ध करने के लिये हस्तकार संरक्षकता की आवश्यकता है ” ।

६—कुल ऋण मय सूद के मुवलिग . . २० अदा करना है जिसका वार्षिक सूद २०००) २० होता है और कुल सम्पत्ति नष्ट हो जाने का मय है ।

७—निम्नलिखित सम्पत्ति मुवलिग२० में रहन सादा करने का विचार है जिससे कुल ऋण अदा हो जायगा और वार्षिक सूद केवल ८०) २० साल होगा ।

(यहाँ पर उस सम्पत्ति का जो रहन करना मंजूर हो विवरण दिया जावे)

८—अवयस्क की हकीयत के ऊपर एक ऋण की डिग्री जायदाद नीलाम होने के लिये हो चुकी है और उसमें तीन महीने की अवधि रुपया अदा करने के लिये मिली है यदि डिगरी अदा न होगी तो अधिक मूल्य की जायदाद नीलाम हो जाने से नावालिंग की हानि होगी ।

९—सादा रहन की कच्ची लिपि इस दरखास्त के साथ दाखिल की जाती है ।

इस लिये प्रार्थना है कि जायदाद की (जो धारा न० ७ में दी गई है) रहन सादा करने की अनुमति दी जावे ।

(२) विक्रयपत्र (वैनामे) के द्वारा

(सिरनामा)

१—सायल ने तारीख २५ मार्च सन् १९४१ ई० के अवयस्कों की सरदाकता का प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) प्राप्त किया ।

२—मेहताव सिंह, अवयस्कों के पिता का १२ फरवरी सन् १९३१ ई० के देहात हुआ ।

३—मेहतावसिंह ने निम्नलिखित सम्पत्ति छोड़ी—

(यहाँ पर सम्पत्ति का विवरण अनुमानतः मूल्य सहित लिखा जावे) ।

४—मेहतावसिंह ने निम्नलिखित ऋण छोड़े—

(यहाँ पर ऋणों की तफसील दी जावे और उसमें यह भी दिखलाया जावे कि उनका सूद क्या होता था और यदि उनके आधार पर डिगरी इत्यादि हुई हों तो उनमें क्या कार्रवाई हो रही है) ।

५—वार्षिक आय और व्यय का हिसाब यह है—

६—सम्पत्ति का विवरण जो इस समय अधिकार में हो और हर जायदाद की आमदनी—

७—तफसील ऋण की जो अब अदा करने को हो और उसका वार्षिक सूद—

८—सम्पत्ति का विवरण जिसके विक्रय (वैनै) करने की दरखास्त हो उसकी आय और नियत मूल्य के सहित—

६—विक्रय करने से लाभ जो अवयवों का हो लिखा जावे—(जैसे थोड़ी जायदाद विक्रय करने से बाकी जायदाद बच जाती हो और अवयवों के पालन पोषण के लिये पर्याप्त आय रह जाती हो) ।

१०—बैनामा की कच्ची लिपि आवेदन पत्र के साथ दाखिल की जाती है ।

११—ऋण के दस्तावेजों की नकल यदि कोई हों, दाखिल की जावें ।

इस लिए प्रार्थना है कि ऊपर लिखी जायदाद के विक्रय करने की अनुमति दी जावे ।

२६—दरखास्त, संरक्षक के हटाए जाने के लिये

(धारा ३६ एक्ट ८ सन् १८९०)*

(सिरनामा)

१—प्रार्थी भोजराम नाबालिग का सगा मामा है और विरुद्ध पक्ष उक्त नाबालिग का चार्टिकेट प्राप्त संरक्षक है और अदालत से उसके हक में संरक्षकता का प्रमाण पत्र तारीख.....के सादिर हुआ था ।

२—विरुद्ध पक्ष की उम्र अब ६० साल से ऊपर है वह बहुत कमजोर है और आँखों से कम दिखाई पड़ता है जिसके कारण वह अब संरक्षक का काम करने योग्य नहीं है ।

३—विरुद्ध पक्ष उक्त जायदाद के इन्तजाम में बहुत भूल और ढील करता है जिसके कारण से अवयव की जायदाद के असामियों पर लगान की बाकी बढ़ गई है और कुछ में अवधि समाप्त हो चुकी है ।

४—उक्त संरक्षक उक्त अवयव के पढ़ने लिखने का उचित प्रबंध नहीं करता । अवयव की उम्र १५ साल के लगभग है और वह अब तक मामूली पढ़ना लिखना नहीं सीख सका ।

नोट *—वह कारण जिनके आधार पर संरक्षक हटाए जाने की, दरखास्त दी जा सकती है एक्ट ८ सन् १८९० ई० की धारा ३६ में दिये हुए हैं । जिस वजह पर आवेदन पत्र देना मंजूर हो वही वजह ऊपर के नमूने में लिखी जा सकती है । प्रार्थना पत्र का रूप ऊपर लिखे हुए के अनुसार होगा ।

३०—उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सार्टिफिकेट विरासत)

(Succession Certificate)

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र धारा २७२ एक्ट ३६ सन् १९२५ के अनुसार जिला जज की अदालत में पेश होता है और उसमें हस्ताक्षर और तसदीक उसी प्रकार होती है जैसे कि व्यवहार विधि सग्रह के अनुसार वाद पत्र पर और उसमें निम्नलिखित बातें लिखी होनी चाहिये—

- (अ) मृतक के मरने की तारीख ।
- (ब) मरने के समय मृतक का साधारण निवासस्थान और यदि ऐसा निवास स्थान उस अदालत के अधिकार की भूमि सीमा के अन्दर न हो जिसमें कि आवेदन पत्र दिया जावे, तो मृतक की वह जायदाद जो उस सीमा के अन्दर स्थित हो ।
- (ज) मृतक के कुटुम्बी और दूसरे निकट सम्बन्धी और उनके पृथक् २ निवास स्थान ।
- (द) वह स्वत्व जिसके द्वारा प्रार्थी दावेदार हो ।
- (ह) किसी ऐसी रक़ावट का उपस्थित न होना, जो धारा ३७० एक्ट के अनुसार उक्त या किसी और क़ानून के, सार्टिफिकेट दिये जाने को वर्जित करती हो या दिये जाने पर उसके अवैध बनाती हो ।
- (ब) श्रृण व किफालत जिनकी निसबत सार्टिफिकेट की दरखास्त हो ।

(श्रृण का विवरण)

उक्त एक्ट की धारा ३८३ में वह सब कारण लिखे हैं जिनके आधार पर दिया हुआ सार्टिफिकेट वापिस हो सकता है और वह यह हैं—

- (अ) यह कि कार्यवाई प्राप्त करने सार्टिफिकेट की वास्तव में दूषित थी ।
- (ब) यह कि सार्टिफिकेट शलत बयानों से या अदालत से विशेष घटनाओं का छिपा कर धोखे से प्राप्त किया गया ।
- (ज) यह कि सार्टिफिकेट एक असत्य घटना बयान करके जो सार्टिफिकेट के दिये जाने के लिये आवश्यक हो प्राप्त किया गया चाहे ऐसा बयान अज्ञानता या लापरवाही से किया गया हो ।
- (द) यह कि अन्य घटनाओं के कारण सार्टिफिकेट बेकार और निकम्मा हो गया है ।
- (ह) यह कि किसी अधिकार युक्त अदालत की डिगरी या हुक्म के विचार से जो किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही में, उस जायदाद के सम्बन्ध में जिसमें कर्ज व किफालत मुन्दर्जे सार्टिफिकेट, सादिर हो चुकी है, उचित यह है कि सार्टिफिकेट मसूख कर दिया जावे ।

जो आवेदन पत्र सार्टिफिकेट की मंजूरी का दिया जावे वह ऊपर लिखे कारणों में से एक या एक से अधिक के आधार पर होना चाहिये ।

(१) उत्तराधिकार के सार्टिफिकेट के लिये आवेदन-पत्र

(सिरनामा)

१—प्रार्थी के पिता मल्लू ने तारीख १ जून सन् १९२८ ई० को देहान्त किया ।

२—मरते समय मृतक का निवास स्थान मौजा पला जिला बुलन्द शहर में था ।

३—उमराव, मुहम्मद अमीर, अताउल्ला सगे भाई और मुसम्मात महबूबन सगी बहन प्रार्थी की हैं और वह पला जिला बुलन्दशहर में रहते हैं सिवाय उनके और कोई कंरीबी रिश्तेदार मृतक का नहीं है ।

४—प्रार्थी मृतक मल्लू का बेटा है और अपने बहन भाइयों के साथ उसका उत्तराधिकारी है ।

५—इन कर्जों के निस्वत कोई इक. प्रोवेट या प्रबन्धक पत्रों से भारतीय उत्तराधिकार विधान सन् १९२५ ई० के अनुसार साबित नहीं किया गया और कोई रुकावट उक्त एक्ट के अनुसार या किसी दूसरे कानून के अनुसार सार्टिफिकेट दिये जाने या उसके जायज़ होने में है ।

६—प्रार्थी के तीनों भाई और बहन जिनके नाम धारा ३ में दर्ज हैं अकेले प्रार्थी के नाम सार्टिफिकेट दिये जाने में सहमत हैं ।

७—उन कर्जों का विवरण, जिनके सम्बन्ध में दरखास्त की जाती है यह है —

(यहाँ पर कर्जों का विवरण दिया जावे और उसमें कर्जदारों का नाम और दस्तावेज इत्यादि का पूरा २ पता दिया जावे) ।

(२) दरखास्त वापसी या मंजूरी सार्टिफिकेट विरासत

(सिरनामा)

१—ता०.....महीना.....सन्.....को विरुद्ध पक्ष ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सार्टिफिकेट) मृतक चुन्नी लाल की छोड़ी हुई सम्पत्ति का प्राप्त किया ।

२—सार्टिफिकेट प्राप्त करने की दरखास्त में विरुद्ध पक्ष ने यह बयान किया कि मृतक चुन्नीलाल अविभक्त कुल का सदस्य नहीं था और वह सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में प्रमाण पत्र मिला चुन्नीलाल की पैदा की हुई है और वह चुन्नीलाल के सगे भाई, मंसुख का लड़का है और मृतक का भतीजा होने की हैसियत से उसका उत्तराधिकारी है ।

३—वास्तव में मृतक चुन्नीलाल हिन्दू अविभक्त कुल का सदस्य था जिसके दोनों स सदस्य हैं और सार्टिफिकेट में वर्णित सम्पत्ति, अविभक्त कुल की सम्पत्ति है ।

४—यह कि प्रमाण पत्र के लिये आवेदन-पत्र में विरुद्ध पक्ष ने प्रार्थी का नाम सम्बन्धियों की सूची में नहीं दिखलाया। प्रार्थी चुन्नीलाल का सगा भतीजा है और सदस्य अविभक्त कुल होते हुए उसके साथ रहता था।

५—यह कि प्रार्थी अवयस्क है। उसको या उसकी संरक्षिका को कोई सूचना प्रमाण पत्र या उसके दिये जाने की नहीं हुई और विरुद्ध पक्ष ने फरेब से प्रार्थी की रिश्तेदारी और स्वत्व को छिपा कर सार्टिफिकेट अकेले प्राप्त कर लिया।

इस लिये प्रार्थना है कि उक्त प्रमाणपत्र रद्द और मसूख कर दिया जावे।

३१—रूपया दाखिल करने के लिये दरखास्त

(धारा ८३ सम्पत्ति परिवर्तन विधान, एक्ट ४ सन् १८२९)

(१) राहिन की ओर से

(सिरनामा)

१— प्रार्थी ने आढ़ पत्र (रहननामा) २५ फरवरी सन् १९१९ ई० के द्वारा अपनी हकीयत ज़मींदारी मौजा बहलूलपुर परगना सोरो जिला ऐटा की, मुजलिग २०००) रुपये के बदले में पास हनूमान सिंह विरुद्ध पक्ष के पिता के नाम रहन दखली की और सूद व लाभ बराबर ठहरा।

२—तारीख रहन से हनूमानसिंह और उसके मरने के बाद से विरुद्ध पक्ष हकीयत पर रहन ग्रहीता (मुतहिन) की हैसियत से काबिज़ हैं।

३— रहननामे की शर्त के अनुसार रहन का रूपया अखीर माह जेष्ठ में विरुद्ध पक्ष को दिया जाने के लिये रहन छुड़ाने के वास्ते अदालत में दाखिल किया गया है।

इस लिये प्रार्थना है कि उक्त मतालना विरुद्ध पक्ष को रहननामा २५ फरवरी सन् १९१९ ई० की बेवाक़ी में दे दिया जावे और उक्त दस्तावेज उस पर बेवाक़ी के लिखाये जाने के बाद प्रार्थी को दिला दिया जावे।

(२) जायदाद के खरीदार की ओर से

(रहननामा)

१— विरुद्ध पक्ष के पास सादा रहननामा तारीख ११ माह जून सन् १९३१ ई० के द्वारा हकीयत ज़मींदारी मौजा अशरी परगना अहार, मिर्ज़ा शहजाब बेग की ओर से २०००) रुपये में रहन सादा है।

२—उक्त दस्तावेज के रुपये में से २५) रुपये ता० १३ जून सन् १९३७ और ४०) रुपये ता० २४ मई सन् १९३३ को अदा हो चुके हैं ।

३ - मिर्जा शहवाज बेग ने उक्त हकीयत को अपनी और दूसरी हकीयत के साथ प्रार्थी के हाथ नैनामे के द्वारा मुवरिखी २१ जून सन् १९३६ को बेच दिया है और २८५८) रुपये प्रार्थी के पास ११ जून १९३१ के रहननामे के बाकी मतालबे के अदा करने के वास्ते अमानत छोड़ा है ।

४—मतालबा रहननामा ११ जून १९३१ ई० का मय सूद आज की तारीख तक मुबलिग २२५२) रुपये होता है । वह इस आवेदन पत्र के साथ दाखिल किया जाता है ।

इसलिये प्रार्थना है कि उक्त मतालबा त्रिपक्षी को रहननामा ११ जून सन् १९३१ की बेबाकी में दे दिया जावे और उक्त दस्तावेज बाद तहरीर बेबाकी प्रार्थी को दिल जा जावे ।

(३) रहनकर्ता की ओर से, स्वयं अपने और अन्य रहनकर्ताओं के उत्तराधिकारी होने पर

(सिरनामा)

१—रहननामा १३ जून सन् १९३७ के द्वारा प्रार्थी और उसके दो सगे भाई हरदेव व नेतराम ने अपनी जमींदारी २५००) रुपये में सूद लाभ बराबर पर, विरुद्ध पक्ष के पिता के पास रहन दखली की ।

२—रहन के दौरान में १५ बीघा जमीन बञ्जर जिससे कुछ लाभ रहन-अहीताओं को नहीं होता था सड़क रेल में आ गई और उसके बदले में १२५०) रुपये रहन-अहीताओं को मिल गये । अब केवल १२५०) रुपये रहन के बाकी हैं ।

३—हरदेव व नेतराम का देहांत हिन्दू अविभक्त कुल में हो गया, उनकी कोई सतान नहीं है । प्रार्थी बचे हुए सदस्य कुटुम्ब की हैसियत से कुल हकीयत का मालिक है ।

४—प्रार्थी १२५०) रुपये विरुद्ध पक्ष को १३ नवम्बर सन् १९३७ के रहननामों की बेबाकी के सम्बन्ध में दिये जाने के वास्ते दाखिल अदालत करता है ।

३२—आवेदन-पत्र, प्रोवेट व प्रबन्धक पत्रों के लिये

प्रोवेट या प्रबन्धक पत्रों (Letters of Administration) प्राप्त करने का आवेदन पत्र नत्थी किये हुये मृत्युलेख के साथ धारा २७६ एकट ३६ सन् १९२५ के अनुसार अब पेश होते हैं और इस प्रकार के आवेदन पत्र अंग्रेजी भाषा में या अन्य भाषा में जो अदालत में प्रचलित हो पेश होना चाहिये और उसके साथ असल मृत्युलेख (वसीयतनामा) पेश होना चाहिये । यदि वास्तविक मृत्युलेख मृतक के बाद गुम हो गया हो या कहीं रख जाने की वजह से न मिलता हो या किसी अनुचित कार्य या इत्फाक से जो वसीयत करने वाले का फेल न हो, नष्ट हो गया हो तो मृत्युलेख की नकल या उसकी कच्चीलिपि यदि मौजूद हो तो पेश की जा सकती है । यदि नकल या कच्चीलिपि मौजूद न हो तो मृत्युलेख के समाविष्ट विषय (मजमून)की तहरीर पेश की जा सकती है ।

आवेदनपत्र में नीचे लिखी बातें दर्ज होंगी ।

- (अ) वसीयत करने वाले के मरने की तारीख ।
- (ब) यह कि नत्थी की हुई उसकी अन्तिम वसीयत है ।
- (क) यह कि वह नियमानुसार लिखी गई ।
- (ख) तर्कों की मालियत जो अनुमान से प्रार्थी के हाथ में आवेगा ।
- (ग) जब निवेदन-पत्र प्रोवेट के वास्ते हो तो यह कि प्रार्थी मृत्युलेख में लिखा हुआ प्रबन्धक (Executor) है ।

इन बातों के अतिरिक्त आवेदन पत्र में यह भी लिखा जावेगा—

- (अ) जब आवेदनपत्र डिसट्रिक्ट जज के यहाँ दिया जावे तो, यह कि मृतक मरते समय जज के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर रथाई निवास स्थान या कोई जायदाद रखता था ।
- (ब) जब आवेदनपत्र किसी डिसट्रिक्ट डेलीगेट के यहाँ दी जावे, तो यह कि मृतक मरते समय ऐसे डेलीगेट की भूमि सीमा अधिकार के अन्दर रथाई निवास स्थान रखता था ।

जब आवेदनपत्र डिसट्रिक्ट जज के यहाँ दिया जावे और कोई भाग जायदाद का, जो अनुमान से प्रार्थी के कब्जे में आने का है दूसरे प्रान्त में है तो आवेदनपत्र में यह भी लिखना होगा कि हर एक प्रान्त की जायदाद की सख्या क्या है और कौन कौन से डिसट्रिक्ट जजों के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर वह जायदाद है ।

२ दि प्रोवेट का प्रचार कुल भारत संघ (Indian Union) में कराना मंजूर हो तो धारा १९६ के अनुसार निवेदन पत्र में यह भी लिखना आवश्यक है कि प्रार्थी को जहाँ तक विश्वास है कोई दूसरी दरखास्त किसी दूसरी अदालत में प्रोवेट के वास्ते नहीं दी गई और यदि कोई ऐसी दरखास्त दी गई तो किस अदालत में और किस व्यक्ति या व्यक्तियों ने और उस पर क्या कार्रवाई हुई ।

(१) प्रोबेट के लिये दरखास्त मृत्युलेख (वसीयतनामा) सहित

न्यायालय..... (नाम)..... ।

न० मुकदमा.....सन्..... ।

रामलाल पुत्र श्यामलाल ब्राह्मण सा० मौजा डिबाई जिला बुलन्द शहर.....
प्रार्थी ।

धारा २७६ एक्ट ३९ सन् १९२५ के अनुसार उक्त रामलाल यह दरखास्त दाखिल करके निवेदन करता है कि—

१—प्रार्थी के चचा मोहनलाल की १७ मई सन् १९३३ ई० का मृत्यु हुई ।

२—मृत्युलेख वसीयतनामा जो इस दरखास्त के साथ पेश किया जाता है वह मृतक मोहनलाल की अन्तिम वसीयत है ।

३—इस मृत्युलेख को मृतक ने नियमानुसार लिखा और पूरा किया और उसकी रजिस्ट्री कराई ।

४—उसकी मृत सम्पत्ति (मतरुका) लगभग ११०००) रु० की मालियत की है जो कि प्रार्थी के हाथ में आवेगी ।

५—प्रार्थी प्रबन्धकर्ता (Executor) मुन्दर्जा वसीयतनामा है ।

६—मृतक की साधारण रहने का स्थान डिबाई में था और वही उसकी मृत सम्पत्ति स्थित है जो कि अदालत के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर है ।

७—इससे पहिले प्रोबेट के लिये कोई निवेदन पत्र किसी अदालत में किसी आदमी की ओर से जहाँ तक प्रार्थी को विश्वास है नहीं उपस्थित किया गया ।

इसलिए प्रार्थना है कि प्रार्थी को उक्त वसीयतनामे का प्रोबेट प्रदान किया जावे ।

(२) इसी प्रकार की दूसरी दरखास्त जब मृत्यु लेख की

प्रमाणित प्रति लिपि दाखिल की जावे

अदालत जिला जज बनारस ।

न० मुकदमा .. . सन् ... ई० ।

श्रीमती रामदेवी विधवा पंडित हरविलास ब्राह्मण साकिन मुहल्ला रामपुरा शहर बनारस—प्रार्थिनी ।

१—पंडित हरविलास की ता० २ जून सन् १९४० ई० को बर्दवान बंगाल प्रान्त में मृत्यु हुई ।

२—मृत्यु के समय मृतक का साधारण निवास स्थान न० १४४ मुहल्ला रामपुरा बनारस था जहाँ पर वह सरकारी नौकरी से पेंशन लेने के बाद स्थायी रूप से रहने लगे थे । इसके अतिरिक्त उन्होंने बनारस में सम्पत्ति छोड़ी जो अदालत की भूमि सीमा के अन्दर है ।

३—लेख-पत्र जो इस आवेदन पत्र के साथ नत्थी है वह मृतक के अन्तिम वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि (नकल) है जो उसने जूलाई सन् १९३१ ई० को नियम पूर्वक लिखी और ३ जूलाई सन् १९३१ ई० को रजिस्ट्री कराई ।

४—प्रार्थिनी मृतक की विधवा है और मृत्युलेख में प्रबन्धक नियत की गई है उसके अतिरिक्त मृतक ने निम्नलिखित संबन्धी छोड़े हैं—

(अ) पं० रामविलास मृतक का सगा भाई सत्र इन्स्पेक्टर पुलिस जैसवार (बगाल) ।

(ब) पं० मोहनी विलास पुत्र, पं० धनविलास मृतक का भतीजा बर्लक टेलीग्राफ आफिस बनारस ।

५—मृतक की सम्पत्ति जो अनुमान से प्रार्थिनी के हाथ में आवेगी उसका मूल्य लगभग ३६७३) ४० है इसमें से ५००) ४० की जायदाद प्रान्त बगाल में डिस्ट्रिक्ट जैसोर के इलाके के अन्दर है । कुल सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया हुआ है ।

६—मृतक प्रार्थिनी के साथ सितम्बर सन् १९३६ ई० में कलकत्ते इलाज कराने गया था और वसीयतनामे व और दूसरे कागजों को अपने साथ लेता गया था । बापिसी के समय बनारस में लगे होने के कारण अपने भाई रामविलास के मकान पर बर्दवान में ठहर गया और वहीं उसकी मृत्यु हुई । प्रार्थिनी क्रियाकर्म के लिये बनारस आई और जब क्रिया कर्म करने के पश्चात् सामान और कागज लेने को बर्दवान गई तो बहुत हूँदने पर भी कागज पत्र और वसीयतनामा नहीं मिले । इसलिये प्रार्थिनी ने जान्ते की नकल प्राप्त करली है जो इस आवेदन पत्र के साथ पेश की जाती है ।

७—जहाँ तक प्रार्थिनी को विश्वास है इससे पहिले कोई आवेदन पत्र मृतक की सम्पत्ति के प्रोवेत या प्रबन्धक-पत्र के वास्ते इस अदालत में या किसी दूसरी अदालत में नहीं उपस्थित किया गया ।

इसलिये प्रार्थिनी है कि प्रोवेत मय नत्थी की हुई नकल ज्ञान्ता वसीयतनामे के, जिसका प्रचार सारे भारत संघ में हो, मृतक की जायदाद के प्रबन्ध के लिये प्रार्थिनी को दिया जावे ।

(३) दरखास्त प्रबन्धक पत्रों के लिये (चिट्ठियात एहतमाम) *

(धारा २७८ एक्ट ३६ सन् १९२५)

(सिरनामा)

१—इस प्रकार की दरखास्त में निम्नलिखित बातें दर्ज करनी होती है ।

* नोट १—जब कि दरखास्त डिस्ट्रिक्ट जन के यहाँ हो और कोई भाग जायदाद का जो प्रार्थी के हाथ में अनुमान से आने को हो दूसरे प्रान्त में हो तो दरखास्त में यह बात लिखी जावेगी कि ऐसी जायदाद की कितनी संख्या प्रत्येक प्रान्त में है और कौन २ डिस्ट्रिक्ट जनों की भूमि सीमा अधिकार के अन्दर वह जायदाद स्थित है ।

(अ) समय और स्थान मृतक के मरने का—

(ब) मृतक के कुटुम्बी और अन्य सम्बन्धी और उनके निवास स्थान ।

(ज) वह स्वत्व जिसके द्वारा प्रार्थी दावेदार हो ।

(द) यह कि मृतक ने कुछ जायदाद डिसट्रिक्ट जज (या डिसट्रिक्ट डेलीगेट) की भूमि सीमा अधिकार के अन्दर जिसके यहाँ दरखास्त पेश की जावेगी छोड़ी ।

(ह) और जायदाद की मूल्य संख्या जो अनुमान से प्रार्थी के हाथ में आने को हो (और जब कि निवेदन पत्र डिसट्रिक्ट डेलीगेट के यहाँ है तो निवेदन पत्र में यह भी लिखा जावेगा की मृतक मरते समय ऐसे डेलीगेट के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर निवास स्थान रखता था ।) *

(४) प्रबन्धक पत्र प्राप्त करने के वास्ते आवेदन पत्र

(सिरनामा)

१—प्यारे लाल प्रार्थी के चचेरे भाई ने इटावा में तारीख ५ अगस्त सन् १९३७ को देहांत किया । मृतक के कुटुम्बी और दूसरे सम्बन्धी और उनके निवास स्थान नीचे लिखे हैं :—

(अ) मानसिंह पुत्र चेतसिंह जाति जाट साकिन नगले भोजा, तहसील खैर, जिला वदायूँ—मृतक का चचेरा भाई ।

(ब) रामसहाय बल्द इन्दरमन जाति जाट साकिन रामनगर परगना जलोसर जिला एटा—मृतक का कुटुम्बी भतीजा ।

२—प्रार्थी मृतक का उत्तराधिकारी निम्नलिखित वंशावली के अनुसार है और उसका अधिकार दूसरे रिश्तेदारों के मुकाबले में अधिक है ।

(यहाँ पर वंशावली दी जावे)

३—संपत्ति (तर्का) जो अनुमान से प्रार्थी के हाथ में आने को है, उसकी मालियत प्रायः.....रुपये है और उसका विवरण नीचे दिया हुआ है ।

४—मृतक का साधारण निवास स्थान एटा में था और वहाँ पर उसकी जायदाद जमींदारी और मकानात भी हैं जो इस अदालत के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर है ।

* नोट २- यदि प्रबन्धक-पत्रों का प्रचार कुल भारत संघ में कराना मंजूर हो तो उक्त एक्ट की धारा २७९ के अनुसार यह भी लिखना आवश्यक है कि जहाँ तक प्रार्थी का विश्वास है कोई दूसरा आवेदन-पत्र किसी दूसरी अदालत में प्रबन्धक पत्र प्राप्त करने के वास्ते नहीं उपस्थित किया गया और यदि किया गया तो किस अदालत में और किस व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से और उस पर क्या कार्रवाई हुई ।

५—इससे पहिले कोई निवेदन पत्र प्रोबेट या प्रबन्धक पत्रों के वास्ते किसी अदालत में उपस्थित नहीं किया गया ।

इस लिये प्रार्थना है कि प्रार्थी को मृतक प्यारे लाल की सम्पत्ति के प्रबन्धक पत्र दिये जावें ।

(जायदाद का विवरण)

३३—इन्साल्वेन्सी (देवालियापन)

(षट् ५ सन् १९२०)

देवालिया (Insolvent) करार दिये जाने की दरखास्त धारा १३ षट् ५ सन् १९२० के अनुसार ऋणी और महाजन (मदयून और दायन) दोनों की ओर से लग सकती है । ऋणी के निवेदन पत्र में नीचे लिखी बातें लिखनी होती हैं ।

- (अ) यह बयान कि ऋणी अपना ऋण अदा करने के योग्य नहीं हैं ।
- (ब) वह स्थान जहाँ वह साधारण रूप से रहता हो या कारोबार करता हो या काम के लिये स्वयं काम करता हो या यदि वह गिरफ्तार या कैद हो गया हो तो वह जगह जहाँ वह हिरासत में हो ।
- (ज) न्यायालय (यदि कोई हो) जिसकी आज्ञा से गिरफ्तार या कैद हुआ हो या जिसने उसकी सम्पत्ति की कुर्की का हुक्म दिया हो उस डिगरी के विवरण सहित जिसके सम्बन्ध में ऐसा हुक्म हुआ हो ।
- (द) कुल ऋणों की संख्या और विवरण जो उसके जुम्मे हों, लेनदारों के निवास स्थान समेत जहाँ तक मालूम हों या उचित सावधानी काम में लाने से मालूम हो सकते हैं ।
- (ह) संख्या और विवरण उसकी कुल सम्पत्ति का जिसमें—
 - (१) अनुमानतः मूल्य ऐसी जायदाद का जो नकदी रूप में न हो दिया जावे ।
 - (२) उस स्थान या स्थानों के सहित, जहाँ वह जायदाद मिल सकती हो ।
 - (३) अपनी सहमत का लेख कि वह ऐसी कुल जायदाद को अदालत के अधिकार में देने को तत्पर है सिवाय ऐसी चीजों के (बही खाते को छोड़ कर) जो व्यवहार विधि संग्रह सन् १९०८ या किसी अन्य विधान के अनुसार जो उस समय प्रचलित हो इजराय डिगरी में कुर्की और नीलाम से छूटा हो, लिखी जावे ।
- (व) यह बयान कि मदयून ने पहिले किसी समय कोई दरखास्त इन्साल्वेन्ट करार दिये जाने की दी है या नहीं और (जहाँ ऐसी दरखास्त गुज़र चुकी हो) तो—

- (१) यदि वह दरखास्त खारिज हो चुकी हो तो खारिज होने का कारण ।
- (२) यदि ऋणी इन्सालवेन्ट करार दिया जा चुका हो तो इन्सालवेन्ट का संक्षिप्त विवरण और यदि इन्सालवेन्ट मनसूख करदी गई हो तो उसका कारण ।

प्रत्येक पत्र इन्सालवेन्ट की हेतु आवेदन पत्र में, जो एक या कई लेनदारों की ओर से दिया जावे वह सब बाते दर्ज होंगी जो ऊपर धारा (ब) में लिखी हैं और नीचे लिखी बाते भी दर्ज होंगी ।

- (१) वह इन्सालवेन्ट का काम जो ऋणी ने किया हो और उसके करने की तारीख ।
- (२) संख्या और विवरण उन दावों का जो ऐसे ऋणी के विरुद्ध हैं ।

धारा १० एक्ट ५ सन् १९२० के अनुसार किसी ऋणी को इन्सालवेन्ट की दरखास्त पेश करने का अधिकार नहीं होता जब तक कि वह अपना ऋण चुकाने के अयोग्य न हो और उसका ऋण ५००) ६० से कम न हो या वह किसी अदालत की डिगरी की इजराय में जो अदायगी रुपये के वास्ते हो गिरफ्तार या कैद किया गया हो या ऐसी डिगरी के इजराय में कुर्की का हुकम हो गया हो और वह हुकम उसकी जायदाद के ऊपर स्थित हो । इस लिये जो आवेदन-पत्र ऋणी की ओर से दिया जावे उसमें यह ऊपर लिखी बाते भी लिखनी होती हैं ।

धारा ६ एक्ट ५ सन् १९२० के अनुसार किसी लेनदार को अपने देनदार की वाजत इन्सालवेन्ट की दरखास्त देने का अधिकार नहीं होता जब तक कि.....

- (अ) ऋण लेनदार का देनदार के ऊपर या यदि दो या दो से अधिक लेनदार दरखास्त में शामिल हों तो उन सब का लेना ऋण ५००) ६० से कम न हो । और
- (ब) ऋण की सख्यों नियत हो और वह उस समय या किसी अगले नियत समय पर देने योग्य होता हो ।
- (ज) इन्सालवेन्ट का अन्य कार्य जिसके आधार पर दरखास्त दी जाती हो, दरखास्त देने की तारीख से ३ महीने के अन्दर हुआ हो ।

इस लिये जो दरखास्त लेनदार की ओर से दी जावे उसमें ऊपर लिखी बाते भी लिखना चाहिये ।

एक्ट ५ सन् १९२० की धारा ६ में वह कार्य लिखे हैं जिनका करना इन्सालवेन्ट का काम कहा जाता है । लेनदार की दरखास्तों में उनमें से जो काम देनदार ने किये हैं वह लिखना चाहिये ।

(१) ऋणी की ओर से आवेदन-पत्र

अदालत जन खफीफा बरेली ।

रामलाल पुत्र सोहनलाल जाति खत्री निवासी रामपुर ज़िला बरेली ।.....

.....प्रार्थी ।

उक्त प्रार्थी दरखास्त धारा १० एक्ट ५, १९२० के अनुसार पेश करता है और आवेदन करता है कि—

१ - प्रार्थी मौजा रामपुर जिला बरेली में इस अदालत के अधिकार की भूमि सीमा के अन्दर आदत और रुई खरीदने व बेचने का काम करता था ।

२—प्रार्थी को व्यापार मे हानि हुई और उसके ऊपर २४००] रु० का ऋण हो गया ।

३—ऋण की संख्या और तफसील जो प्रार्थी को देना है लेनदारों के नाम और पते सहित जहाँ तक प्रार्थी को मालूम हैं (या उचित सावधानी और खोज से निश्चय हो सके हैं) परिशिष्ट (अ) मे जो इस दरखास्त के साथ नथी है दिये हुए हैं ।

४—प्रार्थी अपने जुम्मे का ऋण चुकाने के योग्य नहीं हैं ।

५—जो सम्पत्ति प्रार्थी के पास सिवाय नकदी के है उसकी संख्या व तफसील और अनुमानतः मूल्य और उस जगह का पता जहाँ उक्त जायदाद मिल सकती है परिशिष्ट (ब) में जो इस दरखास्त के साथ नथी है दर्ज है ।

६—प्रार्थी उस कुल जायदाद को अदालत को सुपुर्दगी और अधिकार में देने को तैयार है । प्रार्थी निवेदन करता है कि देवालिया करार दिया जावे ।

परिशिष्ट (अ)

परिशिष्ट (ब)

स्थान व हस्ताक्षर
व प्रमाण लेख

हस्ताक्षर प्रार्थी
तारीख

(२) आवेदन पत्र जब गिरफ्तारी या कैद हो चुकी हो
या कुर्बी का हुक्म हो गया हो

(शीर्षक नमूना न० १ के अनुसार)

१ प्रार्थी अपने जिम्मे का कर्जा चुकाने के योग्य नहीं है ।

२—प्रार्थी का साधारण निवास स्थान कस्बे देवबन्द में है और उसी जगह वह कारोबार दुकानदारी करता है ।

३—प्रार्थी का सामान दूकानदारी डिगरी नम्बरी.....सन्.....अदालत..... की इजराय में अदालत.....से मुकदमा इजराय नम्बरी.....सन्.....कुर्क हो गया है और हुकम कुर्को कायम है ।

(यदि गिरफ्तारी या कैद हो तो लिखना चाहिये कि) प्रार्थी डिगरी नम्बर..... सन्.....अदालत.....के इजराय में अदालत.....से बमुकदमा इजराय डिगरी नम्बरी.....सन् ...गिरफ्तार या कैद हुआ है और मुकाम ...जेलखाने में मौजूद है ।

४—तादाद और तफसील कर्जों की जो प्रार्थी को देना है लेनदारों के नाम और पते के सहित जहाँ तक उसको मालूम हैं या खोज और उचित तलाश से मालूम हो सके हैं दरखास्त के नीचे परिशिष्ट (अ) में दिया गया है और उनका जोड़ ५००) ६० से ऊपर है ।

५—संख्या व विवरण कुल जायदाद की जो प्रार्थी के पास है और उसका अनुमानित मूल्य और स्थान जहाँ वह मौजूद है नीचे दिये हुए परिशिष्ट (ब) में दर्ज है और साथल उस जायदाद को अदालत की सुपुर्दगी और अधिकार में देने का तत्पर है ।

६—प्रार्थी ने इससे पहिले कोई दरखास्त देवालिया करार दिये जाने की नहीं दी । इस लिये प्रार्थना है कि प्रार्थी इन्सालवेंट करार दिया जावे ।

(३) दरखास्त लेनदारों की ओर से (सिरनामा)

१—रामभरोस पुत्र तिरबेनी सहाय जाति ब्राह्मण निवासी मैनपुरी कारोबार व्यापार कपड़े का शहर मैनपुरी में तिरबेनी सहाय रामभरोस के नाम से करता था । उक्त रामभरोस इजराय डिगरी नम्बरी २०३ सन् १९३६ ई० अदालत सिविलजन्नी मैनपुरी भोलानाथ डिगरी-दार बनाम रामभरोस मद्यून में गिरफ्तार हो कर जेलखाने मैनपुरी में कैद है ।

२—उक्त रामभरोस ने दो महीने के लगभग हुए अपनी कपड़े की दूकान उठा दी और अपने लेनदारों को कर्जा अदा करना बन्द कर दिया और तारीख १५ नवम्बर सन् १९४१ ई० को गिरफ्तार हो कर कैद हो गया । यह दरखास्त उस तारीख से तीन महीने के अन्दर है ।

३—भोलानाथ की डिगरी नम्बरी २०३ सन् १९३६ ई० का मतालिबा ३४७॥३) है और रामदयाल की डिगरी का मतालिबा ३७२॥३) है और दोनों की तादाद ५००) ६० से ज्यादा है ।

४—उक्त रामभरोस के ऊपर और कर्जों भी हैं जिनका ठीक पता प्रार्थी को नहीं है ।

५—उक्त रामभरोस की आर्थिक दशा अरुद्धी नहीं है और वह अपना कर्जा चुकाने के योग्य नहीं है ।

इस लिये प्रार्थना है की उक्त रामभरोस इन्सालवेंट घोषित किया जावे ।

॥ इति शुभम् ॥

पर्यायवाची शब्द सूची

ENGLISH

HINDI

URDU

A

Abandonment	स्वत्व विसर्जन	तर्क हक
Abatement	नष्ट हो जाना	सकूत, रफा करना
Abduction	हरण	जबरदस्ती ले भागना
Abetment	अपराधार्थ प्रोत्साहन	तरगीब जुर्म
Abettor } Abettor }	प्रोत्साहक	तरगीब कुनिन्दा
Absconder	पलायित, भगोड़ा	फरार, फरार हुआ
Absolute decree	पूर्ण या अन्तिम डिगरी	कतई डिगरी
Abstract	सार	इन्तखान, खुलासा
Acceptance	स्वीकारी, स्वीकृत	कबूल करना, मंजूर करना
Accessory	अंगीकारी, हुन्डी सिकारना	शरीक जुर्म
Accident	सहायक, अपराध सहकारी	हादसा, वाकया
Accomplice	दुर्घटना	शरीक जुर्म
Account, Action of	सह अपराधी	नालिश हिसाब फहमी
„ Rendition of	हिसाब देने का आवेदन	„
Accused	हिसाब देना	„
Acknowledgment	अभियुक्त	मुलाजिम
Acquiescence	स्वीकृति	इकबाल
Acquit	सहमति, मौन सम्मति	तसलीम बिल सकूत रजा
Act of indemnity	मुक्त करना	रिहा करना, बरी करना
„ of bankruptcy	न्याय विरुद्ध कार्य	इफत्राल खिलाफ कानून
	देवालिया होने का कार्य	इफत्राल जिनसे देवालिया होने का समूत हो
Actionable	अभियोग्य, वाद-योग्य	काबिल इजराये नालिश
„ claim	अभियोग्य, वाद, वादयोग्य	दावा काबिल नालिश
	स्वत्व	
Adhesive	चिपकाने वाला	चस्पादनी
Adjective Law	पूरक नियम	कानून जाता

Adjourned hearing	स्थगित सुनवाई	मुलतवी शुदापेशी
Adjudication	निर्णय	फैसला, तजवीज़
Administer-oath	शपथ देना	हलफ देना
Administration, Letters of—	प्रबन्धक पत्र	चिठियात एहतमाम
Admission	स्वीकारी, अंगीकारी, स्वीकृति	इकबाल, इकरार
Admission of guilt	अपराध स्वीकृति या स्वीकारी अपराध	इकबाल जुर्म
Adoption	दत्तक ग्रहण, दत्तक विधि	तबनियत
Adult	वयस्क	बालिश
Adulteration	मिश्रण, मिलावट	मिलावट
Adultery	व्यभिचार	ज़िना, तात्लुक नाजायज़
Advalorem	मूल्यानुसार	मुताबिक मालियत
Adverse possession	विपरीत अधिकार विमुखा- धिकार	कब्जा मुखालिफाना
Advocate	वकील, बैरिस्टर, अभिभापक	वकील
Affidavit	शपथ पत्र	बयान हसफ़ी
Agnate	पितृ सम्बन्धी, कुटुम्बी	यकजही
Agreement	प्रतिज्ञा, ठहराव, समझौता	मुआहिदा इकरार
Agriculturist	कृषक, किसान	कार्तकार
Aid in execution	प्रवर्तन में सहायता	इमदाद कार्रवाई इजरा
Alias	उपनाम	उर्फ, उर्फ़ियत
Alibi	अनुपस्थिति	उज्र अदम मौजूदगी
Alien	विदेशी	गैर मुल्क का
Alimony	पति की आय या सम्पत्ति का भाग जो विवाह विच्छेद होने पर पत्नी को दिलाया जावे	
Aliunde	अन्य प्रकार से	दूसरी तरह से
Allege	आरोपण करना	बयान या इज़हार करना
Allegations of fact	घटना सम्बन्धी आरोपणत या बर्णन	बयानात मुताल्लिक वाक़ा
Allowance	बट्टा, वृत्ति	बज़ीफ़ा, भत्ता
Alternative plea	विकल्प विरोध	उज्र बतौर बदल
Ambiguity	अस्पष्टता	इबहाम, इश्तबा
Amendment	सशोधन	तरमीम इस्लाक
Ancestor	पूर्वज	मूरिस

Ancestral property	पैत्रिक सम्पत्ति	जायदाद मौखी
Annuity	वार्षिक वृत्ति	सालाना बजीफा
Anomalous	अनियमित, असंगत	मोहमिल बेजाता
„ mortgage	अनियमित आड़	रहन बेजाता
Antecedent debts	पूर्ववर्ती ऋण	कर्जा माकल्ल
Aposteriori	वह घटनायें जिनसे भविष्य का फल निकाला जा सके	बाक्यात मयनी
Appeal	विवाद, अपील, प्रेरणा	नतीजा आइन्दा इलतजा, दरखास्त इन्साफ
„ Cross	प्रति प्रेरणा	अपील मुखालिफाना
„ Grounds of	विवादाधार अपील	मूजवात-ए-अपील
Appellant	विवादी, अपीलान्ट	अपील करने वाला
Appendix	परिशिष्ट	जमीमा, तितम्मा
Application	प्रार्थना पत्र, आवेदन	दरखास्त, अर्जी
Apportionment	यथा योग्य विभाजन	तकसीम-ब-हिस्सा मुनासिब
Approver	साक्षी भेदी	गवाह सरकारी
Appurtenance	भूमि सम्बन्धित स्वत्व	आराजी मुताल्लिका
Apriori	घटित घटनाओं से फल निकालना	नतीजा बाक्यात मफूरत
Arbiter } Arbitrator }	पंच, मध्यस्थ	सालिस
Arbitration	पंचायत	सालिसी
Area	क्षेत्र	रकबा
Argument	तर्क, प्रति पादन	दलील, बहस, हुज्जत
Arrest	गिरफ्तारी	हिरासत;
Arson	गृहदाह, आग लगाना	आतिशजनी
Article	धारा, पद	मद, दफा
„ of Association	संघ या कम्पनी के नियम	क्रनायद कायम होने कम्पनी
Ascendants	पूर्वज श्रेणी	आबो अजदाद
Assault	आक्रमण, मारपीट	इमला, मारपीट
Assets	सम्पत्ति, पूंजी	सरमाया, तर्का
„ personal	निजी सामान	असबाब, जायदाद मनकूला
„ real	अचल संपत्ति	जायदाद गैर मनकूला

Assign	अर्पित करना	मुन्ताकिल या सुपुर्द करना
Assumpsit	प्रतिज्ञा भंग होने पर हानि का दावा	न.लिश हर्जा विनाय मुआहिदा
Attachment	आसेध, कुर्की	कुर्की या गिरफ्तारी
„ liable to	आसेध योग्य	काबिल ए-कुर्की
„ under	आसेध युक्त	जेर कुर्की
Attest	प्रमाणित करना, पुष्टि करना	तसदीक करना, गवाही
Attester }	प्रमाणितकर्ता	तसदीक कुनिन्दा
Attestor }		
Auction	नीलाम, घोष विक्रय	नीलाम
„ purchaser	घोष क्रेता	खरीदार नीलाम
Award	(१) पंच निर्णय (२) दंड देना, निर्णय करना	(१) तसफिया या फैसला सालिही (२) हुकम सना तजवीज

B

Bail	प्रतिरक्षण	जमानत
„ Admit to	प्रतिरक्षण स्वीकार करना	जमानत पर रिहा करना
Bail bond	प्रतिरक्षण पत्र, प्र तेभूपत्र	जमानतनामा
Bailable offence	प्रतिरक्षण योग्य अपराध	जुर्म काबिल जमानत
Balance-sheet	चिट्ठा, वार्षिक हिसाब	वासिल वाकी
Bankruptcy,	देवालिया पन	देवालिया होना
Barred by limitation	अवधि बाधित	तमादी पज़ीर
Beneficiary	लाभ स्वत्वाधिकारी पुरुष	शख्त मुस्तहक इस्त फ़ादा
Bequest	दान, निष्ठा, उत्तर दान	वसीयत, हिबा
„ conditional	प्रतिबन्ध दान	हिबा शर्तिया
Bigamy	स्त्री या पुरुष के होते हुये दूसरा विवाह कर लेना, द्विविवाह-प्रथा	शौहर या बीबी के जीते होते हुए दूसरी शादी करना
Bill of exchange	हुन्डी	हुन्डी या दस्तावेज़ तहरीरी बाएवज़ रुपया

Bill To accept a	हुन्डी सिकारना	हुन्डवी कबूल करना
„ payable to bearer	धनी जोग हुन्डी	हुन्डवी वाजिबुल अदा हासिल
„ payable to banker	शाह जोग हुन्डी	हुन्डवी काविल अदायगी महाजन
„ payable after date	मिति पूजे की हुन्डी	मियादी हुन्डवी
„ payable at sight or demand	दर्शनी हुन्डी	पहुँचे दाम की हुन्डी
„ Duplicate	दोपरती हुन्डी	दो परत वाली हुन्डवी
Board of Revenue	उच्चतम राजस्व न्यायालय माल की प्रमुख अदालत	हुक्काम आली सीगा माल
Bodily injury	शारीरिक हति, आघात	ज़रर जिस्मानी
Bonafide	सद्भाव	हक़ीकी; ठीक नीयत से
Bond	टीप, तमस्तुक	दस्तावेज, चसीका
Breach of contract	प्रतिज्ञा भंग, अनुबन्ध भंग	खिलाफ वर्जो मुआहिदा
„ of covenant		
Brief	(१) सक्षिप्त, संक्षेप (२) मुकदमें की मिसिल	(१) मुखतसर (२) याददाश्त मुकदमा
Burden of Proof	प्रमाण भार	बार सबूत
By-law	उपनियम	कानून जैली कवायद

C

Calumny,	मिथ्या आरोपण	भूठा इतहाम
Cancellation	खंडन, निर्वन	तन्वीख इनफिसाक
Capital punishment	मृत्युदंड	सजाये मौत
Cart Blanche	हस्ताक्षरयुक्त कोरा कागज़	दस्तखती सादा कागज़
Case, Cause	अभियोग, दावा, वाद	मुकदमा निजा नालिश
Cause mortes	मृत्यु का वारण	मर्ज-उल मौत बिनाय दावा,
Cause of action	व्यवहार कारण, वाद उत्पन्न होने का कारण	बिनाय मुखासमत
Cause title	वाद शीर्षक, सिरनामा	सिरनामा मुकदमा
Cause list	अभियोग सूची, वाद सूची	फेहरिस्त मुकदमा

Certificate	प्रमाण पत्र	सनद, सर्टीफिकेट
Cestui qui trust	हिताधिकारी	जिसके लिये श्रमानत की गई हो
Chapter	अध्याय	बाब
Charge	दोष	इलाजाम
Charitable endowments	पुण्यार्थदान	वक्फ
Chronological order	कालानुक्रम	बतरतीब तारीख
Circumstantial evidence	वृत्तान्त घटित प्रमाण; स्थिति विषय में प्रमाण	शहादत करायन बहालात
Claim	बाद, स्वत्व प्रतिपादन	दावा
Clerical error	लिपि दोष, लेखन दोष	लिखने की गलती
Client	आसामी, व्यवहरिया	मुवक्किल
Clog on the equity of redemption	बधक मोचक में प्रतिबंध	फक्क करने में रुकावट
Code, Civil Procedure	व्यवहार विधि-संग्रह अर्थ-विधान-संग्रह	मजसुआ जासा दीवानी
Code, Cr. Procedure	दंड विधि संग्रह	मजमूआ जाब्ता फौजदारी
Codicil	उत्तरदानपत्र का परिशिष्ट	तितम्मा बसीयत नामा
Cognizable offence	हस्तक्षेप योग्य अपराध	जुर्म काबिल दस्तन्दाजी
Collateral	सगोत्र	एक ही वंश की सन्तान
Commensality	सह भोजित्व	एक में खाने पीने के जरिये साझा
Committing Magistrate	प्रेषक दंडाधिकारी	मजिस्ट्रेट सुर्पद कुनिन्दा
Composition-deed	सधि पत्र	तस्फियानामा
Compromise	समझौता	सुलहनामा
Condonation	क्षमा	मुआफी
Confession	अपराध स्वीकृति	इकबाल जुर्म
Confidential	गुप्त	पोशीदा
Conjugal rights	दाम्पत्य अधिकार	शेाहर व जौजा के हक्क
Consanguinity	सगोत्रता	करात्रत
Consideration	पलटा, प्रतिफल	बदल, मुआवजा
Consignee	प्राप्त कर्ता	जिसके माल बेजा जाय

Consignor	प्रेषक	भेजने वाला
Conspiracy	पडयंत्र	साजिश
D		
Damages	क्षति	हर्जा
Dangerous weapon	सङ्कटकारी शस्त्र अपायकारक शस्त्र	खतरनाक आला
Days of grace	अनुग्रहीत अवधि	अग्र्याम रियायती
Deadly weapon	घातक शस्त्र	मोडलिक आला
Death illness	प्राण नाशक रोग	मर्तुल मौत
Death sentence	प्राण दंड	सजाय मौत
Debutter property	देवस्थानी सम्पत्ति	जायदाद जो किसी देवता को वक् न हो
Deceased	मृत व्यक्ति	मुतफती
Decision	निर्णय	फैसला
Declaratory Suit	अधिकार स्थापक-अभियोग	दावा इस्तकरारिया
Decree	स्वत्व निर्णय, न्याय पत्र	जाजान्ता इजहार फैसले का
Decree holder	न्यायपत्र धारी	डिमरीदार
Dedication	पुण्यार्थदान	वक्फ
Deed	प्रमाण पत्र, लेख्यपत्र	दस्तावेज
De facto guardian	वास्तविक अभिभावक	सरपरस्त वाकई
Detamation	मान हानि	तौहीन
Default	त्रुटि	कसूर
Defence	उत्तर, प्रतिवाद	जवाब देही
Defendant	प्रति चादी	मुद्दाअलेह
Deterred dower	अप्रस्तुत स्त्री शुल्क	महर मुवज्जल
Definitive judgment	अंतिम निर्णय	नातिक फैसला
Delivery of possession	अधिकारारण	हवालगी कब्जा
Demarcation	सीमा निर्धारण	हद्द कायम करना
De novo	पुनः आरम्भ से	अजसरे नौ
Departmental inquiry	बेभाषिक अनुसन्धान	जाँच अज जानिब
Deposition	कथन, साक्ष्य	महकमा
Descendant	वशज	इजहार अौलाद

Desertion	पलायन, त्याग	फरारी
Devolve	हस्तान्तरित होना	एक से दूसरे के पास पहुँचना
Dilatory plea	अभियोग निर्णय में विलंब वाला कारणोत्तर, विलम्बकारी कारणोत्तर	उज्र जो बायस त्वक्कुफ मुकदमा हो
Disclaimer	अधिकार अस्वीकृति	इनकार दावे से
Discontinuous easement	अनविरत सुखाधिकार	इक इस्तेफादा गैर मुसलसल
Discretionary power	विवेकाधीन अधिकार	इस्खितयार तमीज़
Dishonest misappropriation of property	वेजा कुटिलता से सम्पत्ति का दुरूपयोग	बददयानती से माल का तसर्हफ
Dishonour	अपमानित करना	वेइज्जत करना
Dismiss	निरसन करना, विसर्जित करना	बरखास्त करना, खारिज करना
Dismissal for default	अनुपस्थिति या अवहेलना के कारण निरसन	हरबराजी बअदम हाज़िरी
Dispauper	निर्धनता अस्वीकार करना	मुफलिसी ना मंजूर करना
Dispossession	अधिकार हरण	वेदखली
Disprove	असत्य सिद्ध करना	तरदीद करना
Dissolution of marriage	विवाह विच्छेद	इनफिसाख, तलाक
Dissolution of partnership	सहकारिता भङ्ग, साभा टूटना	इनफिसाख शिरकत
Distant-kinded	दूरस्थ संबन्धी, बान्धव	रिश्तेदारान
District Judge's court.	मंडल न्यायाधिकारी का न्यायालय	जिला जज की अदालत
District Magistrate	दंड मंडलाधिकारी	मजिस्ट्रेट जिला
Division bench	न्याय उपमंडल	चद हाकिमों की बैच
Divorce Act	विवाह विच्छेद विधान	कानून तलाक
Document	लेख्य पत्र	दस्तावेज़
Documentary evidence	लेख्य साक्ष्य	शहादत तहररीरी
Dominant heritage	प्रमुख अधिपत्य	हकीयत मालिक

Donee	दान गृहीता, आदाना	जिसको हिना किया जाय
Donor	दाता	हिना करने वाला
Dower	स्त्रीधन	महर, दहेज
Dowry	स्त्रीधन	दहेज
Draft	प्राथमिक लेख, पाडुलिपि	मुसब्बिदा, खाका
Duly stamped	उचित शुल्क युक्त	नाज्जुता स्टाम्प शुदा
Duplicate	द्वितीय प्रति	मुसजा
Duress	बन्धन	कैद
Dying declaration	मृत्यु कालीन कथन	शरवश करीबुलमर्ग का बयान
E		
Earnest money	सत्यकार, अग्रिम द्रव्य	जेर बयाना, जरे पेशगी साई
Earnings	उर्पाजन, आय	आमदनी, कमाई
Easement	सुखाधिकार, व्यवहार-स्वत्व	हक आसायश
Easement of necessity	आवश्यक सुखाधिकार	हक आसायश जरूरी
Easement Act	सुखाधिकार विधान	कानून हक आसायश
Egress	निर्गमन, बहिर्गमन	बरामद, निकास
Eject	अधिकारच्युत करना, निष्कासन करना	वेदखल करना, निकाल देना
Ejectment	निष्कासन	वेदखली, कब्जा हटाया जाना,
Election	निर्वाचन	इन्तखाब, चुनाव
Election petition	निर्वाचन-अभियोग	दरखवास्त शिकायत मुतअल्लिक इन्तखाब
Electorate	निर्वाचक जन	इन्तखाब कुनिन्दगान
Elopement	विवाहिता स्त्री का पर पुरुष के साथ भाग जाना, गुप्त पलायन	विवाहित औरत का दूसरे आदमी के साथ राजी हो कर छिप कर भाग जाना
Embezzlement	प्रमत्तण, धरोहर का अचिंत रूप से अपने काम में लाना, न्यास-ग्रहण	खयानत, गवन,

Empanel	पंचो की सूची में नाम चढ़ाना	जूरी का नाम फेहरिस्त में दर्ज करना
Empower	अधिकार देना	हख्यार देना
Enactment	विधान, व्यवस्थापन	आइंन, कानून, ऐक्ट बनाना
Encroach	अतिक्रमण करना, अनधिकार प्रवेश करना	मदाखलत करना, दस्त-दराजी करना, दूसरे का हक दबा लेना
Encroachment	अनधिकार प्रवेश, अतिक्रमण. अनधिकार हस्तक्षेप	मदाखलत, दस्तदराजी
Encumbrance	भार	मुवाखला, भार
Endorsement	पृष्ठ पर हस्ताक्षर या लेख, उत्तरोपरि लेख	इबारत जुहरी, तहरीर जुहरी
Endowment	विशेष कार्यार्थ निष्प्रेषित सम्पत्ति, दान	खास गरज के लिये दी हुई जायदाद, वक्फ
Enforce	प्रचलित करना, अर्थात्	नाफिज या जारी करना
English mortgage	आग्ल बन्धक	रहन इग्लिशिया, रहन अंग्रेजी
Enhancement	बढ़ोतरी, वृद्धि	इजाफा
Entice	प्रलोभन देना, पथ भ्रष्ट करना	तरगीब देना, फुसलाना, बहकाना
Equitable mortgage	स्वत्व-शेखाघान द्वारा बन्धक	रहन बजरिये दास्तावेजात हकिकयत
Equity	स्वभाविक न्याय, प्राकृतिक न्याय, न्याय नीति	अदल, इन्साफ
Equity, justice and good conscience	न्यायधर्म तथा सदाचार	(सुभाविक उलूस)
Equity of redemption	(के अनुकूल) बन्धक मोचन अधिकार	अदल इन्साफ व नेकनियती हक इनफिकाक, रहन की हुई जायदाद को छुड़ाने का हक
Estate with limited interest	परिमिताधिकार युक्त सम्पत्ति	जायदाद बहस्तहकाक महदूद
Estoppel	पूर्व कथन के विश्व कहने को रोक, प्रतिबन्ध	माने तकरीर मुखालिक

Evidence	साक्ष्य, प्रमाण	शहादत, सबूत
Evidence Act	साक्ष्य विधान	कानून शहादत
Examination in chief.	साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्ष के प्रश्न, साक्ष्यार्थी प्रश्न	सवाल फरीक अन्वल, शहादत पेश करने वाले के सवाल
Exception	छूट, अपवाद	मुस्तसना, इस्तसना
Excise	१—मादक-द्रव्य-शुल्क २—मादक-द्रव्य-विभाग	१—मुनश्शी अशियाय का महसूल, २—महकमा जानकारी
Excommunication	जाति से बाहर करना, बहिष्कार, समाज च्युति	जात से खारिज करना
Execute	१—निर्वाह, सम्पादन करना २—फासी देना	तकमील करना, बजा लाना
Execution	१—निर्वाह, सम्पादन २—प्राण-दण्ड	१—हजरा, तकमील, २—फासी
Exhibit	१—प्रदर्शित वस्तु, प्रादर्य २—प्रदर्शित करना, प्रकट करना	१—दस्तावेज या कोई शय जो अदालत में पेश हो २—निशान, निशानी
Exile	देश निकाला, निर्वासन	जलावतन
Ex-officio	अधिकारतः, अधिकार जन्म	ब ऐतबार ओहदा
Ex-parte	एक पक्षीय	यकतरफा
Ex-parte decree	एक पक्षीय स्वत्व निर्णय	यकतरफा डिक्री
Expert evidence	विशेषज्ञ का साक्ष्य	माहिर की शहादत
Explanation	१—व्याख्या २—उत्तर	१—तौसीह, तशरीह, २—जबाब
Expropriatory	स्वामित्व-च्युत	साकितुलिमलिकयत
Expropriatory tenant	स्वामित्व-च्युत कृषक	आसामी साकितुलिमलिकयत
Extention of time	काल वृद्धि	तौसीह मियाद
Extortion	बलात ग्रहण	इस्तैहसाल बिलजब्र
Extra-judicial	विधि बाह्य, अधिकार बदिमूर्त, व्यवस्था विरुद्ध	खारिज अज जाता.
Eye-witness	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी	वेकायदा गवाह चश्मदीद

Fabricating false evidence	कूट प्रमाण निर्माण करना, कपट साक्षी करण	भूठी शहादत बनाना
Fact	घटना, विषय	अस, वाक्या, बात
Fact in issue	वाद अस्त विषय, वाद विषय, वाद हेतु विषय	वाक्या तनकीह तलब
Factum Valet	असगत कार्य प्रतिवादन	जवाब अम्र मौक्या
False accusation	मिथ्या दोषारोपण,	भूठा इलजाम लगाना
False evidence	परकेत दोष, मिथ्या साक्ष	भूठी गवाही
False imprisonment	अवैध काराबन्द	कैद बिला अख्ल्यार कानूनी के
False personation	कपट रूप धारण करना	गौर शखर बनना
Falsification of account	भूठा लेख बनाना	भूठा हिसाब बनाना
Federal government	सयुक्त राज्य, संघ शासन	सलतनत मुत्तहिदा
Felony	गुरु तर अपराध, भारी अपराध	जुर्म कबीरा
Fictitious	काल्पनिक,	फर्जी
Fiduciary relation	न्याय सम्बन्ध	ताल्लुक अमानती
Final decree	अन्तिम स्वत्व निर्णय	डिक्री क्तई
Foreclosure	बन्धक-मोचनाधिकार-लोपन	सकूत इस्तहकाक इनफिकाक रहन, रहन लुङ्गाने का हक जायल होना तजवीज़ रियासत गौर ज़न्ती
Foreign judgment	परराष्ट्र निर्णय	
Forfeiture	अधिकार हरण, अपहार, राज्य द्वारा अपहरण	
Forged document	कूट लेख	बाली दस्तावेज़
Forgery	कूट रचना, कपट परिवर्तन	जालसाज़ी
Frame of suit	वाद-रचना	तरतीब नालिश
Framing of charge	दोषपत्र निर्माण करना	फर्दकरारदादजुर्म लगाना
Framing of issues	वाद विषय निर्णय निर्णय योग्य विषय विभाजन	तनकीहात कायम करना
Fraud	प्रतारण, कपट	फरेब, चालबाज़ी

Freehold	करहीन भूमि, निष्कर भूमि	जागीर, मुआफ़ी
Frivolous and Vexatious complaint	मिथ्या तथा त्रासहेतु अभियोग	नालिश वगैरज ईजा रसानी
Full bench	पूर्ण न्याय मंडल	इजलास कामिल

G

Gamb'ing Act	शूत विधान,	कानून क्रिमर बाजी
Garnishee	ऋणी का ऋणी	मदयून का मदयून
Gemology	वशावली, वश वृत्त	शिजराउल नसब, पुस्तनामा
General Clauses Act	बहु प्रसुक्त वाक्य विधान, साधारण वाक्यांश विधान	कानून इयाग्त आला
General power of attorney	अनेक विषयाधिकार पत्र सर्वाधिकार पत्र	मुस्तार नामा आम
Generation	वंश, पीढ़ी	पुरत
Gift	दान	शयमौहूजा, हिया
Giving false evidence	मिथ्या साक्ष देना	फूठो गवाही देना
Goodbehaviour	सदाचार, सद्व्यवहार	नेकचलनी
Good consideration	योग्य प्रतिफल	वदल जायज
Good faith	सद्भावना,	नेकनियती
Goodwill	ख्याति	नेकनामी, साख
Government of India Act	भारतीय शासन विधान	कानून हुकमत हिन्द
Government plader	राजकीय अभिभाषक	सरकारी वकील
Grant	१—वृत्ति २—दान-पत्र, ३—प्रदान करना	१—अतीया, इमदाद नकदी २—सनद ३—देना
Gratuity	अवसर-काल-प्राप्त-पारि- तोषिक	इनाम
Grave and sudden provocation	अत्यन्त आकस्मिक क्रोधा- वेश	सख्त वनागहानी इस्तआल तवा
Grievous hurt	कठोराघात	जरब शदीद
Gross negligence	घोर असावधानी, भारी प्रमाद	गफलत शदीद

Grounds of appeal	विवादाधार	मूजवात अपील
Grove-holder	उपवनाधिकारी	काबिल बाग, बागदार
Guarantee, Guar- anty	प्रतिभू	जमानत
Guardian ad litem	अभियोगार्थ अभिभावक वादार्थ अभिभावक	वली दौरान मुकदका
Guilty	दोषी, अपराधी	मुजरिम, कसूरवार

H

Harbouring offen- dors	अपराधी को आश्रय देना	पनाहदिही मुजरिमान
Hearsay evidence	जनश्रुति-साक्ष्य	शहादत-समाई
Heirs-at-law	विधिविहित उत्तराधिकारी	वारिस कानूनी
Hereditary	पैतृक, आनुवंशिक, पर- म्परागत	मौरूसी
Heresy	१—धार्मिक मतभेद, २—मतविरुद्धता	१—मज़हब की उसूली गलती २—दीन से गुमराही
High Court	सर्वोच्च न्यायालय	सदर अदालत, हाईकोर्ट
Hire-purchase- system	निश्चित अंशों में मूल्य लेकर विक्रय-रीति	तरीफा फरोख्तगी माल बजरिये किराया
Homicide	नर हत्या, मनुष्य वध	कत्ल इन्सान
Honorary Magi- strate	अवैतनिक दंड-न्यायाधीश	आनरैरी मजिस्ट्रेट
Hostile witness	विरुद्ध साक्षी	मुखालिफ गवाह
House search	गृह अन्वेषण	खाना तलाशी
House trespass	अनधिकार गृहप्रवेश	मदाखिलत चेजा बखाना
Hypothecation	गिरवी, बन्धक	इस्तगराक

I

Identification	अभेद-प्रतिपादन, चिन्हत- करण	शिनाखत, पहिचान
Ignorance of law	विधान-अज्ञता	उज्र नावाकफियत कानूनी
Illegal	न्याय विरुद्ध, अवैध	नाजायज, खिलाफ कानून
Illegitimate	१—जारज, २—अवैध	गैर सहीउल नस्ल, नाजायज
Illicit intercourse	अवैध संसर्ग, अगम्यागमन	जिमात्र नाजायज

Immaterial	अनावश्यक, महत्वहीन	गैर अग्रह
Inmemorial usage	स्मरणातीत आचार	रिवाज कदीम
Immoral purpose	अनैतिक हेतु, अशिष्ट उद्देश्य	गरज खिलाफ, तहजीब
Immovable property	स्थायर सम्पति	जायदाद गैर मनकूला
Implead	अभियोग चलाना	इस्तगाल या नालिश करना
Implied	मानवी, उपलब्ध, गर्भित	मतलब
Impound a document	संशयात्मक लेख का न्यायालय में निरुद्ध रखना	दस्तावेज का अदालत की तहजीब में रखना
Imprisonment	कारागार, कारावास	कैद, हूस, जेल-खाना
Impugn	प्रतिवाद करना विरोध करना	तरदीद करना
Incapacity	असामर्थ्य, अक्षमता	नाकाबलियत
Income-tax	आयकर	महसूल आमदनी
Indefensible	जो मिटाया न जा सके, अलोपनीय	नाकाबिल इनफिसाल च जवाल
Indemnity bond	क्षतिपूर्तिपत्र, पारिहीणिकपत्र	अवरानामा, जोखम-नामा
Indian Penal Code	भारतीय दंड संग्रह, भारतीय दंड विधान	मजमुश्रा ताज्जीरात हिन्द
Inequitable	न्यायविरुद्ध	खिलाफ मादलत, खिलाफ इन्साफ
Infringement of right	स्वत्व या अधिकार में हस्तक्षेप करना	किसी के हक में दस्तन्दाजी करना
Ingress	पैठ, प्रवेश	रसाई, वारयात्री, दाखिल होना
Inherent powers	स्वाभाविक अधिकार, अन्तवर्ती अधिकार	इख्तियारात लाहक
Inheritable	उत्तराधिकारोपयोग्य	काबिल ईर्स
Inequity	अन्याय	वेइन्साफी
Injunction	निषेधाज्ञा	हुकम इम्तनाई
Injustice	अन्याय	वेइन्साफी
Innuendo	वक्तोक्ति	फिकरा तौहीनी
Inquest	अन्वेषण	तहकीकात अदालती
Inquiry	अन्वेषण, निरूपण, समीक्षा	तहकीकात

Insolvency Act	ऋण परिशोध-विधान	कानून देवालिया
Instigator	उकसाने वाला, उत्तेजक	तरगीब देने वाला, बहकाने वाला
Intercourse	१—संसर्ग, समागम, २—सम्मिलन, पारस्परिक सम्बन्ध, ३—पत्र व्यवहार	१ - हमबिस्तरी २ - राहरस्म, मुलाकात, मेलजोल, ३ - मरासलत बाहमी
Interim order	मध्यवर्ती आशा	हुक्म दरमयानी
Interpleader suit	अनेक प्रतिवादियों के पारस्परिक विरोध-निर्णय सम्बन्धी वाद	नालिश तश्फिया ब्रैन उल मुतनाज़ईन
Investigate	खोजना, अनुसंधान करना	तफ्तीश करना, जाँचना
Ipso facto	स्वभाव सिद्ध, स्वयमेव	बनफसही, अपने आप
Irrelevant facts	असम्बन्ध बातें, अप्रासंगिक विषय	व क़आत गैर मुताल्लका
Irrevocable	अपरिवर्तन, अखंडनीय वाद	नाकाबिल तनसीख या तरदीद
Issue	विषय, वादग्रस्त विषय, विचार्य विषय	तनकीह अग्रतनकीह तलब,
J		
Joinder of causes	अनेक अभियोग, वाद योग्य विषयों को सम्मिलित करना	इश्तमाल जिनाय हाथ
Joinder of charges	दोष-एकत्रीकरण	इल्जामात का शमूल
Joint family property	सयुक्त कुटुम्ब सम्पत्ति	जायदाद खानदान मुश्तरका
Joint ownership	सयुक्त स्वामित्व	मिलकियत मुश्तरका
Judge	न्यायाधीश, निर्णायक	जज, मुंसिफ़, हाकिम अदालत
Judgment	निर्णय	तजवीज, फैसला
Judgment-creditor	न्याय-पत्रधारक, स्वत्व निर्णय-प्राप्त कर्ता	डिक्रीदार
Judgment debtor	निर्णीत ऋणी	मदयून डिकी
Judicial enquiry	न्यायालय सम्बन्धी अन्वेषण	तहकीकात अदालती
Judicial proceeding	न्यायालय कार्यवाही	कार्रवाई अदालती

Jurisdiction	अधिकार क्षेत्र, अधिकार सीमा	इलाका अख्त्यार समात, अख्त्यार समात
Jury	पंच, पंचमंडल, न्यायाधीश के परामर्शदाता, न्याय सभ्य	मुशीर
Justice, equity and good conscience	न्यायधर्म तथा सदाचार (के अनुकूल)	(मुताबिक असूल) अदल इन्साफ व नेकनीयती
Keeping the- peace	शान्ति रखना	अमन कायम रखना
Kidnapping	मनुष्यापहरण, मनुष्या-पनयन	इन्सान को ले भागना
Kindered	सम्बन्धी, सगोत्र, आत्मीय	रिश्तेदार, नातेदार
Laches	अनुचित विलम्ब, असावधानी अवहेलना, उपेक्षा	तसाहुल, गफलत, बेपरवाही
Land Acquisition Act	भूप्राप्ति विधान	कानून हुसूल आराज़ी
Landholder, } Landlord }	क्षेत्रपति, भूस्वामी	जमीदार
Land tenure	जोत-स्वत्व-पद्धति, कर्षण अधिकार	तरीका कब्ज़ा जायदाद
Larceny	चोरी स्तेय	सिरका
Latent ambiguity	निगूढ़ संदिग्धार्थ	इबहाम खफी
Law	नियम, विधान, राजनियम	आईन, कानून
Law report	न्याय समाचार-पत्र, न्यायो-दाहरण पत्रिका	नजायर कानूनी
Lawful	न्याय सगत, वैध, विधि-विहित, शास्त्रविहित	जायज कानून के मुताबिक
Lawyer	न्यायज्ञ, अभिभाषक, न्याय-शास्त्रज्ञ, विधिवक्ता	कानूनदॉ. वकील, कानून जानने वाला
Leading question	उत्तर सूचक प्रश्न, साकेतिक प्रश्न	सवाल मवस्तुल मकसूद, इशारा आमेज सवाल
Lease	ठेका, पट्टा	इजारा
Legal disability	वैधानिक अक्षमता, अयोग्यता	कानूनी नाकाबलियत
Legal necessity	वैधानिक आवश्यकता, न्यायोचित आवश्यकता	जरूरत कानूनी

Legal Practitioner's Act	अभिभाषक विधान	कानून अशखास-कानून-पेशा
Legal representative Legatee	न्यायेक्त प्रतिनिधि मृत्युपत्र हिताधिकारी, उत्तराधिकारी	कायम मुकाम कानूनी मोहूबइल्लेह वसीयती
Legislation	नीतिस्थापन, व्यवस्था निर्माण	कानूनसाजी, कानून बनाना
Legislature	व्यवस्थापिका सभा	मजलिस वाज आन कानून कानून बनाने वाली जमात
Legitimate	१-न्याय्य, विधि-अनुसार, २-उचित, ३-श्रौरस वास्तविक	१-मुताबिक उसूल कानून, जायज २-वाजिब, मुनासिब ३-सदी उलनस्त्र,
Lessee	पट्टाधारी, अधिकारवाहक	इजारेदार, ठेकेदार, पट्टादार
Lessor	पट्टादाता, अधिकारदाता	इजारादेहिन्दा, ठेका देहिन्दा
Letters of administration	मृतक-सम्पत्ति प्रबन्ध, प्रबन्धक पत्र	चिट्ठियात एहतमामतकी
Letters patent	राजकीय लेख, राजकीय आज्ञापत्र	फरमानशाही, सनद
Liability	दायित्व, उत्तरदायित्व	जिम्मेदारी
Libel	१-निन्दात्मकलेख, २-निन्दा	१-तौहीन तहरीरी २-तौहीन
License, } Licence }	१-अनुमतिपत्र	१-इजाजत, सनद २-इजाजत नामा, सनद
Lien	विशेष अधिकार, वाञ्छित स्वत्वपूर्ण होने तक अधिकार	हककिफालत
Life estate	आजीवन स्वामित्व	मिल्कियत जो किसी के जिन्दगी तक रहे
Limitation	समयावधि, मर्यादा, सीमा, प्रतिबन्ध	मियाद, कैद
Limitation Act	अवधि विधान	कानून मियाद
Limited Company	संघ जिसमें उत्तरदायित्व परिमित हों	महदूद जिम्मेदारी की कम्पनी
Limited interest	सीमित स्वत्व	हस्तहकाक महदूद

Limited owner	परिमित अधिकार युक्त- स्वामी, परिमित स्वामी	मालिक बहस्तहकाक महदूद
Liquidator	ऋणपरिशोध प्रबन्धक, परिसमापक पद धिकारी	बह ओहदेदार जो हिसाब तय करने के लिये मुकर्रर हो, कर्जा चुकाने वाला ओहदेदार
Litigation	अभियोग, वाद विवाद	मुकदमावाजी
Local custom	स्थानीय रीति, देशाचार	रिवाज मुकामी
Local Government	स्थानीय शासन	मुकामी गवर्नमेन्ट
Local usage	देशाचार	रिवाज मुकामी
Locus standi	हस्तक्षेप अधिकार,	ऐतराज करने का हक
Lower Court	निम्नविा रालय, अधीनस्थ न्यायालय	अदालत मातहत
Lunatic	उन्मत्त, विक्षिप्त	दीवाना, पागल
Lurking house trespass	गुप्तरीति से अनुचित गृहप्रवेश, चौर्य प्रवेश	मखफी मदाखलतवेजा बखाना
॥		
Magistrate	दंडन्यायाधीश, दंडनायक पुरशासक	मजिस्ट्रेट
Maintenance	१—भरण पोषण, अभि- योग प्रतिपादन २—असम्बद्ध	१—परवरिश, बजीफा, नाननफ का गुजारा २—गैर ताल्लुक मुकदमे को चलाना
Major	युवा, पूर्ण वयस्क, सजान	बालिग
Majority	१—सजानता, पूर्ण वय स्कता युवावस्था २—बहुमत	१—सिने बल्लूग, २—कसरत राय
Maladministration	कुशासन	बदनजामी, बदइन्तजामी
Malafide	दुर्भावपूर्वक प्रवञ्चना-पूर्वक	बदनियती से
Malice	द्वेष, वैमनस्य,	इसद अदावत, कौना, डाह
Malicious prosecution	द्वेषमूलक अभियोग, अभि- शासन	इस्तगासा बगरज ईमारसानी
Manager	प्रबन्धक, कर्ता, व्यवस्थापक	मोहतमिम, मुन्तजिम
Mandamus	उच्च न्यायालय का आदेश, नियोग	हुक्म नामा

Mandatory injunction	न्यायालय का निषेधादेश नियोगीय निषेधाज्ञा	हुकम - ताकीदी, हुकम इम्तनाई
Marriage	बिवाह	इज्दवाज, शादी
Marshalling of securities	प्रतिभू निस्तार क्रम	तरतीब वसूल जरेकिफालत
Matrimonial	बिवाह सम्बन्धी, वैवाहिक	इज्दवाज के मुताल्लिक
Maturity of bill of exchange	हुंडी चुकाने की तिथि	हुंडी के रुपये चुकाने की तारीख
Memorandum of appeal	बिवादार्थ निवेदन, बिवाद- स्मरण-पत्र	याददाश्त अपील
Memorandum of association	संस्था का व्यावहारिक स्मरण-पत्र	याददाश्त शराकत
Merits of the case	अभियोगस्थिति	रयेदाद मुकदमा
Mesne profits	अतर्गत लाभ, अंतरभूत लाभ	वासलात
Metes and bounds	सीमा आदि द्वारा विभाजन	हिस्सा वजरिये पैजायश बहद्द के
Minor	१—अज्ञान, अप्रौढ़ अवयस्क, -अप्राप्त वयस्कता २ - छोटा, लघु, अल्प	१—नाबालिग २—उफ्तीफ, कमतर, अदना
Minority	१ - अवयस्कता, बाल्या- वस्था, अप्राप्त वयस्कता, २ - न्यूनता, अल्पता	१—नाबालिगी २—कमी
Misappropriation	दुरुपयोग, प्रमत्तण, अनि- दिष्टभोग, दुःविनियोग	तसरफ वेजा
Miscarriage of justice	अन्धाय	नाइन्साकी
Misconduct	दुराचार, कुचाल, अनुचित आचरण	बदवजाई, बदचलनी
Misjoinder of causes of action	अयुक्त अभियोग कारणों का सम्मिश्रण करना	इश्तमाल वेजा विनाय हाय दावी
Misjoinder of parties	असम्बद्ध पक्षाकार-समावेश	इश्तमाल वेजा फरीकैन
Misrepresentation	भ्रान्त कथन, मिथ्या प्रदर्शन	शलत बयानी
Mortgage	बन्धक	रहन, गिरवी
Mortgage by conditional sale	होड़ी, बन्धक, सप्रतिज्ञ क्रय बन्धक, सोपाधिक बन्धक	रहन बय त्रिल बफ्रा

Mortgagee	गिरो रखने वाला, बन्धक ग्रहीता	मुर्तहिन् जिसके पास गिरवी रखा जाय
Mortgagor	बधक करने वाला, बन्धक दाता	राहिन्, गिरौ करने वाला
Movable property	अस्थावर सम्पत्ति, जगम सम्पत्ति, चल सम्पत्ति,	जायदाद मनकूला
Movables	जंगम सम्पत्ति, चल सम्पत्ति	माल मनकूला
Multifariousness	अयुक्त सभिमश्रण, अमित सभिमश्रण	इस्तमाल वेजा
Murder	हत्या, घात, बध	कत्ल, अमद, खून
Mutation of names	नामपरिवर्तन, नामान्तर	दाखिल खारिज, तब्दील नाम
Mutual account	पारस्परिक लेखा	हिसाब वाहमी

N

Necessary party	आवश्यक पक्षकार, आवश्यक पक्षन्यक्ति	फरीक लाजमी
Necessity	आवश्यकता	जरूरत
Negligence	असावधानी, उपेक्षा, प्रमाद	गफलत, बेपरवाही
Negotiable instrument	क्रय-विक्रय-योग्य पत्र	दस्तावेज काबिल बै व शरा " " खरीद व फरोख्त
Negotiable Instrument Act	क्रय विक्रय योग्य-लेखा विधान	फानून दस्तावेजात काबिल बै व
Net profit	शुद्ध लाभ	मुनाफा खालिस
Next friend	इष्टमित्र, व्यवहार-प्रतिनिधि	रफीक
Nonapparent easement	अव्यक्त सुखाधिकार, अप्रकट सुखाधिकार	हक इस्तफादाथे नातवी
Non appealable	विवाद अयोग्य, अविवादादीय	नाकाबिल अपील
Nonbailable offence	अप्रतिभाव्य अपराध	जुर्म नाकाबिल जमानत
Noncognizable offence	रक्षक अग्राह्य अपराध	जुर्म नाकाबिल दस्तन्दाजी
Nonjoinder of parties	हस्तक्षेप-अयोग्य अाराध पक्षकार ऐकत्र भाव	पुलिष अदम इस्तमाल फरीकैन
Not guilty	निर्दोष	बेजुर्म

Notice	१—विज्ञप्ति, सूचनापत्र, विज्ञापन २—ध्यान	१—नोटिस, इत्तला, इत्तला नामा २—तवज्जुह
Nucleus	१—केन्द्र, अन्तर्गर्भ २—असली पूंजी मूलाश	१—मरकज, बीच २—इन्तदाई सरमाया
Nuisance	दुखदाई, हानिकारक, उपद्रव	अम्र वाइस तकलीफ
Nullity of marriage	विवाह निरर्थकता	इब्दवाज कलादम होना
0		
Oath	सौगन्ध, शपथ	हलफ, कसम
Oaths Act	शपथ विधान	कानून हलफ
Obiter dictum	विचारक का अप्रासंतीक गत, मरणोत्तर समीक्षा	राय बज निस्वत किसी अम्र के जो मुताल्लिक फैसला मुदकमा न हो उम्र, एतराज
Objection	आक्षेप, आपत्ति	
Oblation to the dead	पिंडदान	
Obsolete	अप्रचलित, अप्रयुक्त	गैर मुर्विवज
Occupancy right	भोगाधिकार स्वत्व, स्थाई भोगाधिकार	हक दबीलकारी
Octroi	नगर-प्रवेश-कर, नगर शुल्क	चुंगी
Offence	अपराध	जुर्म
Official assignee	ऋणपरिशोध-प्रबन्धक नियुक्तऋण-शोधक	ओहदेदार सरकारी वास्ते एहतमाम जायदाद दीवा-लिया
Official liquidator	नियुक्तऋण-शोधक	मुंसरिम सरकार
Officiating	स्थानापन्न	कायम मुकाम, ऐवजी
Offspring	१—सन्तान २—परिणाम, फल	१—ओलाद, बालबच्चे २—नतीजा
Omission	१—भूल, चूक, त्रुटि २—तर्क, त्याग	१—फरो गुजाश्त
Onerous bequest	उत्तरदान, जिसमें लाभ की उपेक्षा दायि व अधिक हो	बसीअत जिसमें जिम्मे-दारियां बमुकाबले नफा के ज्यादा हों
Onerous gift	भारात्मक दान, दुर्वहदान	जेरजार करने वाला हिवा
Onus	भार, दायित्व	बार
Opposite party	विपक्षी, उत्तरपक्ष	फरीक सानी

Order of adjudication	वाचिक, मौखिक श्रृणुशोधन-क्षमता की निर्णय आज्ञा, श्रृणु- मोचना-शक्ति की आज्ञा.	तकरीरी, जुवानी हुकम करारदाद देवालिया- दिवाले का हुकम
Ordinance	समय-विशेष-आवश्यक विधान, सामयिक विधान कल्प, समयदेश	आर्डिनेन्स, कानून मुख्त- सुल वक्त
Ordinary jurisdiction	साधारण अधिकार क्षेत्र	इख्तियार समात मामूली
Original jurisdiction	मूल-वाद श्रवणाधिकार	इख्तियार समात इन्तदाई
Ostensible owner	प्रकट स्वामी	मालिके जाहिर
Out law	१—विधान-रक्षण-वाह्य	१—वह शरूख जो कानून की हिफाजत से खारिज हो
Over rule	२—बटमार प्रत्यादेश करना	२—गहन, लुटेरा मुस्तरद करना, मंसूख करना, उलट देना
Overt act	प्रकट कर्म	जाहिरा फेल
Ownership	अधिकार, स्वामित्व	मिलिकयत
Owner's risk	स्वामी की ज़ोखम पर	मालिक की ज़िम्मेदारी पर
P		
Panel	पंचसूची, तालिका	फेहरिस्त जूरी
Paragraph	लेखाश, चरण, धारा	फिकरा
Parliament	प्रतिनिध सभा, व्यवस्था- पिका सभा	पार्लियामेन्ट
Parol, Parole	मौखिक प्रतिज्ञा	इकरार जबानी
Parol evidence	मौखिक साक्ष्य	शहादत जबानी
Part heard case .	श्रुताश अभियोग	जुजान समाञ्चत शुदा मुकदमा
Part performance	आशिक सम्पादन	जुजान तामील
Partible	विभाज्य	काबिल तकसीप
Parties to the suit	वाद पक्षकार	फरीकैन मुकदमा
Partition	बटवारा, विभाजन	तकसीम
Partner	साथी, सहभागी	हिस्सेदार
Partnership Act	साझा विधान	कानून शराकत
Party	पक्षकार, दल	फरीक

Patent ambiguity	स्पष्ट संदिग्धता	इत्रहाम जली
Patents and-Designs Act	आविष्कार तथा आकार के प्रमाणित कराने का विधान	ईजादो और नमूनों को मुस्तनद कराने का क़ानून
Patrimony	पैतृक सम्पत्ति.	बपौती, तरका पिदरी
Pauper's suit	निः शुल्क अभियोग	नालिश मुफलिसाना
Pawn	आधान, आधि	गिरवी
Pawnee	आधान रक्षक, आधिग्रहि	जिसके पास माल या गद्दना गिरवी रखा जाय
Pawnor, pawner	आधाता, आधिकर्ता	गिरवी करने वाला
Payable on demand	मॉगने पर चुकाने योग्य, दर्शनी (हुंडी)	इन्दुलतलत्र वाजिबुलअदा
Payable to bearer	धनीजोग (हुंडी -), वाहकदेय	हामिल को वाजिबुलअदा
Payable to order	नाम जोग (हुंडी) आज्ञानुसार देय	इस्तुल हुकम वाजिबुलअदा
Pecuniary jurisdiction	आर्थिक विचाराधिकार	इख्तियार समाअत खलिहाज मालियत
Pedigree	वशावली	शजर
Penal Code	दंडविधान, दंड संग्रह	मज मुआ ताजीरात
Penalty	दंड	तावान
Pendency	विचाराधीन अवस्था	दौरान
Per capita	प्रति व्यक्ति	फी कस
Per stripes	प्रति शाखा	फी शाख
Performance	सम्पादन	तामील
Perjury	मिथ्या शपथ, मिथ्या साक्ष्य	भूठी कसम
Perpetual injunction	स्थायी निषेधाज्ञा सर्वकालिक निषेधाज्ञा	हुकम इम्तनाई दवामी
Personal	निजी व्यक्तिगत	जाती
Personation	मेषधारण	दूसरा शख बनना
Petition	प्रार्थनापत्र निवेदन पत्र,	अर्जी दरखास्त
Petitioner	प्रार्थी, निवेदक	सायल
Pious obligation	पवित्र कर्तव्य	फजपाक
Plaint	वाद पत्र, अभियोगपत्र	अर्जीदावा
Plaintiff	वादी	मुद्दई

Plea	तर्क, प्रत्युत्तर	उज्र
Pleadings	उत्तर-प्रत्युत्तर, पक्ष निवेदन	वथानात फरीकैन
Pledge	वधक, उपनिधि	गिरवी
Policy	क्षेमपत्र नीति	बीमा
Poll-tax	प्रति व्यक्ति कर	जज़िया, महसूल फी रास
Polyandry	बहुपतित्व	औरत का चन्द शोहर रखना
Polygamy	बहु पत्नीत्व	मर्द का चन्द बीबियाँ रखना
Possession	अधिकार, आधिपत्य	दखल
Post mortem examination	शवपरीक्षा, मृतदेह-परीक्षा	मरने के बाद लाश का मुआयना
Posthumous child	पित्र मरणोत्तर-जात शिशु	वन्चा जो बाप के मरने के बाद पैदा हो
Power of attorney	प्रतिनिधि-पत्र	मुख्तारनामा
Prayer for relief	प्रतिकार हेतु प्रार्थना	इस्तदुआ वास्ते दादरसी
Precept	आदेश	फरमान
Pre-emption	पूर्व क्रयाधिकार	हक शुफा
Pre-emptor	पूर्व क्रयाधिकारी	शफी
Preliminary decree	प्रारम्भिक न्यायपत्र	डिग्री इन्तिदाई
Preliminary enquiry	प्राथमिक अन्वेषण	तहकीकात इन्तिदाई
Preliminary objection	प्राथमिक आपत्ति	इन्तिदाई उज्र
Premature	अकालज, कच्चा	कन्ल अज वक्त
Prescriptive right	बहुकाल भोग जनित स्वत्वाधिकार	हक जो बवजह क़दामत या शुदामद के हासिल हो
Presumption	अनुमान, धारणा	कयास
Preventive relief	निषेधात्मक प्रतिकार	दादरसी इन्तनाई
Prima facie	प्रत्यक्ष रूपेण, देखने में	बग़ाहिर
Primogeniture	व्येष्टाधिकार	जिठान्दी
Principal	प्रधान, मूलधन	खास, ज़र असल
Prisoner	बंदी	क़ैदी
Privacy	एकान्त	पोशीदगी
Privy Council	परमोच्च न्यायालय	प्रिवी कौंसिल
Procedure	विधि, रीति	ज़ाबता
Process	आज्ञा, कार्यप्रणाली	हुक्म नामा

Proclamation	उद्-घोषणा	ऐलान
Pro forma	क्रमिक	तरतीबी
Prohibited degrees of relationship	विवाह वर्जित सम्बन्ध	रिश्तेद्वारी जिससे शादी ममनुअर है
Promissory Note	ऋण वचन पत्र	प्रोमिसरी नोट, रक्का
Promoters	संचालक, सहायक	बानी, इम्दाद करने वाले
Prompt dowet	प्रस्तुत स्त्रीधन	महर मन्नाज्जल
Promulgation	प्रचार, प्रकाशन	मुश्तहरी
Proof	प्रमाण	सबूत
Proposal	प्रस्ताव	तजवीज
Proprietor	स्वामी	मालिक
Prosecution	अभियोग	इस्तफासा
Prospectus	कार्यक्रम सूची	खुलासा हाल वास्ते इत्तिला
Prove	प्रमाणित करना, सिद्ध करना	साबित करना
Proviso	होड़, नियम	शर्त
Proxy	प्रतिनिधि	कायम मुकाम
Puberty	यौवन	सिने बलूरा
Public	सार्वजनिक, जनता	आम
Public documents	राजकीय लेख्यपत्र	दस्तावेज सरकारी
Public notice	सार्वजनिक विज्ञप्ति	इश्तहार आम
Public nuisance	सार्वजनिक अपकारक कृत्य	अमन्नायस तकलीफ आम
Public policy	राजनीति, जननीति	मसलहत आम्मा
Publication	प्रकाशन	शाया करना
Punishment	दंड	सजा

Q

Quash	खंडन करना	मंसूख करना
Quasi contract	प्रतिज्ञा भास	मुआहिदा इस्तवाती
Quasi enement	आभासित सुलाधिकार	हक आसायश कयासी
Question of fact	घटना सम्बन्धी प्रश्न या तथ्य	वाकआती सवाल
Question of law	न्याय विषयक प्रश्न, वैधानिक प्रश्न	अम्र मुतअल्लिक कानून सवाल कानूनी,

R

Rape	बलात् भोग, बलात्कार	ज़िना बिलजन्न
Rateable distribution	समाप्तपतिक विभाजन	तकसीम बहिस्वा रसदी

Ratification of contract	प्रतिज्ञा स्वीकृति या अनुमोदन	मुश्राहिदे का मजूर करना
Ratio	अनुपात	तनासुत्र
Real property	स्थावर सम्पत्ति	जायदाद गैरमनकृला
Reasonable apprehension	उपयुक्त आशंका	माकूल शक
Reasonable and probable cause }	यथोचित तथा सम्भाव्य कारण	माकूल व मुमकिन वजह
Rebuttal	खंडन, प्रतिक्षेप	तरदीद
Receiver	उगाहने वाला, ग्रहणकारी	वसूल करने वाला
Reciprocal	पारस्परिक	बाइमी, आपस का
Record of rights	स्वत्व सूची	कागजात इकूक, खेवट
Rectification of instrument	लेख्य संशोधन	इसलाह दस्तावेज
Redemption	बंधक मोचन	इन्फिक्चक रहन
Re-examination	पुनः प्रश्न	सवालात मुकरर
Reference	व्यवस्था हेतु प्रार्थना	इस्तसबाव
Refund	प्रतिदान	वापिसी, लौटा देना
Refund of fee	शुल्क प्रतिदान	वापिसी फीस
Registration	प्रमाणीकरण, पंजीयन	रजिस्ट्री करना
Rejoinder	प्रत्युत्तर	जवाबुल जवाब
Relevant facts	सम्बन्धित घटनाये	वाकआत मुत्तल्लिका
Religious endowments	धार्मिक दान	औकाफ मजहबी
Remand	पुनः प्रेषण	वापिसी
Rendition of account	लेखा देना	हिदाब देना
Rent	भाड़ा, कर	किराया, लगान
Repeal	खंडन, निरसन	मंसूखी
Representative	प्रतिनिधि	कायम मुकाम
Rescission of contract	अनुबन्ध निरसन	मंसूखी ठेका
Res judicata	पूर्वन्याय, निर्णीत विषय	निजा फैसल शुदा
Resolution	प्रस्ताव	तजवीज
Respondent	प्रति विवादी, उत्तरवादी	जवाबदेह

Restitution of conjugal rights }	वैवाहिक अधिकार की मांग	मतालत्रा हुकूम ज़नोशोई
Restoration of suit	पूर्वावस्था में लाना	मुकदमा वाज़ ब नम्बर
Retrospective effect	भूतकाल दर्शी प्रभाव अनुदर्शी प्रभाव	साविका अमूर पर पड़ने वाला असर
Reverse	उलट देना	मंसूख करना
Reversioner	उत्तराधिकारी, उत्तर भोगी	वारिसे भावाद
Review	पुनरावलोकन	तजबोज़ासानी
Revision	पुनर्निरीक्षण, पुनर्विचार	निगरानी
Revocation	खंडन, निरसन	हन्फिसाख
Right of private defence	निजरन्नाधिकार, आत्मरक्षा- धिकार	इस्तइकाक हिफाज़त खुद इख्तियारी
Right of way	गमनागमन-अधिकार	हक ए-आमदरफत
Rigorous imprisonment	कठोर कारावास	कैद सख्त
Risk note	जोखम मोचन पत्र	दस्तावेज इबराय खतरा
Rule	नियम	कायदा
S		
Sale	विक्री, विक्रय	प.रोखत
Sale-deed	विक्रय पत्र	बयनामा
Sanction	स्वीकृति	मजूरी
Satisfaction	निपटारा, परिशोध, सतोष	अदायगी, चुकाना
Schedule	परिशिष्ट, सूची	ज़ामीमा
Scribe	लेखक, लिपिक	कातिब दस्तावेज़
Seal	छाप, मुद्रा	मुहर
Search warrant	अनुसंधानाज्ञा	वारन्ट तलाशी
Second appeal	द्वितीय विवाद	अपील दोयम
Secondary evidence	गौण साक्ष्य	शाहादत मनकूली
Secured creditor	संप्रतिभू धनिक	कफ़ील कर्जख़वाह
Security	प्रतिभूति	ज़मानत
Security bond	प्रतिभूतिपत्र	ज़मानतनामा
Sedition	राजद्रोह	बग़ावत
Self acquired property	स्वोपार्जित सम्पत्ति	खुद की पैदा कदी जायदाद
Self defence	आत्मरक्षा	हिफाज़त खुद इख्तियारी

Sentence	दंडाज्ञा	सजा
Sentence of death	मृत्युदंड	सजाय मौत
Service of summons	आवाहनपत्र पालन	तामील समन
Servient	अधीनस्थ	तावे
Sessions	सत्र-दंड-न्यायालय	अदालत सेशन
Set off	प्रतिपक्ष-देय-संतुलन	मुजराई
Share-holder	भागधारक, अंश भोगी	हिस्सेदार
Sharer	भागोदार (भागी)	हिस्सेदार
Signature	हस्ताक्षर	दस्ताखत
Simple imprisonment	सरल कारावास	कैद सादा
Simple mortgage	साधारण बंधक	रहन सादा
Sine die	अनिश्चित तिथि	मिला रोज़ मुकर्ररा के
Single bench	एक न्यायाधीश का न्यायालय	इजलास हाकिमे वाहिद
Sittings	बैठक, अधिवेशन	इजलास
Slander	अप्रमान जनक शब्द	तौहीन जन्नानी
Small causes court	लघुव्यवहारी न्यायालय	अदालत मतालवा खफीफा
Solemn affirmation	सच बोलने की प्रतिज्ञा	हकरार सालेह
Solitary confinement	एकान्त कारावास	कैद तनहाई
Sound mind	स्थिर बुद्धि	सही-लउ-अक़ण
Special law	विशेष विधान	कानून खास
Special relief	विशेष उपशमन	दादरसी खास
Specific performance	निर्दिष्ट सम्पादन, विशिष्ट कार्य पूर्ति	तामील मुखतस
Specific relief	निर्दिष्ट उपशमन	दादरसी खास
Specific Relief Act	निर्दिष्ट उपशमन विधान	कानून दादरसी खास
Spiritual benefit	आध्यात्मिक लाभ	रुहानी फवायद
Stamp duties	मुद्रापत्र द्वारा न्याय शुल्क	रसूम स्ट्यान्प
Standing order	स्थायी आज्ञा	मुस्तकिल हुकम
Statement	कथन, वक्तव्य	इजहार
Statute	विधान	कानून
Stay of execution	निर्वाह स्थगन	इलतवाय इजराय
Step in aid of execution	निर्वाह सहायक उद्योग	कारवाई मुआबिन इजराय

Stricture	प्रतिकूल समालोचना	नुक्ताचीनी
Sub judge	विचाराधीन	जेर तजवोज़
Subpoena	आवाहन पत्र	सफीना
Sub-section	उपधारा	तहती दफा, ज़िंमन
Sub-tenant	उपपट्टाधारी, उपकृषक	आसामी शिकमी
Subsequent mortgage	परवर्ती बन्धक	रहन माबाद
Subsistence allowance	निर्वाह व्यय	खर्चनान नफका
Substituted Service	अपरीक्ष रीति से आवाहन पत्र निर्वाह	तामील बतरीक गैरमामूली
Succession Act	उत्तराधिकार विधान	कानून जानशीनी
Succession Certificate	उत्तराधिकार प्रमाणा पत्र	सार्टीफिकेट जानशीनी
Suit in forma pauperis	निः शुल्क अभियोग	नालिश बसीगा मुफलिसी
Summary procedure	संक्षिप्त विधि	सरसरी ज़ाव्ता
Summary trial	संक्षिप्त अभियोग निरीक्षण	तेहकीकात सरसरी
Supreme court	सर्वोच्च न्यायालय	अदालत आला
Surety	प्रतिभू	ज़ामिन
Surety-bond	प्रतिभू पत्र	ज़मानत नामा
Survivor	उत्तर जीवी	प्रसमापा
Symbolical delivery	लाक्षणिक समर्पण	हवालगी अलामती

T

Table	पत्रक, सूची	नकशा, शजरा
Tacking	बंधक संयोजन	इजतपात्र किफालत
Tamper with a document	लेख दूषित करना	दस्तावेज में जाल बनाना
Temporary injunction	अल्प कालीन निषेधाज्ञा	हुकमइम्तनाई चंद रोज़ा
Tenancy	क्षेत्राधिकार	किरायेदारी
Tenant for life	आजीवनधारक	आसामी हीन हयाती
Territorial jurisdiction	प्रादेशिक श्रवणाधिकार	

Testament	शेषसाक्ष्यपत्र, मृत्युपत्र	वसीयतनामा
Testator	उत्तरदान कर्ता	वसीयत करने वाला
Testimony	साक्ष्य	गवाही
Thumb impression	अंगुष्ठ छाप	निशानी अँगूठा
Title	अधिकार उपाधि	इस्तहकाक, खिताब
Toll	पथ शुल्क	महसूल राहदारी
Tort	अपकृत्य, हानि	फेल वेजा
Tout	अभियोग-मध्यवर्ती	दलाल मुकद्मात
Trade Mark	व्यापार चिन्ह	निशान तैजारत
Trade usage	व्यापार-परिपाटी	दस्तूर तैजारत
Transaction	व्यवहार, कारोबार	मुआमला
Transfer application	अन्य न्यायालय में वाद- प्रषणार्थ निवेदनपत्र	दरखास्त इन्तकालमुकद्मा
Transfer of pro- perty Act	सम्पत्ति-हस्तान्तर-विधान	कानून इन्तकाल जायदाद
Transferee	हस्तान्तरित वस्तु प्राप्तकर्ता	मुन्तकिल इलेह
Translation	अनुवाद	तरजुमा
Transportation for life	आजन्म देश निकाला, निर्वासन	हन्स दवाम
Travelling allowance	अमण व्यय	सफर खर्च
Treasure-trove	भूमि-गत द्रव्य	दर्फीना
Trespass	अनधिकार प्रवेश	मदाखलत वेजा
Trial	विचार परीक्षण	तहकीकात व तजवीज
Tribunal	अदालत, विचारालय	इजलास
True copy	प्रमाणित प्रतिलिपि	नकल मुताबिक असल
Trust	धरोहर, न्याय	अमानत
Trust Act	न्यास-विधान	कानून अमानत
Trustee	न्यासधारक	अमीन, ट्रस्टी

U

Ultra vires	अधिकार के बाहर	खारिज अज इख्तियार
Uncertain event	अनिश्चित घटना	इत्तिफाकिया घटना
Unchastity	अपवित्रता, असतीत्व	बे असमती
Unconditional	प्रतिबंधहीन	बिलाशर्त
Unconsonable bar- gain	अपर्याप्त प्रतिफल प्रतिज्ञा	मुआहिदा जो बिला बदल काफी के किया जाय

Undervaluation	न्यून मूल्य-निर्धारण	कम तखमीना मालियत
Undisturbed possession	अखंडितयोग	कब्जा विला मज़ाहमत
Undivided family	अविभक्त परिवार	खानदान गैर मुनकसिमा
Undue influence	अनुचित प्रभाव	दाब नाजायज़
Unencumbered	भाररहित	विलावार
Unilateral contract	एक पक्षीय प्रतिज्ञा	मुआहिदा यकतफा
Universal legatee	पूर्ण उत्तरदाताधिकारी	कुल जायदाद का मूसी हलेह
Unlawful	अवैध	खिलाफ कानून
Unlawful assembly	अवैध जन समूह	मजमा खिलाफ कानून
Unlawful purpose	अवैध उद्देश्य	गरज नाजायज़
Unliquidated damages	अपरिशोधित क्षति	हर्जा गैर मुशख़्ख़सा
Unnatural offences	अप्राकृतिक अपराध	जरायम खिलाफ वजे फितरी
Unobstructed heritage	अप्रतिबंध दाय	विरासत बिलारोक
Unprofessional conduct	वृत्ति विरुद्ध व्यवहार	अमल खिलाफ पेशा
Unsound mind	विकृत मस्तिष्क	फातिरुल अक्ल
Unstamped instrument	अशुल्क लेख्यपत्र	दस्तावेज़ विला रसूम
Usage	व्यवहार	अमलदरामद
User	भोग	इस्तेमाल
Usufruct	फल भोगाधिकार, दूसरे की सम्पत्ति का उपभोग पात्र करने का अधिकार	हक इस्तैमाल व तसर्फफ-पैदावार या मुनाफ़ा किसी जायदाद का बिलाहक मिल-कियत के रहन इस्तफाई
Usufructuary mortgage	भोग बंधक	
Uterine	वैपित्रेय सहोदर या सहोदरा	अखयाफी, जो एक माँ व दूसरे बाप से पैदा हो
V		
Vacations	अवकाश	तातीलात
Valuable consideration	उचित प्रतिफल	बदल क़ीमती

Valuation of suits	वाद मूल्य	भालियत दावा
Vendee	क्रेता, खरीदार	मुशतरी
Vendor	विक्रेता	बाया
Verbal order	मौखिक आज्ञा	हुकम जुवानी
Verbatim	शब्दशः, अक्षरशः	लफज बलफज
Verdict	पचनिर्णय सन्निर्णय	राय सालिसान
Verification of plaintiff	वाद प्रमाणीकरण	तस्दीक अर्जीदावा
Versus	विरुद्ध	बनाम
Vested inheritance	प्राप्त उत्तराधिकार	हासिल शुदा हक
Vexations suit	बलेश हेतु अभियोग, उद्देगकारी अभियोग	नालिश बगरज ईजार सानी
Vice versa	इसके विपरीत, विपय्येण	इसके बर अ ल
Void ab initio	मूलतः निरर्थक, निषिद्ध	कल अदम अज इन्तिदा
Void agreement	निरर्थक प्रतिज्ञा, निषिद्ध समभौता	मुग्रामला कलअदम
Voidable contract	खडनीय अनुबंध	मुअ्राहिदा मुमकिन उल इनफिसाख
Voluntarily causing grievous hurt	इच्छा पूर्वक मर्मन्तिक आघात करना	बिल इरादा ज़रब शदीद पहुँचाना
Vote	मत	राय
Vow	शपथ, त्रिवाचा	कसम
॥		
Wager	होड, पण, वाजी	शर्त
Waiver	तर्क, त्याग	छोड़ना
Want of consideration	प्रतिफलभाव	बदला का न होना
Warranty	प्रतिभू, प्रतिभूपत्र	जामिन, जमानत नामा
Weight of evidence	प्रमाण महत्व	बक अतै शहादत
Whipping	बेंत मारना, काँडे मारना	ताजियाना लगाना
Widow's estate	विधवाधन	बेवा की जायदाद
Wilful neglect	स्वेच्छागत उपेक्षा	लापरवाही दीदो दानिश्ता
Will	शेष इच्छा	बरीयत
Winding up	सहव्यवसाय समाप्ति	तसफिया हिसाब किताब बखत्म शिराकत

With costs	व्यय सहित	मय खर्चा
Withdrawal of claim	अभियोग प्रत्यावर्तन, वाद प्रत्यावर्तन	किसी दावे का वापिस लेना
Without consideration	बिना प्रतिफल	बिलावदल
Witness	साक्षी	गवाह
Writ	आज्ञापत्र, समादेश	हुक्मनामा
Write off	निरसन करना	बट्टे खाते डालना खर्चें में डालना
Writer	लेखक	कातिब
Written statement	उत्तर पत्र	बयान तहरीरी
Wrongful confinement	अवैध बंधन	हस्त बेजा
